Radical- Democratic Humanism In Midnight"s Children: A Critical Study

Dr. Dastgir Alam *

Abstract:

An extraordinary novel Midnight"s Children, one of the most important novel explores the schizophrenia of expatriation. Salman Rushdie retrospect and deconstruct with the narration connecting on and undermining its own texts are the central strategies. The novel propagates an interesting inflection point between religious versus secular identity. Here in this novel he deals with the politics of India and Pakistan. Although the passages of the novel explicit political narrative. History is also presented and it is made to appear as integral part of the narrator"s consciousness. He is never prejudiced and he does not view politics as Indian or Pakistani, though he never moves the viewing of Indo-Pak politics, though he reacts to events from a purely humanistic point. For the sake of narration of the story, he consists the superhuman vision and powers of thought reading to understand the accounts of his story-telling through a single witness.

Key Words*: Expatriation, religious, secular, political narrative, Indo-Pak, humanistic and superhuman.*

Full Paper:

Salman Rushdie has established himself as one of the most powerful modern writers among Indian Diaspora. With four novels- *Grimus*, *Midnight"s Children*, *Shame* and *Satanic Verses*, he has emerged as a novelist of repute. The theme in his novels is fairly varied: "it is neither stereotyped nor predictable. There is nothing like a consistent theme. There are signs, however certain key ideas shaping up, of a perspective developing in his writing." Rushdie is a trend-setter and conjured up a new trend by mixing free-flight fairy tale with savage political indictment. Like the ancient masters of the art of personal vengeance- Dryden, Pope and Swift, he excels to create the grotesque on an overwhelming scale to reduce the object of his dislike into the ridiculous. The freedom movement in the Indian sub-continent made him and his family unwilling victims. The novelist in Rushdie has transformed story into a political history giving it a comic strain.

Like Raja Rao, Desani and Rushdie innovate structurally with English in a way that other Indian English writers do not undertake. Rushdie takes up the Indian

---

***Research Scholar, Dept. of English, (L.N. Mithila University Darbhanga)**

traditional narrative techniques as used in *The Ramayna*, *The Mahabharta*, *The Panchatantra* and *The Kathasaritsagar*. It is as good as the tales of the *Arabian Nights*. By providing the entertainment of the oral story-telling tradition he makes out his serious political point. He undermines the truth of claims of the official version of history without giving coherent shape to its text. In most of his novels the theme is of fragmented identity in a hostile world. He pursues via motifs of fragmentation of each generation of his protagonists while observing his personal appearance. While Rushdie makes an effort to emphasize the influence on his writings of Indian oral tradition, he is clearly tied into recent European literary tradition. He can be directly compared to writers like Grass and Kundere. This comparison reveals his debut to that tradition in the nature of his argumentation. We can point out to his use of opposites, the moral ambivalence of his protagonists and his portraiture of history as recurrence.

Midnight"s Children is a masterpiece novel of his apart four novels. It has brought prestigious Booker Award to the author and other prizes also. It has been translated into twelve languages and deals with incidents of pre and post independence era of Indian sub-continent. It covers issues of politics, religion and fanaticism. In an interview with India today, Sept. 15, 1988, he confesses that religion and fanaticism are his major themes: "Actually one of my major themes is religion and fanaticism. I have talked about the Islamic religion because that is what I knew and nature of religious experience and also the political implications of religious extremism are applicable with a few variations to just about any religion. In the beginning and the end of the novel there are other kinds of fundamentalism". The book was a turning point in Indian literature. All the big names Vikram Seth, Arundhati Roy, Amitav Ghosh and many others came after Rushdie. The world started taking notice of Indian literature. We had Mulk Raj Anand, R.K. Laxman, Raja Rao who were all writings as if in a foreign tongue. Rushdie changed that completely. The magic was that you were able to catch up with contemporary India.

The novel portrays the life and experience of three generations of a Sinai Family, living in Srinagar, Amritsar, Agra, Bombay and Karachi. Saleem Sinai, the central character, works at a pickle factory and narrates the events and his experiences to his wife Padma. The major events narrated by him are Quit India Movement, Cabinet Mission, Muslim League"s activities, Five Years Plan. Pakistan War, Liberation of Bangladesh and sacred relic of Hazratbal Mosque.

Rushdie presents almost all the events in such a manner that the history appears to be redrawn. The New York Times writes: "The literary map of India is about to be redrawn. *Midnight"s Children* sounds like a continent finding its voice." The novelist paints a scene of national movement at Amritsar with the following description:

"It is April 7 , 1919, and in Amritsar the Mahatma"s grand design is being distorted. The shops have shut. The railway station is closed, but now rioting mobs are breaking them up. Doctor Aziz, leather bag in hand, is out in the

streets, giving help wherever possible. Trampled bodies have been left where they fell. He is bandaging wounds, doubling them liberally with Mercurochrome, which makes them look bloodier than ever, but at least disinfects them. Finally he returns to his hotel room, his clothes soaked in red strains".[1] (p.35)

The novelist draws: "And there are so many stories to tell, too many, such an excess of intertwined lives events miracles pieces, rumors, so dense a coming being of the importable and mundane". Saleem Sinai takes on him the responsibility for major historical and political events. The following two examples prove his stance:

"In this way I became directly responsible for triggering off the violence which ended with the partition of state of Bombay as result of which the city became the capital of Maharastra".[2] (p.299)

"…what I later became convinced was the truth, that the purpose of that entire (Bangladesh war had been to reunite me with an old life, to bring me back together with my old friends".[3] (p.446)

Rushdie admits that Saleem shares his personal experiences but deviates from the fact that Saleem represents his own character: "As far as autobiography is concerned I said that Saleem and I share certain things, we grew up in the same part of the same city at the same time. But he never really left to me like a self-portait…"

The novel, *Midnight"s Children* is a picture of India with its ups and downs, colons, films, mythology, politics, religion, marriage ceremony, friendship and enmity. India from Kashmir to Bomaby and from Karachi to Dacca with its variety of situations and moods is seen in the novel.

Tariq Ali rightly comments: "While Midnight"s Children is an important event in Indo-English literature and its expression of radical-democratic humanism is important as an attack on South Asian ruling classes, it could go further ideologically and other issues of South Asian politics are not included".[4] (New Left Review No. 136-87-95)

It is said that Midnight"s Children is a great success in West Germany and the West, generally as a manifestation of European fascination with oriental exoticism. In this context they were also reminded of The Tin Drum. That context also invokes a comparison with Doctorow"s Ragtime involving the perspective of "the crushed private citizens." Rushdie favours metaphorical expression to preserve Indian narrative traditions. He prefers political allegory and the non-fiction novel while trying for national events and domestic life.

Midnight"s Children spans a period of seventy years in India"s modern history. It took him four years to write and come out the stage . His aim is to relate private lives to public events. As a preparation for writing this novel, he came to India on a long visit and toured the country for six months and had a talk to all kinds of people to recapitulate the colours, smells and catch-phrases.

The political leaders of the three countries- India, Pakistan and Bangladesh have acquired the quality of figures of fantasy in the quality of figures of fantasy in the novelist"s hand:

"…He engaged in political chitchat, and declared himself a firm admirer of Mrs. Gandhi, largely because of his hatred for her opponent Morarji Desai, who was intolerably ancient, drank his own urine, had skin which rustled like rice paper, and as Chief Minister of Bomby, had once been responsible for the banning of alcohol and prosecution of young goondas…"[5] (p.408)

The novel is a piece of "fiction-fraction by one born in India but settled abroad who tries to recreate his homeland, mixing memory and desire, fact and fantasy, reality and vision, time and timelessness. He himself remarks: "And one such suspicious generalization may be that writers in my position, exiles of loss, some urge to realism, to look back, even at the risk of being mutated into pillars of salt".

Though Rushdie has in another novel; Shame, fantasized about Pakistan, it would not be out of place to point to his portraiture of that land of the pure "that God-ridden country" given in the present novel. As a boy of eleven he is suspicious of the army and has only word for the seizure of power by Ayub. He claims to make revolutions on the dinner table, shifting salt-cellars and bowls of chutney. He is in Pakistan, even though, he feels his "status quo was preserved in India". He pronounces a direct value judgment:

"In a country where the truth is what it instructed to be, reality quite literally ceases to exist, so that everything becomes possible except what we are told is the case; and may be this was the difference between my Indian childhood and Pakistani adolescence- that in the first I was beset by an infinity of alternative realities, while in the second I was adrift, dis oriented, amid an equally infinite number of falseness, unrealities and lies".[6] (p.389).

The novel represents the nation"s psyche. The novelist comments: "Midnight"s Children can be made to represent many things according to your point of view, they can be seen at the last throw of everything antiquated and retrogressive in our myth ridden nation, whose defeat was entirely desirable in the context of a modernizing 20th centuries economy, or as the true hope of freedom, which is now forever extinguished, but what they must not become is the bizarre creation of a rambling, diseased mind".

Being born at a crucial moment of history, Saleem claims a place at the centre of things and on the authority of Prime Minister Nehru"s letter to him, "the role of the mirror of the nation more than the sloganized centrality of Indira Gandhi". In many ways India is Saleem and Saleem Sinai is India. The very time of his "clock-ridden, crime stained birt" handcuffs him to Indian history. Geography too is not less important. Sinai is something like India in miniature. His "map face", also represents the map of India, her vastness reflected in its largeness. The disfiguring "birth-marks" on the face appears to be the creation of the holocaust of the partition. The "Byzantime domes" and "sky blue eyes" are

indicative of Himalyas and Kashmir respectively. The “dark stain” and the “dark-patch” stand for the two wings of Pakistan. The protagonist”s long nose is indicative of India”s pride and self-glorification. Again in Bangladesh: In the midst of the rubble of war, I discovered fair and unfair. Unfairness smelled like onions, the sharpness of its perfume brought tears to my eyes.

The novel also covers agitation against Rowlatt Bill, the Jallianwala Bagh massacre, the formation of the Indian National Army, the dropping of atom bombs on Japan, communal riots, the dawn of independence, the murder of Mahatma Gandhi, the Hindu Succession Act, the closing of the Suez Canal, Reorganization of States, language riots, elections of 1957 and 1962, Chinese war, the Nanavati Case, Hazrat Bal theft, Nehru”s Death, Indo-Pak War of 1965, the Bangladesh war and imposition and lifting of emergency. The novelist has not only narrated, commented upon or referred to these events with his family and midnight”s children but he has presented the feelings of those times through his fertile imagination.

Salman Rushdie is gifted with the art of parody. His *Midnight”s Children* can be made to represent many things. All these children have special gifts, powers or physical peculiarities. Two of them, Saleem and Shiva, born exactly on the stroke of midnight have remarkably complementary gifts- nose and knees. The destructive Shiva blessed with powerful knees has “the gifts of war” while Saleem has “the greatest talent of all, the ability to look into the hearts and minds of men”. His long beaked nose is a symbol of this power to observe reality the “smell” of it as it were which a denizen of the “old world” thinks performs the function of a stethoscope. The confusion is appropriate, for it is not with his nose, with his “nasal ethics” that Saleem explores the state of the nation. Certain other physical features of Saleem are also significant. For sometime after his birth he does not blink the “immobility” of his eyelids seems to suggest a steady gaze at the fleeting phenomena of his material world, the timelessness of the visions of Indian seers.

Rushdie parodied Saleem”s growth with the development of free India. His launching upon “heroic program of self-enlargement” soon after his birth and his huge appetite seem to be a pointer to India”s ambitious five year plans and the large amounts of foreign aid, especially American swallowed by them.

His art of parody also finds expression describing the events leading to the imposition of Emergency. The labour pains of his wife Parvati- Lylah begins on June 12, 1975 when justice Jag Mohan Sinha of Allahabad High Court delivers his famous judgment against Indira Gandhi, who is in the process of “giving birth” to a child of her own. Parvati”s son arrives at the precise moment of the birth of the Emergency which indeed the new born child personifies. He has large ears but I dumb and does not even whimper and his eyes also soon grow to be as large as saucers and his face as serious as the grave. In brief, an image of the censorship-ridden sad and reflective, but inquisitive, mood of Emergency.

Another personality it has- the boatman Tai who not only claims to have seen Jesus Christ on his supposed visit to Kashmir, but also to have transcended time and history. He himself is shot, standing between the Indian and the Pak Armies fighting over Kashmir. The narrator"s ideal appears to be Tai, the boatman, the timeless being. Another such character is Mian Abdullah "the Humming Bird" an active opponent of partition who falls a victim to the knives of Muslim fanatics. With Tai Abdullah as his model, the narrator seems to join the trinity of Tai-Abdullah- Saleem.

The work is similar to a classical Indian allegory but also a parody of one Saleem and India are interlinked as they fall apart together, but Saleem reflects modern man"s predicament, deracinated, isolated, fighting against an overwhelming sense of futility and absurdity. We realize that the writing is polysemic. The next level involves a contest between material involvement and mental activity. It finally ends in victory for Shiva and with extreme pessimism the novel ends. And yet, does the novelist win after all via the Indian tantric notion of sexual power channeled to mental activity parodied by the writer. However, the writer breaks the seductive power of his writing to make us rely on our own selves, as good as Saleem breaks the more physical mesmerism of Padma at crucial times.

The suspension art is maintained through the narrative and this is the extreme example of the political exigency of the narrative act. Preview and synopsis sustain the element of suspense while Saleem"s sexual importance with Padma reflects his political importance vis-a-vis the then Prime Minister of India. However, Rushdie"s politics are superficial and not to be taken seriously. It is an "Indian Novel" an that it is all embracing and treats all human experience as contiguous. With the use of myth and fabulosity it is deliberately conscious and sometimes fantastic. It is able to open up the post-modern idiom itself for inspection using private life to reflect public events. Indian history is used to provide the entertainment of the oral story-telling and to make a serious political point.

Rushdi"s descriptions are authentic and marked with intense realism as well. The life of his protagonists often end into a realized life at the end of the novel. They are wonderfully innocent and show distinctive artistic presentation. His approach is always objective in the treatment of his subject. He can cause to work a miracle even through a modest language. His themes, characters, dialogues and straightforward statements are able to carry the feelings and atmosphere of the Indian sub-continent because he uses common Indian English idioms without any change in structure.

Apart from it, Rushdie in Midnight"s Children appears to be liberal humanist, the way he presents his characters, their interactions, social customs, legal practices etc. The corruptions practiced by the policemen, military officers, civil officers smell something rotten and Rushdie deals all these malpractices with a humanitarian approach the sense of waste, destruction, death, famine, poverty

and disease all have attracted Rushdie. In this way he is a liberal humanist. This humanism does not have faith in individualism, freedom, equality and fraternity but Rushdie is concerned with the survival of human values. He comes in the tradition of George Orwell, E.M. Forster, Joseph Conrad, Garcia Marquez and Gunter Grass. We see him reacting to events from a purely human point of view.

"Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we should redeem our pledge… At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed, find utterance… we end today a period of ill-fortune, and India discovers herself again."[7] **(**p.155)

_ Pt. Jawahar Lal Nehru

India became Independent of the British rule after a long struggle. *Midnight"s Children* is a novel about Indian Independence, the partition and their aftermath. The historical forces prove so powerful against him that he feels "buffeted by too much history and begins to show symptoms of falling apart". His coming to the world, according to him, was nothing less than a historical necessity: "At the end of that January, 1948, history had finally, by a series of shover brought itself to point at which it was almost ready for me to make my entrance. There were mysteries that could not be cleared up until I stepped on to the scene". Rushdie creates in Sinai a chronicler who provides much of the history and records his personal heritage and the identity of India itself. The interplay of the personal and national histories is the most significant feature of Rushdie"s *Midnight"s Children*.

Works-Cited:

1. _______ Rushdie, Salman. (1982). *Midnight"s Children*. Pan Books London. p.35.
2. Ibid. p. 299.
3. Ibid. p. 446.
4. ________Rahman, Tariq. *Politics in the Novels of Salman Rushdie*. The Commonwealth Review: New Left Review No. 136-87-95.
5. ________Rushdie, Salman. (1982). *Midnight"s Children*. Pan Books London. p.408
6. Ibid. p.389.
7. Ibid. p.155.
8. Marguerite Alexander. (1990). *Salman Rushdie: Midnight"s Children Flights from Realism*. London: Edward Arnold.
9. Benerjee, Ashutosh. *Narrative Technique in Midnight"s Children*. The Commonwealth Review.
10. Khan, Fauzia Afzal. *Post-Modernist Strategies of Liberation in the Works of Salman Rushdie*. Journal of South Asian Literature.

11. Naik, M.K. *A Life in Fragments: Fate of Identity in Midnight"s Children*. Indian Literature Review.
12. Rushdie, Salman. (1991). *Haroun and the Sea of Stories*. Penguin Books in Association with Granta Books.
13. Rushdie, Salman. (1983). *Shame*. Calcutta: Rupa and Co.
14. Singh, R.A. (1996). *Three Political Indo-English Novelist: Salman Rushdie, Khushwant Singh, Chaman Nahal*. Bareilly: Prakash Book Depot.
15. Singh, Sushila. *Salman Rushdie"s Midnight"s Children: Rethinking in Life and Times in Modern India*. Punjab University Research Bulletin.
16. Singh, Khuswant. (1956). *Train to Pakistan*. Penguin Books, Ravi Dayal Publishers: Delhi.

Education Is Free But Girls Are Not

Kanak Priya*

Abstract

In the world of clickbait alteration spans and fiercely competitive industry where some are at the verge of capturing sunlight in the palm of their hand, there are some who continue to languish in the forgotten corners of the world. Where are Indian women? India ranks 125 out of 159 countries in the Gender Inequality Index. Development, liberalization, modernization are the keywords of the century. But, has this liberalization been equally liberal for both men and women? Has modernization actually modernized their thinking? Another ugly facet of the concrete reality of this struggle arises when this gender inequality clashes with the claims of patriarchy. Women in much of this patriarchal world lack support for even fundamental functions of human life. Too often, they are treated as mere instruments of ends of others- reproducers, caregivers, sexual outlets, agents of family"s general prosperity. The biological differences and the so called traditions which have transcended over generations have been an excuse of domination of one and subjugation of another. This harsh reality necessitates this research to throw light on their rights and safeguards. This paper is a crucial juncture to assess the status of the untapped resources and make their elusive dream turn into reality through the beaconing lights of education. As Pandit Nehru puts in that human beings count much more as a child than as a grown up, this paper tries to locate the stature of girls at elementary education level and falsifies early marriage as a means for securing their future and rather posits an improved economy and society as the outcome of girls education. Also, the proposed paper aims at assessing the miles covered in the dark woods of unequal education opportunities for girl child under the initiatives taken by the government. Further it tries to conclude by showing that how the law of our country has contributed its best to change the lives of women to make them live with dignity and respect and not as slaves by the shield of education.

Keywords: *girl child, education, patriarchy, freedom, safeguards*

"To call woman the weaker sex is a libel; it is man"s injustice to woman. If by strength is meant brute strength, then, indeed, is woman less brute than man. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man"s superior. Has she not greater intuition, is she not more self-sacrificing, has she not greater powers of endurance, has she not greater courage? Without her, man could not be. If nonviolence is the law of our being, the future is with woman. Who can make a more effective appeal to the heart than woman?"

Mahatma Gandhi

* **Assistant Professor, Patna Women"s College Patna University**

Introduction

India, as a society has made tremendous strides in various socioeconomic and political fronts since Independence. The economic growth of the nation during the past two decades has been phenomenal. Inspite of all these achievements, the nation is far behind in few core areas of human dignity and social justice. Among them, gender injustice and oppressions through patriarchy are the most serious. These two injustices have, often in combination, played unabated roles throughout the history of India with serious results in denial & outright restrain of the rights of women in various aspects of social & educational life. Their status in India has been subject to manifold changes over the years. Fundamentalism & orthodoxy sit side by side with scientific endeavour of the highest order. The mother who is creator of this universe is categorized under the downtrodden section of society and considered just as a child bearing machine.

Is their purpose solely to bear child & please men?

Here the question arises, will women always be enslaved by the chains of patriarchy? Will they never be free? Suppression of women"s educational right is only another manifestation of the patriarchal mindset which seeks to smother women form birth till death and contends that a woman"s identity is always derived from a man be it her father or husband. The behavioural manifestation of this prejudice can also be viewed when a woman works excellently, men say "she is a man". Once a top bureaucrat was heard commenting in praise of the administrative capacity of a lady administratior. "She is the only man in the department". Late Mrs.Gandhi was told the only man in her cabinet because of her excellent work as a PM. The prejudice suggests that men are viewed as capable whereas women by large are viewed as incapable. From the moment we are conceived, both boys & girls are subjected to stereotypes. The baby aisle in store is filled with blue blankets and clothes for boys while the adjacent aisle are filled with pink for girls; bat and ball for boys and doll for girls. Examples are numerous. This problem of stereotyping is all more aggravated when coupled with patriarchal mindset. Patriarchy is a structured and historical relationship where there is domination of men over women. It establishes hegemony of men in all spheres and creates a difference which further becomes a source of discrimination. Thus, the root cause of gender inequality i.e. patriarchy is a system of power relations between the two sexes based on the principle of male supremacy. This subjugation has crippled the education of girls even in the 21st century because of its strong hold on the minds of people.

Is India modernized in perspective of Sex Discrimination?

If modernization is change in behavioural attitude and pattern then the question is, is India modernized in perspective of sex discrimination? Living in smart cities, using smart appliances, enjoying the cuisines of various nations is what modernization is for most of us. It is estimated that 60% of India"s population would live in cities by 2050. This implies that India is urbanizing or rather

modernizing at a very fast pace. But, there is another estimate were shows a different picture. India ranks 120th among 131 nations in woman workforce says World Bank. India ranks 38th among the 51developing countries for female literacy. Even countries like Ethiopia and Tanzania rank higher than India. These contradictory estimates cause us to ponder that are girls really free? Has this liberalisation been equally liberal for both men and women? Has modernization really been able to modernize the thinking of men and women?

The question that pops up in my mind in this techno savage modern world is that do women in India really have a choice? Are they free to go to school? Are they free to choose the stream of study they want? Are they free to choose their life partner? And the most importantly, are they free to live the life they want? Freedom is the power to choose our own chains; but do women posess this power? There is a direct link between the status of women in a country and the percentage of girls in school. Considering all this, what is infront of us is lugubrious.

The patriarchal society even in this modern world perceives women as naturally unskilled, lacking potential and therefore not meant to be educated. On the contrary, men have natural talent and by educating them, their potential is enhanced. Real modernization is in breaking the construct of patriarchal society which favors men and giving equal opportunities to women in all fields.

We live in a country where parents feel that teaching a girl child to manage kitchen is more important than sending her to school. Many feel that it is an unnecessary financial burden to send girl child to school as subsequently she will be married off, and thus she is considered a flower of someone else"s garden. This orthodox belief of parents is one of the fundamental causes responsible for gender disparity in education. "Girls are a burden" we have heard this saying from many parents but, have we ever pondered how or why this thought was instilled in mind? Because we live in a society where it is difficult to get a good bridegroom without enough dowry. Parents feel it a double expenditure to spend on their education as well as dowry. Thus they find early marriage as an escape to double expenditure. Thus, the need of the hour is radical change in existing social customs so as to exercise equality of both the sexes in all spheres of life through the beaconing lights of education. Although many of us are literate, but we need to be educated too. Education is what refines us, defines us. It makes us what we ought to be. We need to reform rather than just change. We need to realize that biological differences and so called traditions which have transcended over generations could not be an excuse for domination of one and subjugation of another. We need to accept each other as human first. Freedom is the oxygen of the soul and we must not deprive anyone of it. Let gender not determine whether you get education or not. We must remember that empowerment as a process is slow but self perpetuating. Providing women with opportunities and support systems (such as education reservation and other affirmative action) has the potential to put into motion a sustainable process for a

change in gendered power relations allowing them to slowly but steadily break the shackles of existing boundaries.

The landscape of development through education

"Development" is the keyword of this century. Whether it is a human being, a community, or a state including both developing as well as developed, everyone is running after this never-ending process of development. In this development process, human resources count much as it is both the means as well as the end of all development processes. If the human being counts, as Pt. Nehru rightly observes, "*he counts much more as a child then as a grown up".* Thus, it becomes the responsibility of the state as well as the whole society to cherish, nurture and develop each and every child in such a way so that she as a human being can attain optimum development- physical, mental, social as well as spiritual- to become a responsible citizen of the nation and further can contribute as a potential human resource for the overall growth, welfare and prosperity of the nation. The process of human resource creation and development should begin very early and therefore every child must be imparted and inculcated with the value of education right from the very beginning. The value of education was rightly understood by our founding fathers and therefore from the very beginning, most of the members of our constituent assembly wanted "The Right to Education" to be placed in the list of fundamental rights. However, due to the scarcity of resources, it was assigned a place in the directive principles of state policy (Art. 45: Free and compulsory education for children till 14 years).

But, finally after more than 60 years of independence, The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the Constitution of India to provide free and compulsory education to all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such a manner as the state may, by law, determine. **The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009**, which represents the consequential legislation envisaged under **Article 21-A**, means that every child has a right to full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. Also the 86th constitutional amendment act added an eleventh fundamental duty which also describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 to 14 years in India.

Significant government policies that have shaped the education landscape in India

RTE (Legal status of girl"s education in India)

Right of children to free and compulsory education act, 2009/SSA (Sarva Shiksha Abhiyan)

> Article 21-A of the constitution of India and its consequent legislation, the right of children to free and compulsory education (RTE) Act, 2009 became operative in the country on 1st April 2010. This development implies that every child has a right to elementary education of

satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards.

1. Initiatives for bridging gender gap in ementary education

   RTE – SSA provides a clear thrust and special focus on education for girls and children belonging to disadvantaged groups and weaker sections.

   Following are some policy initiatives undertaken to bridge gender gap in elementary education:-

   - Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya:- Residential school for girls from SC/ST far-flung rural backward areas.
   - Removal of gender bias from school curriculum and text books.
   - Gender sensitization of teaching staffs, gender sensitive curriculum, syllabus and text books.

2. Complimentary government initiatives
   - Sukanya Samridhi Yojana:- (Financial inclusion and security)
   - Beti Bachao Beti Padhao:- (Social awareness)
   - Mid-Day Meal:- (Freedom from hunger, so better cognizance and also frees labor-class working women from duty of cooking afternoon meal.)
   - Aanganbadi Centres:- (Frees girl child from responsibility of staying at home to look after younger siblings.)

Practical status of Girl"s education in India

"You can tell the condition of a nation by looking at the status of its women".

Jawaharlal Nehru

1) Literacy Rate

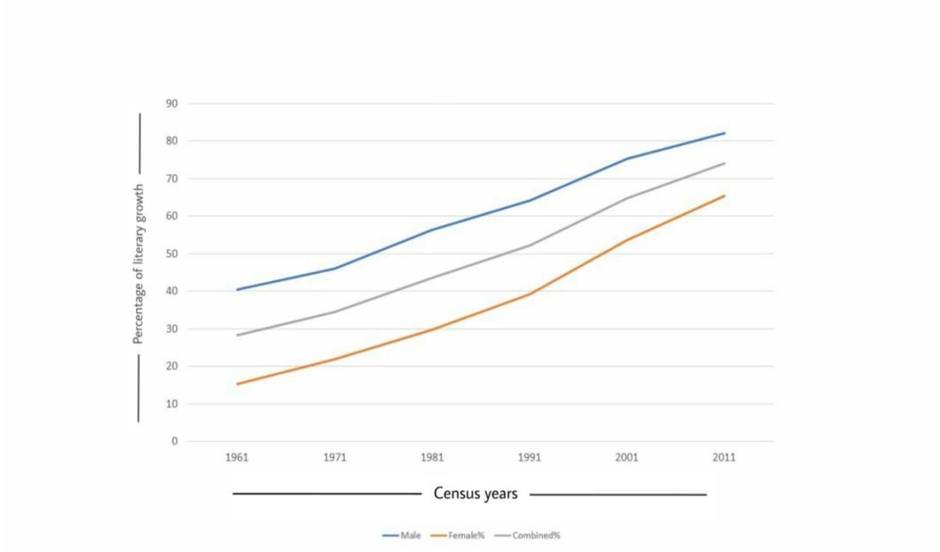

- Inference 1

  Form the above graph it is clearly evident that female literacy rate in India has although grown over time but the trajectory is rather sluggish

in comparison to growth rate and even poorer when compared to male literacy rate.

- Inference 2

  The graph clearly shows a steep growth trajectory in female literacy especially from 1990"s onwards. It must have been an outcome of many education centric welfare and policy measures adopted by state from that decade onwards. MDM (1994), SSA (2001), RTE (2009)

- Inference 3

  The wide gulf of literacy growth rate among male and female has also narrowed down drastically from 28% before RTE/SSA/MDM to 17% after the same were implemented.

2) Enrollment Ratio

The Gross Enrollment Ratio(GER) for a class group is the ratio of number of persons in the class-group to the number of persons in the corresponding official age-group. Thrust on providing primary education has yielded result with GER presently exceeding hundred. The progress is visible across

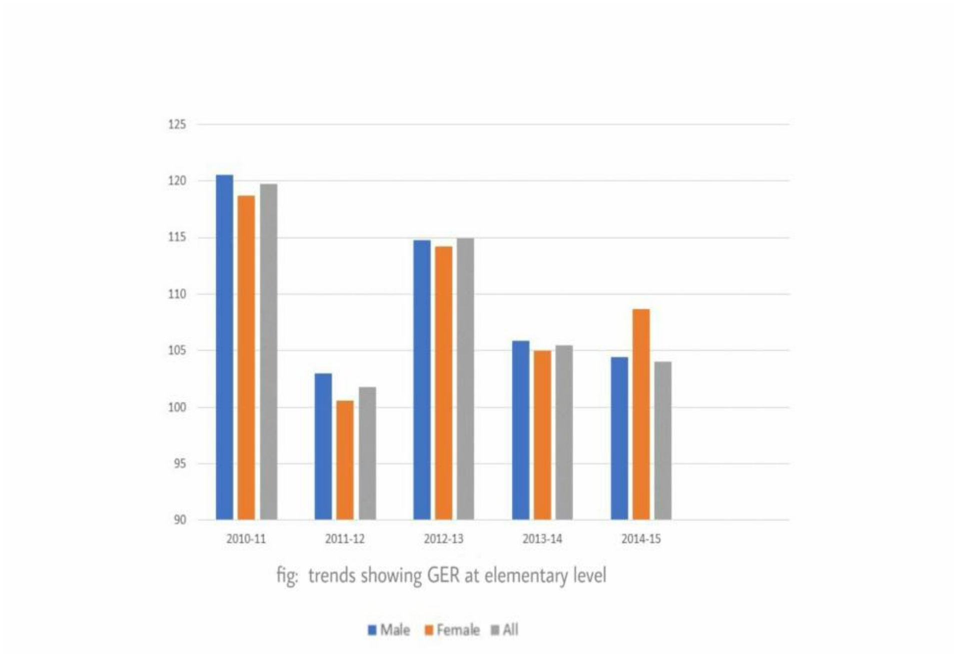

fig: trends showing GER at elementary level

the social categories and gender with GER for SC, ST and girls shooting above hundred. All thanks to RTE Act. Inference

From the fig. it is clearly evident that GER for all persons in elementary education increased from 81.6% in 2000-2001 to 96.9% in 2014-2015. At this level the GER for boys and girls increased by 4.5 (from 90.3 to 94.8%) and 26.4 (from 72.4% to 99.2%) respectively during the stipulated period.

Hence drawing upon this inference we can conclude that although boys were way ahead in GER from girls before RTE and maintained their pace thereafter as

well, but after RTE girls GER has skyrocketed from 72.4% to 99.2% - a growth of 26.4 percentage points, a commendable trajectory indeed.

Quality factor

Even as we contemplate with satisfaction the remarkable achievements in GER, we need to turn our attention to improve quality education in schools especially for girls in rural areas as the picture here is truly dismal.

India ranks 105 amongst 128 countries in education for all index trailing behind even its small and economically weak neighbours like Pakistan, Nepal and Bangladesh.

The proportion of women who completed five years of primary schooling in India were literate was 48% much less than 92% in Nepal, 74% in Pakistan and 54% in Bangladesh.

The data from international commission on financing global education opportunity also reveals that female literacy rates went up by 1 to 15% after completing two years of schooling. Corresponding numbers for Pakistan and Nepal were 3% to 31% and 11% to 47% respectively. This implies that schooling is roughly twice as productive at generating literacy for women during the early grades in Pakistan when compared to India.

India ranks low in global indices of female literacy as well ranks 38th amongst the 51 developing countries. Indonesia, Rwanda, Ethiopia, and Tanzania all rank higher than India even being poorer and more unstable.

Drop – Outs

With improvement in the number of schools, annual drop-out rate at primary level has come down by 1.28% point (from 5.62% in 2011 – 12 to 4.34% in 2013 – 14) for all category students. At this level, the Drop-out rate for boys and girls decreased by 1.36 (from 5.89% to 4.53%) and 1.2% (from 5.34% to 4.14%) percentage points respectively during this period.

Data – Analysis

Analysis of the above given data on practical status of girl"s education in India leads us to conclude that although after enactment of RTE the scenario of girls education has bettered vis-a -vis boys education in the past few years. These figures when seen in totality of existing girl"s population in our country and reach of education is them is rather dismal. Census of India 2011 showed that about 84 million children in India aged between 6-13 years have never attended any educational institution. This is particularly the case of girls; especially the ones living in rural areas and from marginalized and minority communities.

School drop-out rates remains as high as 32.5% at secondary level for girls. Quality of education imparted to them is equally low. Even after they reach schools they have to deal with a gender insensitive system and stereotyped norms.

Barriers to Women"s education

According to UNESCO"s 11th education for all global monitoring report 2013-14, the poorest young women in India are projected to achieve universal literacy

only by 2080, whereas the richest young women in the nation have already achieved it.

Despite of much quoted maxim that – "If you educate a man you educate an individual, if you educate a woman you educate the whole nation", society still hinders education from reaching girls from illuminating their lives.

Here, are some general barriers:-

a) Inadequate school facilities- Lack of proper sanitation facilities, shortage of female teacher and gender bias in curriculum are some of the major deterrents for the girl child"s participation in formal schooling.

   However, "Swachh Bharat Abhiyan" has largely increased toilet coverage in rural schools (as many as 96.5% in 2016). Their maintenance and quality remains a constant concern as 27.9% of these toilets were dysfunctional or locked. (Findings by ASER)

b) Sociological barriers

   Some of the barriers to girl"s education are sociological, rooted in gender stereotyping and gender segregation. Parents of girl child are constantly reminded of traditionally conceived aim of girl"s life, i.e. to be a good housewife. Thus spending money on their education is touted as futile as they will go to someone"s else place and give income to in-laws. So, better save money for dowry – escape from double expenditure.

c) Poverty (Economical barrier)

   More than 30% of India"s population is poor. These people think of investing in female education as a sheer wastage, as they see girl child as an asset to work at house when all the family goes out earn daily wages. This is the reason why free education promise of RTE has also not been able to increase girl"s enrollment from very poor, marginalized, SC, ST, communities.

d) Lack of awareness

   Trends show that awareness in far flung segregated clusters of poor people,

   SC, ST etc. is still abysmal, due to which they find no good in educating girls, because eventhough not for the sake of education, they would have definitely enrolled girl child for the associated monetary benefits.

e) Protection of "chastity"- a major psychological barrier

   A major impediment for sending daughters to schools is a concern for the protection of their virginity. When schools are located at a distance, when teachers are male, and when girls are expected to study along with boys, parents are often unwilling to expose their daughters to the potential assault on their virginity.

Education; mirror to girl"s dreams

A girl"s education reduces child"s mortality and they are less likely to die in childbirth. If women all over the world had accessibility to education, child

deaths would be cut in half saving three million lives, not just girl"s lives, but all lives. Educated mothers improve child"s nutrition. It is easy to see how lack of education has a ripple effect across societies. A girl"s education not only provides knowledge, it gives them power and awareness about their own lives which benefits all in long run. Now its upto us, whether we want to create a positive ripple effect or allow a poisonous one to continue. Girl"s education is about so much more than knowledge. By ensuring a girl has access to education, employment and adequate healthcare, the benefits will be passed on to her children(both boys and girls), community and her country.

Conclusion

Development of a nation lies not just in GDP growth, but through a series of progressive reforms that resolve and eradicate social injustices and barriers in education faced by various sub population of the nation. The growing list of constitutional provisions, judicial pronouncements, government initiated affirmative actions and reformative acts, legal framework and regulatory mechanism are not solutions to the major issues of gender divide in education by themselves unless they change the mindsets, attitudes and behaviours of people in Indian society, especially among men, none of them is worth anything. The progress of any country is intimately linked to its ability to develop and use its human resource effectively. A developing country like India which is at the cusp of economic growth with its demography arguably at peak with nearly 63% of population between the ages of 15-59 years, women as a significant part of this human resource pool can play a vital role in the multifaceted development of the nation. But utilizing the potential of this untapped resource will remain an elusive distant dream until we ensure reach of education to each and every girl child at elementary level in a country which has been traditionally ignorant to their dreams, needs, capacities and abilities. We are at a crucial juncture for our nation whereby we have been endowed with an opportunity to regain our lost fortunes and glory through an unprecedented "development drive". When girls achieve education, they have the opportunity to write their own future. Well educated girls will help in providing a double engine to this drive, helping India to develop at a skyrocketed pace and again become the "Dhruvtara" of the world. The time has come to speak out and fight for our girls education because education is a tool to remove the veil of ignorance and break the shackles coming in the way of dignified life creating a world where their vision runs wild and free.

Refrences

1. Fraser, N. And Honneth, A. (2003), "Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange", London: Verso
2. Sarada D, Rajani N(2009),"Children rights and young lives: Theoretical issues and empirical studies";New Delhi, Discovery Publishing House PVT. LTD

3. Seymour S, Mukhopadhyay C(1994),"Women, Education and family structures in India";San Fransisco, westview press
4. Sen Amartya, Dreze Jean(1995), India, economic development and social opportunity; Delhi, oxford university press
5. Grant. A Carl, Lei L Joy(2001),"Global constructions of multicultural education";Mahwah, Lawrence Erlbaum associates
6. Sarangapani, P. M., Mehendale, A., Mukhopadhyay, R., & Namala (2014). Inclusion of Marginalized Children in Private Unaided Schools: The RTE Act, 2009. New Delhi: OXFAM India.
7. Srivastava, Prachi and Claire, Noronha (May 3, 2014), "Institutional Framing of the Right to Education Act Contestation, Controversy and Concessions." Economic and Political Weekly XLIX.

Weblinks

- http://www.mkgandhi.org\momgandhi\chap60.htm
- http://www.cam.ac.uk\research\features\a-girl-without-education-is-nothing-in-the-world
- http://inspiredadventures.com\au\blog\why-girls-the-importance-of-girls-education\
- http://www.right-to-education.org\girlswomen
- http://mhrd.gov.in\documents_reports
- http://assets.kpmg.com

Role of women in development of society With special reference to India

Garima Upadhyay *

Introduction:

Writing on the topic of women always inspires me. It pushes me back in the history where the prominent role played by them such as- Rani Durgavati, Chandbibi, the Queen of Jhasi, Sultana Razia etc. fought for India"s freedom and made a remarkable contribution. On the other hand, Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, Kamla Nehru, Vijay laxmi pandit etc. played a significant role after independence for the welfare of the country. Later on, Rajkumari Amrit kaur, Indira Gandhi, Kalpana Chawla, Sunita Williams along with many more contributes to the development of the nation as well as society. World was amazed to see the courage of women prime minister at a time when two powerful and malicious enemies are on the countries northern borders and she just handle the situation tremendously. Therefore, we cannot ignore the role and contribution of women. Just as the soil scarifies itself for the development of the seed into a fully fledged plant, so did women. They have made sacrifices at almost every stage of the life for their beloved ones. Therefore, the role of women in development of society must be analyzed and understood within the historical, cultural, social and political context. This paper aims to discuss the role of women in the development of society.

Certainly, society comprises both men and women in principle; both sexes are responsible for the prosperity and development of the society. But, it is unfortunate that, In India women are considered incapable to support the social cause. Some may favor the stance with logic but others have their own philosophy. Those who believe that women ought to have a role to play in national development as well as social and progress cite the examples of modern Europe that was once poor hungry but all their glory has resulted as the consequences of the toil put together by the both sexes. The other suggested that women are neither inferior nor equal to men. According to their philosophy, women should be employed in the fields where they are needed and there ought to be no display of women as an instrument. There was a time when women were just kitchen keepers or housekeepers in the Indian society. In those days women faced various social problems like dowry, child marriages, Sati and many more but the situation of women has been changing positively after the initiatives taken by the government and non-governmental bodies. Now, the

***Research Scholar, Department of Sociology, Faculty of social Sciences, Banaras Hindu University**

women were aware of their rights and duties in society. They are now no longer in slumber. They are awake and moving fast with the wings of education. There is nothing which remained unconquered by them. But they still have to go a long way to achieve equal status in the minds of Indian patriarchal society. The status of women in modern India is a sort of a paradox. The modern Indian women have honed their skills and jumped into a battlefield of life fighting against social restrictions, emotional ties, religious boundaries and cultural clutches. She can now be seen working with men in every field. As compared to past, modern women have achieved a lot but in reality they have to still travel a long way. Their path is full of roadblocks as they have important roles to perform within their society. But, when they are involved in the performance of any tasks and activities, then it is vital for them to ensure that they make appropriate use of resources, follow the policies and ensure that they are able to benefit from them and promote their well-being through their efforts and skills. Women, in the present are primarily performing their roles for promoting well-being of the society, through their engagement within the employment settings. Within the employment setting, when they are carrying out their job duties, they need to possess adequate knowledge and awareness. The reason being, their roles are influenced by organizational goals, job duties, working environmental conditions, other members of the organization, pay and reimbursements, skills and abilities, effective communication processes, managerial functions, decision making and team-work. The roles within the society are carried out on a paid or honorary basis. When women are home-makers and have free time, then they are involved in the implementation of social work activities on an honorary basis. Whereas, when women are engaged in various types of employments, such as, educational institutions, training centers, production organizations, service organizations, financial institutions, then they are mainly imparting knowledge to the students or clients that would be beneficial to them. Hence, roles of women within the society are primarily dedicated towards promoting well-being.

Conclusion:

Individuals are an integral part of the society. When the individuals began to realize that outside their home also there is a world, which they have to recognize. Family is regarded as the foundation, from where the growth and development of the individuals takes place; hence, they give preference to their family members. But apart from family members, individuals live within the society; therefore, they have a vital role to play towards the society. The role of women within the society is recognized in various spheres, social, political, economic, religious, and cultural. The role of women within the society is primarily recognized in the ways that promote its well-being. In some cases, their contributions towards promoting well-being of the society is through their employment, such as, when they are employed in schools or higher educational

institutions in teaching positions, then they are not only generating a source of income to sustain their livelihoods, but are working for the welfare of the society, by imparting knowledge and generating awareness among the individuals. The contributions of women towards the society are put into operation on an honorary basis as well. Women, belonging to all age groups and backgrounds get engaged into honorary work towards promoting well-being of the individuals. Some of the honorary ways are, providing coaching classes to children, belonging to marginalized and socio-economically backward sections of the society, or making donations of food items, clothing and other items of daily use to poverty stricken individuals and so forth. In India, women are residing in the conditions of poverty, they are illiterate, do not have access to proper health care facilities, are victims of violence, and abuse, are discriminated against, neglected and do not enjoy the rights and opportunities as the male counterparts (Mbogori, 2014). When these factors are observed, some of the women, who are social workers, work towards promoting well-being of the communities.

References:

1. Dhaske, G. (2016). Policy Advocacy on Women"s Issues in India: Exploring Challenges to Social Work. *Critical Social Work, 17(1)* 1-15. Retrieved February 12, 2019 from http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork/system/files/Dhaske.pdf
2. Giuliano, P. (2014). The Role of Women in Society: from Preindustrial to Modern Times. *CESifo Economic Studies*, 1-20. Retrieved February 13, 2019 from http://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/paola.giuliano/CESifo%20Economic%20Studies_May2014.pdf
3. Mbogori, A.K. (2014). Factors Influencing the Level of Women Participation in Community Development Projects in Narok South District, Kenya. University of Nairobi. Retrieved February 12, 2019 from http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/72909/Abstract.pdf?sequence=1
4. Olah, L.S., Richter, R., &Kotowska, I.E. (2014). State-of-the-art report the new roles of Men and Women and Implications for Families and Societies. Families and Societies Working Paper Series. Retrieved February 12, 2019 from http://www.familiesandsocieties.eu/wpcontent/uploads/2014/12/WP11OlahEtAl2014.pdf

5. 2004 World Survey on the Role of Women in Development. Women and International Migration. (2006). United Nations. Retrieved February 13, 2019 from http://www.un.org/womenwatch/daw/public/WorldSurvey2004-Women&Migration.pdf

महिला सशक्तिकरण और बिहार

*विभा सिंह पटेल**

''औरतों की स्थिति में सुधार लाये बिना दुनिया का कल्याण सम्भव नहीं है। एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती''

स्वामी विवेकानन्द

सम सामयिक विषयों में महिला सशक्तिकरण की प्रासंगिकता एवं उसकी गम्भीरता को नकारा नहीं जा सकता है। महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिला की किसी विशेष भूमिका को महिमा मंडित कर सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परम्परा को पोषित करना नही है, बल्कि औरत की वास्तविक पहचान को स्थापित करना है। ताकी, समाज में वह स्वयं भी पुरूष के न तो पीछे और न तो आगे बल्कि कन्धे से कन्धा मिलाकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समाज को सही दिशा में ले जाने की ओर प्रयासरत रहें। लेकीन ये तभी सम्भव है जब पुरूष स्त्री को अपने उपभोग विलासिता और दासी समझने की संकीर्ण मानसिकता का त्याग कर उसके वजूद को अपने जैसा ही सार्थक माने । महिला सशक्तिकरण का मतलब समाज और परिवार के विकास में स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम होना ।

सदियों से अपनी जड़ जमाये पितृसत्तात्मक समाज के ढाँचे एवं पूँजीवादी राज व्यवस्था के कारण महिलायें लैगिंक शैक्षणिक आर्थिक एवं राजनीतिक भेदभाव तथा पारिवारिक सामाजिक हिंसा के बीच जीने के लिए मजबूर हैं। घरेलू श्रम अधिकांश महिलाएं ही करती है लेकिन उस श्रम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं बनता । वह दोयम दर्जे का श्रम माना जाता है। नारी, समाज का ही तो महत्वपूर्ण अंग है, बिना उसके समाज की परिपूर्णत सम्भव कहाँ .....। भारतीय परिवेश मे नारी को मुख्यतः कन्या पत्नी तथा माता के रूप में देखा जाता है। तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति पर विचार करने के लिए उसके इन रूपों का पृथक पृथक मूल्यांकन करना होगा। उसकी किस प्रकार की स्थिति है पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में, शोषित या पोषित रूप में। कन्या जन्म पर कैसा अनुभव करते है परिवार एवं समाज में पिता के घर में उसकी आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के प्रति क्या दृष्टिकोण है। पत्नी प्राच्यकान में पुरूष की सहधर्मिणी थी। तत्कालिन समाज में पति उसका परमेश्वर है और वह उसकी दासी। पति के व्यक्तित्व में ही उसका अस्तित्व लुप्तप्राय हो गया और परिवारिक निर्णयों में राय देने का भी अधिकार नहीं रहा। पति और उसके परिवार की सेवा करना ही पत्नी का एकमात्र धर्म हो गया। इस प्रकार वैवाहिक जीवन में पति सर्वेसर्वा की स्थिति में विजारमान हो गया। दुर्भाग्य से वह विधवा हो जाए तो परिवार उसके लिए नरक के द्वार ही खोल देगा। माता के रूप में नारी को सम्मानित स्थान प्राप्त है। महर्षि वेदव्यास ने कहा था–

''नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः।
नास्ति मातृसमं त्राण, नास्ति मातृसमा प्रिया।।''

***शोध छात्रा, समाजिक विज्ञान संकाय (इतिहास विभाग), सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय भभुआ, वीर कुँवर सिंह विश्विद्यालय आरा, बिहार**

अर्थात, माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है। माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। वर्तमान समाज में लोगों में नैतिक मूल्यों के पतन के कारण व्यवहारिक स्थिति में थोड़ी भिन्नता आ गयी है।
उपभोक्तावादी समाज में आज भी बेटे के जन्म पर खुशी और बेटी के जन्म पर दुःख प्रकट किया जाता हे। 1990 के दशक से ही कन्या भ्रूण हत्या में बढ़ती वृद्धि समाज पर कलंक है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सख्त प्रावधानों के कारण चोरी छिपे ही ऐसे समाचार आते है। डॉ0 प्रभा खेतान की प्रतिक्रिया सही है कि ''.......... पितृसत्ता अपने को मजबूत बनाने के लिए पहले धर्म का सहारा लेती थी, आज विज्ञान का सहारा लेती है। '' इन शब्दो द्वारा भी नारी की पीड़ा और दंश को महसूस किया जा सकता है–''तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गाँठे खोलकर कभी पढ़ा है तुमने, उसके भीतर का खौलता इतिहास अगर नही ंतो जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में?

महिला सशक्तिकरण का सपना तभी साकार होगा जब महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं अधिकार किसी कानून या आन्दोलन के भय से नहीं बल्कि उन्हें इस सहजता से अपने अधिकारों के उपभोग का अवसर मिल सकें, जैसे प्रकृति प्रदत्त लाभ हवा पानी इत्यादि मिलते है। तात्पर्य यह है कि हमारी सामाजिक एवं व्यक्तिगत मानसिकता ऐसी बनें कि सभी पुरूष और महिलाओं की समानता को सहज भाव से स्वीकार किया जाए। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी समाज की समतामूलक विचारधारा तथा महिला आन्दोलनों से प्रभावित भारतीय समाजसुधारकों,, यथा राजाराम मोहन राय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, ज्योतिबाफूले आदि ने महिलाओं की पीड़ादायक सामाजिक स्थिति के कारणों को पहचाना और 19वीं शताब्दी से ही सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और महिलाओं की मुक्ति मार्ग की बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया का शुभारम्भ किया। गाँधी जी ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एवं स्वावलम्बन के महत्व से परिचित कराया।

महिलाओं के अथक संघर्ष का ही परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सन् 1975 को अन्तर्राश्ट्रीय महिला वर्श घोशित किया और 8 मार्च को अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत सरकार ने 1990 में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं उन्हें अपनी भूमिका के प्रति जागरूक करती है। 24 अप्रैल 1993 को लागू 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन महिलाओं को क्रमशः पंचायत एवं नगरपालिका में 33 प्रतिशत आरक्षण का उपबन्ध कराता है। बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने 2005 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर पूरे देश के लिए एक नई दिशा की खोज की। तत्पश्चात पूरे भारत में संविधान संशोधन के द्वारा यह 2011 में लागू हुआ। पंचायत स्तर पर मिले आरक्षण ने सही मायने में घरों के भीतर ढकी–छिपी आधी आबादी की दुनिया को ही बदल दिया है। राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की इसी शानदार धमक का ही नतीजा है कि राज्य एवं केन्द्र सरकार की तमाम योजनाएँ गाँव एवं कस्बाई इलाकों की तरक्की से जुड़ी एवं महिलाओं को मद्देनजर रखकर बनायी जाने लगी जैसे महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) 1986–87 स्वाधार घर योजना कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (सबला) बेटी बचाओ बेटी पढाओं कार्यक्रम प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास) आदि योजनाएँ केन्द्रसरकार द्वारा चलाई जा रही है।

बिहार का वर्तमान राजनीतिक दौर महिलाओं के सशक्तिरण का है। बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कदम उठाये है। विभिन्न स्तर की योजनाएँ

जैसे–मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (एक कन्या के जन्म से स्नातक तक कुल 55 हजार तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है), बालिका पोशाक, बालिका साईकिल, बालिका प्रोत्साहन, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाओं आदि के जरिये शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। ''आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार'' के तहत राज्य के सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। नारी शक्ति योजना के द्वारा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के रूप में बिहार की महिलाओं को पहचान दिलाने के प्रयास जारी है। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी को आधी आबादी की जीत के रूप में देखी जा रही है।

उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है और यही कारण भी है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखायी देने लगे है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हो। यह उम्मीद भी की जाती है कि आगे आने वाले समय में इन योजनाओं के सकरात्मक परिणाम सभी के सामने आयेगें। मेरे मत से स्त्री आन्दोलन पुरूषों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनमें व्याप्त सनातनी रूढ़ पुरूषवादी सोच के खिलाफ होना चाहिए। जहाँ पुरूषों को अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, वही महिलाओं को भी अपनी भावनाओं, विचारों एवं विश्वासों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक नारी वस्त्रों श्रृगांर फैशन और गहनों में अपना व्यक्तित्व देखती रहेगी या पुरूषों के आगे कामिनी, दासी एवं अबला बनी रहेगी तब तक कोई कानून, समाज, सरकार आदि उसका उद्धार नहीं कर सकेगें।
यह स्त्री और पुरूष वर्चस्व की जंग नहीं, जैसा कि कुछ आलोचक इसे सिद्ध करने की कोशिश भी करते हैं, और न ही यह स्त्री और पुरुष के बीच सह अस्तित्व की कोई तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा है बल्कि नारी अस्तित्व को उसकी शक्तियों के साथ स्वीकार करने की ओर उठाया गया एक सार्थक कदम ही उसका सशक्तिकरण है।

''ख्वाहिशों के फूल यूँ ही नहीं गिरते झोली में,
कर्म की शाखा को हिलाना होगा,
कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से
अपने हिस्से का दीया खुद जलाना होगा।''

संदर्भस्रोतः

- खेतान डॉ0 प्रभा –बाहर और भीतर की दुनिया, हंस, नवम्बर–दिसंबर 1994
- महंती विद्युत –महिलाएँ और राजनीतिक सशक्तिकरण, इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस नई दिल्ली 1997
- विपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आजादी मुखर्जी – आजादी के बाद का भारत (1947–2000) नई दिल्ली 2004
- कादम्बिनी

भारतीय लोकतंत्र में जाति व्यवस्था का प्रभाव

*डॉ0 विश्वजीत पासवान**

सार

भारत में, प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था विकसित और प्रचलित है और यह भारत माता के विकास में एक महान कांटा बनकर रह गया है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कार्यात्मक समूह हो सकते हैं, जिन्हें वर्ण कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति आर्य समाज में हुई है। ऋग्वेद के अनुसार, अलग–अलग वर्ग निर्माता के चार अंगों से फैलते हैं। निर्माता का मुंह ब्राह्मण पुजारी बन गया, उसकी दो भुजाओं ने राजन्य, योद्धाओं और राजाओं का गठन किया, उसकी दो जांघों का गठन किया– वैश्य, ज़मींदार और व्यापारी और उनके पैरों से शूद्र (अछूत) कारीगरों और नौकरों का जन्म हुआ। फिर, यह माना जाता है कि जाति व्यवस्था को ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए अपनाया था। जब आर्य जाति भारत में बस गई, तो वे श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को बनाए रखा। धीरे–धीरे जाति व्यवस्था को चार प्रमुख समूहों में औपचारिक बना दिया गया, प्रत्येक के अपने नियम और कानून और आचार संहिता थे।

***मुख्य–शब्दः** जाति व्यवस्था का विकास; लोकतंत्र; संवैधानिक प्रावधान; निवारण।*

परिचय

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था जाति की उत्पत्ति और विकास एक सामाजिक समूह को संदर्भित करता है जहाँ सदस्यता का निर्धारण जन्म से ही किया जाता है। यह जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के उद्भव और पुनर्जन्म की मान्यताओं के साथ निश्चित और वंशानुगत हो गई। मनु के कानून (मनुस्मृति), उच्च जातियों के प्रभुत्व और कुल अशुद्धता की पुष्टि करते हुए, बहिष्कृतों की अशुद्धता और गतिशीलता का उल्लेख करते हैं। निम्न जातियों के लोगों को बताया जाता है कि जाति पदानुक्रम में उनका स्थान उनके पिछले जन्म में उनके पापों के कारण है। यातना और मौत की ज्वलंत सजाएँ अपराधों के लिए दी जाती हैं जैसे कि साक्षरता हासिल करना या एक प्रमुख जाति के सदस्य का अपमान करना। हिंदू धर्म का सबसे आधिकारिक पाठ मनुस्मृति, सामाजिक बहिष्कार को वैधता देता है और सामाजिक संबंधों के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में पूर्ण असमानता का परिचय देता है। आधुनिक दुनिया में भी भारतीय नागरिकों के लिए जाति अभी भी बहुत मायने रखती है, हालांकि किसी को यह बताना होगा कि नागरिकों के विभिन्न समूहों में जाति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग–अलग कारण हैं। ऊंची जातियां निचली जातियों पर अत्याचार करने के लिए जाति को जीवित रखना चाहती हैं, जिससे उनका वर्चस्व बना रहे। यह ध्यान रखना बहुत दिलचस्प है कि निम्न जाति समूह, जो जाति व्यवस्था से घृणा करने वाले हैं, वे भी सत्ता और राजनीति के गलियारों में लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी जातिगत पहचान का उपयोग करना चाहते हैं और सवर्णों द्वारा उन पर लगाए गए जातिगत उत्पीड़न को रोकना चाहते हैं। यह आधुनिक भारत में भारतीय समाज की एक विडंबनापूर्ण और दिलचस्प स्थिति है। वास्तव में, यह दिखाने के लिए था कि चार वर्ग उसी सामाजिक संगठन के संबंध में खड़े थे, जो प्राइमर्डियल मैन के शरीर के विभिन्न अंगों के संबंध में था। साथ में उन्हें शरीर को राजनीतिकता देने के लिए कार्य करना पड़ा। जो लोकतंत्र का सार है। जाति व्यवस्था कैसे प्रभावित करती है लोकतंत्र को मोटे तौर पर दो शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

सामाजिक लोकतंत्र

राजनीतिक लोकतंत्र

***पी–एच0 डी0 (राजनीति विज्ञान) ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा**

जाति व्यवस्था बनाम सामाजिक लोकतंत्र

जाति सभी सामाजिक समस्याओं की सबसे उलझी हुई गाँठ है जो भारतीय समाज में व्याप्त है। धर्म केवल एक विश्वास है और यह जीवन में कभी भी बदल सकता है, लेकिन जाति एक निरंतर कारक है जो धर्म परिवर्तन होने पर भी नहीं बदलती है। यह तब नहीं होता जब व्यवसाय बदलता है या सामाजिक स्थिति बदल जाती है। वह जाति स्थिर है। यह एक ओमेगा मूल्य की तरह है जो किसी भी स्थिति में केवल एक स्थिर स्थिरांक नहीं बदलता है। जाति व्यवस्था समाज में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की अनुमति नहीं देती है। यदि किसी व्यक्ति का परिवार निम्न आर्थिक तबके से आता है, एक जाति व्यवस्था पर आधारित समाज में, उस व्यक्ति को इस प्रतिबंधित स्तर पर रहने की आवश्यकता होगी। जाति व्यवस्था समाज को प्रभावित करती है जिससे लोग पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और अन्य चीजों से अधिक प्रभावित होते हैं। रैंकिंग में ये मतभेद अक्सर समाज के भीतर विवाद का कारण बनते हैं। जाति व्यवस्था असमानता और अन्याय से भरी है। एक जाति के लोग दूसरों के साथ घुलना–मिलना पसंद नहीं करते। इतने सारे धर्मों, जातियों और उपजातियों में समाज का यह विभाजन भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता के रास्ते में आता है। महिलाओं की गुलामी के पीछे जाति व्यवस्था ही एकमात्र कारण है। यह बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है और पुनर्विवाह का विरोध करता है। महिलाओं को केवल सेक्स मशीन माना जाता है। कई जातियों में ', महिलाओं को अध्ययन करने, बाहर काम करने या अपने मन की बात कहने की अनुमति नहीं है। कुछ समुदायों में महिलाओं की निम्न स्थिति के पीछे जाति व्यवस्था कारण है। भारत में कोई भी जाति महिलाओं के अधिकारों और उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करती है। एक भारतीय केवल एक भारतीय के साथ खाना या शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी जाति का नहीं है। एक भारतीय केवल एक भारतीय को नहीं छू सकता क्योंकि वह अपनी जाति से संबंध रखता है।

जाति व्यवस्था लोगों के एक वर्ग को लगातार दबाकर सांप्रदायिक हिंसा का अग्रदूत है। यह निचली जाति के लोगों को हथियार अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर करता है। आर्थिक असमानता पर नक्सली, मौइस्टेटक आंदोलन निम्न जाति के लोगों की आक्रामकता है। व्यवसायों का सीमित विकल्प, जिसे एक जाति के साथ–साथ अन्य जातियों द्वारा लागू किया जाता है। एक जाति एक से अधिक पारंपरिक व्यवसायों का पालन कर सकती है, लेकिन इसके सदस्य उस सीमा तक आहार और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य होंगे जो परिभाषित करते हैं कि कौन उपभोग कर सकता है और किससे स्वीकार कर सकता है। शादी की व्यवस्था के साथ, ये प्रतिबंध केवल जाति स्तर पर नहीं, बल्कि उप–जाति स्तर पर लागू होते हैं। देश के कई हिस्सों में शारीरिक अलगाव है। ये धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्रों और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन और पहुंच की सीमाओं के साथ हैं। चूंकि जाति एक पुरानी पुरानी प्रणाली है जिसका पारंपरिक रूप से पालन किया जाता है, इसलिए लोगों को नए आदर्श और वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। जाति व्यवस्था लोगों के साथ भेदभाव करती है और यह उन सभी मानवाधिकार मानदंडों का उल्लंघन करती है जिन पर संयुक्त राष्ट्र के उपकरण स्थापित हैं। अपने आवेदन में, जाति ने एक विशाल आबादी के उप–मानव उपचार का नेतृत्व किया है। वर्तमान में, भारत के दलितों की आबादी लगभग 17 प्रतिशत है। अन्य अल्पसंख्यकों, जैसे आदिवासी लोगों, सिखों और मुसलमानों के साथ, भारत में अल्पसंख्यक लगभग 85 प्रतिशत हैं। आज तक, दलितों और अन्य 'निचली' जातियों के खिलाफ हिंसा का स्तर अत्याचारपूर्ण है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सामाजिक ह्रास के मानव इतिहास में बहुत कम समानताएं हैं। इस तरह का उपचार आज भी जारी है। भेदभाव को जीवन के सभी पहलुओं तक बढ़ाया जाता हैः चाहे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि जोत, सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों के सभी पहलुओं में। 'हीन' जातियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव सकल मानव अधिकारों के दुरुपयोग और एक निरंतर क्रूरता और इस तरह

लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। हमें इस तथ्य को याद रखना और याद रखना होगा कि भारतीय समाज में व्यक्तियों का समावेश नहीं है। इसमें जातियों के असंख्य संग्रह शामिल हैं, जो उनके जीवन में विशिष्ट हैं और उनके पास सहानुभूति का कोई साझा करने और साझा करने का कोई सामान्य अनुभव नहीं है।

जाति व्यवस्था बनाम राजनीतिक लोकतंत्र

जाति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक प्रतिबंध है। जाति उनकी स्थिति में समान नहीं हैं। वे एक के ऊपर एक खड़े हैं। उन्हें एक–दूसरे से जलन होती है। यह घृणा का अवरोही पैमाना और अवमानना का अवरोही पैमाना है। लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विचारधारा पर आधारित एक गठबंधन निर्माण अभ्यास है, लेकिन हमारे देश में गठबंधन निर्माण एक विशेष समुदाय का एक अन्य (दोनों मजबूत और संख्यात्मक रूप से शक्तिशाली) के साथ अन्य समुदायों के हाशिए पर होने का एक गठबंधन था।

राजनीति में जाति महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राजनीति अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। इसका उद्देश्य कुछ निश्चित छोरों के लिए सत्ता हासिल करना है। इसलिए, यह कुछ राजनीतिक पदों को हासिल करने और मजबूत करने के लिए समाज में सभी प्रकार की निष्ठाओं का शोषण करता है; हमारे देश में राजनीति की उपरोक्त प्रक्रिया में संगठन और समर्थन की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। जाति एक ऐसा संगठन है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। राजनीति और जाति के बीच संबंध इस प्रकार महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया में दोनों इतनी बारीकी से बातचीत करते हैं कि वे रूपांतरित हो जाते हैं। पार्टी के कार्यक्रम भी जाति की निष्ठाओं में कटौती करते हैं और एक जाति के सदस्यों को वैचारिक संबद्धता के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि जाति के राजनीतिकरण से निचली जातियों और अन्य पिछड़े समूहों को फायदा हुआ है, खासकर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। लेकिन सवाल उठता हैः क्या राजनीतिक दल, जो जाति, जातीयता और धर्म के नाम पर विभिन्न समूहों को संगठित करते हैं, एक ऐसे समाज को लाने में सक्षम हैं जो न्यायपूर्ण और समतावादी है? आम तौर पर, ऐसे दलों के नेताओं ने असमानता प्रणाली का लाभ उठाया है, लेकिन दुर्भाग्य से वे कमजोर वर्गों से संबंधित आम लोगों में विफल रहे हैं। ये नेता, निचली और पिछड़ी जाति के समूहों को संगठित करते हुए, अधिकांश लोगों को विकास और समतावाद के दायरे से बाहर रखते हुए एक अन्य प्रकार के कुलीन बन गए हैं। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की प्रवृत्तियों ने भारतीय समाज को पीड़ित किया है क्योंकि नेताओं ने सामाजिक लोकतंत्र के आदर्श के लिए लिप–सेवा का भुगतान किया है। उच्च–जाति समूहों ने निम्न और पिछड़ी जाति समूहों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं दिया है। वे अभी भी जाति या धर्म के आधार पर, एक असमान समाज की अपनी विचारधारा को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावों में जाति की भूमिका के दो आयाम हैं। एक पार्टियों और उम्मीदवारों का है और दूसरा मतदाताओं का है। पूर्व में सामाजिक और आर्थिक हितों के चैंपियन के रूप में खुद को पेश करने वाले मतदाताओं का समर्थन है, जबकि बाद में जाति के आधार पर किसी एक पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में अपने वोट का प्रयोग करते हैं। लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट देते हैं और उम्मीदवार की योग्यता को ध्यान में नहीं रखते हैं। लोकतंत्र खुद इस बुराई के कारण एक मजाक बन गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन हर रोज लोकतंत्र विफल होता है। आज भी कोई दलित उम्मीदवार गैर–दलित आरक्षित संविधान में नहीं लड़ सकता है और राजनेता जातिविहीन समाज की बात नहीं करेंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग विभाजित हों।

भारत में हर पार्टी एक जाति द्वारा दृढ़ता से समर्थित है। इसलिए वे लोगों को जातिविहीन समाज में एकजुट होने की अनुमति नहीं देते क्योंकि राजनीति में मामूली जाति की पार्टी के लिए रहना मुश्किल है। आजादी के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। शीर्ष नेता और राजनेता सत्ता में बने रहने और धन कमाने के लिए जाति की राजनीति करते हैं।

आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से समाज में कोई समानता नहीं। हम इसे अपने तमिलनाडु में ही देख सकते हैं, उदाहरण के लिए, मदुरई जिले के पप्पपट्टी, नट्टमंगलम और कीरीपट्टी में, विरुधुनगर जिले में कोट्टाकचियेंदल – केवल जातिगत समस्या के कारण चुनाव नहीं हुआ और निम्न जाति की राष्ट्रपति बनने वाली महिला उम्मीदवार सबसे कठिन है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं होता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन का एक तरीका है जो जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मान्यता देता है। इसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव के लोगों के बीच एक संबद्ध जीवन। लेकिन जाति व्यवस्था भेदभाव को लागू करती है और भेदभाव दुख का कारण बनता है, अक्सर आंतरिक पीड़ा के बहुत गहरे रूप होते हैं। इस प्रकार जो लोग वापस ले लिए जाते हैं। परिणामस्वरूप, वे भी सहयोग करने से इनकार करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यदि सहनशीलता का कोई अर्थ है, तो सहकारिता को बहाल करने के लिए पर्याप्त रूप से वास्तविक और मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार भेदभाव और अत्याचार दोनों करुणा, दया और न्याय की गुणवत्ता को दर्शाते हैं।

सामाजिक संगठन और संपूर्ण रूप से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता चुनौती के अधीन होगी। यह वह जगह है जहाँ डॉ. अम्बेडकर आए और उनकी चिंताएँ वास्तव में निम्न वर्ग के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में थीं। उन्होंने महसूस किया कि लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है और वास्तव में चुनावी अभ्यास तक सीमित नहीं हो सकता है और इसलिए समुदायों का एक मात्र राजनीतिक गठबंधन जो राजनीतिक शक्ति का नेतृत्व करता है, एक लोकतांत्रिक अभ्यास का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसके बजाय, उन्होंने महसूस किया कि सबसे अधिक हाशिए के समुदायों के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करने के लिए हमारी संस्थाएं काफी मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि निम्न वर्ग के लोग भेदभाव और अधिकारों के बारे में ज्यादा नहीं समझते थे क्योंकि यह पूरी तरह से एक था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि विभिन्न विचारधाराओं और दर्शन के कारण जो समुदाय दासता और भूख में रहते हैं, उनके मन में इंजेक्शन होते हैं और वे नहीं जानते या समझते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं। इसलिए, वह संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहता था ताकि चुनावों के दौरान निचली जाति या दलित लोग मुखरता का शिकार न बनें। यही कारण है कि उन्होंने 1932 में अलग मतदाताओं के लिए लड़ाई लड़ी और जिसे ब्रिटिश द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया। अपने सभी जीवन काल में, डॉ. अंबेडकर ने अछूतों के मुद्दे को एक लोकतांत्रिक राजनीति के दृष्टिकोण से संबोधित किया, न कि केवल राजनीति और भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद और डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के प्रारूपण का नेतृत्व किया, दलितों को संसद और राज्य विधानसभाओं में 17.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं। हम उत्तर प्रदेश–राज्य और बिहार के दो सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में जाति व्यवस्था और राजनीति में इसके प्रभाव को देख सकते हैं। दोनों पहले ऐसे थे, जहां राष्ट्रीय दलों ने पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया और 1990 के बाद से बड़ी संख्या में दलित–ओबीसी (अन्य पिछड़े समुदाय, कारीगर–किसान) राजनीतिक प्रक्रिया पर हावी हो गए। लेकिन क्योंकि व्यक्तिगत नेता और उनके अहंकार उनके मुकाबले बड़े हो गए। राजनीतिक दल जो एक पुरुष / महिला शो बन गए और इन दलों में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप इन ताकतों का पतन हुआ।

जातिविहीन समाज के लिए अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान

भारत के पास सबसे अच्छा गठन है, लेकिन यह शायद ही कभी पूरी तरह से लागू होता है। नीचे दिए गए प्रावधान महान भारतीयों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों के परिणाम हैं।

नागरिक अधिकार अधिनियम –1986 का संरक्षण

एससी और एसटी अधिनियम –1989 के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम

मौलिक अधिकार

– पहला अधिकार समानता का अधिकार है

अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।

अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसके अभ्यास का निषेध।

अनुच्छेद 18 – सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन

मौलिक कर्तव्य

51 ए–(ई), भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

अनुच्छेद 38 – न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक द्वारा अनुमत सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना।

अनुच्छेद 46 – एससी, एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए।

अनुच्छेद 330 – एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद 332 – एससी और एसटी के लिए राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण

निवारण के उपाय

लोगों की मानसिकता को बदले बिना जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। जाति व्यवस्था एक महान सामाजिक बुराई है। समय–समय पर समाज सुधारकों और विचारकों ने इस बुराई को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह एक गहरी समस्या है जिसने अब तक के सभी समाधानों को परिभाषित किया है। लोगों की अशिक्षा और अज्ञानता के कारण समस्या काफी हद तक बनी हुई है। उनकी अज्ञानता लोगों को रूढ़िवादी और अंधविश्वासी बनाती है। इसलिए वे किसी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें जारी रहें। सामाजिक सुधार के हर उपाय का कड़ा विरोध किया जाता है और इसे धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा उनके धर्म पर हमला माना जाता है।

इसलिए, अगर जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करना है तो लोगों को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और इस तरह बुराई के खिलाफ एक मजबूत जनमत तैयार करना चाहिए। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को ध्यान से संशोधित किया जाना चाहिए। छात्रों को यह सिखाने के लिए सबक शामिल किया जाना चाहिए कि जाति व्यवस्था मानव निर्मित है। यह हमारे बुद्धिमान पूर्वजों द्वारा तैयार श्रम के विभाजन के लिए एक प्रणाली थी। मूल रूप से, मनुष्य किसी भी जाति में पैदा नहीं हुआ था और उसकी जाति उसके सीखने या जीवन में किए गए कार्य की प्रकृति से निर्धारित की गई थी। मूल रूप से, सभी मनुष्य समान हैं; उनकी नसों में एक ही तरह का खून होता है। ऊपरी और निचले का अंतर गलत है और पूरी तरह से निहित स्वार्थों का निर्माण है। विभिन्न जातियों के बीच समानताएं मतभेदों के बजाय तनावपूर्ण होनी चाहिए। इस तरह से जाति व्यवस्था के खिलाफ जागरूकता पैदा होगी और समाज पर उसकी पकड़ धीरे–धीरे ढीली होगी। केवल शिक्षा लोगों की सोच को बढ़ा सकती है और लोगों को एकजुट कर सकती है। जाति व्यवस्था केवल लोगों के भीतर अज्ञानता के कारण मौजूद है। शिक्षा अगली पीढ़ी के नए रक्त को नई दृष्टि के साथ ला सकती है। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देकर और अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रस्ताव प्रदान करके अगली पीढ़ी के लोगों में बदलाव ला सकते हैं। सरकारी आर्थिक नीतियों को हमारे समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। जाति व्यवस्था के मुद्दे को वास्तव में जाति

आंदोलन के बजाय नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। इसे मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा के लिए व्यापक आंदोलन बनाना होगा। यह धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र ग्रंथों के खिलाफ एक आंदोलन होना है, जिसने उन्हें सदियों से वश में रखा और उनके दिमाग को गुलाम बना दिया।

भारत ने उदार लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है जो मूल रूप से समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। यह एक व्यक्ति संकायों को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत पहलों को भी महत्व देता है। भारत को उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों को सही तरीके से लागू करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

लोकतंत्र में भारत का संक्रमण अभी भी जारी है और हाशिये पर पड़े समुदाय इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया हाशिए के समुदायों से नए नेताओं को लाएगी। लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और वे इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान के नाम पर, सत्ता संरचना को हड़प ले और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करे जो व्यापक रूप से माना जाता था। राजनीतिक नेताओं को खुद को लोकतांत्रिक बनाना होगा और आम आदमी के बुनियादी मुद्दों को संबोधित करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय लोग जाति व्यवस्था को एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में मानें, न कि एक स्थायी सामाजिक वास्तविकता के रूप में। समय की जरूरत है कि हम, भारतीय, जाति, जातीय धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान की परवाह किए बिना, भारत के भविष्य के लिए एक समतावादी समाज बनाने के उद्देश्य से और कुछ सार्वभौमिक मूल्यों को विकसित करें, जिस पर भारत के विचार की सीमा खड़ी हो सके। गर्व और गौरव। "एक व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान और क्षमता और निहित गुणों से निर्धारित होता है जो जीवन में उसके आचरण को चिह्नित करता है। 'जातियों के चार गुना विभाजन', भगवद् गीता में निर्माता कहते हैं, मेरे द्वारा बनाए गऐं गुण और कर्तव्य कोई जन्म, संस्कार नहीं, शिक्षा नहीं, एक द्विज (दो बार जन्म लेने वाला) बनता है, लेकिन धार्मिक आचरण ही इसका कारण बनता है। क्योंकि वह शूद्र या किसी अन्य वर्ग का सदस्य होता है, भगवान कहते हैं एक ही महाकाव्य, एक बेड़ा के रूप में कार्य करता है, या हर तरह से अनुचित को दूर करने में मदद करता है।

संदर्भ

- कुमार, विवेक,1985, भारत में जाति और लोकतंत्र – नीचे से एक परिप्रेक्ष्य, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 72।
- श्रीनिवास, एम.,1978, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ 145।
- आहूजा, राम, 1996, भारत में सामाजिक समस्याएँ, भारत पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 121।
- राजशेखर, वी. टी., 1999, दलितः द ब्लैक अनटचेबल्स इन इंडिया, इण्डियन पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृ 176।
- राव, सी. वंदना, 2002, भारतीय जाति व्यवस्था, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ 89।
- शर्मा, उर्सूला, 2003, सामाजिक विज्ञान में अवधारणाः जाति, जनता पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 134।

परिवार नियोजन के प्रति ग्रामीण महिलाओं का दृश्टिकोण

*डॉ0 बिन्दू सिंह**

उत्तरदात्रियों की सामाजिक, आर्थिक, परिवार विशेशताओं को जानने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्त विशेशताओं के आधार पर उत्तरदात्रियों के जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के प्रति दृश्टिकोण को विवेचन किया गया है। इन सामाजिक आर्थिक कारकों को स्वतंत्र चर मानकर यह ज्ञापित करना आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण महिलाओं का परिवार नियोजन के प्रति दृश्टिकोण क्या है? उनको इसकी जानकारी कहां तक है और वे इसे कहां तक स्वीकार करती है तथा वे कौन–कौन सी परिस्थितियां है जिनके कारण वह आज भी इकके प्रति जारुगक नहीं है?

ग्रामीण महिलाओं का जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के प्रति दृश्टिकोणों को जानने का प्रयास किया गया है। किसी भी काल में नारी का स्थान समाज में उच्च रहा है। यह मानव जाति की जाननती और दो पीढ़ी को जोड़ने वाली एक कड़ी है। महिला के बिना उसका परिवार खोखला व समाज अस्त–व्यस्त हो जाता है नारी के योगदान से समाज का न केवल निर्माण होता है बल्कि पालन–पोशण भी होता है। इसी के सहयोग से समाज को दिशा मिलती है। नारी के प्रसन्न रहने पर ही व्यक्ति, परिवार, कुल समाज, राश्ट्र सुशोभित होता है। कुशल नारी ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति की आधारशिला बनती है उसी के सहचर्य में समृद्धि, सुख और आनन्द की कल्पना की गयी है। इस प्रकार नारी का स्थान समाज में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नारी ही परिवार की धुरी व जननी है। परिवार नियोजन के लिए नारी की सहमति अति आवश्यक है। जैसा कि पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि, ''लोगों में जागृति लाने के लिए हमें पहले स्त्रियों को जागृत करना होगा। स्त्रियों के आगे बढ़ने से परिवार आगे बढ़ेगा और राश्ट्र भी आगे की ओर उन्न करेगा।''

किन्तु अत्यधिक खेद से कहना पड़ता है कि जिस नारी का परिवार व समाज में महत्व है उसी नारी का समाज में आज स्तर बहुत निम्न है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। भारतीय नारी की आरम्भ से ही ऐसी स्थिति नहीं थी। भारतीय संस्कृति में नारी कई स्तरों से गुजर चुकी है।

वैदिक काल के प्रारम्भिक समय में महिलाओं का स्तर बहुत ऊँचा था। वह परिवार मं पति के साथ समान अधिकार व उत्तरदायित्वों की अधिकारिणी थी। नारी के बिना कोई भी यज्ञ, पूजा, हवन, शुभ कार्य, मांगलिक अनुश्ठान नहीं सम्पादित होता था। 'ऋग्वेद'[1] में नारी को स्वयं गृह कहा गया हैं। शतपद[2] में नारी को पति का आधा अंग माना गया हैं उसे अर्धांगिनी से सुशोभित किया गया हैं मनुस्मृति[3] में यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं।

किन्तु धीरे–धीरे स्त्रियों ने अपनी स्वंत्रता को खो दिया है। धीरे–धीरे वह परतंत्रता व असहायता की ओर बढ़ती गयी। उसके मान–सम्मान में अवनति होती गयी। उसके अधिकार व स्वतंत्रता छिनती गयी। अन्त में वह घर में घूंघट काढ़े दिन–रात काम करने वाली दासियां बन गयी। पग–पग पर उनक शोशण होने लगा। उन्हें शिक्षा–दीक्षा से दूर रखा गया। धीरे–धीरे अवनति का क्रम बढ़ता गया और वह मनु द्वारा निर्धारित निम्न श्रेणी में आ गयी, ''बचपन में पिता के द्वारा, युवावस्था में पति के द्वारा और वृद्धावस्थ में पुत्रों के द्वारा स्त्री की रक्षा की जाती है। स्त्रियां किसी भी स्वंत्रता के योग्या नहीं होती हैं।

* **प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग,राम लखन सिंह महाविद्यालय, बैजारामपुर, जौनपुर**

नारी की इस स्थिति का मुख्य कारण मध्यकाल में मुस्लिम शासन का होना है। उस समय समाज में व्याप्त दशाओं के कारण स्त्रियों को मुस्लिमों की दृश्टि से दूर रखने की कोशिश की गयी। जिससे 'पर्दाप्रथा' प्रारम्भ हुआ और उनकी उन्नति का मार्ग बन्द हो गया। फलस्वरूप नारी समाज को बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति, स्त्री जाति की बाल हत्या आदि कुरीतियों ने घेर लिया।

परम्परागत भारतीय समाज में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र, परिवार में चहारदीवारी के अन्तर्गत सीमित रहा है। बालकों का पालन–पोशण, गृहस्थी के कार्यों का सम्पादन, पति सेवा एक आदर्श गृहिणी के प्रमुख कर्तव्य रहे है किन्तु धीरे–धीरे सामाजिक परिवर्तन होने लगे। सामाजिक परिवर्तन की नवीन शक्तियों ने स्त्रियों की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये।

अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ ही एक नवीन सामाजिक युग का प्रारम्भ हुआ। धर्म प्रचारक इसाई संस्थाओं ने हिन्दू सामाजिक ढांचे में व्याप्त दोशों और अभावों को प्रकाश में लाकर समाज में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। राजाराम मोहन राय पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सफल समर्थन किया और इस सम्बन्ध में 1829 में एक कानून पास हुआ, इसके बाद स्त्री कल्याण क लिए अनेक अधिनियम पास हुए जो निम्नलिखित हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम 1961, बाल विवाह, प्रतिबन्ध अधिनियिम 1929, हिन्दू स्त्री सम्पत्ति अधिकार अधिनियिम 1937।

गांधी जी ने भी स्त्री सुधार के लिए अनेक प्रयास किये। कुछ स्त्री संगठनों ने भी स्त्रियों के कल्याण के लिए काम किये हैं। जिसमें सन् 1904 में ''स्त्रियों का पृथक सम्मेलन'' उल्लेखनीय है। स्त्रियों का सबसे प्रथम संगठनात्मक ढांचा ''भारतीय महिला संघ'' था जिसकी स्थापना एनी बेसेन्ट के द्वारा सन् 1917 में मद्रास में की गयी थी। 1924 में 'स्त्रियों के लिए' राश्ट्रीय सभा का निर्माण किया गया। राश्ट्रीय सभा की ही भांति 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन'– महिलाओं की उन्नति के लिए स्थापित हुई जिसकी पहली बैठक सन् 1927 ई0 में पूना में हुई थी।

स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों की उन्नति के लिए अनेक प्रयास हुए। भारतीय संविधान की धारा 15 के अनुसार दोनों लिंगों को समान अधिकार प्राप्त है। यद्यपि स्त्रियों को विशेश सुविधायचे प्रदान करने के लिए राज्यों को पूर्ण अधिकार है। मौलिक सम्बन्धों का अधिकार और उसका विवरण देते हुए धारा 14, 15, 16 में बिना किसी भेद के (लिंग भेद के) सभी भारतीय नागरिकों के लिए ''कानून के सामने समानता'' कानून के द्वारा सभी भारतीय नागरिकों के लिए ''कानून के सामने समानता'' कानून के द्वारा समान सुरक्षा और ''सरकारी सेवाओं के सम्बन्ध में समान अवसर प्रदान किया गया है। संविधान के ऐसे विधाओं के होने से ही यह सम्भव हो सका कि स्त्रियों के स्तर और अधिकारों को सुधारने के लिए कितने ही सामाजिक नियम पास किये गये। उनको शिक्षा और सामाजिक अधिकार, स्वास्थ्य–सुविधायें देने उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन में उचित भाग ले सकने योग्य बनाने के लिए कुछ विशेश कदम उठाये गये हैं।

इस प्राकर यह स्पश्ट है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनके प्रयास किये गये हैं किन्तु फिर भी उनमें अभी तक शिक्षा का अभाव है। स्त्रियों में साक्षरता अभी भी पूरे भारत में है। जिसमें उत्तर प्रदेश में सामान्य रही है। गांवों में तो साक्षरता और भी कम हैं फलस्वरूप ग्रामीण महिलायें स्वतंत्र होकर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हैं वे परिवार कल्याण नियोजन के बारे में सही जानकारी भी नहीं रखती हैं। उनकी दृश्टि में परिवार कल्याण नियोजन का अर्थ केवल बच्चा बन्दर करना है।

किन्तु जिन चयनित गांवो में शोधकर्ता ने सर्वे किया वहाँ की स्थिति अन्य गांवों से थोड़ी भिन्न है क्योंकि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसके उपकेन्द्र भी हैं जिसके कार्यकर्ता गांवों के आस–पास हीं रहते हैं। वे गांवों में सबको इकट्ठा करके सम्मेलन, गोश्ठी का आयोजन

करते हैं। कभी–कभी परिवार नियोजन से सम्बन्धित मेले लगवाते हैं। परिवार नियोजन से सम्बन्धित फिल्में दिखाई जाती है। इसी खे0 में मिडवाइफ भी रहती हैं फलतः इस क्षेत्र में परिवार नियोजन एवं शिक्षा के प्रचार के कारण लोगों के सोचेने का ढंग बदल रहा है। आधुनिकता की एक लहर सी गांवो में फैल गयी है जिनमें पगुख भूमिका दूरदर्शन ने निभाई है। ग्रामीण महिलाये भी अधिक बच्चों से होने वाली हानि से अवगत है तथा परिवार नियोजन को उचित मानने लगी हैं। इस क्षेत्र में परिवार नियोजन के प्रति ग्रामीण महिलाओं का सुझाव है। अतः शोध प्रबंध के लिए सर्वप्रथम चयनित उत्तरदाताओं के अभिज्ञान की जानकारी प्राप्ति के लिए साक्षात्कार कियाग या तो निम्न तथ्य प्राप्त हुए जिसे सारणी में दिखा गया है।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में ज्ञान

जाति समूह										
शिक्षा स्तर	उच्च जाति समूह			मध्यम जाति समूह			निम्न जाति समूह		महायोग	
	परिवार नियोजन का पूर्णः ज्ञान	**परिवार नियोजन का अंशतः ज्ञान**	**योग**	**परिवार नियोजन का पूर्णः ज्ञान**	**परिवार नियोजन का अंशतः ज्ञान**	**योग**	**परिवार नियोजन का पूर्णः ज्ञान**	**परिवार नियोजन का अंशतः ज्ञान**	**योग**	
जूनियार हाईस्कूल तक शिक्षित	03 (42.86)	04 (57.14)	07 (100.00)	03 (33.33)	06 (66.67)	09 (100.00)	02 (33.33)	04 (66.67)	06	22
हाईस्कूल तक शिक्षित	17 (41.46)	25 (58.54)	42 (100.00)	08 (27.59)	21 (72.41)	29 (100.00)	10 (30.30)	23 (69.70)	33 (100.00)	104
इण्टर या अधिक तक शिक्षित	20 (60.61)	13 (39.39)	33 (100.00)	08 (36.36)	14 (63.34)	22 (100.00)	03 (42.86)	04 (57.14)	07 (54.14)	62
योग	03 (75.00)	01 (25.00)	04 (100.00)	02 (66.67)	01 (33.33)	03 (100.00)	03 (60.00)	02 (40.00)	05 (100.00)	12
	43 (50.00)	43 (50.00)	86 (100.00)	21 (33.33)	42 (66.67)	63 (100.00)	18 (35.29)	33 (64.71)	51 (100.00)	200 (100.00)

सारणी के विश्लेशण से स्पश्ट होता है कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं को अभिज्ञान उच्च जाति की अशिक्षित महिलाओं में 57.14 महिलाओं को अंशतः ज्ञान है जबकि सबसे कम 42.86 प्रतिशत महिलाओं को पूर्णतः ज्ञान है। मध्यम वर्ग की महिलाओं में 66.67 प्रतिशत महिलाओं को अंशतः ज्ञान है जबकि 33.33 प्रतिशत महिलाओं को पूर्ण ज्ञान है। निम्न जाति समूह की महिलाओं में 66.67 प्रतिशत महिलाओं को अंशतः ज्ञान है जबकि 33.33 प्रतिशत महिलाओं को पूर्णतः ज्ञान है।

जूनिहार हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की जाति के अनुसार परिवार नियोजन के अभिज्ञान का विश्लेशण करने पर ज्ञात होता है कि उच्च जाति की महिलाओं को 58.54 प्रतिशत अंशतः ज्ञान है जबकि 41.46 प्रतिशत महिलाओं को पूर्णतः ज्ञान है । मध्यम जाति समूह की महिलाओं में 72.41 प्रतिशत महिलाओं को अंशतः ज्ञान है तथा 27.59 प्रतिशत महिलाओं को पूर्णतः ज्ञान है । निम्न जाति समूह की समूह की 69.70 प्रतिशत महिलाओं को अंशतः ज्ञान है जबकि 30.30 प्रतिशत महिलाओं को पूर्णतः ज्ञान है।

हाईस्कूल तक शिक्षित उच्च जाति की महिलाओं में 60.61 प्रतिशत को परिवार नियोजन के सम्बन्ध में पूर्णतः मान है एवं 39.39 प्रतिशत महिलाओं को अंशतः ज्ञान है। मध्यम जाति समूह की उत्तरदात्रियों में 63.34 प्रतिशत महिलाओं को अंशत ज्ञान है जबकि 36.36 प्रतिशत महिलाओं

को पूर्णतः ज्ञान है। निम्न जाति समूह की महिलाओं में 57.14 प्रतिशत को अंशतः ज्ञान है जबकि 42.86 प्रतिशत को पूर्णतः ज्ञान है।

इण्टर या अधिक शिक्षित महिलाओं का परिवार नियोजन के सम्बन्ध में ज्ञान की अभिवृत्ति ज्ञात करने पर स्पश्ट होता है कि उच्च जाति की 75.00 प्रतिशत महिलाओं को पूर्णतः ज्ञान है कि जबकि 25 प्रतिशत महिलाओं को अंशतः ज्ञान है । मध्यम जाति समूह की 66.67 प्रतिशत महिलाओं को पूर्णतः ज्ञान है जबकि 33.33 प्रतिशत महिलाओं को परिवार नियोजन का पूर्णतः ज्ञान है जबकि 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं कों अंशतः ज्ञान है।

इस प्रकार सारिणी द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेशण से यह स्पश्ट होता है कि उच्च जाति में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में पूर्णतः ज्ञान एवं अंशतः ज्ञान मध्यम जाति व निम्न जाति की महिलाओं से अधिक है। यह भी स्पश्ट होती है कि उत्तरदाताओं की शिक्षा में जैसे–जैसें बढ़ोत्तरी होती गयी है परिवार नियोजन के सम्बन्ध में ज्ञान की भी बढ़ोत्तरी होती गयी हैं इस प्रकार हम कह सकते है कि शिक्षा परिवार नियोजन के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा के प्रसार तथा परिवार नियोजन के प्रचार के कारण चयनित क्षेत्र की महिलाओं को परिवार नियोजन का अभिज्ञान है।[4]

संदर्भ –

1. एस0पी0 दूबे, जनांकिकी एवं जनसंख्या अध्ययन, 1974, पृ0430
2. डॉ0 कविराज सत्वती ''परिवार नियोजन'', 1952, पृ0–53
3. डॉ0 वर्नोड, बेरेलसन, प्रेजिडेन्ट ऑफ पापुलेशन कौंसिल, न्यूयार्क, भारतीय अन्तर्राश्ट्रीय केन्द्र दिसम्बर, 30 1970 को ''परिवार नियोजन'।
4. डी0एन0 कक्कड, ''वूमैनप एण्ड फैमिली प्लालिंग'', 1984, पृ0–6

भारतीय शिक्षा और महात्मा गांधी

*डॉ. रामप्रवेश सिंह**

प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु माना जाता था उस युग की मान्यता थी कि जिस तरह से अंधेरे को प्रकाश के द्वारा दूर किया जाता है उसी तरह से मनुष्य के संपूर्ण भ्रमो एवं संदेहों को दूर करने का एक मात्र साधन शिक्षा ही है। उस समय इसी तथ्य पर अधिक बल दिया गया कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को यर्थात सत्य का ज्ञान कराया जा सकता है तथा उसी के द्वारा मनुष्य अपने परम लक्ष्य को धारित कर सकता है भारतीय शिक्षा के प्राचीनतम् रूप हमें वेदों में प्राप्त होता है, मूलतः 'ऋग्वेद' में। उस समय विद्यालय को गुरुकुल आचार्य कुल गुरु गिरि आदि नामों से जाना जाता था उस समय 'शिक्षक' को 'आचार्य' कहा जाता था तथा 'विद्यार्थी' को 'वृह्मचारी' 'व्रतधारी' आदि नामों से पुकारा जाता था। विद्यार्थी के लिए व्रह्मचर्य का पालन आवश्यक था। उस समय के शिक्षा केंद्रों में नालंदा, तक्षशिला, काशी आदि प्रमुख थे।

प्राचीन काल में नारियों के शिक्षा हेतु अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी । बौद्धों में भिक्षुणियों की शिक्षा हेतु यह व्यवस्था की थी किंतु कालांतर में यह भी प्राप्त नहीं होती। संभव है कि उस सह–शिक्षा की व्यवस्था रही हो, किंतु वह भी कुछ विशेष लोगों के लिए जैसा कि 'उत्तर रामचरित' में वाल्मिकी आश्रम में 'आत्रेयी' की शिक्षा का वर्णन उपलब्ध होता है, जो लव–कुश के साथ अध्ययन की थी। इसी तरह बहुत 'भवभूति' द्वारा सृजित 'मालती–माधव' नामक कृति में 'कामन्दकी' के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। उस समय प्रायः गुरु–पत्नी तथा गुरु–वधु को ही अध्ययन का लाभ मिला है, क्योंकि वे गुरुकुल–वासिनी होती थी। वास्तव में शास्त्रानुरोरध पर ही कन्याओ को गृह शिक्षा दी जाती थी। आजीवन व्रह्मचर्य का पालन करने वाले विद्यार्थी को नैश्ठिक ब्रह्मचारी तथा विद्यार्थिनी को व्रह्मवादिनी माना जाता था।

भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित होते ही इस्लामिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार बढ़ने लगा। फारसी जानने वाले ही सरकारी कार्य के योग समझे जाने लगे। यही कारण था कि 'हिंन्दू' भी अरबी और फारसी का अध्ययन करने लगे। दिल्ली, आगरा, जौनपुर आदि मुस्लिम शिक्षा केंद्र थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में भी संस्कृत, काव्य, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथों का सृजन तथा अध्ययन–अध्यापन निर्वाध गति से हो रहा।

आधुनिक शिक्षा की नींव भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा विदेशी व्यापारियों अर्थात 'ईस्ट इंडिया कंपनी' द्वारा डाली गयी। कालांतर में भारत की शासन व्यवस्था कंपनी के हाथों में चली गयी। उनके कार्य विस्तार में बाधक होने के भय से कंपनी शिक्षा के संबंध में उदासीन रही, फिर भी कुछ विशेष कारणों के उद्देश्य पूर्ति हेतु सन् 1780 ई0 में कलकत्ता में 'मदरसा' तथा सन् 1791 ई0 में बनारस में 'संस्कृत कॉलेज' की स्थापना की।

आज के भारतीय शिक्षा व्यवस्था अधिकांशतः शासन एवं पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन हुई है। शासन द्वारा संचालित अधिकतर शिक्षण संस्थाएं संसाधन एवं अनुशासन विहीन होने के कारण गुणवतापूर्ण शिक्षा देने में असमर्थ हैं। इस तरह से पूंजीपतियों से संचालित शिक्षण संस्थाएं व्यावसायिक रूप में सक्रिय तो है, किंतु वह गरीबों की पहुँच से बाहर हैं। भारत की स्वाधीनता के लगभग 17 वर्षों के बाद भी ऐसे बच्चों की संख्या अधिक होगी, जिन्होंने विद्यालय का मुँह नहीं देखा होगा। जिनमें विद्यालय जाने की क्षमता है वे 'लार्ड मैकाले' की अंग्रेजी शिक्षा

*** प्रवक्ता हिंदी विभाग जनता पी0जी0 कॉलेज रानीपुर– मऊ (उत्तर प्रदेश)**

के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कहने का आशय यह है कि भारतीय मौलिक शिक्षा को ग्रहण करने वाला शायद ही कोई मिले। जब तक भारतीय जनमानस की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली अपने उच्चतम शिखर पर स्थापित नहीं हो सकती, इसके लिए महात्मा गांधी के प्रतिपादित सिद्धांतों को ग्रहण करना आवश्यक है।

सर्वप्रथम भारत में स्त्रियों की शिक्षा हेतु ज्योतिबा फुले ने 1948 ई0 में एक विद्यालय की स्थापना की थी। बालिकाओं को पढ़ाने हेतु जब कोई महिला अध्यापक उपलब्ध नहीं हुई तो उन्होंने स्वयं यह कार्य किया तथा अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इस योग बना दिया कि वह अध्यापन का कार्य कर सके। सन 1853 ई0 में शिक्षा की प्रगति हेतु एक समिति गठित हुई, उस समिति के निर्णय–पत्र को सरचार्ल्स वुड ने सन् 1854 ई0 में कंपनी के पास प्रेषित कर दिया। जिसमें संस्कृत, फारसी एवं अरबी के ज्ञान को आवश्यक माना गया। प्रांतों में शिक्षा विभाग, अध्यापक प्रशिक्षण, नारी शिक्षा आदि की सिफारिश की गई। सन 1857 ई0 की राजक्रांति के कारण शिक्षा के प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित रही किंतु उच्च शिक्षा के प्रगति होती रही। उसी समय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। भारत की शैक्षिक उन्नति चाहने वाले प्रेमियों एवं स्वतंत्रता प्रेमियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान किया। बाल गंगाधर तिलक एवं उनके सहयोगी ने पुणे में 'फर्ग्यूसन कॉलेज', आर्य समाज द्वारा लौहार में 'दयानंद ऐग्लों वैदिक कालेज' तथा श्रीमती ऐनीबेसेन्ट द्वारा सन 1898 ई0 में काशी वाराणसी में 'सेंट्रल हिंदू कॉलेज' स्थापित की गये। छत्रपति शाहूजी महाराज द्वारा दलितों एवं पिछड़ों के अध्ययन हेतु विद्यालय एवं छात्रावासों की स्थापना कराई गई जिसके कारण दलितों एवं पिछड़ों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार हुआ तथा सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। सन् 1894–1922 ई0 तक समाज में सभी वर्गों हेतु अलग–अलग सरकारी संस्थाओं की स्थापना हुई। शिक्षा से वंचित दलितों तथा गरीबों हेतु साहू जी ने आर्थिक सहायता की उपलब्ध करायी।

महात्मा गाँधी का प्रभाव भारतीय जनजीवन पर बीसवीं शताब्दी में अधिक पड़ा क्योंकि उनके विचार केवल अनुभूति एवं प्रयोग पर आधारित थे। गांधी जी के विचारों के अनुसार सत्य एवं ईश्वर एक दूसरे के पयार्य है, ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन अहिंसा है। इसका संपूर्ण दर्शन इन्हें दो आधार पर अवलंबित है जिन्हें निम्नवत रूपों में देखा जा सकता है–

1. आयुधों की उपेक्षा प्यार की शक्ति अधिक है शिक्षा के क्षेत्र में दंड की उपेक्षा प्यार अधिक प्रभावशाली होता है।
2. पारस्परिक सद्भाव एवं सहमति से समाज की अनेकों समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
3. आकांक्षा में प्रतिपल वृद्धि के कारण व्यक्ति को संतोष नहीं मिल सकता और ना ही समाज में शोषण को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आकांक्षाओं पर नियंत्रण अनिवार्य है।
4. साधन तथा साध्य के बीच समरसता आवश्यक है क्योंकि अपवित्र साधन के द्वारा पावन लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

शिक्षा को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि ''शिक्षा से मेरा आशय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेश्ठ शक्तियों का सर्वागीण विकास है।''[1] गांधी जी एक स्वस्थ समाज की कलम कल्पना करते थे जहां दंड सकती कि स्थान पर अहिंसा हो, वहां पर ऊंच–नीच, मालिक–मजदूर, बौद्धिक और श्रमिक आदि के बनावट भेद ना होकर वर्ग–विहीन समाज की स्थापना हो तथा उनमें परास्परिक सहयोग का भावना हो चरित्र निर्माण को वे शिक्षा का सर्वोच्च ध्ययेे स्वीकार करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है– ''मैंने सदा हृदय की संस्कृत अथवा चरित्र को प्रथम स्थान प्रदान किया। मैंने चरित्र को बालकों की शिक्षा का उचित नीव माना, और यदि नीव मजबूत पड़ जाए तो अन्य सब बातें मित्रों आदि की सहायता से बच्चे स्वयं सीख सकते।''[2] उनका मूल्य मंत्र था– शोषण विहीन समाज की स्थापना

उसके लिए सबको शिक्षित होना आवश्यक था। अतः उनका शैक्षिक दर्शन ही उन्हें समाज के सामने एक शिक्षा–शास्त्री के रूप में प्रस्तुत करता है वह शिक्षा को “The Beautiful Tree” कहा करते थे उन्होंने शिक्षा के नियम के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है।

1. 7–14 वर्षो के आयु के बालकों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए।
2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
3. साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता।
4. शिक्षा से बालक में मानवीय गुणों का विकास हो।
5. शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शरीर, ह्रदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपुर्ण विकास हो।
6. संपूर्ण विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन, उद्योगों के माध्यम दी जाए।
7. शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोजगारी से मुक्त कर सकें।

गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा का नवीन योजना सन् 1937 ई0 में प्रस्तुत की थी, उनसे ही 'वर्धा–शिक्षा–योजन' के नाम से जाना जाता है तथा वहीं 'बुनियादी शिक्षा' का आधार भी है इसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप देना था जिससे समाज का कल्याण हो सके।

गांधीजी केवल साक्षरता को शिक्षा स्वीकार करने के पक्षधर नहीं थे इसी कारण उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या में साक्षरता के साथ ही बौद्धिक, व्यवसायिक, सामाजिक आदि कार्यों को सम्मानित किया। वे स्त्रियों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ रूप में स्वीकार करते थे इस कारण में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्रदत्त करना चाहते थे। व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में उनका कथन है कि–''भारत कृषि एवं कुटीर उद्योग–धंधों का देश है, इसलिए यहां बच्चों को कृषि, बागवानी और हस्त कौशल की शिक्षा देनी चाहिए।''[3] गांधीजी एक धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे तथा वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने सर्वधर्म सम्भाव द्वारा इसकी प्राप्ति पर बल दिया। उनकी यह आदर्शवादी शिक्षा जीवन–लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा देती है। प्रयोजनवती शिक्षा ही व्यक्ति के भविश्य में काम आ सकती है यदि ऐसी शिक्षा नहीं है तो केवल साक्षरता ही प्रदर्शित कर सकती है। जैसा कि गांधीजी का एक कथन है' ''बेसिक शिक्षा में बच्चों को ग्रामीण उद्योग, कृषि एवं पशुपालन आदि और ग्रामीणों हस्त–कौशलों, कटाई एवं बुनाई आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने की व्यवस्था की गई थी और यह आशा की गई थी कि इसे प्राप्त करने के बाद वे अपनी जीविका का कमा सकेंगे।''[4]

प्राचीन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वह समकालीन संसार की शिक्षा व्यवस्था से उत्कृष्ट थी, किंतु कालांतर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरता गया जिसका कारण विदेशी शासक थे लॉर्ड मैकाले और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने गुरुकुल को समाप्त कर कान्वेंट तथा पब्लिक विद्यालय के स्थापित किया। महात्मा गांधी जी के शिक्षा संबंधित प्रयास सार्थक तो हुए वे भी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ही उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किये। आज के शैक्षिक परिवेश में छात्र–छात्राएं डिग्री अवश्य धारण कर ले रहे हैं किंतु उनका सामाजिकता से दूर–दूर तक कोई रिश्ता नजर नहीं आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब तक विद्यार्थियों में कौशल विकास नहीं होगा तब तक शिक्षा का विकास पूर्ण नहीं होगा। मेरे मताअनुसार कोई व्यक्ति ज्ञान–ग्रंथ पढ़कर सुख एवं शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता, जब तक उसकी ज्ञान–ग्रंथी नहीं खुलेगी। जैसा कि कहा जाता है– 'शिक्षा शेरनी के दूध सामान है, जिसे पीकर कोई भी व्यक्ति दहाड़े लगता है।' गांधी जी द्वारा सत्य एवं अहिंसा की पृष्ठभूमि पर आधारित शिक्षा योजना भारतीय दर्शन पर ही आश्रित है, ऐसे युग पुरुष एव भारतीय शिक्षा को कोटिशः नमन है।

संदर्भ सूची–

1. आधुनिक भारतीय चिंतन तथा शिक्षा–डॉ लक्ष्मीलाल के. ओड़–पृष्ठ 238
2. वही पृष्ठ 239
3. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत– प्रो0 रमन बिहारी लाल– पृष्ठ 326।
4. वही पृष्ठ 336

बौद्ध धर्म का पतन

*उमेश कुमार**

प्राचीन बौद्ध निकायों अथवा आगनों से विदित होता है कि महात्मा बुद्ध के समय में अनेक ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकवाद प्रचलित थे, जिनका उन्होंने प्रतिशेध किया। निर्ग्रन्थ मत को छोड़कर ये वाद परवती काल में लुप्त हो गये तथा इनका अपना साहित्य अवशेश नहीं है। दूसरी ओर परवती काल मे ंप्रचलित सांख्य, वेदान्त आदि दार्शनिक प्रस्थानों का इस प्राचीन बौद्ध साहित्य में निश्चित उल्लेख तक प्राप्त नहीं होता। वस्तुतः उस समय वेदानत एक पृथक दर्शनशास्त्र के रूप में विद्यमान न होकर उपनिशदों की विभिन्न विद्याओं एवं असमन्वित अभिमतों के रूप में विप्रकीर्ण था। औपनिशद वेदान्त ने एक व्यवस्थित दर्शन का रूप सर्वप्रथम बादरायण के ब्रह्मसूत्रों की रचना के द्वारा प्राप्त किया।[1] किन्तु उस समय तक बौद्धों में अनेक दार्शनिक प्रभेद उत्पन्न हो गये थे। जिनका वादरायण ने उल्लेख तथा खण्डन किया है। सांख्य दर्शन भी महात्मा बुद्ध के समय में कदाचित एक गूढत्र आध्यात्मिक परम्परा के रूप में था, परवर्ती काल के समान सुविदित दर्शनशास्त्र के रूप में नहीं। योग दर्शन के विशय में तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है । मीमांसा, न्याय अथवा वैशेशिक शास्त्रों का उस समय तक जन्म नहीं हुआ था और न ही भागवत् अथवा शैव सम्प्रदायों ने किसी रीतिबद्ध दर्शन का प्रतिपाद किया था। महात्मा बुद्ध ने सामान्यतः शाश्वतवाद, उच्छेवाद एवं प्रचलित आत्मवाद का निराकरण किया। इस निराकरण की रीति में माध्यमिक तक की छाया आभासित होती है। परमार्थ सत्य दोनो अन्तों के परे है। किसी एक अन्त को मान लेने पर आर्य सत्य निरर्थक हो जायेंगे। कालान्तर में बौद्ध संघ अनेक सम्प्रदायों में विभक्त हो गया तथा उन सम्प्रदायों के पारस्परिक विचार संघर्श से बुद्धदेशित तत्वों का अनेक दार्शनिक परिश्कार सिद्ध हुआ।[2] कथावस्तु और अभिधर्म–महाविभाश प्राचीन बौद्ध सम्प्रदायों के दार्शनिक विवाद को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ एक ओर धार्मिक आध्यात्मिक दृश्टि से अर्हत और बुद्ध विशयक विवाद महायान के जन्म के लिए महत्वपूर्ण थे, वही दूसरी ओर पुद्गल विशयक तथा धर्म–विशयक विवाद दार्शनिक–तार्किक विकास के एिल पोशक सिद्ध हुए। इस विकास के परिणामस्वरूप बौद्धों के प्रसिद्ध सिद्धान्त पुद्गल–नैरात्म्य अथवा अनात्वाद एवं क्षणभंगदवाद का युक्तियुक्त प्रतिपादन हुआ। दूसरी ओर महायान के विकास से धर्म नैरात्म्य अथवा शून्यता का सिद्धान्त अविश्कृत तथा माध्यमिकों द्वारा तार्किक रीति से प्रतिपादित हुआ। प्रायः इसी समय न्याय–सूत्रों में तथा ब्रह्मसूत्रों में बौद्ध दर्शन का खण्डन मिलता है। नागार्जुन तथा आर्यदेव में भी अनेक बौद्धेतर दार्शनिक मतों का विशेशतः न्याय, सांख्य और वैशेशिक का तार्किक निराकरण उपलब्ध होता है। इन माध्यमिक आचार्यों की कृतियों से यह भी ज्ञात रहा था।[3] विग्रहव्यावर्तनी तथा न्याय–सूत्रों को प्रणाम सामान्य–परीक्षा विशेश रूप से तुलनीय है। तीसरी से पांचवी शताब्दी में योगाचार–विज्ञानवाद का दर्शन के रूप में आविर्भाव हुआ तथा इसी युग में बौद्ध दर्शन का मीमांसा–भाश्यकार शबरस्वामी तथा न्यायभाश्यकार पक्षिलस्वामी के द्वारा खण्डन प्राप्त होता है। पांचवी शताब्दी से सातवीं शताब्दी के मध्य दार्शनिक संघर्श का चर्मोत्कर्श हुआ। एक ओर बौद्धों के अभ्यन्तर सौत्रान्तिको और माध्यमिकों ने विज्ञानवाद का खण्डन किया दूसरी ओर दिङनाग ने वात्सायन का तथा अद्योतकर ने बसुबन्धु और दिङनाग का खण्डन किया। प्रायः इसी सयम में कुमारिल ने मीमांसा की ओर से विज्ञान और शून्यवाद का निराकरण किया। इस खण्डन–मण्डन के प्रसंग मे बौद्ध न्याय का विशिश्ट विकास हुआ तथा अपोहवाद आदि बौद्ध तार्किक सिद्धांतो का प्रतिपादन किया गया। आठवीं सदी में शांतिरक्षित ने बौद्धेत्तर दर्शनों का विस्तृत खण्डन किया दूसरी ओर जहां

---

* **असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विभाग, अकराँव महाविद्यालय, सादियाबाद, गाजीपुर**

गौडपादर ने बौद्ध सिद्धांतों का अद्धैत वेदान्त से समन्वय किया था, उनके प्रशिश्य शंकराचार्य ने बौद्धों का तर्क–कर्कश तिरस्कार किया। नवीं और दसवीं शताब्दियों में वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य तथा जयन्त भट्ट ने बौद्ध मत की तीक्ष्ण आलोचना की। बौद्धों की ओर से धर्मोत्तर, रत्नकीर्ति, रत्नाकर शांति आदि आचार्यों ने बौद्धेत्तर मतो का प्रत्यालोचन किया। इस परवर्ती बौद्ध तार्किक साहित्य का लेशमात्र ही मूल में उपलब्ध है। ग्यारहवीं एवं बारहवीं शताब्दियों में भारतीय बौद्ध दर्शन के पतन के साथ उसका अधिकांश साहित्य भी लुप्त हो गया तथा न्याय दर्शन ने बौद्धों से मुक्ति पाकर विशुद्ध तर्कशास्त्र की ओर करवट बदली।[4]

अनेक गुप्त सम्राट और मगध के पालवंशी शासक जिस बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और जिसके महाविहारो के विद्वानों आचार्य बारहवीं सदी तक ज्ञान और धर्म के संदेशवाहक होकर सुदूर देशों में जाया करते थे वह ब्राह्मण धर्म के पुनरोद्धार से भारत में लुप्त सा हो गया। मौर्यों के बाद भारत में पौराणिक वैदिक धर्म के पुनरूत्थान का जो आंदोलन प्रारम्भ हुआ उसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म का अस्त होना ही था। भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ ब्राह्मणों और श्रमणों का समान रूप से आदर करते थे। वे अपनी स्थानीय परम्पराओं के अनुसार विविध प्रकार के अनुश्ठानों का सम्पन्न करते थे और सभी संयासियों और भिक्षुओं की एक सदृश सेव करते थे।[5] विदेशों में जो बौद्ध प्रचारक गये थे, वे एक नयी सभ्यता और संस्कृति के संदेशवाहक भी थे, क्योंकि वहां के निवासी भारत की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए थे। पर भारत में वे केवल धर्म का ही नेतृत्व करते थे। यहाँ उन्हें किसी नवीन सभ्यता व संस्कृति का प्रचार नहीं करना था। बौद्ध संघ की आंतरिक शिथिलता के साथ–साथ ज्यों–ज्यों अन्य धर्मों के ब्राह्मणों और संयासियों में जीवन और स्फूर्ति बढ़ती गयी, त्यों–त्यों बौद्ध भिक्षुओं का जनता पर प्रभाव कम होता गया।[6]

गुप्त सम्राटों में कुछ वैश्णव, कुछ शैव और कुछ बौद्ध थे। एक ही वंश में भिन्न–भिन्न सम्राट भिन्न–भिन्न धर्मों के अनुयायी हो सकते थे। सम्राट हर्श सूर्य की उपासना करता था, शिव को मानता था और साथ ही बौद्ध स्थविरों में श्रद्धा रखता था। पालवंशी शासक बौद्ध थे पर ब्राह्मण पण्डितों को दान देने में और पौराणिक मंदिरों की सहायता करने में संकोच नहीं करते थे भारत के विविध धर्मो का भेद इस समय कवेल उकने नेताओं में ही शेश रह गया था। बौद्ध भिक्षु अपने महाविहारों में रहते थे, पौराणिक संयासी आश्रमों और मठों में निवास करते थे। विविध धर्मों के इन विद्वानो में जो अधिक विद्वान व त्यागी होता था वही जनता पर अपना अधिकार प्रभाव रखता था। सातवीं सदी में अनेक ऐसे पौराणिक विद्वान भारत में हुए, जिन्होंने अपनी विद्वता, तर्क और प्रभाव से सबकों चकाचौध कर दिया। प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के नाम ऐसे विद्वानों में विशेश उल्लेखनीय है। कुमरिल ने बौद्ध सिद्धांतों पर आक्रमण किये और वैदिक अनुश्ठानों तथा प्राचीन दर्शन पद्धति के गौरव को पुनरुज्जीवित किया। बाद में शंकरचार्य ने सम्पूर्ण भारत में भ्रमण कर बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ किया और बौद्ध भिक्षु संघों के मुकाबले में अपने मठों की स्थापना की जिनमे हजारों संयासी विद्याध्ययन में व्यापृत थे।[7] इन संयासियों के सम्मुख बौद्ध भिक्षुओं का प्रभाव मंद पड़ गया। बौद्ध संघ को स्थापित हुए एक हजार वर्श से ऊपर हो गया था। वैभवपूर्ण सम्राटों के दान और सहायता से उसके पास अपार सम्पत्ति एकत्रित हो गयी थी। मगध के महाविहारो में हजारों भिक्षु निश्चित होकर आनन्द के साथ जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें लोगों के पास भिक्षापात्र लेकर जाने की आवश्यकता अब नहीं रही थी, वे नाम के ही भिक्षु थे। इसके विपरीत आश्रमों और मठों में रहने वाले संयासियों में इस समय नई स्फूर्ति विद्यमान थी। परिणाम यह हुआ कि भारतीयों की श्रद्धा बौद्ध भिक्षुओं में कम हो गयी और वे संयासियों के उपदेशों को अधिक सम्मान के साथ श्रवण करने लगे।[8]

उत्तर भारत में अपने बचाव की स्थिति में पहुँच जाने के पश्चात् भी बौद्ध धर्म का प्रभाव कुछ समय तक दक्षिण भारत में रहा, किन्तु नवीन सामंती राज्यों के उदय ने उसकी स्थिति को वहाँ भी धीरे–धीरे जर्जर कर दिया। दक्षिण भारत के राजाओं के मध्य संघर्श प्रायः एक ओर हिन्दू धर्म और दूसरी ओर बौद्ध तथा जैन धर्म के बीच टकराओं को प्रतिबिम्बित करते थे।

दक्षिण भारत के उपाख्यानों में इस टकराव का प्रायः ही उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें शैव तथा वैश्णव संतों ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। ये संत अपने भजनों के कारण लोकप्रिय नहीं हुए बल्कि उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों संघर्श चलाकर लोकप्रियता प्राप्त की थी। सातवीं शताब्दी के अन्त में दक्षिण के पल्लव शासकों का पतन और चालुक्यों का उदय जिन्होंने वैश्णव धर्म को अपना लिया था तथा 733 ई0 में कांची पर अधियत्य कर लिया, बौद्ध धर्म पर हिन्दू धर्म की विजय को द्योतक है।[9]

भारत में बौद्ध धर्म ह्रास और पतन के संदर्भ में अनेक भ्रांतियां व्याप्त है। यह कहा जाता है कि इस धर्म का प्रचार केवल स्थानीय तथा कादाचित्क था। अतः उसका पतन आश्चर्य जनक नहीं है। यह भी कहा गया है कि बौद्ध धर्म हिन्दू ध्यार्म में कवलित हो गया, जिसमें सातवीं शताब्दी से सामितीय और तांत्रिक प्रसार ने संभवतः सहयोग प्रदान किया। बौद्ध संघ बौद्ध संघ में तंत्रों के कारण ज्ञान और आचार के लोप को भी उसके नाश का कारण बताया गया है। कुमारिल तथा शंकर के वाद–कौशल को भी बौद्ध धर्म के ह्मस के कारण स्वीकार किया गया है। इस प्रसंग में यह निर्विवाद है कि बौद्ध धर्म के कतिपय तत्व हिन्दू धर्म में अवश्य स्वीकृत हुए हैं। यथा शाक्तों की कौलपरम्परा में तथा यह भी स्वीकार्य है कि अनेक भिक्षुओं एवं विहारों में भ्रश्टाचार का अभाव न था, जिसका 'राश्ट्रपालरिपृच्छा' में स्पश्ट निर्देश है, किन्तु तांत्रिक आचार तथा तत्सम्बद्ध कुछ विकृति केवल बौद्धों में ही विदित थी अपितु शैव और शाक्तों में भी विदित थी, जिनका प्रचार लुप्त नहीं हुआ और न तार्कित खण्डन से किसी धर्म का लोप मना जा सकता है। वस्तुतः बौद्ध धर्म प्रधानता भिक्षुओं का धर्म था तथा इन भिक्षुओं का जीवन विहारों में केन्द्रित था। उपासकों के लिए बौद्ध धर्म ने अपना पृथक और पर्याप्त नैतिक सामाजिक आचार एवं संस्थाएं नहीं गढ़ पायी थी। नैयायिक उदय का कहना है कि बौद्ध भी वैदिक संस्कारों का पालन करते थे। उपासकों का बौद्ध धर्म मुख्यतया विहारों और चैत्यों के लिए दान तथा तारा और लोकेश्वर आदि की प्रतिमाओं का अर्चन ही था। बौद्ध विहार प्रायः राजओं के द्वारा प्रदत्त अथवा अनुमत भूमिदान पर निर्भर करते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म के प्रचार में राजकीय समर्थन एवं प्रोत्साहन का विशेश सहयोग रहा है। दक्षिण और पश्चिम में हिन्दू शासकों की अपेक्षा अथवा वैमुख्य से तथा उत्तर में तुर्कों की विजय से बौद्ध विहार नश्ट हो गये। विहारों के लोप से उपासकों की क्षीण बौद्धता का विलोप अनिवार्य था बारहवीं सदी के अन्त में मुसलमानों के आक्रमणों से जब मगध के महाविहार तथा अन्य प्रदेशों के संघाराम और विहार नश्ट हुए तौ बौद्ध भिक्षुओं के रहे–सहे प्रभाव का अन्त हो गया, जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म का विलुप्त होना स्वाभाविक ही था।[10]

संदर्भ–

1. पाणिनी के द्वारा उल्लिखित पराशर्य के भिक्षुसूत्र स्पश्ट ही ब्रह्मसूत्र नहीं हो सकते क्योंकि बादरायण ने जिन अन्य सम्प्रदायों और मतों का उल्लेख किया है वे ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी में विकसित नहीं हुए थे।
2. गोविन्द चन्द्र पाण्डेय– बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पृ0–476
3. वहीं, 476–77
4. सत्यकेतु विद्याशंकर – प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, पृ0–129
5. वहीं, 129–30
6. वहीं, पृ0–130
7. गोविन्द चन्द्र पाण्डेय, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पृ0–491
8. वहीं, पृ0–491
9. वहीं, पृ0–491–92
10. वही।

आदिवासी जीवन का प्रकृति से रागात्मक संबंध

*अमृता कुमारी**

मानव जीवन का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो व्यक्ति प्रकृति के अधिक समीप रहते हैं उनका जीवन निश्चय ही सहज और स्वाभाविक होता है, दूसरी ओर जैसे–जैसे उसके जीवन में अस्वभाविकता एवं कृत्रिमता का प्रवेश होने लगता है, वैसे–वैसे वह प्रकृति से दूर होता चला जाता है। आदिवासियों के जीवन का यदि अध्ययन किया जाए तो यह कथन सार्थक प्रतीत होता है।

आदिवासी और प्रकृति में धनिश्ठता का संबंध हमें दिखाई देता है तो इसका कारण यही है कि जीवन के प्रारंभिक कठिन दौर से ही आदिवासियों ने प्रकृति को अपने अभिन्न सहयोगी के रूप में देखा समझा और संजोया है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य जातियों का संबंध प्रकृति से नहीं रहा है। कथन का तात्पर्य सिर्फ अधिकता और न्यूनता का है, प्रकृति के प्रति मनुष्य की दृश्टि कोष पर यह निर्भर करता है कि मनुष्य प्रकृति के किन–किन अर्थो और भावों के साथ अपने संबंधों को लेकर खड़ा है।

आदिवासी जंगल में रहकर वहाँ कंद–मूल, फल–फूल आदि खाकर और शिकार करते हुए। इसी क्रम में प्रकृति के सहयात्री और सहयोगी आदिवासी संपत्ति और लिंगभेद की धारणा से बिल्कुल अनजान थे। वे सदियों से जंगल में रहकर कंद–मूल खाकर झूम की खेती करते हुए बड़े निर्भीक और स्वाभिमान सहित अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन–शैली– का विन्यास और विकास कर रहे थे। आखेट (शिकार) और कृषि ये दोनों कार्य मौलिक रूप से जल, जंगल और जमीन से जुड़ा है। प्रारंभ में तो मानव–जीवन का सम्पूर्ण अस्तित्व जंगल पर ही आश्रित रहा होगा। भोजन से लेकर तन ढाँकने के लिए वल्कल, पेड़ों की पत्तियाँ और जानवरों की खाल तथा आश्रयस्थल के लिए वृक्ष, और गुफाएँ जंगलों में ही उपलब्ध थे।

भारत के आदिवासी प्रकृति कला में जीवन का उमंग और उल्लास झलकता है। इसमें जीवन है और जीवन से जुड़े तमाम पहलू हैं। आदिवासी अपने संसाधनों में ही संतुश्ट रहते है और प्राकृतिक सहज जीवन ही उनका स्वभाव। इसीलिए अपने आस–पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके ही ये लोग अनेक प्रकार का निर्माण और सृजन कहते हैं। जिसमें उपयोगिता, कला–कौशल, तंत्र–मंत्र और धार्मिक आस्था सभी एक ही धागे में पिरोये हुए हैं।

आदिवासियों के सभी अनुश्ठानों में प्रकृति को प्राथमिकता दी जाती है। बिजारोपण से लेकर अन्नग्रहण करने तक पृथ्वी की शक्ति और उसके तलों का आनुश्ठानिक आह्वान, प्रशंसा, निवेदन एवं धन्यवाद किया जाता है।

सारना स्थल आदिवासियों का एक प्रमुख पूजन–स्थल है, जो जंगल का प्रतीक तथा कृषि और आखेट का संधिस्थल है। जहाँ आदिवासियों के परमेश्वर पृथ्वीदेव पहाड़ी देवता, जल देवता और पूर्वजों का समवेत रूप से उपस्थिति स्वीकार कर पूजन किया जाता है।

'करम' नामक वृक्ष पर करमदेवता का वासस्थल तथा उस देव का प्रतीक मानकर उसकी डाली की पूजा भादो एकादशी के दिन अच्छी वर्शा के साथ अच्छी उपज के लिए की जाती है।

'बड़ पहाड़ी पूजन' मैलिक रूप से हिमालय की ही पूजा है। इसके प्रतीक के रूप में गाँव में एक स्थान पर मिट्टी से बने मंदिरनुमा तीले की पूजा कृशि कार्य की सफलता के लिए की जाती है। पर्वत से बादलों को रोककर वर्शा की अराधना की जाती है। अन्न उत्पन्न होने के बाद 'नागदेवता' को धन्यवाद करते हुए 'नवाखानी' मनाया जाता है।

* **शोध छात्रा (हिन्दी विभाग) मगध विश्वविद्यालय बोधगया**

'सोहराई पूजन' में घर आँगन को गोबर से लीपकर तथा उसपर 'अल्पना' बनाकर कृशि कार्य के परम सहयोगी मित्र गाय–बैलों की पूजा कर उनके प्रति अनजाने में हुए अन्याय, शोशण और अपराध के लिए पश्चाताप व्यक्त कर क्षमा माँगते हैं।

झारखण्ड के आदिवासियों को जंगल के दीर्घकालीन संसर्ग ने उनके मन और मस्तिश्क पर अमिट छाप छोड़ते हुए गहरे में प्रभावित किया है। आदिकाल से रहते हुए जंगल के अंदर ही नदी–घाटियों में जंगलों को काटकर उन्होंने कृशि योग्य भूमि बनायी, कुछ जीवन–जन्तुओं को पालतू बनाकर स्थिर जीव जन्तुओं को पालतू बनाकर स्थित जीवन शैली को अपनाया जंगल में वह कृशि और आखेट के साथ ही प्रकृति के संग मैत्री संबंध स्थापित कर उसके साथ हँसना, रोना और गाना सीख लिया। उसके लिए जन्म और जीवन का एकमात्र आधार प्रकृति ही बनी। इस प्रकार आदिवासी समाज को यदि प्रकृति–संतान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदिवासियों की जीवन–शैली उनके जीवन–दर्शन में अंतर्निहित है। आदिवासियों का ईश्वर एक है, लेकिन धर्मेश, सिंगबोंगा, इत्यादि अलग–अलग नाम है। "वह स्वयंभू, सर्वशक्तिमान, सृश्टिकर्त्ता, अज्ञेय और सृश्टि का समाजीकृत, मानवीकृत, देशकालातीत अनंत विस्तार है।"[1] झारखण्ड के आदिवासियों का विश्वास कुछ क्षेत्रीय अंतर के साथ एक समान ही है। झारखण्ड में आदिवासियों की कई उपजातियाँ रहती हैं, लेकिन उनमें मुण्डा, उराँव, संथाली हो, खड़िया इत्यादि मुख्य है। इन सभी समूहों की सांस्कृति चेतना भी समान है। "सभवतः अतिपूर्वकाल में मुण्डा, उराँव और हो ये तीन श्रेणियाँ एकत्र और एक परिवारयुक्त होकर रहती थी।" इसके केन्द्र में इनकी धारणा है कि मानव आत्मा अमर है और मरणोपरांत उनकी आत्माओं को अपने वर्तमान उत्तराधिकारियों से दाना–पानी मिलना चाहिए। यह उसी भूमि की पैदावार होनी चाहिए जिसे उसने अपने जीवन काल में खुद जोत–कोड़ किया है। वस्तुतः इसके पीछे उनके पूर्वजों के द्वारा जंगल को साफकर खेत बनाने का श्रम रहा है जिस जमीन को ही 'खूटकट्टी' या 'भुईहरी भी कहा जाता है। जो आज भी अहस्तांतरणीय मानी जाती है।[2] आदिवासियों की शासन प्रणाली को 'समूह तंत्र' (गणतंत्र) कहा जा सकता है जो न तो राजतंत्र है और न ही प्रजातंत्र माना जा सकता है। एक पड़हा एक गोत्र में ही होता है। विभिन्न पड़हा पंचायतों का विशेश मिलन स्थल 'अखड़ा' होता है जहाँ इनके मध्य नाच–गान से लेकर ग्राम्य–शासन प्रबंध एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था संचालित होते हैं। अखड़ा एक ऐसी जगह है जो प्रत्येक व्यक्ति को समदृश्टि एवं समानता का महौल प्रदान करता हैं।

उपरोक्त तथ्यों से जहाँ एक ओर आदिवासियों के सामाजिक सांस्कृत व्यवस्था जिसके केन्द्र में प्रकृति दिखाई देती है वही दूसरी ओर प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष और धनिश्ठ रूप से उनके जीवन शैली में प्रत्यक्ष होता है। प्रकृति पर वर्चस्व न जताकर साथ–साथ जीने में इनका विश्वास है। प्रकृति के सघन–साहचर्य के कारण उसके प्रति संवेदना का अहसास वनवासियों को हुआ है। हरियाली और फूलों से भरे हुए जंगल, रहस्यमय गुफाओं के साथ खड़े पहाड़ कलकुल झरते निर्झर, प्राणों में उन्माद, मरनेवाली हवाएँ और मधुर स्वर से जंगल को गुंजित करने वाले पक्षी, यही मनोहर दुनिया आदिवासियों की है। इनकी प्रकृत भावना, सरलता स्वाभाविकता, स्वच्छता और सौंदर्य प्रियता ने मिलकर इनके जीवन को कलापूर्ण बना दिया है। यही से वास्तविक जन–साहित्य की धारा फूटती गई। "प्राचीन जन–साहित्य का स्वरूप उतना ही स्वाभाविक है जितना जंगल में खिले पुश्प, उतना ही स्वच्छंद है जितनी आकास में उड़नेवाली चिड़िया, उतना ही सरल है जितनी गंगा की निर्मल धारा।"[3] प्राचीन काल से संचित मानवीय मूल्यों का लगातार संवाहक लोक साहित्य ऐसे ही प्राकृतिक जीवन से उपजे विभिन्न प्रकार के तीज–त्योहारों का आलंबन ग्रहण करते हुए संस्कृति के रुप में उद्भाशित होती रही है तथा जिसमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के साथ प्रकृति संयोजित होती रही है। आदिवासियों की धारणा के अनुसार 'केंकड़ा, मछली और केंचुआ पृथ्वी से भी पहले के पूर्वज हैं। उन्हीं के सहयोग से पृथ्वी बनी ये सभी पूर्वजों के प्रतीक है।"[5] कई

आदिवासी समूह, अपने गोत्र, का संबंध कई जीव जंतुओं से जोड़ते हैं और इनकी रक्षा अपना धर्म मानते हैं। जैसे– लिंड केंचुआ, मिंज–मछली, कच्छप–कछुआ, हम्ब्रम–धान, हाँसदा–सिंदवार, सवरिया–घास भूईयाँ–जमीन आदि।[4]

अतः हम इस निश्कर्श पर पहुँचते हैं कि जीवन के संघर्श में आदिवासियों ने प्राकृतिक से समाजस्य स्थापित कर इसे प्रत्येक संस्कार और संस्कृति में स्थान देकर तथा प्रकृति के अनुकूल होकर जीवन–निर्वाह में सफलता प्राप्त की है।

संदर्भ

1. आदिधरम् लो० रामदयाल मुण्डा, रतन सिंह मानकी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ०–18
2. बाँसुरी बज रही– ले० जगदीश त्रिगुणायत, बिहार राश्ट्रभाषा परिशद् पटना, पृ०–6
3. आजकल–संपादकीय, जुलाई–1993, पृ०–3
4. दी बिरहोर, ले०एस०सी० राय, पृ०–131

''सभ्यता'' और ''संस्कृति'' : भक्ति आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में

*राजेश कुमार विश्वकर्मा**

'सभ्यता' तथा 'संस्कृति' मानव जीवन में अतिप्रचलित शब्द है। इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। साधारण अर्थों में ये शब्द मानव तथा मानव समूहों की उपलब्धियों की ओर इंगित करते हैं। किसी व्यक्ति या समूह को सभ्य कहते समय हमारा भाव प्रशंसामूलक होता है, अर्थात् हम यह प्रकट करते हैं कि उसकी जीवन परिस्थितियाँ और उपलब्धियाँ स्तुत्य है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कतिपय विद्वानों ने संस्कृति तथा सभ्यता को दो पृथक धारणाओं के रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। उन्होंने दार्शनिक आधार पर माना कि संस्कृति का सम्बन्ध शिष्टाचार तथा मस्तिष्क के प्रशिक्षण से है तथा सभ्यता का सम्बन्ध कला तथा विज्ञान की विकसित व्यवस्था से है। समाजशास्त्रीय आधार पर संस्कृति का सम्बन्ध सामाजिक जीवन के विचारात्मक पक्ष से है और सभ्यता का सम्बन्ध विशेषतः भौतिक पक्ष से है।[1] मानव समाज का सही रूप समझने के लिए सभ्यता और संस्कृति दोनों को ही समझना आवश्यक है। दोनो ही मानव जीवन के अनुभवों की प्रणाली है।

सभ्यता :–

प्राचीन काल से ही मानव अपनी कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करता आ रहा है और परिणामस्वरूप उसने अपने जीवन को सहज बनाने के लिए कई आविष्कार किये और नये–नये उपकरण बनाये। ये उपकरण ही आवश्यकता की पूर्ति के साधन से उसे सभ्य बनाते हैं। उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। अतः सभ्यता का अर्थ उन समस्त साधनों या उपकरणों से है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं को पूरा तो नहीं करते किन्तु जिनके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आधुनिक युग में स्कूटर, कार, फोन, मोबाइल, कम्प्यूटर इत्यादि ऐसे ही उपयोगी उपकरण है जो हमारी सभ्यता का अंग है। ये आधुनिक मानव के उद्देश्य प्राप्ति के स्वीकृत साधन है। सभ्यता को परिभाषित करते हुए 'मैकाइवर एवं पेज' ने लिखा है कि– ''मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है उसे सभ्यता कहते हैं।''[2] अतः कह सकते हैं कि सभ्यता का सम्बन्ध केवल सामाजिक संगठनों से ही नहीं वरन् वाह्य उपकरणें से है। ये उपकरण सामाजिक विरासत के रूप में हमारे समाज में है तथा इनका रूप मूर्त है।

सभ्यता से तात्पर्य इन सब कला–कौशल के तंत्र और तरीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी मौलिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करता है। जिनके द्वारा मनुष्य अपनी परिस्थितियों को इस प्रकार नियंत्रित और परिवर्तित करता है कि वह अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रतापूर्वक रहने की सुविधा जुटा सके। सभ्यता मानव क्रिया कलापों से उत्पन्न होने वाली उन वस्तुओं का नाम है जो मनुष्य की सुरक्षा और स्वतंत्रता का कारण होती है। कला–कौशल, भौतिक सामग्री और संस्थाएँ जो सभ्यता का निर्माण करती है, मनुष्य की स्वतंत्रता व सुरक्षा का कारण बनती है। इस स्वतंत्रता का सम्बन्ध भौतिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की स्थितियों से हो सकता है। सभ्यता का निर्माण करके मनुष्य ने जीवित रहने की कठिन क्रिया को रोचक रूप तथा सम्पूर्ण बना लिया है और उन आवश्यकताओं को जो उसके कष्ट का कारण थी, आनन्द तथा रस का स्रोत बना डाला है।[3]

संस्कृति :–

संस्कृति मानव समाज की सबसे बड़ी धरोहर है। यह एक वातावरण है जिसमें जीवन व्यतीत करते हुए मानव एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। यदि मानव को उसकी संस्कृति से

---

* **शोध छात्र हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी**

अलग कर दिया जाय तो वह मात्र एक पशु ही है। वस्तुतः संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की समग्रता है। मनुष्य में कुछ ऐसी जैविकीय विशेषताएँ हैं जो मानव संस्कृति को सम्भव बनाती है। उदाहरण स्वरूप मानव में सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, हाथों को चारों ओर आसानी से घुमा सकने की क्षमता, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी उंगलियों से उठा लेने की क्षमता, केन्द्रित की जाने वाली दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क एवं वाणी की प्रमुख विशेषता आदि जिनके द्वारा मानव अपने विचारों एवं अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित कर सकता है। मानव जैसे–जैसे सभ्यता की ओर उन्मुख हो रहा है, तद्नुसार उसके ज्ञान में दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है और मनुष्य का जीवन भौगोलिक पर्यावरण और आनुवंशिकता के प्रभाव से दूर होता जा रहा है। जितनी भी मानवीय शक्तियाँ हमें चारों ओर से प्रभावित करती है, उन्हीं की सम्पूर्ण व्यवस्था को 'संस्कृति' कहा जाता है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री हॉबेल ने भी इसी दृष्टि से संस्कृति को 'एक अनोखी मानव घटना' कहा है। ''यह संस्कृति ही है जो एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से, एक समूह को अन्य सभी समूहों से और एक समाज को दूसरे समाजों से पृथक करती है।''[4]

पार्सन्स महोदय ने माना है कि 'संस्कृति वह पर्यावरण है जो मानव क्रियाओं का निर्माण करने में आधारभूत है।[5] इस परिभाषा के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य ने अतीत में जो क्रियाएँ की है उन्हीं से संस्कृति की उत्पत्ति है और आगे होने वाली क्रियाओं से उसे स्थायित्व प्राप्त होता है।

दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि समाज के द्वारा संस्कृति का निर्धारण होता है और संस्कृति के द्वारा व्यक्ति का। 'संस्कृति' जीवन को परिमार्जित करने की एक प्रक्रिया है। नैतिक दृष्टि से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट लावेल ने संस्कृति को बहुत अच्छी तरह परिभाषित करते हुए लिखा है कि– ''संस्कृति उन सिद्धान्तों का निरूपण करती है जिनको समूह ने सत्य मान लिया हो।''[6]

कवियों की सांस्कृतिक विचारधारा :–

तुलसी ने न तो किसी सम्प्रदाय की स्थापना की और न ही किसी विशेष वेदान्त सिद्धान्त का प्रचार किया। वे भक्ति मार्ग के आचार्य थे और उनकी भक्ति मार्ग के तीन प्रमुख उद्देश्य थे–

1–प्राचीन हिन्दू सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना।

2–शूद्रों को अधिकार देने के साथ–साथ इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोकना।

3–भक्ति मार्ग के माध्यम से मोक्ष का सरल साधन उपलब्ध कराना।

उनका भक्ति मार्ग द्वैतपरक है किन्तु दार्शनिक दृष्टि से उनका झुकाव अद्वैत की ओर है।[7] तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका शताब्दियों से उत्तर भारत के लोक जीवन के मुख्य आध्यात्मिक सम्बल रहे हैं। साक्षर–निरक्षर, धनी–निर्धन, नागर–गँवार आदि समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उनकी कृतियाँ वेदों की भाँति पूजी जाती रही है। दुख में उनकी पंक्तियों का सहारा लेकर वे हृदय का भार हल्का करते हैं। सुख में उन्हें दुहराकर द्विगुणित उत्साह के साथ कर्मक्षेत्र में उतरने की प्रेरणा करते हैं।[8]

तुलसीदास ने एक कुशल नेता के सदृश एक ऐसे आदर्श लौकिक जीवन का चित्र रामचरितमानस के रूप में जनता के सम्मुख रखा जिससे मृतप्राय जाति के प्राणों में एक नवीन एवं अपूर्व स्फूर्ति का संचार कर दिया। तुलसी ने राम की भक्ति के आधार पर जीवन के व्यापक क्षेत्रों मे ंजागृति उत्पन्न कर दी। वे तत्कालीन जाति की पतवार सम्भालने वाले कुशल नाविक थे जो विदेशी शासन के कारण उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रवाह में भी जाति की नैया को नचाते हुए किनारे तक लाने में सफल हुए। वे युग प्रवर्तक थे। भक्त शिरोमणि थे, राजनीतिविशारद थे। तुलसी की सभी रचनाओं में भाव वैविध्य है। उनकी भक्ति भावना मूलतः लोकसंग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। उन्होंने नाथ पंथियों के प्रभाव से नष्ट होती हुई जनमानस की विश्वासमयी रागात्मक वृत्तियों को रामभक्ति के माध्यम से पुनः पल्लवित किया

तथा दूसरी ओर राम के जीवन के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनैतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्शों को प्रस्तुत कर तत्कालीन विश्रृंखलित हिन्दू समाज को केन्द्रित किया। उन्होंने मर्यादा पुरूषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौन्दर्य से मण्डित अद्‌भुत रूप का गुणगान करते हुए लोकमंगल की साधनावस्था के पथ को प्रशस्त किया। तुलसीदास की भक्ति भावना में समन्वयवाद स्पष्ट परिलक्षित होता है। उन्होंने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त दिखाकर वैष्णव एवं शैव सम्प्रदायों को एक ही भाव भूमि पर लाने का सफल प्रयास किया।

सूरदास के समय में सल्तनत काल के बादशाहों ने राजा का संचालन तलवार तथा धार्मिक आज्ञाओं के बल पर किया। इनका ध्येय राज्य प्रसार तो था ही उसके साथ ही इस्लाम का प्रचार भी उनका प्रमुख ध्येय था। इस्लाम धर्म के प्रचारकों को राजकीय सहायता मिलती थी। इधर हिन्दू समाज अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खोकर अपना धर्म और अपनी सभ्यता बचाने के लिए अंदर ही अंदर आंदोलित थे। मुसलमान काल के धार्मिक आंदोलनों के प्रतिफल में प्राप्त ग्रंथों में सूफियों को छोड़कर धार्मिक मतों एवं पंथों का खण्डन–मण्डन तो अवश्य है किन्तु खुलकर इस्लाम धर्म के विरूद्ध एक भी शब्द नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सम्भवतः आचार्य और पंडितों को राजदण्ड का भय था। इस्लाम तथा भारतीय धर्मों के पारस्परिक भेदभाव के बीच अष्टछाप के पूर्व कुछ ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने इन धर्मो की कड़ी आलोचना तो की ही साथ में दोनों की प्रतिक्रिया के रूप में जैन, शैव, वैष्णव, ज्ञानी, योग एवं मायावाद आदि मतों के भक्ति आंदोलनों के प्रबल रूप धारण किया और अकबर के शासनकाल में अनुकूल वातावरण होने पर इस भक्ति आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप धारण किया।

सूर ने भी अपने आराध्य देव श्रीकृष्ण को समदर्शी बतलाकर तत्कालीन समाज को एक सूत्र में बांधने की चेष्टा की। उन्होंने जाति पाति को भक्ति मार्ग में कोई स्थान नहीं दिया। सूर ने भक्ति के माध्यम से जाति–पॉति का विरोध किया। उन्होंने जनता को क्रान्तिकारी उपदेश दिया तथा यह बताने की चेष्टा की है कि भगवान की दृष्टि में सब जीवन बराबर है। सभी में भगवान का समान अंश हैं परमानन्द दास जी ब्राह्मण की श्रेष्ठता विप्रकुल में जनम लेना नहीं मानते। उनके अनुसार जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है तथा भगवान के भजन में लीन रहता है वहीं व्यक्ति कुलीन है। चाहे धनी हो या निर्धन, राजा हो या रंक, हिन्दू हो या मुसलमान सभी मनुष्य ही है। सभी एक ही मिट्‌टी के बने हैं तथा सभी को एक ही जगह जाना है तो उसमें भेद कैसा।[9]

कबीर की सांस्कृतिक विचारधारा जीवन के अत्यन्त निकट है। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति और यथार्थ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है–''मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद् की लेखी'' वे जन्म से विद्रोही प्रकृति से समाज सुधारक कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकतानुसार कवि थे। उन्होंने मोह–माया, पूजा–पाठ, कर्मकाण्ड इत्यादि का घोर विरोध किया है। भक्ति के द्वारा इस संसार से मुक्ति पा जाना ही उनका लक्ष्य होना चाहिए। भक्ति के मार्ग में माया बाधाएँ उपस्थित करती है। कबीरदास के मतानुसार मनुष्य को कनक, कामिनी, मद्य, मांस आदि से दूर रहना चाहिए क्योंकि इन्हीं के द्वारा माया मनुष्य की अपने आपमें आबद्ध कर लेती है। कबीर ने कहा है कि मनुष्य को सत्य, क्षमा, दया आदि गुण अपनाना चाहिए, सत्य को उन्होंने ब्रह्म का ही रूप माना है।[10]

ऐतिहासिक कथा लोक कथानक को सूफी कवियों ने जिस तरह एक नया आयाम दिया, उससे उनकी धर्म निरपेक्षता तथा मानवीय प्रेम सर्वोपरि होकर उभरता है। जायसी के पद्‌मावत में जिस प्रकार प्रेम की पीड़ा उद्वेलित होती है, उससे यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि सभी मनुष्य जिस अदृश्य की सन्तान है, लौकिक धरातल पर भी उससे प्रेम को चरितार्थ किया जा सकता है। यह प्रेम ही है जो सामाजिक समरसता बनाये रखने में कारगर हो सकता है। जायसी की प्रासंगिकता भी यहीं है। इसीलिए डॉ0 विजयदेव नारायण शाही ने उन्हें हिन्दी का

प्रथम मौलिक कवि माना है और सूफीजन से हटकर उनकी प्रेम व्यंजना को मानवीय लौकिक धरातल देने का सार्थक प्रयास किया।

जायसी की ग्रामीण दृष्टि ने बारहमासों के पारम्परित रूप में बड़ी ताजगी ला दी है। उन्होंने प्रकृति तथा सामाजिक जीवन के निरीक्षण के क्रम में अपने को एकदम उन्हीं वर्णनों तक सीमित नहीं रखा जो प्रायः बारहमासों में मिलते चले आ रहे हैं, कहीं–कहीं उनका निरीक्षण लोकजीवन की बड़ी यथार्थ झाँकियों को सामने लाया है। लोकजीवन के हर्ष, उल्लास, अवसाद तथा उनकी पैनी दृष्टि तथा संवेदनशील ह्रदय का अनोखा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यदि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना कर अवधी भाषा को गौरव दिया है, सूर ब्रज के लोक जीवन की निधि के उद्घाटन के लिए स्मरणीय है तो जायसी अवधी भाषा के शीर्षस्थ कवियों में अपनी लोकजीवन की खरी पहचान के नाते याद किये जायेंगे।

संदर्भ :–

1- T.B. Bottomeor, Sociology, P.P 122-29.
2. Mac Iver and Page, Society P. 408
3. देवराज, संस्कृति : दार्शनिक विवेचन, पृ0 564
4- Robert Bierstedt, The Social Order P. 137
5. Talcott Parsons, The social Systems (1951)
6. Culture is related with enjoyment of things the world has agreed are beautiful, interest in the knowledge the mankind has found valuade comprehension of the Principles that the race has qeecpted as true. -A Lawrence Howell.
7. डॉ0 भण्डारकर, वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत, पृ0 85
8. डॉ0 भगवती प्रसाद सिंह, रामकाव्यधारा, अनुसंधान एवं चिन्तन, पृ0 232
9. कबीर वाणी, पद 141
10. माया के झक जग जरै, कनक कामिनी लागि। कहैं कबीर कस बाचिहै, रूई लपेटि आगि।। कबीर ग्रंथावली, पृ0 35

छात्रों के विकास में शिक्षा का योगदान

*पूनम कुमारी**

शिक्षा अतिप्राचीन काल से मानव सभ्यता को आधार सामाजिक परिवर्तन को दिशा एवं विकास को गति प्रदान करता आ रहा है। एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा मानव शक्तिकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का संशोधन इस रूप में किया जाता है कि वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान करता हुआ स्वयं को सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित कर सकें।

दूसरे शब्दों में, शिक्षा मानव जीवन के विकास का सर्वोत्तम श्रोत है जो अतिप्राचीन काल से विकसित है, यह व्यक्ति को सुखद जीवन प्रदान करने उचित मार्गदर्शन करने के साथ–साथ जीवन के रहस्यों को समझने एवं मूल्यों की स्थापना करने में सहायक रही है। इस संदर्भ में कृष्णमूर्ति की परिभाषा महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने स्वयं की समझ को शिक्षा का प्रारंभ एवं अन्त माना है।

"To understand life is to understand our self and that is both the begining and the end of education"

शिक्षा जीवन के आरंभ से अन्त तक चलने वाली वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति का सर्वागीण विकास (बौद्धिक शारीरिक नैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक) सभी क्षेत्रों में कर उसका उत्तरोतर सामंजस्य स्थापित करता है, जहाँ शिक्षा के चार आधार स्पष्ट रूप से दिखाई देते है। शिक्षा व्यक्ति के विचारों को सुविकसित और उदार बनाती है। शिक्षा व्यक्ति के लिए संसार को अपेक्षाकृत अधिक सौन्दर्य, वैविध्य, सहानुभूति तथा समझ–बुझ से देखने के आयाम का अवलम्ब प्रस्तुत करती है।

भारतीय इतिहास से वर्ष 1937 में प्रान्त के उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बाद शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हुए, जिनमें महात्मा गाँधी की वर्धा शिक्षा योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण थी। महात्मा गाँधी की स्पष्ट सोच थी कि जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता, तब तक इस देश को गुलामी की जंजीर से मुक्ति संभव नहीं है। उस समय अँग्रेजी पढ़े–लिखे युवक अपनी सभ्यता और संस्कृति को भुलाकर भारतीय वेश–भूषा, रीति–रिवाज तथा परम्परा पर व्यंग्य करते थे, जिसे महात्मा गाँधी नें समझ लिया, तथा उसकी समाप्ति का संकल्प लिया। उन्हें यह अहसास हो गया था कि ये नशा जो इन युवकों पर है, वह विदेशी शिक्षा के ही प्रभाव ही कारण है, जिसे भारतीय ढंग पर मातृभाषा द्वारा ऐसे शिक्षित युवकों को तैयार करना होगा, जो इस वंदिनी भारत माँ को बधनमुक्त कर सके। उनका कहना था कि –

साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, और न प्रारंभ ही है। यह तो सिर्फ एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री शिक्षित किए जा सकते हैं। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं इन बालकों की शिक्षा किसी लाभदायक हस्तकला के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैं प्रत्येक स्कूल को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ।[1] इसीक्रम में 22.23 अक्टूबर 1937 को एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो बर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस सम्मेलन का सभापतित्व महात्मा गाँधी ने ही किया था। इसके संयोजक श्री मन्नारायण अग्रवाल थे। इस सम्मेलन में देश के प्रमुख शिक्षाविदों ने भाग लिया था। सभापति के रूप में गाँधी जी ने अपनी विस्तृत योजनाओं को प्रस्तुत किया। उनके बाद जामिया मिलिया के तत्कालीन प्राचार्य डॉ0 जाकिर हुसैन तथा प्रो0 के0 टी0 साह आदि विद्वानों ने उनका समर्थन किया। आचार्य बिनोवाभावे काका कालेलकर, महादेव देसाई तथा रविशंकर शुक्ल आदि विद्वानों ने भी गाँधीजी के विचार का समर्थन किया। इस सम्मेलन में मुख्यतः चार प्रस्ताव पारित किए गये –

1. भारत वर्ष के सभी बालिकाओं के लिए जिनकी आयु 7 वर्ष तक की हो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाय।
3. शिक्षा किसी उत्पादक हस्तकार्य को केन्द्र मानकर ही दी जाय। हस्तकार्य ऐसा हो जिसका सम्बन्ध बालक के वातावरण से हो।[2]

* **प्ताः–सतीश चनद्र प्रसाद, ग्राम–मेहद्मारपट्टी (वाô –11), पो0–बीरपुर, थाना– बासोपट्टी, जिला–मधुबनी**

4.अध्यापकों को वेतन बालकों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं से निकलनें लगेगा। बेसिक शिक्षा के प्रमुख तत्त्व %& Basic education is the natural Type of education. A teacher will not try to lecture to the boys. The teacher will really try to impart education through, physical social and economic environment. Whatever the boy learns or says or does will be in touch with realities.

बेसिक शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बुनियादी हस्तकार्य होता है। इस तरह बालक के वास्तविक जीवन से इस शिक्षा को जोड़ दिया जाता है, जिससे इसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। उसके मस्तिष्क के साथ ही हाथ भी दक्ष होते हैं। मात्र बौद्धिक शिक्षा से बौद्धिकता एवं हस्तकला के साथ रचनात्मकशक्ति का विकास होता है।

इस शिक्षा से बालकों में नागरिकता के गुणों का यथोचित विकास होता है। इसके माध्यम से उनमें पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता त्याग, स्नेह तथा प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। जब बालक अपने हाथ से किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसके अन्दर आत्म गौरव तथा आत्मविश्वास उभड़ता है, और वही आत्मविश्वास आगे चलकर उसे मजबूती प्रदान करता है। इसके माध्यम से बालकों के अन्दर स्वाबलम्बन की भावना आएगी। उसके हाथ की बनी बाजार में बिकने या सरकार द्वारा खरीदने पर 'हम भी ऐसा कर सकते हैं' कि भावना स्वतः जगेगी, और उसमें स्वाबलम्बन की भावना के साथ पूरे राष्ट्र में आत्म विश्वास उत्पन्न होगा। किसी भी देश की उन्नति के लिए आत्म विश्वास का होना आवश्यक है।[4]

उनके द्वारा बनाए गए सामानों की विक्री से शिक्षकों को वेतन मिलेगा, तो उन बालकों में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अपने भावी जीवन में हम भी कुछ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्राप्ति के बाद बेरोजगार नहीं रह सकेगे। वे पूर्व से ही अपने हस्तकार्य से जीविकोपार्जन के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।

वेसिक शिक्षा योजना विषय तथा शिक्षक की अपेक्षा बालक को अधिक प्रधानता देती है । बालकों के व्यक्तित्व विकास तथा भावीजीवन के लिए तैयार करना ही इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। उसके पथ प्रदर्शन के लिए शिक्षक उसके साथ हमेशा तत्पर रहते हैं।

इस शिक्षा में बालक निष्क्रिय श्रोता न रहकर स्वयं क्रिया का समापन करता है। कठिनाई आने पर शिक्षक उसे दूर करते हैं।

बाल मनोविज्ञान को मद्देनजर रखते हुए इस शिक्षा को विकसित किया गया था। इसके द्वारा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान न देकर उनके व्यक्तित्त्व का सर्वांगीण विकास करना है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने भी क्रिया द्वारा शिक्षा पर अधिक बल दिया है। इससे उनमें शिक्षा के साथ–साथ रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। वे सिर्फ मौखिक शिक्षा ही नहीं प्राप्त करते अपितु अपने हाथ से कार्य भी करते हैं। इस तरह उनके मस्तिष्क के विकास के साथ–साथ शारीरिक विकास भी उचित रूप से होता रहता है। [6]

इन स्कूलों में बालकों एवं शिक्षकों को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। चूँकि इसका मुख्य उद्देश्य आत्मक्रिया द्वारा बालक का विकास करना है, अतः इसमें बालकों को अपने कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमं बालकों की रूचि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।[7] जब हम किसी बालक को अरूचिवाले कार्य की ओर बाध्य करते हैं तो वह अपने आपको स्वतंत्र नहीं समझता, किन्तु जब इसक विपरीत उसकी रूचि के अनुरूप कार्य करने को मिलता है, तो वह अपने स्वतंत्र पाता है। बालकों को स्वतंत्र रहने के साथ शिक्षक की स्वतंत्र अनुभव करते हैं। पदाधिकारियों द्वारा बनाये गए पाठ्यक्रमों में बदलाव की उनमें स्वतंत्रता रहती है। शिक्षकों द्वारा बालकों को पास करने ही नहीं बल्कि उसकी रचनात्मक प्रवृति को विकसित करना होता है। वही बालक बाद में दब्बू न बनकर एक सफल वैतनिक कर्मचारी या अधिकारी बनता है और राष्ट्र के निर्माण में भावी कर्णधारों का निर्माण करता है।

इस प्रकार हम देखते है कि बेसिक शिक्षा के माध्यम से बालकों में आत्म निर्भरता, स्वावलम्बन, सहयोग तथा देश के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावनाएँ पनपती है। अपने यहाँ शिक्षा का उद्देश्य मात्र परीक्षा में उत्तीर्णता को लेकर होता है उस समय बेसिक शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। इसमें बालकों को स्वतंत्रता प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक और मानसिक इन दोनों रूपों का विकस हो सकता है।

स्रोत सन्दर्भ

1. महात्मा गाँधी – हरिजन पत्रिका जुलाई 1937.
2. श्री मननारायण – बेसिक एण्ड सोशल एजुकेशन 1956. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया।
3. एन एड्रेस टु दि नेशनल इन्स्टीच्युट ऑफ बेसिक एजुकेशन नई दिल्ली 1959.
4. चन्द्रिका प्र0 वर्मा – भारतीय शिक्षा का इतिहा, मालवीय प्रकाशन वेस्ट नया गाँव लखनऊ 1960. पृ0– 157
5. चन्द्रिका प्र0 वर्मा – भारतीय शिक्षा का इतिहा, मालवीय प्रकाशन वेस्ट नया गाँव लखनऊ 1960. पृ0– 157
6. चन्द्रिका प्र0 वर्मा – भारतीय शिक्षा का इतिहा, मालवीय प्रकाशन वेस्ट नया गाँव लखनऊ 1960. पृ0– 157
7. चन्द्रिका प्र0 वर्मा – भारतीय शिक्षा का इतिहा, मालवीय प्रकाशन वेस्ट नया गाँव लखनऊ 1960. पृ0– 158–159

चन्द्रकांत देवताले की साठोत्तरी कविताओं में सामाजिक चिंतन

*बरखा जायसवाल**

''साठ के आस–पास केवल हिन्दी में ही नहीं दूसरी भारतीय भाषाओं की कविताओं में भी ऐसी प्रवृत्तियाँ विकसित हुई थी। तेलगू में इस प्रवृत्ति के कवियों ने अपने को 'दिगम्बर पीढ़ी' का कवि कहा तो बांग्ला में 'भूखी पीढ़ी' सामने आयी। इस तरह यह अखिल भारतीय प्रवृत्ति प्रतीत होती है। काव्य दृष्टि से इस बदलाव के पीछे एक विशेष प्रकार की सामाजिक दृष्टि थी जो सम्भ्रान्तता और शालीनता की चादर के नीचे झूठ की अश्लीलता छिपाने वाले भद्रलोग की असलियत को सामने लाने में दिलचस्पी रखती थी और कविता को अपने इस प्रयोजन का माध्यम समझती थी। वह जीवन और कविता दोनों में पहले से प्रचलित और स्वीकृति सभ्यता के व्याकरण को अस्वीकार करती थी।''

–मैनेजर पाण्डेय

साठोत्तरी का अर्थ–

साठोत्तरी हिन्दी कविता का अर्थ – **सन् 1960 के बाद की कविता।** हिन्दी कवियों ने हिन्दी की साठोत्तरी कविता को पूर्ववती कविता से अलग एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में चिन्हित किया है। इस अर्थ में केवल 20वीं सदी के चार दशकों को बल्कि 21वीं सदी की कविताएं भी साठोत्तरी कविता कही जा सकती है। सन् 1960 के बाद के काव्य सृजन को 'साठोत्तरी' कविता नाम दे दिया गया।

साठोत्तरी कविता का संकलन कानपुर से सलिल गुप्त के सम्पादन में निकला। इसमें सुरेश सलिल बैजनाथ गुप्त, ललित जी, चन्द्रेश गुप्त और जीवन शुक्ल की कविताएं संकलित हैं। इस संकलन में कविता के साथ कवि का परिचय और वक्तव्य भी प्रकाशित किया गया। सलिल गुप्त ने साठोत्तरी कविता की चेतना को स्पष्ट करते हुए बताया है कि साठोत्तरी का कवि अभिव्यक्ति के ढंग पर नहीं बल्कि कथ्य की अधिकाधिक सम्प्रेषणीयता पर विश्वास करता है। उनका कथ्य आत्म–चेतन अथवा सेक्स न होकर आत्म विस्फोट है जिसका जन्म दमन, नगण्य और नकारने जैसे शब्दों का प्रयोग करने के साथ हुआ। इन कवियों का 'मैं' वैयक्तिक न होकर साठोत्तरी पीढ़ी का सामूहिक है। उनके अनुसार–''**जब प्रयोगवाद, नई कवतिा, नई समसामयिक परिस्थितियों के समक्ष 'आउट ऑफ डेट' हो गई, तब नई पीढ़ी सामने आई और साठोत्तरी कविता का जन्म हुआ।''**

काव्य/कविता का अर्थ–

काव्य, कविता या पद्य 'साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी 'कहानी' या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य को कला की सीमा कहा गया है–'**कलासीमा काव्यम।'** धन्य है वे कवि जिनका यश आज भी अजर और अमर है, साथ ही काव्य के मर्म को जानने वाले वे काव्य मर्मज्ञ भी श्रद्धा के पात्र हैं जिन्होंने काव्य के विविधि अंगों की पहचान एवं उसके अविकल स्परूप का निरूपण किया। कविता के विषय में अनेक कवियों के मत अलग–अलग हैं किन्तु भाव एक ही है। शुक्ल जी 'जीवन की अनुभूति' को कविता मानते हैं तो प्रसाद जी 'सत्य की अनुभूति को। वास्तव में तो कविता वह है जो हृदय की मुक्ति की साधन के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है। कविता मनुष्य को स्वार्थ सम्बन्धों के संकुचित घेरे से कही अधिक ऊपर ले जाती है और सृष्टि से रागात्मक सम्बन्ध जोड़ने में सहायक होती है। (कृष्णानन्द गुप्ता, कविता की परिभाषा)

***शोधार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**

चन्द्रकांत देवताले की साठोत्तरी कविताओं में सामाजिक चिंतन

समाज 'शब्द' संस्कृत के दो शब्द 'सम्' + 'अज' से बना है। सम् का अर्थ – एकत्र व एक साथ, अज का अर्थ – साथ रहना है। इसका अभिप्राय कि समाज में एक साथ रहने वाला समूह। और चिंतन का अर्थ है सोचना या विचारना। किसी सुने हुए, पढ़े हुए, देख हुए या विचारणीय विषय पर एकांत स्थान में बैठकर गम्भीर विचार या मनन करना चिंतन कहलाता है। चिंतन एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। सभी प्राणियों में सोचने, समझने एवं चिंतन करने की क्षमता होती है। कवि ही इस मृत्युलोक के देव रहे हैं जिन्होंने अपने साहित्य में सामाजिक चिंतन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर समाज की विभिन्न बुराईयों को कम किया है। इसमें साठोत्तरी कविता (आधुनिक काल) के वरिष्ठ कवि चन्द्रकान्त देवताले का नाम अग्रगण्य है।

चन्द्रकांत देवताले जी एक सामाजिक चिंतनशील कवि हैं। समाज में चल रही विभिन्न गतिविधियों को देखकर, चिंतनकर उसे साहित्य का रूप देने का कार्य बड़े ही मनोयोग से करते हैं। इनका समाज से जुड़ रहना और समाज का साहित्य में यथार्थ रूप से दिखायी देना कोई आश्चर्य की बात नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। देवताले की सम्पूर्ण काव्य यात्रा में मनुष्यता उस पर मंडराते खतरे तथा उसको बचाने की चिंता ही अनेकानेक रूपों व भंगिमाओं में व्यक्त होती रही है। उनकी काव्य प्रतिभा भी उन्हीं स्थलों पर अधिक दीप्त हुई है जहाँ समाज की मर्यादाओं व मनुष्यता को कुचलने या रौंदने की निर्मम कोशिश की गई।

हमारे देश को निर्धन माना जाता रहा है पर इसलिए नहीं कि यहां संसाधनों की कमी है। ऊर्जावान लोगों की कमी है या अवसरों की कमी है बल्कि इसलिए कि यहाँ सम्पन्नता कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित है और एक बड़ा समाज गरीबी व जहालत में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। निर्धनता का सबसे बड़ा व प्रत्यक्ष मापक है–भूख। लोग भूखों मरते रहते हैं और गोदामों में अनाज सड़ता रहता है। पता नहीं यह कैसी व्यवस्था है।

''सचमुच कहीं फुटपाथ पर लोग भूखों मरते हैं
यहाँ गोदामों में अनाज सड़ता है।''
(दीवारों पर खून से)

गरीबी व बदहाली के इस समय को देवताले ने अपने हृदय व दिमाग में ही नहीं रक्त व मज्जा में महसूस किया है। देश में गरीबी भयावह रूप में है और गरीब सप्ताह में एक–एक दिन गिनकर किसी तरह व्यतीत करता है। महीने का अंत जैसे–तैसे आ जाता है। उनके हक की रोटियाँ छीतने लोग उन्हें कैसे दिखाई दे या वे उनका प्रतिरोध कैसे करें। गरीबी के कारण सर्वाधिक दुःख भोगना पड़ता है–स्त्री और बच्चों को। वह आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती है क्योंकि भूख से बेहाल माँ अपने बच्चों को ऐसी स्थिति नहीं देख पाती है और वही माँ जो ममत्व से परिपूर्ण है निर्मम कार्य कर बैठती है।

''गोद और पेट में बच्चा लिए
कुएं में कूद गई है एक औरत
एक औरत बेटी को बेच रही है फकत–
पाँच रूपये में
पेट की आग बुझने वाली कभी नहीं
और दूसरी बिन आँखों वाली आग झुलसाती जाती रही है
मौत से भी दुरूस्त होता नहीं कुछ
फिर भी अनदेखा करती अपने उधेड़ पेट।''

(भूखण्ड तप रहा है प्र0–39)

औरतों या स्त्रियों के बारे में देवताले का साहित्य चिंतन समाज में एक दर्पण की तरह कार्य करता है। वे जिन स्त्रियों की चर्चा–परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं वह निराला की ही तरह

'तोड़ती पत्थर' के समान हैं। देवताले ने अपने चिंतन में स्त्रियों के कई रूप बताए हैं– एक वह स्त्री है जिसे चाहा गया और जो अब साथ है दूसरी वह जिससे प्रेम किया गया। जिसकी वजह से सुखद, त्रासद और सृजनात्मक तनाव पैदा हुए और तीसरी वह है जो समूची स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी प्रकार की औरतों के विषय में देवताले जो कविताएँ लिखते हैं वे विशिष्ट महत्व की हैं कहीं माँ के रूप में उसका अनिर्वचनीय त्याग है और कहीं स्तनपान कराके मनुष्य के अंदर दूध के झरने प्रवाहित करने और अपने स्पर्श से जीवन के अर्थ को उद्घाटित करने का कला–कौशल है। स्त्री का हृदय निष्कपट होता है, ममत्व से परिपूर्ण होता है, वह मायावी झरने के बौछार से पत्थर चेहरे को भी शिशुवत बना देती है–

"क्या तुम्हारे ही भीतर तो नहीं है
वह निष्कपट पानी का संगीत
जिस पर किसी भी चाकू की कोई खरोंच नहीं है ....
तुम्हारे आईने में मेरा यह चेहरा
कितना खुरदरा बेस्वाद और कभी
एकदम भय– 'विवर्ण लगता है
फिर तुम पहाड़ों से बुलाकर अपनी आवाज को
मायावी झरने की बौछार से
पारदर्शी और शिशुवत बना देती हो
एक पत्थर चेहरे के लिए
तुम इतना जीवन–रस कहाँ से ले आती हो।"

आम आदमी को उसके ठिकानों से बेदखल कर दिया जाता है–क्षण भर में। जबकि ताकतवर लोगों को उनके अवैध कब्जों को अनदेखा कर दिया जाता है। आज बड़ी कम्पनियाँ, पूँजीपति, भूमाफिया तथा विकास के नाम पर सरकारी एजेंसियाँ भी गरीब, पिछड़े व कमजोर लोगों को बेदखल करती जा रही है– इन सब का घोर विरोध करती हैं।–

'बीसवीं के पटाक्षेप के बाद भी धरती पर
कितनी जगह है खाली बसने–बसाने के लिए
फिर भी पुश्तैनी कब्जों को छोड़
घास–पात को निशाना बनाता है
हत्यारों का अंधा बुलडोजर
बसाने के बदले उजाड़ने की इस क्रूरता को
रचते हुए कितना कुछ टूट रहा है भीतर ही भीतर
और आस–पास की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।"

(कवि ने कहा प्र0–57)

देवताले साठोत्तरी कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन बच्चों को भी सम्बोधित करते हैं जो समाज में संघर्षों से जी रहे हैं। इन बच्चों में **'बालम ककड़ी बेचने वाली'** आदिवासी लड़की भी है। कहने का तात्पर्य है कि सुविधा–सम्पन्न थोड़े से बच्चे है तो जहालत में जी रहे करोड़ो बेबस, कुपोषित बच्चे भी देवताले की कविताओं में हैं।

देवताले बेसहारा और अनाथ बच्चों के रहन–सहन, उनके जीवकोपार्जन की विषमताओं के यथार्थ को बहुत सीधी भाषा में रूपायित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि समाज में जिसके पास जीवनयापन के जरूरी साधन हैं उनकी संख्या बहुत कम है और ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इनते विपन्न है जो अपने बच्चों को न अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और न उचित भोजन दे सकते हैं। थोड़े बच्चे हैं जिनके लिए बगीचा है, जो कोमल दूब पर दौड़ते हैं परन्तु असंख्य बच्चे हैं जिनकी जिन्दगी कीचड़ और धूल से पटी हुई है। वे एक रोटी के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, ढेर सारे बच्चे सार्वजनिक दीवारों पर अपशब्द लिखते हैं या बीड़ी के अद्धे टूटते या

होटलों में बर्तन माँजते हुए या बीस पैसे में भारी सामान ढोते हुए पुलिस वालों के डण्डे खाते हैं। ढेर सारी बच्चियों की भी यही दशा है, उनकी आँखों में छीन–छपटी, चीख रूदन, गिड़गिड़ाहट, हिंसा और अंधेरा है। ये सब देखकर सहज हृदय द्रवीभूत होगा, किन्तु वर्तमान में भावना शून्य मनुष्यों का बढ़ता बेअसर अपने आप में एक समस्या का रूप धारण करती दिखाई दे रही है–

थोड़े से बच्चों के लिए
एक बगीचा है
उनके पाव दूब पर दौड़ रहे हैं
असंख्या बच्चों के लिए
कीचड़–धूल और गन्दगी से पटी
गलियाँ है जिनमें वे
अपना भविष्य बीन रहे हैं
ढेर सारी बच्चे ....
उनके चहरे मेमनों की तरह दयनीय हैं
और उनके हाथों में पांवों की चमड़ी
हाथ और पाँव का साथ छोड़ रही हैं।।''

(लकड़बग्घा हंस प्र0–78–79)

अतः कह सकते हैं कि चन्द्रकान्त देवताले की साठोत्तरी कवितओं में विद्यमान संघर्ष चेतना के मूल में मार्क्सवादी दर्शन है। इनका चिंतन प्रतिबद्ध रचनाकार का चिंतन है। इनकी कविता अन्याय और अत्याचार के विरोध में खड़ी है। वह समाज की प्रगतिशील शक्तियों के संघर्ष से स्वयं को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। शक्ति के संगठन में विश्वास और अपने समय की सामाजिक समस्याओं के विषय में देवताले मौन नहीं रहते बल्कि निडर होकर लिखते हैं। देवताले साठोत्तरी कविता का एक दायरा सुनिश्चित नहीं करते, उसे साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र से जोड़कर उसका दायरा विस्तृत कर देते हैं। इनका सम्पूर्ण साहित्य समाज की नई–नई समस्याओं से जूझकर समाधान की पैरवी करता है। जब समाज का हर वर्ग समृद्धशाली होगा तभी तो समाज का विकास हर क्षेत्र में होगा जिसके लिए साहित्य समृद्ध होना चाहिए। देवताले का साहित्यिक चिंतन समाज के हर वर्ग–बच्चे, वृद्ध, मनुष्य, स्त्री, औरतें राजनीति सबको प्रभावित करता है और एक सही मार्ग की ओर उन्मुख करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1.मैनेजर पाण्डेय, मेरे साक्षा0, पृ0–23
2.साठोत्तरी कवतिा, सलिल गुप्त, प्र0––8
3.कविता की परिभाषा, कृष्णानन्द गुप्ता
4.दीवारों पर खून से, चन्द्रकान्त देवताले
5.भूखण्ड तप रहा है, चन्द्रकान्त देवताले, प्र0–29
6.कवि ने कहा, चन्द्रकान्त देवताले, प्र0–57
7.लकड़बग्घा हंस रहा है, चन्द्रकान्त देवताले, प्र0–78–79
8.आधुनिक कवि, विश्वम्भर 'मानव'– रामकिशोर शर्मा
9.चन्द्रकान्त देवताले की कविता में संवेदना और शिल्प, डॉ0 अनूप सिंह, प्र0–13–14

मृणाल पाण्डे के उपन्यास 'जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं'– में पारसी थियेटर का सामाजिक अनुशीलन

*आलोक कुमार तिवारी**

शोध–सार

हिन्दी की वरिष्ठ कथाकार और पत्रकार मृणाल पाण्डे अपने लेखन में समय तथा समाज के गम्भीर मासलों को लगातार उठाती रही हैं। भारतीय स्त्रियों के संघर्ष और जिजीविषा को भी वे इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखती–परखती रही हैं। यही कारण है कि स्त्री प्रश्न के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के बावजूद उनका लेखन स्त्री विमर्श के संकीर्ण दायरे में सिमटा हुआ नहीं है। वे अन्दर के पानियों का सपना देखती हैं, तो 'नारी वाद आन्दोलन की विडम्बना' को भी उजागर करती हैं। लेखिका ने राजनीति में 'महिला' सशक्तिकरण और 'पंचायती राज की महिला भागीदारी' जैसे बड़े सवालों के साथ–साथ कई छोटे–छोटे मामलों और प्रश्नों को भी उठाया गया है, जिनसे गुजरते हुए एक ऐसा 'हॉरर शो' पाठकों के सामने उपस्थित होता है, जिसमें पुरूष वादी समाज की नृशंसता में फँसी स्त्री की छटपटाहटों के कई रूप दिखलाई देते हैं। हमने सिर्फ पराजय ही नहीं, प्रतिकार की छटपटाहट भी सही है। करुणा के भीतर की बेचौनी को रेखांकित करना मृणाल पाण्डे के लेखन की खास विशेषता है।

शोध–प्रपत्र

एक पत्रकार के नाते वे हर छोटे बड़े सवाल को शिद्दत के साथ उठाती हैं, लेकिन अपने पात्रों को जड़ पदार्थ मानकर छोटा नहीं बनाती, बल्कि एक लेखिका के नाते संवेदना के स्तर पर उनसे जुड़ जाती हैं–यही चीज मृणाल पाण्डे को सबसे अलग और विशिष्ठ बनाती है। शुरुआत हुई थी हिन्दुस्थानी पारसी थियेटर से। थियेटर, जो यथार्थ से सामाजिक मुठभेड़ की अटूट प्रक्रिया की शायद सबसे आकर्षक स्थली है।

तीसरी घन्टी बजती, मखमली पर्दे धीमे–धीमे रोल होते हुए ऊपर उठने लगते, और साथ ही शुरु हो जाता 'चन्द्रावली नाटिका' का नेपथ्य संगीत। एक कमसिन फूलवाली के फूलों की टोकरी उठाए मंच पर अवतरण के साथ ही उसके कोकिल कंठ से ज्यों ही फूटता मशहूर 'हिट' गाना, 'दो फूल जानी ले लो...' तो प्रेक्षागृह की भीड़ (सभी पुरुष) को मानो पागलपन का दौरा पड़ जाता। फूलवाली के रोल में सैकड़ों मर्दों को शैदाई बना देनेवाला यह आर्टिस्ट था, लाहौर का एक कमसिन लड़का मास्टर वासी। अपनी लटक–झटक भरी चाल से नन्हे डगों से गाते–गाते मास्टर स्टेज को मापता था, तो सभागार में उपस्थित उसके प्रशंसकों में से कोई सीटी बजाता, कोई उसे हवाई चुम्बन फेंकता, और कोई 'वासी तू जिन्दा वासी'! (वासी तू जीता रहे) चिल्लाता हुआ भावनातिरेक से दामन चाक–चाक करता मूर्च्छित हो जा गिरता।

आज के लोग, दर्शकों को अपने धीरोदात्त या धीरललित पुरखों के ऐसे व्यवहार के ब्योरे भले ही अतिरंजनापूर्ण या शर्मनाक लगें, लेकिन आज भी हमारी फिल्में बिग बी से लेकर गोविन्दा या आमिर तक को 'लला तोहे नारि बनाए' का नाच नचा रही हैं। जस्सी या प्रीति जिन्टा जैसे सितारों का लगातार पीछा करने, उन्हें वक्त–बेवक्त ऊलजलूल फोन करने वाले पगलाए प्रशंसकों, और 'आंटी गोविन्दा' या मन्नो भाभी पर मर मिटनेवालों से वासी के तत्कालीन शैदाई में भी कोई खास फर्क नहीं थे।''1 मास्टर वासी के मंचीय 'स्त्रीत्व' का दायरा आज की

***शोध छात्र हिन्दी रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)**

अभिनेत्रियों से कुछ का फर्क भले रहा हो, लेकिन मौटे तौर से तब से आज तक भारत के किसी भी मंच या छोटे–बड़े पर्दों पर स्त्री की छवि सहज नहीं, बल्कि पुरुषों की पसन्द के आधार पर सायास ही गढ़ी जाती है। जिस मायने में औरतों का चित्रण भारत के कमर्शियल थियेटर या सिनेमा जगत में किया जाता रहा है, उस मायने में शायद कोई भी अभिनेत्री जन्मना 'औरत' नहीं होती। स्टेज या पर्दे पर स्त्री के रूप में स्वीकार्य वे तभी होती हैं जब पहले औरत के रूप में उन्हें गढ़ लिया जाता है।

पारसी थियेटर भारत में फिल्मों का पूर्वज था। लिहाजा सबसे पहले 'औरत' की सामाजिक रूप से प्रिय या अप्रिय छवि की ब्रांडिंग की वहीं शुरुआत हुई थी। कच्चा माल कमसिन लड़का हो या लड़की। और जब रुपहले पर्दे की दुनिया बनी, तो स्त्रियों के बारे में, अभिनय की औरताना शैली के बारे में जो मानसिकता पारसी थियेटर की थी, वही उसने भी अपनाई। और इसके तहत 'स्त्री' बनना सिर्फ चोली में चन्द रुमालों के गोले ठूँस लेना भर नहीं था।

कुछ बरस पहले जब मैं हिन्दुस्तानी पारसी थियेटर के उद्‌भव और विकास से जुड़ी सामग्री की खोज में जुटी थी, मेरी भेंट हुई मास्टर चम्पालाल से, जो अपने जमाने की एक मशहूर ट्रैवलिंग पारसी थियेटर कम्पनी के नाटकों में स्त्री पात्र का अभिनय करते रहे थे। हिन्दू–मुस्लिम 'सोशल' नाटकों से लेकर शेक्सपीयर के नाटकों के उर्दू रूपान्तरणों तक लगभग हर तरह के नाटकों में वे हिन्दू, मुस्लिम, यहूदी और अंग्रेज ललना बन चुके थे। उन्होंने मुझे सविस्तार बताया, कि कमसिन, लड़कों को कम्पनी के उस्तादों द्वारा किस तरह मंच पर एक आदर्श लड़की 'बनने' की श्रमसाध्य तालीम दी जाती थी। 'अब आपको क्या बताएँ मोहतरमा', वाचाल मास्टरजी ने स्त्रियोचित ढंग से कलाइयाँ लचकाते हुए कहा–''बस यूँ समझ लीजै कि हम तालीमयाफ्ता लौंडों की चाल–ढाल और उठना–बैठना इस कदर परफैक्ट हुआ किए था, कि बुर्का ओढ़ के भले खानदानों की बहू–बेटियाँ हमें इस्टेज पे देखते आती थीं, ताकि 'इस्तरी' होने की सही रीत–नीत समझ सकें।'' मास्टर चम्पालाल की यह बात विश्वसनीय है, क्योंकि मराठी नाटकों के इतिहास में भी एकाधिक बार इस बात का उल्लेख है, कि कैसे मंच पर स्त्रीत्व की विलक्षण प्रस्तुति करनेवाले बाल–गन्धर्व ने भी तत्कालीन महाराष्ट्र के भले घरों की महिलाओं के उठने–बैठने से लेकर नौगजी साड़ी बाँधने के ढंग तक पर एक बेहद गहरी छाप छोड़ी थी। स्टेज पर स्त्री बनकर आए इन अभिनेताओं की छवि के पीछे कोई स्त्रियों से जुड़ा या उनका विरोधी आन्दोलन नहीं था। हर स्त्री पात्र नाटककारों और निर्देशकों (जो हमेशा पुरुष ही रहे आए) के लिए कहीं उस उबाऊ, शब्दहीन अन्धकार को लाँघने की कोशिश था, जो असूर्यम्पश्या भारतीय औरत के चारों ओर सदियों से एक चीन की दीवार की तरह खिंचा रहा है।

हमारे सामाजिक इतिहास की इस जटिल व्यूह–रचना को समझना–सुलझाना बड़ा ही कठिन है, वह भी तब, जब आपकी पीठ पर एक बेतरह पुरलुत्फ, लोकप्रिय और रुमानी कथानक द्वारा भरपूर दर्शक और पैसा खींचने की बाध्यता सिन्दबाद के बूढ़े की तरह आपको हर पल कोंचे जा रही हो। स्मरणीय है कि खुद इन तमाम लेखकों के चारों ओर मध्यवर्ग और निम्नवर्ग के पुरुषों का वह नैराश्य, कुंठा, अवसाद, आत्मवंचना और आत्मपरस्ती भी मौजूद थे, जिनसे वे कभी भी पूरी तरह बरी नहीं हो पाते थे।''2 इसलिए कमर्शियल मंच और पर्दे पर हमें लगातार स्त्री की छवि के यथार्थ का आत्मस्वीकार कम और संहार और फिर (अपनी शर्तों पर) उसका पुनर्संयोजन करनेवाली एक अजीब ब्रह्मा–ग्रन्थि ही अधिक दिखाई देती है। इस लेखिका की राय में पुराने कमर्शियल थियेटर और फिल्मों का निर्मम तटस्थ विवेचन हमें सिर्फ अतीत के इतिहास से ही रू–ब–रू नहीं कराता, बल्कि वर्तमान की विसंगतियों के इतिहास के कई रहस्यों के प्रति एक नई दृष्टि भी देता है।

मास्टर चम्पालाल से जब मैं मिली, वे कोई सत्तर के पेटे में होंगे। मुनहना–सा जिस्म, पान से रंगे ओंठ, आँखों में सुरमे की हलकी रेखा और भँवों के नाटकीय उतार–चढ़ाव या आँखों

को विस्फारित कर नैन–सैन के बाण चलाकर गूढ़ या रसीले भेद बताना, और स्टेज की दुनिया के किसी अन्तरंग रहस्य की चर्चा करते वक्त काकु के मजेदार प्रयोग और गर्दन मटकाने की आदत सब वैसा ही था जैसा कस्बाती औरतों के बतियाते बैठे किसी भी झुंड में होता है। उनसे हुई बातचीत ने मेरे आगे स्त्रियों के 'निर्माण' की एक पूरी प्रक्रिया और आम परिवारों के मनोजगत से इस बहुरुपिया विश्व के विस्मयकारी और विविधरंगी रिश्तों का एक पूरा संसार धीमे–धीमे उजागर कर दिया। मास्टर चम्पालाल से उस्तादों की देखरेख में गढ़े गए उनके जनाना व्यक्तित्व के विकास की कहानी सुनना, मेरे लिए खुद अपने बचपन की अपनी अनुशासनप्रिय नानी और दर्जनों बुजुर्ग महिला रिश्तेदारों से जुड़ी यादों से गुजरना और उनके गूढ़ार्थ समझना था। नेति–नेति की निषेधात्मकता से जुड़ी ठीक जैसी हिदायतें और टोकाटाकी घर की बुजुर्ग स्त्रियों के हाथों में हमारी पीढ़ी को तथाकथित कुलीन सुन्दरता के फलक पर स्त्री बनाने का आजमूदा औजार थीं, लगभग वैसी ही हिदायतें मास्टर चम्पालाल और उनके संगी 'लौंडों' ने भी अपने उस्ताद से सुनी थीं। ''खबरदार ! बाल कभी न कटाना ! लम्बे रेशमी बाल ही तो औरतों का असली 'सिंगार' होते हैं।''

''जनानियों को मर्दों से भरसक दूर रहना चाहिए। स्टेज के अलावे अगर दोस्तों या घर के लड़कों से भी भेंट करनी हो, तो अपनी 'आडियंस' को पता न चलने दो, वर्ना 'बदनामी' हो जाएगी।'' ''कम्पनी जब सफर पर निकले तो तुम लोग मर्दों से अलग डिब्बे में ही बैठोगे ! ठिकाने पर पहुँचो तो भी तुम्हारा जो अलग तम्बू होगा उसी में रहोगे। दर्शकों की कितनी ही 'रिक्वैस्ट' आएँ, खबरदार, जो किसी को भी अपने तम्बू में न्योता ! मुस्कुरा के आदाब कर दो बस, और कह दो 'उन' से कि जी हमें परमीशन नहीं है 'विजिट' की !''

डांस और म्युजिक के उस्ताद चलने–फिरने उठने–बैठने के जो सलीके सिखाएँ, उनके पूरी तरह अपना लो। खबरदार जो लड़कों की तरह कभी पैर फैला के बैठे, दौड़े या उछले! शराब कतई नहीं पीना, और मसालेदार खाना नहीं खाना! उनसे चेहरे का 'नूर' बुझ जाता है, और तबीयत में 'गर्मी' और 'मर्दानगी' आ जाती है।''3

1920 के दशक के इस हिन्दुस्तान का समाज, जिसमें मास्टर चम्पालाल जैसे कमसिन लौंडों को महिला किरदार में तब्दील किया जा रहा था, घर से रंगमंच तक स्त्री–पुरुषों की चालढाल ही नहीं, उनकी भाषा और विचारों की भी अलहदगी सुनिश्चित करता था। भले घरों की बहू–बेटियाँ तब बेपर्दा होकर अपने घरों के दीवानखानों में भी नहीं जा सकती थीं, स्कूल–कॉलेज, गली–कूचे–बाजार की कौन कहे ! घरों के भीतर भी मर्दाने अलग होते थे, जहाँ समय–समय पर घर के मर्दों की महफिलें जमतीं और कभी–कभार उसमें 'वैसी' औरतें मुजरे को बुलवाई भी जाती थीं। पुरुषों के सन्दर्भ में यह सर्वस्वीकृत था, कि उनकी उद्दाम मर्दानगी सिर्फ घरेलू स्त्रियों के सहवास से तृप्त नहीं होती थी।

युवा औरतों ने भी 'वे' बीच–बीच में घरेलू स्त्रियों के सपाट घरेलूपन को हताश या असन्तुष्ट होकर एक दार्शनिक खोज की तहत 'क्षितिज के उस पार' से आ रही 'दूसरी किस्म' की स्त्रियों का मूल निमन्त्रण स्वीकार कर उनके पास चले जाएँगे, या अपने आरक्षित क्षेत्र में उन्हें बुलवा भेजेंगे, चुपचाप यह बात स्वीकार कर ली थी। और बड़ी–बूढ़ियाँ तो इस स्वैराचार को सगर्व अपने खानदान की हैसियत का प्रमाण मानती, बखानती थीं। घरेलू स्त्री की परिवार के सन्दर्भ में गढ़ी गई छवि से इतर खड़े इस 'दूसरे' यथार्थ का कम उम्र लड़कों के लिए भी एक दुर्निवार आकर्षण था। और यह उनसे घर और थियेटर फिल्म और कोठों के बीच का अन्तराल बार–बार लँघवाता रहता था। लेकिन आश्चर्य कि इन दूसरी किस्म की स्त्रियों के ग्लैमरम वाह्य जीवन के परे जाकर एक डेरेदार तवायफ या कम्पनी की बाई के मन के स्याह पानी और उसमें दफन हजार फनोंवाले उत्पीड़न का खौफनाक विस्तार छूने की कोई मानवीय उत्सुकता (एकाध भारतेन्दु, शरच्चन्द्र चटर्जी अथवा अमृतलाल नागर जैसे लेखकों को छोड़कर) शायद ही किसी पुरुष में नहीं व्यापती थी। आज भी डिजायनर सूटों, एथनिक कलफदार

धोतियों, कुर्तों, जड़ाऊ नगीनों और इत्र–फुलेल से मढ़े–मढ़ाए उन रुमानी सत्यशोधकों की नई पीढ़ियों का जमघट अपने असन्तुष्ट' मन समेत बदस्तूर इन स्त्रियों के पास कोठों, डांस बारों या मल्टीप्लैक्सों में सईसाँझ आता–जाता रहता है। पर वहाँ चन्द बासी डायलॉगों, नई पुरानी फिल्मों के खुश दास और रुमानी तेवरों तथा कामात्तेजक गानों की फुरहरी से कुछ समय के लिए तृप्त होकर वे सब भी अपने–अपने सुरक्षित घरों की तुलसी के पास ऊँघने को लौट जाते हैं। नया क्या है ?

नया यह है कि पहले के जमाने में घर की औरतों की इन महफिलों में मौजूदगी अकल्पनीय थी। आज ऐसा नहीं रहा। ऊँचे घरों की बड़े शहरों में रहने वाली पीढ़ी और नौकरी के सिलसिले में छोटे शहरों से वहाँ आ बसे युवाओं की एक बड़ी भीड़ के लिए न तो घरेलू स्त्रियों की दुनिया से थियेटर–नौटंकी की बाई लोग की दुनिया एकदम अलग रह गई है, और न ही शादी–ब्याह पूरी तरह से एक पारिवारिक जिम्मेदारी! तब समाज में शादी का सीधा अर्थ था वंश चलाने के लिए जायज सन्तान की उत्पत्ति। **''विवाहपूर्व पत्नी से रोमांस या विवाहत्तेर अपनी घरवाली से खुला बनाव–लगाव अच्छी नजर से नहीं देखे जाते थे। मैंने खुद अपने श्वसुर–कुल की बुजुर्ग महिलाओं से एक अधपगली महिला रिश्तेदार के बारे में सुना है, जो घर की युवा बहुओं द्वारा शाम को सिंगार–पटार करने पर बेतरह खफा हो उठती थीं–''कुछ तो उन 'दूसरियों' के लिए छोड़ो !''4** वे कहती थीं, 'घर–गिरस्तवालियों का', आँचल चिकना होवै है, 'उन' लोगों 'मूँ'। तुम लोग उनकी राह पकड़ोगी, तो उन बेचारियों की कमाई–धमाई का क्या होगा ?'' संयुक्त परिवारों की रेलमपेल और जिम्मेदारियों से भरे ऐसे माहौल में, कहना न होगा, कि अधिकतर विवाहित जोड़ों का संक्षिप्त परस्पर समागम रात के अँधेरों में ही सम्भव होता था ! अलगाव और अपरिचय के सायाम से निर्मित इसी माहौल में स्त्री और पुरुष दोनों से जुड़े मिथकों के कुकरमुत्तों की एक भारी फसल उगती चली गई। और भले घरों से लेकर थियेटर कम्पनियों की छोलदारियों तथा कोठों तक में, इन्हीं मिथकों के अनुरूप स्त्री–पुरुष व्यवहार के समाज स्वीकृत दायरे, तरीके और स्वरूप रचे, सिखाए और बखाने जाते थे। उस वक्त भी, जब बाहर स्वतन्त्रता आन्दोलन और औद्योगिक क्रान्ति की हवाएँ बह रही थीं, यह क्रम जारी रहा।

लिहाजा नई चेतना को समेटनेवाले कथानकों की जगह थियेटर में नाटकों के विषय पुराणों, मिथकों और परीकथाओं तक ही सिमटे रहे। इन नायकों को आज पढ़ने पर लगता है, कि उनकी चेतना बुनियादी तौर पर रुमानी ही है और यह भी, कि इन नाटकों के दिव्य, मिथकीय पात्र उस वक्त के ठोस यथार्थ और सन्दर्भों से बाहर निकलकर ही रचे गए थे। इन नाटकों में खासतौर से औरतों के किरदार लेखकों में गहरे सामाजिक अपरिचय से पैदा हुई मानसिकता के प्रतीक हैं। उनकी कथोपकथन की भाषा असहज, छवियाँ अस्पष्ट और पुरुष पात्रों से उनका व्यवहार यान्त्रिक है।

नाटक तत्कालीन भारतीय रूपजीवा स्त्री के अस्तित्व का वह असली द्वन्द्व भी अस्वीकार करते हैं, जिसे इन पात्रों का अभिनय करने वाली पेशेवर अभिनेत्रियाँ अपने निजी जीवन में झेलती थीं। युद्ध के जमाने में भी भारी तादाद में टिकट खरीदकर प्रेक्षागारों तक आनेवाले दर्शकों के लिए इन सबसे अगोचर–अगम्य–दुर्लभ था। यानी स्त्री–पुरुष प्रेम! जब तमंचा छूटता और पर्दा उठने पर नल–दमयन् या इन्दर और परियों के प्रेम के संगीतमय किस्से शुरु होते, तो एक चुम्बक की तरह थियेटर से उमड़ा चला आता नशा शहरों की आहालवृद्ध आबादी को खींचने लगता था। घर की बड़ी–बूढ़ियाँ गवाह हैं कि बूढ़े कट्टर लोग हजार डाँटते–पीटते रहे हों, पर युवाओं को उस वक्त भी मनोरंजन की इस गली तक उड़ जाने को मानो पंख लग जाते थे।''5 'भिश्ती तक मशकें बेचकर थियेटर के टिकट कटा लेते थे,'' मास्टर चम्पालाल ने भी मुझसे कहा। लेकिन स्मरणीय है, कि इन नाटकों का स्त्री–पुरुष प्रेम दो स्वाधीन और स्वाधीनताकामी पात्रों का जटिल और विरोधाभासमय प्रेम कभी नहीं बन पाया। अलबत्ता अभिनेत्रियों के निजी जीवन में वह कभी–कभी दिखाई देता रहा। इस पर आगे !

19वीं सदी खत्म होते–न–होते पारसी नाटक मंडलियों में चर्चा प्रबल हो गई थी, कि अभिनेत्रियों को इन घुमन्तू मंडलियों में लिया जाए या नहीं ? उन्हें लेने और नाटक में संगीत–नृत्य आइटम जोड़ने के सकारात्मक कमर्शियल परिणाम तब भी प्रबल थे, अतः विक्टोरिया मंडली जैसी नामी कम्पनी ने अपनी आशंकाओं को दरकिनार करके कुछ अभिनेत्रियों को गाने–नाचने के लिए अनुबन्धित करना तय किया, और यूँ मिस गौहर, मिस मलका और मिस फातमा जैसी रूपजीवाओं की एंट्री उर्दू–हिन्दी नाटकों में हुई। उधर न्यू आलफ्रेड नाटक मंडली के प्रसिद्ध निर्देशक सोराबाजी ओगरा जैसे लोग अभी भी मंच पर स्त्रियों के लाने के सख्त खिलाफ थे। उनके निर्देशन में स्त्री पात्रों का अभिनय अमृतलाल, नर्मदा शंकर, निसार और मोतीलाल जैसे 'तैयार' पुरुष ही करते रहे। सोराबाजी का समर्थन पारसी समाज सुधारक कैखुसरु काबराजी ने भी किया, जो मंच से इतर स्त्री–स्वतन्त्रता पर पारसियों के लोकप्रिय पत्र 'रास्त गोफ्तार' में लेखादि लिखते रहे थे।

अभिनेत्रियों के नृत्य–गान के जादू से कम्पनियों का धन्धा चमकने लगा, कम्पनी मालिकान और निर्देशकों के मन की दुविधा भी घट चली। कहते हैं दादाभाई पटेल वह साहसी निर्देशक था जो जोखिम उठाकर लतीफा बेगम और एक अन्य नर्तकी को हैदराबाद से ले आया। इन्दर सभा नाटक में लतीफा बेगम का नृत्य इतना मशहूर हुआ कि दर्शकों के ठट्ठ–के–ठट्ठ उमड़ने लगे। फिर सामाजिक यथार्थ रंग लाया, और एक दिन एक अनाम रसिक रईस लतीफा जान को रंगमंच की विंग से अपने ओवरकोट में छिपाकर फिटन में उड़ा ले गए और जनश्रुति के अनुसार, उन्हें अपने घर में डाल लिया। रईसी के आतंक से कम्पनी ने चूँ तक न की। और लतीफा भी मंच की रानी से पर्दे की रानी बनकर अलोप हो गईं। फिर मंच पर दो पंजाबी तवायफ बहनें–अमीरजान और मोतीजान उतारी गईं, जिनकी गायकी भी बड़ी चर्चित हुईं। लेकिन कुछ समय बाद अमीरजान का भी वही हश्र हुआ जो लतीफा बेगम का। एक रईस व्यापारी ने उनके साथ निकाह कर घर में बिठा लिया। मोतीजान भी इसके बाद कम्पनी छोड़ गई।

कुछ अभिनेत्रियों पर शोहरत और फितरत के चलते बुरी बीती। इनमें से एक मिस खातून, गौहरजान की बहन बताई जाती हैं। उनके एक ईर्ष्यालु आशिक ने उनका चेहरा चाकू से काट डाला। अस्पताल से मिस खातून कहाँ गईं, अज्ञात ही रहा। एक यहूदी मिस जमीला और एंग्लो–इंडियन लड़की मेरी फैंटन ने भी पारसी थियेटर में काम किया। मेरी फैंटन का आयरिश फौजी पिता दिल्ली में जादू के खेल दिखाता था। अपने पिता के साथ मेरी एक बार दिल्ली आई हुई जहाँगीर खम्वाटा की 'एम्प्रेस विक्टोरिया नाटक मंडली' में खेल दिखाने आई। वहाँ शो के दौरान कम्पनी अभिनेता कावसजी खटाऊ मेरी से मिले, और दोनों के बीच एक लम्बे रोमांस की शुरुआत हुई। कावसजी द्वारा प्रशिक्षित मेरी को उर्दू, हिन्दी, गुजराती भाषाएँ तो आ गईं, पर अभिनय में उसे नाम खास नहीं मिला। अन्ततः वह पारसी वेश में कावसुजी के साथ विवाह कर मेहरबाई बनी और स्टेज से रुखसत होकर गृहिणी बन गई।

ऐसे माहौल में 3 मई, 1913 को दादा साहब फाल्के की बनाई भारत की पहली मोशन फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' के कोरोनेशन थियेटर में रिलीज के साथ ही मनोरंजन के इतिहास और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता में एक भव्य दौर की शुरुआत हो गई। गौरतलब है कि अभिनेत्रियों को अनुबंन्धित करने से जुड़े जोखिम के मद्देनजर फिल्मों में भी शुरुआती दौर में स्त्रियों के रोल पुरुष पात्र ही कुछ दिनों तक करते रहे।

'राजा हरिश्चन्द्र' फिल्म में रानी तारामती का ट्रैजिक रोल एक कम उम्र रसोइए, सालुंके ने निभाया था, जो दादा साहब को एक रेस्तराँ में दिख गया था। रेस्तराँ में सालुंके का काम था खाना पकाने का और तनख्वाह थी पन्द्रह रुपए प्रतिमाह। कहते हैं दादा साहब, जो कैमरे के माध्यम को खूब समझते थे, और पर्दे पर यथासम्भव वास्तविकता दिखाने के पक्षधर थे, खुद भी स्त्री का रोल किसी लड़के को नहीं सौंपना चाहते थे।''6 लेकिन उन दिनों जब उत्तर भारत में

भले घर की महिलाओं का थियेटर जाना भी बेहद निन्दनीय माना जाता था, स्टेज या पर्दे पर अभिनय के लिए किसी 'भली' स्त्री का मिलना मुमकिन होता तो कैसे? तिस पर बदनाम गलियों की किसी बाई द्वारा रानी तारामती का रोल पर्दे पर प्रस्तुत करना भी शायद परम्परावादी दर्शकों को आसानी से गवारा न होता। फिर बाईयों के संरक्षकों को भी इसमें अपना अहित दिखने लगा था, कहते हैं, एक नाचनेवाली बाई अन्ततः फिल्मों में स्त्री पात्र बनने को राजी हो भी गई थी, लेकिन जब दादा साहब ने उसे प्रशिक्षण देना शुरू किया, तो उसके मालिक को खबर मिल गई, और वह उसे सेठ से जबरन वापस उठा ले गया। लिहाजा पन्द्रह रुपया प्रतिमाह पानेवाले सालुंके की लॉटरी खुल गई, और चलचित्र के प्रदर्शन के साथ ही किसी अनाम रेस्तराँ का यह अनाम–सा मुंडू रातोंरात भारतीय फिल्म जगत का पहला 'स्टार' बन गया। सालुंके की अभिनय क्षमता से दादा साहब इतने प्रभावित हुए, कि अपनी अगली फिल्म 'लंका दहन' में उन्होंने सालुंके से राम और सीता दोनों का रोल करवाया। विश्व सिनेमा के इतिहास में तब से आज तक यह एक दुर्लभ घटना है, जो भारत के अतिरिक्त कहीं घट भी नहीं सकती थी।

संदर्भ सूची

1–रस्तोगी ग्रीस, बीसवीं सदी का हिन्दी नाटक और रंगमंच, संस्करण 2015, पृ.71

2–शर्मा रामविलास, भारतेन्दु हरिश्चन्द और हिन्दी नवजागरण की समस्यायें, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2012, पृ.149

3–तनेजा जयदेव, आधुनिक कालीन भारतीय नाट्य विमर्श, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.73

4–जैन नेमीचन्द, आधुनिक हिन्दी नाटक एवं रंगमंच मैकमिलन, नई दिल्ली, पृ.62

5–शर्मा कृष्णदेव एवं अग्रवाल माया, 'अन्धा युग', अनीता प्रकाशन, दिल्ली, पृ.35

6–हुसैन शाहिद, इन्द्र सभा की परमपरा, सीमान्त प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.43

भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति

*संजय कुमार**

हमें इतिहास बताता है कि जो समुदाय और देश गुलामी का शिकार होते हैं, उन्हें आर्थिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। ताकत के बल पर, औपनिवेशीकरण और गुलामी की जकड़ ने बहुत से लोगों की मानवीय प्रतिष्ठा को छीन लिया है। अपने उपभोग के लिए दूसरे देशों के संसाधनों का दोहन प्रत्येक उपनिवेशवादियों की नीति रही है, वह चाहे ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या इटली वाले रहे हों। आर्थिक आत्मनिर्भरता के अंत से मनोवैज्ञानिक दासत्व को भी बढावा मिलता है।

विश्व में आज 1.5 बिलियन से अधिक लोगों की दैनिक आय एक डॉलर से भी कम है। महिलाओं की आय तो और भी कम है। 'कर्म एवं धर्म' की शिक्षा जाति और लिंग दोनों ही भेद को स्थायी रखने में प्रभावी हैं। धार्मिक ग्रंथ जैसे मनुस्मृति तो खुले रूप में द्विज बनाम शुद्र और स्त्री के बीच भेद करते हैं, और ऐसे धर्म ग्रंथों (जिनसे अवर्ण और अतिशुद्र भी शामिल हैं) तथा महिलाओं को जन्म से मृत्यु, ताउम्र सवर्ण पुरूषों का गुलाम बनाकर छोड़ा है (फ्रांको और सरवर, 1989) ये विचारधारा अपने ऐतिहासिक गौरव, परंपरा और धर्म की दुहाई देते हुए लिंगभेद को बढ़ावा और मजबूती प्रदान करती है। इसे देखते हुए गौतम बुद्ध और गुरूनानक जैसे सुधारकों ने महिला–निर्धन–मानव विरोधी परंपराओं के विरूद्ध संघर्ष किया, परंतु दुर्भाग्य से इन महान व्यक्तियों के कुछ अनुयासी स्वयं इनकी विरोधी शिक्षा का पालन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस विचारधारा के चलते समाज के एक भाग को त्रिकोणीय शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह निर्धन है, अवर्ण (बहिष्कृत) हैं और महिला हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि एक निम्न जाति की महिला से उच्च जाति का पुरूष जब भी चाहे यौन संबंध बना सकता है, क्योंकि सवर्ण पुरूष का कृत्य उसे तीर्थ जाने जैसे पुण्य दिलाता है, जो मोक्ष की निकटतम स्थिति है।[1]

मानसिकता का निर्धारण आसपास के लोगों से वार्तालाप और व्यवहारों के आदान प्रदान से होता है। व्यक्ति या लोगों की मानसिकता समाजीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी होती है जो समूह या समाज के संचालन के लिए आवश्यक मूल्यों की समझ, भाषा, रूढ़ि और व्यवहार है। समाजीकरण के एजेंटों में अक्सर मीडिया, माता–पिता, साथी, पूजास्थल और त्योहार शामिल हैं साथ ही पिछले दशक में महिला और पुरूष का गरीबी चक्र में फंसने का अंतर बढ़ा है और एक इस संदर्भ में एक नया प्रारूप सामने आया जिसे 'गरीबी का स्त्रीकरण' कहते हैं। संपूर्ण विश्व में महिला, पुरूष की तुलना में मात्र 50 प्रतिशत आय ही प्राप्त करती है। गरीबी मात्र धन की कमी से नहीं, बल्कि यह अधिकार और संबंध की बात है। हालांकि इसके केन्द्र में उपयुक्त आय का प्राप्त नहीं होना ही है।

लैंगिक निर्धनता पूरे परिवार को प्रभावित करती और यह लिंग आधार पर कार्य विभाजन तथा घरेलू जिम्मेवारी बॉटने में भी अहम् भूमिका अदा करती है। बढ़ती मॅहगाई के दौर में महिलाओं को घरेलू खपत और उत्पादन प्रबंध करने में मशक्कत करनी पड़ती है। महिला निर्धनता का सीधा संबंध रोजगार के अवसरों की कमी और स्वायत्तता का न होना है, साथ ही शिक्षा, सहयोगी सेवाओं तथा निर्णायक अधिकारों तक पहॅुच की कमी स्त्री निर्धनता को बढ़ावा देने में सहयोगी है। गरीबी के कारण यौन–शोषण की संभावना भी बढ़ती है।

* **प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा**

भारत का गरीब तबका सामाजिक रूप से पिछड़ा, हाशिए पर और बहिष्कृत है, इसमें आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ी जातियॉ और समुदाय विशेष रूप से इनकी महिलाएँ आती हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि आधारभूत शिक्षा और स्वास्थ्य ही जागरूकतापूर्ण माहौल का निर्माण करते हैं, जिससे आजीविका के अवसर व अन्य अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसलिए कमजोर तबके की महिलाएँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रहती हैं वह न सिर्फ मानसिक पीड़ा बल्कि आर्थिक शोषण सहने को भी मजबूर होती हैं।[2]

महिलाएँ अर्थव्यवस्था या बाजार–व्यवस्था से बहिष्कृत नहीं हैं परंतु उनको इसमें उनकी देनदारी की तुलना में कुछ भी लाभ नहीं मिलता, जब उपभोक्ता वस्तु का प्रचार करना हो, तो स्त्री एक भौतिक वस्तु के रूप में प्रस्तुत की जाती है, या स्त्री–देह को बाजारू सामान की तरह पेश किया जाता है (डाइट्रिच 2001)। गरीबी व्यक्ति को निम्न कार्य करने पर मजबूर करती है। स्त्री की मजबूरी और आर्थिक निर्भरता उसे अपने कार्यक्षेत्र में दयनीय बना देती है। पुरूष नियोक्ता महिला कर्मियों के सामने प्रायः शोषणकारी मॉगें रखते हैं। वहीं संगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियनें भी महिला की आवश्यकताओं पर अधिक संवेदनशील नहीं होती।[3]

अधिकांश वयस्क अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा संगठित या असंगठित क्षेत्रों में बिताते हैं, वहीं एक महिला पुरूष की तुलना में और भी अधिक समय कार्यक्षेत्र में देती हैं, इसकी वजह उसका एकाकीपन, तलाशुदा या परित्यक्त होना है और कमजोर आर्थिक स्थिति जैसे गरीबी, बंधुआ श्रमिकी या पति/साथी के शराबी–जुआरी होने की दशा में या इनके बीमार होने पर अकेले कमाई करना भी है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 40 बिलियन बंधुआ मजदूर हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की है (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2004) छियानवे प्रतिशत बच्चे जो फुटपाथ पर सोते हैं और काम करते हैं जो प्रवासी होते हैं, उनमें आधी संख्या 8–14 वर्ष की लड़कियों की होती है। आर्थिक शक्ति के मामले में भी घर और कार्यस्थलों में व्याप्त लिंगभेद तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे नीति–निर्धारण, सहकारिता और कार्यान्वयन में भागीदारी की कमी भी स्त्री–निर्धनता को बढ़ावा देती है।[4]

जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक परंपरा भी स्त्री को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाती है और संपत्ति और आय पर समान अधिकार से वंचित करती है। भारत में अधिकतर महिलाएँ अपने अधिकारों का प्रयोग इसलिए भी नहीं करती क्योंकि इससे उन्हें न सिर्फ परिवार, बल्कि अपने समूह, समुदाय और नातेदारी से ही रिश्ता टूटने की स्थिति का सामना करना पड़ता है (चिटनीस, 2004:31) अलगाव और अकेले पड़ने का डर महिला को संघर्ष से रोककर उन्हें पंगु बनाए रखता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने जहॉ कुछ लोगों के लिए अपार संभावनाएँ उपलब्ध करा दी हैं, वहीं समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जिसमें महिला भी शामिल है, को इसका दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं क्योंकि राज्य भी मुनाफा कमाने वाले बाजार के आगे नतमस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश और विश्व बैंक समर्थित सार्वजनिक व्यय के समायोजन का तरीका भारत जैसे विकासशील देशों के निर्धनों को भारी पड़ा है। आधारभूत आवश्यकताओं जैसे स्वच्छता और जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य सुविधाओं में सब्सिडी घटाने जैसे कदम ने न सिर्फ श्रम दर कम कर दी, बल्कि महिला पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया (घोष 2001:90) उदारीकृत अर्थव्यवस्था, महिला के लिए उदार नहीं रही, उल्टे आंकड़े बताते हैं कि यह महिला को गुलाम बनाने में कामयाब रही। वैश्वीकरण का निशान असमानता की बढ़ती खाई है।[5]इस वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खुल गई जिससे 'रोजगार रहित विकास' हो रहा है, और अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। राज्य की भूमिका भी सीमित हो गई, देश की 350 मिलियन निर्धन जनता और महिला को इससे किसी लाभ की गुंजाइश नहीं (देखें पीसा 2003, डाभी 2005) कहते हैं ''राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर व्यापार और निवेश के होने से पूँजीवादी विलय से श्रमिकों की श्रमदर की सौदेबाजी की शक्ति कम हुई है'' और इससे महिला श्रमिक आर्थिक रूप

में और भी अधिक कमजोर हुई हैं। मार्क्स और वेबर के सिद्धान्त तथा आलोचना आज भी हमारे कार्यक्षेत्र, श्रम और संगठनों में सामयिक हैं, क्योंकि वे महिलाओं को पृथक कर भेदभाव करते हैं (देख फिनचाम एवं रोड्स 1992) आगे ''कृषि उद्योग (मशीन, रसायन, ज्ञान–सूचना, परिवहन, नौ–परिवहन, वायु परिवहन आदि) सेवा, रक्षा, स्वास्थ्य, वित्त आदि में श्रम और श्रम विभाजन लिंग आधार पर होता है'' (डाभी, 2005)। ऐसा कहा जाता रहा है कि व्यापार के वैश्वीकरण (श्रम के नहीं) से नागरिकों के अधिकार भी राज्य से हटकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन, राज्य की संरचना को ही बदल देते हैं जिसका कार्य जनता की रक्षा करना है। वे आगे कहते हैं ''इससे जनता की स्वतंत्रता तो कम होती जा रही है, परंतु पूँजी की आजादी बढ़ रही है।[6]

प्रवास में बढ़ोतरी सीधे तौर पर रोजगार की अनुपलब्धता से होती है। गौरतलब है कि वर्ष 1991 में (232, 112, 973 लोगों) ने वर्ष 2001 में (317, 735, 593 लोगों) ने प्रवास किया है। इसमें 34. 7 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई जिसमें 14.7 प्रतिशत कार्य और रोजगार के कारण हुई (भारत की जनगणना, 2001)। 'विकास परियोजना' से कुछ लोगों ने विकास किया और धन कमाया है, पर इसने लाखों को विस्थापित किया है। कस्बों और शहरों में आकर इन विस्थापित लोगों का जीवन दयनीय है, उनमें एक बड़ी संख्या झुग्गी बस्तियों में रह रही जहॉ वे धूप, ठंड, बरसात से नहीं बच पाते और माता–पिता को अपने बड़े बच्चों से निजात मिल पाना तो दूर की बात है। विस्थापन और प्रवास के शिकार महिला और बच्चे तरह–तरह के शोषण का शिकार भी बनते हैं। प्रवास से परिवार के स्वरूप और संरचना में भी बदलाव आता है, जिससे महिला पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है, विशेषकर जब आश्रितों की संख्या अधिक हो।[7]

आर्थिक वृद्धि 'कल्याण' या 'मानव विकास' मापने का कोई सांख्यकीय आधार नहीं है क्योंकि यह विकास के प्रभाव से आय–वितरण को नजर–अंदाज कर देता है (मानव विकास रिपोर्ट 2005) इसलिए यह अपने आप में 'सामाजिक न्याय' की कोई गारंटी नहीं देता, महिला तो सामाजिक न्याय उल्लंघन की सर्वाधिक शिकार रही है। मानव विकास सूचकांक (HDI)के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं– आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। किन्तु राज्य की पकड़ कम होने से और इन सेवाओं के लिए धन की अनुपलब्धता निर्धन महिला के सशक्त होने को दूर का सपना बना रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. खान, मुमताज अली, 1995, 'ह्यूमन राइट्स एण्ड द दलित सेंटर फॉर रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ दलित्स, नई दिल्ली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, पृ0 31
2. कुमार शशि, 2004 'न्यू डोमेंशंस फॉर इकोनामिक ग्रोथ, नई दिल्ली, अटलांटिक पब्लिकेशंस, पृ0 32
3. मेंटाजिस, जी, 1997 'ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एज एम्पावरमेंट, रिफलेक्शन ऑफ पिडोगॉजी, ब्लूप्रिंट फॉर सोशल जस्टिस, वॉल, नं0 3, नवम्बर 1997, लोयोला विश्वविद्यालय, न्यूडार्लियोन, पृ0 43
4. पांडे, एस0आर0, 1991, 'कम्युनिटी एक्शन फॉर सोशल जस्टिस–ग्रासरूट्स आर्गेनाइजेशंस : ए रिसोर्स डिपेंडेंस पर्सपेक्टिव, न्येयार्क, हार्पर एण्ड से, पृ0 44
5. सेन, सिद्धार्थ, 1992 'नॉन प्राफिट आर्गेनाइजेशन्स इन इंडिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एण्ड कॉमन पैटर्नस' नवम्बर, पृ0 61
6. शेठ डी0एल0 और एच सेठी, 1991, द एन0जी0ओ0 सेक्टर इन इंडिया, हिस्टोरिकल कांटेक्ट्स एण्ड करंट डिस्कोर्स, नवम्बर, पृ0 3113
7. सिल्क, पी0, 1980, द फार्मेशन एण्ड फार्म्स ऑफ कम्युनिटी ग्रप्स, जर्नल ऑफ वाल्युण्ट्री एक्शन रिसर्च, 9, 189–202, पृ0 103

महात्मा बुद्ध का समाज-दर्शन और उसकी प्रासंगिकता

*संतोश कुमार**

छठीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कालीन समाज में अनेक दोश आ गये थे। धर्म के मूल सिद्धान्तों का लोप होकर कर्मकाण्डों का आडम्बर उत्पन्न हो गया था। वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपेण जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गयी थी। स्त्रियों की सामाजिक दशा में अवनति हो गयी थी। भारतीय समाज को नवीन चुनौतियों, प्रतिरोधी एवं परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा था। विविध विशेशाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहित या ब्राह्मणों की श्रेश्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना सामाजिक पदक्रम में सर्वोच्चता की इच्छा एवं पूर्वोत्तर भारत में नई कृशिमूलक अर्थव्यवस्था के कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ।

बुद्ध के सामाजिक दृश्टिकोण के उत्पन्न होने से पहले के समय की सामाजिक स्थिति, मान्यतायें तथा अवस्थाएं अच्छी प्रतीत नहीं होती हैं। तत्कालीन समय में धार्मिक अंधविश्वासों, पाखंडों तथा वैदिक कर्मकाण्डों के कारण, नैतिक, मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों का तीव्रता से लोप हो रहा था। इस संदर्भ में डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृश्णन का कथन है ''उस समय समस्त वातावरण परस्पर विरोधी गनतव्यों एवं कल्पनाओं के एक राशिमूल पूंज से परिपूर्ण था, जिसे किसी ने अंगीकार किया तो दूसरे ने उसे मानने से निशेध किया।[1]'' उस समय कोई एक ऐसा मान्यता प्राप्त नियम नहीं था जिसे लोग एक मत से स्वीकार करते। उस समय सामाजिक भेदभाव इतना अधिक था कि लोग उससे अलग रह ही नहीं सकते थे। तात्कालीन समाज में हिंसात्मक एवं क्रूर यज्ञों के द्वारा ईश्वर की वंदना की जाती थी, जिसने बुद्ध के अन्तःकरण को हिला दिया।

बुद्ध ने तात्कालीन सामाजिक मान्यताओं में व्याप्त पुरानी और अंधविश्वास से युक्त प्रणाली में गुण—दोश की विवेचना करके उनका अंत करने का प्रयास किया। तात्कालीन समय के अनेकों सम्प्रदायों में अचानक अवनति हो जाने और विभिन्न प्रकार की व्याप्त पद्धतियों के विखण्डित हो जाने पर बुद्ध का प्रथम कार्य यह था कि वे नवीन ढंग से नये नियमों तथा आचार विचारों का निर्माण करते। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर बुद्ध ने ऐसे नवीन नीतिशास्त्र की आधारशिला रखी जो मानवीय और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, जिसमें ऐसे समाजदर्शन को जन्म दिय जो प्राणियों की समानता का समर्थक है। ''भगवान बुद्ध मनुश्य के समाज में ऊँच नीच के कट्टर विरोधी थे।''[2] उनकी दृश्टि में किसी मनुश्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न ही कोई उच्च है, न ही कोई निम्न और न ही कोई अछूत। उनके शिश्यों में सभी लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रेश्ठी, शूद्र, वैश्व और नीच तथा अछूत समझी जोन वली विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग समान स्थान रखते थे। बुद्ध के सामाजिक दृश्टिकोण के बारे में रजनीकांत शास्त्री जी कहते है ''इसने मनुश्य भाव को अपनी इच्छानुसार सब प्रकार के मार्ग में जाति—पाति की कोई समस्या न रही। वैश्व—शूद्र की ब्राह्मण, क्षत्रिय के द्वारा इत्यादि का बहाना कर लूटे जाने का डर जाता रहा।''[3]

बौद्ध धर्म ने समाज भेद, जाति भेद, वर्ग भेद, छूआछूट आदि कुरीतियों से ऊपर उठकर सभी लोगों के लिए उन्नति के समान अवसर का द्वार खोल दिया, जिसके कारण लोग ब्राह्मणी शिकंजे तथा अन्य प्रकार की जघन्य सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगे और बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले लोगों का जनसमूह तैयार हो गया। हिन्दू जनता का एक बड़ा भाग ब्राह्मणी फंदे से मुक्त होकर बौद्ध धर्म में जा मिला, जिसका एक बड़ा

* **शोध छात्र राश्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जमुहाई, जौनपुर**

भाग ब्राह्मणी फंदे से मुक्त होकर बौद्ध धर्म में जा मिला, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि महात्मा बुद्ध जीव, मनुश्य के समाज और जगत के प्रति व्यावहारिक दृश्टिकोण रखते थे। वास्तव में बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर का निशेध करते हुए जीवन और जगत को स्वीकार किया। बुद्ध के समाजदर्शन का उद्देश्य था, ''मनुश्य की सांसारिक वेदना और कश्ट से मुक्त करना।[4] बुद्ध का विश्वास सबकी उन्नति मे ंथा इसलिए बुद्ध समस्त मानव जाति को सत्य के निकट ले जाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध का सामाजिक दृश्टिकोण शील और सदाचार का पक्षधर है। इसका मानना है कि बिना शील और सदाचार के मानव जाति तथा समाज का कल्याण सम्भव नहीं है। बुद्ध सामाजिक दृश्टिकोण से मानते है कि अच्छे बुरे की पहचान, कार्यशीलता तथा स्वच्छ विवेक को होना मनुश्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ''जिस कर्म से सुखी हों, वह कर्म ठीक है, जिस कर्म से दूसरों का आघात और दुःख पहुंचता है वह कर्म ठीक नहीं है।[5] बुद्ध ने अपने समाज दर्शन में कालामों को उपदेश देते हुए कहा – ''न श्रुति, न परम्परा, न शास्त्र की अनुकूलता, न वक्ता के भव्य रूप और आकार के विचार से, न श्रमण हमारा गुरू है'' इस विश्वास से तुम किसी का अनुशीलन मत करो, जब तुम अपने आप ही सोचने लगो, यह धर्म कुशल है, अथवा यह धर्म अकुशल है, जब तुम उसे करो अथवा त्याक दो।[6]

महात्मा बुद्ध एक चिन्तनशील पुरुश थे। उन्होंने तात्कालीन सामाजिक जीवन पर चिंतन–मनन करने के बाद अनुभव किया कि समाज में व्याप्त बुराइयों का कारण मनुश्यों की अज्ञानता है और अज्ञानता को आत्मज्ञान के बना दूर नहीं किया जा सकता। आत्मज्ञान के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा ही मनुश्य में तार्किक विकास होता है। तर्क के आधार पर ही बाह्य आडम्बरों एवं अंधविश्वासों का सामना किया जा सकता है। पूर्व बुद्ध काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म पर आधारित थी वह अब जनम पर आधारित हो गयी थी। बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन किया और वर्ण एवं जाति विहीन समाज की स्थापना करने का प्रयास किया और वर्ण एवं जाति विहीन समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में तथागत ने कहा कि जैसे– गंगा, यमुना, घाघरा आदि नदियां समुद्र में मिलने पर एक समान हो जाती है उनमे कोई अंतर नहीं रहता ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण्सा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी वर्ग बौद्ध संघ में प्रवेश पाने पर संघ रूप में हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने समाज में एकता और बन्धुत्व लाने के लिए एक ही वर्ग मनुश्य वर्ग की बात की ओर उसे जनमानस में प्रसारित किया। बौद्ध धर्म का विश्लेशण किया जाय तो यह स्पश्ट हो जाता है कि इसके सभी सिद्धांत व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए ही स्थापित किये गये हैं। इसी धर्म में सभी के कल्याण की कामना की गयी है जो कि उत्कृश्ट समाज के निर्माण में आवश्यक होता है।

बुद्ध का सामाजिक–दर्शन जितना तात्कालिक समय में प्रासंगिक था उससे अधिक वर्तमान समय में प्रासंगिक हो गया है। महात्मा बुद्ध ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अहिंसा का सिद्धान्त दिया। अहिंसा के द्वारा ही राजाओं में होने वाले युद्धों को रोका गया था। अहिंसा के सिद्धांत का का उपयोग वर्तमान समय में भी किया जा सकता है। समस्या का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि शांति और आपसी समझौते के आधार पर किया जा सकता है, जिसका अनुसरण भारत सहित अन्य देशों के मध्य देखा जा सकता है। अहिंसा के द्वारा ही प्राणीमात्र के कल्याण की कामना की जा सकती है। पूर्व बुद्धकाल से ही व्याप्त वर्णव्यवस्था के कारण अनेक वर्गों, जातियों एवं उपजातियों का जन्म हुआ। इसी कारण आज लोगों में वर्गवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि की भावना देखी जा सकती है। महात्मा बुद्ध ने वर्णव्यवस्था के विरुद्ध एकमात्र वर्ग सिद्धांत दिया जो मानव वर्ग का सिद्धांत था। यह सिद्धांत लोगों में राश्ट्रीय एकता, बन्धुता ही नहीं बल्कि विश्व बंधुता की भावना को संवर्धित करता है। उन्होंने बौद्ध संघ का दरवाजा हर किसी के लिए खोलकर समाज को समानता का अहसास कराया। संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को दिया जिससे उन्हें भी पुरुशों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान

समाज में भी एकता, अखण्डता, समानता तथा आपसी भाई चारे की आवश्यकता है जिससे एक मजबूत राश्ट्र का निर्माण होगा। जिसे हम बुद्ध के माग का अनुसरण करके प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ –

1. डॉ0 एस0 राधाकृश्णन, भारतीय दर्शन, पृ0–323
2. सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारत, पृ0–145
3. रजजीकांत शास्त्री, हिन्दू जाति का उत्थान और पतन, पृ0–330
4. जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ0–833
5. अंगुत्तर निकाय, 3/7/5

लीग के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां व नेहरू

*डॉ राजीव कुमार**

16 अगस्त 1946 की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्ना से मिलने के लिए गए वायसराय ने अपील की थी कि पार्टियों के बीच की खाई पाटने की आखिरी कोशिश करनी चाहिए यह खाई थी यह खाई थी पाकिस्तान विभाजन की जिसने हिंदू मुसलमान अपनी अपनी मांग को प्रदर्शित कर रहे थे! कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार एक अस्थाई सरकार बनाई जा रही थी और मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के लिए 5 सीटें सुरक्षित की गई थी। तब तक ब्रिटिश हिंदुस्तान में थे वायसराय को वीटो का अधिकार था लेकिन अन्यथा नई सरकार केंद्रीय अनुशासन चलाने के लिए स्वतंत्र थी और जवाहरलाल नेहरू उसके नेता होने वाले थे। उस दिन की सुबह यह जवाहरलाल नेहरू का हम था कि जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन भूलने के लिए राजी करें और लीग को सरकार बनाने में सहायता करने दे। डायरेक्ट एक्शन से तात्पर्य सीधी कार्यवाही से है 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन(सीधी कार्रवाई) दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए कहा गया था ताकि मुसलमान हिंदुस्तान के बंटवारे अपनी पाकिस्तान की मांग का निश्चय प्रदर्शित कर सके।

ईशा बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थिति मैं कोई भी जिन्ना को अपने विचार बदलने के लिए राजी कर सकता था लेकिन असफलता के लिए जवाहरलाल नेहरू से अधिक उपयुक्त आदमी कोई दूसरा नहीं था हिंदुस्तान का भविष्य इन्हीं दोनों व्यक्तियों पर निर्भर था। जवाहरलाल नेहरू कानूनी किताबों के अध्येता थे जिन्ना जैसे घमंडी आदमी के सामने उन्हें झुकना मंजूर नहीं था! स्वतंत्र हिंदुस्तान को कैसे चलाया जाए उनकी अपनी धारणा उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में लगा दिया था अंग्रेजों की नियत के बारे में उन्हें यह विश्वास हो गया था कि आखिरकार अंग्रेज अब कूच करने के लिए तैयार हैं जिससे कि जीत देश की आजादी का दरवाजा रोके खड़ी थी उसी से मेहरबानी के लिए कहा ना बड़ी मुश्किल से काबिले बर्दाश्त रहा होगा यह महसूस करना कि अपने ही अनाड़ीपन के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और मुश्किल भी ᑊ फिर भी जवाहर लाल नेहरू ने कोशिश की जो कुछ भी उनके पास था सब लगाकर कोशिश की लेकिन फल कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जिन्ना विनम्र रहे लेकिन टस से मस नहीं हुए। मुलाकात सिर्फ असफल ही नहीं रही मुलाकात के बाद दोनों का विरोध चरम सीमा पर चुका था लाल नेहरू का विश्वास और भी दिन हो गया कि सिर्फ यही आदमी देश की आजादी का दरवाजा रोक कर खड़ा है। इसको और इसके पाकिस्तान के सपने को नष्ट करना ही होगा लेकिन साथ ही साथ जीना की ताकत से देश के मुसलमानों पर उसके प्रभाव से जवाहरलाल नेहरू और अभिज्ञ ही रहे। मालाबार हिल से जब जवाहर निकले तो कांग्रेश सभापति ने मातम का काला झंडा देखा काला झंडा जो कि डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर रहा था काला झंडा जो मुसलमानों के घरों और उनकी बंद दुकानों पर लहरा रहा था लेकिन मुंबई में हिंदुओं का बहुमत था ,सड़के शांति थी , कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, कराची और पंजाब मुसलमानों के दो सबसे बड़े क्षेत्र भी नियंत्रण में थे कराची टू इसलिए कि सिंध सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने 16 अगस्त को सरकारी छुट्टी नहीं दी और पंजाब इसलिए की पंजाब के अंग्रेज गवर्नर सर इवान जोन्किन्स का प्रदेश पर अच्छा और शांत नियंत्रण था तथा स्थिर प्रादेशिक सरकार थी।

लेकिन हिंदुस्तान में एक प्रदेश की सरकार मुसलमानों के अधीन थी यह प्रदेश बंगाल था जिसकी राजधानी देश का सबसे बड़ा शहर कोलकाता था बंगाल में न सिर्फ मुसलमानों की संख्या अधिक थी बल्कि चुनाव में उनका बहुमत भी था इसका मतलब था कि अगर उनके पक्ष

* **यू जी सी नेट 2009 इतिहास विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना**

वाले पूरी संख्या में वोट न भी दे तो भी उनका बहुमत ही रहेगा। कल के गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज पुरानी रेलवे और यूनियन के अधिकारी थे जिनको लेबर सरकार ने 1946 में मिस्टर आर० जी० केसी०के बाद बहाल किया था। वह कुशल और खुशमिजाज शासक थे जिनकी हिंदू मुसलमानों के साथ साथ ब्रिटिश फौजी अफसरों से भी अच्छी पटती थी लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली और तुरंत फैसला करने वाले नही थे। व्यक्तित्व की हैसियत से बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी से उनका कोई मुकाबला नहीं था। मिस्टर सुहरावर्दी मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी सदस्य भी थे इसीलिए मिस्टर जिन्ना के इशारे पर अन्य लोगों की ही तरह उनके भी उछलने कूदने की उम्मीद थी क्योंकि मिस्टर सुहरावर्दी बड़ी ही आजादी बरतता होता था। और जिन्ना को साफ बता दिया गया था कि शासन में किसी तरह की दखलअंदाजी आस्था नहीं थी जिन्ना उसे पसंद नहीं करते थे। क्योंकि उसे शक था कि जवानी तौर पर वह हमेशा पाकिस्तान की दुहाई देता है। पर भीतर ही भीतर एक नया सपना पाल रहा है जो सपना था ,बंगाल कायम करना।

बाहर से मिलनसार लेकिन भीतर से क्रूर इस राजनीतिज्ञ के लिए 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने की जिन्ना की घोषणा सुनहरा मौका बनकर सामने आई ताकि वह बंगाल के मुसलमानों पर अपना प्रभाव जमा सके और पाकिस्तान के समर्थन का प्रदर्शन कर सकें उसने घोषणा की कि 16 अगस्त हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए छुट्टी का दिन होगा। जब विधानसभा के हिंदू सदस्यों ने इसका विरोध किया कि राजनैतिक हड़ताल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं तो वोट से उनका विरोध कुचल दिया गया ! स्टेट्समैन के 5 अगस्त वाले अंक में से उसने लिखा की अरे जैसा बदकिस्मती से हुआ भी! संदेश को टुकड़े में बांटने वाला था उसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई थी 16 अगस्त को सूर्योदय के करीब हुगली नदी पार कर बंगाली लोग हावड़ा से कोलकाता आए लाठी छूरे बोतल लोहे के टुकड़ों से लैस प्इनमें अधिकांश मुसलमान ही थे गलियों और दरवाजों के पास छिपकर दुकान खोलने का यह इंतजार करते रहे जो उसमें गैर मुसलमान की दुकानें खुली थी। जैसे ही दुकानदार दुकान खोलता उसके सिर पर लाठी पड़ती है छोरा भूखा जाता फिर दुकान के सामान की लूट हो जाते शायद किसी ने महसूस किया हो कि कितनी खतरनाक चीज की शुरुआत हो गई है एक अंग्रेज ने जो साइकिल पर अस्पताल जा रहा था देखा कि एक झाडू देने वाला उसकी ओर भागा आ रहा है और एक भीड़ उसका पीछा कर रही है वह साइकिल से उतर गया भीड़ का एक आदमी उसके पास पहुंचा इतनी जोर की लाठी मारी की झाडू देने वाले के पैर की हड्डी टूटने की आवाज साफ आई ऐसी ही वह जमीन पर गिर पड़ा एक आदमी उसका गला काटने के लिए दौड़ा और उसका कान काट लिया। इस तरह का विकराल रूप पूरे बंगाल में फैल चुका था जिस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं था।

16 अगस्त 1946 को 2:00 बजे सुहरावर्दी ने कोलकाता मैदान की सार्वजनिक सभा में भाषण दिया उसके चेहरे पर खुशी छाई हुई थी उसने अपने श्रोताओं को धन्यवाद दिया। जब वह भाषण दे रहा था तो दो गली पार लोगों का कत्ल हो रहा था मैदान में आग का धुआं साफ दिखाई दे रहा था। अब तक लोगों ने पेट्रोल के स्टेशनों पर कब्जा कर लिया था और पेट्रोल छिड़ककर दुकाने जलाने शुरू कर दिए थे अच्छी बात यह थी कि कोलकाता कि पुलिस दंगों को रोकने में अपने को असमर्थ पा रही थी शुरू में तो कठिनाइयां यह थी कि और लूट का काम मुसलमान ही कर रहे थे। मुसलमान गुंडों से सीधा मोर्चा लेने मैं अपने लोगों को बचाने का इरादा नहीं था उनका की भीड़ इस तरह काम नहीं करती जब मुसलमानों की भीड़ इक्का–दुक्का हिंदू दुकानों को तलाश रही थी तब हिंदू और सिख बेसहारा मुसलमानों की ताक में थे बूढ़ों बच्चोंऔर औरतों की सामत थी। इस विकट परिस्थिति में जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे का नारा लगाया था। इसलिए कि अंग्रेज पाकिस्तान की मांग मानने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन एक बार जब कोलकाता में दंगा शुरू हो गया तो वहां सिर्फ अंग्रेजी सुरक्षित थे कई

अंग्रेज चौरंगी के ग्रैंड होटल में गुंडों से घिरे हुए थे। गुंडों का नेता होटल से अंग्रेजों को निकालने के लिए राजी थे बाकी लोगों की सुरक्षा ताक पर थी। अंग्रेजों ने एक बैठक बुलाई और निश्चय किया कि वे लोग होटल नहीं छोड़ेंगे उसी दिन शाम को उन्होंने सिखों के एक दल को होटल की खिड़की से देखा एक जिंदा मुसलमान के टुकड़े–टुकड़े कर रहा था। जिसको देखकर मिस्टर कीम क्रिस्टेन ने लिखा कि –'' लड़ाई के अस्पतालों में काम करने के कारण मेरा कलेजा पत्थर का हो गया है। लेकिन लड़ाई भी ऐसी चीज नहीं। चितरंजन एवेन्यू होकर मैं मेडिकल कॉलेज की ओर साइकिल पर चला। मैं उम्मीद कर रहा था कि लड़ाई के अनुभव का उपयोग करूंगा और जितना भी बन पड़ेगा सहायता करूंगा मेडिकल कॉलेज से सिर्फ 200 गज दक्षिण पर भीड़ कत्ल में जुटी हुई थी जलती हुई गाड़ियों के बीच लाशें पड़ी थी मैं कुछ देर इंतजार करता रहा जब भीड़ गली में चली गई तो मैं अस्पताल की ओर आगे बढ़ा अस्पताल में ही स्थिति की भयानकता का अंदाजा मिला। अस्पताल की गाड़ियां पुलिस की गाड़ियां फ्रेंड्स सर्विस यूनिट की गाड़ियां घायलों को काम कर रही थी मैं रेड क्रॉस के एक ट्रक के पास गया और डॉक्टरी के कुछ विद्यार्थियों के साल काम में जुट गया। मेरी कमीज पर रेड क्रॉस का एक टुकड़ा लगा दिया और हम मिर्जापुर की ओर गए जहां लाशों की संख्या अधिक थी उतर कर हम लोगों ने जांच शुरू की! उतर कर हम लोगों ने जांच शुरू की शायद जीवन का कोई चिन्ह कहीं बाकी हो थोड़े से ऐसे लोग मिले खून से लथपथ! स्ट्रेचर पर उनको याद आ गया और चले अस्पताल की ओर जहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी दिन–रात यह खोज होती रही हम लोग उत्तर पूर्व की ओर गए फटे हुए सिर और टूटे अंगों वालों को अस्पताल में पहुंचाया! शहर का खौफनाक मंजर बड़ा ही भैया वाह लग रहा था!

हिंदुओं का पक्ष लेने वाले अखबार अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा कि ''आधुनिक शहर में वहशियाना जंगलीपन का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि सभी का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए हममे से जो सबसे बड़े हैं वह भी बाहरी दुनिया की नजरों में कितने छोटे दिखाई पड़ते होंगे।''

इसे खून खराबे की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए स्टेट्स मैंने जिसका तात्कालिक संपादक मुसलमानों का तरफदार था लिखा कि – '' हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर पर जो कयामत आई उसे सांप्रदायिक दंगा नहीं कहा जा सकता कम से कम जिस अर्थ उसका आज का उपयोग होता रहा है तीन दिनों तक शहर में बेरोकटोक गृह युद्ध चलता रहा इसकी खास जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वह स्पष्ट है गवर्नर (सर फ्रेडरिक बरोज) की आलोचना हुई हम नहीं समझते कि इस परीक्षा में उनका फल बहुत अच्छा निकला। लेकिन परंपरागत इस पद के कारण बहुत बड़ा प्रतिभावान ही ऐसे आकस्मिक संकट के समय कुछ कर पाता है इसकी प्रमुख जिम्मेदारी उन पर है जिनकी ओर हमने संकेत किया। प्रांतीय पुलिस लीग की कैबिनेट पर बंगाल की शांति का अनुशासन था और उसमें भी खासकर ऐसा आदमी जिसे बड़े अनुशासन का अनुभव है। वहां का मुख्यमंत्री (सुहरावर्दी) सारे हिंदुस्तान में लीग के अनुसार शांतिपूर्ण डायरेक्ट एक्शन डे के अवसर पर मैं जहां लीग की मिनिस्ट्री है यह खून खराबी हो हम हैरत में डाल देती है।

खुद सुहरावर्दी ने जवाब में कोई वक्तव्य नहीं दिया पीछे चल कर उसने जो कार्यवाहीया की उनसे विश्वास होता है कि वह भी इस कत्ल से घबरा गया था जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों ने तुरंत इसकी निंदा की मुस्लिम लीग के नेता ने एक वक्तव्य में कहा – '' मैं खुले तौर पर इसकी निंदा करता हूं और जिनकी हानि हुई है उनसे मेरी सहानुभूति है अभी तो मुझे पता नहीं कि जान और माल के इस नुकसान के लिए जिसका अखबारों में जिक्र है कौन जिम्मेदार है जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको कानूनन सजा सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उनके काम मुस्लिम लीग की हिदायत ओं के बिलकुल खिलाफ है उन्होंने दुश्मनों का काम किया है शायद दुश्मनों की ओर से भड़काने वालों का यह काम रहा हो लेकिन हिंसा के इस कांड की निंदा के बावजूद अम जिन्ना को संतोष ही हुआ होगा इस कांड के परिणामों से क्या

और कोई चीज है इससे ज्यादा बेदर्दी से यह साबित कर सकती थी कि देश के आजाद होने पर हिंदू और मुसलमान शांतिपूर्ण नहीं रह सकेंगे। गृह युद्ध होगा यही उसका दावा था।

यह उम्मीद की जा सकती थी कि कांग्रेश जवाहरलाल नेहरू और लीग के जिन्ना कोलकाता आकर साथ साथ घूमेंगे ताकि राजनीतिक लक्ष्य के लिए तरह के खूरेंजी के खिलाफ उनकी सम्मिलित भावना स्पष्ट हो सके लेकिन दोनों को इस तरह के काम के लिए फुर्सत नहीं थी जिन्ना मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी के दावे पेच सुलझा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के कैबिनेट का (मुसलमानों को छोड़कर) चुनाव कर रहे थे।

कोलकाता के नागरिकों के साथ दुःख दर्द में शिरकत करने और आंखों देखी हाल पर दुख दर्द झेलने वायसराय लार्ड वेवेल कोलकाता आए उसने सुना कि इस खून खराबी में हिंदू मुसलमान का मुसलमान हिंदू का कत्ल कर रहा था आशा की किरणें उस घने अंधकार में भी दिखाई पड़ रही थी पूरे शहर में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही थी जब मुसलमानों को बचाने में हिंदू ने अपनी जान दे दी और हिंदू को बचाने में मुसलमानों ने अपनी जान का खतरा उठाया था जब अंत में हिंदू और मुसलमान नौजवानों ने लीग और कांग्रेस के झंडे को एक साथ बांधकर भीड़ को तितर–बितर किया था और सड़कों पर जुलूस निकालकर हिंदू मुस्लिम एक हो के नारे लगाए थे।

रोंगटे खड़े कर देने वाला यह दृश्य था ! कोलकाता के बदसूरत शहर में भी सभ्यता का चिन्ह शेष था अभी कुछ हिंदुस्तानी ऐसे थे जो कंधे से कंधा मिला कर काम कर सकते थे। लड़ सकते थे धार्मिक मतभेद उनके रास्ते में नहीं आता था उसके लिए नालियों में पड़ी लाशे उनके लिए निराशा के बदले आशा का प्रतीक थे शायद उनको देखकर सभ्यता का कुछ अंश मानवता की एक रेखा देश के बददिमाग मुसलमानों हिंदुओं और सीक्खों में फिर से जाग उठे। अगस्त 1946 की इस कत्ल से नसीहतें लेनी थी।

मुस्लिम लिंग के मंत्रियों को अंतरिम सरकार में बैठक पाकिस्तान के लिए कार्य करना था और जिन्ना ने इस रणनीति के बारे में सार्वजनिक वक्तव्य विधि हैं उसका उद्देश्य ऐसी प्रत्येक वस्तु का विरोध करना था जो पाकिस्तान की मांग के विरुद्ध है जिन्ना ने पहले तो इस बात पर जोर दिया कि संविधान सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए और जब वेवेल ने उसका अधिवेशन बुलाया तब मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि वे उसका बहिष्कार करें। वेवेल को मूर्ख बनाया गया। पुणे मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में लाने के लिए कोशिश की थी बिना इस बात को पक्का किए की मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन की दीर्घकालिक योजना स्वीकार है या नहीं। उन्होंने तो दो विरोधी तत्वों को एक साथ लाकर रख दिया था जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मेरठ फैशन में जिसकी अध्यक्षता आचार्य कृपलानी ने की थी मुस्लिम लीग की चालो और उनमें वायसराय की सांठगांठ दोनों की निंदा की थी वेवेल ने उस भावना को त्याग दिया था जी सके अंतर्गत अंतरिम सरकार पहले बनाई गई थी उन्होंने वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों को मुस्लिम लीग के सांठगांठ के साथ कार्य करने की छूट दे दी थी ᑊ कांग्रेस ने दो बार त्यागपत्र देने की थी और अब भी त्यागपत्र था। जिन्ना के लिए यह अखरने की बात थी की जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधान मंत्री होने की कोशिश कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मोसले लियोनार्ड, भारत में ब्रिटिश राज्य के अंतिम दिन
2. चेलापति राव एम० , आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ।
3. श्री शरण, महामानव नेहरू!
4. नंदा, बी 0 आर 0 – जवाहरलाल नेहरू , सचित्र जीवनी!
5. मालवीय, के 0, डी 0 – पंडित मोतीलाल नेहरूः हिज लाइफ एंड स्पीचेज!
6. होम सेक्रेटरी डुबेल को 17 अगस्त 1917 को भेजा गया पत्र (एम० ए० आई०)।

प्रथम बौद्ध उपासिका सुजाता

डॉ अमित कुमार पासवान[*]

बुद्ध काल का सेनानी ग्राम आधुनिक बकरौर (बोध गया के पूरब निरंजना नदी के किनारे) की है ईशा के 588 वर्ष पूर्व हुआ था! सेनानी ग्राम में सेन नामक एक गोप (ग्वाला था) धनाढ्य था उसकी दशा पुत्रियां थीं. यथा 1. वाला 2. बलगुप्ता 3. सुप्रिया 4. विजय सेना 5. अतिमुक्ताबंजा 6. सुंदरी 7. कुम्भकारी 8. उरुविल्विका 9. जटिलिका 10. सुजाता। वमार्व के बौद्ध परंपरा के अनुसार सेनानी ग्राम 2 के एक ही पुत्री सुजाता थी उल्लेख है। जब तिब्बती बौद्ध परम्परा 3 अनुसार सेन की दो पुत्रियां यथा नंद और नन्दवाला का उल्लेख है पश्चिमी बौद्ध विद्वानों की रचनाओं में सेन की पुत्री नंदा का उल्लेख है।

सेनानी ग्राम के सेन नामक (ग्वाले) गोप को कई हजार गायें थी जो यविढ़ वन (आधुनिक जेठियन) मैं चरने जाया करती थी। बुद्ध युग में धन का आधार गायों को ही माना जाता था फलतः बौद्ध ग्रंथों में कहीं–कहीं सेनानी ग्राम के सेन को श्रेष्ठी भी उल्लेख है साथ ही सेन को कुटुम्बिक भी कहा गया है सेन? अपनी पुत्री सुजाता का विवाह बनारस के एक श्रेष्ठि के साथ कर दिया था उसे एक पुत्र भी था सुजाता की मनोकामना पूर्ण हो गई थी उसी समय कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन का पुत्र कुमार सिद्धार्थ प्रव्रजित होकर बोधगया के पूरब स्थित ढ़ोंगेश्वरी पहाड़ की तलहटी में साधना कर रहा था प्रारंभ में वह आस–पास के गांवों में भिक्षाटन कर दिन में एक बार ही अन्न ग्रहण करता था बाद में वह भोजन की मात्रा कम करने लगा फलतः कुमार सिद्धार्थ की शारीरिक शक्ति निर्बल होने लगी दिन भर जंगलों में साधना करता और रात्रि के समय जंगल से बाहर नदी किनारे आता। साधना में विघ्न ना हो कारण व जमीन में पड़े दानों को चुकर खाता। कभी–कभी एक दो दाने पर ही पूरा दिन व्यतीत करता। दाने नहीं मिलने पर गाय के बछड़े का गोबर भी खाता पानी नहीं मिलने पर अपना पेशाब ही पी जाता था उसे अपने मल से भी घृणा नहीं थी वह इतना कमजोर हो गया था कि पैरों से चलने पर लाचार होकर हाथों के सहारे चलता था। कमजोरी के कारण चलते –फिरते गिर जाता था वह बेहोशी अवस्था में जहां–तहां पड़ा रहता था मुझे मरा हुआ आस –पास के चरवाहे मुझ पर थूकते , पेशाब करते और धूल फेंकते थे! अल्पाहार के कारण मेरा शरीर सुख कर कांटा के समान हो गया था। पेट छूने पर रीढ़ की हड्डी पकड़ में आ जाती थी। बढ़े हुए बाल और दाढ़ी को हाथ से ही उखाड़ देता था फिर भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।

फलतः में आहार ग्रहण कर नये मार्ग का अन्वेषण करना चाहता था चाक पूर्णिमा के एक दिन पूर्व की रात्रि मंट मैं पांच स्वप्न देखा–

1.सम्पूर्ण पृथ्वी को मैं अपनी शैया (बिस्तर) के रूप में देखा।
2.२. हिमालय पर्वत को मैं तकिया की तरह रखे हुए हूं ।
3.हाथ पश्चिम सागर को स्पर्श किए हूं।
4.पर दक्षिणी सागर को स्पर्श किए हुए हूं।

सुबह में रात के स्वप्न को देख कर मुझे आभास हुआ कि अब मुझे बोधि की प्राप्ति हो जाएगी। फलतः निराहार से अच्छा है कि आहार लेकर बोधि का चिंतन करूं। फततः गांव के

[*]**एम० ए०, पीएच० डी० इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग नव नालंदा महाविहार**

एक बट वृक्ष के निकट जाकर मैं बैठ गया। वृक्ष के निकट बैठते ही मेरे शरीर से रश्मियां निकले लगी जिससे वृक्ष के आस – पास आलोक बिखर गया!

सेनानी ग्राम के सेन की पुत्री सुजाता सिद्धार्थ की भीषण तपस्या को देख चुकी थी वह चाहती थी कि जिस प्रकार मेरी दो मनोकामनाएं पूर्ण हुई है उसी प्रकार कुमार सिद्धार्थ की मनोकामना भी पूर्ण हो! फलतः वह एक सप्ताह पूर्व से ही एक हजार गायों को दूहवाकर पांच सौ गायों को पिलवा दी। पांच सौ गायों को दूध कर 250 सौ इस प्रकार 8 गायों को दूहने लिए जब सुजाता बर्तन लेकर गई तो गायों के थन से अपने आप दूध बर्तन में गिरने लगे। इस प्रकार 8 गायों के दूध को लेकर वह अपने घर में नई बर्तन में खीर बनाई। और उसमें इजर से गेढू मधु डाल दी 1000 गायों के दूध से बनी खीर इतनी गाढ़ा ओजस्वी हुई कि बनाते समय बार–बार बुलबुला छूटता था।

खीर तैयार हो जाने के बाद अपनी दासी पूर्ण को वट वृक्ष के निकट सफाई करने के लिए भेजी। पुणे जब वटवृक्ष के पास आई तो उसके निकट वटवृक्ष देवता को साक्षात बैठे देखी। जिनके शरीर से आला निकल रही थी फलतः पूर्णा वापस आकर अपनी मालकिन सुजाता से कहती है कि वटवृक्ष के निकट साक्षात देवता पधारे हुए हंध आभार से आसपास का क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है पूर्णा की मुख से इस प्रकार की बातों को सुनकर सुजाता उससे कहती है कि आज से तुम मेरी बेटी के समान हो। तुम्हें दासी से मुक्ति मिल गई। उसे अलंकार से और वस्त्रों से सुसज्जित कर एक लाख रजत मुद्रा से खर्च कर स्वर्ण थाल में खीर डालकर तथा स्वर्ण जलपात (भारी) में सुगंधित जल को लेकर वटवृक्ष के पास आकर बोधिसत्व के समीप स्वर्ण थाल रखकर अपने मन से कहती है कि जिस प्रकार मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है उसी प्रकार मनोकामना भी पूर्ण हो यह का कार्य स्वर्ण में रखी खीर अर्पित कर दी। तदुपरांत बोधिसख अपने सिर और दाढ़ी के कुछ बाल सुजाता को दे दिए ताकि उन पर स्तूप बनवा कर पूजा करें।

कुमार सिद्धार्थ सुजाता द्वारा प्राप्त थाल (जिसमें खीर भरा था) को लेकर निरंजना नदी के तट पर आकर स्नान किए और संपूर्ण खीर को 49 कौर बनाकर खाएं! खीर जाने पर उनके शरीर में स्फूर्ति और ताजगी महसूस हुई फलतः निरंजना नदी को पार कर उरु वेला के पीपल वृक्ष के निकट एक घठियारे से आठ मुट्ठी घास लेकर आसन बनाकर साधना में लीन हो गए उसी रात्रि को कुमार सिद्धार्थ को संबोधित ही लाभ हुआ संबोधी लाभ के पश्चात बोधिवृक्ष के पास सात स्थलों पर एक सप्ताह एक बोधी लाभ का आनंद लेते रहे। तदुपरांत अगले पूर्व के गुरु आलार– कालाम और उदक राम पुत्र को अपने धर्म–दर्शन से लाभान्वित करने का विचार किया। दृष्टि से देखने पर इन दोनों का इस समय स्वर्गवास हो चुका था। फलतः उनकी अंतिम साधना से बिछुड़े उन पांच परिव्राजक को धर्म का प्रथम प्रवचन देना चाहा! दिव्य दृष्टि से देखने पर वे पांचों वाराणसी के ऋषि पतन मृगदाय में विचरण कर रहे थे फलताः वे वाराणसी के ऋषिपतन मृगवन में आएए

आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किया। जिसके श्रोतागण पांच भिक्षु (पंचवर्गीय भिक्षु 1. अज्ञात कौंडिल्य 2. भद्रिका 3. वध 4. महानाम और 5. अश्वजीत थे! वे लोगों को बुद्ध चार आर्य सत्य , आर्य अष्टांगिक मार्ग, और प्रतीत्य बाद समुत्पाद भी उपदेश दिए फलतः इन लोगों को अर्हत्व की प्राप्ति हुई

तदुपरांत बुद्ध एक दिन जब भोर में उठकर विचरण कर रहे थे उसी समय यश नाम का एक नव युवक घबराए अवस्था में चिल्लाते हुए मृगदाय की तरह आ रहा था। बुद्ध उस नवयुवकों को कर अपने पास बुलाए। वाह बुद्ध के कुछ दूर पर ही अपना जूता खोलकर उनके पास आया आते ही बुध को अभिवादन कर उनके पास बैठ गया। तो उसकी मनोवृति को देखकर चार आर्य साथ और आर्य अष्टांगिक का उपदेश दिया। फलत : वह बुद्ध से उनके संघ में प्रव्रजित होने का आग्रह किया। बुध एवं अस्तु कहने पर यश के सर बाल तथा दाढ़ी अपने आप गिर गएं और पीत चीवर धारण कर लिया।

यस 9 का पिता जो वाराणसी का एक धनवान व्यक्ति था अपने इकलौते पुत्र के लिए 3 ऋतुयों के लिए तीन महलों का निर्माण कर सुंदर – सुंदर युवतियों को मनोविनोद के लिए व्यवस्था कर दिया था। यश मनोविनोद पूर्ण जीवन गुजर रहा था। एक रात नर्तकियों को वाद्यवृंदों की समाप्ति के पश्चात उनके शयन कक्ष के पास सोए अवस्था में देखा। प्रकाश जल रहा था पुणे में कुछ नवयुवतियां वहां फाड़ कर कुछ बाल बिखरे, कुछ नाक से आवाज करते, विक्षिप्त अवस्था में सोए देखा। उन लोगों की आकृति को देखकर यस को मानव शरीर खेड़ा उत्पन्न हो गई फलतः वह विक्षिप्त अवस्था में शयनकक्ष से निकलकर महल के मुख्य दरवाजे से निकल कर मृगदाय के तरफ चला आया था। जहां बुद्ध के पास आकर अर्हत्व प्राप्त किया यश बुद्ध संघ का सातवां अर्हत्व बना।

सुबह में जब यश की मां अपने इकलौते पुत्र को शयनकक्ष मैं नही देखी तब अपने पति और नौकरों को उसे खोजने के लिए भेजी। यश का पिता मृगदाय की ओर आया। अपने पुत्र के जूता को देखकर वह बैठे बुद्ध के पास आया। बुद्ध अपने दिव्य दृष्टि का प्रभाव यश के पिता पर डालें, जिसके कारण वह अपने पुत्र को देख नहीं सका। वह बुद्ध से अपने पुत्र के संबंध में पूछा, बुद्ध ने उसे शांत होकर बैठने को कहा भैया अभी कहा कि आपका बेटा मिल जाएगा। बुध यश के पिता को भी आर्य सत्यों तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। फलतः यश के पिता को भी स्रोताफल प्राप्त हुआ। तदुपरांत अपने पुत्र को प्रव्रजित भिक्षु के रूप में वहां बैठे देखा।

यश के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी मां घर में चिंतित है वह तुम्हारी राह देख रही है लेकिन अपने पुत्र को श्रमण के रूप में बैठा देखकर बुद्ध से कहा कि अगर उसे आपके के साथ रहने की इच्छा है नहीं रहे। लेकिन आज का भोजन बिच्छू संघ के साथ मेरे घर पर करेंग बुद्ध ने यश के पिता का आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तदुपरांत यश के पिता अपने आवास पर लौट कर बुद्ध और संघ के भोजन की तैयारी में जुट गए इसे साथ ही अपनी पत्नी को यश के बारे में सूचना दे दिया। बुद्ध यश और पांच भिक्षुओं के साथ यश के पिता के आवास पर आएं। सुजाता स्वयं अपनी बहू के साथ बुद्ध और संघ को भोजन से तृप्त की । भोजन समाप्त होने के पश्चात बुद्ध सुजाता सहित अन्य लोगों को धर्म उपदेश दिए।

सुजाता का एकलौता पुत्र जब बौद्ध भिक्षु बनकर अर्हत्व को प्राप्त कर लिया तो वह उपासिका कर ही अर्हत्व प्राप्ति के उद्योग में लग गई । ऐसे सुजाता और उसका पति बुध के संघ का प्रथम उपासक और उपासिका हुए थे।

आधुनिक दिवंगत बौद्ध विद्वान प्रो० पी० सी० राय ने अपनी रचना में अनेक परमाणों से यह प्रमाणित कर दिए हैं कि सुजाता गोकुल की थी। सुजाता की मनोकामना जिस प्रकार पूर्ण हुई थी, इसी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने के लिए कुमार सिद्धार्थ (बोधिसत्व) को ओजपूर्ण खीर खिलाई थी इसे खाकर कुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था सुजाता बौद्ध जगत की अर्हत्व हुई लोग जिसके नाम का स्मरण आज भी करते आ रहे हैं!

संदर्भ सूची–

1. बुद्ध विजय कावयम, पृष्ठ 262 – 298, प्रोफेसर शांति भिक्षु शास्त्री!
2. द लाइफ और लिजेन्क ऑफ गौतम , पृ० 76 लेखक भदंत पी , विगान्डे।
3. द लाइफ ऑफ बुद्ध, पृष्ठ 30. डब्लू० डब्लू० स्कहिल,
4. गोस्पल आफ बुद्धा पृष्ठ 30!
5. मज्झिम निकाय – महा सिनहाद सुत्र – पृष्ठ 645 – 53 अनुवाद राहुल सांकृत्यायन!
6. दलाइफ ऑफ लिगेंड ऑफ गौतम पृष्ठ 74 – 75 भदंत जी विगाडें ।
7. वही पृष्ठ 72 – 73 !

1. वही!

कबीर के काव्य में व्यंग्य

*डॉ0 शैलेन्द्र कुमार**

हिन्दी–साहित्य में कबीर को प्रथम व्यंग्य लेखक एवं मील का पत्थर माना गया है। कबीर ने सम–सामयिक व्यवस्था में व्याप्त, पाखण्ड, कर्मकाण्ड, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति–पांति आदि विद्रपुता के हर मोड़ पर व्यंग्य किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्यकारों में इन्हें सर्वश्रेश्ठ मानते हुए लिखा है कि ''साधारण हिन्दू गृहस्थ पर आक्रमण करते समय वे लापरवाह होते है और इसीलिए लापरवाही भरी एक हँसी उनके अंधरों पर खेलती रहती है। मानों वे इन अदने आदमियों को इस योग्य भी नहीं समझ रहे हो जिन पर आक्रमण किया जा सके। परन्तु इस लापरवाहों के कारण ही इन आक्रमणों में एक सहज भव और एक जीवन्त काव्य मूर्तिमान हो उठा है। यही लापरवाही कबीर के व्यंग्यों की जान है।''

कबीर सीधी सरल भाशा में तेज धारदार बात कह जाने वाले एक कुशल व्यंग्यकार थे। इन्हें हिन्दी का पहला विध्वंस विशेशज्ञ भी कहा गया हे। उनमें 'अपना घर फूँक के तमाशा देखने' की लापरवाही थी तो शीश फटा के भुई धरा देने का अदम्य साहस भी। उनके इसी मस्ती भरे फक्कड़पन ने आज के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को अपना भक्त बना लिया। कबीर का कटु सत्य और तिलमिला देने वाला व्यंग्य उन्हें समाज चेता और क्रांतिकारी युगद्रश्टा बन गया। कबीर ने ही साहित्य का परिचय यथार्थ से कराया और सुधार की भावना को साहित्य में स्थान दिया। यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि उन्होंने हिन्दी–साहित्य में व्यंग्य लिखने की परम्परा का सूत्रपात किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिन्दी का अकेला जबरदस्त व्यंग्यकार माना है। कबीर का उदय विसंगतियों के ही मध्य हुआ। यह समय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्रांतियों के शीर्श का युग था। राजनीतिक अस्थिरता से उपजी अमानवीयता, धार्मिक मतवाद, पाखण्ड, कर्मकाण्ड, हिन्दू–मुस्लिम संस्कृति के टकराव के कारण उपजे विद्वेश आदि ने एक साथ कबीर को रचना के उस माध्यम का आश्रय लेने के लिये मानों आमंत्रण दिया, जिसे व्यंग्य कहा गया। कबीर ने जाति, वर्ग, सम्प्रदाय एवं संस्कारों के बाधकों को तोड़कर उच्चवर्गीय मानसिकता की तीखी आलोचना की। समाज एवं धर्म के संगठन के लिये कबीर ने ब्राह्मचारों पर प्रहार किया। हिन्दू की 'हिन्दुवाई' हो या मुसमानों की 'तुकराई' कबीर ने समान रूप से दोनों पर प्रहार किया। समकालीन असंगतियों, विद्रूपताओं को कबीर ने अपना लक्ष्य बनाया। कबीर की क्षमता को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं थी। अपनी अक्खड़ता के कारण वे आलम्बन पर सीधे व्यंग्य करते है। कबीर के प्रहारक एवं सुधारक व्यक्तित्व का परिचय उनके यथार्थपरक चित्रण से स्पश्टत झलकता है।

कबीर का फक्कड़ी व्यक्तित्व स्वयं को भी व्यंग्य के दायरे से मुक्त नहीं रखता, यही कारण है कि उसे व्यंग्यों में तिलमिलाहट तथा कटुतापूर्ण फटकार है जो उन्हें सफल व्यंग्यकार सिद्ध करती है।

कबीर हिन्दी–साहित्य में व्यंग्य–विधा–परम्परा के सबसे पहले व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते है। कबीर ने समाज में व्याप्त लोकाचार का खोखलापन, जाति–पांति, छुआ–छुत, वर्णभेद इत्यादि पर अपनी ओजस्वी वाणी से ऐसा प्रहार किया है जो उन्हें एक सुधारक के रूप में स्थापित करता है। धार्मिक क्षेत्र में जहाँ उन्होंने छापा, तिलक वाह्याडम्बरों, मूर्तिपूजा इत्यादि का खण्डन किया है तो सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जातिवाद व छुआ–छूत आदि का विरोध करते हुए समाज में सुधार का कार्य किया है। अपने विरोधों को प्रकट करने के लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। उन्होंने अपना परिचय विद्रोही तेवर के रूप में सामाजिक

* **प्रवक्ता परास्नातक (हिन्दी विभाग) संत ग्राम्यँाचल पी0जी0 कॉलेज, सुरही, बलिया।**

बुराईयों पर तीखे व्यंग्य द्वारा प्रहार करके दिया है। आरम्भ में 'व्यंग्य' को उपहास या मजाक के रूप में लिया जाता था। कबीर ने ही सर्वप्रथम व्यंग्य–शक्ति के सामर्थ्य को उपहास व मजाक के स्तर से उपर उठाया और व्यंग्य के प्रहारक व सुधारक चरित्र को प्रस्तुत किया। चूंकि कबीर ने व्यंग्य को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। वे फक्कड़ स्वभाव के हाने के कारण तथा देश–भ्रमण व साधु संगति में जो ज्ञान अर्जित करते थे, उसे ही अपनी वाणी के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए करते थे। उनके द्वारा जो उपदेश दिये जाते थे वे स्वतः ही व्यंग्य का रूप ले लेते थे। उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि कबीर स्पश्टवादी होने के कारण जैसा अनुभव करते थे उसे वैसा ही कह देते थे। प्रो0 कांति कुमार जैन[1] के अनुसार ''कबीरदास को हिन्दी का पहला व्यंग्यकार कहा गया है। वे हिन्दी प्रथम विध्वसंक व्यंग्यकार है। धर्म और समाज का मलवा साफ करने का जो कार्य कबीर ने किया वह किसी और से नहीं हुआ। यह केवल संयोग की बात नहीं है कि हमारे युग के सबसे बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई स्वयं को कबीरदास का भक्त घोशित करते है। कबीर के सीधे, बेलोंस बखिया उतार उधेड़ मस्ती और फक्कड़पन से भरे व्यंग्यों का मैं भक्त रहा हूँ।''[2]

कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जिस समय समाज में धार्मिक संघशर्स चल रहे थे। हिन्दू अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और मुस्लिम अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। परिणामतः दोनों में संघर्श प्रारम्भ हो गया। हिन्दू व मुसलमान दोनों ही अपने आचारों, रीति–रिवाजों, परम्पराओं, सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों में कट्टरता लिये हुए थे। उस समय समाज के ठेकेदारों ने जनता को मूर्ख बनाकर अनेकानेक पाखण्डों, रूढ़ियों, अन्धविश्वासों, आडम्बरों की स्थापना की तथा जनता को उनका पालन करने के लिये मजबूर किया। इसलिए उस समय के समाज को एक ऐसे महात्मा की आवश्यकता थी जो इन सभी का खण्डन करके नये विचारों की स्थापना कर, समाज में शांति कायम करे तथा हिन्दू–मुस्लिम संघर्शों को समाप्त कर सके। ऐसे समय में कबीर का जन्म हुआ। उन्होंने उस समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों, बाह्याडम्बरों आदि का खण्डन करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया।

एक तरफ तो कबीर ने हिन्दुओं में फैली बुराइयों व मिथ्या परम्पराओं का विरोध किया वही दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि –

''कांकरि पाथरि जोरिकै, मस्जिद लई चुनाए
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय।''

कबीर ने एक सुधारक का कार्य करते हुए दोनों धर्मों एवं समाज की बुराइयों का पर्दाफाश किया। कबीर एक समाज सुधारक होने के साथ ही एक उच्च कोटि के व्यंग्यकार भी थे। कबीर के व्यंग्य की विशेशताओं को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। ''साधारण हिन्दू गृहस्थ पर आक्रमण करते समय वे लापरवाह होते है और इसलिए लापरवाही भरी व्यंग्य वाणी उनके अंधरों पर खेलती हैं। मानों वे इन अदने आदमियों को इस योग्य भी न समझा पा रहे हो जिन पर आक्रमण यिका जा सके, परन्तु इस लापरवाही के कारण ही इन आक्रमणें में एक सहज भाव और एक जीवन्त काव्य मूर्तिभाव हो उठा है। यही लापरवाही उनके व्यंग्यों की जान है।''[3]

द्विवेदी जी के अनुसार वहीं व्यंग्य श्रेश्ठ है जो बिना किसी आडम्बर के सीधी सरल भाशा में कह दी जाय और उनका प्रहार इतना तीखा हो कि जिस पर व्यंग्य किया जाये वह तिलमिला उठे यानि सीधी सरल भाशा में किया जा गया तीखा प्रहार ही व्यंग्यकार की कुशलता को सिद्ध करता है। यह कुशलता ही उच्चकोटि के व्यंग्यकार के रूप में कबीर को स्थापित करती है।[4]

''कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।।''

संदर्भ –

1. डॉ0 नागेन्द्र, हिन्दी कविता में हास्य–रस, पृ0–14
2. कबीर दास, कांति कुमार जैन, पृ0–85
3. कबीर, हजारी प्रासद द्विवेदी, तीसरा संस्करण, पृ0–171
4. वहीं, शेरगंज गर्ग, पृ0–445

डॉ० भीमराव अम्बेडकरः आदर्श समाज की सोच

डॉ0 नीतिवंत कुमार

आधुनिक भारतीय समृद्ध राजनीतिक चिंतन की श्रृंखला में अम्बेडकर की स्मृति किंचित ही सुधारक के रूप में हो पड़ती है। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक वैशम्य की लम्बी पीड़ा सहने वाली दलित मानवता के परित्राण हेतु डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयास किया। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, 'वे हिन्दु समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे।' उन्होंने अपना पूरा जीवन शोशित एवं पीड़ित मानवता के उद्धार में होम कर दिया।

जहाँ तक अम्बेडकर के विचार–दर्शन की बात है, तो यह मात्र औपचारिकताओं की पोटली सरीखी नहीं अपितु वृहत् चिंतन है जो एक आदर्श समाज, आदर्श देश एवं एक आदर्श लोकतंत्र के लिए निहायत ही आवश्यक जान पड़ता है। डॉ0 अम्बेडकर का भारतीय राश्ट्रवाद के निर्माण, भारतीय समाज की संरचना के पुर्ननिर्माण तथा भारतीय संविधान की संरचना में किया गया योगदान अप्रतिम एवं महान है, अस्पृश्यता एवं जाति प्रथा के विरूद्ध उनका संघर्श महानतम एवं सफल था।

भारतीय समाज व राजनीति सदा से ही जातिग्रस्त थे, चिरकाल से ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विशमताओं से समाज आक्रान्त था। संविधान निर्माण के पूर्व जातिगत विशमता की आग में इस देश की जनता त्राहि–त्राहि कर रही थी। डॉ0 अम्बेडकर ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से आवाज उठायी। उनका हथियार था, कानूनी, राजनीतिक, उनका अभिशाप था हिन्दु जाति में उपेक्षावाद और उनकी महत्वाकांक्षा थी सामाजिक लोकतंत्र। पराधीन भारत को आजाद कराना उनकी प्रतिबद्धता थी। उनके अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति को एक संवैधानिक आक्रमकता में जोड़ दिया गया और जिसे सामाजिक मुक्ति आन्दोलन के लिये तैयार किया गया। स्वतंत्रता से पहले के भारत और संविधान सभा दोनों मे ही सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्श को याद करना और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आज के समय में उसकी बरकरार प्रासंगिकता पर चिंतन करना हमेशा ही एक फायदेमंद और संतोशजनक अभ्यास है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की रचनाओं के मुख्य विशयों में एक सामाजिक न्याय और न्याय संगत समाज की स्थापना थी।

सामाजिक न्याय का मूल आधार है समाज के वंचित, शोशित, पीड़ित एवं दीन वर्गों का उत्थान। इसका प्रमुख उद्येश्य है मानव–जाति को सामाजिक और आर्थिक शोशण व भेदभाव की पारंपरिक कैद से मुक्त कराना। वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वतंत्रता और समान अधिकार सुनिश्चित हो सके। सामाजिक न्याय की अवधारणा जैसा कि संयुक्त राश्ट्र द्वारा अपनी 1948 की घोशणा में परिकल्पित मानवाधिकारों और भारत के संविधान मे दिये मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ी है; लेकिन वे समानार्थक नहीं है। मौलिक अधिकार अर्थात स्वतंत्रता एवं समता का अधिकार, शोशण के विरूद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार आदि मानव के व्यक्तित्व के सम्यक विकास के लिये अनिवार्य है।

सामाजिक न्याय समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमा से आबद्ध है। ये तीनों सामाजिक न्याय के लिये अनिवार्य है। इनमें से एक को भी नकारना, न्याय को नकारने जैसा है। ब्रिटिश शासन ने भी अछूतों की दशा सुधारने के लिये कुछ भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने ने भी उन्हें राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा किः–

1. अछूत इस तरह से सामाजिक बना दिया गया था कि उन्होंने अपने निम्न स्तर की कभी भी शिकायत नहीं की।

2. अछूतों को अपने साथ समान आदर के साथ वर्ताव करने के लिए दूसरी जाति के लोगों को मजबूर कर अपना जीवन बेहतर बनाने का सपना नहीं देखने दिया गया।
3. अछूतों को यह सोचने के लिए विवश किया जाता था कि वे निचले तबके में जन्में हैं, उनका भाग्य बिल्कुर स्थिर नहीं था।
4. अछूतों को इस मामले में बाध्य किया जाता था कि अपने बेहतर जिंदगी के लिए भी कुछ बोले नहीं अछूतो को सड़कों पर खड़ा होने के अधिकार से भी वंचित रखा जाता था। उच्च वर्गों के व्यक्ति अपने ऊपर अछूतो की छाया से भी घृणा करते थे। सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को जाने की मनाही थी। मंदिर, कुऑ पर उसका प्रवेश पुर्णतः वर्जित था। इतना घोर अन्याय उसके साथ किया जाता था। रोटी, कपड़ा, मकान के आभाव में वे प्राणों को गवा देते थे। कर्ज में जन्म एवं कर्ज में ही मृत्यु उसे नसीब थी। शिक्षा हासिल करने का भी हक उसे नहीं था। इतनी बर्बरता के साथ उच्च वर्ग निम्न वर्गों के साथ पेश आते थे, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता ।

डॉ0 अम्बेडकर ने वैसे शोशकों के खिलाफ बगावत किया; क्रमशः शिक्षा से उन नीचे दबे कुचले लोगों के लिए रोटी, मकान, शिक्षा दिलाने के लिए जीवन–भर संघर्श करते रहे। क्रमिक रूप से उसकी स्थिति में सुधार होने लगी। परमात्मा ने सबको जन्म दिया है, सबों को जीने का हक है, पढ़ने का हक है, नौकरी पाने का हक है।

सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय एक स्पश्ट अनिवार्यता है जिसे केवल हमारे समाज के शोशित और वंचित वर्गों की गरीबी को सशक्तिकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नौकरी और शिक्षा सबों के लिए अनिवार्य है। न्यायधीश कृश्ण अय्यर का मत है कि 'यदि भूमिहीन दलित को जमीन नहीं दी गयी, कंगाल अछूतों को छोटे पैमाने पर कारखाने शुरू करने का अवसर नहीं दिया गया, बंधुआ महिलाओं को दासता से मुक्त नहीं किया गया, अनपढ़ अव्यवस्थित, बेसहारा परिस्थितियों में घसीटे जाने वाले दलित युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई तो सामाजिक न्याय के दो स्तम्भ समानता और स्वतंत्रता अर्थहीन अस्तित्वहीन हो जायेगा। डॉ0 अम्बेडकर ने कहा कि यदि जाति व्यवस्था को खत्म करने की रूचि रखने वाला भारतीय समाज का निम्न वर्ग शिक्षित हो तो जाति व्यवस्था खत्म हो सकेगी। जो लोग जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा देने से भारत में लोकतंत्र की संभावना बेहतर होगी और लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में रहेगा। उनके अनुसार गरीब जनता को शिक्षित करना उनमें राजनीतिक चेतना एवं संवैधानिक स्वभाव की वास्तविक प्रकृति का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षा का अर्थ– शान्ति तथा न्याय में लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण। वे शिक्षा के बारे में इतना अधिक सोचते थे कि उनके नारे– शिक्षित बनो, संघठित रहो और आंदोलन करो– में शीर्श प्राथमिकता सबको देनी पड़ेगी। अम्बेडकर जाति और अन्याय के खिलाफ लड़े। उन्होंने मानवाधिकारों को बनाने के लिए कठिन संघर्श किया। वे भारत की आम जनता को संगठित करना चाहते थे, वे स्पश्ट रूप से कहते थे कि लोकतंत्र का लक्ष्य है पूरे समाज का व्यावहारिक हित न कि किसी वर्ग, समूह या समुदाय का हित। वे लोकतंत्र को सामाजिक संगठन मानते थे, स्वशासन व सुशासन दोनों की उन्हें उत्कंठा थी। इसी के आधार पर सच्चे लोकतंत्र की प्राण प्रतिश्ठा रह सकती है।

सामाजिक न्याय के प्रति उनका नजरिया मानवतावादी होने के साथ राश्ट्रवादी भी था। वे न केवल विदेशी शासन से आजादी ही चाहते थे बल्कि आम जनता के लिए आन्तरिक आजादी भी चाहते थे। वे कहते थे कि हमारे पास ऐसी सरकार हो जिसकी कार्य संस्कृति सबों के लिए अपेक्षित हों। अनुशासनहीनता न तो जनता में और न उनके प्रतिनिधि में ही हो।

निश्कर्शः– स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व अम्बेडकर की विचारधारा थी। इन तीनों के प्रति उनमें गहरी निश्ठा थी। इसी सिद्धान्त पर वे सम्पूर्ण मानव समाज की आदर्श अट्टालिका खड़ी करना

चाहते थे। उन्होंने इन्हीं सिद्धांतो की आधारशिला पर एक आदर्श समाज एवं राश्ट्र की परिकल्पना की थी। अम्बेडकर ने स्पश्ट शब्दों में कहा कि आर्थिक विशमता और सामाजिक अन्याय स्वतंत्रता के विपरीत की अस्वीकृति है। सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निस्सार है; लेकिन स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि समाज के लोगों में एकता की सुदृढ़ भावना हो, सबसे पहले तो लोगों को यह स्वीकार करना होगा कि उनका साझा हित ही साझा भविश्य है। जाति और धर्म की बाधाओं से विभाजित समाज में एक वर्ग या जाति के लोग दूसरी जाति या वर्ग के लोगों को संदेह के दृश्टि से देखेंगे। एक समाज का साझा लक्ष्य उसी स्थिति में हो सकता है जब समाज के लोग अपने साथियों के सुखःदुख में भागीदार हों। समाज में भातृत्व की यह भावना पैदा होनी चाहिए। इस प्रकार भातृत्व स्वतंत्रता व समानता के लिए एक आवश्यक शर्त बन जाती है। अम्बेडकर ने यह स्पश्ट कर दिया था कि उनकी धारणा के अनुरूप एक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित समाज होगा। अम्बेडकर की सामाजिक और कानूनी दृश्टि का केन्द्रीय विशय है अनुभवजन्य मनुश्य और मानव व इस जीवन में मानव के बीच सही सम्बन्धों की स्थापना। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित सम्बन्धों से नैतिक समाज और आपसी सम्मान का लोकतांत्रिक और मानवतावादी समाज उभरेगा।

संदर्भः—

1. शर्मा, बी.एम.,रामकृश्ण दत्त शर्मा एवं सबिता शर्मा, भारतीय राजनीतिक विचारक, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2005।
2. .जाटव, डी.आर., डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर का नैतिक दर्शन, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1990।
3. चन्द्रा, भारिल, सोशल एण्ड पोलिटिकल आईडियाज ऑफ बी0आर0 अम्बेडकर, जयपुर, 1977।
4. दौयश, केवेथ एल.,(संपा) पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, नई दिल्ली, 1986।
5. वर्मा, वी.पी. मॉर्डन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एल.एम. अग्रवाल एडुकेशनल पब्लिसर, आगरा, 1974।
6. .जाटव, डी.आर., डॉ0 अम्बेडकरः व्यक्तित्व एवं कृतित्व, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1933।

नयी पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका

*डा0 रामभजू राम**

भारत गांवों का देश है। गांवों की उन्नति और प्रगति पर भारत की उन्नति और प्रगति निर्भर करती है। अगर प्राचीन काल से देखा जाय तो ग्रामीण जीवन अपने आप में पूर्ण था। प्राचीन काल से ही ग्रामीण पंचायत किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। वर्तमान में भी पंचायत किसी न किसी रूप से ग्रामीण विकास में अपना सहयोग कर रहा है। यह सरलता से अनुभाविक आधार पर स्वीकार किया जाना औचित्यपूर्ण होगा कि गांवो के विकास के लिए इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इनके महत्व के आकलन के आधार पर संविधान में संशोधन कर भारत सरकार ने ग्रामीण पंचायत राज संस्थाओं को 1993 में कानूनी रूप दे दिया है।

भारत के प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों से पंचायती राज की अवधारणा का अर्थ ध्वनित होता है जिसके आधार पर इसको परिभाषित करने का प्रयास किया जा सकता है। 'भारतीय पंचायत' शब्द संस्कृत भाषा के ''पंचायतन' शब्दों से उद्भूत हुआ जान पड़ता है। संस्कृत भाषा के ग्रंथों में किसी आध्यात्मिक पुरुष के सहित पांच पुरूषों के समूह को पंचायत की संज्ञा दी गई है। पंचायती शब्द का शाब्दिक अर्थ पांच जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन से है। पंचायत में पांच लोग होते थे जिनका निर्णय सर्वोपरि माना जाता था। इनको पंच परमेश्वर का दर्जा मिलता था। वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था अनेक प्रकार के हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि, "यदि हमारी स्वाधीनताको जनता की आवाज को प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों की जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतनी ही भली है।''

गांधी जी ने भी पंचायत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि ''पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्रामवासियों द्वारा चयनित पांच जन प्रतिनिधियों से है।''[1]

राज्यों में पंचायती राज की अवधारणा का अभिप्राय ग्रामीण सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन मात्र माना जाता है। दूसरी अवधारणा यह है कि ''पंचायतें ग्रामों तथा राजनीतिज्ञों के बीच अनुकूलता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र का विकास मात्र है।'' इसकी तीसरी अवाधारणा यह है कि नौकरशाही पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्तर से लेकर राजकीय प्राथमिक व्यवस्था के स्तर तक जुड़ी हुई है।

पंचायती राज की अवधारणा जो गांधीवादी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। वह यह है कि, "राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, सम्प्रति का विकेन्द्रीकरण के साथ ही होना चाहिए।''[2]

पंचायती राज व्यवस्था के विषय में महात्मा गांधी का विचार ग्राम स्वराज के प्रसंग में महत्वपूर्ण है ग्राम स्वराज का अर्थ है कि ''सरकारीनियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयत्न करना। चाहे वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज मिलने के बाद भी लोग अपने जीवन के हर छोटी समस्याओं का नियमन के लिए सरकार का मुंह देखना शुरू कर दें, तो वह स्वराज किसी काम का नहीं है।[3] उनका विचार था कि ''लोकसम्मति के अनुसार होने वाला भारत में शासन निश्चित ही देश के बालिक लोगों के मत के जरिये गांव के विकास को सुनिश्चित करेगा।''[4]

पंडित नेहरू ने कहा है, ''पंचायत राज सरकारी इमारत की नींव है, यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर खड़ी हुई इमारत कमजोरहोगी।''[5]

***राजनीतिशास्त्र विभाग, दी० द० उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर**

इसी प्रकार एस0के0 डी0 ने कहा है कि, "यदि निहित स्वार्थो तथा नौकरशाही, सामन्तवादी, पुँजीवादी तथा महन्तवादी की बुराईयों से छुटकारा पाना है तो पंचायतों को सुदृढ़ आधार पर स्थापित करना होगा।"[6]

इस आधार पर यह पंचायती राज की आत्मा यह थी कि इस व्यवस्था के द्वारा अपने आप में ग्रामीण जीवन शासित होना था। उनके छोटा–मोटा विवादों का हल गांव स्तर पर ही पंचायतों के माध्यम से होती रही है और यह स्वतंत्रता के पूर्व तक चलती रही है। जिसके फलस्वरूप खर्चीले मुकदमें से लोग बचते रहे हैं। और लोगों में साथ ही साथ स्वशासित होने का संस्कार रही है। इस तरह स्वशासित होने की समाजिकरण की प्रक्रिया का परिणाम एक लम्बी अवधी तक ग्रामीण जनजीवन के हित में थी। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखा गया था। कि पहले से कम महत्वपूर्ण हैं उनके लिए अधिक से अधिक विकास कार्यक्रमों को इस पंचायती व्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। तथा पंचायती व्यवस्था को और मुजबुती प्रदान करेगी। इस तरह से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास में गांवों की आधुनिकीकरण में गति लाने का अनुमान लगाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास में पंचायती व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह हैं कि ग्रामीण स्तर पर संस्थागत बदलाव की प्रक्रिया में एक अभिकरण के रूप में पंचायती व्यवस्था का रूप केन्द्रीत है। पंचायती राज का जो शासन पद्धति पहले से विद्यमान थी वही थोड़ा बदलाव करके लागू है। पहले पंचों द्वारा निर्णय हो जाता था लेकिन आज एक व्यक्ति द्वारा निर्णय होता है। जिससे व्यक्तियों को छुद्र रूप में सहन करना पड़ता है या न्यायालय का शरण लेना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति विशेष में शासन का भार सौंप दिया जाता है तो उसके स्वार्थ की भावना दिखाई देने लगती है। स्वतंत्रता' के पूर्व जो गांधी जी ग्रामीण स्वराज का सपना देखें थे उसमें आज केग्रामीण स्वराज में अन्तर दिखायी पड़ रहा है। गांधी जी का कहना था कि ग्रामीण लोगों के हाथ में शासन सत्ता की बागडोर होगी। लेकिन आज कुछ शक्तिसम्पन्न लोगों का कठपुतली मात्र बनकर रह गया है।

पंचायती राज व्यवस्था प्रारम्भ :

पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव कब हुआ तथा इसका आरंभिक काल क्या था यह कहना कठीन है। यह अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि मानव समाज सामाजिक बंधनों में बंधना शुरू किया और अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ नियम बनाया, या यह कहा जा सकता है कि, मानव समाज के उदय के साथ ही पंचायती व्यवस्था का स्थान मिला होगा। पांच व्यक्तियों की संख्या एक संस्था थी। जिसका अस्तित्व अनेक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के साथ भी बना हुआ है।[7]

ब्रिटिश सरकार में शासन सत्ता ''ध्रूवीकरण'' के प्रति सजग थी। इसलिए ग्रामीण लोकतंत्र की इन सक्षम इकाईयों को निष्क्रिय बनाना चाहती थी। फलतः ब्रिटिश शासकों ने पंचायत व्यवस्था को क्रमशः पंगु बना दिया। उन्होंने सरकारी अधिकार बढ़ाने और पंचायतों का अधिकारऔर कार्य क्षेत्र घटाने के प्रयास इस स्तर तक किये कि पंचायतों के प्रशासनिक और न्यायिक मामलों को निपटाने के अधिकार भी छिन गये। ब्रिटिश सरकार ने अपनी सोची समझी नीति के अनुसार रोजगार केअवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें नगरों में केन्द्रीत कर ली। ग्रामीण क्षेत्र के विवादों को निपटाने के लिए भी अदालते नगरीय क्षेत्र में बनायी गयी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि प्रबुद्ध ग्रामीण जनसमूह नगरों की ओर आकर्षित होता गया और पंचायतें अशक्त होती गयी। इस संस्था के नष्ट हो जाने से जब ब्रिटिश सरकार कठिनाई अनुभव करने लगी तो पुनः उसने इस संस्था की आवश्यकता अनुभव करने लगी। और इस संदर्भ में सुझाव देने के लिए 1907 में ''विकेन्द्रीकरण पर 'शाही आयोग' बनाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1909 में प्रस्तुत की। विकेन्द्रीकरण पर शाही आयोग 1909 में भी यह अनुभव किया कि दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना और राजस्व तथा पुलिस प्रशासन में परिवर्तन के कारण

ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गयी। अतः आयोग ने यह सिफारिश की कि स्थानीय गतिविधियों के प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतें गठित और विकसित किया जाना चाहिए। आयोग का मत था कि दीवानी और – फौजदारी न्याय व्यवस्था ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्र में पाठशालाओंका भवन निर्माण और उनके रख–रखाव तथा पशुपालन से सम्बद्ध कार्य पंचायतों को दिये जाने चाहिए। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को अंततः स्वीकार किया और 1919 में मांटेग्यू चेम्ज फोर्ड सुधार के फलस्वरूप स्थानीय स्वायत्तता शासन और पंचायतों के भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। इस अधिनियम में पंचायतों के लिए नीति और कानून बनाने का दायित्व प्रान्तीय सरकारों को सौंपा गया। इसके पश्चात विभिन्न प्रांतों ने पंचायत कानून पारित किया। परन्तु पंचायतों के क्रियाविधि में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका।

अंग्रेजी शासन में पंचायतें यथावत बनी रहीं। लेकिन अनौपचारिक स्तर का पंचायतों के पास निर्णय कार्यान्वित कराने की शक्ति नहीं थी। पंचायतें फैसले की कार्यवाही करती थी, दण्डित करती थीं, लेकिन इसकी व्यावहारिकता बहुत कम थी। 1937 में उत्तर प्रदेश के अंतरिम चुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी हुई। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन यूनाईटेड प्राविसेंस में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार का गठन किया था। इसके पहचान के बाद ही भारत सरकार ने इसे वैधानिक रूप देने के लिए कदम बढ़ाया।

स्वतंत्रतोपरान्त भारत में पंचायती राज व्यवस्था

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप देने की आवश्यकता को राजनीतिज्ञों ने महसूस किया। फिर भी कुछ कतिपय राजनीतिज्ञ इसको संवैधानिक स्वायत्तता के पक्ष में नहीं थे। लेकिन गांधी जी के प्रयासों ने इसको साकार रूप दिया। 19 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार विमर्श के समय संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक नया अनुच्छेद रखने का प्रयास किया गया। जिसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। यह नवीन अनुच्छेद भारतीय संविधान का 40वां अनुच्छेद था जिसको भाग–4 में संस्थापित किया गया। इसमें व्यवस्था थी कि ''राज्य पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। इनको इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा, कि उनको स्वायत्त सरकार की इकाईयों के रूप में कार्य करने के योग्य बना सके।'' राजनयिकों का ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण की ओर आकृष्ट हुआ। पंचायतों को इस उद्देश्य के लिए केन्द्र माना गया। अतः पंचायतों के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता समझी गयी। गांधी जी का कहना था कि शुरूआत गांवों से होनी चाहिए। जिससे गांव के लोगों की अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न होना पड़े। यद्यपि देश के स्वतंत्र होने के पश्चात यहां की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया जिससे जनता को स्वायत्त शासन से जनता को बल मिले।

ग्राम पंचायत स्वशासन की बुनियादी लोकतंत्र का सबसे छोटी ईकाई है। यह ग्रामीण समुदायों के हित के लिए ग्रामवासियों की स्वंय की अपनी संस्था है। इसे गांवों के प्रति जनता का उधार माना जाता है। सोचा यह गया कि ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार दे दिये जाएंगे, जिससे गांवों का सर्वांगीण विकास कर सके, तथा ग्रामीण स्तर पर उनका कार्यान्वयन कर सके। इसी सर्वांगीण विकास हेतु 1952 में 'सामुदायिक विकास योजना' एवं 1953 में 'राष्ट्रीय प्रसार योजना' प्रारंभ की गयी, इसके साधन के रूप में पंचायती व्यवस्था को अंगीगृत किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्याकन के लिए 1957 में बलवन्त राय मेहता की समिति गठित की गयी, इसको और अधिक सफल बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि इसका जनसहभागी होना अनिवार्य है। तत्कालीन पंचायती व्यवस्था के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को भी आवश्यक बताया गया।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पंचायती राज को साधन के रूप में अपनाते हुए 1959 में सामुदायिक विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि वे अपने राज्य की

विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए,पंचायती राज व्यवस्था की योजना को लागू करें। इस प्रकार सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू के उदघाटन भाषण के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गयी। उसके पश्चात अनेक प्रदेशों ने इसको अपनाया। 11 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा आन्ध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज का उदघाटन किया।

भारत में नवीन पंचायती राज का 1993 में संवैधानिक प्रमाण :

पंचायतों को खोये हुए अस्तित्व को अधिक शक्तियां और दायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से नवीन पंचायती राज व्यवस्था विषयक संशोधन आवश्यक समझा गया। संपूर्ण देश में पंचायतों की संरचना में एकरूपता लाने और उन्हें ग्रामीण विकास के लिये उत्तरदायी प्रभुता सम्पन्न इकाई के रूप में पुनर्गठित करने के लिये उन्हें संवैधानिक फैसला देने का फैसला किया गया। इस दिशा में स्व0 राजीव गांधी एक नयी सोच के साथ कदम बढ़ाये। सबसे पहले 27 से 30 जनवरी 1989 को पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया गया। अपने भाषण में उन्होंने कहा– जरूरी है कि हम शक्ति जनता के हाथ में दें। आम लोगों के हाथों में दें, इसमें हमें खास ध्यान देना होगा कमजोर वर्गों पर, हरिजनों और आदिवासियों व महिलाओं पर। हमें खास ध्यान देना होगा अपने भाषाई. अल्पसंख्यकों की तरफ और दूसरे अल्पसंख्यकों के तरफ। अल्पसंख्यकों को बचाना होगा। हमें देखना होगा कि जब हम यह सुपूर्दगी करें तो जो हमारी सामाजिक कड़िया हैं वे इनमें भी नीचे न आयें। हमें देखना होगा कि अत्याचार और कम हो, बढ़ न जाये इस सुपुर्दगी के साथ।[8]

अपने भाषण में स्व0 राजीव गांधी ने स्पष्ट घोषणा की कि पंचायतों में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे में भी इन वगों की महिलाओं के लिए अलग स्थान रहेंगे।'[9]

देश में हर राज्य में अलग–अलग स्तर की पंचायत प्रणाली होने के कारण एकरूपता नहीं थी। कहीं एक रतरीय, कहीं दो स्तरीय ओर कहीं तीन स्तरीय। इस असमानता को भी ध्यान में रखा गया। पंचायत पूरी तरह से राज्य सरकारों की इच्छा पर चलती थी। अपनी इच्छानुसार जव चाहे राज्य इन्हें भंग कर दे और फिर वर्षों तक उसका चुनाव ही नहीं होता था, वर्षों के अनुभव और समीक्षा से यह जानकारी मिली की अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कमजोर और निष्प्रभावी हो गयी है। समय पर पंचायतों का चुनाव न कराने, कमजोर वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने, वित्तीय संशाधनों के आवंटन और उनके समस्याओं ने पंचायती राज व्यवस्था को खोखला बना दिया।

इस सव समस्या को जानने समझने तथा व्यापक संवाद स्थापित करने के बाद स्व0 राजीव गांधी ने 15 मई 1989 को पंचायती राज के बारे में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में पेश किया। लोकसभा ने इस विधेयक को 10 अगस्त, 1989 को पारित कर दिया। यह एक व्यापक विधेयक था, जिसमें सभी राज्यों और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केन्द्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण मध्यवर्ती और जिलास्तरों की समानतीनस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच वर्ष की सुनिश्चित अवधि और समय से पूर्व इन संस्थानों के भंग होने की स्थिति में छः माह के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था पंचायती राज संस्थानों को विशेष अधिकार और दायित्व संविधान ' में नई अनुसूचि (11वीं अनुसूची) जोड़ना पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली विषयों का उल्लेख निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों की चुनाव कराने की व्यवस्था आदि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अन्य आवश्यक पहलूओं का समावेश किया गया था। लोकसभा ने तो इस विधेयक को मंजूरी दे दी, परन्तु राज्यसभा में यह पारित नहीं हुआ। जिसके कारण यह कानून नहीं बन सका।

नवीं लोकसभा गठित होने पर वी0पी0 सिंह सरकार ने 07 सितम्बर 1990 को एक संशोधित विधेयक पेश किया लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक भी अकाल मौत मर गया।

दसवीं लोकसभा गठित होने के बाद प्रधानमंत्री पी0वी0 नरसिम्हा राव ने 16 सितम्बर 1991 को संविधान (72वां) संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे दिसम्बर 1991 को संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने आवश्यक संशोधन के साथ 14 जुलाई 1992 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद संसद ने इसे पारित कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति दिये जाने के बाद 4 अप्रैल 1993 से पंचायती राजसंबंधी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया।[10]

73वें संशोधन संविधान अधिनियम से स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में तीन स्तर की पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। इसमें पंचायत संस्थाओं के लिए नियमित चुनावों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग और एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण, पिछड़ी जातियों के नागरिकों के लिए आरक्षण का अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों आदि की व्यवस्थाएं भी हैं। इन संस्थाओं के उपयुक्त स्तरों पर पर्याप्त अधिकार और दायित्व सौंपे जाएंगे। ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाएं तैयार कर सकें और उन्हें अमल में ला सके।

समस्या निरूपण (Statement of the Problem)

महत्व :

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा. जिला पंचायत समान रूप से महत्वपूर्ण है, तथा एक–दूसरे से संबंधित है। इसके पश्चात भी यदि इन विभिन्न इकाइयों के महत्व को तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज्ञात किया जाय तो स्पष्ट होता है कि इन सभी इकाइयों में ग्राम पंचायत का महत्व सबसे अधिक है। ग्राम पंचायते नकेवल गांव में स्वस्थ नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करती है। बल्कि इसी के माध्यम से एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था संभव हो पाती है। जिसमें शासन प्रभाव नीचे से उपर की ओर होता है। ग्राम पंचायत ही वह माध्यम है जिनके द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण के लिए सुझाव दिये जाते हैं, तथा उन योजनाओं के निर्माण के कार्यान्यन को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। स्थानीय स्थायी संस्था के बिना विकास कार्य करना असंभव है। किसी भी योजना का कार्यक्रम की सफलता तब तक संभव नहीं है, जब तक कि स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त न हो। नयी पंचायती राज व्यवस्था में जो परिवर्तन और नेतृत्व से आ रहा है वह ग्रामीण समाज को एक नया मोड़ दे रहा है। तभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल होगा। कुछ विचारकों का मानना है। कि ''पचायते केवल ग्रामीण विकास की ही नहीं बल्कि भारत की विकास की धुरी है।'' भारतवर्ष में ग्राम पंचायतों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत छोटे से छोटे प्रत्येक स्थान पर ग्रामीणों की गणतंत्र की शिक्षा देने तथा अपना विकास स्वयं करने का प्रशिक्षण देने वालों में से सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इनमें ग्रामीण गणतंत्र का सभी गुण विद्यमान है। यह कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता ग्रामीण। सामाजिक संरचना में स्थायित्व तथा निरंतरता के लिये है।

समस्या :

वर्तमान भारतीय ग्रामीण समुदाय आज परिवर्तन की प्रक्रिया में है। भारतीय ग्रामीण जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन से प्रभावित है। भारतीयसमाज के गठन तथा मूल्यों में भी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण शक्ति संचरना और नेतृत्व में परिवर्तन आना स्वभाविक है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन की यह प्रक्रिया जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में प्रगतिशील बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जीवन अनके नवीन समस्याओं से ग्रसित हो गया है।

निष्कर्ष

भारतवर्ष के लिए गांव आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। देश तभी फलेगा–फुलेगा जब उसकी आत्मा के रूप में गांव की प्रगति हो। गांव का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा संभव है देश में नवीन पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन करते समय नीति निर्माताओं ने परिकल्पना की थी कि नई द्य व्यवस्था से गांव का सर्वांगीण विकास होगा जनसहभागिता बढ़ेगी। प्रशासन से आम लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को जोड़ने की कोशिश को बढ़ावा मिलेगा। गांव की वास्तविक समस्याओं की सही पहचान हो सकेगी। उनके सामाधान के लिए व्यवहारिक हल खोजे जा सकेंगे। ग्रामीण कौशल तथा प्राकृ तिक संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा। ग्राम स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा तथा निर्णय लेने के प्रक्रिया में महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों वर्गों की उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। संविधान संशोधन के अनुक्रम में सरकार द्वारा 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया। नवीन पंचायतीराज व्यवस्था अपने घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के दिशा में कितनी सफल हो पायेगी इसके क्रियान्वयन में इस प्रकार की समस्यायें उठ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने में ये संस्थायें सफल प्रतीत हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने में ये संस्थायें किस सीमा तक योगदान कर पा रही है। इन प्रश्नों का अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इन प्रश्नों को अनदेखा किया गया तो नवीन पंचायती राज व्यवस्था अपने दायित्व का निर्वहन पूरा–पूरा नहीं कर सकेगी और दिन–प्रतिदिन उसके स्वरूप में विकृति होती जायेगी।

संदर्भ सूचि

1. गांधी, एम0के0, ग्राम स्वराज, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद, 1962, पृ0 67 ।
2. डा० फाड़िया, बी०एल०, लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स. आगरा, 2002, पृ0 837 ।
3. खान, एच0 इस्तिजा, "गवर्नमेंट इन रूरल इण्डिया", एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बाम्बे, 1969, पृ0 31 ।
4. गांधी एम0 के0, पूर्वोद्धृत।
5. पंडित नेहरू, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज, सत्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, 1965, पृ0 114 ।
6. डे0एस0के0, पंचायती राज, ए थियोसिस एशिया पब्लिकेशन हाऊस, बाम्बे, 1961, पृ0 15 ।
7. मजुमदार, बी०वी०, 'प्राब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन, साहित्यप्रकाशन, पटना, 1951, पृ0 205 ।
8. "योजना' वर्ष 38, अंक 11, 31 जुलाई 1994, पृ0 22 ।
9. वही, पृ0 22 ।
10. वही, पृ0 22 ।

समता के अधिकार में आरक्षण की भूमिका

*वीरेन्द्र कुमार,**

भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने विगत 11 जून को अपने एक पफैसले मे कहा कि आरक्षण का अध्किार मौलिक अध्किार नहीं है और एक नई बहस को जन्म दे दिया. इस याचिका में यह तर्क दिया गया कि केन्द्रीय मानव संसाध्न विकास मंत्रालय और राज्य सरकार, NEET में राज्यों को समर्पित सीटों को भरने के लिए राज्य के आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रही है, जिसमें निजी और सरकारी कॉलेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर, दंत चिकित्सा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शामिल हैं। तमिलनाडु की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर केन्द्र से राज्य में दी जाने वाली अखिल भारतीय छम्म्ज सीटों में 50: अन्य पिछड़ा वर्ग ;व्ठब्द्ध आरक्षण लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधन के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका केवल मौलिक अध्किारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है और न्यायालय ने ये कहते हुये कि आरक्षण का अध्किार मौलिक अध्किार नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट जाने को कहा।[1]

इससे पहले, न्यायालय ने **मुकेश कुमार और अन्य बनाम उत्तराखण्ड**[2] राज्य में पफैसला दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अध्किार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने जरुर ही नयी वाद–प्रतिवाद को जन्म दे दिया है. पर क्या रिजर्वेशन मूल अध्किार नहीं है? इसको समझने के लिए हमे आरक्षण के कुछ ऐतिहसिक परतों पर दृष्टि डालनी होगी.

भारत में आरक्षण की अवधरणा

भारत मे आरक्षण कि अवधरण अत्यंत प्राचीन हैं। परंतु इसके आधुनिक प्रारूप कि शुरुआत औपनिवेशिक काल से हुआ. सर्वप्रथम, 1902 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के छत्रापति शाहूजी महाराज ने भारत में पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संगठित कदम उठाया। उसके के बाद इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं. मोर्ले मिन्टो रिपफोर्म से मैकडोनाल्ड कोम्मुनल अवॉर्ड तक इसकी लंबी पफेहरिस्त है. उसके बाद पूना पैक्ट के बहस में राजनीतिक आरक्षण का जन्म हुआ. अगर हम आरक्षण को काल खंडो में बांटना चाहे इसका कालक्रम निम्न प्रकार से संभव है–

1.आरक्षण का प्राचीन काल

जहाँ कर्म कि स्वतन्त्राता जाति और वर्ण आधरित थी और इसका असर मानव जीवन के और भी पहलुओ पर आच्छादित हुआ। जिसके लम्बे समय तक प्रचलित होने के कारण समाज के अंदर विभिन्न वर्गो और जातियों के बीच आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तथा सामाजिक पिछड़ापन बड़े पैमाने पर व्याप्त हो गया.

2.आरक्षण का आधुनिक काल

इस काल में सदियों कि बनाई खाई को पाटने का प्रयास किया. सतही तौर पर इस काल को हम दो भागो में बांट सकतें है. एक संविधन के पूर्व और दूसरा संविधन के बाद का काल. भारत में संविधन लागू होने से पूर्व भी आरक्षण के बहुत दृष्टांत है. इसको छत्रापति साहू जी महाराज, डॉ अंबेडकर, गर्वनमेंट आपफ इंडिया, 1909, तथा 1935, और मैकडोनाल्ड कोम्मुनल अवॉर्ड कई प्रयासों के रुप में देख सकते हैं। पूना पैक्ट के परिणाम को राजनितिक आरक्षण के प्रथम बीज के रूप में देखा जा सकता था. इन सारे प्रयासों का प्रतिबिंब का भारतीय संविध्न में सम्मलित हैं।

***शोध छात्रा,स्नातकोत्तर विधि विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना**

संवैधनिक काल के भारत में आरक्षण की नीति और स्वरूप

इंदिरा साहनी वाद के पहले और संविधन लागू होने के बाद आरक्षण से सम्बंध्ति ऐसे बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुयी है जिसके बारे मे चर्चा आवश्यक हैं। **चम्पकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य**[3] के वाद में मद्रास सरकार कि दी गयी आरक्षण के औपनिवेशिक स्वरूप को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर असंवैधनिक कर दिया। तत्पश्चात् भारत कि संविधन सभा ने पहली संवैधनिक संसोध्न कर आरक्षण के प्रावधन को अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा गया, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार था (अनुच्छेद 46)। ये आजाद हिन्दुस्तान में आरक्षण की शुरुआत थी. **बालाजी बनाम मैसूर राज्य**[4] के वाद में कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आये. इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित निर्णय देते हुए निम्नलिखित मसलों को अवलोकित कर अपनी राय रखी.

1. पिछड़ेपन में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दोनों ही शामिल हैं।
2. गरीबी पिछड़ेपन की विशेष मापदंड नहीं हो सकता है। भारत में बड़े लोग गरीब हैं और इस तरीके से समाज का बड़ा वर्ग इस श्रेणी में आ सकता हैं।
3. गरीबी, व्यवसाय, रहने की जगह जैसे सभी कारक पिछड़ेपन में योगदान करते हैं इसलिए हम इन कारकों को अनदेखा नहीं कर सकते।
4. पिछड़ेपन को तय करने के लिए जाति प्रासंगिक कारक नहीं है। अगर सामाजिक पिछड़ापन जाति से तय होगा तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था शाश्वत हो जाएगी।
5. पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण न्यायोचित है.
6. अनुच्छेद 16(4) (रोजगार में आरक्षणद्धको लागू होने के लिए दो बातें आवश्यक है,

   i. संदर्भित नागरिक का वर्ग पिछड़ा हो.

   ii. और वो वर्ग का युक्त युक्त प्रतिनिध्त्वि राज्य के नौकरियो में न हो. बालाजी जी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दुसरे मापदंड को एकान्तिक नहीं माना है.

इसके पश्चात् भी भारतीय परिदृश्य के सामाजिक, न्यायिक और राजनितिक मानस में आरक्षण इक संघर्ष की तरह घुमता रहा. इसने टी देवदासन[5] और एन एम थॉमस[6] वाद को समेटे हुए प्रथम पिछड़ा आयोग से दूसरें पिछड़े आयोग तक की यात्राा पूर्ण की और इंदिरा साहनी वाद के दोराहे तक पंहुचा. यहाँ लगभग वो सारे प्रश्न पिफर से आ कर खड़े हो गए जो बालाजी वाद के मामले में प्रश्नगत थे. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के पफैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एतिहासिक निर्णय दे कर भारत में आरक्षण के स्वरुप को दिशा देने का प्रयास किया.

मंडल आयोग तथा इंदिरा साहनी वाद[7]

काका कालेकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग पर प्रथम आयोग गठित हुआ था. जो अपने तमाम खामियों के कारण अमल में न लाया जा सका. मंडल कमीशन दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। पहले आयोग के लगभग दो दशकों के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधनमंत्राी मोरारजी देसाई ने चुनावी वादा को पुरा करने के लिये दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग, बी पी मंडल के अध्यक्षता में बनाई। इस लिये इसे मंडल आयोग भी कहते है। मंडल आयोग का गठन के उदेश्य निम्मलिखित थे

i. 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन' को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धरित करना

ii. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिपफारिश करना, और

iii. नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों में नियुक्तियों के लिए प्रावधन करने की वांछनीयता की जांच करना।

lV. 1980 मे मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु कई कारणों से ये लागू नहीं हो पाया.

7 अगस्त, 1990 को, समकालीन प्रधनमंत्राी वी पी सिंह ने भारत की संसद में घोषणा की कि सरकार ने दूसरी पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट ;मंडल कमीशन रिपोर्ट) को स्वीकार कर लिया है, जिसने अन्य पिछड़ी जाति के लिए 27ः आरक्षण की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के लागू होने के साथ, ओबीसी या अन्य पिछड़े वर्गों ने भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन के क्षेत्रा में अपना रास्ता बना लिया।

इंदिरा साहनी एक युवा वकील थीं और उन्होंने अपने रास्ते में दिल्ली की सड़क पर विरोध् प्रदर्शनों, रैलियों और प्रदर्शनों को देखा। उन्होंने इस हिंसा विराम हेतु मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई. 16 नवंबर, 1992 को एक नौ–न्यायाधीश बेंच द्वारा मामले और निर्णय, एक मील का पत्थर बन गया। निर्णय 6:3 के अनुपात से लिय गया। निर्णय के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं

i. जाति को इक वर्ग के रुप मे स्वीकार किया गया, जिसने आरक्षण नीति की योग्यता पर एक नई बहस पैदा हुई।
ii. इस निर्णय की दूसरी चिंता पिछड़े वर्गों के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान करना था। पिछड़े वर्गो के अंदर सम्रित लोगों कि उपस्थिति ने निराश्रित और वंचितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को प्रभावित किया था। इस पफैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण व्यवस्था से पिछड़े वर्ग की मलाईदार परत को हटाने कि आवश्यकता है। क्रीमी लेयर में आने वालो को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्रीमी लेयर को चिन्हित करने के मापदंड को तय करने के लिए जस्टिस राम नन्दन कमिटी का गठन किया गया था.
iii. अदालत ने आरक्षण के 50ः सीलिंग के लिए बालाजी बनाम स्टेट आपफ मैसुर मामले के निर्णय की पुष्टि की, एन एम थॉमस के निर्णय को अस्वीकार किया.
iv. इस मामले में अदालत ने मंडल आयोग की सिपफारिश के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण को रद्द कर दिया और कहा, पफ्एक के करियर में संकट प्रदान नहीं किया जा सकता है।
v. योग्यता के आधर पर, अदालत ने कहा कि काम की प्रति के कारण पायलटों, वैज्ञानिकों और परमाणु तकनीशियनों जैसी कुछ सेवाओं में नियुक्ति को योग्यता (मेरिट) पर भरोसा करना चाहिए।
vi. अंतिम सिपफारिश में यह जांचने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर एक आयोग होना चाहिए कि किसे पिछड़ेपन की श्रेणी की जेब से शामिल किया जाए या बाहर रखा जाए।

हालांकि अदालत ने पाया कि 10ः आरक्षण आर्थिक कमजोर वर्ग असंवैधनिक था। क्योंकि आरक्षण का आर्थिक आधर आरक्षण के उद्देश्य के विरु(है। क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। परन्तु क्रीमी लेयर की बात उठा कर आरक्षण के आर्थिक अवधरणा को हवा दे देती है. जिसको समकालीन म्बवदवउपब ॅमामत ैमबजपवदे आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के आरक्षण से जोड़ कर भी देख सकते हैं. आर्थिक कमजोर वर्गों के आरक्षण का प्रावधन अनुच्छेद 15(6) में 103 वे संविधन संसोधन में जोड़ा गया है जिसकी संवैधनिकता का प्रश्न **यूथ पफॉर एकौलिटी बनाम भारत संघ**[8] के वाद में लंबित है.

इस मामले में कुछ अन्य मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय ने सुलझा लिया था। जो निम्मलिखित है।

1.अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) या (2) का अपवाद नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 16 के खंड 1 या 2 का विस्तार है। ऐसा करने एन एम थॉमस बनाम केरल राज्य के निर्णय स्वीकार किया.

2.अनुच्छेद 16 (4) पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अध्कि पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत करने की अनुमति दे कर बालाजी वाद के पफैसले को स्वीकार किया.

3.अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 15 (4) के समान नहीं हैं।

इंदिरा साहनी वाद के बाद की स्थिति

इंदिरा साहनी वाद के पफैसले को कुछ अंशो को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 77वा संविधन संसोध्न कर के पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधन अनुच्छेद 16(4A) के रूप में जोड़ दिया गया, और 81वां संविधन संशोध्न ने कैरी पफॉरवर्ड रूल अनुच्छेद 16(4B) के रूप में जोड़ा गया। पिफर भी इंदिरा साहनी का निर्णय को भारत में आरक्षण कानूनों पर मैग्नाकार्टा के रूप में देखा गया. इंदिरा साहनी वाद ने आरक्षण को लेकर कापफी अनिश्चिताओं पर लगाम लगाया. लेकिन कुछ इक प्रश्न अभी भी अपने में गति सम्मलित किये हुए है. जैसे की पदोन्नति में आरक्षण का क्या स्वरुप होगा? किन मानकों पर ये आरक्षण दिया जा सकता है? इसको लेकर एक नयी बहस की शुरुआत एम नागराज बनाम भारतसंघ[9] के निर्णय से शुरू होता है. वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पफैसले में कहा था कि राज्य के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह प्रोमोशन में एससी/एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधन करे। हालांकि, अगर राज्य अपने विशेषाध्किारों का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे सार्वजनिक रोजगार में इस वर्ग के पिछड़ेपन और पर्याप्त प्रतिनिध्वि नहीं होने की बात को सि(करने के लिए उपयुक्त आंकड़े जुटाने होंगे। इस वाद में न्यायालय का ये ऑब्जरवेशन रहा की क्रीमी लेयर जैसे प्रावधनों को एसी/एसटी में लागू होना चाहिए. इस पफैसले ने मौजूदा आरक्षण के स्वरुप पर प्रश्न खड़ा कर दिया था. परन्तु जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के बाद में जब एम नागराज के निर्णय का स्पष्टीकरण माँगा गया तब उच्चतम न्यायालय के सामने यह सवाल आया कि उपयुक्त आंकड़े ; quantifiable data) के संग्रह के बिना, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए या नहीं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधनिक पीठ ने कहा कि ेब और ेज के संबंध में पिछड़ेपन की उपयुक्त आंकड़ों के संग्रह पर जोर नहीं दिया जा सकता है। इस तरह कोई भी आग्रह को इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए पफैसले से असंगत है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धरित किया कि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए उपयुक्त आंकड़ा एकत्रा करना, इंदिरा साहनी में नौ–न्यायाधीशों की खंडपीठ के विपरीत है और इस सीमा तक न्यायालय ने एम नागराज के पफैसले को खारिज कर दिया।

परन्तु इसके बाद के पफैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया की अगर राज्य प्रमोशन में आरक्षण देना चाहती है तो उसे ेबैज के पिछड़ेपन का उपयुक्त आकड़ा प्रस्तुत करना होंगा. **बी के पवित्राा बनाम भारतसंघ**[10] के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को वैधनिक तब माना जब कर्नाटक सरकार ने रत्ना प्रभा समिति बना कर ेबैज के पिछड़ेपन का उपयुक्त आकड़ा प्रस्तुत किया. इसके बाद मुकेश कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड[11] तथा प्रवाकर मल्लिक बनाम उड़ीसा राज्य[12] के मामले में सर्वोच्च अदालत ने प्रमोशन में आरक्षण का अध्किार मूल अध्किार ही मानाने से मना कर दिया।

विगत 11 जून को देश की सर्वोच्च अदालत ने आरक्षण पर बड़ी टिप्पणी की है. तमिलनाडु राज्य के इक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण किसी भी व्यक्ति या समुदाय का मौलिक अध्किार नहीं है.

सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणी तमिलनाडु में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए अलग से 50 पफीसद आरक्षण मांगने वाली विभिन्न राजनीतिक दलों की याचिका को सुनने के दौरान

किया। 2020–21 सत्रा में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटे में तमिलनाडु के लिए छोड़ी गई सीटों में अन्य पिछड़े वर्गों ;ओबीसीद्ध के लिए 50 पफीसद सीटें आरक्षित नहीं करने के केन्द्र के पफैसले के खिलापफ यह याचिका दाखिल की गई थी। इसके पूर्व चेबरोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में न्यायलय ने आरक्षण के स्थायित्व के विपरीत इस पर पुनर्विचार करने की बात कही। इन पफैसलों में क्या न्यायालय का रुख इतना व्यापक है जिसके पर हम आरक्षण जैसे तरीके और गैर बराबरी जैसे मसलो पे विचार कर सकते है, ये सोचनीय है.

निष्कर्ष

समता के अध्किारों को पाने में आरक्षण की भूमिका निसंदेह महत्वपूर्ण हैं. समता न्याय है तथा मूल अध्किार के साथ साथ न्याय के रूप में साक्ष्य भी है, जबकि आरक्षण साध्न. आजाद भारत में आरक्षण इक प्रभावी सकारात्मक प्रक्रिया ;ंपिितउंजपअम ंबजपवदद्ध के रूप में स्थापित है. पिफर भी ये अपने लक्ष्यों से बहुत दूर है. इसे मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए की इसमें निश्चित ही कोई प्रक्रियात्मक त्राुटी हो सकती है, और इसमें सुधर की भी आवश्यकता है। परन्तु इसका बिलकुल भी ये मतलब नहीं है की हमको आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए. इसके स्थान पर हमें इसके सही लाभार्थियों को चिन्हित करना चाहिए. इक बड़ी जनसख्या जो आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक गैर बराबरी को झेल रही ही वहां राज्य द्वारा सकारात्मक प्रक्रिया (affirmative action) नितांत आवश्यक है. समता का अध्किार मूल अध्किार है और आरक्षण उसके पाने का साध्न. साक्ष्य अगर मूल अध्किार है तो साध्न भी मूल अध्किार से कम महत्वपूर्ण नहीं है. परन्तु राज्य को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए उपयुक्त आंकड़े जुटाने चाहिए, जिससे वास्तविक स्थिति का पता चल पायेगा। आकड़ों के सन्दर्भ में सरकार की पारदर्शिता संदेहास्पद रही हैं. सरकार के 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जिससे जातियों की वस्तुस्थिति से हम अनभिज्ञ है. सार्वजनिक क्षेत्राों में भी कम होती नौकरियां आरक्षण को ध्ता बता रही है और समाज के अन्दर गैर बराबरी खत्म करने की प्रक्रिया को धीमा कर रही है। इस मुद्दों को कापफी सावधनीपूर्वक हल करने की जरुरत है क्योंकि समता के न्याय को प्राप्त करने के लिए पक्ष और विपक्ष से ज्यादा एक निष्पक्ष वैज्ञानिक चेतना की आवश्यकता हैं.

संदर्भ–सूची :

1. https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/right-to-reservation-is-not-fundamental-right-observes-judge-as-tn-parties-withdraw-plea-for-obc-quota-in-medical-courses/article31807732.ece
2. 2020 SCC OnLine SC 148
3. AIR 1951 SC 226
4. AIR 1963 SC 649
5. AIR 1964 SC 179
6. AIR 1976 SC 490
7. AIR 1993 SC 477
8. https://www.scobserver.in/court-case/reservations-for-economically-weaker-sections
9. https://indiankanoon.org/doc/102852/
10. AIR 2019 SC 2723
11. 2020 SCC OnLine SC 148
12. On the dated, 17 April, 2020 https://indiankanoon.org/doc/109166194/
13. https://www.scobserver.in/beyond-the-court/100-reservation-for-scheduled-tribe-teacher-must-reads

आचार्य शिवपूजन सहाय के उपन्यास में चित्रित ग्रामीण जीवन

*डॉ0 धर्मेन्द्र प्रसाद**

जहाँ लड़कों का संग, तहाँ बाजे मृदंग
जहाँ बुड्ढ़ों का संग, तहाँ खरचे का तंग।

आचार्य शिवपूजन सहाय बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबन्ध एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यन्त उल्लेखनीय कार्य किया है। सहाय जी 'देहाती दुनिया शीर्षक से जो उपन्यास लिखा है, जो लोकप्रियता की दृष्टि से उनकी विशिष्ट कृति है। यह उपन्यास अपने शीर्षक को सार्थक करता हुआ हमें देहातों की दुनिया की सैर कराता है। देहात, गाँव का पर्याय है। अतः यह शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन की तस्वीर देखने को मिलेगी। आज भी आजादी के लगभग सात दशक पूरे होने पर भी भारत की ग्रामीण जनता बदत्तर जिन्दगी जीने को विवश है।

सहाय जी ने 'देहाती दुनिया' की रचना अपने ग्रामीण मित्रों के आग्रह पर उनकी साथ पूरी करने के लिए की थी। शिवपूजन जी कहते हैं "मैंने आज तक जितनी पुस्तके लिखी उनकी भाषा अत्यन्त कृत्रिम, जटिल और अलंकारयुक्त हो गई उनसे मेरे शिक्षित मित्रों को तो संतोष हुआ, पर मेरे देहाती मित्रों का मनोरंजन कुछ भी न हुआ, तब देहाती मित्रों ने उलहाना दिया कि तुम्हारी एक भी पुस्तक हमलोगों की समझ में नहीं आती—क्या तुम ऐसी पुस्तक नहीं लिख सकते, जिससे पढ़ने में हमलोगों का दिल लगे, और मैंने उसी समय ठान ली कि ठेठ देहाती मित्रों के लिए एक पुस्तक अवश्य लिखूँगा। यह उसी पुस्तक का परिणाम है।

'देहाती दुनिया' में चित्रित ग्रामीण जीवन को निम्नांकित बिन्दुओं में रखकर विश्लेषित किया जा सकता है—

(i)दैनिक जीवन— ग्रामीण जीवन की हर चीज कुछ अलग होती है। उनके दैनिक जीवन में शहरों के जैसी तेजी और भागम—भाग नहीं होती बल्कि सारे कार्य बड़े आराम से विशेष नियमानुकूल होते हैं। ग्रामीण नित्य प्रातः से पहले उठकर ईश—भजन करते हैं, जिसे प्रभाती या पराती कहा जाता है। 'देहाती दुनिया' के रामसहर गाँव के पसुपत पाँडे रोज कुछ रात पहले उठकर प्रभाती गाते है, जिसका वर्णन उपन्यासकार ने इस प्रकार किया है— "जाड़े के दिनों में पाँडेजी कुछ रात रहते ही उठकर जोर—जोर से 'पराती' गाने लगते हैं। घंटो गला फाड़कर चिल्लाते हैं। बहुत को सुबह की नींद हराम हो जाती है। उनका सबसे प्यारा भजन हैं—

'सुगना सुमिरो हरी हरी, दिल में दीनता करी—करी
पाँच तत्व का बना पींजड़ा, तामें रहियो डरी—डरी
एक दिन खैहें काल बिलैया, दुनिया जाती मरी—मरी
हाथ जोरि के बिनय सुनावा, प्रभु के पैयाँ परी—परी।।[2]

गाँव के लोग शहरों की अपेक्षा ज्यादा सबेरे उठते हैं और नित्य कर्म से निवृत होकर अपने—अपने काम में लगने से पूर्व कुछ भगवद्भजन जरूर करते हैं। 'देहाती दुनिया' उपन्यास में सहाय जी ग्राम्य जीवन की दैनिक शुरूआत की चर्चा करते हुए लिखते हैं, "हमारे पिता तड़के उठकर, निबट—नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गये थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला—धुलाकर पूजा पर बिठा लेते.............. पूजा—पाठ करने के बाद वह 'रामनामा बही' पर राम—नाम लिखने लगते। फिर पाँच सौ बार कागज के छोटे—छोटे टुकड़ों पर राम—नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते, और उन

* **पी—एच० डी०, नेट, अमोखर परैया, गया (बिहार) 824209**

गोलियों को लेकर गंगाजी की ओर चल पड़ते थे।" 'देहाती–दुनिया' के केन्द्रीय पात्र 'भोलानाथ उर्फ तारकेश्वरनाथ के गाँव का है। इस दैनिक कार्य में तारकेश्वरनाथ अपने पिता की बात कर रहा है जिसमें वह खुद भी शामिल है। दैनिक जीवन के विषय में बतलाते हुए कहता है, "रोज की तरह आज भी गंगा–नहान, कुश्ती, पूजा–पाठ, भोजन आदि हुआ" स्पष्ट है कि गाँव–देहात का जीवन स्नान–ध्यान के साथ शुरू होकर अपने–अपने काम की धुन में मगन हो जाता है।

(ii)शिक्षा–'देहाती दुनिया' के ग्रामीण कम पढ़े–लिखे है, परन्तु धर्म–कर्म और व्यावहारिक ज्ञान में बड़े माहिर हैं। उस समय पढ़ने–लिखने के लिए प्रत्येक गाँव में या तो गुरूजी की एक पाठशाला होती थी या मौलवी साहब का मदरसा; जिसका वर्णन उपन्यास के तीसरे भाग 'ननिहाल का दाना–पानी' में इस प्रकार हुआ है–" वहाँ पढ़ने का बड़ा सुविधा है। वहाँ मौलवी साहब का मदरसा है। मिडिल स्कूल भी है। सुबह मकतब में पढ़ना, खाकर–पीकर स्कूल में। जब उर्दू और हिन्दी पठ जाओगे तब तुम्हे गाजीपुर ले चलूँगा। वहाँ तुम्हें अँगरेजी स्कूल में भर्ती करा दूँगा। अँगरेजी पढ़कर तुम मुख्तार होगें, वकील होगे, खूब रूपये कमाओगे' "शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए उपन्यासकार ने कई–एक स्थलों पर ग्रामीणों के मुख से उसकी बड़ाई करवाई है। एक स्थल पर भोलानाथ को समझाते एक मूसन तिवारी कहते है"बबुआ मन लगाकर पढ़ो। पढ़ने में ही सब कुछ है, न पढ़ोगे तो कोई बात न पूछेगा। पढ़ोगे तो सबलोग पीछे लगे फिरेंगे। खेलोगे–कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे–लिखोगे होगे नवाब।" बदमाश लड़कों के फेर में मत पड़ो–

गाँव में बच्चों को कहावत और गीत के माध्यम से वर्णो का ज्ञान तथा साथ ही नैतिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ा दिया जाता है। तारकेश्वरनाथ के द्वारा गुरूजी को सुनाया गया बरतावन इस प्रकार है–

क से करम करो, ख से खाओ, ग से गोविन्दा के गुन गाओ
घ से घर में मिल जुल के रहना च चिकनी–चुपड़ी मत कहना
छ छल छन्द भूलि मत गहिए...
अनुस्वार से 'ओम' उचारो, घर विसर्ग से शिवःपुकारो।
एकै–राम दूज के–चाँद
तीन–तिरलोक चार–वेद
पाँचो–पाण्डव–छओं–शास्तर
....
उनीसो–कन्या बीसौ–वर।

'देहाती दुनिया' में आ० शिवपूजन सहाय ने कई स्थलों पर ग्राम्यशिक्षा की बात को विस्तार पूर्वक रखा है। बच्चों की शिक्षा के साथ–साथ स्त्री शिक्षा के विषय में भी बड़ी साकारात्मक सोच दिखलाई है। जो उन्होंने उपन्यास में अपने पात्रों के संवाद के माध्यम से बड़ी सहजता के साथ कह दिया है। तारकेश्वरनाथ, जब अपने दोस्तों के साथ खेल–कूद में मग्न या तो अचानक चूहे के बिल से साँप के निकलने पर सभी लड़को के साथ–साथ वह भी सिर पर पैर रखकर भागा; जिसमें उसके पैरों में काँटे भी चुभ गये। जब उसकी माँ ने उसे इस हाल में देखा तो उसकी मरहम–पट्टी के साथ–साथ देवी–देवता भी गुहारने लगी। जब तारकेश्वर के पिता को यह बात पता चली तो वे उस पर गुस्साने लगे और कहते हैं, मूर्ख सन्तान पैदा करने से तो माता का निपूती रहना ही अच्छा है।

तारकेश्वर के पिता कहे गये इस संवाद में स्त्री शिक्षा और बाल शिक्षा दोनों की महत्ता स्पष्ट है जिसकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा है।

(ii) खान–पान–'देहाती दुनिया' में ग्रामीण खाने–पान के विषय में खूब अच्छी जानकारी है। 'माता का अंचल' में तारकेश्वर के खाने की चर्चा इस प्रकार हुई है– उनके साथ हँसते–खेलते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ

से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मइयाँ थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती, और कहती।
"जब खायेगा बड़े–बड़े कौर, तब पायेगा दुनिया में ठौर।" देखिए–मैं खिलाती हूँ। मरदूए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है।
यह कह वह थाली में दही–भात सानती और अलग–अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि में बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खालो, नहीं तो उड़ जायेंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था।" अर्थात इस उपन्यास में खिलाने के ढंग का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। उपन्यास के परिच्छेद दो 'बुधिया का भाग्य' में उपन्यासकार निर्धन बुधिया के भोजन की बात करते हुए लिखते हैं– "पहले तो वह बाबू साहब के यहाँ दिन में खेसारी का सत्तू और रात में चोकर की मोटी रोटी खाकर ही फटे टाट के टुकड़े पर सो जाती थी।" ग्रामीणों के भोजन में सहाय जी के अनुसार प्रमुख हैं, रोटी, सत्तू, भात, गोरस, दही, खिचड़ी, चोखा, दाल और शब्जी आदि। इन सभी भोज्य पदार्थो का वर्णन 'देहाती दुनिया' में कई बार हुआ है। उपन्यास के दसवें परिच्छेद "ब्रह्मपिसाच का देवघर' में देहाती व्यंजन के रूप में खिचड़ी, भुरता और अचार आदि का बड़ा ही रसदार वर्णन किया गया है, जिसे पढकर पाठक के मुँह में पानी आये बिना नहीं रह सकता। "भाई को भूखा समझ उन्होंने झट बाटियाँ बनवाई। मसालेदार खिचड़ी पकी, आलू और बैंगन का भुरता बना, हरा चना घी में तला गया कई तरह के खट्टे–मीठे अचार भी निकाले गये।..................
....
तिवारी जी के लगभग आधा चट कर जाने पर पंखा झलते–झलते पँड़ाइन ने पूछा–भैया, खिचड़ी कैसी बनी है ? तिवारीजी ने बायें हाथ से लिलार का पसीना पोंछते हुए कहा क्या बखान करूँ बहिन, मुँह से नहीं छुटती। तिवारीजी ने मुँह बाकर ऊपर ही से भर–लोटा जल ढरकाने के बाद अपनी तोंद निहारते और सुहराते हुए कहा – सब सरंजाम भी तो है–

घी पापड़ अरू दही अचार
ये खिचड़ी के चार भतार

तिवारीजी ने दाँतों से आम के अचार की रीढ़ खरोरते हुए कहा–चोखे तो बस चोखे ही बने हैं। कंड़ुआ तेल तो ऐसे अन्दाज से पड़ा है कि बाह–रे–बाह रामरस भी बड़े हिसाब से पड़ा है। संसार में बैंगन के भरते से बढ़कर किसी चीज का भरता अच्छा नहीं बनता।
इसी तरह ग्रामीण खान–पान ने कई वर्णन 'देहाती दुनिया' में देखते को मिलते हैं। सहाय जी ने इन सभी प्रसंगों में ग्रामीण जीवन का बड़ा ही आकर्षक एवं मजेदार वर्णन प्रस्तुत किया है।
(IV) खेल–कूद–खान–पान की भाँति ही ग्रामीण खेलों की बात निराली है। गाँव में खेल–कूद की जिम्मेवारी और मजा लेने का अधिकार मुख्य रूप से बच्चों को ही है, क्योंकि वयस्क तो अपने–अपने जिम्मेवारियों से घिरे होते हैं; उन्हें खेल–कूद की फुर्सत कहाँ।
ग्रामीण बच्चे तरह–तरह के खेल खेलते हैं। कभी नाटक तो कभी बारात के जुलूस की नकल तो कभी खेती–बाड़ी का खेल। बाबूजी जिस धोती चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोआ तानकर, मिठाइयों की दुकान लगायी जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर खपड़े के थालों में ढ़ेले के लड्डु पत्रों की पूरी–कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजायी जातीं। हमी लोग खरीदार और हमीं लोग दुकानदार। दीयें की कड़ाही और बाबूजी को पूजावली आयमनी की कलछीं बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हमलोग ज्योंनार तैयार करते थे। बाबूजी के नजर पड़ता त्यों ही हमलोग हँसकर भाग जाते।
थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जूट जाती थी। राय जमती कि खेती की जाय, दो लड़के बैल बनकर 'मोट' खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढ़ेगा

हल–जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, बोये और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती, और हम–लोग हाथो–हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे–

"ऊँच नीच में बईकियारी, जो उपजी सो भई हमारी।" ग्रामीण बच्चों के खेल इसी तरह के होते है; जिसे खेलकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।

गाँव–देहात में किसी चिड़चिड़े बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ाना भी बच्चों के लिए एक प्रकार का खेल ही है। बुजुर्ग चिढ़कर बच्चों को गाली–गलौज करते हुए मारने दौड़ते है, फिर बच्चे हँसते हुए भाग जाते हैं। ऐसा ही एक सजीव वर्णन सहाय जी ने प्रस्तुत उपन्यास में किया है–

"संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गये। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था।

बैजू उनको चिढ़ाकर बोला–

"बुढ़वा बेईमान माँगे करैला का चोखा।"

हमलोग ने भी, बैजू के सूर–में–सूर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हमलोग तो बस अपने–अपने घर की ओर आँधी हो चले।"

सहायजी ने 'देहाती दुनिया' में ग्रामीण खेलों की चर्चा की है। जैसे गुली–डण्डा, गुच्चापारा, गेंदबल्ला और कौड़ी–गुड़गुड़ खूब होता था। मगर जब स्कूल में पढ़ने लगा, तब शहरी लड़कों के साथ लट्टू नचाया करता, गोली खेलता और गुड्डी उड़ाता था। इस प्रकार इन प्रसंगों में हम देखते हैं कि सहायजी ने ग्रामीण खेलों की प्रस्तुत उपन्यास में बड़ी अच्छी जानकारी दी है, साथ ही साथ प्रसंगानुकूल वर्णन भी किया है।

(V) पर्व–त्योहार–हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। क्या शहर क्या गाँव, हर जगह दशहरा, दिवाली, होली और छठ आदि महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है।

'देहाती दुनिया' में ग्रामीण पर्व त्योहार का विस्तारपूर्वक वर्णन न होकर सिर्फ कहीं–कहीं जिक्र भर है। "साल में कभी तीज–बहुरा के दिन मैया के बहुत कहने–सुनने पर जो साधारण रीति से बन–ठन जाती है, वह रूप देखकर न जाने मेरे मन में कितनी उमंग भर जाती है, देहातों में कुछ त्योहारों में तो रासलीला और मेलों की धूम रहती है। 'देहाती दुनिया' में भी सहायजी ने, रामनौमी और जन्माष्टमी के अवसर पर वृन्दावन की रासलीला का वर्णन किया है; इसी तरह सावन के महीने में झूला की प्रथा तथा बसंत पंचमी में भी माता सरस्वती की पूजा–अर्चना के समय गाँव देहातों में नाच–गाना आदि उत्सव मनाये जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'देहाती दुनिया' में पर्व–त्योहारों का अधिकाधिक वर्णन नहीं है; परन्तु वर्णित पर्व में ग्रामीण जीवन की झलक स्पष्ट है।

(VI)रीति–रिवाज–सहायजी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास में ग्राम्य रिवाजों को बड़े मनोयोग से हुबहू प्रस्तुत किया है। जिसमें हास्य भी है और व्यंग्य भी; सरलता भी है और सहजता भी सह्रदयता भी है और ओछापन भी। गाँव–देहात की परम्परा बड़ी अनोखी है यूँ तो पूरे भारत वर्ष में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है। गाँव में आये हुए बारातियों का स्वागत ग्रामीण औरतें कुछ इस प्रकार करती है'– "जब गाँव के अन्दर बारात पहुँची, तब देखा कि दरवाजे–दरवाजे स्त्रियों की झुण्ड खड़ा है। जो नई–नवेली थी, वे अपने–अपने मुँह पर आचर दिये वर की पालकी की ओर निहुरकर झाकती और मुस्कुराते हुए कहने लगी–हाय रे राम। ताड़ बराबर कनिया का वर यही है! इसको तो वे अपने लहैगे में छिपा लेगी.........................।

इस तरह की बोलियाँ सुनकर भला कहार कब तक चुप रहनेवाले थे। आवाज कसते हुए बोले–वर को छोटा मत जानो, साल भर के भीतर ही पेट फुलायेगा। कलयुग है– अब इतने ही बड़े टावर अंडा देने लगे.............. इसी तरह की गँवारू मसखरी कहते हुए हँसोड कहार धीरे–धीरे गाँव की साँकरी गलियों में पालकी लिए चले जा रहे थे...... द्वार–पूजा होते ही जलमासा की ओर बारात चली। स्त्रियाँ झूम–झूमकर गाली गाने लगी।

यह गाली–गलौज भरा स्वागत हँसी–खुशी के वातावरण का है। पर इससे अलग बेमन का जोरदार स्वागत अगर गाँव वाले किसी का करते हैं तो वो है; पुलिस वाले। गाँव वाले दरोगा

जी की खातीरदारी दामाद को भी दुर्लभ है। कहीं खसी कटता है, तो कही प्याज का अर्क चुवाया जाता है।

ग्रामीण परम्पराओं में कहीं भी आने जाने के लिए यात्रा विचार का बड़ा महत्व है। 'देहाती दुनिया' में कुछ स्थानों पर यात्रा–विचार का वर्णन आया है। जात्रा में असुभ–दरसन पर भी लिखा है यह सब निखेद माना गया है–

रवि के जटा, सोम के जोगी
मंगल बनिया, बुध के रोगी
गुरू के तेली, शुक्र कुम्हार
बार सनीचर मिले सियार
इतना बात न माने जोई
घर को लौट न आवे सोई

अगर जाना बहुत ही जरूरी हो तो उसके लिए भी निकास कर दिया है। जात्रा बनाने की विधि बता दी है–

रवि के पान सोम के दरपन
मंगर के गुड़ करिये अरपन
बुध के धनिया गुरू के जीरा
शुक्र कहे मोहि दधि की पीरा
कहे सनीचर अदरख पाऊँ
कुसल–छेम से घर पहुँचाऊँ
....
चले बनहिं अवधहिं सिर नाई।

आचार्य शिवपूजन सहाय ने भी 'ठेठ देहात का औपन्यासिक चित्र' खीचने का काफी प्रयास किया है। जात–पात छूआ–छूत अमीर–गरीब कुरीति का स्वाभाविक चित्र इस प्रकार खींचा है क्या हमलोग कहार होने से ही इतने गये–बीते हो गये कि हमारी स्त्रियां बेइज्जत की गयी और हम चूँ भी नहीं कर सके ? धिक्कार है हमारे जीने को। हमें उसी जगह जान दे देना उचित था। क्या हमलोग डोम–चमार है कि अपनी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है, मगर पलटू भी तो चमार ही है, उसने अपनी इज्जत के लाज से ही अपना धर्म तक छोड़ दिया। हमारा छुआ पानी तो ब्राह्मण पीते है।

गाँव–देहात में लोग धर्मभीरू और अंधविश्वासी होते हैं। धर्म के नाम पर भोले–भाले अशिक्षित ग्रामवासियों को ठग लेना साधारण सी बात है। अंधविश्वास और पाखण्ड में ज्यादातर ग्रामीण औरत ही फँसती है। जब पशुपत पाँडे झूठ–मूठ की तंत्र–साधना कर कामरू–कामख्या से आ गये तो उन्होंने बाबू रामटहल सिंह की माता से रूपयें ऐंठने का दूसरा ढोंग रचा, चुंकि पुराने रूपये तो वे कब का हजम कर चुके थे। बाबू रामटहल सिंह की बीमारी, घर में शांति और वंश–वृद्धि के लिए उन्होंने उनकी माता को एक नया पाठ पढ़ाया और कहाँ की घर में सावन की पूरनमासी को राखी के दिन नहा–धोकर पीताम्बर पहनकर गाय के दूध में अरवा चाउर की बढ़िया खीर बनायेगा। वह खीर चौरा पर चढ़ाकर फिर अलवाँती गाय को खिला दी जायगी। "उसके साथ–साथ एक जोड़ी धोती, लंगोटा, कोरा चदरा, एक जोड़ी खड़ाऊँ भी चढ़ाये जायेंगे। अन्त में पहलौंठी ब्याई हुई गाय के घी से आम की लकड़ी की आग में होम किया जायगा। सब के बाद ब्रह्मभोज होगा। बुढ़िया गिड़गिड़ाकर बोली–तो महाराज यह सब जल्दी करवाइए।

(VII) स्वाभिमान–गाँव–देहात के लोग भोले–भाले और मेहनती होते है। परन्तु उसी सरल देहाती के स्वाभिमान को जब ठेस पहुँचती है तो वे किसी भी बात की परवाह नहीं करते। 'देहाती–दुनिया' में अनपढ़ ग्रामीणों के स्वाभिमान के ऐसे कई चित्र खींचे है। उपन्यास के नवें परिच्छेद 'मँहगे चने' में जब लोग दारोगा के स्वागत की तैयारी को जुटे थे तो रामसहन गाँव

का एक कमजोर अहीर पिलुआ भी छोटी मटकी में दही लेकर प्रस्तुत हुआ। पिलुआ अहीर की छोटी मटकी देख दारोगा साहब क्रोधित हो उसकी मटकी फोड़ डाली और इक्के के घोड़े के लिए एक पसेरी चना देने का आदेश हुआ। पिलुआ के घर चना न होने के कारण उसकी पत्नी गाँव घर–घर घुमकर चना का इंन्तजाम किया, साथ में दरोगा का मुंशी नूरू मियाँ भी था। इस पर निरू मियाँ कहता है कि चना का मैं पहुंचाऊँगा। पिलुआ ने अपनी स्त्री के सिर से चैगली को अपने सिर पर लेकर आगे बढ़ते हुए कहाँ मैं लेकर जाऊँगा, इसपर निरू मियाँ कहता है, तुम्हारी स्त्री ले जाती तो क्या था, कौन सी मार जवान एवं सुन्दर है जो छिटाकसी करता। यह बात पिलुआ के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई, नूरू मियाँ को बड़े क्रोध से पुकारकर कहा– हे, मियाँ–टियाँ होकर बहुत ठसके न दिखाओ। घर में सनहक और बँधना भी न होगा; यहाँ सिरपर लाल पगड़ी बाँधने से नवाब मत बनो। गरीब होने से मैं अपनी स्त्री की बेइज्जती न सहूँगा। ले जाओ अपना रहिला। पिलुआ गरीब और कमजोर जरूर था पर था पक्का स्वामिमानी; जो अपनी पत्नी की बेइज्जती सहन न कर सका।

(VIII)स्वास्थ्य–उपचार :– किसी की यात्रा विचारणा हो या बीमारी का इलाज बतलाना हो। जैसे देहाती लोग हरफन मौला होते है, किसी अंग के घायल होने पर तुरंत हल्दी का लेप लगाना इन लोगों के लिए साधारण सी बात है। घूरन सिंह जो बाबू रामटहल सिंह के यहाँ दरवानी करते है, बातों ही बातों में स्वस्थ आदमी की वैद्य के घर न जाने के लिए एक अच्छी उपचार परक सलाह दे देते हैं–

"सावन साग अरू भादो दही
क्वार करैला कातिक मही
अगहन जीरा पूसे धना
माघेमिसरी फागुन चना
चैत गुड़ वैसाखे तेल
'जेठे पंथ' असाढ़े बेल
इन बारह से बचे जो भाई
ता घर वैद न सपनेहु जाई।"

इस तरह स्वास्थ्य उपचार, जाति–पांति, पर्व त्योहार, धर्मसंस्कार से लेकर शिक्षा, खेलकूद आदि अनेकों ग्रामीण बातें और उसकी तस्वीरें देहाती–दुनिया में बिखरें पड़े हैं जिसका वर्णन आचार्य शिवपूजन सहाय ने पूरे मनोयोग से किया है।

निष्कर्षतः–सहायजी ने अपने उपन्यास में ग्रामीण जीवन की जो बहुरंगी तस्वीर खींची है वह अपने आप में एक मिसाल है। ग्राम्य जीवन और चेतना को इस ऐतिहासिक कृति में जितनी विविधता एवं सूक्ष्मता से उकेरा गया है वह अन्यत्र शायद दुर्लभ है।

संदर्भः–

1. शिवपूजन–रचनावली भाग–01
2. देहाती दुनिया– आ० शिवपूजन सहाय

मऊ जनपद में परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं उनकी उपलब्धियाँ

*डा0 शब्बू**

परिवार कल्याण कार्यक्रम

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में एक राश्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया। भारत इस कार्यक्रम को राश्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में कमी तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर रखना है। 1977 में 'परिवार नियोजन कार्यक्रम' का नाम बदलकर ''परिवार कल्याण कार्यक्रम'' कर दिया गया। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु जनसंख्या नियोजन एवं परिवार कल्याण एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की उन्नति, परिवार की भलाई, समाज का सुधार एवं देश की उन्नति के लिए जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्या से मुक्त होना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का तात्पर्य ऐसे परिवारों का निर्माण करना है, जो आकार में छोटा व स्वस्थ हो तथा जीवन–स्तर को ऊँचा उठाने या बनाये रखने में सहायक हो।

अतः जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में चलाया है। इस कार्यक्रम को जन–जन तक पहुंचाने के लिए राश्ट्रीय स्तर के चिकित्सालयों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक की सहायता ली जाती है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को राज्य सरकारें लागू करती हैं, इसके लिए शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार प्रदान करती हैं। मानव संसाधनों के विकास और नियत दिवस, नियत सेवाओं के विकास एवं उन्नयन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता भी राज्यों को प्रदान करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावी बनाकर, गर्भनिरोधकों को उपलब्ध कर गर्भपात को समाज में लाने का प्रयास किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की निम्नलिखित बिन्दु हैं :–

1–दो बच्चों को छोटे परिवार के मानक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना।

2–जन्म एवं मृत्यु, विवाह का पंजीकरण।

3–बन्ध्याकरण हेतु सलाह देना।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम
2. राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
3. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.वाई.)
4. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम
5. आशा कार्यक्रम

अध्ययन क्षेत्र

मऊ जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग एवं गंगा मैदान क्षेत्र में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र गंगा एवं घाघरा के दोआब में स्थित है। इसका विस्तार $24^{o}47'$ उत्तर से $26^{o}17'$ उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार $83^{o}17'$ से $84^{o}52'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है।

जनपद की उत्तरी सीमा घाघरा नदी से तथा पूर्वी सीमा बलिया जनपद से निर्धारित होती है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा गाजीपुर से एवं पश्चिम सीमा आजमगढ़ जनपद से निर्धारित होती है। घाघरा एवं टोंस यहां की दो प्रमुख नदियाँ हैं। घाघरा नदी इसको गोरखपुर एवं देवरिया जनपद से अलग करती है।

जनपद मऊ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,713 वर्ग कि.मी. है। इसकी उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 53कि.मी.एवं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 50 कि.मी. है। अध्ययन क्षेत्र में 4 तहसीलें, 9 विकासखण्ड, 92 न्याय पंचायत, 598 ग्राम पंचायत एवं 12 पुलिस स्टेशन है। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 2197006 एवं ग्रामीण जनसंख्या 1702635 है। इसमें 1110326 पुरुश और 1086680 महिला हैं। जनसंख्या घनत्व 1,287, 73.16 प्रतिशत, 978 लिंगानुपात है।

***भूगोल विभाग दी.द.उ.गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर**

विधितंत्र

इस अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों एवं प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जो मऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभाग के द्वारा प्रस्तावित की गयी आंकड़े पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ों तथा आधारभूत सूचनाओं का परिकलन, सारणीयन एवं मानचित्रण प्रचलित भौगोलिक विधियों के आधार पर किया गया है। इसमें विभिन्न तथ्यों के स्पश्टीकरण एवं विश्लेशण हेतु स्थान–स्थान पर गणितीय विधियों का भी सहारा लिया गया है।

परिवार नियोजन की विधियाँ

गर्भ धारण को रोकने में वे सब विधियाँ उपयोग में ली जाती हैं, जो ''अनचाहे गर्भ को ठहरने'' से रोकने में सक्षम होती हैं। इसमें दोनों ही प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लायी जाती है। गर्भ निरोधी विधियों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है–

1.अस्थायीविधियाँ–कण्डोम,डायाफ्राम,कॉपर–टी,गर्भनिरोधक गोलियाँ आदि।

2.स्थायी विधियाँ – पुरूश नसबन्दी, महिला नसबन्दी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य

1. अवांछित जन्म की रोकथाम।
2. शिशुओं में अन्तराल लाना।
3. जन्म दर में कमी लाना।
4. इच्छा अनुसार गर्भधारण करना।
5. संतानोत्पत्ति का समय निर्धारण करना।

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्य सम्पादन की जो पद्धतियाँ समय–समय पर सम्पूर्ण भारत में अपनायी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के सुविधाओं के लिए 80,000 से 1,00000 लाख जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गयी है, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ परिवार नियोजन के केन्द्र भी बनाये गये हैं। उत्तर–प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को तालिका संख्या–1.1 के अनुसार स्पश्ट किया गया है।

तालिका संख्या–1.01

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ (2012)

क्र.सं.	वर्श	स्वैच्छिक नसबन्दी			लूप निवेशन		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	2006–2007	970000	429441	44.27	2610967	1855238	71.05
2.	2007–2008	970000	471891	48.64	2610967	1943474	74.43
3.	2008–2009	970000	479513	49.43	2610967	2105501	80.64
4.	2009–2010	970000	420397	43.33	2610967	1522226	58.30
5.	2010–2011	970000	379491	39.12	2610967	1544271	59.14
6.	2011–2012	970000	318843	32.87	2610967	1390745	53.26

स्रोत :– उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2012

अतः तालिका संख्या एक के अनुसार यह स्पश्ट होता है कि 2008–2009 में सर्वाधिक नसबन्दी 49.43 प्रतिशत हुआ है, अर्थात् सबसे न्यूनतम नसबन्दी 2011–2012 में 32.82 प्रतिशत हुआ है। इसके बाद क्रमशः 2007–2008 में 48.64 प्रतिशत, 2006–2007 में 44.27 प्रतिशत, 2009–2010 में 43.33 प्रतिशत तथा 2010–2011 में 39.12 प्रतिशत नसबन्दी उत्तर प्रदेश में हुई है।

अतः लोगों में यह धारणा व्याप्त है कि पुरूश को कठिन कार्य करना पड़ता है, जिससे वे अपनी पत्नियों का ही बन्ध्याकरण करवाते हैं, जबकि पुरूश नसबन्दी स्त्री नसबन्दी से आसान है।

संक्षेप में उक्त विश्लेशण से यह निश्कर्श निकलता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सन् 1952 से निरन्तर प्रयासों के बावजूद देश व प्रदेश में संतोशजनक परिणाम नहीं मिल सका है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि देशवासी जनसंख्या की बढ़ती हुई समस्या को गम्भीरता से स्वयं समझे तथा अपनी खुशहाली के साथ–साथ स्वयं नियंत्रण करें। अनेक सामाजिक–आर्थिक एवं जननांकिकीय अध्ययनों से यह पता चलता है कि देश में परिवार नियंत्रण करने के प्रति लोगों के मनोभावों में परिवर्तन तो अवश्य आया है।

मऊ जनपद में परिवार कल्याण कार्यक्रम का वास्तविक विकास एवं निर्धारण

जनपद मऊ में परिवार कल्याण कार्यक्रम को संचालित करने का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है तथा वही गर्भनिरोधक सामग्री, दवाएँ, परिवार कल्याण केन्द्रों को भेजी जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रचार–प्रसार के सामग्रियों जैसे–फिल्म दिखाना, पोस्टर लगवाना, नसबन्दी शिविर लगवाना इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी जनपद स्तर के अन्तर्गत आता है। अतः जनपद मऊ में परिवार कल्याण कार्यक्रम को तालिका संख्या–1.02 के अनुसार स्पश्ट किया गया है।

तालिका संख्या–1.02

जनपद मऊ में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ एवं विकास

क्र.सं.	वर्श	पुरूश नसबन्दी का प्रतिशत	महिला नसबन्दी का प्रतिशत	निरोध प्रयोगकर्ता का प्रतिशत	कॉपर–टी का प्रतिशत	ओरल पिल्स का प्रतिशत	गर्भपात का प्रतिशत
1.	2006	0.37	44.74	100.39	100.22	101.57	5.14
2.	2007	2.50	40.67	100.71	100.12	101.18	8.25
3.	2008	3.05	50.78	98.26	95.59	82.13	8.34
4.	2009	2.68	53.14	71.63	93.86	81.56	0.00
5.	2010	0.09	36.10	39.31	68.09	41.58	4.66
6.	2011	0.74	28.84	20.8	59.67	0.00	0.00
7.	2012	0.37	34.22	36.95	67.64	29.74	3.5
8.	2013	0.00	27.72	31.29	64.36	13.06	0.00

स्रोत :– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ (2013)

नसबन्दी

मऊ जनपद में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्श 2009 में सर्वाधिक महिला नसबन्दी 53.14 प्रतिशत हुई जबकि पुरूश नसबन्दी सर्वाधिक वर्श 2008 में 3.05 प्रतिशत हुआ है।

स्त्री नसबन्दी

अपनाये गये कुल परिवार कल्याण कार्यक्रम की विधियों में स्त्री नसबन्दी चतुर्थ स्थान पर है। वर्श 2009 में सर्वाधिक 53.14 प्रतिशत महिलाओं ने नसबन्दी कराई तथा सबसे कम वर्श 2013 में 27.72 प्रतिशत महिलाओं ने बन्ध्याकरण करायी।

निरोध प्रयोगकर्ता, कॉपर टी, ओरल पिल्स एंव गर्भपात

मऊ जनपद में निरोध के प्रति लोगों में रूझान रहा है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक निरोध प्रयोगकर्ता वर्श 2007 में100.71 प्रतिशत है। सबसे कम निरोध प्रयोगकर्ता वर्श 2013 में 31.29 प्रतिशत है और कॉपर–टी का सबसे अधिक वर्श 2006 में 100.22 प्रतिशत जबकि सबसे न्यूनतम कॉपर–टी वर्श 2011 में 59.67 प्रतिशत है। इसी के उपरान्त ओरल पिल्स का सबसे अधिकतम वर्श 2006 में 101.57 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई है तथा सबसे न्यूनतम वर्श 2011 में 0.00 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

अतः गर्भपात की उपलब्धि सर्वाधिक वर्श 2008 में 8.34 प्रतिशत प्राप्ति हुई है एवं सबसे कम वर्श 2013 में 0.00 प्रतिशत उपलब्धि मिली है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंगीकरण को दर्शाया गया है। मऊ जनपद के जिला चिकित्सालय द्वारा प्राप्त आंकड़े के अनुसार यह स्पश्ट है कि कॉपर–टी सर्वाधिक मात्रा में अपनाया गया है।

वर्श 2009 एवं 2008 के आंकड़े से यह स्पश्ट होता है कि अधिकांश स्त्री नसबन्दी कम शिक्षित स्त्रियों (प्राइमरी तक शिक्षित) ने कराया है। जैसे–जैसे उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, वैसे–वैसे यह प्रतिशत घटता जा रहा है। इसी तरह गर्भपात की दिशा में भी उच्च शिक्षा का योगदान कम है। यद्यपि इतने कम वर्शों के आंकड़े एवं सरकारी आंकड़ों के आधार पर किसी खास निश्कर्श पर पहुंचना सही नहीं होगा। अतः यह स्पश्ट कहा जा सकता है, कि सम्पूर्ण साक्षरता कम होने से स्त्री शिक्षावार परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रतिरूप स्पश्ट है। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि यह निश्कर्श निराशाजनक प्राप्त हुआ है। वर्श 2013 के प्राप्त आंकड़े से यह निश्कर्श निकलता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में नाकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत चलने वाले इस कार्यक्रम के तीन उद्देश्य हैं, नीतियों तथा कार्यक्रम अनुकूलन के जरिए प्रजनन स्वास्थ्य, बाल उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा

जनन नियमन। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना और बीमारी/प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विधियों को न अपनाने के कारण

परिवार कल्याण कार्यक्रम को पर्याप्त रूप में न अपनाने के विभिन्न कारण हैं, जैसे – अधिक पुत्रों की इच्छा, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, अज्ञानता, गर्भ निरोधक अपनाने में कठिनाई, धार्मिक प्रवृत्ति, बच्चों को ईश्वरीय देन मानना, सामाजिक–सांस्कृतिक कारक, नैतिक कारक, आर्थिक कारक आदि।

1.**आर्थिक कारक**

परिवार कल्याण कार्यक्रम के मार्ग में उपर्युक्त बाधाओं के अतिरिक्त आर्थिक बांधा भी महत्वपूर्ण है। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्ण सफल नहीं हो पाया है, इसका कारण आर्थिक साधनों की कमी, लोगों की निर्धनता व निम्न जीवन–स्तर भी है।

2.**धार्मिक कारक**

भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख धर्म उपदेशक व धर्म गुरु व धार्मिक रूढ़ियों पर प्रबल आस्था रखने वाले व्यक्ति परिवार नियोजन को ईश्वरीय नियमों के विरूद्ध बहुत बड़ा अधार्मिक कार्य मानते हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी समस्याएँ

क.उपयुक्त साधनों की अनुपलब्धता

मऊ जनपद में अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। सभी प्रकार की दवाइयां समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं रहती है तथा अधिकांश केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधा का अभाव है। प्रसव के बाद जच्चा–बच्चा की देख–रेख सम्बन्धी सुविधाएं संतोशप्रद नहीं हैं। एक्सरे की व्यवस्था तथा प्रयोगशालाओं की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की अस्थायी विधियों तथा निरोध, आई.यू.डी. एवं खाने की गोलियां तो उपलब्ध है, लेकिन विधियों जैसे जैलीक्रीम आदि का अभाव है। सम्पूर्ण भारत में अभी तक परिवार कल्याण के लिए सस्ता, सुगम और विश्वसनीय गर्भ–निरोधक साधन उपलब्ध नहीं है।

ख– जनसहयोग का अभाव

अध्ययन क्षेत्र में निम्न साक्षरता, रूढ़िवादिता, अज्ञानता तथा अन्ध विश्वासी वातावरण होने से जनता का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति उत्साह की कमी है।

ग–कार्यकर्ताओं में प्रशिक्षण एवं कुशलता की कमी

किसी भी कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ उसको क्रियान्वित करने वाले कार्यकर्ताओं की कुशलता, ज्ञान, अनुभव और कर्तव्य निश्ठा पर निर्भर करती है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता अनिवार्य है एवं देश के साथ–साथ अध्ययन क्षेत्र की भी सफलता अनिवार्य है, क्योंकि जनसंख्या के तेजी से बढ़ते रहते हुए देश एवं मऊ जनपद का विकास सम्भव नहीं होगा। इस कार्यक्रम को प्रभावशाली तथा सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव विशेश रूप से उल्लेखनीय है :–

1.महिला शिक्षा में तीव्र गति से वृद्धि की जाये।

2.शिक्षा के प्रसार व अन्य माध्यमों से भारतीय जनता में व्याप्त अज्ञानता को दूर किया जाये।

3.विवाह की अनिवार्यता, बाल–विवाह तथा पुत्र प्राप्ति सम्बन्धी धारणाओं में परिवर्तन किया जाये।

4.विवाह की आयु में और अधिक वृद्धि की जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, बृजेश कुमार, (2001) –रामनगर विकासखण्ड (बाराबंकी) में जनसंख्या गत्यात्मकता एवं परिवार कल्याण : एक भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी,
   पृ.सं.–159, 174।
2. पाण्डेय, नीलम, (2002) –जनपद मऊ (उ.प्र.) में जनसंख्या परिवर्तन की गत्यात्मकता एवं परिवार कल्याण : एक भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी, पृ. सं.–19, 110, 123 ।

3. यादव, सिंह, रामचन्द्र, (2002) —विकासखण्ड रानीपुर (जनपद मऊ) में जनसंख्या एवं परिवार कल्याण का एक भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी, पृ.सं. — 107—109 ।

सुभाश नेहरू अन्तर्द्वन्द और कांग्रेस

*डॉ.सर्वेश चन्द्र शुक्ल**

भारतीय राजनीति का विराट योद्धा, सशस्त्र संघर्श का प्रबल एवं मुखर प्रस्तोता जो अपनी विचारधारा पर जीवन पर्यन्त चलते हुए एक ऐसी सेना का गठन किया जो इस संसार में किसी भी फौज को टक्कर दे सकती थी। उनकी वीरता और दुर्दम्य साहस की सबसे बड़ी मिशाल मात्र इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके **'आजाद हिन्द फौज'** के विजय वैजयन्ती ध्वज पर प्रतीक चिन्ह **झपटते हुए बाघ का चित्र** बना होता था। दुनिया के इतिहास में ऐसा अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता की जहां 40–50 हजार युद्धबंदियों को संगठन एवं नेतृत्व देकर भारत की आजादी हेतु दुधर्श युद्ध छेड़ा गया हो और जिससे भारतीय जनमानस में आजादी का ज्वार उमड़ने लगा।[1] ऐसे जुझारू अपने धुन के पक्के नेता जी कांग्रेस में रहते हुए उस समय के भारत के राजनीतिक शिखर पुरूश गांधी और नेता जी के प्रतिद्वन्दी के रूप में खड़े किये जा रहे नेहरू का लगभग हर मुद्दों एवं मसलों पर विरोध एवं असहमति झेलनी पड़ती थी। इसकी शुरूआत होती है। 4 फरवरी 1922 को चौरीचौरा की घटना से क्षुब्ध होकर असहयोग आन्दोलन निरस्त करने नेताजी द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया से इसी घटना से गांधी जी ने अपना ध्यान सामाजिक सुधारों की ओर लगाया। जैसे हिन्दू–मुस्लिम एकता, चरखा, अछुतोद्धार इसी दौरान सुभाश चन्द्र बोश के नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर वामपंथी रूझान प्रवेश करने लगी। इस बात का रहस्योद्‌घाटन गांधी ने 'स्वाधीनता बनाम स्वराज' नाम से यंग इण्डिया में 04 जनवरी 1928 के एक लेख में किया। इसी दौरान कांग्रेस 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने नेताजी के फौजी जनरल की वर्दी की निन्दा की और उन्हें मुसोलिनी से प्रेरित बताया।[2] सुभाश चितरंजन के शिश्य थे, गांधी के देशबन्धु से हमेशा मतभेद रहे, विशेशकर असहयोग आन्दोलन को लेकर भी था। सुभाश उस समय की युवा पीढ़ी के आदर्श थे विवेकानन्द व महर्शि अरविन्द के प्रभामण्डल की छाया में उनका सृजन हुआ था। क्रांतिकारियों की प्रसूता बंग की उर्वरा भूमि के विचार रीति–रिवाज और दृश्टि सदैव ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध एक सशस्त्र, सम्पूर्ण युद्ध की ही थी और अन्ततः उन्होंने ब्रितानी साम्राज्य शाही के विरूद्ध युद्ध किया भी।[3]

गांधी ने 01 नवम्बर 1937 को पटेल को पत्र लिखा कि सुभाश किसी भी तरह निर्भर करने योग्य नहीं है, फिर भी कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं हो सकता। गांधी यह समझ चुके थे कि सुभाश के नेतृत्व को पार्टी का नवोदित व युवा वर्ग बड़ी तन्मयता से स्वीकार करता है। 1938 में नेताजी ने हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कांग्रेस की दशा दिशा पर विस्तृत प्रकाश डाला ''मुझे विश्वास है कि आगामी वर्शों में, अन्तर्राश्ट्रीय घटनाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम के पक्ष में जायेगी, इस वैश्विक परिस्थितियों का प्रत्येक स्तर पर लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, विदेश नीति के सन्दर्भ में मेरा सुझाव है कि हमें किसी देश की अन्तर्राश्ट्रीय राजनीति या उसकी स्थिति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भारत की स्वतंत्रता से सहानुभूति रखते हुए हम सोवियत कूटनीति का हिस्सा होना चाहूँगा। अर्थात् ब्रिटेन के विरोधी देश सुभाश के लिये सहयोगी होंगे, ऐसे फासीस्ट इटली, नाजी जर्मनी और जापानी साम्राज्यवाद से लड़ना पड़ा तो अपनी स्वतंत्रता के लिये भारत ब्रिटेन के विरूद्ध उनका साथ दे सकता है।[4] सुभाश चन्द्र बोस तानाशाहों के प्रति प्रशंसा का भाव हमेशा रखते हैं। इसके अलावा कृशि, औद्योगिकीकरण आदि पर जो उनके वक्तव्य आये उससे गांधी और उनके समर्थकों के बीच मतभेद गहरे होते गये। अपने उद्‌बोधन में उन्होंने राश्ट्रीय प्लानिंग कमेटी के गठन की आवश्यकता की बात कही। 1938 के मध्य तक

* **प्राचार्य–राघव प्रसाद मशाली देवी महिला डिग्री कॉलेज वीकू भैसा खजनी, गोरखपुर**

आते–आते गांधी के कुटीर उद्योग के समर्थन की नीति के आधार टकराहट व्यापक होती गई। 1938 के म्यूनिख समझौते से उभरकर जो बात आयी उनमें ब्रिटेन संकट में पड़ गया था यह सुभाश के लिये एक अवसर था, इसी नीति का वो समर्थन कर रहे थे, इस समय कांग्रेस और गांधी कभी भी किसी भी रूप में नहीं चाहते थे कि अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के विरूद्ध किसी भी शक्ति को भारत के भीतर से समर्थन मिले।[5] 1938 के जुलाई में सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद को पत्र लिखते हैं कि ''जवाहर विदेश गये हैं और आप भी जा रहे हैं तो ऐसे में एक भटके हुए अध्यक्ष के साथ काम करना कितना कठिन है, जैसे कुछ नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए। इस तरह के विद्वेशी तेवर व विरोधी भावनाएं सुभाश से हमेशा गांधी वादियों से होती रहती थी। इसी समय 1939 का वर्श आया गाधीवादी पूरी तरह कमर कस चुके थे कि सुभाश को अब दुबारा अध्यक्ष नहीं बनने देना है, इस पर दूसरी तरफ सुभाश के नेतृत्व में युवा समाजवादी और कांग्रेस के भीतर के वामपंथी किसान सभाओं में लोग और वातावरण एक संकट बन गया जिसे त्रिपुरी संकट भी कहा जा सकता है। पटेल, मौलाना आजाद जब गांधी के तरफ से नहीं तैयार हुए तब पट्टाभि को तैयार किया गया और बहुउद्देशी सुभाश के विरोध और अवहेलना का प्रसार किया गया। अन्त में सुभाश बाबू अपने भाशण कांग्रेस दक्षिणपंथी सम्बोधन के बाद अपने ओजस्वी भाशण से कांग्रेसी कार्य समिति के सभी मान्य सदस्यों को नतमश्तक करा दिया और चुनाव जीत लिया।

29 जनवरी 1939 को चुनाव होता है अध्यक्ष पद 28 जनवरी तक नेहरू जी गांधी के उकसाने पर खुलकर विरोध करने लगते हैं। फिर भी नेता जी 1375 के मुकाबले 1580 मतों से चुनाव जीते, तब गांधी ने 2 फरवरी को अपने पत्र हरिजन में लिखा–पट्टाभि के विरूद्ध सुभाश की निर्णायक विजय को मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन मैं सुभाश के किसी भी निर्णय और तर्क से सहमत नहीं हूँ। फिर भी स्वागत है अब वो अपनी कार्य समिति का चुनाव करे।[6]

सरदार पटेल का पत्र छपता है कि हम सब का सुभाश के साथ मिलकर काम करना सम्भव नहीं है। और इसी समय वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सुभाश खुद बिमारी के कारण नहीं जा सके और कार्य समिति के सदस्यों से गांधी और पटेल के दबाव में त्याग–पत्र दिलवा दिया गया। धीरे–धीरे स्थिति यह आ गयी कि कांग्रेस पार्टी मानों दो भागों में बंट जायेगी। सुभाश एक योजक व निर्णायक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होनें सारी परिस्थितियों को समझ कर अन्ततः इस निश्कर्श पर अपने आपको पाया कि देश हित में गतिरोध समाप्त होना चाहिए और लगभग एक महीने के लम्बे समय के बाद गांधी और पटेल से पत्र व्यवहार के वार्ता के बाद 29 अप्रैल 1939 को त्याग–पत्र दे दिया और राजेन्द्र प्रसाद कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिये गये। गतिरोध विचारों का था जो अब मुठभेड़ बन चुका था जिसमें गांधी द्वारा सुभाश धीरे–धीरे हासिए पर ढकेले जा रहे थे। यह पत्र व्यवहार पूरी तरह से सबके सामने आन चाहिए ताकि नेताजी के स्वप्न कार्यबल और मजबूरियां सबके समक्ष प्रकट हो सके और नेता जी का मूल्यांकन हो सके।[7]

यही से गांधी जैसे नैतिक व्यक्तित्व के ऊपर भी उंगली उठनी चाहिए की प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कितने हद तक मजबूर करके मान्य चुनाव के बाद भी छल किया गया और सुभाश का रास्ता और इरादा यही से बदलने लगा।

एक लम्बे तार, पत्र व्यवहार, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर मतभेद होने के कारण बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी समिति को पटेल ने प्रतिबंधित कर दिया जिसका मसौदा गांधी ने स्वयं तैयार किया था ऐसे उन्होनें 26 अगस्त के हरिजन के अंक में स्वीकार किया।[8]

अब यहां प्रश्न उठता है कि इतने योग्य और जनप्रिय लोक चेता बन्धु सुभाश से गांधी और उनकी मण्डली क्यों चिढ़ती थी या उन्हें पृश्ठभूमि में ढकेल देना चाहती थी। 1938 में बम्बई के कानून मंत्री के0एम0मुंशी ने गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट जो सुभाश के सम्बंध में की गांधी को दी जो इस प्रकार थी भारत सरकार गुप्तचर विभाग के डायरेक्टर ने मुंशी से कहा और प्रमाण

दिया कि सुभाश चन्द्र बोस जर्मन कांउसिल के सम्पर्क में है उसके साथ किसी व्यवस्था या विकल्प पर बातचीत कर रहे हैं।[9]

गांधी इससे बहुत नाराज हुए। एक गोपनीय दस्तावेज जो शंकर लाल ने प्रकट किया जो सुभाश चन्द्र बोस के करीबी एजेन्ट थे, कि मित्र राश्ट्रों की पराजय हो रही है और नेताजी जापान को कुछ प्रस्तावों पर समझौता किये है जिसमें विश्व के बाद भारत की आजादी व निर्माण की भूमिका का निर्वहन हो सके। इसी बात से गांधी रूश्ट थे कि दोबारा उन्हें अध्यक्ष बनने दिया जाये।

जब कि चाणक्य के सप्तांग सिद्धान्त के समर्थक सुभाश चन्द्र बोस यह मानते थे कि शत्रु का शत्रु मित्र है, अतः ब्रितानी साम्राज्यशाही के विरूद्ध खुला संघर्श होना चाहिए। सुभाश नाजी जर्मनी के समर्थक थे उन्हें गांधी की अहिंसा पर लेसमात्र भी भरोसा नहीं था। सुभाश के प्रति अशक्त की सारी आशंका को तब का बल मिला जब वह अज्ञातवास में थे तो जर्मनी, इटली, जापान में अपनी सारी गतिविधियां संचालित कर रहे थे।[10]

गांधी ने नेहरू का चुनाव सुभाश की तुलना में बहुत सोच समझ कर किया था। पट्टाभि के हार के बाद गांधी ने सुभाश व वामपंथ को खुली चुनौती दे दी, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, अब कांग्रेस का अर्थ सिर्फ गांधी और उनके दक्षिणापथ वाला गुट ही रहा, जिसका नेतृत्व पटेल कर रहे थे।

सुभाश की भूमिका अब बाहर निकल कर कार्य करे की बनने लगी थी। जून 1940 में नेताजी गांधी जी से वार्धा में मिले। यहां गांधी ने सुभाश को विदाई देते हुए कहा था कि यदि भारत की आजादी में सुभाश का प्रयास सफल होता है तो मेरा बधाई का तार सबसे पहले सुभाश को मिलेगा। वास्तव में गांधी भी सुभाश की महत्ता को समझते थे। यह अनुमान हम बाद के दिनों में भारत के महत्व को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। दस बार जेल जाने वाले सुभाश का त्याग, संघर्शशीलता, कभी गांधी और नेहरू के छवि के समकक्ष और कभी तो उसको भी पार कर गयी। यह अनायास नहीं है भारत में आज भी घरों राणाप्रताप और शिवाजी के साथ सुभाश को ही चित्र लोग टांगे रहत है।

नेताजी के व्यक्तित्व व उद्देश्य तथा उनके महान लक्ष्य की झलक हमें उनके 15 अगस्त 1943ई0 के सिंगापुर के फेयरर पार्क में उनके द्वारा दिये गये भाशण में दिल्ली है, जिसमें उन्होंने कहा था, उस समय वर्मा की आजादी का उत्सव मनाया जा रहा था। अंग्रेज भारत छोड़ दें, आपको मालूम होगा कि मेरा यह सौभाग्य था कि जब वर्मा की आजादी की घोशणा हुई तो मैं वर्मा में था आजाद वर्मा में पहले मंत्री मण्डल का गठन हुआ वह समारोह अत्यन्त प्रभावशाली और शानदार था मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूॅ कि भारत के सीमा से लगे एक नए स्वतंत्र देश के उदय को मुझे अपने ऑखों से देखने का अवसर मिला। यह इतिहास का प्रतिशोध था कि उसी स्थान पर आजाद वर्मा स्थापित हुआ, जो कभी अंग्रेजी शक्ति और अधिकार का केन्द्र था। जिस समय मैं ऐतिहासिक समारोह को देख रहा था उसी समय मैं कल्पना कर रहा था कि कैसे जब अंग्रेज भारत से निकाल दिये जायेंगे तो हम नई दिल्ली के वायसराय भवन पर अपना राश्ट्रीय ध्वज फहरा रहे होंगे और दिल्ली के प्राचीन लाल किले के अन्दर आजाद हिन्द फौज अपनी विजय परेड कर रही होगी। मित्रों उस दिन की कल्पना कीजिये जब हम लाखों भारतीयों के बन्दी बनाये जाने का बदला भारत के सभी जेलों को अंग्रेज युद्धवादियों के कैम्पों में बदल कर लेंगे।[11]

उस महान दिन के लिये आज से तैयारी करें, वह दिन दूर नहीं जब हम आजाद भारत में एक अन्तरिम सरकार का गठन कर पायेंगे और अपनी सरकार के नेतृत्व में भारत में प्रवेश कर सकेंगे। यह सारी दुनिया को जान लेना चाहिए भले ही किसी मजहब या जाति के हो, आज एक साथ हैं और अपनी मातृभूमि जो सभी की है को स्वंत्रत कराने के लिये कटिबद्ध हैं।

उपर्युक्त विवेचना से मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ कि चौरीचौरा आन्दोलन की झलक से ही नेता जी के कांग्रेस पार्टी व उसके नेतृत्व से कभी भी किसी न किसी रूप में मतैक्यता नहीं बनी और वह अन्तर्द्वन्द की खाई बढ़ती ही गयी और अन्ततः सुभाश चन्द्र बोस को नेताजी के रूप में स्थापित करवा देती है। यह उनके भारत माँ का महान सपूत होने का स्पश्ट प्रमाण है।

गांधी हमेशा नेहरू के समाजवाद को हेर–फेर कर स्वीकर कर लेते थे। क्योंकि नेहरू के समाजवाद को उस समय के उद्योगपतियों ठाकुर दास और बिड़ला आदि के पत्र व्यवहारों की सकारात्मकता से समझ सकते हैं। उसी समय 17 जनवरी 1935 में प्रकाशित सुभाश की पुस्तक ''द इण्डियन स्ट्रगल'' में जो उनकी भविश्यवाणी प्रकाशित हुई थी कि विश्व इतिहास का अगला चरण सम्यवाद और फांसीवाद का सम्मिलन होगा और जिसका परिणाम होगा दलीय तानाशाही और अल्पसंख्यकों का निर्मम दमन। इस बात से ब्रितानी सरकार और अन्य कांग्रेसी लोग सहम गये थे। ठीक इसी समय नेहरू की पुस्तक विश्व इतिहास की एक झलक प्रकाशित हुई जिसकी स्वीकार्यता और तत्कालीन प्रेस की समीक्षाएं सुभाश की पुस्तक से अधिक हुई। इसमें शोध और जानकारी की तथ्यात्मकता अधिक थी जबकि नेहरू में अपने समय की राजनीति और समाज के सवालों से संघर्श और विश्लेशण अधिक था। सुभाश का वामपंथ सैद्धान्तिक, वैज्ञानिकता का नहीं आवेग का था और बंगाल के बारे में अधिक था तथा नकारात्मक था।[12]

उस समय देश का एक वर्ग यह मानता था कि यदि देश का नेतृत्व सुभाश के हाथ में हो तो देश में कांग्रेस के घोर प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक और पूंजीवादी समर्थक राजनीति से मुक्ति मिल जायेगी और सुभाश की क्रान्तिकारी क्षमताएं नये भारत को गढ़ देगा लेकिन सुभाश के पास कोई विजन नहीं था। गांधी विहीन कांग्रेस, राश्ट्रीय आन्दोलन से क्षत–विक्षत देश को सुभाश फांसीवादियों के साथ खड़े दिखे। इस आधार पर गांधी के लिये नेहरू अधिक उपयुक्त दिखे। क्योंकि इस स्थिति में नेहरू सुभाश के मुकाबले लोकतंत्र के गहरी आस्था व स्पश्टता के साथ प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। विचार के साथ–साथ प्रवृत्तियों के स्तर पर भी दोनों में अन्तर था लेकिन सुभाश की क्रान्तिकारिता भारत के आम जन को अधिक भाती थी क्योंकि वह आसन्न रूप से हर हाल में किसी भी बाद की बात नहीं सीधे भारत की आजादी ही मूल लक्ष्य था। उसके लिये उन्हें किसी भी वैचारिक पृश्ठभूमि को अपनाना पड़े वो उसके लिये अपने को तैयार कर लेते।

<u>सन्दर्भ</u>

1– भारतीय स्वाधीनता के पितामह सुभाश चन्द्र बोसः डा0 श्याम सिंहतवर, पृ0–210–221, साक्षी प्रकाशन, शाहदरा, नई दिल्ली।
2– कम्यूनिस्ट डाक्यूमेन्ट : खण्ड–1, पृ0–73 से 80
3– मित्रा डी0पी0 : खण्ड 1, पृ0–137
4– बोस सुभाश चन्द्र : पृ0– 94, 96
5– लिमशे मधु : गांधी और जवाहर लाल नेहरू, खण्ड 1, पृ0– 212
6– नेहरू जवाहर लालः बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ0 58
7– नेताजी सुभाश : किंशुक नाग उद्धत पटटामि सीतारामैय्या, खण्ड–1, पृ0– 267
8– गांधी राजा मोहाः पटेल, पृ0– 265
9– प्रियंवद : भारतीय राजनीति के दो आख्यान, पृ0 130–133
10–आजकलः पृ0 3,4, प्रकाशन विभाग
11–कम्यूनिस्ट डाक्यूमेन्ट, खण्ड–4, पृ0 62
12–सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ सुभाश, पृ0 77, उद्धत प्रियंवद भारतीय राजनीति के दो आख्या, पृ0 214

नई शिक्षा नीति और राष्ट्रभाषा

*कुमारी लुसी**

नई शिक्षा नीति 2020, 29 जुलाई 2020 को वर्त्तमान सरकार द्वारा घोषित किया गया।

शिक्षा मानव के अंधकार पथ को ज्ञान से आलोकित करता है। हम शिक्षा के माध्यम से ही मानवीय सदगुणों, अपनी परम्पराओं का संरक्षण कर सकते हैं। शिक्षा वैसी होनी चाहिए जिसे ग्रहण कर व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति बन सके तथा एक आदर्श समाज व राष्ट्र निर्माण करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो।

विश्व हिन्दी परिषद्, हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार तथा सेवा में समर्पित एक संस्था है। यह सर्वस्व विश्व को हिन्दी भाषा के माध्यम से तथा नई शिक्षा नीति से एक सूत्र में पिरोना इसका लक्ष्य है।

किसी भी समृद्ध और स्वस्थ समाज की निर्माण की आधारशिला शिक्षा ही होती है। समाज की दिशा तथा दशा में परिवर्तन करती है तथा विकास पथ पर अग्रसर करती है। नई शिक्षा नीति व्यवस्था 2020, हमारी महान भारतीय सांस्कृति, परंपरा को तथा प्राचीन शिक्षा शैली से जोड़ने का प्रयास किया है। चूँकि परिवर्तन संसार का नियम है और हमारे समाज में आज अनेक बदलाव अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। हमारी शिक्षा नीति में जो अनेक त्रुटियाँ थी उसे नई शिक्षा नीति ने हटाकर एक सुव्यवस्थित शिक्षा नीति को स्थापित करने का आगाज किया है।

1986 की शिक्षा नीति के अनुसार अब तक हमारे देश की शिक्षा नीति चल रही थी जो हमारे समाज के लिए पोषणीय नहीं था। शिक्षा सम्बंधी गाँधी जी का स्वप्न आज साकार होता नजर आ रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा से सम्बंध्धित गाँधी जी का मूल मंत्र था। ''शिक्षा के माध्यम से समाज के पिछड़े वर्ग उपेक्षित वर्ग को समता का अधिकार दिया जाए। ताकि शोषणविहीन समाज की स्थापना हो सके।''

वास्तव में शिक्षा की समानता के बिना शिक्षा की सर्व सुलभता के बिना एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत के बच्चों की 3H की शिक्षा अर्थात् Head, Hand, Heart की शिक्षा दी जाए और उनका यह स्वप्न नई शिक्षा नीति में साकार होता नजर आ रहा है।

विवेकानन्द ने शिक्षा के बारे में कहा था– ''शिक्षा स्वयं दरवाजे–दरवाजे क्यों न जाए यदी खेतिहर का लड़का शिक्षा तक नहीं पहुँच पाता तो उससे हल के पास या कारखाने में अथवा जहाँ भी हो वहीं क्यों न भेंट की जाए।''[1]

इस शिक्षा नीति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। स्वदेशी स्वभाषा, स्वावलम्बन और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार होगा। यह शिक्षा नीति सुविचारित, सुव्यवस्थित, सर्वाग्राह्य है। संकल्प से सिद्धी की ओर ले जाने वाली तथा मनुष्य को मानवता से जोड़ने वाली है। सनातन शिक्षा नीति को आधुनिकता से जोड़कर उसकी प्रसांगिकता को सिद्ध करती है। यह शिक्षा नीति भारतीय चिंतनधारा को बेगवान बनाने वाली है।

भारत की पारंपरिक विचारधारा तथा संस्कृति को पहली बार शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। हमारा देश विश्वगुरु कहलाने में सक्षम होगा। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला,

* **शोधप्रज्ञा, हिन्दी विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

विक्रमशिला आदि हमारी पारंपरिक शिक्षा नीति का धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है तथा इसे विश्व ख्याति प्राप्त है।

नालंदा ज्ञान विधा का केन्द्र रहा है। मनुष्य की उन्नति के लिए, मानव मूल्यों को सहेजने के लिए यह ज्ञान का केन्द्र विश्व प्रसिद्ध है। यह बौद्ध–शिखा केन्द्र रहा है तथा विक्रमशिला, तक्षशिला, शिल्प शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। जितने भी रचनात्मक क्षेत्र हैं कला, कौशल, स्थापत्य आदि का निर्माण यहीं हुआ है। पहली बार भारतीय शिक्षा नीति में इस व्यवस्था को स्थान दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति का स्वरूप वैश्विक है और इसकी आत्मा भारतीय है। इसमें स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया है। हम आरंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त करें, यह इसका उद्देश्य है। इसमें भारतीय सांस्कृति के प्रति विशेष आस्था है। हमारी भारतीय परम्परा में, ज्ञान, वेद संस्कृति सुलभ में ही प्राप्त है।

दयानन्द सरस्वती का मानना था– ''शिक्षा के परचा में ही भारत की खुशी निहीत है। शैक्षणिक संस्थाओं के द्वार स्त्री–पुरुष, अमीर–गरीब सभी के लिए खुले रहने चाहिए। संस्कृत, वेदों व आयुर्वेद के शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। आधुनिक समाजिक विषयों तथा विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य है।''[3]

आरंभिक ज्ञान संस्कृत की जितनी भी विधायें सभी संस्कृत में हैं। इस भाषा को पाणिनी तथा यास्क जैसे मनीषियों ने समृद्ध तथा व्याकरण सिद्ध किया है। आधार से ऊँचाई तक जाने की व्यवस्था इस शिक्षा नीति में है। समाज के हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा के दायरे में आए यह इस शिक्षा नीति का विधान है।

शिक्षा में बदलाव लाकर वंचित वर्ग के लोग जो अपने आर्थिक विपनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे उसे एक सुअवसर प्रदान किया गया। इस शिक्षा नीति के माध्यम से। यह शिक्षा नीति भविष्योन्मुखी है। यह वर्तमान को व्यवस्थित तथा भविष्य को सुदृढ करने वाली है और इसके माध्यम से हम पुनः उस ज्ञान को निर्मित कर पायेंगे जिसके चलते हमारा देश पुनः विश्वगुरु पद पर आसीन होगा।

औपनिवेशिक भाषा अंग्रेजी के दबाव में हिन्दी दम तोड़ती नजर आ रही थी जिसे नई शिक्षा नीति ने पुर्नजीवित करने का प्रयासरत है।

''आइए जाने आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने की लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी।''[4]

पहली बार श्रम के महता को शिक्षा से जोड़ने की चेष्टा की गई है। चूँकि शिक्षा संविधान में समवर्ती सूचि का विषय है। जिसमें राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार की अधिकार है। ''परीक्षा के तरीके में बदलाव, पाठ्यक्रम में आमूल–चूल परिवर्तन तथा छात्रवृति का प्रावधान करीब 50 फीसदी छात्रों को देने का प्राइवेट संस्थाओं द्वारा देने का प्रावधान किया गया है।''

उच्च शिक्षा संस्थान को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन करेगा तथा शिक्षा से सम्बंधित नियम–कानून तथा गाइड लाइन तैयार करने की जिम्मेदारी भी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन को ही होगा।

प्राचीन ज्ञान परम्परा, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन योग शिक्षा, आयुर्वेदिक शिक्षा आदि को दरकिनार कर एक सबल तथा महान भारत का निर्माण असंभव है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नये पथ का निर्माण करेगा तथा समाज को नई दिशा देगी। 21वीं सदी की शिक्षा नीति स्कूल कॉलेज में बदलाव उपेक्षित को स्थान दिया जायेगा। बच्चों इसमें अन्वेषण गतिविधियों और मनोरंजक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा।

आज सामाजिक वातावरण में काफी परिवर्तन हो गया है और इसके अनुसार शिक्षा नीति में बदलाव आवश्यक था। हमारी शिक्षा व्यवस्था की ढर्रा अब बदल गई है। पहले हमारी शिक्षा

नीति में अंक–पत्र के आधार पर किसी को रोजगार मिलता था, उसकी योग्यता जाँची–परखी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा, अब अंक करियर पर हावी नहीं होगी।

"New Education Plocy 2020", 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक प्रवेश की एक परीक्षा''[5]

अब बच्चे नये कदम से नये दौर कर पायेंगे। नए दौर के अध्ययन का मूल मंत्र नये–नये खोज, हर क्षेत्र में भागीदारी, अनुभव, अभिव्यक्ति, उत्कृष्टता, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश को नई दिशा देकर उसकी दशा को बदलना है।

आधार से शिखर तक पहुँचने की सीढ़ी है। आने वाली दुनिया, ज्ञान लोक से भविष्य की भारत में सरोपन रखा पायेगा।

भारत महानतम शक्ति है। विश्वगुरु की क्षमता है। यह शिक्षा नीति सद्धांतिक नहीं व्यवहारिक है। मानव के नैतिक मूल्य संस्कार, मानव एवं संवैधनिक मूल्यों का संरक्षण नई शिक्षा नीति में है। मानवीय गुण स्वतंत्रता, समता, जिम्मेवारी आदि का रक्षण इस नई शिक्षा में निहीत है। विकास के सारे सुत्र इसमें समाहीत है। वैश्विक राजनीति फलक पर संकल्प से सफलता की ओर आज भारत अग्रसर है।

इस शिक्षा नीति प्रक्रिया में शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच एक स्वस्थ सम्पर्क अवश्यक है। उदार चरित्र के शिक्षक तथा जिज्ञासु तथा संर्घषशील विद्यार्थी की आवश्यकता है आज शिक्षा नीति में। हम भारतीय उदार चरित्र और अपने ज्ञान विस्तार से सम्पूर्ण विश्व को आलोकित करें यही हमारी नई शिक्षा नीति का संकल्प है। नई शिक्षा नीति शिक्षा में आई अनेक त्रुटियों को दूर कर एक स्वस्थ प्रणाली प्रदान करती है। आज नई शिक्षा नीति की जानकारी सुदुर गाँव, गली आदि में उपेक्षित क्षेत्र में समाचार पत्र तथा इंटरनेट की व्यपकता से सुलभ जानकारी सहज प्राप्त कराई जा रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं नई शिक्षा नीति के प्रति आकर्षित और इससे प्रभावित हो रहे हैं।

शिक्षा संकिर्णताओं, अभावों तथा वर्जनओं से हमें मुक्त करता है तथा मन के अंधकार को दूर कर ज्ञान पथ को आलोकित करता है। हमें नई शिक्षा नीति से ज्ञान के तह तक पहुँचने के अनेक क्षेत्र में अनुशंधान, शोध की प्रविणता आदि के सुअवसर प्राप्त होंगे। नई शिक्षा नीति में वार्तालाप, क्यूज, आदि शैली से विवेचन, विश्लेशण की क्षमता विद्यार्थियों में पैदा करेगी। इस शिक्षा नीति से सभी उपेक्षित दबेकूचले बच्चे शिक्षा में सहभागी बन पायेंगे। आज हमारी युवा पीढ़ी को इस शिक्षा नीति से अत्यंत लाभ प्राप्त होगी तथा देश का भविष्य (युवा वर्ग) श्रेष्ठ तथा एक महान नागरिक बन पायेगा।

''स्वामी विवेकानन्द का स्वप्न था– भारतवासी को उच्च शिक्षित, स्वालंबी, स्वाभिमानी तथा अपनी संस्कृति सम्पति समद्ध शाली महान राष्ट्र की गौरव की रक्षा करना शिक्षा का धैय होना चाहिए। शिक्षा का अभाव हमारे दुर्भाग्य के लिए स्वयं दायित्व होगा।''

जीवन में आगे बढ़ने तथा अपना लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता तथा सोचने की शक्ति बच्चों के मन में पैदा होगी इस नई शिक्षा नीति से। ''आशा है कि 2030 तक यह शिक्षा नीति पूर्ण रूप से फलिभूत होगी।'' आज नई शिक्षा नीति में सभी शिक्षा नीति को एक सूत्र से जोड़ा जायेगा। एक उच्च स्तरीय शिक्षा तथा तथ्यसंकलन इस शिक्षा नीति की व्यवस्था है। ज्ञान परख, सामाजोपयोगी रचनात्मकता आदि नई शिक्षा नीति की विशेषता है। प्रयोगशाला से व्यवहार तक पहुँचने में अनुशांधान व्यवहरिक सिद्ध होगा। नई शिक्षा नीति कि आहट में में इंटरनेट की दुनिया में व्यापक संवाद सम्पर्क कर रहे हैं। भिन्न–भिन्न विषयों पर वेबिनार में अपनी उपस्थित दर्ज इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे कर रहे हैं।

शिक्षक को भी आज इंटरनेट की व्यापक जानकारी होनी चाहिए ताकि वे बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा तथा उचित मार्गदशन दे सके।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आज समय की मांग है। नई शिक्षा नीति से हमारा मानवीय मूल्य, धर्म, संस्कृति की रक्षा तथा ज्ञान क्षेत्र में व्यापक श्रीवृद्धि होगी।

इस शिक्षा के माध्यम से बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा अब अपनी मातृभाषा हिन्दी में प्राप्त हो पायेंगे। वह अपनी भाषा में अपनी हृदय के उद्‌गार को व्यक्त कर पायेगा। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह भाषा आत्मा से आत्मा को जोड़ने में जितनी सक्षम है, जितनी सरस है, जितनी मधुर है, किसी भी अन्य भाषा में इतनी गुण एक साथ समाहित नहीं है।

हमारी शिक्षा नीति में अंग्रेजी को शामिल कर लोग गौरव महसूस करते थे। भले ही अंग्रेजी अच्छे से बोलनी नहीं आये, परंतु इनके कुछ अंशों को अपनी वाणी में शामिल कर अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करने में गौरव का अनुभव करते हैं। बच्चे अपनी भाषा को आज समझ नहीं पाते। अंग्रेजी का अनुवाद न हिन्दी में कर पाते हैं और न हिन्दी का अनुवाद अंग्रेजी में। यह तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। जबतक हम शिक्षा को अध्यात्म से नहीं जोड़ेगे विज्ञान अध्यात्म का ही विकसित रूप है। आध्याय के बिना शिक्षा सर्वनाशकी ओर अग्रसर करती है और इस सब दुर्भाग्यपूर्ण संभावनाओं से नई शिक्षा नीति में बचाएगी।

जिस शिक्षा में हमारी भारतीय संस्कृति, मानवीय सद्‌गुण जैसे ममता, दया, क्षमा, त्याग, सौहाद्र आदि नहीं होंगे तब तक शिक्षा से कोई लाभ नहीं। हमारी सारी योग्यताएँ व्यर्थ सिद्ध होती रहेंगी।

अध्यात्म और संस्कृति हमें चरित्रवान बनाते हैं। आज देश की जो स्थिति है दिन दहाड़े स्त्री अस्मत की लूट, बेईमानी, भूख, कराहमती हुई मानवीय संवेदना आदि ये सारी समस्याएँ हमारी अध्यात्म रहित शिक्षा का ही दुष्परिणाम है।

अध्यात्म, विज्ञान तथा शिक्षा में संतुलन ही समाज को सबल बना सकती है।

21वीं शदी की ये शिक्षा नीति ज्ञान परख तथा व्यवहारिक सिद्ध होगी। हमारे समाज को स्वावलंबी तथा सर्वशक्तिमान बनाने में सफल होगी। इसी आशा की दीप जलाये हम अपने पथ पर अग्रसर रहें।

राष्ट्रभाषा और राष्ट्रध्वज किसी स्वतंत्र राष्ट्र की मौलिक आवश्यकताएँ हैं। प्रत्येक स्वतंत्र देश में उसकी राष्ट्रभाषाओं को ही राजभाषा का स्थान प्राप्त रहता है।

अपनी मातृभाषा का लोग तरस्कार करते हैं। हिन्दी के मर्धुन्य कवि डॉ0 रामधारी सिंह दिनकर का कथन अक्षरशः सत्य है कि ''संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता का काम कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष होया नहीं, किन्तु अंग्रेजी में उसकी दक्षता असंदिग्ध हो।''[6] इस संदर्भ में शर्मनाक स्थिति का ज्वलंत उदाहरण असम का गौहाटी विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है। यहाँ हिन्दी में शोधकार्य भी अंग्रेजी भाषा में ही करना पड़ता है और इस विडंम्बना को भारत अगर सचमुच एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो इसकी राष्ट्रभाषा भी स्वतंत्रहोनी चाहिए। अंग्रेजी की वैशाखी लेकर चलने वाली राजभाषा हमारी स्वतंत्रता के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगती है।

नई शिक्षा नीति में हिन्दी को वह स्थान प्राप्त होगी जिसके योग्य वह है। नई शिक्षा नीति अब हमें सही मायने में अपनी स्वतंत्रता पर गर्व होगी, क्योंकि अंग्रेजी की वर्चस्विता जब तक हिन्दी पर रहेगी हम स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं अपने को। हिन्दी में मुद्रण तथा टंकन की बड़े पैमाने पर उपलब्ध होगी। विश्व मंच पर हिन्दी का व्यापक फलक विस्तार होगा नई शिक्षा नीति के मध्याम से।

संदर्भ–सूची

1. विवेकानन्द साहित्य, खण्ड–10
2. 30 जुलाई 2020, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।

3. महर्षि दयानन्द सरस्वती, पृ.सं.–203, उपकार प्रकाशन, अगरा–2, संकलनकर्त्ता डॉ0 लाल एवं जैन।
4. दैनिक जागरण, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020
5. अमर उजाला, अभिगमन तिथि 31, जुलाई 2020
6. संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, पृ.सं.–39

बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार पर सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि

*डा0 बंदना श्रीवास्तव**

भूमिका :

जन्म के पश्चात् प्रत्येक प्राणी को एक नया वातावरण प्राप्त होता है। प्रत्येक बालक का जीवित रहने के लिये इस नये वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। जैसे–जैसे वह आयु वृद्धि करता जाता है उसका वातावरण विस्तृत होता जाता है। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिये यह आवश्यक है कि वह नये वातावरण के साथ लगातार समायोजन स्थापित करे। वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के लिये प्राणी को अपनी कुछ जन्मजात आदतों का परित्याग करना पड़ता है तथा नयी बातें जो समायोजन के लिए जरूरी है उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन कुछ बालक समायोजन प्रक्रिया के दौरान ऐसे व्यवहारों को अपना लेतें जो सामान्य व्यवहारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। बालकों के ऐसे व्यवहार 'समस्यात्मक' कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक स्वयं अपने लिये, परिवार और समाज के लिये समस्या बन जाते हैं, अतः समस्यात्मक बालकों का व्यवहार सामान्य नहीं होता है उसमें असामान्यतायें पायी जाती है।

विषय विस्तार :

समस्यात्मक बालक किसी वर्ग विशेष के नहीं होते हैं ये बालक किसी भी परिवार में हो सकते हैं। इनमें न तो जन्मजात कोई शारीरिक या मानसिक हीनता होती है और न ही ये अपराधी या समाज विरोधी प्रकृति के होते हैं। सामान्य बालक ही जब वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं तो समस्यात्मक बन जाते हैं। वातावरणीय समायोजन के दौरान जब परिस्थितियाँ अत्यन्त जटिल हो जाती है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, परिवार व समाज उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं देता है, उनके जीवन में प्रेम व वात्सल्य का अभाव होता है, कठोर नियंत्रण में रखा जाता है या उनकी उपेक्षा की जाती है तो वे समस्या का उचित समाधान न पाने पर निरन्तर मानसिक अन्तर्द्वन्द्व व तनाव की स्थिति में रहते हैं। यह स्थिति ही उनके व्यवहारों को समस्यात्मक बना देती है।

बालकों के समस्यात्मक व्यवहार स्थायी नहीं होते हैं। यदि माता–पिता, शिक्षक व अन्य लोग प्रारम्भ से ही बालक की समस्या का निराकरण उचित निर्देशन द्वारा करें तो उनका व्यवहार थोड़े समय में सामान्य हो सकता है।

बालक का सर्वांगीण विकास, बुद्धि, परिपक्वता तथा अभ्यास क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक वृद्धि की सीमाएँ सामाजिक सांस्कृतिक बल द्वारा निर्धारित होती है। वस्तुतः विकास जन्मजात जीन के मिलने पर निर्भर करता है, जिसके फलस्वरूप बालक की योग्यता, प्रतिभा और प्रवृतियाँ निर्धारित होती हैं। घर, परिवार और सामाजिक दायरे में घिरा बालक इन्हीं से विभिन्न मूल्य और मान्यताएँ ग्रहण करता है। उदाहरणस्वरूप, शारीरिक बनावट तथा बौद्धिक क्षमता तथा बाह्य शक्तियाँ अर्थात् बाह्य वातावरण इन दोनों के बीच अन्तर्क्रिया होती है। दोनों शक्तियों के संतुलन से बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है, पर यदि इन दोनों बलों में से किसी कारणवश एक निश्चित सीमा से ज्यादा भिन्नता हो जाती है तो विकास अवरूद्ध हो जाता है। विकास के अवरोध में समस्यात्मक व्यवहार महत्वपूर्ण है।

मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति एक जीव रचना है, जो अपने वातावरण में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयत्न करता है। उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया, द्वन्द्व एवं उद्देश्यों का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार समस्यात्मक व्यवहार

*** शोधार्थी श्रम एवं समाज कल्याण विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

का कारण तंत्रिका तंत्र का विक्षत होना या बीमारी नहीं बल्कि जब अखण्ड तंत्रिका तंत्र वाले बच्चे सही शिक्षण नहीं पा सकते, तो समस्यात्मक व्यवहारों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैलेन्टाईन ने समस्यात्मक व्यवहारों के विषय में कहा है कि – ''वे सभी बालक जिनके व्यवहार और व्यक्तित्व इतने असामान्य होते हैं कि वे घर, परिवार, विद्यालय और समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं।''

जन्म के समय बच्चा निःसहाय रहता है। उसे उसकी देखभाल एवं लालन– पालन के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है। जीवन–यापन के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। नवजात शिशु की प्रधान समस्या होती है – स्नेह प्राप्त करना और जीवन की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति। इन समस्याओं की पूर्ति अच्छी तरह नहीं होने पर अनेक समस्याओं का आगमन होता है। बालक अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता। स्नेह तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति माता–पिता या अन्य परिवारजनों द्वारा की जाती है। जिन बच्चों को किसी कारण माता–पिता या परिवारजनों से प्रेम प्राप्त नहीं होता आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में कमी हो जाती है, उनमें तरह–तरह के दुर्गुणों का प्रार्दुभाव होता है, माता–पिता की किसी भी कारण हुई अनुपस्थिति में उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य नहीं होते। तनावपूर्ण वातावरण में प्यार की कमी उन्हें निराश कर देती है। वे अपने सामाजिक वातावरण से समुचित समायोजन नहीं कर पाते। व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता। चार–पाँच वर्ष की उम्र में बच्चे पाठशाला में दाखिल होते हैं, जहाँ अनेक समस्याएँ होती है। पढ़ाई में कमजोर एवं असफल होने पर बच्चों में आत्महीनता की भावना आ जाती है। आत्मविश्वास में कमी, माता–पिता एवं शिक्षकों की प्रताड़ना सुनकर उसे समवयस्कों के सामने लज्जित होना पड़ता है। इन सभी कारणों से उसमें निराशा, कटुता, आत्महीनता, हठ, मानसिक दुविधा आदि भावों का समावेश होता है। बाल्यावस्था में इन्हीं व्यवहारात्मक समस्याओं को जिसे असामान्य व्यवहार कह सकते हैं, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक पक्ष होते हैं। व्यक्ति के विकासक्रम में इस प्रकार की कई समस्याएँ होती हैं, जिन्हें मनोविज्ञान में विविध नामों से जाना जाता है। माता–पिता और स्कूल के अधिकारी यह महसूस करते हैं और इन समस्याओं के निदान के लिए मनोचिकित्सकों की सहायता चाहते हैं। ऐसी समस्याओं में गम्भीर समस्याएँ मनोविकृति तथा कम गम्भीर समस्याएँ मनःस्नायुविकृति कहलाती है।

मनोविकृति :

मनोविकृति का तात्पर्य बोधात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक प्रक्रियाओं की तीव्र असामान्यताएँ हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के अयोग्य बना देती है तथा जिनमें इड, इगो तथा सुपर इगो एवं बाह्य जगत के बीच असंतुलन बना रहता है। यह बहुत संगीन रोग है। सामान्यतः मनोविकृतियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार में वे मानसिक रोग आते हैं, जिनके मूल कारण आंगिक होते हैं। इसमें मस्तिष्क क्षति, मदिरापान, सिफलिस इत्यादि प्रमुख है। किसी शारीरिक क्षति के कारण स्नायु तंतुओं के नष्ट हो जाने से अन्तःस्रावी ग्रंथियाँ ठीक काम नहीं करती तथा रक्त संचालन में गड़बड़ी हो जाती है। जिससे इस प्रकार के रोग के लक्षण विकसित होते हैं। दूसरे प्रकार में वे मानसिक रोग हैं जिनका कारण दूषित वंशानुक्रम एवं अनुभव होते हैं। इन्हें क्रियात्मक मनोविकृति कहा जाता है।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष के रूप यह कहा जा सकता है कि समस्यात्मक व्यवहार को कुसमायोजित व्यवहार भी कहा जाता है । ऐसे व्यवहारों के प्रति जो सामाजिक प्रतिक्रियाऐं होती हैं उनसे बच्चों का व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप बच्चे परिवार या समाज के लिए एक प्रकार की समस्या बन जाते हैं । ऐसे बच्चों में परिवार और सामाजिक परिस्थिति में वांछित और सामाजिक व्यवहार की प्रवृति दृष्टिगत नहीं होती । समस्यात्मक व्यवहारों में चोरी करना, झूठ

बोलना, छोटे बच्चों को परेशान करना, धुम्रपान करना, कार्य न करना, बहानेबाजी करना, गुमराह करना, विद्यालय से भाग जाना, कक्षा में देर से आना, अनुशासनहीनता आदि प्रमुख हैं । इस प्रकार के व्यवहार वाले बच्चों में चरित्र एवं व्यवहार तथा व्यक्तित्व विकृतियों की अधिकता पायी जाती है । अतः ऐसे व्यवहार वाले बच्चे एक तो समस्या के पुंज होते हैं, दूसरे, माता–पिता एवं अभिभावकों के लिए अनेक प्रकार की समस्याऐं उपस्थित कर देते हैं जिन्हें दूर करना अभिभावकों के लिए चिन्ता का कारण बन जाता है । अतः समस्यात्मक व्यवहार वैसे व्यवहार को कहा जाता है जो सामाजिक रूप से अमान्य होते हैं और माता–पिता तथा अभिभावकों के लिए तरह–तरह की समस्याऐं उत्पन्न करते हैं ।

सन्दर्भ सूची

1. क्रिस्टोपफर मैग :– द ओरीजन ऑपफ जनरल नर्सिंग, क्रूम हेलम, लंदन 1983
2. चार्ल्स, डब्लू :– मेडिकल वूमेन, ए स्टेटमेंट एण्ड एन अरग्यूमेन्ट, जे. एण्ड ए. चर्चिल, लंदन, 1878
3. चन्दानी, ए :– द मेडिकल प्रोपफेशनः ए सोशियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, जैन जॉन्स एण्ड बार्टलेट पब, 1996
4. मैरी एस. जैपफ. :– होम हेल्थ केयर प्लान मॉसबाई, 1988
5. मारलेन ग्लोवर मेयरस :– सिस्टमैटिक एप्रोच टू द नर्सिंग केयर प्लान ए पले ऑन सेन्चुरी क्राफ्रट्स, 1983
6. मेरी. एस. जैक :– होम हेल्थ : नर्सिंग केयर प्लान्सः एलसाइवर
7. मैरीलि ई. डॉनसज :– नर्सिंग केयर प्लान्सः गाइडलाइंस पफॉर प्लानिंग पेशेन्ट्स केयर– डेविस, 1989
8. मोस्क हंस :– जॉब सटिसपफैक्शनः ए केस स्टडी ऑपफ नर्सेस इन ओटावा यूनिवर्सिटी ऑपफ न्यूयार्क, 1972
9. ओमन टी.वी. :– डॉक्टर्स एण्ड नर्सेस मैक मिलन क. प्रा.लि.मि. नई दिल्ली, 1979

प्राचीन काल एवं वर्तमान संदर्भ में नारी उत्पीड्न समस्या एवं समाधानः एक चिंतन

*डॉ0 विनय कुमार अम्बेडकर**

हमारे बुद्धिजीवियों ने देश के विकास के लिए बहुत सी योजनाएँ तो बनाई, परन्तु नारी की ओर देखने की पुरूशों की दृश्टि पर कभी चीन्तन नहीं किया। यही कारण है कि आज फिल्मों के गीत, कहानी और व्यवसाय जगत में भारत की नारी की अस्मिता की बोली लगाई जाने लगी है। ऐसी विडम्बनाओं के चलते अब नारी को पवित्रता की दृश्टि से देखने वाला समाज का निर्माण कैसे होगा।

हाल ही में तहलका पत्रिका के संस्थापक और मुख्य सम्पादक तरूण तेजपाल पर, बेटी की उम्र की सहयोगी महिला पत्रकार के उत्पीड्न का आरोप लगा है। इस खबर के फैलते ही चारो तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहन मंथन का कार्यक्रम चल पड़ा है। कोई भारतीय परम्परा को ही दोशी बता रहा है, तो कोई कानुन व्यवस्था पर अंगुली उठा रहा है, कोई पुरूशों की मानसिकता को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई नारी की कमजोरी को इसके लिए दोशी मान रहा है। जिसका इस पर मंथन चल रहा है। यह चिन्ताजनक बात है। ऐसे में भारतीय समाज में महिला विशयक दृश्टिकोण पर विचार करना होगा। हम जानते हैं कि हमारे देश में, प्रत्येक परिवार में मॉ का सर्वोच्च स्थान होता है। प्राचीन काल से ही मातृ शक्ति का विशेश महत्व रहा है। पुराणों में मॉ को प्रथम गुरू की संज्ञा दी गई है। हमारे संस्कृति में मनुश्य के पोशण में सहयोग प्रदान करने वाली प्रत्येक तत्वों को मॉ की उपाधी दी गई है। यही कारण है कि आज भी हम नदी, गाय भुमि और वनों को मॉ कहकर उसकी पुजा करते हैं। नारी जननी होती है। वह बालक को पोशण करती है। इसलिए वह सदा बंदनीय है। भारतीय परम्परा में यही नारी विशयक दृश्टिकोण रहा है, जो हर काल में आदर्श है। लेकिन आज देश के विभिन्न स्थानों पर आये दिन महिला उत्पीड्न की घटनाओं की खबर सुनाई देती है। जिसके कारण भारतीय विचारों के विरोधियों को हमारे संस्कृति और परम्परा का माखौल उड़ाने का मौका मिल जाता है। और हम समझने लगते हैं। कि हमारे देश में सदेव ही महिलाओं की उपेक्षा की जाती है।

यह सच्च है कि इतिहास में महिलाओं की शिक्षा सम्बंधी पुख्ता तथ्य हमारे समक्ष नहीं है। साथ ही यह भी सत्य है कि इतिहास के बहुत से स्वर्णिम अध्याय को हमसे दुर रखा गया, या फीर देश की जनता ने कभी इस सम्बंध में जानकारी इकठा करने की कोशिश नही कि। इसके बाबजुद भी नारी के प्रति भारतीय दृश्टिकोण सकारात्मक और विकासोमुंख ही रहा है। [1] महात्मा ज्योतिवा फुले, सावित्री बाई फुले, रामावाई रनाडे., स्वामी दयानन्द सरस्वती, महर्शि कर्वे, स्वामी विवेकानन्द, राजाराम मोहन राय, महात्मा गॉधी आदी महात्माओं ने नारी उत्थान के लिए उनकी शिक्षा को महत्वपुर्ण माना। शिक्षा को मौलिक अधिकार व आधार बताने वाले इन महात्माओं ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि भविश्य मे नारी को उत्पीड्न का सिकार होना पड़ेगा। शिक्षित समाज आज समाजिक अपराधों से ग्रस्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा के मानक अपने मुल उदेश्य से भटक गया है। शिक्षार्जन से प्राप्त प्रतिभा का उपयोग समाज हित में करने के बजाय स्वार्थ साधना के लिए किया जा रहा है। जिसकी कोई मर्यादा नहीं दिखती।

शिक्षार्जन के बदलते मान :–

***सहायक प्रोफेसर प्राचीन भारतीय एवं एशियाई विभाग गया कॉलेज गया एस0 ए0 एफ0 एर्वाडेड आई0 सी0 एच0 आर नई दिल्ली।**

शिक्षा का मुख्य उदेश्य विद्यार्जन है। विद्या के बल पर जीवन की समस्त कठीनाईयों को पार कर अपने लक्ष्य की प्राप्ती का भाव इसमें निहित है।

श्री विशणु पुराध्ण में कहा गया है कि ''सा विद्या या विमक्तये'' अर्थात वह जो (अज्ञान से) मुक्ति प्रदान करे वह व विद्या है। नारी शिक्षा के संदर्भ में भी यही संकल्पना रही है। परन्तु आज शिक्षार्जन के मायने बदल गए हैं। शिक्षा का उदेश्य ज्ञानार्जन के बदले अर्थार्जन हो गया है। अधिकाधिक धन संगृहित करने वाला मनुश्य ही अधिक सुखी हो सकता है। इस सोच ने जीवन के प्रति मनुश्य का दृश्टिकोण बदल दिया। भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ सी मच गई है। [2] इसके लिए भ्रश्टाचार, दुराचार, व्यभिचार चाहे जो करना पड़े, मनुश्य तैयार है। यही कारण है कि समाज में नैतिकता का पतन हो रही है।

महिलाओं के संदर्भ में देखा जाय तो हमारे देश की युवतियॉ शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विकास कर रही है। आज विद्यालय और महाविद्यालय में सबसे अधिक महिलाएं शिक्षक की भुमिका में अग्रसर है। यही नही तो अभियांतिकी, वैद्यकीय और विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं की सहभागिता बढी है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। वही दुसरी ओर नौकरी के नाम पर महिलाओं का शोशण का प्रमाण भी बढा है। नौकरी सम्बंधी नारी उत्पीड़न कि घटनाओं में अधिकतर जहॉ महिलाओं की बढती हुई अर्थाजन की आकांक्षाओं को जिम्मेदार होती है। वही दुसरी ओर कामुक पुरूशों द्वारा महिलाओं को इस पाप कर्म के लिए मजबुर किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में नारी की ही हार होती है। तो फिर नारी अस्मिता की रक्षा कैसे हो सकती है। [3]

दुसरी ओर हमारे समाज के रेव पार्टीयों की चलन बढ रहा है। जहॉ आचरण में किसी प्रकार की सामान्य बंदिशों या बंधनों की कोई गूंजाइस नही है। होटलों, फार्म हाउसों, म्युजियम, रेस्टोरेन्टो, बारों से लेकर अब तो नामी विवाह भवनों और यहॉ तक की धीरे–धीरे कुछ घरों में जहॉ बड़े परिवार नहीं है ऐसी स्वच्छंद पार्टियों का चलन हो गया है। पिछले वर्श बंगलुर, हैदराबाद, नागपुर, मुम्बई जैसे नगरों में पुलिसिया छापों में नशे में घ्रुत सैंकड़ो युवक, युवतियों को रेव पार्टियों में आपती जनक स्थिति में पकड़ा गया। आज हर छोटे बड़े नगरों महानगरों और कसवों में आधि रात को ऐसे लोग मिल जायेंगे जिसे पुलिस भी हाथ लगाना उचित नहीं मानती और उसकी सलाह यह होती है कि आप उधर की बजाए दुसरे रास्ते से जाइए। क्योंकि पता नहीं कौन, एलसीडी के नशे में आपके साथ क्या कर दे। उन्मुक्ताओं का यह चलन पुरानी मान्यताओं, कानुन और सामाजिक बंदिशों को ध्वंस करने के लिए आतुर है। इस भयावह उन्मुक्ताओं को रोकने में कानुन को भी अपनी सिमाएं हैं। [4] फिर उपाय क्या?

<u>नारी समाज की अस्मित :–</u>

हमारी संस्कृति के अनुसार नारी परिवार व समाज की अस्मिता है। इसलिए हमारे पुर्वजों उसे संभाल कर रखने तथा उसके संरक्षण के लिए कुछ विशेश नियम भी बताएं। इन नियमों के अंतर्गत संध्याकाल परिवार के सभी लोग मिलकर संध्या आरती करें साथ में भोजन तथा कुछ जीवन मुल्य पुरक कुछ बातें हो आदी। परन्तु हमारे समृद्ध व प्रबुद्ध समाज के स्वच्छंदता के नाम पर इन नियमों की धज्जीयां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशेश पढे–लिखे लोग जो नारी सशक्तिकरण और नारी स्वतंत्रता का ढोल पिटते हैं, ने स्वतंत्रता के नाम पर भारत की अस्मिता नारि शक्ति को सरेआम तमाशा और मनोरंजन का साधन बना दिया। मॉडलीग, एक्टिंग और डांस के नाम पर नारी अस्मिता को सरेआम बेचा जाने लगा। [5] प्रर्दशन के नाम पर लोकलुभावन बनने की होड़ लग गई और मसहुर होने के भ्रमक चाह ने नारी की तरफ देखने की पुरूशों की दृश्टि को कामुक बना दिया। हमारे बुद्धिजीवियों ने देश के विकास के लिए बहुत सी योजनाऐ ंतो बनाई, परन्तु नारी की ओर देखने की पुरूश की दृश्टि पर कभी चिन्तन नहीं किया।क्या नारी कोई मॉडल है, मनोरंजन का साधन है, या फीर संस्कारों को पोशित करनेवाली संधिनी? मुल्यांकन तो स्वतः नारी को ही करना होगा।

वर्तमान में नारी उत्थान की अवधारणा की उल्टी धारा बह रही हैं। नारी पुरूश के बिच में तुलना करते हुए पुरूश के समान उसके अधिकारों की बाते की जाती है। परन्तु नारी को राजनीति, नौकरी, और उद्योग जगत के अधिकार मिल जाने भर से क्या नारी जाति का उत्थान हो जायेगा? नारी उत्थान का मापदण्ड आखिर क्या होना चाहिए इस पर तो नारी समाज को स्वयं ही सोचना होगा।[6] देश की राजनीति, सामाजनीति, अर्थनीति, व्यवस्था न्याय आदी सभी क्षेत्रों में उसकी सहभागीता बढे, इसके लिए आवश्यक शिक्षा की व्यवस्था शुलभता से होः यह सर्वथा उचित है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि उसकी शिक्षा पर परिवार व समाज का हित है। वास्तव में भारत में जो कुछ संस्कार बचे हैं उसमें सबसे बङा योगदान तो नारी का ही है।

यदि पुरूश की तरह सभी नारी धुम्रपान या शराब पिने लगे, तो समाज का क्या होगा? फीर तो पुरे समाज से नैतिकता के सारे आदर्श ही समाप्त हो जायेंगे। यह नारी ही है जिसके कारण समाज में जीवन मुल्य तथा संस्कारों के बिच सुरक्षित है। इन जीवन मुल्यों पर संस्कारों की वजह से भारत का सारा जग सम्मान करता है। नारी जब संस्कारों का संबर्धन करने में अग्रसर है तो निश्चय ही उसका स्थाना सर्वोपरी है। इसलिए नारी जाति का गौरव अपने आप में अधिक है।[7]

लेकिन संस्कारों की रक्षा व संवर्धन पर गौरवान्वित होने के बजाय केवल सुन्दर दिखने अधिक सुख और तथाकथित पुरूशकारों पर आज नारी समाज गर्व करती है। एक समय था जब नारी सिता, सावित्रि, दमयन्ती, झासी की रानी, और सती अनसुईया जैसी नारी को आदर्श मानती थी। अब वे आर्दश बदल गए है। ज्ञान, गुण और चरित्र से तीनों देवताओं को बालक बनाकर रखने वाली अहिल्या नारी ही थी। रावन जैसे महादानव को पवित्रता के व्रत से प्रास्त करने बाली सीता भी नारी थी। फीर इन महान आर्दशों को अवहेलना क्यो? क्यो कोई युवक किसी युवती को फुसलाकर उसका चीर हरण करता है। क्यों कोई नारी राजनीति के शातिर नेताओं के जाल में फस जाती है?[8] क्यों कोई नारी टीवी के रियालटी शो के अधिन हो जाती है। यह सारे सवाल नारी समाज के द्वारा स्वयं से पुछा जाना चाहिए?

समन्वंयात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता :

हमारी देश में तो शिव–शक्ति के संयुक्त रूप जिसे अर्धनारेश्वर कहते हैं, की पुजा होती है। जब शिव – शक्ति ने अपने जीवन में समन्वय का इतना बङा आर्दश हमारे सामने प्रस्तुत किया है तो फीर हम दोनों में परस्पर तुलना क्यों करते है? स्त्रि अगर शक्ति है तो पुरूश भी शीव है। दोनों का ही अपना, अपना महत्व है। आवश्यकता की पुरूश व नारी दोनों के द्वारा अपनी – अपनी पवित्रता का जतन करते हुए एक दुसरे की सम्मान की रक्षा करनी होगी।[9] जब तक इस समन्वयात्मक दृश्टिकोण का विकास नहीं होगा तब – तक ऐसे अपराधों का दौर समाप्त नहीं होगा। साथ ही युवतियों को भी अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक युद्ध के तरिके कराटें, बॉक्सिंग आदी झासी की रानी, कीरण बेदी जैसी सिख अपनाना होगा। ताकि कामार्थों का पाप का ठीक से प्रत्युतर दे सके। परन्तु सबसे अधिक जरूरी है स्त्री पुरूश के बीच व्याप्त मतभेद को मीटाना और ऐसे समाज की रचना करना जहॉ पवित्रता का पोशण हो जहॉ शक्ति का सम्मान हो। नारी शसक्तिकरण से ही पुरूश की शसक्तिकरण संभव है।

संदर्भ सुची ग्रन्थ :–

1. लकेश्वर चन्द्रवंशी, नारी की अस्मिता नागपुर से प्रकाशित 006 पृश्ठ 139
2. वही ....पृश्ठ 143
3. डॉ. कृश्ण गोपाल मिश्र, पाखण्डी साधुओं की पोल प्रसार भारती, एम0 पी0 भोपाल पृश्ठ 42
4. वही ....पृश्ठ 71
5. वही ....पृश्ठ 92
6. अनिल कपुर,महिलाओं की हिन्सा, पठान कोट पृश्ठ 61 2004
7. वही ....पृश्ठ 84
8. डॉ जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ 2006 – पृश्ठ 403–407
9. डॉ रामशंकर त्रीपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, मातिलाल बनारसी दास बारानसी, 1988, पृश्ठ – 358–62।

भारतीय समाज की पुनर्निर्माण में डा. भीमराव आम्बेडकर की भूमिका

*डॉ0 कपिल देव कुमार**

शोध सार :

डॉ. भीमराव आंबेडकर को राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में उनके लेखन का अहम योगदान है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और दलित समाज के महानायक के रूप में तो उस समय सिर्फ दलित समाज ही डॉ. आंबेडकर की भूमिका को देख पा रहा था, लेकिन एक सजग चिंतक के रूप में वे अपने लेखों, पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से दुनियाभर में ख्यात हो चुके थे। उनकी अपनी लिखी किताबों में 'रुपये की समस्या' (द प्रॉब्लम ऑफ रुपी), 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था' (प्रॉविंशियल फायनेंस इन ब्रिटिश इण्डिया), 'जाति प्रथा का उन्मूलन' (एनिहिलेशन आफ कास्ट), 'शूद्र कौन थे' (हू वर शूद्राज) आदि शामिल हैं।

प्रस्तावना :

डॉ. अम्बेडकर का भारतीय समाज की संरचना एवं पुनर्निर्माण में महान योगदान है, इन्हे हम सामाजिक न्याय का मसीहा कह सकते है। वह उस मूक और शोषित वर्ग की आवाज बने, जो सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। जिसके पुनरुद्धार की दूर–दूर तक कोई आशा नहीं थी। डॉ0 अम्बेडकर उस वर्ग के लिये एक ज्योतिपुंज साबित हुये जिसकी रोशनी में वह वर्ग विकास के पथ पर अग्रसर हुआ[1]। अम्बेडकर देश को आजाद कराना चाहते थे मगर वे देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता के पूर्ण सामाजिक स्वतन्त्रता एवं सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि देश की सत्ता एक अधिनायक एवं शोषक वर्ग (अंग्रेजों) से हस्तांतरित हो कर दूसरे (उच्च जातियों) को हस्तांतरित हो जाये। उनके अनुसार मात्र राजनीतिक स्वतन्त्रता से भारत देश स्वतन्त्र नहीं होगा क्योंकि राजनीतिक स्वतन्त्रता मिलने के बाद उच्च जातियाँ पुनः सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित कर नीचे की जातियों को गुलाम बना लेगी। अम्बेडकर स्वतन्त्रता, समानता एवं न्याय को सबमें प्रमुख सामाजिक मूल्य मानते थे। उनका मानना था कि इन मूल्यों की प्राप्ति एक स्वस्थ लोकतन्त्र में ही हो सकती है। उनका दर्शन सामाजिक न्याय का दर्शन है।

इनका विचार था कि मानव जीवन निरर्थक नहीं अर्थपूर्ण है। वे प्रो. ड्यूम्बी के मानवतावादी एवं उदारवादी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे, जिसमें यह कहा जाता था कि हमें अपनी पुरानी संस्कृति में से केवल उन्हीं बातों का चयन करना चाहिए जो उपयोगी हो। डॉ. अम्बेडकर ने ड्यूम्बी से उपयोगितावादी व्यवहारिकता का सिद्धान्त सीखा तथा उनकी गतिशील पद्धति एवं सिद्धान्तों का अनुकरण भी किया[2]। जिसका सीधा सम्बन्ध नैतिकता, मनुष्य एवं समाज से था। इनका दर्शन कोरी कल्पना से दूर तथा वास्तविक जीवन से सम्बन्धित था। वे स्वर्ग–नरक जैसी पारलौकिकता में विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि प्रत्येक समाज को एक व्यवहारिक नैतिकता व सामाजिक धर्म का पालन करना चाहिए तथा इसका मूल्यांकन आधुनिकता एवं उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। बाबा साहेब कोई धार्मिक नेता या महापुरुष नहीं थे फिर भी वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। धर्म, नैतिकता, विवेक एवं मानवीय सम्बन्धों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा धर्म ही समाज को स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुत्व के आदर्शों की तरफ ले जाता है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसमें एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों के साथ ही सामाजिक (भारत के परिप्रेक्ष्य में जाति एवं अल्पसंख्यक) समानता

* **इतिहास विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

के अर्थ भी निहित हैं। भारत में सामाजिक न्याय के प्रेरक दलितों के मसीहा एवं संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 20वीं सदी के उन आधुनिक विचारकों में से एक हैं जिन्होंने विश्व समाज को एक नई दिशा दी। अम्बेडकर ने भारतीय समाज जीवन का गहन अध्ययन किया। भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण, धर्म, जाती के आधार पर छुआछूत, असमानता एवं शोषण की स्थिति के खिलाफ सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान की मूल पृष्ठभूमि में स्थान दिलाया। सामाजिक न्याय की अवधारणा का मुख्य अभिप्राय यह है कि नागरिक–नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति में कोई भेद न हो[3]। भारत के प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य, समाज के कमजोर एवं बहिष्कृत वर्ग को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, जिससे विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। जैसे–विकलांग, अनाथ, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, महिलाएं अपने आपको असुरक्षित न महसूस करे। संसार की सभी आधुनिक न्याय प्रणाली प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरने की चेष्टा करती है, जिनका अंतिम लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर तबके का हित सुरक्षित करना है। यदि वर्तमान भारतीय न्याय प्रणाली पर गौर करे तो यह कई विभागों में बांटी गई है, जैसे फौजदारी, दीवानी, कुटुम्ब, उपभोक्ता आदि आदि। लेकिन इन सभी का किसी न किसी रूप में सामाजिक न्याय से सरोकार होता है। अर्थात यह वंचित वर्ग के सशक्तिकरण की अवधारणा है[4]। यह सामाजिक लाभो के वितरण के माध्यम से समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, समानता स्थापित करना चाहती है। इस प्रकार यह समानता का दर्शन है। सामाजिक न्याय की अवधारणा के मुख्य आधार स्तम्भ ये हैं–

1.धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना
2.जातीय ऊंच–नीच की भावना को मिटाना
3.लैंगिक असमानता को खत्म करना
4.क्षेत्रीयता के भेदभाव को खत्म करना

डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समझने से पहले परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्था को जानना आवश्यक है। भारत की सामाजिक न्याय प्रणाली में मनुस्मृति के नियम कड़ाई से लागू होते हैं। आज भी खाप पंचायतों द्वारा दिये जाने वाले निर्णयों का आधार मनुस्मृति ही है। खाप पंचायत ही क्यों समस्त जातीय पंचायतें अपने सामाजिक फैसलों में मनु के नियमों का पालन करते देखी जाती है। उदाहरण देखें– पुत्री को पिता की सम्पत्ति में अधिकार का फैसला जाति पंचायतों के अनुसार कोई सोचनीय विषय ही नहीं है। अर्थात पिता की सम्पत्ति में केवल पुत्रों का अधिकार होता है। प्रश्न ये है कि ऐसे फैसले जिनको हमारा भारतीय संविधान दूसरे नजरिये से देखता है का आइडिया इन पंचायतों को कहां से प्राप्त होता है, दरअसल ये आइडिया इन्हें मनुस्मृति से मिलता है जो भारतीय जनमानस में समाया हुआ है। वास्तव में भारत में परंपरागत सामाजिक न्याय प्रणाली निम्न तीन बिंदुओं पर आधारित होती है।

1. परम्परागत नियमो के प्रति अंधविश्वास
2. जाति भेद (जातिय श्रेष्ठता एवं नीचता)
3. लैंगिक भेद (महिलाओं का मानवीय अधिकार से बेदखल करना)

इस प्रणाली पर विश्वास या श्रद्धा का मुख्य आधार एवं वाहक धार्मिक ग्रंथ हैं। जो इन विश्वासों की पुष्टि करने के साथ ही साथ स्थापित एवं जनमानस तक प्रमाणित भी करते हैं। इन ग्रंथों पर प्रश्न न उठे इसलिए इन्हें अपौरुषेय (ईश्वर द्वारा लिखित) कहा गया। ऐसा करने का एकमात्र लक्ष्य यही था, किसी खास जाति विशेष, लिंग विशेष को बिना मेहनत सुख–सुविधा मुहैया कराया जा सके[5]। गौरतलब है कि ऐसा विश्व के अन्य समुदाय में भी ऐसा होता था। ये ग्रन्थ ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ और अन्य को मुक्त गुलाम बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। गौरतलब है कि भारत में जातीय श्रेष्ठता का आधार जन्म है न कि कर्म। किसी भी शूद्र को संपत्ति का संग्रह

नहीं करना चाहिए चाहे वह इसके लिए कितना भी समर्थ क्यों न हो, क्योंकि जो शूद्र धन का संग्रह कर लेता है, वह ब्राह्मणों को कष्ट देता है।

ब्राह्मणों के लिए उसके अध्ययन–अध्यापन, यज्ञ करने दूसरों से यज्ञ कराने दान लेने एवं देने का आदेश दिया। लोगों कि रक्षा करने, दान देने यज्ञ करने पढने एवं वासनामयी वस्तुओं से उदासीन रहने का आदेश क्षत्रियों को दिया। मवेशी पालन, दान देने यज्ञ कराने पढने व्यापार करने धन उधार देने तथा खेती का काम करने की जिम्मेदारी वेश्यों की दी गई। भगवान ने शूद्र को एक कार्य दिया है उन पूर्व लिखित वर्गों की बिना दुर्भाव से सेवा करना।

भारत समाज को अग्रेजी उपनिवेश से आजादी मिलने के बाद सामाजिक असमानता और संघर्ष को दूर करने हेतु आधुनिक भारत में दो सामाजिक न्याय की अवधारणाएं उभर कर सामने आयी–

1. गांधीवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा
2. अंबेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा

1. गांधीवादी सामाजिक वे आधुनिक न्याय प्रणाली को तो मानते थे लेकिन जातीय और धार्मिक ऊंच–नीच को भी मान्यता देते थे। वे ये तो मानते थे कि सभी जातियों को आपस में मिलने–बैठने का अधिकार होना चाहिए, छुआछूत की भावना का खात्मा होना चाहिए, लेकिन वे जाति आधारित कार्य प्रणाली का समर्थन करते थे। इस परिप्रेक्ष्य में वे कहते कि यदि तुम अपनी जाति में निर्धारित जातिगत गंदे कामों को मन लगाकर करते हो तो तुम्हारा अगला जन्म ऊंची जाति में होगा[6]। इस प्रकार वे पूर्नजन्म में विश्वास करते थे। एक खास वर्ग के नेता गांधी के इस सिद्धांत को मानते हैं। अब इस सिद्धांत को दक्षिणपंथी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है।

2. अंबेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा– डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के अवधारणा के ज्यादा नजदीक है। डॉ. अंबेडकर गांधीवादी न्याय के सिद्धांत को एक छल कहते थे। वे मानते हैं कि जिस सामाजिक न्याय के सिद्धांत में जातिगत ऊंच–नीच, धार्मिक कट्टरता, लिंग भेद, पूर्वजन्म की कल्पना को मान्यता दी जाती है। वह सामाजिक न्याय हो ही नहीं समता। वे इसे ब्राह्मणवादी न्याय का सिद्धांत कहते हैं क्योंकि इस सिद्धांत में किसी जाति विशेष, लिंग विशेष का हित सुरक्षित है। इसलिए डॉ. अंबेडकर जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करते है वे नस्ल भेद, लिंग भेद और क्षेत्रीयता के भेद से मुक्त है। इस अवधारणा में समाज के कमजोर वर्ग के साथ न केवल न्याय हो, बल्कि उनके अधिकार और हित सुरक्षित हो। संविधान निर्माण में उनके इस सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट देखी जा सकती है। डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय सिद्धांत निम्न सामाजिक तथ्यों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रहार करता है–

1. जाति आधारित श्रम विभाजन के खिलाफ
2. सामाजिक बहिष्कार
3. समाज में पुरुष सत्ता को खत्म करने के लिए
4. भूमि या संपत्तियों का असमान वितरण के खिलाफ
6. महिलाओं को पिता एवं पति की संपत्ति में अधिकार

भारतीय संविधान इस मामले में सर्वोच्च और उत्कृष्ट है। इसमें सामाजिक न्याय की पूर्ति में लिए इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक न्याय पाने की दिशा में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सहित तमाम केंद्रों के प्रयास कहीं न कहीं गलत कार्यान्वयन और असंतुलन के कारण फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। जरूरत और समय की मांग है कि उचित और संतुलित नीतियों–व्यवहारों को लागू किया जाए जिससे कि सामाजिक न्याय को सामाजिक प्रगति का हिस्सा बनाया जा सके। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति समाज का सदस्य तो हो सकता है लेकिन नागरिक वह तभी कहलायेगा, जबकि वह राज्य की राजनीति में

सक्रिय रूप से योगदान करता है और इसी संदर्भ में सक्रिय रूप से योगदान करता है और इसी संदर्भ में अरस्तु कहते हैं कि किसी भी राज्य या समाज में किसी व्यक्ति का जो सक्रिय योगदान होता है उसके समानुपात में समाज की सम्पत्ति का उचित वितरण वितरणात्मक न्याय कहलाता है और इसका निषेध वितरणात्मक सामाजिक अन्याय कहलाता है। लेकिन यह एक आदर्श स्थिति है[7]। व्यवहार में यह कहीं पर भी लागू नहीं है क्योंकि व्यक्ति सदस्य के योगदान का ठीक–ठीक आंकलन संभव नहीं है। इसका कोई पैमाना नहीं है। सीमा रेखा नहीं है! इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए गरिमामय जिंदगी की मांग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। इन संघर्षों के फलस्वरूप समाजों में बुनियादी बदलाव हुए हैं।

आज भी भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदी, भारी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पपसंख्यक वर्ग से आते हैं, तमाम आंकड़ों के अनुसार वे अपनी आबादी में बहुत बड़ी प्रतिशतता रखते हैं। भारतीय शासन के आरक्षित पदों को या तो बैकलाग में छोड़ दिया जाता है या फिर योग्य उम्मीदवार नहीं मिला कहकर उच्च वर्ग के सक्षम वर्ग द्वारा भर दिया जाता है, भारतीय जनमानस द्वारा एक बलात्कार पीडित महिला को ही इसके लिए दोषी ठहराया जाता है, जिस देश के 40 प्रतिशत गरीब बच्चों से आज भी बाल श्रम लिया जाता है, उस देश में लगता है सामाजिक न्याय आज भी कोसो दूर है। लेकिन इसका सुखद पहलू यह है कि आज की मीडिया, साहित्य और प्रगतिशील जगत इस मुद्दे को बार–बार सामने लाता रहा है। इससे सामाजिक न्याय के पक्ष में माहौल बना है। और जब यह माहौल सही मायनों में व्यावहारिक धारतल पर कार्य रूप में परिणित हो जाय तब जाकर यह भारतीय समाज एक विकसित समाज कहलायेगा।

हिन्दू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। भारतीय हिन्दू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों और व्यर्थ के कर्मकाण्डां से समाज को मुक्ति दिलाने साथ ही समाज के वंचित वर्गो को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आपने जीवन पर्यन्त वैचारिक संधर्ष किया। आपने हिन्दू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता और कर्मकाण्डीय जाति व्यवस्था के उपर अनेकों प्रश्न उठाये साथ ही उनका उत्तर भी दिया। हिन्दू धर्म में व्याप्त अस्पृश्यता के लिए अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म को जिम्मेदार माना। वे कहते हैं कि ''हिन्दू धर्म अपने ही समाज के एक वर्ग के व्यक्तियों के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करने का आदेश देने के साथ–साथ अस्पृश्य व्यक्तियों को इस स्थापित व्यवस्था के विरोध में न केवल विद्रोह करने से रोकता है, अपितु उन्हें यह आदेश देता है कि उनका यह कर्तव्य है कि वे इस दैवीय एवं पवित्र व्यवस्था को बनायें रखें।''

डॉ0 अम्बेडकर का मानना था कि ''जाति प्रथा से लड़ने के लिए चारों तरफ से प्रहार करना होगा। जाति ईंट की दीवार जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह एक विचार है, एक मनःस्थिति है जिसकी नींव धर्म शास्त्रों की पवित्रता में है। वास्तविक उपाय यह है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को शास्त्रों के बन्धन से मुक्त किया जाय, उनकी पवित्रता को नष्ट किया जाय, इसका सही उपाय है, 'अन्तर्जातीय विवाह' तभी वे जात–पांति का भेदभाव बन्द करेंगे। जब जाति का धार्मिक आधार समाप्त हो जायेगा, तो इसके लिए रास्ता खुल जायेगा। खून के मिलने से ही अपनेपन की भावना पैदा होगी और जब तक यह अपनत्व की बन्धुत्व की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक जाति प्रथा द्वारा पैदा की गई अलगाव की भावना समाप्त नहीं होगी।'' अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अम्बेडकर ने मार्क्सवादी समाजशास्त्र का सहारा लेते हुए लिखा है कि ''अस्पृश्यता की समस्या वर्ग–संघर्ष का एक मामला है।'' अपने इन प्रयासों के द्वारा डॉ0 अम्बेडकर ने अस्पृश्यों में जनजागृति लाने के साथ हिन्दू समाज में क्रांति लाने और उसके ह्रदय में परिवर्तन करने के लिए भी अनेक सत्याग्रह आन्दोलन को संगठित किया और महार आनुवांशिक कार्यभार कानून (वेतन प्रणाली, बंधुआ मजदूरी और दासता प्रणाली) को समाप्त करने का भी प्रयास किया। डॉ0 अम्बेडकर द्वारा संगठित सत्याग्रह आन्दोलन कानूनो पर अमल

कराने के लिए आयोजित किये गये थे। उदाहरणतः 1927 में महाड़ तालाब सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों के सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के मानवीय अधिकार को लागू करवाया था। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश का उद्देश्य अस्पृश्यों को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश दिलाना था। मार्च 1928 में मुम्बई विधान सभा में महार आनुवांशिक कार्य–भार विधेयक का उद्देश्य महारों को खानदानी पेशे से मुक्ति दिलाना था।

डॉ0 अम्बेडकर ने अपने समाज दर्शन की स्थापना में सर्वप्रथम अस्पृश्यता की जड़ वर्ण व्यवस्था पर ऐतिहासिक, नैतिक व तार्किक रूप से प्रहार किया तथा वह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वर्ण व्यवस्था पूर्णतः अवैज्ञानिक, अन्यायपूर्ण, अमानवीय एवं शोषणकारी सामाजिक योजना है। यही वर्ण व्यवस्था कालान्तर में जाति व्यवस्था में परिवर्तित होकर अपरिवर्तनीय हो गयी। अतः जाति व्यवस्था हिन्दू संस्कृति एवं धर्म का ही देन है जिसने समाज एवं देश की सांस्कृतिक व राजनीतिक एकता को खण्डित कर दिया। इन सभी असमानताओं एवं शोषण की मुक्ति के रूप में वे बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे। इनका मानान था कि भारतीय धर्मों में केवल बौद्ध धर्म ही धर्म के सच्चे आदर्शों के अनुकूल है। बौद्ध धर्म न केवल मानव एवं मानव के मध्य समानता थी, अपितु स्त्री एवं पुरुष में भी समानता का समर्थन करता है। इसलिए बाबा साहेब हिन्दू धर्म को छोड़ने व बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करते थे। इनका कहना था कि अपने ऊपर हो रहे अन्यायों, अत्याचारों व शोषण से मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बौद्ध धर्म की शरण में जाना है। डॉ. अम्बेडकर ऐसे प्रथम भारतीय चिन्तक, समाज सुधारक एवं विचारक थे, जिन्होंने समतावादी सामाजिक व्यवस्था अर्थात् स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुत्व के आदर्शों पर आधारित समाज व देश की कल्पना करते थे तथा ऐसी व्यवस्था की स्थापना के लिए वे जीवन भर संघर्ष भी करते रहे।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर न केवल भारतीय समाज के दलितों एवं कमजोर वर्गों के उत्थान कर्ता थे, बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रति हो रहे जेण्डर असमानता के विरुद्ध जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे। उनका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय समाज व्यवस्था का पुर्ननिर्माण करना। उनका मानना था कि लैंगिक असमानता कृत्रिम रुप से भारतीय सामाजिक व्यवस्था द्वारा बनायी गयी है[8]। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को न केवल पुरुषों के अधीन माना गया है, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए ऐसे साँचे में ढाला जाता है, जिससे वे जीवन पर्यन्त पुरुषों के नियंत्रण में रहे। हिन्दू समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति से चिंतित डॉ0 अम्बेडकर ने न केवल समाज में महिलाओं के निम्न प्रस्थिति को ऊँचा उठाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किया, बल्कि भारतीय धर्मग्रन्थों, वेदों, स्मृतियों एवं परम्पराओं में महिलाओं के प्रति होने वाले जेण्डर असमानता को बढ़ावा देने वाले विचारों का जमकर विरोध किया।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय महिलाओं को निम्न प्रस्थिति के लिए हिन्दू धर्म ग्रंथ, और स्मृतियाँ जिम्मेदार है। उन्होंने भारतीय इतिहास का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि मनु के पूर्व महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति काफी उच्च थी। महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त थी। लेकिन मनु के समय महिलाओं को शिक्षा, विधवा पुर्नविवाह, आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था, जब कि पुरुषों को तलाक का अधिकार था। मनुस्मृति में कहा गया है कि ''महिलाओं को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, महिलाओं को बचपन में अपने पिता, युवावस्था में अपने पति तथा वृद्धावस्था में अपने पुत्र के नियंत्रण में रहना चाहिए।'' मनुस्मृती महिलाओं को किसी भी तरह की आजादी नहीं देती थी। इसलिए डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। महिलाओं को और अधिक अधिकार देने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए सन 1951 में उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' संसद में पेश किया। जिसके तहत स्त्रियों को विवाह विच्छेद (तलाक) का अधिकार, हिंदू कानून के अनुसार विवाहित व्यक्ति के लिए एकाधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध और विधवाओं तथा अविवाहित कन्याओं को बिना शर्त

पिता या पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हक, हिन्दू विवाह और विशेष विवाह का अधिकार प्राप्त हो सके। डा. अंबेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आयेगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरूषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। डॉ. अंबेडकर का दृढ. विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर परिवार और समाज में सामाजिक बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक उन्नति उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि जेण्डर असमानता का विरोध करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है, इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता आयेगी और उनकी सामाजिक प्रस्थिति भी ऊँची होगी। आपने महिलाओं को कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजे और उन्हें महत्वाकांक्षी बनाये। साथ ही साथ भारतीय सामाजिक व्यवस्था का पुर्ननिर्माण आधुनिक लोकतंत्र के स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होना चहिए ताकि भारत में जेण्डर न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो सके।

डॉ0 अम्बेडकर का सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान–

भारत में सामाजिक न्याय के प्रेरक अम्बेडकर ने भारतीय समाज जीवन का गहन अध्ययन किया। भारतीय समाज में जाति, वर्ण, धर्म, के आधार पर छुआछूत, असमानता एवं शोषण विद्यमान था। हिन्दू धर्म में विद्यमान वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, इन्हें अछूत माना जाता था तथा ये आर्थिक रूप से दरिद्र, राजनीतिक रूप से दबे हुए, धार्मिक रूप से बहिष्कृत रहे, उन्हें दास बनाकर दण्डित किया जाता था और सभी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता न्याय की अवधारणा– महात्मा गांधी अपने आपको प्रगतिशील एवं आधुनिक मानते थे।

था। अम्बेडकर ने हिन्दू व्यवस्थापन पर अधिक जोर दिया, उन्होंने प्रचलित अस्पृश्यता, धर्म द्वारा बनाई गई दुर्भावनाओं, असहनीय प्रथाओं, परम्पराओं तथा प्रचलित वर्ण व्यवस्था की जोरदार आलोचना कर समाज के पिछड़ों व दलितों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, समानता और स्वतंत्रता की भावना भरकर समाज में एक नये युग की शुरूआत की।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का आधार सभी मानव के बीच समानता, उदारता तथा भाईचारे की भावना है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य, जाति, रंग, लिंग, शक्ति, स्थिति तथा धन–दौलत आदि पर आधारित सभी असमानता को दूर करना है। अम्बेडकर के अनुसार मनुष्य द्वारा बनाई गई असमानताओं को कानून, नैतिकता तथा जागरूकता के द्वारा समाप्त कर सामाजिक न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान पर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सम्बन्धी विचारों का दोहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता जैसे शब्दों का प्रयोग सामाजिक न्याय पर अम्बेडकर की धारणा के अनुरूप है। उनके प्रयासों से ही संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ वर्गों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।

सन्दर्भ सूचीः–

1. शर्मा, बी. एम. शर्मा, राम कृष्ण दत्त : भारतीय राजनीतिक विचार, रावत पलिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, 2005, पृ0 368
2. शास्त्री, शंकरानंदः पूना पैक्ट बनाम गाँधी, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ0 94।
3. मेघवाल, कुसुम : भारतीय नारी के उद्धारक बाबा साहेब डॉ0 बी0 आर0 आम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994, पृ0 117

4. जाटव, डी0 आर0ः डॉ0 अम्बेडकर ःव्यक्तित्व एवम् कृतित्व, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1933, पृ0 136, 204—05
5. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर , हूॅ वर दि शूद्रज ? हाऊ दे केम टू बी दि फोरथ वर्ण इन दि इण्डो आर्यन सोसायटी ?, प्रकाशन वर्ष—1946
6. भीमराव अम्बेडकर, दि अनटचेबल्स, हूॅ आर द ? एण्ड वाई दे बीकेम अनटचेबल्स, प्रकाशन वर्ष —1948
7. कुबेर, डब्लू0 एन0ः डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एक समालोचनात्मक अध्ययन, पिपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1973
8. अवस्थी एण्ड अवस्थीः आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर। बेसन्तरी, देवेन्द्र कुमारः भारत के सामाजिक क्रान्तिकारी, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012

ग्रामीण समुदाय में सत्ता संरचना को निर्धारित करने वाले आर्थिक कारक

*रमेश कुमार**

आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। औद्योगिक विकास इसी कारणवश सभी विकसित तथा विकासशील देशों में सर्वप्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है। औद्योगिक विकास के अनेक सामाजिक परिणाम है। व्यावसायिक गतिशील उनमें से एक है। आधुनिक समाजों की व्याख्या के लिए व्यवसायिक गतिशीलता का अध्ययन आवश्यक है। सभी समाज जैसे–जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपना रहे वैसे–वैसे उन समाजों में व्यवसायिक गतिशीलता भी बढ़ रही है। पहले कृषि प्रधान देशों में व्यवसायिक गतिशीलता के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं तथा परिवर्तनों से अपने को अधिक सम्बन्धित मान रहे हैं। किसी भी समाज का सामाजिक ढांचा अधिक कठोर है अथवा लचीला, इसका प्रभाव समाज के दार्शनिक, राजनैतिक तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी पहलुओं पर पड़ता है। यहां तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी इससे प्रभावित होता है। व्यवसायिक गतिशीलता सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है जिसके कारण समाज के सभी पहलू प्रभावित होते हैं।

व्यवसायिक गतिशीलता उन समाजों में अधिक देखने को मिलती है। जो अभी हाल में औद्योगिकरण को अपनाये हैं। समाजों में जो पूरी तरह औद्योगीकृत है, व्यवसायिक तथा गतिशीलता कम देखने को मिलती है। रास का मत है कि औद्योगिक समाज परिपक्व होता जाता है वैसे–वैसे सामाजिक गतिशीलता कम होती जाती है। लिपसेट एण्ड बेनडिक्स का मत है कि 'वयवसायिक गतिशीलता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग समाज में एक पेशे से दूसरे पेशे को स्वीकार करते हैं। यहां स्थित एक विशिष्ट सोपानात्मक मूल्य को व्यक्त करता है जिसे सामान्यतया सभी स्वीकार करते हैं।

व्यवसायिक गतिशीलता आधुनिकीकरण को तभी जन्म दे सकती है जब लोगों के पेशे में सुधार के कारण उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। विकासशील देशों में ऐसा हो भी रहा है। लोग अपने परम्परागत पेशे को तभी छोड़ रहे हैं जब उन्हें यह आभास हो जाता है कि इससे उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कभी–कभी कुछ लोग जिज्ञासा के कारण भी व्यवसायिक गतिशीलता को अपना लेते हैं। लेकिन सदैव यही स्थिति आवश्यक नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि व्यवसायिक गतिशीलता के कारण किन्हीं लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति और खराब हो जाय। जैसे ऐसे लोग जो विषम परिस्थितियों में अपनी उच्च नौकरी या पद से निकल कर किसी छोटी–मोटी नौकरी को स्वीकार कर लेते हैं यही स्थिति उनके सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में हास कारण होती है। व्यवसायिक गतिशीलता के कारण सामाजिक पदों की उच्चता न्यूनता देखने को मिलती है। समाज का नेतृत्व उन्हीं उच्च पदों पर आसीन है उनकी संख्या सीमित है। इसके विपरीत निम्न परिस्थिति (पद) वाले लोगों की संख्या अधिक है, जिनमें वे लोग आते हैं जो हाथ से काम करते हैं या शारीरिक श्रम से जीविकोपार्जन करते हैं– इन्हें श्रमिक भी कहा जाता है। यूरोप में (जहां औद्योगिक क्रांति पहले हुई) अमेरिका की तुलना व्यवसायिक तथा सामाजिक गतिशीलता अब कम है।

भारतवर्ष में व्यवसायिक गतिशीलता का कारण अधिकांश लोगों का कृषि पर आश्रित होना है। जैसे–जैसे कृषि करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे–वैसे भूमि का विभाजन स्वाभाविक होता जाता है। लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति गिरती जाती है,

***शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

परिणामस्वरूप लोग अन्य व्यवसायों को अपनाने के लिए भागते हैं। यही स्थिति व्यवसायिक गतिशीलता को जन्म देती है।

व्यवसायिक गतिशीलता 20वीं सदी की विशेषता है। स्थिर समाजों में भी जहां पेशा वंशानुगत होता था, अब व्यवसायिक गतिशीलता देखने को मिल रही है। अब जाति के आधार पर पेशों का निर्धारण नहीं होता है वैसे परम्परागत आधार पर कुछ लोग अपने–अपने व्यवसायों को कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति इच्छित परिवर्तन चाहता है ताकि वह आधुनिक हो सके। पेशों में गतिशीलता का भी यही कारण है। प्रत्येक जाति के लोग अब लाभ के आधार पर पेशे का चुनाव करने लगे है। व्यवसायिक निषेध की बात अब किसी भी जाति का व्यक्ति नहीं करता। पहले कुछ कार्य ऐसे थे जिसे सवर्ण नहीं करता था। इसी प्रकार निम्न वर्ण लोग उन कार्यों को करने के लिए नहीं सोचते थे जिसे सवर्ण लोग करते रहे हैं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण अब सभी जाति तथा धर्म के लोग अपनी–अपनी इच्छा, अर्जित गुण तथा लाभ के आधार पर पेशों का चुनाव कर रहे हैं। सामाजिक गतिशीलता एक प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप लोग समाज में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते हैं। लिपसेट तथा बेनडिक्स का मत है कि जब हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने बैठते हैं तो हम व्यक्तियों को गतिशीलता, जो एक पद से दूसरे पद में चाहे वह ऊँचा हो अथवा नीचा का भी अध्ययन करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में घटित होता है।

व्यवसायिक गतिशीलता और सामाजिक प्रस्थितिः–

ग्रामीण समुदाय में भू–व्यवस्था का सामाजिक संस्तरण से निकट का सम्बन्ध है। भू–व्यवस्था का तात्पर्य उत्पादन की प्रणली यानि भू–स्वामी, भू–काश्तकार, खेतिहार मजदूर और गैर कृषि सामाजिक संरचना से है। इसमें भूस्वाती (उच्च जाति) को उच्च और उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न अन्य व्यक्ति (जाति) को कार्यानुसार क्रमशः निम्न सामाजिक–प्रस्थिति प्राप्त होती है। वास्तव में यह भूमि में विभिन्न प्रकार के अधिकारों की सोपानात्मक व्यवस्था है। यह भू–व्यवस्था में जातिगत प्रकार्यों को भी स्पष्ट करता है। यहां एक उल्लेख कर देना आवश्यक है कि भू–व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशेष व्यवस्था या कार्य होता है, जो पवित्र एवं अपवित्र व्यवसाय निम्न जाति (अस्पृश्य) का परिचायक है। ग्रामीण समुदायों में भू–व्यवस्था का यह प्रकार्यात्मक स्वरूप एक गांव तक ही सीमित रहता है। जिसका एक परिणाम तो यह होता है कि भूस्वामियों (उच्च जाति) पर अन्य व्यक्तियों (निम्न जाति) भूकाश्तकार, खेतिहार मजदूर और गैर कृषकों की आर्थिक निर्भरता बनी रहती है। इसका दूसरा परिणाम यह होता है कि इन व्यवसायों का एक ही जाति और गांव तक सीमित होने के कारण इनमें परिवर्तन के अवसर नहीं होते हैं।

व्यवसायिक गतिशीलता और राजनैतिक जागरूकता

यह सत्य है कि परम्परागत ग्रामीण समुदायों में भूमि राजनैतिक शक्ति संरचना का प्रधान स्रोत रहा है। भू–स्वाती पर भू–व्यवस्था में संलग्न अन्य व्यक्तियों की आर्थिक निर्भरता बनी रहती है, क्योंकि भूस्वामियों का आर्थिक संसाधनों पर एकाधिकार रहा है। इन पर अन्य व्यक्तियों की निर्भरता सत्ता संरचना के लिए व्यापक पृष्ठीाूमि प्रस्तुत करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक संसाधनों और भूस्वामियों पर आर्थिक निर्भरता में होने वाले परिवर्तन से सत्ता संरचना के प्रतिमान में परिवर्तन स्वाभाविक है। विगत पृष्ठों में ही यह चर्चा की जाती रही भू–नीतियों जैसे– सामाजिक नीतियों और कार्य{मों को क्रियान्वित कर चुका है। इसके परिणामस्वरूप भूस्वामियों पर व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता समाप्त या कम हुई है। व्यक्ति को अनेक आर्थिक स्रोत और रोजगार के अवसर पर उपलब्ध हुए हैं।

सन्दर्भ सूचीः–

1. रॉस, ए.एम. : सोशल मोबिलिटी इन इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी, पृ.7
2. लिपसेट, एस.एम., एम. एण्ड वेनडिक्स आरः मोबिलिटी इन इन्डस्ट्रीयल सोसाइटी, पृ.2

३. रॉस, ए. एम., वही
४. गुन्नर मिरडाल, द चैलेंज आफ वर्ल्ड पावर्टी, पृ.381
५. लिपसेट, एस.एम., एम. एण्ड वेनडिक्स आरः सोशल मोबिलिटी इन इन्डस्ट्रीयल सोसाइटी, पृ.1
६. लिपसेट एण्छ वेनडिक्स : वही, पृ.6
७. क्लार्क कोलिनः द कण्डीसन्स आफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पृ.490
८. लिपेसेट एवं अन्य : वही, पृ. 12
९. लिपसेट एण्ड वेंडिक्स, वही, पृ.12

गोरख पाण्डेय की कविता –दृश्टि

*राकेश कुमार कश्यप**

"हमारी स्थिति सिर्फ ऊपर से फैले अंधकार के बीच नहीं है, हम नीचे से उत्पीड़ित लोगों के संघर्ष से फूटती हुयी रोशनी के बीच में भी जी रहे हैं और कविता सिर्फ अंधकार के बारे में नहीं अंधकार को तोड़ने वाली रोशनी के औजारों के बारे में लिखी जा रही है और लिखी जायेगी।"**1**

गोरख मानते हैं कि कविता सिर्फ अंधकार के बारे में नहीं, अंधकार को तोड़ने वाली रोशनी के औजारों के बारे में है। जैसा कि ब्रेष्ट ने तो कविता को अंधेरे दौर का गीत ही कहा है। गोरख जब रचना के प्रति सजग हुए तबका दौर नक्सलबाड़ी आंदोलन का था। सत्तर के दशक में किसान आंदोलन चरम पर था। 'स्वर्ग से विदाई' की भूमिका के संयोजकीय में शिवमंगल सिद्धान्तकर और अवधेश प्रधान तो गोरख की कविता का जन्म ही नक्सलवाड़ी किसान आंदोलन की कोख से पैदा मानते हैं। शिवमंगल सिद्धान्तकर और अवधेश प्रधान अपने संपादकीय और संयोजकीय में गोरख के कविता के सम्बन्ध में लिखते हैं– "गोरख पाण्डेय की कविताएँ इनती सरल है कि उन पर लिखना कठिन प्रतीत होता है। कविताओं की विषय वस्तु ही नहीं, रूप वस्तु के आविष्कार की बजाय उसके अनुसंधान पर जोर देते हैं। उनके पास कोई बना –बनाया साँचा या ढांचा नहीं होता। अक्सर वे बने बनाये सांचे का अनुसंधान करते हैं और उसमें युगीन भाव भरना शुरु करते हैं जिसकी आँच इतनी संतुलित होती है कि एक नयी संरचना ढ़लकर पेश आती है। वे सांचे को सतह पर ही कसते हैं। ऊपर उठाकर उसे आकाश बनाने या तलाशय में ले जाकर सांसों को कष्ट पहुँचाने की कसरत से कविता और अपने आपको मुक्त रखते हैं। पहली झलक में वे नकलची लगते है किन्तु निराला, नागार्जुन ओर त्रिलोचन ही नहीं, तमाम मध्ययुगीन कवियों और लोकगीतकारों के ढंग में रंग इस तरह भरते हैं कि वह युग की नब्ज धर ले और शिल्प भी उनका अपना बन जाए।"**2**

भारतीय इतिहास के सातवें दशक में राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से स्थायित्व आ गया था। वामपंथ भी समझौतापरस्त रास्ता अख्तियार कर रहा था। जनता की समस्याओं पर चुप्पी साधना ही जनवादियों का काम रह गया था। जहाँ जनता के सामने क्रांतिकारी राजनीतिक कविता की आवश्यकता थी वहीं समझौता परस्त नीति का सहारा लिया जा रहा था। देश में जनवादी संस्कृति की उन्नति भी अवरुद्ध हो रही थी। इस सम्बन्ध में गोरख पाण्डेय 'नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह और साहित्य' शीर्षक नामक आलेख में लिखते हैं– "प्रगतिवादी आंदोलन से जुड़े अधिकांश साहित्यकार और संस्कृति कर्मी आधुनिकतावादी आंदोलन की तिकड़मों की चपेट में आ गए। प्रगतिवादी आंदोलन के बिखराव के बाद ऐसी ऊसर जमीन पैदा हुई जिस पर शासक वर्ग की अवसरवादी राजनीति और साम्राज्यवादी संस्कृति के पतनगामी रूपों ने अपना असर दिखाना शुरु किया। गहराते राजनीति संकट, बढ़ते जन–असंतोष और माकूल क्रांतिकारी दिशा के अभाव में साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसी अराजकता पनपी जिसका विचारधारात्मक नेतृत्व विश्व पूँजीवादी संस्कृति के निहायत ही पतनशील रूपों ने किया।"**3**

सबसे मजे की बात है कि गोरख अपनी साहित्यिक क्षमताओं को बढ़ाते हुए प्रगतिशील भूमिका कभी नहीं खोयी। गोरख केवल जनवादी क्रांतिकारी कविता ही नहीं लिखे बल्कि अन्य विधाओं में भी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी समग्र रचनाएँ आग में घी डालने के समान थी। उनका चिंतन में बिखराव कहीं नहीं मिलता। इस संदर्भ में 'स्वर्ग से विदाई' की भूमिका में लिखा

---

* **UGC-NET शोधार्थी (हिन्दी म0 वि0 वि0 बोधगया**

गया है– " जिस समय गोरख पाण्डेय लिखना शुरू किया उस समय हिन्दी कविता में राजकमल चौधरी और धूमिल की धूम थी, जिसकी धमक हमें अन्य कवियों की कविताओं पर मिलती है। यहाँ तक कि बनारस में गीन्स वर्ग भी असर छोड़ गए थे किन्तु गोरख पाण्डेय इनके प्रदूषण के शिकार कभी नहीं हुए।"4

गोरख पाण्डेय की कविताओं पर केवल राजनीतिक प्रभाव भले ही देखा जाए लेकिन उनकी समग्र रचनाएँ अराजकता और भटकाव की दिशा से मुक्त दिखती हैं। लोकप्रियता और कलात्मकता को लेकर अंतर्विरोध भले ही उत्पन्न किया गया। परन्तु गोरख कविता में सहजता के पक्षधर रहे। जिन कवियों और रचनाकारों ने भाषा की दुरुहता, संप्रेषण की अस्पष्टता और भाषा का आड्म्बर खड़ा कर रचना को दरुहता प्रदान किया, गोरख इसके विरोध में खड़ा दिखते हैं। जहाँ सम्प्रेषण की की अस्पष्टता और दुर्बोधता को कला के नाम पर प्रतिष्ठित किया गया। गोरख ने इस सम्बन्ध में लिखते हैं– "प्रयोगवाद और नई कविता के दौरान भाषा, मुहावरा, बिम्ब, प्रतीक और विचार के स्तर पर कविता को जनता की चेतना से और दूर ले जाने की कोशिश की गयी। इसके फलस्वरूप हिन्दी की एक ऐसी कविता का जन्म हुआ, जो हिन्दी भाषी जनता से अलग हुंई और सिर्फ लेखकों के बीच या कुछ विशिष्ट कलाभिरुचि वाले लोगों में प्रचलित हुयी।"

गोरख कविता को लेकर हमेशा सचेत रहे। जनता से कविता क्यों नहीं जुड़ पा रही है, इसका पड़ताल करते हैं। कविता से पढ़े–लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ तक दूरी क्यों बना रहे हैं, इन सवालों से रू–ब–रू होते हैं। कविता जनसामान्य से क्यों दूर होती चली जा रही है, इसके संदर्भ में लिखते हैं– "अब जरा नजर डालें, जैसा कि आप सब जानते हैं, समकालीन कविता का एक जीवन–दृष्टि नहीं है। इसे पहले तो दो मूल प्रवृत्तियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे शासक वर्ग की जीवन–दृष्टि और आम जनता की जीवन–दृष्टि। फिर आम जनता में कई वर्ग और तबके आते हैं और यथार्थ के बारे में वे भिन्न–भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। आम तौर से रचना के क्षेत्र में ये दो मूल प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। पहली आम जनता के भीतर उभरनेवाली और अपने घर–परिवार में सिमटी–सिकुड़ी निम्न–पूँजीवादी दृष्टि।"**6** गोरख पाण्डेय की कविता में विचार तत्त्व की प्रमुखता के साथ अनका वैचारिक लेखन की भी प्रमुखता है। गोरख कवि की भूमिका में खड़े रहे। उन्होंने अपनी कविता को जमीन से यानी जनजीवन से जोड़कर रखते हैं। उन्होंने लिखा है– "मेरी चिन्ता यह है कि कविता को जनता के जीवन और उसकी आजादी के संघर्षों का वाहक बनाया जाए।"**7**

गोरख कविता को जनआंदोलन का हिस्सा मानते रहे। यही वजह है कि वे कविता के संदर्भ में आगे लिखते हैं– "कविता प्रमाणिक रूप से जनान्दोलन की जमीन तैयार कर सकती है।"8

गोरख का मानना था कि कविता लोगों में चेतना जागृत करने का सशक्त माध्यम है। इसके आधार पर शोषितों, पीड़ितों, मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय समाज को संगठित किया जा सकता है। मजदूरों, मेहनतकशों को संगठित करने में सिर्फ सांगठनिक कार्य ही पर्याप्त नहीं है बल्कि कविता के माध्यम से जनचेतना विकसित करना कवियों का प्रमुख धर्म है। इस सम्बन्ध में 'बड़े संघर्ष ही बड़ी रचना देते हैं, में लिखते हैं– "कविता एक आध्यात्मिक वेदान्त नहीं रचना होती है। जनता में आवेग और विचार बिखरे होते हैं। चिन्तक उन्हें एक सूत्र में बांधता है। कविता भी बिखरी भावनाओं को सौंदर्यबोध से संगठित दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करती है। कविता प्रमाणिक रूप से जनान्दोलन की जमीन तैयार कर सकती है। यदि वह परिवर्तन के बजाए यथास्थिति की तरफदार होगी तो समाज में वैसा ही असर पैदा करेगी।"**9**

डा0 राणाप्रताप ने एक साक्षात्कार में गोरख पाण्डेय से 'कविता की सामाजिक भूमिका के बारे में पूछते हैं, इस संदर्भ में गोरख कहते हैं– " कविता की भूमिका के बारे में अनेक मान्ताएँ हैं। कुछ लोग तो, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह मानते हैं कि कविता की कोई

सामाजिक भूमिका नहीं बल्कि व्यक्ति की चेतना और भावना के लिए होती है। हम इस नजरिये का विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि कविता व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाने के बावजूद मूलतः एक सामाजिक कर्म है। सामाजिक कर्म तो पहले–पहले तो इसलिए कि कवि के विचार कवि कर्म का कौशल रूप और अन्तर्वस्तु– यह सब कुछ समाज और परम्परा से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि रचनाकार का अपना व्यक्तिगत योगदान उसमें नहीं होता। लेकिन वह खुद भी सामाजिक सम्बन्धों की एक इकाई होता है। हर सामाजिक कर्म समाज के लिए उपयोगी वह तमाम कला या कविता होती है। जो उसके विशिष्ट, ऐतिहासिक दौर को व्यक्त करती है, उस दौर की समस्याओं से टकराती है और उन समस्याओं की दिशा की ओर संकेत करती है। जाहिर है कि हम ऐसी कविता चाहते हैं, जो यह सब काम करती हो, लेकिन कविता अनुपयोगी भी हो सकती है, जैसे कि वह अपने को समाज से ऊपर या परे दिखा

सकती है। समाज के सिर्फ एक हिस्से से , वह भी उसके विकास की गति रोकने वाले हिस्से से जुड़ी हो सकती है और मनुष्य की चेतना को संवारने और गतिशील बनाने की अपेक्षा कुन्द करने में सहायक हो सकती है। हम ऐसी अनुपयोगी कविता का विरोध करते हैं।"**10**

निष्कर्षतः गोरख कविता को सिर्फ अंधकार के बारे में नहीं बल्कि अंधकार को तोड़ने वाली औजार के रूप में मानते हैं। उनकी दृष्टि में कविता की सहजता ही प्रमुख है। वे कविता को जनान्दोलन का प्रमुख हिस्सा मानते हैं। वे कविता को जनता का जीवन और आजादी के संघर्षों का वाहक बनाये जाने का पक्षधर हैं। वे अनुपयोगी कविता का भी विरोध करते हैं।

संदर्भ–

1. समग्र कविताएँ, गोरख पाण्डेय, फ्लैप का अंतिम भाग, प्रकाशक–जन संस्कृति मंच, इलाहाबाद द्वितीय संस्करण, 2014
2. स्वर्ग से विदाई, गोरख पाण्डेय, प्रकाशक जन संस्कृति मंच, प्रथम संस्करण 1989 (भूमिका)
3. लोहा गरम हो गया है, गोरख पाण्डेय, जन संस्कृति मंच, 1990, पृ0 49
4. स्वर्ग से विदाई, गारेख पाण्डेय, प्रकाशक जनसंस्कृति मंच, प्रथम संस्करण, 1989 (भूमिका)
5. गोरख पाण्डेय, समकालीन कविता में रूप की समस्याएँ, लोहा गरम हो गया है, जन संस्कृति मंच, 1990, पृ0 78
6. वही पृ0 77,78
7. वही पृ0 120
8. वही पृ0 120
9. वही पृ0 120,121
10. लोहा गरम हो गया है, गोरख पाण्डेय जन संस्कृति मंच, 1990, पृ0–122

Historical Emergence of Religious Persecution: A Sociological Interpretation of Ancient World

Anil Prakash Gautam*

Abstract

The history of persecution is as old as human being on this earth. The religious history is full of examples of subjugation and violence used in the name of religion by people who had different beliefs or religion. People were tortured because of their love for God by those who had not the similar clue about their God. Followers of all religions have been victims of persecution at some point in history. Religion have diversity throughout the world, it varies from region to region, society and also gain legitimacy according to interest and belief system of its own members. Religious beliefs is usually preconceived and conform according to religious texts, teachings, and beliefs, reflecting the influence and circumstances of that period, difficult to change at some extent. Religious perception can lead to discrimination to the followers of other religion due to pathetic psychology of religious supremacy. The story of defaming, discrimination, and oppression of other religious groups rather homogeneous for the sake of protection of their own religious beliefs throughout human history has led sociologists to examine and comment upon issues of religious prejudices incorporated with human dignity.

Given the power of Religious prejudice resulting discrimination and its potentially wide-ranging consequence, the aim of this paper is to shed light and draw attention on some of the essentials at the core of these phenomenon"s and processes of Religious persecution. In fact, the aim of the paper is to provide insights into the impact of Religion in forming negative prejudices in society and the role of religion in shaping hatred. All these dimensions are incorporated and have been looked at through the prism of sociological perspective with reference to Roman Empire.

***Keywords**: Religion, Persecution, Discrimination, Oppression, Prejudice, Supremacy.*

Introduction: - Religious persecution is systematic abuse with a person or group of individuals as a response to their religious beliefs or affiliations or their lack. The propensity of societies or groups within societies to dislodge or throttle different subcultures is a recurring theme in human history. Moreover, because a person"s religion often contributes significantly his or her morality, world view, self-image, attitude towards others and overall personal identity to a significant

* **Research Scholar**, **Department of Sociology (BHU)**, **Varanasi**

extent, religious differences can be important cultural, personal and social factors. Religious persecution can begin with religious bigotry (i.e. when members of a major group discredit religions other than their own) or it can be triggered by the state when it sees a particular religious group as a threat to its own interests or security. At the social level, the dehumanisation of a particular religious group can easily be violence or other forms of persecution. Religious persecution is defined as violence or discrimination against religious minorities, actions that aim to deprive minorities of political rights and force them to assimilate, abandon or live as second-class citizens. In the aspect of state policy, it can be defined as a violation of freedom of thought, conscience and belief that is unleashed in accordance with an orderly and active state policy that encourages actions such as imposing harassment, intimidation and punishment so as to violate or threaten the right to life, integrity or liberty of targeted minorities. The difference between religious persecution and religious intolerance lies in the fact that in most cases, the latter is driven by a sense of population, which can be tolerated or encouraged by the state. Denial of people"s civil rights on the basis of their religion is often described as religious discrimination rather than religious persecution. Examples of harassment include confiscation or destruction of property, inciting hatred, arrests, imprisonment, assault, torture, murder and executions. Religious persecution can be considered contrary to freedom of religion. “Batman” has alienated different degrees of harassment. "It should be personally expensive... It must be unjust and undeserved... This must be a direct consequence of one"s faith.

Forms of religious persecution

Cleansing

"Religious cleansing" is a term that is sometimes used to refer to the removal of a population from some areas based on religion. During antiquity, population cleansing was largely driven by economic and political factors, although ethnic factors sometimes played a role. During the middle Ages, population clean-up took on a largely religious character. Religious Inspiration lost much of its saliva early in the modern era, albeit until the ethnic of the 18th century Hostilities in Europe remained religiously couched. “Richard Dawkins” has argued that there are enthusiasms for what should be the context of ethnic cleansing in former Yugoslavia and Iraq More precise is called religious cleansing. According to “Adrian Coupman”, extensive use of in such cases the term ethnic cleansing shows that there is confusion among many situations Ethnicity and religion.

Ethnicity

Other acts of violence, such as war, torture, and ethnic cleansing especially not aimed at religion, yet can take over the virtues of religious persecution when one or more parties this is characterized by religious uniformity involved; An example when being related to conflicting populations that differ ethnically groups are often also related to different religions or sects.There may be differences between religious and ethnic identitiessometimes become obscure

(look at the ethnographic); Cases of genocide cannot be explained in full by giving 20th-century religious referencesdifference of opinion. Still, cases like Greek genocide, ArmenianGenocide, and Assyrian genocide are seen as many times blurring the lines between religious persecution and ethnic and religious violence.Since the early modern period, an increasing number of religious the cleansing was associated with ethnic elements. Religion since is an important or central marker of ethnic identity, some conflicts can best be described as "ethno-religious conflicts". Nazi anti-is provides another example of the controversial divide between ethnic and religious persecution, because Nazi propaganda stands to build its image of Jews as belonging to a race, it the Jews are being defined by their religion. In keeping with what they were taught in the Nazi propaganda, perpetrators of holocaust made no distinction between secular Jews, atheistsJews, Orthodox Jews and Jews who converted to Christianity. The Nazis also persecuted Catholic Churches in Germany and Poland.

Persecution for blasphemy

The persecution of beliefs that are deemed shimatic is one thing; Persecution of heretical or blasphemous beliefs is another. Although a public disagreement on secondary matters can be quite serious, it has often only led to religious discrimination. A public renunciation of the basic elements of a religious doctrine under the same circumstances, on the other hand, has put one at far greater risk. While dissidents from the official church only faced fines and imprisonment in Protestant England, six people were executed for protests or blasphemy during the reign of Elizabeth I, and two more were executed under James I in 1612. Similarly, heretical sects such as Cathers, Waldensian and Lollard in Western Europe were brutally suppressed, while, at the same time, Catholic Christians lived together with “Shisketic” Orthodox Christians after east-west divisions in the border countries of Eastern Europe.

Ancient Era and Religious Persecution:

There is general perception about the primitive era that due to the early age of human civilization, it would have lacked religious and cultural consciousness, which would have led to the lack of human to human conflicts, but on sociological interpretation of historical events, it”s come to the fore that conflict has been an integral part of human civilization since ancient time. The authenticity of this issue can be understood in the context of the following events….

Roman Empire and religious persecution

The Romans, for the most part, were tolerant in matters of religious belief and allowed many religious sects and sects to proselytize without restrictions. Personal belief was not a matter of interest to Roman officials. Social cohesion was based on the public promise of obedience to the right and loyalty to the state; the latter was symbolized by symbolic sacrifices for roman gods. Contrary to subsequent assumptions, at first, Roman authorities did not oppose Christianity. Rather, roman officials persecuted whoever refused to pledge

loyalty to the kingdom. Since Christians refused to make sacrifices to the Roman gods (equivalent to the oath of allegiance), persecution followed; this included harassment at the local level, and officially sanctioned or decreed harassment. The Romans produced a series of persecutions of abusive and non-conforming religions. In the third century, **"**Cassius Dio**"** outlined the Roman imperial policy towards religious tolerance as follows **"***You should not only worship the divine everywhere and in every way in accordance with our ancestral traditions, but also force all others to honour it. Those who attempt to distort our religion with strange rites you should hate and punish, not only for the sake of the gods … but also because such people, by bringing in new divinities, persuade many folks to adopt foreign practices, which lead to conspiracies, revolts, and factions, which are entirely unsuitable for monarch.***"**

The Bacchanals

By 186 BC, the Roman Senate issued a decree that severely restricted the bacchanals**(***The Bacchanalia (or Bacchanal / Carnival) were Roman festivals of Bacchus based on various ecstatic elements of the Greek Dionysia. They seem to have been popular and well-organised throughout the central and southern Italian peninsula. They were almost certainly associated with Rome''s native cult Liberalia which is dedicated to Liber and spouse Libera, also known as Proserpina. The cult probably arrived in Rome itself around 200 BC. However, like all Greco-Roman mysteries very little is known of their rites. Once the Bacchanalia had become popular, The Roman Senate was threatened by the Bacchanalia because they believed it was designed to rebel against their political views, thus wanted to suppress the mystery cult to avoid any kind of rebellion against the Senate.***)**Blissful rites, celebrated in honour of Dionysus. Livi records that this persecution was due to the fact that "there was nothing wicked, nothing, which was not practiced between them". Livi records that more people were held to death than imprisoned: "More number were executed than were thrown into prison; In fact, there was considerable crowds of men and women suffering both ways.In Tiriolo, Italy 1640a bronze tablet found stating Roman decree on it: *"Let none of them be minded to have a shrine of Bacchus ... Let no man, whether Roman citizen or Latin ally or other ally, be minded to go to a meeting of Bacchantes ... Let no man be a priest. Let no-one, man or woman, be a master. Let none of them be minded to keep a common fund. Let no-one be minded to make any man or woman an official or a temporary official. Henceforth let no-one be minded to conspire, collude, plot or make vows in common among themselves or to pledge loyalty to each other. If there are any who transgress against the decrees set out above, a capital charge is to be brought against them."*

Druids

Druids were seen as essentially non-Roman: a prescript of Augustus forbade Roman citizens to practice "druidical" rites. Pliny reports that under Tiberius the

druids were suppressed—along with diviners and physicians by a decree of the Senate, and “**Claudius”** forbade their rites completely in AD 54. Druids were alleged to practice human sacrifice, a practice abhorrent to the Romans. “Pliny the Elder” (23–79 AD) wrote “It is beyond calculation how great is the debt owed to the Romans, who swept away the monstrous rites, in which to kill a man was the highest religious duty and for him to be eaten a passport to health.”

Judaism

Tiberius” forbade Judaism in Rome, and “Claudius” expelled them from the city. However, the passage of “Suetonius” is ambiguous: “Because the Jews at Rome caused continuous disturbances at the instigation of “Chrestus” “Claudius” expelled them from the city”. Chrestus has been identified as another form of Christus; the disturbances may have been related to the arrival of the first Christians in Rome, and that the Roman authorities, failing to distinguish between the Jews and the Early Christians, simply decided to expel them all.The Crisis under “Caligula” (37–41) has been proposed as the “first open break between Rome and the Jews”, because the problems were already evident during the Census of Quirinius in 6 and under Sejanus (before 31). After the Jewish–Roman wars (66–135), “Hadrian” changed the name of “Iudaea province” to “Syria Palaestina” and “Jerusalem” to “Aelia Capitolina” in an attempt to erase the historical ties of the Jewish people to the region. In addition, after 70, Jews and Jewish proselytes were only allowed to practice their religion if they paid the Jewish Tax, and after 135 were barred from “Aelia Capitolina” except for the day of Tisha B”Av (an annual fast day in Judaism, on which a number of disasters in Jewish history occurred, primarily the destruction of both Solomon”s Temple by the Neo-Babylonian Empire and the Second Temple by the Roman Empire in Jerusalem).

Manichaeism

A dualistic religious system with Christian, Gnostic, and pagan elements, founded in Persia in the 3rd century by Manes (c.216–c.276) and based on a supposed primeval conflict between light and darkness. It was widespread in the Roman Empire and in Asia, and survived in eastern Turkestan (Xinjiang) until the 13th century.The first official reaction and legislation against Manichaeism from the Roman state to Manichaeism took place under**”Diocletian”**,In an official edict called the De Maleficiis et Manichaeis (302) compiled in the CollatioLegumMosaicarum et Romanarum and addressed to the proconsul of Africa, **“Diocletian”** wrote….

“We have heard that the Manichaens have set up new and hitherto unheard-of sects in opposition to the older creeds so tha they might cast out the doctrines vouschafed to us in the past by the divine favour for the benefit of their own depraved doctrine. They have sprung forth very recently like new and unexpected monstrosities among the race of the Persians - a nation still hostile to us - and have made their way into our empire, where they are committing

many outrages, disturbing the tranquility of our people and even inflicting grave damage to the civic communities. We have cause to fear that with the passage of time they will endeavour, as usually happens, to infect the modest and tranquil of an innocent nature with the damnable customs and perverse laws of the Persians as with the poison of a malignant (serpent) ... We order that the authors and leaders of these sects be subjected to severe punishment, and, together with their abominable writings, burnt in the flames. We direct their followers, if they continue recalcitrant, shall suffer capital punishment, and their goods be forfeited to the imperial treasury. And if those who have gone over to that hitherto unheard-of, scandalous and wholly infamous creed, or to that of the Persians, are persons who hold public office, or are of any rank or of superior social status, you will see to it that their estates are confiscated and the offenders sent to the (quarry) at Phaeno or the mines at Proconnesus. And in order that this plague of iniquity shall be completely extirpated from this our most happy age, let your devotion hasten to carry out our orders and commands"

Christianity

A traditional protocol of symbolic submission and allegiance to the royal authority, the citizens and others in the Empire were free to follow any religion. After two centuries of continuous behaviour Christianity was outlawed which roman magistrates interpreted as defiant and subversive. The three failed to quell the officially sanctioned persecution that the Romans considered treasonous behaviour. Pagans interpreted the Roman gods" refusal to sacrifice as an act of political disobedience. The point of contention, as seen from the Roman side, did not believe in Jesus; it was denied accepting the royal authority. According to "Wilken" "the polytheistic worldview of the Romans did not bow them down to refusing to worship, even symbolically, the gods of the kingdom. Christianity appeared as a movement that established order and fostered disruption of dangerous social trends. Prejudice became so spontaneous that ultimately, the confession of the name "Christian" could only be a sufficient basis for execution. The persecution of Christians in the Roman Empire came intermittently over a period of more than two centuries between the Great Fire of Rome in 64 AD under Nero and the Decree of Milan in 313 AD. After the Battle of The Milvian Bridge, Constantine the Great and his co-Augustus "Licinius" issued a Matching decree that granted religious tolerance to all religions, not just Christianity. The persecution was carried out by the Roman state and by local authorities on a sporadic, ad hoc basis, often at the whims of local communities. In 250 AD, an empire-wide persecution occurred as an indirect result of a decree by Emperor Decius. The decree remained in force for eighteen months, during which some Christians were killed while others apostates to avoid executions. W.H.C. Frend estimates that 3,000-3,500 Christians were killed in persecution. The first empire-wide, officially sanctioned, persecution of Christians occurred during the reign of "Decius" in the third century. Provincial governors had a great deal of

personal discretion in their jurisdiction and could choose themselves how to deal with local incidents of persecution and mob violence against Christians. For the first three hundred years of Christian history, Christians were able to live in peace, practice their professions, and go to positions of responsibility. For about ten of the first three hundred years of the church"s history, Christians were executed due to the order of a Roman emperor. Efforts to assess the numbers involved are essentially based on inadequate sources, but a historian of persecution has estimated the overall number between 5,500 and 6,500. In 300 years from the crucifixion of Christ to the conversion of Emperor Constantine, polytheistic Roman emperors did not herald the four usual persecutions of Christians. Local administrators and governors provoked some anti-Christian violence of their own. Nevertheless, if we add all the victims of all these persecutions, it turns out that in these three centuries, polytheistic Romans did not kill more than a few thousand Christians.These persecutions influenced the development of Christianity, shaping Christian theology and the structure of the church. The influence of persecution included the writing of the explanation and protection of Christianity.Persecution culminated with "Diocletian" and "Gallerius" at the end of the third and early 4th centuries. His anti-Christian actions, believed to be the largest, were the last major Roman pagan actions to occur. The decree of Serdica, also known as the decree of tolerance by the "Gallerius", was issued by the Roman emperor "Gallerius" in 311 in Serdica (today Sofia, Bulgaria), officially ending the "diocleteettitic" persecution of Christianity in the east. Constantine the Great soon came to power and in 313 completely legalized Christianity. It was not until there was "Theodosius I" in the 4th century, however, Christianity would become the official religion of the Roman Empire.

According to Edward Gibbon: *"Christians committed an unnatural and uncognizable crime by embracing the faith of the Gospel. They dissolved the sacred ties of customs and education, violated their country"s religious institutions, and despised whatever their father had perceived to be true, or revered as holy, despised by haughtiness. Christianity practiced an inclusion not found in the social race system of the Roman Empire and was therefore regarded by its opponents as a "disruptive and, most important, a competitive threat to the traditional class/class."* Gibbon argued that the christian tendency to abandon his family and country changes and his frequent predictions of impending disasters created a sense of apprehension in his pagan neighbours. Most of the pagan population believed that would be bad things if established pagan gods weren"t properly worshipped and revered. By the end of the 2nd century, Christian epiologist Tertullian complained about the widespread perception that Christians were the source of all disasters brought against mankind by gods. "They think Christians cause every public disaster, of every grief with which people are visited. If the timber rises as high as the city walls, if the Nile does not send its water above the fields, if the sky gives no rain, if there

is an earthquake, if there is famine or pestilence, cry straight, "away with Christians for lions"

Causes of Ancient Religious Persecution

The persecution before 250 AD was not empire-wide; this was done localized, sporadically, often led by crowds, with occasional action from local authorities. The causes of persecution can be understood by looking at some of the main areas of conflict.

"The exclusive sovereignty of Christ conflicts with the claims of "Caesar" for its exclusive sovereignty. The Roman Empire practiced religious synchretism and did not demand loyalty to a god, but they demanded loyalty to the kingdom, and it was expected to appear through the practices of the state religion with many feast and festival days throughout the year. The nature of Christian monotheism prevented Christians from participating in anything related to "other gods". Christians did not participate in feast days or processions or offer sacrifices or light incense to the gods; this created enmity. He refused to give incense to the Roman emperor, and in the minds of the people, "the emperor, when seen as a god, then ... The incarnation of the Roman Empire "was therefore seen as insincere to both Christians." In Rome, "religion can only be tolerated until it contributes to the stability of the state" which "will brook no opponent to the integrity of its subjects." A union of state and religion was the best. The kingdom was not the best in Christian monotheism. "Christians shifted their activities from the streets to more secluded domains of homes, shops and women"s apartments... Breaking down normal relations between religion, tradition and public institutions such as cities and nations. This "privatisation of religion" was another primary factor in persecution. They sometimes met at night, in secret, and it created doubt among pagan populations accustomed to religion as a public program; Rumours abounded that Christians had flaggedia, Celera, and Malephysia "outrageous crimes", "wickedness", and "evil deeds", in particular, cannibalism and incest (referred to as "Thystian communion" and "Odipdodian mating" due to their rumored practices of eating "blood and bodies" of Christ and referred to each other as "brothers" and "sisters".

In general the prosecution of Christians followed the forms of cognitive system of penal jurisdiction, in which proconsularcoercitio found its usual expression. Under the system, the governor enjoyed great freedom in the first and second centuries in recognizing crimes and determining sentences. If, recalling this power of the governor, we recognize the seriousness of contumacia, then the requirement for the worship of roman gods appears as a tool to determine contingency on the part of Christians. Persistence and refusal to withdraw were seen as cohaerensscelus, who had treason in its extreme form and eventually led, because of repeated events and the deteriorating political situation of the empire, for the ban of NomenChristiani only. Nor was this general crime, proconsular perforce, determined by the sole legal basis for harassment.Roman citizens found time and time again the specific aspects of Christian behaviour to be

questionable and apparently criminal. In this way, pagans in particular attacked Christians, constantly blamed them for natural and political troubles and charged with specific crimes. We thus find a list of crimes held against Christians with 42 entries. The key to the causes of early persecution lies mainly in pagan mobs rather than royal or proconsular attitudes.

Conclusions:

We have seen throughout this article that religious identity and persecution are related in complicated ways. Religious Prejudice, most technically, is an affect—a desire to avoid someone because of her or his religion, as opposed to stereotypes, which are more cognitive associations with a group and efforts to reduce religious prejudice should focus on both affect and cognition. But persecution is also clearly linked to higher-order manifestations of prejudice, such as discrimination through legal and organizational policies, symbolic annihilation of groups in the society, and everyday forms of discrimination, be they overt or subtle. With this complex view in mind, we can see that any attempts to redress religious persecution or any other intolerance must include not only cohesive religious education, or even merely a wide array of communicative responses (public discourse and face-to-face), but also efforts at addressing social inequalities at the structural andpolicy levels

References

1. See Harold Remus in Blasi, Anthony J., Jean Duhamel and Paul-Andre" Turcotte, eds. Handbook of Early Christianity (2002) 433 and 431-452 for an updated summary of scholarship on Roman persecution of Christianity. Also J. D. Crossan Who Killed Jesus (1995)
2. Wilken., The Christians as The Romans Saw Them. New Haven, CT: Yale University Press. p. 197-205. ISBN 0300098391. 2003
3. Wilson, Stephen G., Related Strangers: Jews and Christians. Minneapolis, MIN: Augsburg Fortress Publishers. p. 28-9. ISBN 080063733X.
4. W. H. C. Frend, The Rise of Christianity. Fortress Press, Philadelphia. p. 319. ISBN 978-0-8006-1931-2.1984
5. Harari, Yuval Noah "Chapter 12". Sapiens: A Brief History of Humankind. United Kingdom: Harvil Secker. ISBN 978-0-7710-3852-5.2014
6. Cairns, Earle E. "Chapter 7:Christ or Caesar". Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church(Third ed.). Grand Rapids, Michigan: Zondervan. ISBN 978-0-310-20812-9. 1996
7. Casson, Lionel.,"Chapter 7 "Christ or Caesar"". Everyday Life in Ancient Rome (revised ed.). Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-5991-3. 1998
8. Lee, A.Doug. Pagans and Christians in Late Antiquity: A Sourcebook (Second ed.). New York: Routledge. ISBN 978-1-138-02031-3. 2016

9. Catherwood, Christopher. "Chapter Three, From Christ to Christendom: The Early Church". A Brief History of the Middle East (Second ed.). London: Constable and Robin Ltd. ISBN 978-1-84901-508-0. 2011
10. Whitby, Michael; Streeter, Joseph, eds., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy GEM de Ste.Croix. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-927812-1. 2011
11. McDonald, Margaret Y., Early Christian Women and Pagan Opinion: The Power of the Hysterical Woman. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 0-521-56174-4. 1996
12. Keener, Craig S. 1-2 Corinthians. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-11387-1. 2005
13. Sherwin-White, A.N. "Why Were the Early Christians Persecuted? -- An Amendment." Past & Present. Vol. 47 No. 2. 1954
14. Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Wordsworth Editions ISBN 978-1-85326499-3), p. 309. 1998

.

Socio and Economic Changes in Muslim Women in India

Mehre Ferheen

On the completion of five decades of independence, women in Muslim communities face considerable challenges as citizens of India and as members of India"s largest minority. Their poor socio-economic status reflects a lack of social opportunity. marginal status within an overall context of social disadvantage. Muslim women are among the poorest, educationally disenfranchised, economically vulnerable, politically marginalized group in the country. The Muslim share in public employment is less than 3 per cent.

This was highlighted during the Shah Bano case and the passage of the Muslim Women"s Bill in 1986. In a context where the *Shari"a* is used to justify women"s subordination, it is imperative for Muslim women in India to enter the discourse on the *Shari"a* with reference to personal law, and challenge their historic marginalization from religious knowledge.

The political ascendence of the Hindu right-wing and its inherent link between politics and religion has threatened India"s secular fabric. The rise of communal violence in the last two decades has undermined secular law and violated constitutional ideals of religious non-discrimination, protection of human rights, implementation of social justice and the equality of all Indian citizens. Right-wing illiberalism, communal prejudice and intolerance of diversity bodes ill for all Indian women; in the case of Muslim women it heightens physical and economic insecurity, limits possibilities of renegotiating their status with Muslim men and precipitates Muslim militancy.

The lack of social opportunities for Muslim women is a crucial issue needing urgent action. An improvement in literacy rates would directly influence Muslim women"s socio-economic and political status as citizens of India. The acknowledgement of the universality of women"s rights by the international community is relevant to the debate on Islam and women"s rights, particularly with reference to women"s rights in the family. Muslim women and men must collaborate with individuals and organizations who are committed to the realization of women"s human rights. The alliance of Muslim women with the women"s movement in India, as well as movements for secularism, democracy and human rights,

are crucial for forging a common front against forces opposed to women"s self-determination.

Change in Educational and Occupational Status

Education is quite an important variable which affects the status of women. The number of Muslim women taking formal education especially higher education is increasing day by day due to various reasons.

The wave of social change has also touched the Muslims in general and women in particular in India. Muslim women are also taking up jobs. Though their number is comparatively few, they have concentrated in professions like teaching and medicine whereas women of the Hindu community have entered in almost all professions. This may be due to the belated recognition of the importance of education of women among the Muslim community which in itself can be traced to various socio-economic and historical reasons. Also, to some extent, social taboos and psychological conditioning hinders their participation along with a sense of the discrimination prevalent in all spheres which prevents them from using their potential in the field of national development.

Women have been working in every known economic system for their maintenance and for their fulfilment. Traditionally, women were confined to household work and looking after children and husband. But the industrial revolution has brought a shift in the structure of work and hence the concept of work has changed. Women from the lower socio-economic strata have been working in agriculture, factories and as construction workers. But the entry of women of the urban middle and upper middle classes into the work force is a comparatively recent phenomenon and this development has significant impact on social change and mobility.

Occupation has been divided mainly into two categories: housewives and women working outside the home; the latter includes professionals, wage earners and vendors. Wage earners include bidi and bindi makers, while the vendors are churi, vegetable and fruit sellers.

Changes in Marriage Patterns and Family Size

The socio-cultural changes in marriage and family patterns in two generations such as age at marriage, knowledge of dower or Mehr pattern of marriage, number of children desired, preference for male child, family planning, perception of gender discrimination, observance of purdah, freedom of movement, their participation or involvement in deciding matters within and outside of the family and so on.

Change in the pattern of marriage: 10 per cent of the women had got married to their first cousins while in the mother"s generation it was 22 percent. Family size and the number of children desired is influenced by various sociocultural and economic factors.

Change in Purdah system

The purdah or segregation of women is a well-known custom in Islamic culture. It has become an indispensable part of Muslim social structure because a high status was attributed to families in which women observed purdah. As time passed, this practice of elite families was taken up by other families as well.

Changes in the Pattern of Decision-Making Through Women"s Participation

The decision-making areas have broadly been divided into two categories:

1) Recurring decisions include expenditure on food, clothing, entertainment, going to movies, visiting friends, children"s schooling, career and marriage, going out for vacation, giving presents, visiting doctors, expenditure on house rent etc.

2) Non-recurring decision includes purchase and construction of house or land, purchase of time saving gadgets, gas-stove, furniture, household articles, purchase of car, scooter or bicycle, LIC policy, how much to save, jewellery, working of wife etc.

Thus, the stereotyped image of Muslim women as educationally backward and their being non-responsive to social change etc. seems to be an exaggerated perception which has been the staple of mainstream academics and media projections. There is no doubt that more research is needed in this area, particularly in the present context of rapid socio-economic and political change, and the impact of this on women. We as social scientists need to develop new approaches and methodologies to study the problem of Muslim women in India who are a minority within a minority. A holistic approach wherein the economic, social, religio-cultural, historical and political strands are brought together. At the same time, micro studies are needed to see the impact of wider macro-processes and structures and the varying responses of the Muslim community. Historical and political context and location within which Indian Muslim women are placed.

While a change is visible in the status of Indian women towards one of greater equality with men and in her role towards greater participation in familial decision making and other social and economic activities, the events and pace of such change cannot be said to be the same across all

religious communities in India. Muslims are considered to be lagging behind other religious communities in this regard. The Muslims can be reasonably expected to be disturbed and affected by the changes which are taking place in the socio-cultural life of our society. Imbibing modern or changing culture is very important for the progress of a community. Although Muslims in India have started to respond to the Modern Culture, it cannot be denied that it is already late when compared to other communities, this is true in the case of Muslim women. Fundamentalism and ignorance of a few men have also prevented Muslim women from enjoying modern privileges. For the development of an y community the contribution of both men and women are important. Both are responsible for the weal and woe of a family, community and society at large. The role of Muslim women should not be under estimated. Because the position of women in Muslim Society Mirrors the destiny of Islam. Mirrors Islam is secured and confident so are its women, when Islam is threatened and under pressure so, too, are they.

The status of women is dependent on a number of factors working within a social system, social, political and economic changes and religious mornings of a community continuously and emphatically affect the status of its members.

The constitution of India, being a secular one, does not allow the state to interfere with any religious faith and all citizens are free to profess their personal laws. As a result, social legislation has not moved with the times in India. Secondly, after the partition in order to maintain their identity, the Muslim minority opposed any reform in the most vocal term. In other Islamic countries, the Islamic renaissance and its improved idea of woman"s status based on a truer interpretation of the sacred texts is going hand in hand with modern nationalism, its dynamics and its victories, its social and political reconstruction to accord to woman her rightful place in the new city of Islam. The great reformers and national leader like president Bourguiba of Tunisia, who in the name of a true interpretation of the sacred text, laid down his reforms which range from a ban on polygamy to the abolition of unilateral divorce. Others like late President Gamal Abdul Nassar of Egypt permitted women in parliament as well as in the army. In Russia, as early as 1920, modernisation had set in, the Quranic legal system was abolished by the government and wearing of veils was forbidden. This has been referred to as “Legal Modernism” by Noel J. Collusion. Hence, it is observed that in all these countries, the delicate issue of emancipation of the woman which is so bedded in with

emotional prejudice and ignorant misconception was solved by political pressure implemented through persons having charismatic personalities.
In India, however, Indian Muslims in general and their leaders in particular put up their defences by asking the government not to interfere with the personal laws. The Shah Bano case, brought such a controversy to the forefront that not only divided the Muslim community itself but generated the need of reassess in the status of Muslim women in the light of their personal laws. Whereas, the need of the community demands the social legislation to keep pace with it, the wave of Islamization is trying to put the clock backwards, perhaps at the cost of welfare of its women. Caught between the controversy, the Indian Muslim women, face a dilemma. On the one hand she wants to tread on the path of freedom, especially when she is shouldering the added responsibilities in the family and society. But on the other, she is hesitant to leave the mask of protection promised by the religious sanction.

Conclusion

However, in the Indian context, the position of Muslim women is affected and receives directions, apart from the social, economic and political factors, the Indian factor, the woman factor and the Islam factor. All this is further compounded to more complexity by the minority factor. The minority status of Muslims coupled with the wave of Islamization has made the conditions worst for the Indian Muslim Women.
In India, the secular and democratic nature of the government inhibits and restricts any reform as far as the personal laws are concerned. Besides, any move in this regard is resisted with hostility by the minority community. In the male dominated social setup, the women are oppressed as it is, and among the women community of Indian society, the Muslim women are considered the most oppressed. They are found to be suffering from an oppression which works two ways (i) that they are women, hence subordinate and (ii) they belong to the Muslim community which itself is backward and holds a subordinate status in the Indian system. The view persists because of the widely prevalent purdah system among Muslims, lack of enthusiasm towards women"s education, the fewer number of Muslim working women, the large family norms, etc. All these factors together block the possible paths of progress of Muslim Women.

References

1. Gandhi, M.K., Women and Social Injustice, Ahmedabad, Navjivan Publishing House, 1945

2. Hate, Chandrakala, Changing Status of Women in Post Independence India, 1969
3. Ikramullah, Begum S.S, The Status of Women in the Life and Literature
4. Khan Syyid Ahmed, A Reinterpretation of Muslim Theology, Vikas Publishing House, New Delhi, 1978
5. Kidwai, Shaikh M.H., Women under Different Social and Religious Laws, Light and Life Publishers, New Delhi, 1978
6. Shinti and others (ed.), Women, her Problems and her Achievements, 1977
7. Vreede-Dc-Sturrs, Parada: A Study of Muslim Women"s Life in Northern India, 1969
8. Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organisation translated by AM, Henderson and Talcott Parsons, 1947

Combating Child Labour in India: A Judicial Perspective

Raj kumar*

ABSTRACT :
The Constitution of India in article 24 provides that no child below the age of 14 years be working in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. The Constitution has, however, not defined what it exactly means by hazardous employment. The legislation specifically dealing with child labour, viz., The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 without even mentioning the word "hazard" even once in any of its provisions confined the import of it in two parts of a schedule appended thereto by providing in section 3 of the Act. The judiciary, unfortunately, has further narrowed down the concept of hazardous employment when it stated that children may be employed in any hazardous employment provided the processes involved are not hazardous, introducing a new twist in the tale.

INTRODUCTION:

Child labour refers to the employment of children in any vocation that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and that is mentally, physically, socially or morally hazardous and harmful. Legislation across the world prohibit child labour.

UNICEF defines child labour differently. A child, suggests UNICEF, is involved in child labour activities if between 5 and 11 years of age, he or she did at least one hour of economic activity or at least 28 hours of domestic work in a week, and in case of children between 12 and 14 years of age, he or she did at least 14 hours of economic activity or at least 42 hours of economic activity and domestic work per week.

The UN Convention on the Rights of the Child defines a child as any person less than 18 years of age. Child labour is employment or work carried out by a child below the minimum legal working age set by a country in accordance with ILO Convention 138 (generally 14 or 15 years with possible exceptions for light work from the ages of 12 or 13); or any work undertaken by a child below the age of 18 that constitutes a worst form of child labour as defined by ILO Convention 182[1]. This includes work or economic activities which is likely to harm the health, safety or morals of children.

In developing countries, with high poverty and poor schooling opportunities, child labour is still prevalent. Vast majority of child labour is found in rural

* **Assistant professor , R. P. S. Law college, Patna**

[1] See at www.unicef.org/protection/files/child_labour.pdf *(Last accessed On: 25.09.2016, at 9:00 PM)*

settings and informal urban economy; children are predominantly employed by their parents, rather than factories. Poverty and lack of schools are considered as the primary cause of child labour.

Globally the incidence of child labour decreased from 25% to 10% between 1960 and 2003, according to the World Bank.Nevertheless, the total number of child labourers remains high, with **UNICEF** and **ILO**[2] acknowledging an estimated 168 million children aged 5-17 worldwide, were involved in child labour in 2013.

THE LEGAL FRAMEWORK

There are three main Conventions which seek to protect children from child labour and ensure their access to education and other fundamental rights.

- **ILO Convention on Minimum Age for Employment, 1973 (No. 138)** sets standards for the minimum age of employment. The convention requires countries to establish a minimum age for employment not less than the age of finishing compulsory education, and which in any case, should not be less than 15 years.
- **UN Convention on the Rights of the Child, 1989 (CRC)** specifies in Article 32 that children have the right to be protected from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child"s education, or to be harmful to the child"s health or physical, mental, spiritual, moral or social development.
- **ILO Convention on Worst Forms of Child Labour, 1999 (No. 182)** applies to all persons under the age of 18 and calls for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency.

ILO Convention No 182 (Article 3) states:

The term the "worst forms of child labour" comprises:

a. All forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;

b. The use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances[3];

c. The use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;

d. Work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children (referred to as hazardous child labour);

---

[2] See at www.unicef.org/sowc97/download/fctsgrfs.pdf *(Last accessed on : 27.09.2016, At 8:00 Am)*

[3] See at www.**un**.org/ar/events/childlabourday/pdf/Hague_Report.pdf *(Last accessed on: 28.09.2016, at about 8:00 Pm)*

- **Child labour in preindustrial societies:**

Child labour forms an intrinsic part of pre-industrial economies. In pre-industrial societies, there is rarely a concept of childhood in the modern sense. Children often begin to actively participate activities such as child rearing, hunting and farming as soon as they are competent. In many societies, children as young as 13 are seen as adults and engage in the same activities as adults. The work of children was important in pre-industrial societies, as children needed to provide their labour for their survival and that of their group.

Characteristics of Child labour:

Child labour involves at least one of the following:

a. Violates a nation"s minimum wage laws.
b. Threatens children"s physical, mental, or emotional well-being.
c. Involves intolerable abuse, such as child slavery, child trafficking, debt bondage, forced labor, or illicit activities.
d. Prevents children from going to school.
e. Uses children to undermine labor standards.

Selected articles of Indian Constitution in this regard are presented as follows:

- Article-23: Prohibition of traffic in human beings and forced labour.
- Article-24: Prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, mines, or in any other hazardous employment.
- Article-45: Provision of early childhood care and education for children until the age of six years (86th Constitutional Amendment Act-2002).
- Article- 21(A): Provision of free and compulsory education of children of the age of six to fourteen years (86th Constitutional Amendment Act, 2002).
- Article- 51-A (k): Fundamental duties of parent or guardian to provide opportunities for education of children between the age of six and fourteen years.

A number of legal provisions, including laws, acts, declarations, conventions, prohibiting child labour have been made at the international and national levels.

The following international human rights conventions prohibit the practice of child labour. India is a party to all of them, and as such is legally bound to comply with their terms:

- Convention on the prevention and suppression of slave trade and all forms of slavery, 1926 (Signed at Geneva on 25th September, 1926).
- Supplementary Convention on the abolition of slavery, the slave trade, and institutions and practices similar to slavery, 1956 (Done at Geneva, 7th Sept. 1956).
- International Convention on Civil and Political Rig hts (ICCPR), 1966
- Prohibits slavery and the slave trade in all their forms, (UN Doc. A/6316, 1966).

CAUSES OF CHILD LABOUR :

a. **Primary causes:** International Labour Organisation (ILO) suggests poverty is the greatest single cause behind child labour. For impoverished households, income from a child"s work is usually crucial for his or her own survival or for that of the household. Lack of meaningful alternatives, such as affordable schools and quality education, according to ILO, is another major factor driving children to harmful labour.

b. **Cultural causes:** In many cultures, particular where informal economy and small household businesses thrive, the cultural tradition is that children follow in their parents" footsteps; child labour then is a means to learn and practice that trade from a very early age. Similarly, in many cultures the education of girls is less valued or girls are simply not expected to need formal schooling, and these girls pushed into child labour such as providing domestic services.

c. **Macroeconomic causes:** Macroeconomic causes encouraged widespread child labour across the world. They suggest that the causes for child labour include both the demand and the supply side. While poverty and unavailability of good schools explain the child labour supply side, they suggest that the growth of low paying informal economy rather than higher paying formal economy is amongst the causes of the demand side. Other causes are;

d. Have or increase the income of a poor family[4].

e. To reduce the labor cost in a production organization.

f. Reasons for engaging as domestic aid as the children are less doubtful about dishonesty or less liable to misbehave or be violent.

WAYS OF ELIMINATION:

Education is fundamental to the elimination of child labour:

The development of child labour legislation in the early industrial nations and the parallel development of free and compulsory education provision, highlighting the important role of the labour movement in campaigning against child labour and in favour of universal elementary education. It recalls the

[4] Children work because their families are poor, and because their families lack productive assets, such as skills, jobs, credit or land. Sometimes the effective choice is between work and starvation. When households are so poor that the earnings of a child are needed for survival, the quality of education will not influence decisions to keep children in work. Children of poor families may also work in order to have a reserve fund to cope with in bad times, because of poor harvests, illness or loss of work by other earners. In more extreme situations, children are forced to work to pay for family debts. Fertility, poverty and child labour are often inter-linked. The younger children of large families are more likely to work and not attend school. They are also themselves likely to have children at a young age, so perpetuating the cycle of poverty. In such situations, the only successful strategies to get children to school is through poverty reduction, including investing in basic services, such as drinking water and sanitation, electricity and roads and the introduction of social safety nets.

recognition of the links between the abolition of child labour and the provision of education in the **ILO** Conventions on the Minimum Age of Employment. It then examines the correlation between child labour and education provision in those regions and countries in the developing world, which have made most progress on reducing the incidence of child labour over the last 20 years.

Other social protection instruments addressed in the report:

The other social protection instruments examined in the report fall into five categories.

1. Public employment programmes:

Public employment programmes serve the primary goal of providing a source of employment to adults and the secondary goal of helping to rehabilitate public infrastructure and expand basic services. Both outcomes have the potential to reduce households" reliance on child labour, and initial evidence suggests that public employment programmes can indeed have this effect, at least for some groups of children.

2. Social health protection:

Extending social health protection to address the social distress and economic loss associated with ill health appears directly relevant to efforts against child labour. The ultimate objective should be to achieve universal social health protection, defined as effective and affordable access to at least essential health care of adequate quality, and financial protection in case of sickness. Achieving this objective would effectively remove one important cause of child labour.

3. Social protection for people with disabilities:

The social and economic vulnerabilities associated with disability can increase household reliance on child labour. Wide arrays of social protection measures are available to address the vulnerabilities accompanying both short-term and long-term disabilities. These include contributory and non-contributory disability benefits, and wage replacement for disabling injuries and illnesses.

4. Income security in old age:

In multigenerational households, which are commonplace in the developing world, income security in old age can play a key role in the economic security of the household as a whole, including its youngest members. The positive impact on children, and especially on the likelihood of their having to work, of older generations being eligible for a guaranteed, reliable pension is clear. Pension schemes or similar measures not only help provide a social protection floor for the elderly, but offer benefits that extend well beyond the direct recipients.

SOME IMPORTANT JUDICIAL DECISIONS:

M.C. Mehta Vs State Of Tamil Nadu and Others on 10 December, 1996:

In the course of the hearing, the court appointed an advocates committee to visit the area and make a comprehensive report relating to the various aspects of the matter, as mentioned in the order of 14 August 1991. The committee was to consist of three advocates: Shri R.K .Jain, Ms Indira Jaisingh, and Shri K.C.Dua.

The committee submitted its report on 11.11.91.The report contained many recommendations:

a. State of Tamilnadu should be directed to ensure that children are not employed in fire works factories.

b. The children employed in the match factories for packing purposes must work in separate premises for packing.

c. Employers should not be permitted to take work from the children for more than six hours a day[5].

d. Proper transport facilities should be provided by the employers and State Govt. for travelling of the children from their homes to their work places and back.

e. Facilities for recreation, socialisation and education should be provided either in the factory or close to the factory.

f. Piece-rate wages should be abolished and payment should be made on monthly basis. Wages should be commensurate to the work done by the children.

g. All the workers working in the industry, whether in registered factories or in unregistered factories, whether in cottage industry or on contract basis, should be brought under the Insurance Scheme.

h. A National Commission for children"s welfare should be set up to prepare a scheme for child labour abolition in a phased manner. Such a Commission should be answerable to this Hon"ble Court directly and should report to this Hon"ble Court at periodical intervals about the progress.

OBSERVATIONS MADE BY THE SUPREME COURT:

The Supreme Court recognised that Sivakasi had ceased to be the only centre employing child labour; the malady was no longer confined to that place. The court also recognised that child labour was an all-pervasive national problem in India even after 50 years of independence – and despite the enactment of various legislations. Further, the Supreme Court recognised poverty as a basic cause for child labour. The court observed that until an alternative income was assured to the family, child labour could never be effectively tackled.

Child labour in Beedi Industry:

One of the main areas where the thrust is lacking regarding the elimination of child labour is the Beedi industry. According to a Government report it is observed that "Children are also noticed working in labeling and packing jobs in factories and in beedi rolling in homes, but their employment was not shown in the records, nor the employers of child workers admitted them as workers on the pretext that they were helping their parents"

The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act (CLPRA), 1986 bans employment of children in hazardous industries.

---

[5] (1991) SCC, 283: 1991 SCC. (L&S) 299.

GATT and WTO prohibits member nations, like the United States, from discriminating against the importation of goods made by children.

Article 24 of India"s constitution prohibits hazardous child labour. Additionally, various laws and the Indian Penal Code, such as the Juvenile Justice (care and protection) of Children Act-2000, and the Child Labour (Prohibition and Abolition) Act-1986 provide a basis in law to identify, prosecute and stop child labour in India.

Supreme Court replaced the liberal concept of Article 21 taken in ***Maneka Gandhi v. Union of India***[6], and ***Francis Coralie Mullin v. Union Territory of Delhi***[7], held that Article 21 included protection of health and strength of workers, men, women and tender age of children against abuse. According to the court, the opportunities and facilities for children to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and educational facilities are included in Article-1. In ***Peoples Union for Democratic Rights v. Union of India***[8], commonly known as "*Asiad workers case"*, it was brought to the notice of the Supreme Court that children below 14 years of age employed in the construction work. It was held that construction work is clearly a hazardous occupation and it is absolutely essential that the employment of children under the age of 14 years must be prohibited in every type of construction work. Referring to Article 24, Justice P.N. Bhagavathi and Justice Bahrul have held that "apart from the requirement of International Labour Organization Convention No.59, we have Article 24 of the Constitution which even if not followed up by the appropriate legislation, must operate "proprio vigore" and construction work plainly and indubitably a hazardous employment, it is clear that by a reason of constitutional prohibition no child below 14 years can be allowed to be engaged in construction work".

CONCLUSION AND SUGGESSTIONS:

Filled, but a fire to be lit, they should not be exploited by engaging them in employment in all necessary amentias and support so that they become responsible citizens of the nation and make the world a happier place to live in. Therefore all globalization, liberalization, modernization and privatization processes must have an element of humanization so that thehuman rights of children in the form of child labour can be checked and minimized. Efforts should be made from our dwelling places, by active participating of the family and society. This requires sensitization of people through dissemination of child awareness programs. Here the role of NGOs, IGOs, and other social organizations become very significant. An integrated effort on the part of Government as well as on the other actors (e.g. social organization, IGOs,

---

[6] AIR, 1978, SC 597; 1978 (I SCC 248)

[7] (1981) I SCC p.608

[8] AIR 1982 SC 1473: (1982) 3.SCC 235; 1982 SCC (L & S) 275.

NGOs, society as whole, etc.) is required to be carried on in order to combat the menace of child labour.

BIBLIOGRAPHY:

1. AHMAD, M : Child labour in Indian politics. (Kalpaz Pub. Delhi, 2004)
2. ALSTON, P Ed : Best interests of the child. (Clarendon Press, Oxford 1994)
3. ANANDHARAJA KUMAR, P: Female child labour. (A P H Pub. House, New Delhi,2004)
4. ANKER, R & MELKAS, H : Economic incentives for children and families to eli minate or reduce child labour. (International Labour Organization, Geneva 1996)
5. ANKER, Richard and Ors. Ed. : Economics of child labour in hazardous Industries in India. (Centre for Operation Research and Training, Baroda 1998)
6. ARIMPOOR, Joe: Street children in Madras. (V V Giri, National LabourInstitute, Noida 1992)
7. BAHARA, D S: Child labour : Dimensions and issues . (Cyber Teh Pub, New Delhi, 2008)
8. BAROOAH, P: Working children in Urban Delhi. (Indian Council of Child Welfare, Delhi 1977)
9. BEQUELE, A & MYERS, W: First things first in child labour.(International Labour Office, New Delhi 1995)
10. BEQUELE, Assefa And BOYDEN, Jo Ed.: Combating child labour.(International Labour Office, Geneva1988)
11. BHAKHRY, Savita (Dr.) : Children in India and their rights. (National Human Rights Commission, New Delhi, 2006 p 46)
12. BHARGAVA, Gopal : Child labour. 2 vols, (Kalpaz Pub. Delhi, 2003)
13. BHARGAVA, Pramila H.: Elimination child labour, whose responsibility? (Sage Pub. New Delhi, 2003)
14. BHAT, Preeti, : Children at risk. (Childline India Foundation, Mumbai 2008)
15. BURRA, Neera : Born unfree : Child labour edu cational state in India: An omni bus comprising Weiner, Burra and Bajbai"s books.(Oxford Univ Press. New Delhi 2006)

WEBSITES:

1. www.soas.ac.uk/research/rsa/journalofgraduateresearch/edition-2/file58286.pdf
2. www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id
3. www.**un**.org/ar/events/childlabourday/pdf/Hague_Report.pdf
4. www.unicef.org/protection/files/child_labour.pdf

भारतीय समाज-व्यवस्था में दलितों की स्थिति : एक मूल्यांकन

*मिथिलेश कुमार**

भारतीय समाज एक रेखीय समाज नहीं है, यह अनेक वर्णों, जातियों, उपजातियों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों में विभाजित है। अपनी पुस्तक 'भारतीय समाज' में श्यामचरण दुबे ने लिखा है कि "भारतीय समाज बहुत पुराना और जटिल है, प्रचलित अनुमान के अनुसार पाँच हजार साल की पहली ज्ञात सभ्यता के समय से आज तक लगभग पाँच हजार वर्षों की अवधि इस समाज में समाहित है। इस लम्बी अवधि में विभिन्न प्रजातीय लक्षणों वाले और विविध भाषा–परिवारों के अप्रवासियों की कई लहरें यहाँ आकर इसकी आबादी में घुलमिल गई और समाज की विविधता, समृद्धि और जीवंता में अपना–अपना योगदान दिया।"[1]

विभिन्न प्रजातियों का बाहर से इस भू–भाग में प्रवेश यहाँ की संस्कृति में भी कुछ न कुछ बदलाव करता रहा है। यहाँ जितनी भी प्रजातियों का प्रवेश हुआ उनमें सबसे अधिक आर्य प्रजाति ने संस्कृति को प्रभावित किया है। जाति–व्यवस्था आर्य प्रजाति की ही देन है, इसने पूरी भारतीय समाज की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। भारतीय समाज में जाति की महत्ता को रेखांकित करते हुए अपने महत्त्वपूर्ण आलेख पत्र "जाति प्रथा उन्मूलन" में डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है कि "....चाहे आप किसी भी दिशा में देखें, जाति एक ऐसा दैत्य है, जो आपके मार्ग में खड़ा है, आप जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे, आप न कोई राजनीतिक सुधार कर सकते हैं, न कोई आर्थिक सुधार।"[2] जहाँ डॉ. अम्बेडकर ने जाति को भारतीय समाज के लिए दैत्य मानते हैं, वहीं "ए.आर. देसाई ने इसे समाज का एक लौह ढ़ाचा कहा है, जिस पर ही समाज की बुनियाद टिकी है।"[3]

इरवती कर्वे ने अपनी पुस्तक 'किनशिप आर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया' में भारतीय समाज को समझने के लिए तीन चीजों को अनिवार्य माना है कर्वे के अनुसार– "भारतीय संस्कृति के किसी भी तत्व को समझने के लिए तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं, ये हैं भाषागत प्रदेशों का गठन, जाति – व्यवस्था और परिवार संगठन।"[4] गेल ओमवेट अपनी किताब 'दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति' में एक सन्दर्भ देते हुए भारतीय समाज पर लिखती हैं कि "हिन्दुस्तान एक अजीब जगह है, जिसमें हर प्रकार के सामाजिक समूह है, जो विभिन्न धर्म विचारों प्रचलनों तथा तरह–तरह की सूझ–बूझ से विभाजित है, लेकिन मोटे तौर पर यदि कहें तो इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला भाग नीची जातियों के बहुमत का है जो शताब्दियों से अपमानित होते रहे हैं। दूसरा थोड़े से मुट्ठी भर लोग जो सारा आनन्द प्राप्त करते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं और बहुमत की कीमत पर जीते हैं, एक का कल्याण दूसरे की आपदा है और यही इसका पारस्परिक सम्बन्ध है।"[5] यह शताब्दियों से अपमानित होने वाले कौन लोग हैं निःसंकोच यह दलित वर्ग है। कान्चा इल्लैया अपनी पुस्तक *हिन्दुत्व मुक्त भारत* में लिखते हैं कि "भारत में मुख्यतः दो वर्ग हैं पहला उत्पादक वर्ग और दूसरा परजीवी वर्ग। परजीवी वर्ग का जीवन उत्पादक वर्गों मे श्रम पर निर्भर करता है। 'ब्राह्मण संस्कृति सभी परजीवी संस्कृतियों की माँ है।' मनुष्य जाति में ब्राह्मण ताकतों ने परजीविता को ज्ञान के रूप में स्थापित कर लिया और परजीवी प्रक्रियाओं में कार्यकारी तंत्र के रूप में संस्कृति की रचना की। यहाँ पर संस्कृति सघन मानवीय अंतःक्रिया का माध्यम नहीं है, बल्कि अलगाववाद, अवमानना और मानव तत्व से बलात्कार का उपोत्पाद है।"[6] यह उत्पादक वर्ग कौन है।

* **शोधार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली**

1955 में डॉ. अम्बेडकर ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि "भारत में विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है वर्णव्यवस्था और उससे उत्पन्न जातिवाद। उस व्यवस्था में जो ब्राह्मणों द्वारा निर्मित की गई है, व्यक्ति में बुद्धि का कोई मूल्य नहीं है, इसमें वैचारिक स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है जो जिस वर्ण जाति में पैदा हुआ है उसे उसी जाति में रहकर मरना होगा। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो लोगों को निर्जीव अपंग बनाकर उत्तम कार्यों के लिए असमर्थ बना देती है।"[7] भारतीय समाज के पिछड़ने का यह भी एक मुख्य कारण है। जातिवाद केवल दलितों की ही नहीं पूरे समाज की समस्या है, जब तक समाज में जातिवाद रहेगा कोई भी राष्ट्र पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता है। वैदिक युग, सामन्ती युग मुगलकाल बीता और भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन लागू हुआ। ब्रिटिश शासन में ही भारतीय समाज की कुछ जड़ताएँ टूटी वह भी अंशतः, देश आजाद होने के बाद भी वह जड़ताएँ, दलितों से घृणा, अस्पृश्यता, अपमान, पूर्णतः देश से खत्म नहीं हो पायी हैं।

"उन्नीसवीं सदी के अन्त में और 20वीं सदी के आरम्भ में दलित चिन्तकों ने वर्णव्यवस्था व जाति के वैचारिक आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिन्दू समाज की उस परंपरागत व्यवस्था और शास्त्रों का विरोध किया जो दलितों को समाज में सम्मान जनक स्थिति से वंचित करती है और उसको दूर करने के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष भी किया।"[8] यह संघर्ष काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन देश की मनुवादी शक्तियों द्वारा उसका (वर्णव्यवस्था–जातिव्यवस्था) भरण–पोषण आज भी हो रहा है। डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन के शब्दों में– "भारतीय समाज विविधताओं का समाज है, जहां आहार–विहार, रोटी–बेटी के रिश्ते, धर्म–जातियों के भेद, जन्म और मौत तक की यात्राएँ अपने ही जाति–समूहों में सीमित हो वहां समाज के सबसे ऊपरी स्तर का व्यक्ति सबसे निचली सीढ़ी के समाज के साथ अंतरंगता स्थापित कर लेता है, यह सामान्य बात नहीं है। गांधी जी की अपीलों और सुधारोंकों की कोशिशों के बावजूद स्वतंत्रता मिलने के इन 60 सालों में इस दिशा में प्रगति कम, दुर्गति अधिक हुई है।"[9] प्रो. टी.वी. कट्टमनी अपनी पुस्तक 'दलित साहित्य का समाज विज्ञान' में लिखते है कि "आजादी के बाद दलितों को क्या मिला? यह प्रश्न प्रश्न बनकर ही रह गया है। क्योंकि आजादी के बाद भी दलित आजाद नहीं हो पाये हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं, अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय दलितों की समस्याओं में प्रति चिंता व्यक्त की जा रही है। आज अंतराष्ट्रीय स्तर पर विकास के जितने सूचकांक हैं उन सभी की तुलना में भारत के वंचित वर्ग की आर्थिक, राजनीतिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। प्रति व्यक्ति की आमदनी गरीबी रेखा में नीचे की आबादी का अनुपात नगरीकरण तथा औद्योगीकरण की वृद्धि पर, कृषि विकास में जड़ता, पूंजी निवेश, आर्थिक दृष्टि से सक्रिय आबादी का जड़वत अनुपात, बेरोजगारी का लगातार बढ़ता बोझ, साक्षरता की दर एवं शिक्षा का स्तर तथा बिजली, पेयजल, सड़क, सिंचाई या यातायात जैसी सुविधाओं से हाशिये पर पड़े लोग आज भी वंचित हैं। इसके विपरीत इन्हीं लोगों को अत्याचार संगठित हमलों और सामूहिक जनसंहारों का शिकार बनाया जाता है। आर्थिक कमजोरी के कारण रोजगार की खोज में शिक्षित और अशिक्षित युवा पलायन करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा से वंचित और स्त्रियों पर सामूहिक बलात्कार की घटनाओं ने तो दलितों का जीवन नारकीय बना डाला है, यहाँ सोचने की बात है कि दलित आज की परिस्थिति में अपना जीवन किसी भी तरह गुज़ार रहे हैं।[10]

जबकि भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। संविधान के भाग चार अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि "राज्य जनता में दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"[11] लेकिन क्या ऐसी हमारी सरकारें कर पा रही हैं। नेशनल कैंपेन आन दलित ह्यूमन राइट्स (NSCDHR)

और भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ने अपने पर्चे "बजट 2017–18 एण्ड दी स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान फॉर शिडयूल्स कास्टस (SCP) और ट्राइबल सब प्लान (TSP)" में हकीकत को सामने रखा और बताया है कि "पिछले दो वर्षों में एससी/एसटी के लिए आवंटित धनराशि में 2 लाख 29 हजार 622.86 करोड़ की कटौती की गयी है।"[12] संविधान में विशेष प्रावधान तो किया गया है लेकिन यथार्थ कुछ इसी तरह का है। "दलित एक सामाजिक समूह के रूप में अभी भी निर्धन में भी निर्धनतम है। उनकी एक नगण्य संख्या ही गरीबी की सीमा से ऊपर उठ पाई है और राजनीतिक संरक्षण और आरक्षण जैसी राज्य की निश्चित नीतियों की मदद से खुद को समृद्धि में पर्याप्त स्तर तक ले जाने में सफल हो पायी है। फिर भी सभी दलित चाहे जो भी उनकी आर्थिक सफलता रही हो, सामाजिक सन्दर्भ में वे अभी प्रताड़ना भुगत रहे है। गांवों में जहाँ वह अपने अति क्रूर रूप में मौजूद है, वहीं आधुनिक क्षेत्रों में, शहरी जीवन में वह एक बहुत ही परिष्कृत रूप में सामने आती है।"[13] तमाम सकारात्मक सुधारों के बावजूद असमानता अभी भी जारी है। "अनुसूचित जातियां (एस.सी) भारतीय आबादी का 16.2 प्रतिशत का गठन करती है। यह सामाजिक समूह भारत के सबसे गरीब और दबे हुए तबके में शामिल है। इस समूह का अभाव जाति के दर्जे पर आधारित आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार तथा भेदभाव की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं, जिसमें नागरिक और सांस्कृतिक अधिकारों, संपत्ति का अधिकार शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण नियोजन से संबंधित ऐतिहासिक दमन शामिल हैं, के साथ जुड़ा हुआ है।"[14]

स्वतंत्रता के 70 साल बाद के भारत को अवसरों की समानता, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुनिश्चितता कराने वाला देश होना चाहिए था। जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक खाइयाँ न्यूनतम होतीं, जाहिर है वर्तमान हालात ऐसे नहीं हैं। एक ताजा आंकड़े आक्सफेम 2017 के मुताबिक भारत के एक फीसदी लोग देश के तीहत्तर फीसदी संसाधनों पर कब्जा जमाये बैठे हैं, ऐसे में समता समानता की अवधारणा यूटोपिया की तरह लगती है। यह गैर बराबरी न सिर्फ लोगों के लिए, बल्कि एक देश की सम्प्रभुता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आज भी इस देश की बहुसंख्यक आबादी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। वह अशिक्षा बेरोजगारी, बीमारी और आर्थिक विषमता जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। भारतीय समाज–व्यवस्था में ऐतिहासिक तौर पर उपेक्षित रहे दलित इसकी दोहरी मार झेल रहे हैं।

संदर्भ–

1- दुबे श्यामचरण– भारतीय समाज, NBT संस्करण 2015, पृ.– 1
2- बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर – सम्पूर्ण वांग्मय, खंड–1, सं.– 2016, पृ.– 66
3- ए.आर. देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि– मैकमिलन इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली सं. 2000, पृ.– 193
4- कर्व इरवर्ती – भारत में बंधुत्व संगठन (भूमिका से) हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
5- ओमवेट गेल– दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति, SAGE Publications India Pvt. Ltd. New Delhi Publciaintion in 2009 पृ.3
6- अइलैय्या कांचा– हिन्दुत्व मुक्त भारत दलित–बहुजन, सामाजिक अध्यात्मिक और वैज्ञानिक क्रांति पर मंथन SAGE Publications India Pvt. Ltd. New Delhi Publciaintion in 2017 पृ.–27
7- गुप्ता रमणिका– दलित चेतनाः सोच, नवलेखन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.– 79
8- मस्के साक्षान्त– परम्परागत वर्णव्यवस्था और दलित साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण– 2010, पृ.– 14
9- 'मीनू' रजत रानी– हिन्दी दलित कथा–साहित्य अवधारणाएं और विधाएं, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली–02, सं. 2010, पृ.– 31

10- कट्टीमनी टी.वी– दलित साहित्य का समाज विज्ञान, शिल्पायन प्रकाशन दिल्ली–32 पृ.– 206

11- आम्बेडकर डॉ. बी.आर.– भारत का संविधान, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली–63, संस्करण–2015, पृ.– 43

12- दास अशोक– दलित दस्तक (पत्रिका) अगस्त 2017

13- तेलतुमड़े आनंद– अम्बेडकर और दलित आन्दोलन, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्रा.लि. दिल्ली– 92, संस्करण– 2016 पृ.–52

14- थोरात सुखदेव– भारत में दलित एक समान नियति की तलाश, SAGE Publications India Pvt. Ltd. New Delhi Publciaintion in 2017 i`-& 148

मतदान व्यवहार का बढ़ता महत्व एवं बदलती सरकार

*रंजना कुमारी**

विगत चुनावों के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामाजिक आर्थिक व अन्य पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि भारत में राजनीतिक नेतृत्व का स्वरूप क्रमशः बदलता जा रहा है। उदाहरण के लिए पहलीवार चौथी और पांचवी लोकसभा की सदस्या पिछली लोकसभाओं से विचारणीय रूप से भिन्न रही।

प्रथम तीन राष्ट्रीय चुनावों में प्रौढ़ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त उस राष्ट्रवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहा, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि स्वाधीनता संग्राम के दौरान विकसित हुई थी। किन्तु नेहरू युग की समाप्ति के बाद राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन के लक्षण दिखने लगे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि वाले नेताओं की बहुलता तो व्याप्त अवश्य रही पर इनका संख्यात्मक प्रतिनिधत्व घटता गया। एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी रहा है कि खुद को किसान कहने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भी संकुंचित होती गयी। सामांजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, मजदूर नेताओ, पत्रकारों एवं शिक्षकों के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

शिक्षा की दृष्टि से भी प्रथम तीन लोकसभा जिसमें उच्च पश्चिमी शिक्षा प्राप्त प्रतिनिधियों की बहुलता थी, की तुलना में बाद में लोसभा में उपेक्षाकृत कम सुशिक्षित आते रहे हैं। प्रथम तीन लोकसभाओं में अधिकांश सदस्य आर्थिक दृष्टि से सुसम्पन्न रहे थें किन्तु बाद के चुनाव में सामान्य व मध्यम आर्थिक आधार वाले प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सातवीं और आठवीं लोकसभा में विशेष रूप से स्पष्ट हो आया है उसका सम्बंध प्रतिनिधियों की आयु से है।

1977 के आम चुनावों में छात्र आंदोलन का राजनीतिक पृष्ठभूमि लेकर युवा प्रतिनिधियों का एक वर्ग उभरकर सामने आया। पुनः 1980 के लोकसभा चुनावों में मुख्यतः संजय गांधी के नेतृत्व में युवा प्रतिनिधियों में ऐसे वर्ग उत्पन्न हुए जिसकी अपनी विशिष्ठताएं थी। 1984 के चुनावों में तो राजीव गांधी के रूप में युवा नेतृत्व चुनाव के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुददों में से एक था। इस चुनाव के बाद काफी बड़ी संख्या में युवा प्रतिनिधि निर्वाचित हुए।

2009 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की निष्पक्ष एवं इमानदार छवी सर्वाधिक मुद्दों में से एक था। इस चुनाव का मुख्य विशेषता यह रही है कि इसमें अच्छे–अच्छे अनुभवी नेता पराजय का मुंह देखना पड़ा तथा इसमें कुछ नये युवा पीढ़ी के नेता उभरकर आये। 2009 के लोकसभा चुनाव डा0 मनमोहन सिंह की निष्पक्ष एवं इमानदार छवि का मुद्दा था। इस चुनाव में काँग्रेस पार्टी सत्ता प्राप्त करने में सफल रही। 2014 के लोकसभा चुनाव नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर मत दिया।

सैद्धान्तिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह रहा है कि समाजवादी तथा मुखर रूप से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने वाले आदर्शवादी नेताओं की संख्या सिमटने लगी है। इसके फलस्वरूप ऐसा नेता उभरने लगा है जिसका क्षेत्रीयता के आधार पर सफल राजनीति करने में विश्वास बढ़ता जा रहा है। स्पष्ट रूप से वामपंथी नेतृत्व को अगर अलग करके देखा जाय तो वामपंथी और दक्षिणपंथी प्रवृत्तियों का अन्तर अब उत्तरोत्तर कमता जा रहा है।

इन समस्त परिवर्तनों में सबसे विवादास्पद परिवर्तन एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व का उत्पन्न होता है, जिसका अपराधिक तत्वों से उद्धेश्यपूर्ण सांठ–गांठ ही नहीं रहता बल्कि खुद भी असामाजिक कृत्यों में सक्रिय हिस्सेदारी करता है। राजनीति का अपराधीकरण के नाम से जाने

* **शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया**

वाली यह प्रवृत्ति पांचवी राष्ट्रीय चुनावों में पहली बार मुखरित हुई और उत्तरोत्तर विलक्षण रूप से प्रभावशाली सिद्ध होने लगी। 2004 तथा 2009 के चुनावों में ऐसी पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी आयी है और अनेक राजनीतिक नेताओं का अपराध जगत से सम्बन्ध बना रहता है।

चुनाव में धन और हिंसाः–

भारत में घोषित चुनाव खर्चो में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। भारत जैसे निर्धन राष्ट्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की राजनीति से प्रेरित होकर, मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए बेतहाशा व्यय करने वाले उम्मीदार व्यय राशि ही नहीं, वरन् अतिरिक्त लाभ की अपेक्षा रखते हैं। आर्थिक पदार्थवाद के प्रणेताओं की मान्यता रही है कि मानवीय अभिप्रेरणा की मूल प्रवृति आर्थिक होती है लेकिन मैकियावली तथा हाब्स जैसे विचारकों का कहना है कि सत्ता और अधिकधिक अधिकार की लिप्सा अपने आप में एक स्वतंत्र अभिप्रेरणा है। चुनाव सत्ता की इस ललक को वैधानिकता प्रदान करता है। सत्ता की अपनी इस लिप्सा को औचित्य प्रदान करने के लिए उम्मीदवार उचित अनुचित साधनों को भेद भुला देते हैं।

चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं की व्यापकता इस प्रवृत्ति का प्रमाण है। भारत में विगत दो दशकों से चुनावों में बाहुबल और अन्य हिसक तरीकों का प्रयोग काफी बढ़ा है गुंडो और असामाजिक तत्वों की सहायता से बूथ कब्जा करने की घटनाएँ कई राज्यों, खास कर बिहार व मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में आम हो चुकी है। विचारों पर शारीरिक शक्ति का इस आधिपत्य से राज्य की सत्ता क्षीण हुई है तथा वैधानिक रूप से स्थापित क्षेत्र को बल एवं नियंत्रण के अवैधानिक केन्द्रों के साथ काम करने को विवश कर दिया गया। हिंसा के बढ़ते हुए भूमिका से राष्ट्रीय कल्याण की प्राथमिकताओं की जगह धन एकत्रिकरण तथा अनैतिक ढंग से शक्ति प्रयोग की प्रवृत्तियों को बल मिला है।

बिहार में राजनीतिक व्यवस्था और उसका सामाजिक आधारः–

बिहार भारतीय संघ का संख्यात्मक दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी विकास की दृष्टि से पिछड़ें राज्यों में से एक है। इतिहासकारों की धारणा रही है कि विश्व के गणतंत्र की पहली किरण बिहार में लिच्छवी गणतंत्र के रूप में प्रस्फुटित थी। स्वतंत्रता के 67 वर्षो के बाद भी इस राज्य में सर्वागीण विकास का कोई सुस्पष्ट मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया है। अन्य संघीय इकाईयों की तरह बिहार भी एक संसदात्मक संघीय संरचना के रूप में क्रियाशील है। बिहार की एक उच्च सांस्कृतिक परम्परा रही है एवं यहां प्रचुर मात्रा में मानवीय एवं प्राकृतिक साधन उपलब्ध रहे हैं। पांच दशकों से भी अधिक समय से प्रजातांत्रिक राजनीतिक गतिविधियों के बावजूद यहां राजनीतिक संस्थाओं का सही अर्थो में विकास नहीं हो पाया है। यहाँ प्रजातांयिक संस्थाएं अपेक्षित मूल्यों एवं नियमों के अनुरूप विकसित नहीं हो पायी है कहा जा सकता है कि यहाँ की सम्पूर्ण व्यवस्था राजनीतिक संस्थापन के एक गंभीर संक्रमण दौर गुजर रही है।

1937 में राजनीतिक इकाई के रूप में उभरने के बाद भी बिहार के परंपरावादी सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। मानवीय एवं खनिज साधनों की प्रचुरता के बावजूद कृषि पर आधारित यहां की आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप सामंतवादी ही रहा। यहां शैक्षणिक विकास भी इतना मन्द रहा है कि उससे समाज के कुछ खास तबके के लोग लाभाविन्त हो पाए है। न सिर्फ परंपरागत मूल्य बल्कि अन्य सामाजिक नियम एवं लोक रीतियों में भी राजनीतिक विकास के सहज प्रक्रिया में हमेशा एक अवरोधक के रूप में कार्य किया है। बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में जाति सबसे प्रबल कारक के रूप में स्थित है।

बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका का सबसे प्रबल कारण यह हे कि बिहार की जनसंख्या का जातिगत संगठन विभिन्नतापूर्ण है। यहां मुख्य रूप से हिन्दू एवं मुसलमानों को मिलाकर 135 जातियां है तथा इसके अलावे अनेकों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

की विभिन्न जातियां भी यहां उपलब्ध है। सामान्य रूप से जातियां को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व एवं शुद्र के रूप में विभाजित करके समझा जाता है। किन्तु वर्तमान जटिल राजनीतिक एवं जातिय व्यवस्था को इस विभाजन के आधार पर सही रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है। नई राजनीतिक पर्यावरण में पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने की स्थिति प्रदान करके समाज में सामाजिक सम्बन्धों की एक नवीन व्यवस्था विकसित की है। वयस्क मताधिकार में समाज के हर तबके के लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की स्थिति प्रदान की है। जिससे राजनीतिक गतिविधियों में न सिर्फ चार जाति बल्कि सैकड़ों जातियां भिन्न–भिन्न रूप से सक्रिय रहती है। जाति के राजनीतिक गतिविधियों में विभिन्नतापूर्ण सहभागिता को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से पांच वृहद जातियों की चर्चा की जा सकती है। 1. उच्च जाति, 2. निम्न मध्यम जाति, 3. निम्न जाति, 4. अनुसूचित जाति, 5. अनुसूचित जनजाति।

उच्च जाति में मुख्य रूप से ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत एवं कायस्थ आते हैं। इनमें कर्मकाण्डीय एवं सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण को सर्वोच स्थान प्राप्त है तथा भूमिहार एवं राजपूत भूमिपति एवं मुख्य कृषक जाति है। कायस्थ यहां की सबसे अधिक शिक्षित जाति है। निम्न–मध्यम जाति में मुख्यतः यादव, कोयरी, कुर्मी एवं बनिया आते हैं यादव राज्य की सबसे बड़ी संख्या वाली जाति। बनिया, कोयरी, कुर्मी, यादव से संख्यात्मक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी राज्य की प्रमुख कृषक जातियों में से है। इसके अलावे बहुत सारी पिछड़ी जातियां निम्न जाति के अन्तर्गत आती है। चौथा जाति समूह अनुसूचित जातियों का है जो सामाजिक संरचना में सबसे नीये स्थित होते हैं। राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभी भी सामाजिक व्यवस्था की मुख्य धारा से अलग–थलग रहती है।

वैसे तो भारत के सभी राज्यों में राजनीति एवं जाति का एक गहरा सम्बन्ध प्रगट होता रहा है, किन्तु बिहार में यह संबंध अपने चरमोत्कर्ष पर है। 1937 के चुनाव से ही जाति एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थित रही है। प्रारम्भिक दौरा में राजनीति पर एक दो उच्च जातियों का ही वर्चस्व रहा। 1937 में बंगाल से अलग हाने के बाद यहां कायस्थों का राजनीतिक व्यवस्था पर पकड़ अधिक मजबूत हो गया। किन्तु धीरे–धीरे भूमिहार एवं राजपूत जो न सिर्फ संख्यात्मक दृष्टि से अधिक थे बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी सबल थे, राजनीतिक क्षेत्र में उतर पाए। इसी दौरान ब्राह्मणों के एक समूह ने भी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी प्रबल हिस्सेदारी एवं भागेदारी का अहसास दिलाना प्रारम्भ कर दिया।

चौथे आम चुनाव के बाद निम्न मध्यम जातियों को भी अपने संख्यात्मक शक्ति के राजनीतिक महत्व का अंदाजा लगा तथा वो भी राजनीतिक शक्तियों में अपनी सक्रिय भागीदारी का प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसी का परिणाम है कि राज्य की राजनीति पर अबतक चली आ रही उच्च जाति की प्रभुता अचानक खत्म हो गयी। वास्तव में चौथा आम चुनाव राज्य की राजनीति में जातियों के राजनीतिक गतिशीलता का सबसे ऐतिहासिक घटना थी। निम्न मध्यम जाति को 'कृषक संरक्षक' जाति माना जाने लगा। 1972 की आम चुनाव ने ''निम्न मध्यम जाति'' में इस भावना को और भी तीव्र कर दिया।

1978 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कप्रूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के मुद्दे को उठाकर राज्य में उच्च जाति एवं पिछड़ी जाति को और भी तीव्र कर दिया। पहले जहां मात्र निम्न मध्यम जाति को लोग (यादव) इसमें शामिल थे वहां अब निम्न जाति के सभी लोग इसमें सक्रिय योगदान देने लगे।

1990 में बिहार में लालू प्रसाद की सरकार बनी। श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ों दलितों तथा अकलियतों को संगठित करके अपना जनाधार काफी मजबूत किया और 15 वर्षो तक लालू एवं राबड़ी की सरकार बिहार में रही। परन्तु श्री लालू प्रसाद एवं श्रीमति राबड़ी देवी जनता के अरमानों को पूरा नहीं कर सके। जनता में असंतोष फैला। श्री नीतिश कुमार ने पिछड़ों एवं

दिलतों को संगठित किया तथा इनके बल पर और विकास के मुद्दों के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री बने।

मतदान व्यवहार के विभिन्न पक्षों से संबंधित अध्ययन विभिन्न देशों में होते रहे हैं। इस प्रकार के अध्ययनों की शूरूआत संभवतः अमेरिका से हुई। बाद में अन्य पश्चिमी देशों में भी इस प्रकार के अध्ययन किए जाने लगे। इस अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य उन कारकों को खोजना था जिनसे मत व्यवहार प्रभावित होता है। भारत में मत व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन काफी विलम्ब से शूरू हुआ। विगत तीन दशकों से इस क्षेत्र में कुछे प्रयास हुए हैं। लेकिन भारत जेसे विश्व के विशालतम प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए फिर भी वे कम हैं।

निष्कर्ष– निष्कर्षतः कहा जा सकता हैं कि प्रजातंत्र में मतदान व्यवहार के द्वारा सरकार गठन कर एक राफल संचालन का अचूक हथियार हैं जिसके बदौलत बड़ी–से–बड़ी सरकार को सत्ता से बाहर एवं साधारण या निर्धन व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर बैठाया जा सकता हैं, यहाँ अमीर एवं गरीब के मानने इस व्यवहार में नहीं रखे जाते। परन्तु बिहार के संदर्भ में जातिगत प्रेरणा ने मतदान व्यवहार को अपने सांचे में ढाल लिया हैं, जो एक विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं हैं। आज गुणात्मक शिक्षा के अभाव के कारण लोगों में पारदर्शिता के साथ मतदान करने की प्रेरणा में कभी आयी हैं आज धन, बाहुवल एवं जातियता के बढ़ते प्रभाव के कारण निश्पक्षता का अभाव दिखने लगा हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहिद हुए शहिदों के परिवार एवं उससे जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों की सोच कराहती नजर आ रही हैं, इसका मूल कारण गुणात्मक शिक्षा का अभाव एवं बढ़ती बेरोजगारी हैं। अतः कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार सत्ता परिवर्तन का अचुक हथियार है, जिससे सरकार को बदलकर विकास की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता हैं।

संदर्भ सूची

1. स्टेसी बी0 : पॉलिटिकल सोशलाईजेशन इन वैस्टर्न सोसाइटी, न्यू देल्ही, अर्नोल्ड–हीनमैन, 1978.
2. बविष्कर, बी0 एस0 : सोशियोलॉजी, ऑफ पॉलिटिकल इन ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी एण्ड एन्थ्रोपोलॉजी, खण्ड11 बम्बई, पॉपुलर प्रकाशन, 1974
3. एम0 जहोदा एण्ड अदर्स : रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन्स, 1959.
4. कैसल्स, एफ. सी. : पॉलिटिक्स एण्ड सोशल इन्साइट, लन्दन, रोटलेज एण्ड कीगन पाल, 1971.
5. पी. एच. प्रभु : हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन

स्वास्थ्य संरक्षण और ग्रामीण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

*संतोष कुमार**

महिलाएं सदैव से ही पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का आधार रही हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी सशक्त, प्रभावशाली और सुदृढ होती है, समाज उतना अधिक उन्नत सभ्य और प्रगतिशील होता है। अनेक ऐतिहासिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से भारतीय समाज में महिलाओं विशेशकर ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति कमजोर बनी हुई है तथा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में भी उनकी स्थिति पुरूशों की तुलना में निम्नतर बनी हुई है। इस देश की कुल आबादी का लगभग आधा भाग होने के बावजूद महिलाएं तुलनात्मक रूप से वंचित होने की समस्या से घिरी हुई हैं। ग्रामीण महिलाएं न केवल गरीबी बल्कि बहुविध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं की शिकार हैं।

बीसवीं शताब्दी के आरंभ से ही जन–स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रापात हुआ, जिसके तहत् आजकल अस्वस्थ व्यक्ति के साथ ही स्वस्थ व्यक्तियों पर भी अध्कि ध्यान दिया जाता है ताकि वे बीमार न हों। अतः अब **जन–स्वास्थ्य** नर्सिंग के स्थान पर **'सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग'** शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के अन्तर्गत जन–स्वास्थ्य भी सम्मिलित है, लेकिन समुदाय की व्यापक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पहचानना एवं ज्ञात करना तथा स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण से सम्बन्धित विकास योजनाओं में समुदाय को सम्मिलित करना भी मुख्य बात है।

'अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन' के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने और उसकी सुरक्षा करने में प्रयुक्त नर्सिंग कार्य एवं जन–स्वास्थ्य कार्य का संश्लेषण है। इस कार्य का प्रकार सार्वजनिक और व्यापक है। यह न तो किसी उम्र समूह और न ही निदानसूचक तथ्यों तक सीमित है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है न कि सिपर्फ प्रासंगिक। सम्पूर्ण समुदाय के लिये यह एक प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिये व्यक्तियों, परिवारों या जन–समूहों के लिये निर्देशित नर्सिंग सम्पूर्ण समुदाय के स्वास्थ्य में एक योगदान है। स्वास्थ्य उन्नति, स्वास्थ्य रख–रखाव, स्वास्थ्य शिक्षा, सहयोगात्मक रूख और देखभाल की निरंतरता, ये सभी बातें परिवार, जन–समूह और समुदाय तक उत्कृष्ट पहुंच मार्ग हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के कार्यों की रूपरेखा निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित की हैः

1. प्रत्येक परिवार को व्यापक नर्सिंग देखभाल प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना।
2. पारिवारिक जीवन को स्वस्थता प्रदान करने और व्यक्तिगत या पारिवारिक विकास एवं स्व–अनुभूति को बढ़ाने के लिये एक माध्यम के रूप में नर्सिंग का उपयोग करना।
3. बीमारी का आरंभिक निदान और रोकथाम तथा बीमारी के प्रभावों को कम करने के लिये देखभाल प्रदान करके बीमारी के नियंत्राण में भाग लेना।
4. स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजनाओं और नर्सिंग पहलुओं को लागू करने के लिये अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के साथ विशिष्ट परिवेश में कार्य करना।
5. नर्सिंग देखभाल के लाभों को बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं से इनका सम्बन्ध स्थापित करने के लिये जनसमुदायों हेतु नर्सिंग सेवा की योजना बनाना और उनका मूल्यांकन करना।

* **समाजशास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

6. सर्वेक्षण, अध्ययन और अनुसंधान द्वारा नर्सिंग एवं स्वास्थ्य देखभाल से सम्बन्धित ज्ञान के प्रचार–प्रसार में योगदान देना।
7. संगठनों और समुदायों के निर्णयों में सहयोग प्रदान करना।

समुदाय :–

समुदाय एक सामाजिक समूह है जो भौगोलिक सीमाओं एवं सामान्य मानदण्डों और रूचियों द्वारा निर्धरित होता है। इसके सदस्य एक दूसरे से भली–भांति परिचित रहते हैं और सहयोगात्मक रूख से कार्य करते हैं। समुदाय के कार्य एक विशिष्ट सामाजिक संरचना के अनुरूप होते हैं जिसमें कुछ मानदण्ड, नैतिक मान्यताएँ एवं सामाजिक प्रथाएँ बनती एवं प्रदर्शित होती है।

स्वास्थ्य :–

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार हैः फ्स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति।य इसमें एक और बात भी जोड़ी जा सकती है वह आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, इससे मनुष्य का जीवन अध्कि पूर्ण बनता है।

नर्सिंग :–

स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से किये गये सेवा कार्यों को ही नर्सिंग कहा जाता है।

नर्सिंग का उद्देश्य रोगी की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करना है। नर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों, परिवारों या सामुदायिक समूहों को स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याओं से उत्पन्न स्थितियों एवं परिवेश के अनुसार देखभाल प्रदान की जाती है।

नर्सिंग के द्वारा रोगी को उन उचित एवं अनुकूल परिस्थितियों में रखा जाता है जिनसे वह प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहे। इसके द्वारा रोगी को सुझावित उपचार लेने और नर्सिंग सहयोग से शीघ्र मुक्त होने में सहायता होती है।

व्यावसायिक प्रयास के कार्यक्षेत्रा के रूप में नर्सिंग का लक्ष्य व्यक्ति को स्वस्थता प्राप्त करने, उसे बनाये रखने और उसमें वृद्धि करने से सम्बन्धित है। यह व्यवहार, पारस्परिक कार्य और कार्यपालन व कार्यवाही की प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर्स समुदाय को उनके दैनिक कार्यों को करने और जीवन के दौरान विशिष्ट बिन्दुओं पर होने वाली बीमारियों का सामना करने के लिये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करती है।

'वर्जिनिया हेन्डरसॅन' के अनुसार नर्सिंग की विचारधरा या परिकल्पना इस प्रकार हैः– फ्नर्सिंग मुख्य रूप से उन कार्यों को करने में बीमार या स्वस्थ व्यक्तियों की सहायता करना है जो उनके स्वास्थ्य या सुधर में सहायक हों ताकि यदि उनमें आवश्यक शक्ति, इच्छा या ज्ञान हो तो वे बिना सहायता के कार्य कर सकें। उन व्यक्तियों को जितना शीघ्र संभव हो उतना शीघ्र उपरोक्त प्रकार की सहायता से मुक्त कराने में नर्सिंग का उसी प्रकार विशिष्ट योगदान भी है।

इस कार्य से जो व्यक्ति सम्बन्धित है, वह नर्स है, जो अचेतन के लिये चेतना, आत्मघाती के लिये प्रेम, अपंग के लिये अंग, हाल ही में हुए दृष्टिहीन के लिये दृष्टि, नवजात के लिये गति का साध्न, युवा माताओं के लिये ज्ञान एवं विश्वास का भंडार, मूक के लिये आवाज का स्रोत तथा इसी प्रकार और भी कई रूपों में सहायक होती है।

महिला प्रधनता वाले व्यवसायों में अध्यापन एवं नर्स व्यवसाय प्रमुख माने जाते हैं क्योंकि नर्स व्यवसाय भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं अहम् भूमिका निर्वाह करता है, जो पवित्रा व्यवसाय है। भले ही नर्स व्यवसाय को परिचर्या के कारण अ(व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि यह पूर्ण व्यवसाय की सेवा की शर्तों की पूर्ति नहीं करता है। निःसन्देह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में संलग्न कर्मियों में स्वाभाविक रूप से

मानवीय सेवाभाव निहित होता है। नर्स उन्हीं में से एक है, जिन्हें दोहरी भूमिकाएं निभानी पड़ती है– एक परिवार की तथा दूसरी चिकित्सा–स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय की। दोहरी भूमिका निभाने की वजह से भूमिका संघर्ष तथा तनाव जनित स्वाभाविक ही है। क्योंकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी नर्सिंग सेवाओं में अत्यधिक समय देते हुए शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम भी करना पड़ता है जिससे उन्हें गृह कार्यों को करने, यहाँ तक की पति परिजनों तथा बच्चों की ओर ध्यान देने व सोचने का भी समय नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि उनकी सामाजिक तथा व्यावसायिक समस्याएँ अध्कि होती हैं। पिफर भी वे दोहरे व्यक्तित्व का निर्वाह अत्यन्त निष्ठापूर्वक सेवाभाव के साथ पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन में समन्वय स्थापित करते हुए करती हैं। उल्लेखनीय है कि नर्सों का कार्य अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। चिकित्सक, नर्स, नर्स–मरीज तथा नर्स–अनुचर सभी को त्वरित एवं अच्छी से अच्छी सेवाएं देने में सदैव ही नहीं बल्कि प्रतिक्षण व प्रतिपल तत्पर रहती हैं। यहां तक कि चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सन्दर्भ में आपात सेवाओं में स्वयं कष्ट पाते हुए व्यावसायिक सहयोग, समन्वय तथा सहानुभूति के साथ अच्छी से अच्छी तथा श्रेष्ठतम सन्तुष्टि प्रदान करने का अध्कितम प्रयास करती हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यावसायिक एवं सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन और सन्तुलन–समन्वय बनाए रखना नर्सों की एक चुनौती अवश्य है।

हिस्टरी ऑपफ नर्सिंग :–

एक व्यवसाय और ज्ञान की शाखा के रूप में नर्सिंग का विकास '1907' में मैरी एडिलेड नटिंग और 'लेविइनिया डाक' द्वारा दो भागों में रचित ग्रन्थ 'ए हिस्टरी ऑपफ नर्सिंग' के साथ हुआ है। इसके पश्चात् अकेले 'लेविइनिया डाक' द्वारा सम्पादित दो भाग जिनका शीर्षक था। 'द इवेल्युशन' ऑपफ नर्सिंग सिस्टम प्रफाम द इअर इस्ट टाइम टू द पफाण्डेशन ऑपफ द पफास्ट इंग्लिश एण्ड अमेरिकन ट्रेनिंग स्कूल्स पफार नर्सेस, 1912' में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक की उत्तरी अमेरिकन लेखिकाएं जिनका जन्म 1858 में फ्रलोरेन्स नाइटेंगेल केस्कूटारी से प्रस्थान के दो वर्ष पश्चात् हुआ। कापफी अनुभव वाली दो दो सुयोग्य रजिस्टर्ड नर्सें थीं। ये महिलायें नर्सिंग ग्रेजुएट थी। 1850 में स्थापित पहली विश्व विद्यालयी प्रशिक्षण संस्थान 'जॉन हाकिन्स ट्रेनिंग स्कूल' की संस्थापक थी जो कि कोलम्बिया में था जिसमें उन्होंने कापफी समय तक सेवायें दी। निटिंग और डाका नर्सेस नर्सिंग कार्यों के लिए सक्रिय थी। इन्होंने समाज में नारी के समान अध्किारों के लिये आवाज भी उठायी।

नर्सें दयावृत्ति और तकनीशीयन के नाम से जानी जाती है जो केवल नर्स ही नहीं बल्कि समाज सेविका के रूप में कार्य करती हैं। नर्सेस सिपर्फ मरीजों की सेवा हीं नहीं बल्कि उन्हें दवा देना व उनकी प्रतिक्रिया पर आपातकालीन सेवा देना व उपचार करना भी था। नर्सों को मरीजों की जाँच देखभाल और विभिन्न प्रकार की जाँचों के सम्बन्ध के सहभागी बनने के लिये प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि उपचार की गारण्टी डाक्टर की ही थी। दवाओं को देने व जारी करने की जिम्मेदारी नर्सों को दी गई। अध्ययन से यह पता चलता है कि परीक्षण के लिये रक्त देने व विभिन्न प्रकार के एच.आई.वी. व आई.बी.इन्जेक्शन देने में उनका कार्य संतोषजनक व सुरक्षित पाया गया जो कि चिकित्सकीय कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति के बराबर था। यह क्लीनिक नर्सें ही थी जो यह देखती थी कि डाक्टर के पास पर्याप्त सामान उपलब्ध है और रोगी प्रतिक्षारत तो नहीं है। उपरोक्त कार्य के अलावा उपचार के सामाजिक पक्ष पर जोर दिया गया जिसमें नर्सों का कार्य रोगी की बात को संवेदनपूर्वक ध्यान से समझना सुनना थी।

1952 में यौन रोग विशेषज्ञों के एक समूह ने नर्स और एलामोनर्स की भूमिका के सम्बन्ध में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में एक प्रश्नावली का कार्य किया। ब्रिटिश कार्य में यह जारी किया गया कि बी.डी. नर्सें सभी सामाजिक कार्य का भी वहन करेंगी। यह भी कहा गया कि नर्सें स्वास्थ्य सेवा के रूप में इस कार्य को करने में ज्यादा सक्षम है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल अंजुला :— नर्सेस पेशेन्टस रिलेशनशिप, चेतना प्रकाशन, मेरठ 1992
2. एलेन हैन कोहेन (एडीटर) :— नर्स केस मैनेजमेंट इन द ट्वेन्टी पफर्स्ट सेन्चुरी, एलसाइवर साइंस डिवीजन 1996
3. एलिनर ग्रीन :— क्लीनीकली प्रैक्टिस गाइडलाइन्स फॉर द एडल्ट पेशेन्टस
4. बोस आरा. एण्ड :— मिडवाइपफरी इन इण्डियाः पास्ट, प्रेजेन्ट एण्ड फ्रयूचर, डब्लू. डब्लू. प्रक्सम्मा एम. चैट, आरग / पब्लीकेशन्स 2006
5. डीबोराह् के.जेसटॉकी :— एलसाइवर साइंस हेल्थ डिवीजन 1989

बाल गंगाधर तिलक का गृहशासन आंदोलन में योगदान

*अंचला सिंह**

भूमिका–विदेशी दासता से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने तथा भारत के नव निर्माण में प्रयत्नशील राष्ट्र निर्माताओं की अगली पंक्ति में जिन महापुरूषों की गिनती होती है, उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। इनके स्वराज्य आंदोलन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।

संक्षिप्त जीवन परिचय – देश में स्वतंत्रता की बहती बयारों में बाल गंगाधर तिलक की जन्म जुलाइ 1956 को महाराष्ट्र के रत्नागीरी स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर पंत था, वे शिक्षा विभाग में काम करते थे, तथा माता का नाम पार्वती देवी था। 1866 में उन्हें पुना के स्कूल में भर्ती कराया गया। ये तीव्र प्रतिभा के बालक थें। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। 20 वर्ष की अवस्था में बी.ए. तथा 23 वर्ष में इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की 1880 में उन्होंने चिपलुणकर के साथ मिलकर पुना में न्यू इंगलिश स्कूल की स्थापना की। सन् 1881 में पत्रकारिता का रूख किया और मराठा तथा केसरी समाचार पत्र की स्थापना हुई। इन्होंने पत्रों के माध्यम से जग जागरण का काम शुरू किया तथा देशी रियासतों का भी पक्ष प्रस्तुत किया। 1893 में उन्होंने ''गणपति'' उत्सव तथा 1895 में ''शिवाजी'' उत्सव को आरंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य तथा हिन्दुओं में निर्भयता को लाना था।

तिलक की रचनाएँ–बालगंगाधर तिलक केवल एक आंदोलनकर्ता ही नहीं थे बल्कि प्रकाण्ड पंडित, विद्वान भी थे। उनके प्रसिद्ध रचना ''केसरी'' और मराठा ज्वलंत उदाहरण है। केसरी के माध्यम से उन्होंने लगभग 40 वर्षो तक जन जागरण का काम किया। उन्होंने तीन प्रसिद्ध ग्रंथों का भी विमोचन किया है। 1. द ओरयिन, 2. द आर्कटिक होम, 3. द वेदाज। ''गीता के रहस्य'' से उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धी मिली। जब वे गीता का रहस्य पुस्तक लिख रहे थे। तो उससमय उन्हें मांडले जेल का कारावास का सजा मिला था। गीता का रहस्य जेल में रहकर लिखा। पुरे 900 पृष्ठों की रचना है जो कि गीता रहस्य के नाम प्रसिद्ध हुई। 1914 में जब वे जेल से मुक्त हुए तो पुनः राजनीति में सक्रिय हो गयें। वे श्रीमती एनी बेसेन्ट के होमरूल आंदोलन में शामिल हो गये। पुरे 9 वर्षों के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए। ऐसे महान नेता की मृत्यु आकस्मिक बीमारी से 21 जुलाई 1920 को बम्बई में हुआ।

तिलक की स्वराज्य की धारणा–तिलक ने स्वराज्य की धारणा को जन–जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बनाया। उन्होंने ही स्वराज्य की सर्वप्रथम व्याख्या की। 1916 के लखनउ कांग्रेस अधिवेशन में एक नारा दिया ''स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा''। तिलक ने स्वराज्य का अभिप्राय बताया है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथ में हो ना कि किसी ब्रिटिश या जर्मन के हाथ में। तिलक की कल्पना थी कि स्वराज्य के अंतर्गत देश का राजनीतिक ढ़ांचा संज्ञानात्मक होगा, वे लोकतंत्र स्वराज्य के हामी थे। क्योंकि वे तत्कालिन, सम्पूर्ण शासन प्रणाली को ही बदल लेना चाहते थे। वे कहते थे कि स्वराज्य का अर्थ कुछ थोड़े से उच्च वेतन वाले पदों को प्राप्त कर लेना ही नही है, बल्कि ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जनता के प्रति सचेत रहे तथा कार्यपालिका को अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझें, टी. बी. पार्वते के कथनानुसार ''तिलक भारतीय स्वराज्य को लोकतांत्रिक स्वराज्य के रूप में देखते थे।'' उनके शब्दों में ''यदि स्वराज्य नहीं मिला तो भारत समृद्ध नहीं, हो सकता''।

***(शोधकत्री) राजनीति विज्ञान विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोध गया**

स्वराज्य से संबंधित कार्यों को करने के लिए वे होमरूल आंदोलन में शामिल हुए, उन्होंने कई शांति सम्मेलन में अपने बातों को रखा जैसे –

1. ऐशिया की शांति और सम्पूर्ण विश्व की शांति की दृष्टि से यह नितांत आवश्यक है कि भातर को आंतरिक रूप में ''स्वशासन'' प्राप्त होना चाहिए।
2. किसी भी समय राष्ट्र के उपर उसकी सहमति के बिना किसी अन्य राष्ट्र का शासन नहीं होना चाहिए।
3. भारत अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए स्वशासन की मांग करता है।
4. राष्ट्रसंघ में भातर को वही अधिकार दिया जाये जो अन्य ब्रिटिश अधिराज्यों को प्राप्त है।

लोकमान्य तिलक एक महान् सामाजिक एवं राजीनतिक विभुति थें। उनका केवल होमरूल आंदोलन, स्वराज्य के मांग में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जागरण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। शिरोल ने तिलक को भारतीय चेतना का जनक कहा। तिलक एक शिक्षा शास्त्री भी थें, उन्होंने मातृभाषा को व्यवहार में लाने पर पुरा जोर लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपना विद्यालय खोलना चाहिए तथा अपनी मातृभाषा को भी व्यवहार में लाना चाहिए। तिलक में राजनीतिक यर्थाथता की गहरी सूझ–बुझ थे, वे कोरे आदर्शवादी नहीं थें। लखनऊ का समझौता, स्वराज्य से संबंधित कार्यों की घोषण इन सबसे यह प्रमाणित होता है कि तिलक में अपने समय की समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने की प्रतिभा थी।

संदर्भ ग्रंथ सूचि

1. डा. टी.बी. पार्वते – ''बाल गंगाधर तिलक''
2. डा. बी. एल. फाड़िया – ''राजनीतिक विचारक''
3. जैन एवं कुलश्रेष्ठ – हिन्दी निबंध पुस्तक
4. डा. आभा सिंह – भारत के गौरव तिलक

स्वातंत्र्योत्तर पूर्व बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि

*अनिता कुमारी**

स्वातंर्त्योत्तर पूर्व भारतीय राजनीति विचारधाराएं एवं औद्योगिक और राजनीतिक क्रांतियों ने यूरोप के अलग–अलग देशों में जिस नव युग का प्रारंभ किया बिहार राज्य भी उससे अछूता नहीं रहा, अंग्रेजों और भारतीयों के संपर्क से भारतीय राजनीति को विशिष्ट दिशा में मिली सन 1857 की क्रांति से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति लगभग विश्रृंखलित हो गई थी, राजनीतिक समता के अभाव में मुगल साम्राज्य अपने पतन की प्रतीक्षा कर रहा था अपनी महत्वाकांक्षा के कारण राजा पर युद्ध तक सीमित हो गए थे के नैतिक एवं चारित्रिक पतन का एक कारण उनका व्यक्तिगत रूप से भोग –विलास में लिप्त का भी था अंग्रेज व्यापारी कंपनियों ने भारत आगमन के पश्चात इस स्थिति बहुत अच्छी तरीके से समझा तत्पश्चात 1833 ई० में लॉर्ड विलियम बैंटिक को भारत का पहला गवर्नर अंग्रेज गवर्नर जनरल बनाकर ब्रिटिश शासन ने भारत में राजनीतिक प्रभाव जमाना शुरू कर दिया जिसका परिणाम सन 1857 का जन विरोधी था। अंग्रेजी शासक के समर्थक देशी राजाओं के सहयोग के अभाव में यह जन विरोध और असफल रहा, परस्पर फूट एवं आपसी सहयोग के अभाव में जन विरोध की दबी चिंगारी के परिणामस्वरूप ही ब्रिटेन के शासक ने भारत की शासन को अपने हाथों में ले लिया लेकिन विद्रोह की चिंगारियां जनसामान्य के अंदर सुलगती रही जो समयावसार पाने पर विद्रोह का रूप लेने को तैयार बैठी थी देसी राजा अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन संचालित होने लगे थे। भी सरकार कठोर अनुशासन व्यवस्था पुलिस के अत्याचार तथा सरकारी करो से त्रस्त जनता में विद्रोह की अग्नि सुला कर रही थी भारतीयों को उच्च सरकारी नौकरियों से वंचित करने के कारण शिक्षित मध्यवर्ग में भी असंतोष फैलने लगा था अंग्रेजी सरकार की यही नीति ने भारत के विभिन्न राज्यों को असंतुष्ट होने का एहसास कराया और इस दमनपूर्ण नीति के खिलाफ भारत के विभिन्न राज्यों के लोग उठ खड़े हुए और इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा! इसी बीच स्वामी सहजानंद ने भी अनुभव किया कि कांग्रेस किसानों की की समस्याओं पर कम और स्वतंत्रता आंदोलन पर अधिक जोर दे रही है ᐳ उन्हें यह भी लगा कि जिस जमीदारी का वे विरोध कर रहे हैं, उन जमीदारों के साथ बहुत से कांग्रेसी नेता भी मिले हुए हैं जो किसानों का साथ नहीं दे सकते हैं जबकि असल बात तो यह थी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा को जो जन्म दिया गया उसमें यह ख्याल ही था कि इसके द्वारा कांग्रेस काफी मजबूत हो।

किसान सभा का गठन किसानों के हित संवर्धन तथा किसानों के विरुद्ध हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए किया गया था और कांग्रेसी भी किसानों की समस्याओं के प्रति आवाज उठाते रहते थे। इसलिए श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का मानना था कि कांग्रेस में अधिकांश तो किसान ही हैं । यदि किसान सभा का निर्माण किया जाता है, तो कांग्रेस ही कमजोर पड़ जाएगी तथा स्वतंत्रता आंदोलन की गति धीमी पड़ जाएगी, इन सभी बातों के मद्देनजर कांग्रेस ने भी किसान सभा के गठन का विरोध किया कांग्रेस के सभी सदस्यों को यह हिदायत दी गई कि वह किसान सभा के सदस्य न बने, कांग्रेस के नेता बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को शुरू में किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे इन्होंने अपना नाम किसान सभा से हटवा लिया! कांग्रेस के अधिकांश सदस्य ने किसान सभा को त्याग दिया तथा तथा किसान सभा को खत्म करने की कोशिश करने लगे लेकिन स्वामी सहजानंद ने हमेशा बात को ध्यान में रखा की किसान सभा राजनीतिक सभा ना बने 1929 में लाहौर में कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था उसके संबंध में इन्होंने घूम घूम कर लोगों को किसान सभा का महत्व बतलाया! लाहौर अधिवेशन के ठीक पहले सरदार बल्लभ भाई पटेल का दौरा बिहार में हुआ, उनके लिए हर जिले में मीटिंग का प्रबंध किया गया ठीक है उसी समय सहजानंद सरस्वती ने भी बिहार का दौरा किया और सरदार बल्लभ भाई पटेल के बिहार दौरे से पहले हर जगह किसानों को किसान सभा का महत्व समझाया! समर्थन सरदार बल्लभ भाई पटेल ने बड़ी जोरों से किया उन्होंने जगह–जगह किसानों के हक के लिए लोगों को संगठित होने की बात कही तथा जमीदारी प्रथा एवं जमीदारों का जमकर विरोध किया !

* **शोधार्थी समाज शास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

सरदार वल्लभभाई पटेल ने सीतामढ़ी की सभा में कहा था कि – " बिहार में या हमारे मुल्क में इन जमीदारों की क्या जरूरत है? ये लोग कौन सा काम हमारे मुल्क के लिए? सुना है किसानों को बहुत सताते हैं और इनसे किसान बहुत डरते हैं इनसे क्या डरना है ,यह तो बड़े कमजोर हैं यदि हाथ से इनका सिर पकड़ कर दबा दिया जाए तो बाहर निकल आएगा" इतना ही नहीं मुंगेर में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन था और किसान सम्मेलन भी, वह जब किसान सम्मेलन में शामिल हुए तो उन्होंने साफ कहा कि " किसान की जो मांगे वहां पेश की जा रही है वह राजनीतिक सम्मेलन में ही क्यों पेश की जाती हैं? और अगर जैसा बताया गया है वहां यह पेश नहीं की जा सकती तो फिर राजनीतिक सम्मेलन की जरूरत क्या है? "

सरदार बल्लभ भाई पटेल के बिहार दौरे से किसान सभा को प्रोत्साहन मिला, लेकिन बाद में वे कांग्रेस के प्रभाव में आकर बदल गए पता है ऐसा लगता है कि उस समय सरदार पटेल के रग में बारदोली वाला उफान था। जिसके कारण वे उस समय किसान सभा के पक्ष में बोले रहे थे या बिहार में तीन चौथाई बाशिन्दें किसान ही हैं और उनकी मदद से कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने किसान सभा के पक्ष में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया! इसके बाद जब सहजानंद लाहौर कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए गए तब वहां जो जोश और उमंग उन्होंने देखा वह कथनी है खासकर पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव के पास होने पर तो दुनिया ही पलट गईश सहजानंद सरस्वती ने ऐसा ही अनुभव और वे चुपचाप घर से कांग्रेस की कार्यवाही को देखते रहे! अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मेंबर होते हुए भी सहजानंद कुछ नहीं बोले ! वे कांग्रेस की बदली हुई इस नीति से बहुत आहत हुए उन्होंने अपनी " आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष" मैं किसान सभा के बारे में लिखा है कि – "इतना तो पक्का कही है कि लड़ने वाली संस्था के रूप में इसका जन्म हुआ और आज भी वह लड़ने वाली ही है मगर इतना ही है कि शुरू में हम लोगों ने जिस लड़ाई का सपने में भी ख्याल नहीं किया था वही लड़ाई आज इसकी अपनी हो गई है इसलिए इस के पुराने सूत्रधार प्रायः सभी के सभी आज इसके शत्रु हैं, यह भी खुशी की बात है कि किसी भी उद्योग में इसे अब तक विफलता नहीं मिली है पूरी या आंशिक सफलता बराबर मिलने से ही आज यह इतनी मजबूत भी है!" इतना होने के बावजूद भी स्वामी सहजानंद कांग्रेस की नीति का विरोध करते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के साथ थे!

लाहौर के अधिवेशन से लौटने के बाद कांग्रेसी लोगों की पहली नीति थी 26 जनवरी 1930 को देश भर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना। इसके लिए पहला कार्य उन्होंने यह किया कि नए काश्तकारी संशोधन कानून को एक प्रस्ताव के जरिए अस्वीकार किया तथा सरकार से वापस लेने की मांग की तथा दूसरे देश के वातावरण को देखते हुए कुछ समय के लिए किसान सभा का काम एक प्रस्ताव के जरिए कुछ समय के लिए रुकवा दिया ताकि स्वतंत्र रूप से सभी लोग आजादी की लड़ाई में निर्भीक होकर भाग ले सकें। कांग्रेस से खासकर मोहभंग होने के नाम पर जो लोग गलत नियति बना लिए थे एवं धांधली कर उनकी बातों से बिल्कुल अलग थे! इस प्रकार 1932 ईस्वी की लड़ाई में सिर्फ नमक बनाने जैसी बात नहीं थी बल्कि रेलगाड़ी की चौन खींचकर जबरदस्ती करने की बात थी, इस स्थिति में संघर्ष कड़ा था लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया, बिहार सरकार ने देखा कि कांग्रेस इसमें फंसी है तथा इसके प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है तब उसने अपने दोस्त जमीदारों को एक साथ खड़ा किया, ताकि वह अपना नेतृत्व एवं प्रभुत्व जमा सके! रांची में गवर्नर से चुपचाप सलाह एवं राय मशविरा करके एक " यूनाइटेड पार्टी " (संयुक्त दल) की स्थापना की घोषणा की गई, तथा लोगों के बीच यह भ्रम फैलाया गया कि इस पार्टी में जमींदार, किसान ,पूंजीपति, मजदूर ,हिंदू ,मुसलमान, ईसाई आदि सभी जाति एवं वर्ग के लोग शामिल हैं इसके बाद जमीदारों तथा अंग्रेजों के सलाहकार लोगों ने शिवशंकर झा जो कि जमीदारों की सहायता और मैनेजरी करते थे और बाबू गुरुदयाल लाल जो पूर्व में स्वामी जी की किसान सभा के सहायक मंत्रियों में से एक थे, को " यूनाइटेड पार्टी का मेंबर बना दिया गया है! किशोरी प्रसन्न सिंह 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के काल में राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में आए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कांग्रेस ने चौकीदारी टैक्स नहीं देने का आंदोलन संगठित किया था, करबंदी आंदोलन के तीन प्रमुख केंद्र थे मुंगेर जिले में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, चंपारण जिले में प्रजापति मिश्र के नेतृत्व में और मुजफ्फरपुर जिले के विद्पुर में किशोरी प्रसन्न सिंह के नेतृत्व में। विद्पुर में यह आंदोलन सर्वाधिक संगठित और सफल था। फलतः किशोरी प्रसन्न सिंह को बड़ी ख्याति प्राप्त हुई किशोरी प्रसन्न सिंह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मृति ग्रंथ में प्रकाशित अपने का निबंध में लिखा है कि – "1930 के चौकीदारी टैक्स

बंदी आंदोलन अथवा बात की घटनाओं में जो अनुभव प्राप्त हुए थे मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि देहाती जीवन में यदि परिवर्तन लाना है या राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त बनाना है तो किसानों को किसान सभाओं में संगठित करना अनिवार्य है! " जमीदारी उन्मूलन के सवाल पर स्वामी जी और उनका मतभेद था और बात में अनुभव के आधार पर स्वामी जी भी इनसे सहमत हो गए!

1932 ई० में प्रांतीय कांग्रेस ने गया जिले के प्रमुख किसान सेवकों के आग्रह से वहा और पटना में भी किसानों की दयनीय स्थिति की जांच की थी। इसी समय श्री देवकी प्रसाद सिन्हा एवं श्री गुरु सहाय लाल मंत्री बनाए गए एक साजिश के तहत पटना के गुजाबबाग में एक नकली किसान की सभा भी की गई , इस नकली सभा में भाग लेने के लिए बिहटा के इलाके में भी नोटिस भेजा गया, लेकिन स्वामी सहजानंद नजर अंदाज करके चुपके – चुपके कार्य किया जा रहा था इसी बीच एक घटना घटी जिसने इन सारे स्वार्थी चापलूसों की किए – कराए पर पानी फेर दिया । किसान सभा के इतिहास में यह एक अविस्मरणीय घटना थी इन्होंने पूरी शक्ति किसान सभा में लगा दिया , असली प्रांतीय किसान सभा और किसान आंदोलन का सूत्रपात यहीं से हुआ ᑊ इसी बीच 13 फरवरी को पंडित यदुनंदन शर्मा ने किसान आंदोलन पर खतरा मंडराता देखते हुए 1933 को डॉ युगल किशोर सिंह नामक किसान नेता को स्वामी जी के पास भेजा! 14 अप्रैल को घटना के गुलाब बाग में नकली किसान सभा की जो मीटिंग आहूत होने वाली थी उस में भाग लेने हेतु बिहटा आश्रम में जाने से पूर्व डॉ युगल किशोर सिंह देवकी सिन्हा के डेरा पर गए, जहां अंबिकाकांत सिन्हा पहले से बैठे थे, वहां पहुंचते युगल किशोर सिंह ने उनसे पूछा कि क्या स्वामी जी और कार्यी जी को कल की इस किसान सभा की होने वाली मीटिंग के बारे में पता है? इस पर अंबिका सिन्हा ने झूठ बोला कि स्वामी जी और कार्यी जी को जानकारी है तथा भी इस सभा में भाग लेने के लिए कल आएंगे लेकिन जब युगल किशोर सिंह बिहटा आकर सहजानंद से बात की तब पता चला कि 14 अप्रैल को होने वाले किसान सभा मीटिंग के बारे में सहजानंद को कुछ भी जानकारी नहीं है। युगल किशोर सिंह ने स्वामी जी को इस मीटिंग में भाग लेने का तथा पदाधिकारी इस सभा में भी है तो दूसरी सभा कैसी? या तो दोनों मिलकर एक नई किसान धन किया जाए या उसी सभा के लोगों को एक नया मौका दिया जाए कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। दो सभाएं बन कर आपस में लड़ने से किसानों को नुकसान ही होगा। इस पर गुरु सहाय लाल नहीं हामी भरी लेकिन देवकी प्रसाद सिन्हा ने घबराते हुए कहा कि यह लोग तो किसान के लिए कुछ करते ही नहीं हैं साथ ही हम लोगों को भी करने से रोक रहे हैं इस पर उन्होंने कहा कि " कायदे से साथ उन्हें मौका देने के लिए रुकना चाहिए " इस बात को लोगों ने मान लिया और पुराने लोगों के साथ फिर से संयुक्त मीटिंग का निश्चय हुआ!

14 फरवरी 1933 को स्वामी सहजानंद सरस्वती डॉक्टर युगल किशोर बाबू के साथ गुलाबबाग में निर्धारित मीटिंग पहुंचे, वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बिहार लैंड हॉल्डर्स एसोसिएशन के स्तंभ श्री सच्चिदानंद सिन्हा, राजा सूर्यपुरा श्री राधिका रमण प्रसाद सिंह भी इस सभा में पहुंचे हुए हैं उन्हें स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ सहजानंद को ताजूब इस बात की हुई थी कि गुरु सहाय लाल जैसे पढ़े–लिखे वकील जो अभी तक हमारी किसान सभा में सहायक मंत्री थे दूसरा विरोधी किसान कैसे बना डालें। 14 फरवरी 1933 को गुलाब बाग में नकली किसान सभा जो जमीदार लोगों के इशारे पर बुलाई गई थी उसका कार्य शुभारंभ हुआ मीटिंग में कम ही लोग शामिल हुए थे इसी बीच गुरु सहाय लाल ने कहा कि " किसान सभा का अध्यक्ष किसी किसान को ही होना चाहिए मैं श्री डोमा सिंह का नाम अध्यक्ष के रूप में पेश करता हूं, इतने में देवकी प्रसाद सिंह ने डोमा सिंह के नाम का समर्थन किया और डोमा सिंह अध्यक्ष बने सभा की कार्यवाही चालू की गई सभा में स्वामी सहजानंद ने प्रश्न उठाया कि "एक बिहार प्रांतीय किसान पहले से है तथा उसके ही कुछ मेंबर तथा पदाधिकारी इस सभा में भी है, तो दूसरी सभा कैसी ? या तो दोनों मिलकर एक नई किसान सभा का गठन करें उसी पुराने सभा के लोगों को एक साथ नया मौका दिया जाए कि वे लोग क्या कहना चाहते हैं दो सभाएं बन कर आपस में लड़ने से किसानों का नुकसान होगा" फिर प्रश्न उठता है कि जमीदारों के साथ किसानों के समझौते की जो शर्ते हैं उन पर विचार हो लोग हा हा कर बैठे और अंबिका बाबू ने पहले से कागज पर लिख लिए जहां तक यह शर्ते किसान को अधिकार देती है वहां तक तो मान ही लेनी चाहिए और अधिक के लिए आंदोलन भी जारी रखनी चाहिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैरान थे कि समझौता भी हो और उसके बाद उसे अधिक हक के लिए आंदोलन भी जारी रहे यह अजीत समझौता था जमीदार कैसे मानेंगे कि हम आंदोलन जारी रखेंगे इस बात पर स्वामी सहजानंद ने कहा कि "कुछ भी निश्चय करने से पूर्व हमें

मालूम भी हो कि शर्तें क्या है आप यहां एक कागज पर लिखी बातें सुन रहे हैं और कहते हैं कि यही शर्त है मैं मान लेता हूं कि यही है मगर जब तक इन्हें छाप कर आपने किसानों में बांटा नहीं और उन्हें इनकी जानकारी नहीं दी तब तक उन्हीं के नाम पर इन्हें स्वीकार करने की बात आप कैसे कर सकते हैं? आखिर लोगों को पहले से इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए? साथ ही पहले से इसकी जानकारी रहने पर इनके बारे में सोच समझकर यहां लोग आते हैं मगर जो लोग यहां हैं उन्हें भी तो इनकी जानकारी पहले थी नहीं ताकि वे तैयार होकर आते हैं और इसके बारे में अपनी राय देते हैं, भला यह भी कोई तरीका है कि इतने महत्वपूर्ण और प्रांत भर के किसानों के जीवन– मरण से संबंध रखने वाले प्रश्नों के बारे में हम फैसला करने बैठ गए और उन पर जरा सा गौर भी नहीं किया है? सिर्फ शहरी और पांच–छः किसान मिलकर सीमित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यहां एकत्रित हुए हैं जो इस शर्त पर अपनी सहमति प्रदान कर शर्त को लागू करवा कर किसानों का गला कटवा देंगे" इस बात को सुनकर सभी लोग दंग रह गए सभी के मनोरथ पर सहजानंद की बातों ने पानी फेर दिया गुरु सहाय बाबू ने तो स्वामी जी का समर्थन किया लेकिन राजा सूर्यपुरा बुरी तरह बेचौन हो उठे वे चाहते थे कि शर्तों के बारे में कुछ न कुछ फैसला यही हो जाए उन्हें गुरु सहाय बाबू से बड़ी उम्मीद थी मगर गुरु सहाय बाबू तो सहजानंद के पक्ष में हो गए थे यद्यपि राजा साहब मजबूर थे ना कर सकते थे तथापि उन्होंने दलील शुरू की और कहा कि " अच्छे काम में देर करना ठीक नहीं खतरा हो सकता है " उन्होंने फिर सहजानंद से कहा कि "आखिर समझौता ही तो है इसमें दो और लोगों की बात है कुछ आप छोड़े कुछ–कुछ हम छोड़े और काम चले " इन बातों को सुनकर सहजानंद ने तुरंत कहा कि राजा साहब सो तो ठीक है मगर वही तो सोचना है कि कितना छोड़ना है? एक आपको छोड़ने और एक गरीब दलित किसानों को छोड़ना दोनों बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि राजा सूर्यपुरा की बातों में जमीदारी की बू आ रही थी, तथा सहजानंद जमीदारी प्रथा के प्रबल विरोधी थे किसान सभा जमीदारी प्रथा का ही उन्मूलन चाहती थी!.

स्वामी सहजानंद ने सूर्यपुरा के राजा के सामने एक उदाहरण रखा की "हाथी के सामने पांच मन चावल खाने के लिए पड़ा था और चींटी के सामने एक चावल , बात ही बात में हाथी ने चींटी से कहा कि लो मैं भी एक चावल छोड़ता हूं और तू भी छोड़ छोड़ दे बस हमारी और तेरी बहस खत्म, क्या यह ठीक है देखने में तो दोनों सामान त्याग है मगर एक चावल छोड़ने से हाथी का कुछ ना होगा वही चींटी का परिवार भूखा मर जाएगा, इसी लिए हमें सोचना पड़ेगा, साथ ही जमीदारी सभा के प्रतिनिधि आप लोग चुने और किसान सभा के लोग हम चुने और जरूरत हो तो काफी बातचीत करने कमीबेशी को पूरा किया जाए " यह बात सुनते ही सूर्यपुरा राजा निरुत्तर हो गए आखिरकार उसी 29 फरवरी को ही मिलकर फैसला करने का निश्चय हुआ, मंत्री का हुक्म हुआ कि समझौते की शर्तें छपवा कर बांटे जाएं ৳ इसी के साथ 29 फरवरी की मीटिंग की सूचना भी दी जाए, यह भी आदेश दिया जाए कि लोग अपने अपने इलाकों में सभाएं करके किसानों को यह शर्तें समझाएं और उनकी राय लेकर आए, खूब आंदोलन का प्रचार हो यह बात भी तय हो गई यह शर्ते छापी भी गई और बाटी भी गई! यह भी प्रमाणित नहीं थी कि किसान सभा और जमीदार सभा के बीच किसी कागज पर हस्ताक्षर के हुआ था मामला यहीं तक संदिग्ध था कि शर्तों के बारे में गुरु सहाय लाल कुछ और कह रहे थे तथा दूसरे लोग कुछ और कह रहे थे, यही नहीं जमींदारों के तरफ से भी इन शर्तों के विभिन्न रूप छपे अंत में देखा गया कि तथाकथित समझाओ तो की शर्तों के तीन रूप लोगों के बीच समय–समय पर लाए गए थे जिनमें एक दूसरे से कुछ न कुछ अंतर ही था साथ ही उनमें जमीदारों के द्वारा किसानों को ठगने की चाल भी कहीं गई थी तथा किसान की ओर से जो शातिर लोग बोलते थे दांव के ही यार थें। क्योंकि उन्हें भी किसानों के दर्द और पीड़ा से संबंधित किसी तरह के हृदय में दया नामक चीज का समावेश नही था उन्हें किसानों की पीड़ा या समस्याओं से कोई लेना–देना नहीं था वे सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते थे।

29 फरवरी को मीटिंग हुई सोची समझी रणनीति के तहत एक टेनेंसी बिल तैयार करके श्री राय बहादुर श्यामानंद सहाय ने जमीदारों की तरफ से कौंसिल में पेश किए , बाबू शिवशंकर झा वकील इसके समर्थन के लिए किसानों के प्रतिनिधि के नाम पर जमीदारों के ही द्वारा नामजद भी करवाएं, उस मीटिंग में तत्परता ज्यादा थी तथा जमीदार समर्थक लोग चाह रहे थे कि ते चाहे जैसे भी हो यह बिल पास हो जानी चाहिए, लेकिन स्वामी जी नहीं चाह रहे थे कि यह बिल किसी भी सूरत में पास हो, हालांकि हुआ भी ऐसा ही प्रस्ताव आया लेकिन उसमें सहजानंद के द्वारा साफ–साफ कहा गया कि

जमीदार लोग फिलहाल इसे रद्द करें फिर तुरंत बाकायदा किसान सभा से समझौता करें उसमें आप लोग ही हमारे प्रतिनिधि रह सकते हैं हमें कोई एतराज ना होगा लेकिन आज इसका समर्थन करना किसानों के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा होगा, इतना सुनने के बाद ही वे लोग समझ ही गए कि अगर वोटिंग की बात भी की जाएगी तो भी हमारा पक्ष हार जाएगा, अतःहारने का लक्षण देखकर वे लोग चुप हो गए। फिर जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें साफ–साफ लिखा गया कि किसान सभा सिद्धांत की दृष्टि से इस समझौते को गलत समझ कर इसका घोर विरोध करती है, और सरकार से मांग पेश करती है कि इसके आधार पर टेनेंसी बिल रोक दे गुरु सहाय बाबू की मंत्री की हैसियत से कैंसिल में इस बिल का विरोध करने का आदेश दिया गया पर सरकार न माने और यदि बिल पर विचार होने ही लगे तो उन्हें इस्तीफा देने की आज्ञा दी जाए एक ही प्रस्ताव में यह सभी बातें लिखी गई और अंत में यह भी कहा गया कि श्री शिवशंकर झा किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं सभा समाप्त होने के बाद गुरु सहाय बाबू से जमीदारों की भेंट हुई और उन्हें समझाया गया कि सभा में तो आपने भूल की स्वामी ने आपको फिर ठग लिया, मगर अब विरोध करेंगे या इस्तीफा देंगे तो ठीक नहीं होगा असल में किसानों के नाम से समझौते के कर्ताधर्ता तो वही थे हालांकि छिपाते चलते थे इसीलिए जमीदारों के सामने उसका विरोध या उससे इनकार करने की उनमें हिम्मत नहीं थी इसीलिए उसका समर्थन किया और कहीं के न रहे !

राजा सूर्यपुरा बहुत ही चतुर तथा व्यवहार कुशल वे गुरु सहाय लाल की तरह सहजानंद को भी अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने पक्ष में करना चाहते थे वे यूनाइटेड पार्टी के मंत्री भी थे लेकिन उस पार्टी तथा जमीदारों की सभा में दरअसल कोई फर्क नहीं था कहने के लिए ही दो संस्थाएं थी , संयोग से यूनाइटेड पार्टी में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी थे जो जमीदार भी नहीं थे लेकिन जमीदारों का प्रतिनिधित्व करते थे जो यह सब काम चलाने का तरीका था। इसीलिए टेनेंसी बिल जमीदारों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए पेश किया गया था सूर्यपुरा ने बड़ी चालाकी के साथ बातचीत के क्रम में सहजानंद से कहा कि "किसान जमीदारों के झगड़े कब तक चलाइएगा, तब सहजानंद ने जवाब दिया कि मैं तो एक क्षण भी इस झगड़ा को नहीं चलाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें किसानों की हानि ज्यादा है, क्योंकि आप लोग जमीदार हैं और ज्यादा धनी भी हैं लेकिन किसान तो दो जून की रोटी के लिए लालायित है इस पर राजा सूर्यपुरा खुश होकर बोले कि आखिर यह झगड़ा कैसे मिटेगा? तब स्वामी जी ने कहा कि आप यूनाइटेड पार्टी या जमीदार सभा की तरफ से पांच आदमी चुने, और हम किसान सभा की तरफ से पांच आदमी का चुनाव करते हैं, इन दोनों पक्षों के चुने हुए प्रतिनिधियों का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, कि वे लोग जो भी निर्णय मिल कर ले उसे जमीदार और किसान दोनों पक्ष मांग ले, इस पर राजा सूर्यपुरा तुरंत उलट गए तथा बोले की सोच कर जवाब देंगे उन्होंने इन को जवाब देने का समय उसी दिन स्टेशन पर था फिर ट्रेन में जाने के क्रम में कहा था कि उसी दिन स्वामी जी को ट्रेन में बिहटा जाना था जिस ट्रेन से राजा सूर्यपुरा को आरा जाना था! पटना स्टेशन पर गाड़ी खुलने की इंतजार में दोनों मिले और इस मुद्दे पर गहन बातचीत किए! इसके पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा की लाखो छपी प्रतियां बटी और एक लहर सी उमड़ पड़ी, लेकिन यह दिवस मनाने के बाद लोग सुस्त पड़ गए क्योंकि पुलिस की धरपकड़ शुरू हो गई थी यहां तक कि पटना जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री जगत नारायण लाल एकदम डर से सुस्त पड़ गए थें। इसी बीच राष्ट्रीय सप्ताह में ही गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून भंग करने वाले थे उसके बाद ही 6 से 13 अप्रैल तक सत्याग्रह की धूम मचाने वाली थी लेकिन पटना जिले के नामधारी लीडरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी चारो ओर मुर्दानगी छायी थी ५ स्वामी सहजानंद घूम घूम कर लोगों को समझाने और जगाने का काम किए लेकिन भी विफल रहें। तब स्वामी जी पटना जिला की स्थिति को देखते हुए यहां से हटकर उत्तरी बिहार में काम करने की ठाने, इसके लिए वे बिहटा से पटना आए इसी बीच जब लोगों को पता चला कि यह सत्याग्रह वाले हैं तो इनके पास पटना जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री जगत नारायण लाल सहित कार्यकर्ता लोग इनसे वहां न जाने का आग्रह किया, तथा कांग्रेसी लोग नमक कानून भंग करने के लिए जगतानंद बाबू को आगे किया। इस पर सहजानंद मान गए तथा वहां न जाने का फैसला लिया, इसके बाद ये पुनः बिहार जाकर उससे सटे गांव अमरा में थोड़े दिन रुक कर नमक कानून भंग करने की तैयारी में लग गए जब अंग्रेजों को पता चला कि स्वामी सहजानंद अमरा गांव के एक किसान श्री रामजी सिंह के यहां ठहरकर नमक कानून भंग करने की लोगों से अपील कर रहे हैं!

बिहार के किसान सभा के द्वारा ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण नेताओं का जन्म हुआ , जिसने किसानों के हितों के साथ–साथ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसान

सभा बिहार के एक नेता और क्रांतिकारी जनवादी स्वामी सहजानंद को स्थापना काल के सभापति के अलावा महासचिव चुना गया किसान सभा के प्रभाव तेजी से आगे बढ़ा , 1938 में उसकी सदस्य संख्या चालाक और 1939 में आठ लाख थी। 1941 – 42 में पहले कांग्रेस समाजवादियों ने फिर वर्ल्ड ब्लॉक के सदस्यों ने किसान सभा छोड़ दी, किसान सभा में इस फूट के परिणाम स्वरूप किसान सभा के सदस्यों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई फिर भी कम्युनिस्टों और किसान आंदोलन के इंदूलाल, स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा कार्यानंद शर्मा जैसे पुराने नेताओं के नेतृत्व में जनवादी विचारों के गैर पार्टी कार्यकर्ताओं के जो कम्युनिस्टों के साथ सहयोग के लिए तैयार थे किए गए संगठनात्मक किसान सभा द्वारा व्यापक वर्ग विशेष रूप से छोटी जोत वाली या आसामी काश्तकारों के आर्थिक हितों के सक्रिय समर्थन के कारण भी था

ग्रंथ सूची

1. स्वामी सहजानंद की जीवन झांकी और क्रांतिकारी विचारधारा, त्रिवेणी शर्मा सुधाकर , पटना!
2. दैनिक जागरण, पटना 5 नवंबर, 2006!
3. किसान सभा संस्करण की भूमिका से संग्रहित!
4. स्वामी सहजानंद सरस्वती, भूमि व्यवस्था से कैसी ?, वाराणसी!
5. स्वामी सहजानंद की जीवन झांकी और क्रांतिकारी विचारधारा , त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, पटना!
6. आधुनिक भारत के निर्माता, स्वामी सहजानंद, लेखक , राघव शरण शर्मा !
7. स्मारिका 22 अगस्त 2004 ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद फाउंडेशन !

प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था

डॉ0 अविनाश कुमार[*]

आधुनिक काल की जासूसी का प्रारंभ है एवं पुराण काल में हो गया था शांति एवं युद्ध दोनों ही समय शत्रु से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए नागरिक एवं सैनिक दूतों एवं गुप्तचरों के प्रमाण मिलते हैं रावण ने राम शक्ति का पता लगाने के लिए गुप्तचरों का प्रयोग किया था सूचनाओं की प्राप्ति के लिए राजा के द्वारा अपने गुप्त चरो को अग्रिम राशि देने का उल्लेख भी मिलता है। प्राचीन काल में दूत एवं गुप्तचर दोनों के कार्यक्षेत्र अलग–अलग थे दूत प्रकाश्य है होता था चरबलों की कल्पना नवीन नहीं है ऋग्वैदिक काल में गुप्तचरों को राजा के मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था गुप्तचर इस लोक में सर्वप्रथम भ्रमण किया करते हैं। प्राणियों के शुभ अशुभ कार्यों को देखते हुए अपना पूर्ण ब्यौरा रखते हैं। वे अपने स्वामी को वेदों में चर को स्पश नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद के एक प्रसंग में वरुण देव को अपने स्पश समूह से गिरा हुआ बताया गया है । अग्नि एवं वरुण के पास कई गुप्तचर हैं वरुण की सर्वदर्शिता उनकी चर व्यवस्था का ही प्रमाण है। इन्ही चरों के बल पर मनुष्य जो कुछ करते सोचते या विचारते हैं उनका ज्ञान वरुण को रहता है पृथ्वी और आकाश तथा इन से परे जो कुछ होता है सब वरुण देखा करते हैं । अथर्ववेद में गुप्त चोरों को राजा का नेत्र कहा गया है महाकाव्य में अनेक स्थलों पर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि राजा को अपने तथा शत्रु राज्य में गुप्त चोरों को नियुक्त करना चाहिए। महाभारत कथा रामायण में कई स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त करने का उल्लेख हैश मनुस्मृति के अनुसार प्रतिदिन सायंकाल संध्योपासना के बाद राजा को चाहिए कि वह गुप्तचरों की बात को एकांत में सुने। श्पतंजलि श्ने लिखा है कि राजा लोग नगर एवं राज्य का समाचार लाने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति करते थे जिन्हें सूचक कहा जाता था। महान कूटनीतिज्ञ श्चाणक्यश ने राजा द्वारा कुशल राज्य एवं युद्ध संचालन हेतु गुप्तचर विभाग की स्थापना पर विशेष बल दिया है ज्ञातव्य है कि अपने राष्ट्र की स्थितियों एवं गतिविधियों को गुप्ता सूचना प्राप्त करने वाला विभाग गुप्तचर विभाग कहलाता था इसी विभाग द्वारा गुप्त चरो एवं दूतों की नियुक्ति होती थी जो युद्ध में शत्रु विषयक गतिविधियां सैन्य योजनाओं एवं सैन्य साधनों से अवगत होने के लिए तथा गुप्तचरों में आत्मरक्षार्थ बड़ी संख्या में प्रयुक्त होते थे। राज्यशास्त्र के प्रणेता श्मनु श्ने भी राजा को सदैव अपनी और शत्रु की शक्ति का पूरा ज्ञान अपने चारों द्वारा लगाने का निर्देश दिया है। 'आचार्य कौटिल्य ने प्रजा के विरुद्ध होने वाले षणयंत्रों की सूचना ,राज्य कर्मचारियों की शुद्धता का पता लगाना ,विरोधी स्वभाव वाले की सूचना राजा तक पहुंचाना, शत्रु शक्ति का पता लगाना आदि गुप्तचरो का प्रमुख कार्य माना जाता है। आगे गुप्तचरो के विवरण को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा है कि कुबड़े ,बौने ,हिजड़े तथा शिल्पवती स्त्रियां गूंगे और म्लेच्छ जाति की विभिन्न श्रेणियों के लोगों को शत्रु के घरों में छोड़ दें वणिक संस्था के गुप्तचरों के दुर्गों के अन्दर दर्शकों ,किसानों उदास्थितिका राष्ट्र में सिद्ध तापसो की दुर्गान्त में प्रजवासियों को राष्टांत में वन चारियों श्रमणों और आटविकों को जंगलों में शत्रुओं की गतिविधियों को जानने के लिए रख दें। गुप्त सबूतों गोपो और बहेलियों के रूप में उपद्रव मचावे और शत्रु की सेना मुखियों को पीछे से मार डाले और शत्रु राजा के घर में आग लगा दे इन गुप्तचरों के मुखिया को अपने अधीन कर्मचारियों को आदेश देना चाहिए कि पशुओं और भेड़ बकरियों के झुंड इस प्रकार रखें की शत्रु सेना का ध्यान बता सके रात को शत्रु सेना लड़ती हो तब शत्रु की छावनी में जाकर गुप्तचर शत्रु राजा को मार डाले तथा दुर्गों के घिराव में उन पर अधिकार अधिकार करने के समय घेरने वालों को चर को सहायता दे।

संघ राज्य अर्थात जिन राज्यों में राजा नहीं होता उसे जीते जा सकते हैं श्महाभारत श्में कहा गया है कि संघ का नाम भेद से होता है वैसे ही कौटिल्य भी कहते हैं कि भेद उत्पन्न करने और बढ़ाने से काम बनता है आचार्य का वेश धारण करके शास्त्र कला खेल के विषय में वाद विवाद को पारंपरिक वैमनस्यता बढ़ा देना चाहिए गुप्तचर छोटो की प्रशंसा करके रंगमंचों से संघों के बड़े नेताओं से उन्हें लड़ा दें अथवा छोटी जाति के राजाओं की यह कह कर प्रशंसा करें कि आप बड़े कुलीन है इस प्रकार उच्चकांक्षा उत्पन्न कर देंद्य इसी प्रकार उच्च कुलों के लोगों से कहे कि आप सबके साथ रोटी बेटी संबंध को रोके अथवा ऊंचे लोगों से कहें कि आप सबके साथ रोटी बेटी संबंध व्यवहार करें और यह

[*] **इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

प्रसिद्ध कर देगी हम तो यह है कि जन्म शूरत्व और सामाजिक स्थिति देखकर सामाजिक व्यवहार करना निश्चय किया जाए अथवा तीक्ष्ण गुप्तचर उनके झगड़े के कारण वस्तुओं पशुओं मनुष्य को रात में नष्ट करके उन्हें लड़ा दे, इसमें राजा सबल को निर्बल से लड़ा दे, धन की सहायता देकर। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध की अपेक्षा नि रूसंदेह बुद्धि अधिक शक्तिशाली समझने वाले कौटिल्य का मत है कि अनुर्धारी के धनुष से छोड़ा गया बाण संभव है कि किसी एक भी पुरुष को न मारे किंतु बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा किया गया बुद्धि का गर्भ स्थित प्राणियों को भी नष्ट कर देता है

प्रकार गुप्त चरों के कार्यों से स्पष्ट होता है कि गुप्तचर अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था थी इनको युद्ध काल एवं शांति काल दोनों समय महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था शांति काल में गुप्तचरों का कार्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करना था। इससे राजा कुशलतापूर्वक शासन का संचालन कर सके काल में तो इनकी बड़ी निर्णायक भूमिका रहती थी क्योंकि इन्हीं के द्वारा शत्रु की सही स्थिति तथा उसकी सेना आदि का ज्ञान प्राप्त होता था। गुप्तचरों के बारे में अन्य कई स्थानों में महत्वपूर्ण संकेत भी प्राप्त होते हैं गुप्त चरों के सहयोग से चंद्रपालित ने विहारभद्र को पूर्णतया है वशीभूत कर उस राजा के सहारे समस्त राज्य पद प्राप्त किया ऐसा उल्लेख श्दशकुमार चरितम् में प्राप्त होता है।" मनुस्मृति" में भी गुप्त चोरों के विषय में विवरण प्राप्त होता है राजा गुप्तचरों द्वारा परीक्षित नियत वेष और आभूषणों से अच्छी तरह शुद्ध स्त्रियां चावर आदि से हवा पानी आदि से सेवित हो। एक अन्य स्थान में उल्लेख मिलता है कि राजा संध्योपासना के पश्चात् दूसरे कक्ष में गुप्तचर के समाचारों व कामों को सुने तत्पश्चात अंतः पुर में प्रवेश करें। श्रघुवंशश महाकाव्य में एक स्थान पर वर्णन है कि राम लंका से लौटने के पश्चात राज्याभिषेक के पश्चात अपने राज्य की प्रजा में अपने बारे में विचार जानने के लिए भद्रमुख नामक गुप्तचर से प्रश्न किया कि कहो भद्र ? मेरे बारे में प्रजा क्या कहती है ? बहुत आग्रह के बाद भद्रमुख प्रजा के विचार, राजा राम के सम्मुख रखते है।

रामायण के अनुसार शूरवीर, धीर एवं निर्भीक व्यक्तियों को गुप्तचर पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए । अर्थशास्त्र में चतुर किसी के बहकावे में न फंसने वाला तथा विश्वस्त पुरुषों को गुप्तचर के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। गुप्तचर लोगों के मन की बात जानने वाला होना चाहिए, उसकी स्मृति शाक्तिशाली हो, मधुरंभाषी तथा शीघ्रगामी हो, विपत्तियों को सहन करने की तथा कठिन परिश्रम करने की शक्ति रखता हो।

आधुनिक काल में गुप्तचर का मुख्य कार्य अपराधों का पता लगाना है, किन्तु प्राचीन काल में इनका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक था प्राचीन भारत के सभी राजनीतिशास्त्र प्रणेताओ में राजा का एकमात्र कर्तव्य प्रजारंजन बतलाया है। अतः प्रजा के कष्टों एवं पीड़ाओं का पता लगाकर राजा को समय–समय पर सूचना देना तथा प्रजा की सुख शांति तथा शासन कार्य में बाधा पहुंचाने वालों की सूचना राजा तक पहुंचाना इन गुप्तचरो का मुख्य कार्य था। वैदिककाल में चरो का कार्य दीवानी–फौजदारी मामलों में अर्थी–प्रत्यार्थी और साक्षियों के वक्तव्यों की सत्यता की जांच करना ही न था बल्कि हानिकारक प्रवृत्ति वालों की गतिविधि का भी ध्यान रखना था। राज्य में अपराध करने वालों का ही नही, अपितु धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था नष्ट करने वालों का भी पता लगाना उनका कार्य था। इनके कार्यों के विषय में श्महाभारतश में उल्लेख मिलता है कि गुप्तचरो को राष्ट्र में घूमते रहना चाहिए तथा सभासद आदि के कार्यों एवं मनोभावों को ज्ञात कर राजा के पास समाचार पहुंचाते रहना चाहिए। शत्रु और मित्र सैनिकों की स्थिति वृद्धि एवं क्षय का पता लगाकर राजा के पास इसकी सूचना भेजते रहना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार अमात्यों एवं मंत्रियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखना तथा उनके क्रिया–कलापों की सूचना निरंतर राजा के पास प्रेषित करना गुप्तचरों का मुख्य कार्य है। सामान्य कर्मचारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखने की पुष्टि महाभारत से भी होती है । नगरों एवं गावों में निवास करने वाली जनता के मनोभावों एवं कार्यों का पता लगाना प्रजा राजा के किस कार्य से असंतुष्ट है। राजा की नीतियों के विषय में जनता की क्या सम्मति है आदि की सूचना राजा के पास प्रेषित करना गुप्तचरो का कार्य था। इन गुप्तचरों की नियुक्ति मात्र अपने ही राज्य में नही की जाती थी। अपितु अन्य राजाओं में शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए भी की जाती थी।

दूतों के न रहने पर भी गुप्तचर इसी प्रकार के भेदों की टोह में बराबर काम किया करते थे ये लोग छात्रो, संन्यासियों, व्यापारियों आदि के विविध छद्मवेशों में रहते थे। वेश्याओं एवं नर्तकियों से भी बहुधा गुप्तचरों का काम लिया जाता था। कभी–कभी राजमहल में ये तांबुल या छत्र वाहिकाओं का पद

भी प्राप्त कर लेती थी ताकि राजा के समीप रहकर सरकार की अन्तरंग गतिविधियों का भेद लेने का अवसर मिल सके।

परराज्य से ही राजा पर संकट की सम्भावना नही रहती थी स्वराज्य की अभक्त राजकुमारों और रानियों से भी रहती थी इस पर कौटिल्य ने राजा को उपदेश दिया है रानी के पास कभी न जाओ और रात के वक्त तो जाओ ही नही, किसी विश्वस्त बूढ़ी परिचायिका से रानी को ही अपने कमरे में बुलाओ, क्योंकि कई रानियों ने तो किसी रानी की ड़ाह से या अन्य किसी कारण से राजा की हत्या का कारण बन गयी।

महाभारत में दूत के प्रति कड़े शब्दों का निषेध किया गया है। रामायण में एक स्थान पर इस का दर्शन होता है जब राम दूत हनुमान को रावण प्राण दान देने का आदेश देता है तो विभीषण बोल उठता है हे लंकेश राजदूत चाहे साधु हो या असाधु यह वास्तविक प्रश्न नहीं है क्योंकि वह अन्य के द्वारा भेजा गया केवल दूत है और वह केवल दूसरे के हित में भाषण करता है मुझे दूत को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है पुनः लंकेश कहता है कि इस दूत ने स्वयं ही आचरण संहिता का उल्लंघन किया है इसीलिए उसे प्राण दंड अवश्य देना चाहिए। राज दूत का व्यक्तित्व इतना पवित्र होता था कि कैसा भी आचरण करने पर भी वह अबध्य बतलाया गया है। यहां तक कि महाभारत में दूध के प्रति कड़े शब्दों के प्रयोग का निषेध किया गया है भिष्म का तो स्पष्ट मत है कि राजा कभी किसी आपत्ति में भी दूत की हत्या ना करें दूत अपने संदेश को सही ढंग से शत्रु राजा से निवेदित करते हैं यहां तक कि प्राणघातक स्थिति आज आने पर भी दूत सही संदेश ही निवेदित करते हैं अतः यदि कोई चांडाल भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो तो राजधर्मानुसार वह भी अबध्य है।

आधुनिक काल में गुप्तचरो का मुख्य कार्य अपराधों का पता लगाना है किंतु प्राचीन काल में इनका कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक था प्राचीन भारत के सभी राजनीति शास्त्र प्रणेताओं में राजा का एकमात्र कर्तव्य प्रजारंजन बतलाया है के कष्ट एवं पीड़ा ओं का पता लगाकर राजा को समय समय पर सूचना देना तथा प्रजा के सुख शांति तथा शासन कार्य मैं बाधा पहुंचाने वाले की राजा तक जाना पहुंचाना इन गुप्तचरों का मुख्य कार्य था।

इस प्रकार गुप्तचरो के कार्य राज की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे अतः गुप्त बातों का रहस्य प्रकट न होने पाय, इसके लिए गुप्तचर में विशेष पद्धति का प्रयोग किया जाता है इस विभाग के अंतर्गत जो समाचार एक दूसरे चर अथवा संस्था के अधिकारियों के पास भेजे जाते थे उसके लिए सांकेतिक लिपि का प्रयोग किया जाता था जिसे गुप्तचर के अतिरिक्त कोई अन्य समझ नहीं सकता था ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि संस्था गुप्तचरों को संचार गुप्तचर व संचार गुप्तचर को संस्था गुप्तचर न जानने पाए इस प्रकार राजा सतर्कता से गुप्तचर की कार्यप्रणाली पर ध्यान देता था समय से ही गुप्तचर रखने की परंपरा चली आ रही है इससे प्रजा में राजा के प्रति क्या भावनाएं हैं उनमें क्या कमी है इसका पता लगता था जिससे राजा वक्त रहते अपने में सुधार लाकर राज्य कार्य को सुचारू रूप से चला सकता था।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अथर्ववेद, संस्कृति संस्थान बरेली!
2. दीर्घनिकाय, संपादक, डब्ल्यू राइस देवी, वाराणसी
3. ऋग्वेद, संस्कृति संस्थान बरेली!
4. महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर!
5. मानसार, संपादक, डॉ० प्र० कुमार आचार्य, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस!
6. मनुस्मृति, गंगानाथ झा, चतुर्थ संस्करण!
7. रघुवंश महाकाव्य, कृष्ण डॉ० कृष्णमणि त्रिपाठी, वाराणसी।
8. वायु पुराण, संस्कृत संस्थान बरेली , आनंद आश्रम प्रेस पुणे!

पूर्वमध्यकालीन नारियों की स्थिति का अनुशीलन

डा0 दिलीप कुमार

किसी देश के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन में तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है क्योंकि किसी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण तथा विकास में नारी का योगदान महत्वपूर्ण होता है ऐसी स्थिति में भारतीय स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी योगदान के कारण प्राचीनकाल से ही उनका सम्मान तथा आदर आदर्शात्मक तथा मर्यादायुक्त था। अथर्ववेद में उसे गृह की साम्राज्ञी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है तथा घर के अन्य सदस्यों को उनके शासन में रहने को निर्देशित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की मान्यता थी कि पुरुष स्त्री के बिना अकेला व अधूरा है उसे पुरुष का शरीरार्ध माना गया है। स्त्रियों के सन्दर्भ में यह सिक्के का एक पहलू है, जबकि उत्तर वैदिक काल से ही इनकी दशा में क्रमिक ह्रास दिखलाई पड़ने लगता है। पूर्वमध्यकाल तक आते–आते स्त्रियों की दशा में पर्याप्त परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।

पूर्वमध्यकाल कन्या का जन्म किसी घर में पुत्र की अपेक्षा प्रसन्नता का सूचक नहीं था। एक राजा के पुत्री रत्न की प्राप्ति पर एक बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि कन्या रत्न के जन्म से क्यों इतना सन्तृप्त हो रहे हो।[1] पंचतंत्र के लेखक विष्णुशर्मा ने उल्लिखित किया है कि पुत्री के जन्म पर पिता को बहुत चिन्ता होती है कि उसके योग्य वर कहां मिलेगा और विवाहित जीवन में वह सुखी रहेगी या नहीं।[2] पुत्रियों का उपनयन संस्कार से वंचित होने से शिक्षा का मार्ग पूर्णतः बन्द हो गया। इससे नारी की स्वतन्त्रता बन्धनग्रस्त हो गयी और वह परिवार तक सीमित हो गई। पुत्रियों को घर में ही अक्षर ज्ञान के साथ –साथ

संगीत कला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। हर्षचरित में भी वर्णन मिलता है कि राजश्री नृत्य आदि से विदग्ध सखियों के बीच सकल कलाओं का प्रतिदिन अधिकाधिक परिचय प्राप्त करते हुए शनैः–शनैः बढ़ रही थी।[3] इस काल में नारी शिक्षा का कार्य सामान्यतः संकुचित हो गया। सामान्यतः उच्च वर्ग में कन्याओं को आवश्यकतानुसार सीमित शिक्षा प्रदान की जाती थी। जिससे कन्याएं उच्च वर्गीय परिवारों के अनुकूल सुसंस्कृत एवं प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। जबकि सामान्य परिवारों की कन्याओं की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन युक्त व्यवसायगत प्रशिक्षण तक ही सीमित था।

नारी जीवन का मुख्य पक्ष उसका गृहस्थ धर्म था। गृहस्थावस्था में एक पत्नी के रूप में उसी प्रतिष्ठा पूर्ववत् थी। किसी याज्ञिक अनुष्ठान की पूर्ति में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। वात्स्यायन द्वारा चित्रित आदर्श पत्नी स्मृतियों में वर्णित पत्नी का वर्णन इसे हम यथार्थ जीवन का प्रमाणिक प्रतिबिम्ब मान सकते हैं। इसमें सेवाभाव आत्मसंयम तथा गृहकार्यों में कुशलता के गुणों का विवेचन है।[4] मनु ने इसी पर अन्य आश्रम के अस्तित्व की परिकल्पना किया है। सन्तानोत्पत्ति परिवार का भरण–पोषण, धार्मिक कृत्यों के साथ ही साथ अन्य सामाजिक आर्थिक और धार्मिक कार्यों का पालन इसी आश्रम के अन्तर्गत था। प्राचीन धर्मग्रन्थों में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। परन्तु वात्स्यायन ने गान्धर्व विवाह को प्रबल समर्थित और सर्वोत्तम बताया है क्योंकि वह पारस्परिक सहमति के परिणाम स्वरूप भयाक्रान्त वातावरण में योग्यवर के अभाव में भी रजस्वला होने के पूर्ण कन्या का विवाह धार्मिक और सामाजिक बाध्यता बन चुकी थी। इस मत का समर्थन हमें पराशर स्मृति में देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि रजस्वला कन्या को देखने पर पिता व भाई नरकगामी बनते हैं।[5] परन्तु राजनीतिक अस्थिरता तथा मुस्लिम आक्रमणकारियों के परिणामस्वरूप भयाक्रान्त वातावरण में योग्य वर के अभाव में भी रजस्वला होने के पूर्व कन्या का विवाह धार्मिक और सामाजिक बाध्यता बन चुकी थी। इस मत का समर्थन हमें पराशर स्मृति में देखने को मिलता है जिसमें कहा गया है कि रजस्वला कन्या को देखने पर पिता व भाई नरकगामी बनते हैं।[6] कथासरित्सागर में कन्यायों का विवाह

अल्पकाल में करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, कहा गया है कि ऋतुमती होने पर उसके बन्धुबान्धव अधोगति को प्राप्त करते हैं, यदि वह कन्या वृषली हो जाती थी तो उसका पति वृषलीपति कहलाता था।[7] इस समय राजाओं और सामन्तों आदि में बहुपत्नित्व की प्रथा थी।[8] इस समय नारियों को धार्मिक क्रियाएं सम्पादित करने का अधिक अवसर उपलब्ध हुए क्योंकि पुराणों तथा स्मृतियों में पर्व के दिनों व मांगलिक कार्यों के आधार पर उपवास, पूजा, तीर्थयात्रा तथा व्रत आदि करने का अधिकार स्त्रियों को प्रदान किया गया। इन धार्मिक कार्यों में वैदिक मंत्रों के उच्चारण की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी स्थिति में स्त्रियां बड़े उत्साहपूर्वक इन धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेती थीं। जातको से पता चलता है कि स्त्रियां अपने दायित्वों को भली–भांति पूरा करने का प्रयत्न करती थीं। वधू अपनी सास की सेवा अपनी मां के समान करती थीं, एक अन्य वधू अपनी सास की सेवा करते हुए उसकी पीठ मलते हुए उसके कष्टों को जानने का प्रयत्न कर रही थी।[9] कुछ ऐसी नारियों का उल्लेख मिलता है कि जो अपने वधुओं को प्रताड़ित करती थी। तत्कालीन कुछ परिवारों में सासों का पर्याप्त प्रभाव था। स्वयं एक नारी होकर दूसरे नारी का शोषण और प्रताड़ित करने में कोई संकोच नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे घरों में अपनी पुत्रियों का विवाह करना चाहते थे, जहां दुष्ट सास व ननद न हों।[10]

प्राचीन काल से पुरुष ने अपनी भोगवादी प्रवृत्तियों के कारण स्त्रियों को वेश्या के रूप में प्रयोग किया है। पूर्वमध्यकालीन साहित्य में इनके लिए वेश्या, गणिका तथा विलासिनी आदि का नाम उल्लिखित है। पूर्वमध्यकाल में ये प्रायः सभी नगरों में रहती थीं। क्षेमेन्द्र के वर्णन से ज्ञात होता है कि धनी व्यक्तियों के इकलौते पुत्र ऐसे नवयुवक जिनके पिताओं की मृत्यु हो गई थी, राजाओं के अमात्य, व्यापारियों के पुत्र, वैद्य, कामुक तपस्वी व राजकुमार, संगीतज्ञ, विद्वान एवं शराबी ये सभी वेश्याओं के यहां आते थे।[11] स्मृतियों के विवरणों से पता चलता है कि परपुरुष गमन अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण अपराधों में से था। कामसूत्र तथा वृहत्संहिता से पता चलता है कि कुल्टा पत्नियां अपने प्रेमियों से मिलती थीं।[12] ऐसे ही उदाहरण हमें कथासरित्सागर[13] एवं यशस्तिलक[14] से प्राप्त होता है। जहां तक स्त्रियों के दूषित चरित्र के कारणों का प्रश्न हैं इसमें इस समय तन्त्र के बढ़ते हुए सिद्धान्तों एवं प्रभावों का योगदान था। इस समय तंत्र सम्प्रदाय में पंच मकारों की प्रधानता थी। जिसमें स्त्रियों को और दूषित होने में योगदान दिया होगा। व्यभिचारिणी स्त्रियों को दण्ड की व्यवस्था न करके विधि वेत्ताओं ने इनके लिए प्रायश्चित की व्यवस्था की है। नारी वर्ग के सम्बन्ध में तत्कालीन स्मृतिकारों द्वारा बनाए गए नियमों में व्यापकता एवं लचीलापन देखने को मिलता है। वेदव्यास, अत्रि और देवल ने घोषित किया है कि किसी दूसरे वर्ण के पुरुष से गर्भवती होने पर स्त्री प्रसवकाल और अगले मासिक धर्म तक अपवित्र रहती है। बाद में अपनी खोई पवित्रता प्राप्त कर लेती है। इस काल में कुट्टनियों का उल्लेख मिलता है जो न केवल गणिकाओं को निरीक्षण अपितु कुछ परिव्रजिका के रूप में रहती थी, जहां गणिकाओं का निरीक्षण एवं धनिक पुरुषों को उपलब्ध कराती थी। कुछ ऐसी कुट्टनी स्त्रियां होती थी जो सच्चरित्र गृहणी स्त्रियों को भी पथभ्रष्ट करने का कार्य करती थीं।[15]

पूर्वमध्यकाल में हमें देवदासी प्रथा के दिग्दर्शन होते हैं। देवदासी प्रथा की जानकारी बौद्ध जातकों एवं अर्थशास्त्र आदि में नहीं मिलने के कारण इसका प्रारम्भ बाद के काल में हुआ होगा। मेघदूत में उल्लिखित है कि उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में अनेक देवदासियां नृत्य–गान में संलग्न रहती थीं। पद्मपुराण में उल्लिखित है कि मंदिरों की सेवा के लिए अनेक सुन्दरियों को क्रय करके प्रदान करना चाहिए। अरबी यात्री आबूजैद अलहसन ने देवदासियों का उल्लेख किया है कि स्त्रियां संतान होने की मनौती करती थीं यदि उन्हें सुन्दर कन्या उत्पन्न होती है तो नवजात कन्या को मंदिर में ले जाती है। मूर्ति की आराधना करके उसे वहीं छोड़ देती थीं। कालान्तर में किशोरावस्था प्राप्त करने पर उसे सार्वजनिक मंदिर में एक कमरा मिल जाता था। ये स्त्रियां देव मंदिरों में नाचने गाने का कार्य करती थीं। इनकी उपस्थिति देव मंदिरों

में कामाचार को बढ़ा रही थी। ये देवदासियां नृत्योत्सव, मानोत्सव, वाद्योत्सव के कार्यक्रमों को सम्पन्न करती थी जिसमें राजा भी भाग लेते थे। इससे स्पष्ट है कि इस काल में देवदासी प्रथा को केवल धार्मिक आधार ही नहीं अपितु राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था।

पूर्वमध्यकाल में नारियों की सबसे भयावह स्थिति वैधव्यता की थी। इस प्रकार की स्त्रियों के लिए केवल दो मार्ग थे सहभरण अथवा ब्रह्मचर्य का मार्ग प्रशस्त था। सती शब्द की अभिव्यक्ति के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य में 'अन्वारोहण', सहगमन, सहमरण, अनुमरण आदि शब्द प्रचलित थे। राजतरंगिणी में कल्हण ने सूर्यमती की दर्दनाक सती होने का वर्णन अत्यन्त सफलता के साथ किया है। यह सती प्रथा केवल उच्चवर्गों तक ही नहीं अपितु जनसामान्य के मध्य व्याप्त थी। सुलेमान और अलबरुनी भी विधवाओं के द्वारा अन्वारोहण किए जाने की पुष्टि करते हैं। स्त्रियों की अशिक्षा का पूरा लाभ उठाते हुए उन्हें लौकिक तथा पारलौकिक पुण्य का लालच देकर अन्वारोहण के लिए मानसिक रूप से तैयार करते थे। जिससे इनके पति द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में कोई अधिकार न दिया जा सके। विधि वेत्ताओं द्वारा विधवा स्त्री को अनेक बन्धनों तथा रुढ़ियों में जकड़ दिया था। कथासरित्सागर के एक विवरण से पता चलता है कि पिंगलिका के पति के द्वारा अपने पितृशोक से सरस्वती नदी में अपना शरीर त्याग दिया। इस समाचार को सुनकर गर्भवती होने के कारण अपने बन्धुओं से सती होने के लिए आज्ञा नहीं प्राप्त किया। इससे पता चलता है कि गर्भवती स्त्रियों को सती होने की अनुमति नहीं थी।

पूर्वमध्यकालीन नारी राज्य के प्रशासन चलाने में सामान्यतः असंपृक्त थी। परन्तु समाज में सामान्य नारियों की स्थिति अपने गृहस्थ सम्बन्धी कार्यों में संलग्न रहती थी। यद्यपि राजपूत काल में ऐसी रानियों का विवरण अवश्य प्राप्त होता है जो पति की असमर्थता एवं पुत्रों के संरक्षक के रूप में राज्य प्रशासन में दृष्टिगोचर होती है। ऐसी नारियों में सुगन्धा, विजयभट्टारिका, नेका देवी आदि उल्लेखनीय हैं, जो राज्य संचालन के दायित्वों का निर्वहन कर रही थीं परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं।

नारियों के सम्बन्ध में जहां आर्थिक विषयों का प्रश्न है जिसमें माता–पिता द्वारा प्रदत्त धन या सम्पत्ति को 'सौदायिक' एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त उपहार को असौदायिक कहा जाता था। जहां सौदायिक पर नारी का पूर्ण अधिकार था, जबकि असौदायिक प्रकार के उपहारों को नारी इसे किसी को भी दे सकती थी।

इस समय नारियों को उत्पादन की गतिविधियों यथा–कृषि, पशु–पालन, तथा वाणिज्य से पृथक कर दिया गया जिससे महिलाएं अनेक आर्थिक अधिकारों से वंचित होने लगी। तत्कालीन उच्च वर्ग की स्त्रियां किसी आर्थिक गतिविधि में पुरुष के साथ भाग नहीं ले पाती थी। इससे विभिन्न गतिविधियों में इनकी सहभागिता एवं निर्णय प्रकिया में भागीदारी प्रभावित हुई। इस समय निम्नवर्ग की स्त्रियां कुटीर उद्योगों, में अपने पति की सहायिका के रूप में दृष्टिगोचर होती है। नारियां प्रायः सभी कालखण्डों में सौन्दर्यप्रेमी रही हैं। वे अपनी सौन्दर्य वृद्धि के लिए अनेकानेक प्रसाधनों से अपने को सुसज्जित करने के लिए रंग, रोगन, आभूषणों एवं वस्त्रों का प्रयोग करती थीं। राजघरानों एवं कुलीन स्त्रियों द्वारा कीमती वस्त्रों के धारण करने के साहित्यिक एवं अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जबकि अन्य वर्ग की नारियां अपने स्तर के अनुसार वस्त्रों को धारण करती थीं। पूर्वमध्य कालीन आमोद–प्रमोद के साधनों में कन्दुक क्रीड़ा, जलक्रीड़ा, उद्यानक्रीड़ा, पशु–पक्षी क्रीड़ा, नृत्य, संगीत, नारियों के उत्सव, गोष्ठियों एवं मेले में भाग लेने की स्वन्त्रता प्राप्त थी। राजपरिवार की स्त्रियों में अवगुंठन की प्रथा नहीं थी, वे दरबार में उपस्थित होती थी। विभिन्न राजकीय यात्राओं में राजा के साथ रहती थीं। साहित्य एवं मूर्तिकला में नारी का अंकन बहुतायत रूप से प्राप्त होता है। वाममार्गी तथा तान्त्रिक सम्प्रदाय के परिणामस्वरूप विभिन्न देवालयों में नारी देयष्टि को उत्कीर्ण किया गया है। इसे धर्म एवं तंत्र से जोड़ दिया गया।

पूर्वमध्यकालीन नारियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का जहां तक प्रश्न है उसकी स्थिति में निरन्तर ह्रास के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसकी स्वतन्त्रता पर अनेक प्रतिबन्धों का प्रावधान किया। यहां तक कि स्त्रियों को शूद्रों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया गया। परन्तु नारियों के अन्दर ममत्व, प्रेम, करुणा, सेवाभाव, समर्पण आदि गुणों का सम्मान अवश्य समाज द्वारा किया गया। नारियों के स्वतन्त्रता में अवरोध सामन्तीय व्यवस्था तथा मुस्लिम आक्रमणों का मूलतः प्रभाव था। यही स्थिति कमोवेश मध्यकाल तक देखने को मिलती है।

सन्दर्भ–

1. कथासरित्सागर, खण्ड–1, 634, 46–47।
2. पंचतंत्र, चित्रभेद 5।
3. हर्षचरित, 4.230।
4. कामसूत्र, 1–55।
5. कामसूत्र, 111, 51–30।
6. पराशरस्मृति, 7/8।
7. कथासरित्सागर, खण्ड 1, 624/191–193।
8. वही, खण्ड 2, 362/101–102।
9. जातक तृतीय, पृ0 392, 422।
10. कथासरित्सागर, खण्ड 1, 682/197।
11. क्षेमेन्द्र, समययात्रिका, 5.63–67।
12. कामसूत्र, 1.5 33–34, वृहत्संहिता 10.11।
13. कथासरित्सागर, खण्ड 2, 58/116।
14. यशस्तिलक उ0 4.1।
15. कुट्टनीमत्तम काव्यम– 26, कथासरित्सागर– 216/136–37।
16. जयशंकर मिश्र– प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ0 431।
17. पद्मपुराण–52–97।
18. ऐशेण्ट एकाउट्स ऑफ इण्डिया एण्ड चाइना, पृ0 88।
19. सखाऊ 2 पृ0 157।
20. देवी भागवत पुराण 5.17.15।
21. राजतंरगिणी, 7, 472।
22. वृहद्धर्मपुराण, 2.8.3–10, हिस्ट्री आफ बंगाल, जि0 1, पृ0 611।
23. कथासरित्सागर, खण्ड 1 424/111–112।
24. राजतरंगिणी, 5, 243।
25. अल्टेकर, द पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ0सं0–189–90।
26. समयमातृका 2.45।

अद्यतन परिवेश और संचार माध्यमों की भूमिका

*शारदा कुमारी**

संचार से तात्पर्य है संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम। संचार माध्यमों के विकास के पीछे का कारण मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना है, वर्तमान युग में संचार माध्यमों और समाज का अत्यंत गहरा संबंध है। तकनीकी विकास से संचार माध्यम भी विकसित हुए हैं। इससे संचार अब वैश्विक स्तर पर सहज और सुलभ बन गया है। यह संवाद, सूचना, संपर्क, सहयोग और विकास की अनिवार्यता बन चुका है।

चूँकि जन–संचार माध्यम तीन शब्दों के योग से बना है–जन–संचार– माध्यम। 'जन' का अर्थ है आम आदमी। संचार का अर्थ है 'आगे बढ़ना', फैलना या संदेशवाहक, 'साधन' इत्यादि।अंगरेजी में संचार को कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस प्रकार संचार, भावों या विचारों को बाँटने और ग्रहण करने की प्रक्रिया है।[1] हेराल्ड लॉसवेस के अनुसार संचार का मुख्य कार्य सूचना–संग्रह एवं प्रसार है, सूचना–विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण तथा लोगों का मनोरंजन करना है।

अनादिकाल से ही संचार माध्यमों का प्रभाव और प्रचलन समाज में रहा है। परंपरागत संचार माध्यम समाज की विकास प्रक्रिया से ही जुड़े रहे हैं और वर्तमान युग में संचार माध्यमों का महत्त्व अधिक होता जा रहा है। मानव और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, जिसमें दृश्य श्रव्य माध्यम प्रमुख हैं। दृश्य माध्यमों में दूरदर्शन, समाचार–पत्र, टेलिग्राम, परिपत्र, ज्ञापन , प्रतिवेदन, चित्र, चार्ट, फैक्स, ई–मेल आदि हैं। श्रव्य माध्यमों में–रेडियों, एफ०एम०, चलभाषा, आदि और दृश्य–श्रव्य माध्यमों में नाटक, फिल्म, टी०वी० आदि माध्यमों का समावेश है। मानव अकेले रहकर विकास से अछूता रहता है, वह समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है।

संचार शब्द का अर्थ है–'आगे बढ़ना', 'फैलना', या 'संदेशवाहक', साधन इत्यादि।संचार के अर्थ में ही विकास परिलक्षित होता है। संचार भावों या विचारों को बाँटने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है। संचार एक विशिष्ट शक्ति है, जो विचार और प्रवृत्तियों को बदलने की सामर्थ्य। रखती है, यह राज्यसत्ता को बदल सकती है। इसलिए डेविड ह्यूम की यह मान्यता सही है कि "जनसंचार ही, बताता है कि राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो ? सरकार का रूप कैसा हो, स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों का शासन हो या स्वतंत्र लोकप्रिय सरकार हो, जनसंचार माध्यम से ही पता चलता है।"

जिस प्रकार मनुष्य का शारीरिक, मानसिक विकास खासकर पौष्टिक भोजन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार मनुष्य के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए संचार प्रक्रिया की अनिवार्यता होती है। शुद्ध संतुलित संचार प्रक्रिया मनुष्य के बहुमुखी विकास में सहयोगी रही है और भविष्य में भी रहेगी। संचार सही अर्थ में एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे व्यक्ति के लिए संदेश सूचना, ज्ञान, संवेदना, तथ्य, अनुभव, विचार, मनोरंजन इत्यादि प्रेषित करने की एक ऐसी व्यवस्था या प्रक्रिया है, जिससे पारस्परिक संबंध, समझ, प्रभाव विश्वास और सामंजस्य में श्रीवृद्धि होती है।

***(नेट) नगर उच्च्तर माध्यमिक हिंदी शिक्षिका मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय,गया, बिहार**

सामाजिक चिंतन में बदलाव और संचार माध्यम दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। वस्तुतः सामाजिक चिंतन और उससे जन्म लेने वाले परिवर्तन को समाज तक ले जाने में संचार माध्यमों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। परिवर्तन एक धारा है और उस परिवर्तन को जन–जन तक पहुँचाना संचार माध्यम अर्थात मीडिया का कार्य है। यह कार्य मीडिया प्रारंभ से करती भी आयी है, चाहे तत्कालीन सामाजिक परिवेश में यह कार्य पारंपरिक मीडिया द्वारा किया जाता रहा है अथवा बदलती परिस्थितियों में यह भूमिका आधुनिक मीडिया ने ग्रहण कर ली हो।

मीडिया समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों का आईना है तथा वह सामाजिक परिवर्तनों का संवाहक भी है। वह परिवर्तन को दिशा प्रदान करता है, इसीलिए उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में तो मीडियाविहीन या मीडिया शून्य समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वस्तुतः आज की वैज्ञानिक उपलब्धियों ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। संपूर्ण विश्व की दूरियाँ कम हो गयी हैं और विश्व के एक कोने में हो रही राजनैतिक, सामाजिक हलचल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव विश्व के मानचित्र में सिमटे एक छोटे से देश पर पड़ना आज किसी भी प्रकार से अस्वाभाविक नहीं है। हम पढ़तें हैं, सुनतें हैं और देखते हैं और प्रतिक्षण हमारे कानों को, हमारी आँखों को कुछ–न–कुछ सुनाई पड़ता है या दिखाई पड़ता है, जो हमारे चिंतन को प्रभावित करता है। इस प्रकार मीडिया एक शक्ति हैं और विश्व के विकसित देशों ने इसकी शक्ति को स्वीकार किया है, पहचाना है और अपने देश और समाज के विकास के लिए इसका बखूबी उपयोग भी किया है। तीसरी दुनिया या विकासशील राष्ट्रों के लिए तो यह एक ब्रह्मास्त्र हैं, जिसका प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म एवं सावधानी के साथ सामाजिक संरचना एवं विकास के लिए किया जाना चाहिए।[3]

संचार माध्यमों की समाज में भूमिका तीन प्रकार की है, वह हमारा मनोरंजन करता है, वह सूचना का आधार बनाता है और वह हमें शिक्षित करने के कार्य करता है। देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक काल से दूसरे काल तक ले जाने के अद्भुत दायित्व के निर्वाह का कार्य मीडिया का ही रहा है। मीडिया अपने माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उजागर कर सकता है और उन समस्याओं का निदान का भी सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। परंपराएँ तभी तक जीवित रहती हैं, जब तक वह गतिशील रहती हैं और नवीनता द्वारा उनका श्रृंगार तथा संस्कार होता रहता है। समाज के बदलते परिवेश में परंपराओं को जीवंतता प्रदान करने के लिए नवीनता का समावेश आवश्यक है अन्यथा ग्रह्मता कठिन हो जायेगी। मीडिया इस दिशा में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अतः किसी भी सामग्री को प्रस्तुत करते समय उस पर गहरी सोच, चिंतन तथा शोध की आवश्यकता है। मीडिया की तलवार दोनों तरफ से पैनी रहती है। वह बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है।

हम जानते है कि मीडिया संवेदनशील समस्याओं को उजागर करती है। ये समस्याएँ समाज के हित में भी हो सकती हैं और अहित में भी। अब यह मीडिया के विवेकपूर्ण निर्णय की अपेक्षा रखता है कि वह कितना कहे और कितना छोड़े। अगर कहना समाज के हित में हैं, यह सार्थक परिवर्तन को बदल देने में सहायक सिद्ध होगा, तो कहना मीडिया का दायित्व है।[4] जनमानस सनसनीखेज समाचारों की ओर अधिक आकर्षित होता हैं, विकास सम्बन्धी समाचारों के प्रति आम लोगों की रूचि अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन यदि हम नकारात्मक पहलू पर ही बल देते रहे, तो हमारी आस्था प्रजातंत्रात्मक संस्था पर से समाप्त हो जायेगी और फिर सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की राष्ट्र की ताकत में कमी होती जायेगी। दूसरी ओर मात्र प्रचारात्मक उद्देश्य को दृष्टि में रखकर दी गयी सूचना संदेश या समाचार तंत्र और समाज में गलत–फहमियों को जन्म देगा, जो कालांतर में समाज के हित के विरूद्ध होगा। अतः दोनो प्रकार की अतिवादी प्रवृतियों से भी मीडिया को बचना चाहिए।[5]

आज हमारे कदम विकास की दिशा में तीव्र गति से बढ़ रहे है पर साथ ही पुरानी मान्यताएँ भी टूटने लगी हैं। पाश्चात्य विचारधारा ने हमारी सोच को प्रभावित किया है। हम कई संदर्भों में विदेशीपन से प्रभावित होने लगे हैं।सच कहा जाय तो हम उसकी अंधी नकल भी करने लगे हैं। संयुक्त परिवार और गाँव–ये दोनों हमारी संस्कृति के आधार स्तम्भ रहे हैं। ये दोनो ही टूटने लगे है और हमारी सामाजिक व्यवस्था में बिखराव आ गया हैं। आदर्श समाज की हमारी कल्पना धराशायी होती नजर आ रही है। बढ़ती जनसंख्या ने आर्थिक प्रगति का मार्ग अवरूद्ध कर दिया है।असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है और हम असंतोष की आग में जल रहे हैं। भौतिकवादी प्रगति आज हमारा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सामाजिक प्रतिष्ठा का मानदण्ड अर्थ बन गया है। यह सदाचार से प्राप्त किया जाय या कदाचार से इसकी प्राप्ति में तमाम नैतिक मूल्य और मर्यादाएं ध्वस्त हो रही हैं। देश की पूँजी अनैतिक रूप से लूटकर धन कुबेर विदेशों में पलायन करने लगे हैं। राजनीति का अपराधीकरण हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग बन गया है। आजादी के बाद बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ नष्ट हुई हैं, पर कुछ तो सुरसा के मुँह की तरह विकराल आकार ले चुकी हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, दहेज, यौन–संबंधी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार की अनेक सामाजिक समस्याओं से हम घिरे हैं। इन सारी परिस्थितियों से मीडिया को लड़ना है। वांछित परिवर्तन लाने का कार्य मीडिया का भी दायित्व है, सही सूचना और सही जानकारी देकर हम इन कुरीतियों के विरूद्ध जनमत तैयार करने की भूमिका अदा कर सकते हैं। जनमानस को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी सोच का ढ़ंग बदले।[6] आज मीडिया को नकारात्मक परिवर्तन रोकने का साधन बनना पड़ेगा। हिंसा, अपराध, सेक्स, मादक द्रव्यों का सेवन, भ्रष्टाचार आदि की प्रवृत्तियों को रोकने हेतु सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मीडिया को सामाजिक परिवर्तन का संदेश जन–जन तक पहुँचाना होगा और इस दिशा में प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को साम्मलित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

अतः कहा जा सकता है कि आज के समाज को सही राह दिखाने वाले नेतृत्व की आवश्यकता है और इस दिशा में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो सकती है। देखा जाए तो दूरदर्शन जो कि शुरूआती दौर से ही समाज को शिक्षित, नई दिशा या सकारात्मकता की ओर ले जाने की कोशिश में था, वह समाज को साफ–सुथरी छवि वाली चलचित्र, नाटक तथा समाचार व विज्ञापनों को प्रसारण सकारात्मक ढ़ंग से करता था, जिससे हमारा समाज भ्रमित न हो और नयी दिशा मिले, नया दृष्टिकोण मिले, आज वह भी प्रश्नों के घेरे में हैं।

आज मीडिया को नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे समाज और युवा पीढ़ी को रोकने का साधन बनना पड़ेगा। हिंसा, अपराध, अश्लीलता, मादक द्रव्यों का सेवन, भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों को रोकने हेतु सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। मीडिया ही ऐसा माध्यम है जो सामाजिक संदेशों की सकारात्मकता को जन–जन तक पहुँचा सकता है। अतः इस दिशा में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को सम्मिलित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1.जितेन्द्र वत्स हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम, पृ०18
2.वही, पृ० 19
3.विश्वनाथ पाण्डेय, संप्रेषण और रेडियो–शिल्प, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ० 208
4.वही, पृ० 210
5.वसुंधरा प्रसाद–टेलीविजन पत्रकारिता, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली, पृ० 81–82
6.वही, पृ० 83

Evolution Of Canadian Literature : And Margaret Atwood

Dr. Arun Kumar *

Canada presents a spectacular case study of how a nation can emerge and evolve itself in just 140 years with a vibrant and lucrative economy, life style and literature out of extreme environment, out of history that does not stretch beyond 500 years, a population roughly half of the United Kingdom who ruled the land for long and out of borrowed colonial- cultural tradition. Canada was bereft of any legacy of culture and tradition; and if it existed, that it did in a way, it remained confined to the aboriginals who were feted out to be in the mountain recess and they count little in the evolution of Canada as a settlers' colony. It was originally inhabited by American Indians, anuits Eskimo who constitute only 2% of its population.

Canada was first discovered by Scandinavian explorers in 1000

A.D. It was confirmed by archeological evidence from Newfoundland. However, the first settlers were the French. The French claim to Canada was made in 1534 when Jacques Cartier entered the Gulf of St. Lawrence. A small settlement was made in Nova Scoti (Arcadia) in 1605, and by 1608 Samuel De Champlain had reached Quebec. Fur trading was the impetus. behind the early colonizing efforts. In response to French activity, the English in 1670 formed the Hudson's Bay Company. The British-French rivalry for the interior of upper North America lasted almost a century. The first French loss occurred in 1713 at the conclusion of Queen Anne's War (War of Spanish Succession) when Nova Scotia and Newfoundland were ceded to the British. The Seven Years' War (French and Indian War) resulted in France's expulsion from continental North America in 1763. After the American Revolution Canada's population was augmented by Loyalists fleeing the United States, and the increasing number arriving in Quebec led the British to divide the colony into Upper and Lower Canada in 1791. The British reunited the two provinces in 1847. Canadian expansionism resulted in the confederation movement of the mid 19th century and in 1967 the Dominion of Canada, comprising Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, and Ontario, came into existence. After confederation, Canada entered a period of westward expansion. The prosperity that accompanied Canada into the 20the century was marred by continuing conflict between the English and the French communities. Through the statute of Westminster (1931), Canada was recognized as an equal partner of Great Britain. With the Canada Act of 1982, the British gave Canada total control over its constitution and severed the remaining legal connections between the two countries. French Canadian unrest continued to be a major concern, with a movement growing for Quebec Separatism in the late 20th century.

*

Referendums for more political autonomy for Quebec were rejected in 1992 and 1995, but the issue remind unresolved. In 1999 Canada formed the new territory of Nunavut.

W.J. Keith brilliantly introduces us to the basic demographical and topographical facts of Canada that make it an interesting case to study :

> Canada. A country stretching over 3,000 miles (some 5,500 kilometres) from east to west and sometimes extending almost 3,000 miles from south to north, though most of its northern lands are unsettled and uninhabitable. In area the second largest country in the world, with a population less than half that of the United Kingdom. A country with two official languages, English and French, and many unofficial. A country that shares its vast east-west boundary with an English-speaking, culturally aggressive nation state boasting almost ten times its population. A country in which the native people (Indian and Inuit) now constitute less than 2 percent of its total inhabitants. A country of close to 4 million square miles in which over three-quarters of the population live in towns and cities. A country which began to come together as a stable political unit in 1867 and whose present boundaries were established as recently as 1949. A country whose written history spans no more than 500 years (John Cabot entered the Gulf of St Lawrence in 1497), and whose English literary tradition can be traced back no further than the middle of the eighteenth century.

What we have today as Canada, the USA and Mexico were all parts of North America in the western hemisphere. It lies mostly between the Artic circle and the Tropic of Cancer. It is virtually surrounded by water bodies like the Pacific ocean, the Arctic and the Antarctic oceans, the Caribbean sea, and the Gulf of Mexico. Its geological structure is built around a stable platform of Precambrian rock called the Canadian shield. The new country Canada derives its name from there. It remained for a long time barren, inhospitable and sparsely inhabited. The process of its development starts with the inflow of settlers from France and England in sixteenth and seventeenth century. The Britishers brought with them slaves from south Africa who also settled over there.

The evolution of Canada as a distinct domain starts off with the freedom of thirteen of Britain's North American colonies as the United States of America in 1783, when England formally gave recognition to the

U.S.A. This is how the U.S.A came into being. This brought in a new. change in the rest of the colonies of the North America particularly in the Canadian maritime colonies which were the centre of immigrants and settlers form the USA who were loyal to the British and did not want divorce from the mother-country. It is a fact that the British laid the foundation of the social,

political, cultural and literary life in the U.S.A. and it eventually covered Canadian colonies as the Canadian nation. It further gained shape with a massive immigration of the Britishers to the west Canada after the Napoleonic wars. The settlers particularly through the Hudson's Bay company and North west companies did a lot to make the wild terrain inhabitable. Settlers gradually identified themselves with their adopted land in groups and organised themselves to protect their interests and spread their hold over the land. The rebellions in Upper and Lower Canada in 1837 though unsuccessful, was testimony to the growing political unrest. The rebellion resulted into Lord Durham's Report of 1839 that recognised the need for unification of British North America. After a series of conferences four provinces namely New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, and Quebec formed a confederation in 1867. This confederation was joined by Manitoba in 1870, British Columbia in 1871 and Prince Edward Island in 1873. The Western Prairies previously administered as part of the Northwest

Territories, were reorganised into two provinces : Alberta and Saskatchewan and were added to the confederation. Finally Newfoundland joined it in 1949 to complete the Canada's current boundaries very much on the pattern of the U.S.A. Canada is a federation of ten provinces of different hues with power divided between the central federal government and the provinces. So Canada remains to be curious combination of 'flexibility' and reluctant compromise which is both its weakness and strength. It is this cultural diversity and openness to foreign influences particularly those of American, British and French that make up modern Canada.

It is often argued that Canada feels shy of the absence of literary tradition, historical continuity and relatively slow and late growth of national literature that we find today vying with the literatures of other countries. Canadian Literature has seldom been considered in terms of any consistent historical continuity. Historians like W.J. Keith attributes this critical hiatus to individual investigators who having experienced a clash of loyalties and priorities counted on the contemporary achievement and ignored its ancestry, its lines of development, its relations to the larger context of literature in English and French.

Keith does not feel shy of tracing its tradition in its relation with England, France and later on with America. He writes :

> I would argue, however, that the Canadian literary tradition is now sufficiently established that it can be discussed in relation to the literatures of Britain and the United States without embarrassment and without any nagging sense of cultural inferiority. Thus the British tradition can now be recognized riot as an imperialistic burden to be discarded but as an example— not one to be meekly imitated, of course, but to be cherished and emulated. However independent Canada may now have become,

> the British connection remains an essential element in our past with palpable effects upon our present. Similarly, while there are currently reasons to view it with some defensive unease, the American literary achievement is better seen not negatively as a threatening force but as a parallel yet different and stimulating offshoot. Indeed, this metaphor of branches growing out from an original tree (or of children gradually becoming independent of a parent) has constantly been employed in discussion of Canadian literature in English since the latter part of the nineteenth century.

However, this phenomenon of a servile Child gets effaced with the outburst of a nationalistic movement in politics and literature in the last quarter of the nineteenth century and the early twentieth century. It was a strong awakening of national spirit to assert its independence and a distinct identity. It shows both the confidence and the anxiety of a sparsely populated country caught in a triangle of superpowers. This gave rise to a group of zealots or fanatic to some extent for the cause of a nation. This led to a palpable divide between the two extremes : native and cosmopolitan. The former rejects any trace of outside influence and wants to see Canada in the vanguard. The latter was cosmopolitan in outlook and acknowledged and welcomed foreign influences. It had scant regard for the root and was pro-American in attitude. Keith discovers a middle way or an alternative road. Given the cultural diversity of the country all this was a natural course of development through which the different ethnic groups learnt to coexist, to adjust with one another and to develop greater understanding of one another despite descent.

French claim in Canada consistently narrowed down and got confined to Quebec owing to linguistic barrier, political defeat and linguistic and cultural affinity between the U.S.A. and England. Still the fact remains that English and French are the official languages of Canada and there must have been deep and far reaching interrelations between French Canadian writings and English Canadian writings. Mac Lennan, a French- Canadian writer, draws our attention to this problem in his first novel, Two Solitudes and expresses his desire to have love between the two when he quotes, Rilke's poem.

Love Cconsists in this that two solitudes protect
and touch, and greet each other

As far the slow growth of Canadian Literature is concerned, it is quite natural given the fact that settlers did not have the luxury of leisure and had to cope with the problem of survival. So other physical engagements obviously got priority over leisurely enterprise like art and literature. So the charge sometimes levelled that 'Canada is a cultural wasteland' is unjustified. For having achieved physical strength its writers slowly but surely found means to convey what W.W.F. Ross calls, 'the sharper tang of Canada' and they made their presence

strongly felt and silenced Arnoldian critics who ridiculed the idea of Canadian or Australian Literature as 'reduction and absurdum'. Canadian nationalism fuelled the growth. It took shape with Hugh Mc Lennan's *Barometer Rising* and *The Precipice* in which he tried to explore general Canadian myth. The Second World War fueled Canadian nationalism and it was well carried forward by writers like Robertson Davies in his trilogy *Fifth Business*, *The Manticore* and *World of Wonders*. Canadian nationalism obviously turned into Canadian identity with sharper teeth to decolonize the Canadian mind and it finds powerful expression in Margaret Atwood, Alice Munero, Margaret Laurence, Michael Ondaatje, Yann Martel, Alistair Mc Leod, and Carol Shields.

Having seen the genesis and the socio political growth of Canada, it is imperative for this study to present an outline of the history of Canadian Literature. As a matter of fact Canadian literature in English began as British literature with an anti-American tint and then continued for long as appendage to the English literature but gradually it has gained a distinct identity in recent years. W.J. Keith rightly pointed out:

> " the way in which literature written in Canada began as a continuation of what was being produced in Great Britain, had to define itself against the American tradition as it developed in the United States, and eventually evolved as a distinctive literature related to but independent of both parent and neighbour. (Author's preface to *Canadian Literature in English*).

It is interesting to note that the writing in English in Commonwealth countries began with the work of travellers and explorers. Of course it was utilitarian writing trying to come to terms with the new found land and the people. Such literature was often published in the respective countries of the travellers. Indian literature in English has its beginning in Anglo-Indian writings. So is the case with Canada Early writings were like letters, diary, notes, and news reports. Some explorers like Samuel Hearne in *Journey from the Prince of Wales's Fort in Hudson's Bay to the Northern Ocean* (1795), Alexander Mackenzie in *Voyages from Montreal on the River St. Lawrence, through the Continent of North America to the Frozen and Pacific Oceans in the Years, 1789 and 1793* (1801) and Alexander Henry in Travels and Adventures in Canada and the Indian Territories in 1809 brought to light hitherto unknown recesses of the continent, their adventures, struggles and also the slaughter of the Inuits in a rather loose narrative. They were of practical use in their own time and remain of historical importance. At times they also serve as staple materials for modern writers when they attempt at recreating the past.

Women Empowerment and Development Effectiveness Through Gender Mainstreaming Gender Equality and Poverty Reduction in Panchayati Raj

Santosh Ram*

Abstract :- *Gender mainstreaming is a process to achieve greater gender equality and overcome the costs of women's marginalisation. Unequal gender relations distribute the burden of poverty disproportionately on women. They can also be the cause of poverty among women and girls in non-poor families. These unequal relations therefore need to be addressed both as a cause and as a factor in the intensification of poverty. Empowerment of women has to go beyond mere instrumentalism and begin with first addressing questions of women's agency, their well-being and self-esteem and then that of their families and communities.*

Introduction : Gender mainstreaming in Panchayati Raj institution is a process to achieve greater gender equality and overcome the cost of women's marginalisation. Unequal gender relation distribute the Burden of poverty disproportionately on women. They can also be the cause of poverty among women and girls in non poor families. These unequal relations therefore, need to be addressed both as a cause and as a factor in the intensification of poverty. Empowerment of women has to go beyond mere instrumentalism and begin with first addressing questions of women's agency, their well being and self esteem and then that of their families and communities. Development effectiveness's through gender mainstreaming signifies performance in bringing about change in increased productivity, improved social development and enhanced gender equality in rights resources and Political voice that generally disadvantage women. The coast of gender inequality, are particularly noted in hindering development in term of more poverty, increased deprivation and chronic failure in satisfaction of social need (nutrition health, education, dignity, social prestige self esteem). Thus, development effectiveness cannot be measured exclusively in terms of reduction of income poverty, or in the achievement of project objectives. One must also focus on the impact of development assistance on processes of inclusion, enhancing capablities and gender, social equalities. To assess the effectiveness of a given development intervention, two questions need to be answered in tandem. What contribution does development policy makes to bring about change in gendered conditions for achieving reduction of poverty and women's in equality : What policies or programmes have been effective in closing the gap between development rhetoric and the reality of women's day to

* **Research Scholar, U.G.C. NET Ph.D, Dept. of Pol. Science, M.U. Bodh Gaya**

day existence; and in setting new standards for gender responsibility of public accountability system, including that of the civil society? Since the mid - 1990s there has been a major research effort in to development effectiveness by academic around the all state of the country and world. A 1997 desk review of the world Bank project found that project that took gender relation into account in their design and implementation tended to achieve their objetives more often than projects that ignored gender issues (Murphy 1997).

This was further supported by a more recent analysis done by the Bank based on desk review and field studies. This analysis concluded that project tended to have better on the ground impact when gender issues had been analysed at the country and project level and gender differentiated needs or impcts were recognised in project and programme design (World Bank 2001). In India, for examples The simulation results suggest that the two interventions most strongly associated with infant mortality reduction in the poor states are inreased schooling of mothers and additional public spending on health and family welfare (Dealaliker 2005 : 3). That failure to recognise - gender - differentiated constraints when designing policies can compromise the effectivenes of those policies, from both equity and efficiency perspectives. If development projects and project officials, do not take the lead in initiating measures to reduce present inequality in gender relations, such are not likely to comes about on their own, through so called demand driven measures, given that the men who dominate the social sphere would inevitably dominate the formulation of demand driven measures. Project design and implementation by project officials are necessary to ensure that the much needed social chnges, change in gender relations, are made a part of poverty reduction process.

Political Status :

Political status of women has been defined as degree of equality and freedom enjoyed by the women in governance and decision making matters. Politically, Uttar Pradesh is credited to here contributed several firsts in the country. Immediately after independence it had a woman governor sarojini Naidu. It also had woman chief ministers, Suchete Kriplani and Mayawati- The latter becoming icon of Dalit Politics in the state. The most famous Indian woman Indira Gandhi. Who shaped the destiny of the country for nearly two decades, was born and brought up in this very state and won all her Lok Sabha elections, except one. Against the glorious history of women in power, position of women in local self-governance is meagre. Woman have been given opportunity to lead through the reservation imparted in 73rd Amendment. They have also entered the political arena of rural up in great numbers. Under mining the capacities of women, this opportunity is in majority being utilized by their male counterparts and not by them. Despite the fact that their contribution in the planning and implementation is necessary to incorporate perspective and needs of women in developmental process, their role in decision making and planning is not considered important.

Objectives of the study

(1) To examine the fact as to whether inadequate representation and participation of women in the Panchayat Raj institution is one of the major factors that has contributed to the low status of women in the rural areas.

(2) To examine as to how far the participation of women has been successful in integrating the issues concerned with the women community in the mainstream of decision making.

(3) To substantiate the existence of disparity and disadvantages faced by women in their participation in the Panchayat Raj institutions

(4) To identify the causes and obstacles that infringe the participation of women in the Panchayat Raj institutions.

(5) To examine the complementarily of the legislative measures and developmental measures in raising the status of women.

(6) To examine as to how far the participation of women in the political process has made a dent in the grim issues and challenges before women.

Aims and objectives

(i) Nearly all the SC gram pradhans and about 85% of the other women gram pradhans are illiterate with very poor understanding and knowledge of the gram panchayat manuals, their rights and responsibilities, poverty alleviation and employment generating schemes which are currently operational in the rural areas . They are even unaware of the major sources of revenue of the gram panchayats.

(ii) Almost all the SC women gram pradhans and nearly 30% of those hailing from other backward classes (OBC), are dummy gram pradhans in the sense that either they avoid participating in the meetings of the Gram Sabha altogether or simply sit through the meetings of the GP without any active participation in the deliberations whatsoever.

(iii) Only those women gram pradhans who belong to the general category and a very small percentage from the backward classes actively participate in the meetings of the gram sabha and are involved in the decision making process.

(iv) Most of the women pradhans who were sympathetic and conscious towards the problems, plights and issues faced by the village women community were nonetheless pathetically indifferent towards raising the issues in the meetings of the gram panchayat.

(v) Political participation of women in the local rural bodies has hardly made any noticeable dent in terms of raising their social and economic status, improving the literacy ratio, providing health, maternity and sanitation benefits to women and ameliorating violence, oppression, menace of dowry, rape, discrimination etc.

(vi) Political consciousness in general and awareness regarding women's status and related issues in particular are more marked in the developed blocks of Handia as compared to Shankargarh block (which is primarily a backward block)

(vii) A significantly high degree of positive correlation of 0.89 was observed between education and awareness of the issues related with women in both the blocks.

(viii) Almost all of the women gram pradhans were of the view that lack of education, male dominance, degraded social status, family workload, immobility and ignorance of rules and regulations etc are serious impediments in their performance.

Observations

The adoption of legislative approach to women empowerment through the reservation of seats in Panchayat Raj institutions and that too at a time when the government has shown a keen commitment to implement various employment and poverty eradication schemes at the very grass root levels and increasing the role of local self governments in the implementation of plans, is definitely a desirable and welcome move and should ideally prove to be effective.

Conclusion

Women leadership gets toned down due to many social traditional and personal factors. The patriarchal influence and traditional norms of rural society undermine her leadership. To cope up with the inhibiting factors and standup in Panchayat, women need to be more articulative in coordinating the social and economic roles, thus making space for the new political role in her life.Reservation is just a means towards equality and not an end in itself. To make it successful both men and women must strive to ensure that the end is achieved. Women's engagements and participation thus began virtually from scratch in Panchayati Raj institutions. The journey of women leadership in local governence is not long: She is still in her learning phase to take up roles that were never of her. Concern in the past. It is true that only women can effectively voice their pent up feelings, requirement and perspective in development process. Thus preparation of women is important to voice needs and ideas of this faction of society in development.

References:-

1. World Bank (IBRD) (2001) : Engendering Development through gender equality in Rights, Resources and voice oxford university press (For the World Bank), New York.
2. (2001) : The gender Dimension of Bank Assistance : An evaluation of Results, operations evaluation Department, Washington, DC.
3. World Bank (1995) : World Development Report : Workers in an integrating World Oxford University Press, Washington, DC.

4. UNIFEM and SEWA Bharat (2002). Proceeding of workshop on Globalisation and its impact on women workers in the informal economy, New Delhi Unpublished.
5. (2004) : Humn development Report.
6. S. Waminathan, MS (2005) : The sons of the soil in the hindu, April 19.
7. Government of India (1991-2001) " Census of India, office of Registrar general and census commissioners.
8. Government of India and Aademic foundaton (2004) : State of the Indian farmer : A millenium.

Caste system in India: A Psychological Study

MD Aslam*

Abstract

Caste persists as an important socio-psychological phenomenon in many spheres of Indian social life and particularly within village contexts. It is argued that socio-psychological insights into caste identity and caste- based stigma may complement ongoing sociological and anthropological research into caste. Drawing upon identity process theory, this article explores the possible functions performed by caste-based stigma both for the higher caste groups (HCGs) and the 'Scheduled Caste' (SC) groups. It examines how the maintenance of the social hierarchy impli- cated in the caste system, the spatial and endogamous separation of caste groups and the historical division of labour in accordance with caste group affiliation, may impinge upon identity processes among both groups. It is argued that caste group affiliation and caste-based stigma have differential and sometimes conflicting implications for identity processes among the HCGs and SCs. While negative social representations of the SCs may threaten self-esteem among SC members, it may enhance the self-esteem, meaning and distinctiveness principles among the HCGs. The systematic positioning of the caste ingroup and outgroups within the social matrix may enhance meaning and distinctiveness among both the HCGs and SCs. This article highlights a potential rationale underlying caste group members' resistance to social change vis-à-vis caste, even among those who might be expected to benefit from such change. Some theoretical points are made in the form of testable hypotheses and methodological issues in caste-related research are considered.

Description : Life in India is encompassed by the far-reaching caste-system ordained by the dominant Hindu religion. It is the most rigid system of social stratification in the world "Though it originated as an "inter-caste system of inter-dependent privileges and responsibilities" in which everyone was enabled to make some unique contribution to the welfare of society and receive in turn an assurance that his necessities would be supplied it had, with the passage of time degenerated into a hierarchical system of racial discrimination (Anant, 1974). It become a pivotal institution of Hindu society. Inter actions among members of different castes are shaped and directed by hierarchical positions of each caste. This system displays the characteristics of exclusiveness, inclusiveness and hierarchical relations.

* **Research Scholar , Dept. of Psychology, M.U., Bodh-Gaya**

The term caste is of Portuguese origin. It has been derived from the word caste 'which signifies properly' race' or 'broad' Hindu society is divided into a number of distinct sections known as castes, which are regarded as high and low according to their position the social scale, and that members of the same caste eat and drink together and marry among themselves of (O'Malley, 1974). Risley (1891) defined caste as 'as collections, a common descent from a mythical ancestor, human or divine; and regarded by those who are competent to given opinion as forming a single homogeneous community." Myrdal (1944) considers caste as the extreme form of absolutely rigid class" in which freedom of movement between groups is not permissible. Hocard (1950), Ghurye (1961), and Hutton (1963) have delineated socio-religious and ritualistic considerations as the central feel of caste-hierarchy. They have considered caste as the institution of stratification in India. There are four readily identifiable castes, the Brahmins or priests, the Kshatriyas or warriors, the Vaishyas or merchants, and the Shudras or peasants and workers. In one of the hymns of the tenth chapter of the Rigveda, the myth of the division of Hindu Society into four Varnas has been given. "The hymn describes how the Brahmins were supposed to have originated from the head, the Kshatriyas from the arms, Vaishyas from the thigh and the Shudras from the legs of the deity called purusha. Even since then, Brahmins have been associated with knowledge, Kshatriyas with velour, courage and generosity; and the Shudras with service and servility" (Parnajpe, 1970). There is a fifth distinct group called the untouchables or outcastes who are not, as the name implies, outside the pale of Indian society, but form it a bottom rank, and are rigidly bound by caste-system's rules. However, there are thousand sub-castes, which vary from region to region.

India is a socially rigid society. The idea of one's place is firmly fixed in the minds of each individual. Individual dual advancement, that is, a rise in caste is impossible, at least scripturally. One may have to do good deeds in this life to be born into a higher caste in the next life.

Expression of caste-consciousness is essentially a result of the sentiments of belonging to a particular caste-group. By virtue of hereditary caste-membership people share common socio-religionorms and values in regard to occupation, commensality, and marital relations etc. Inter-caste competition is ruled out and the cultural autonomy which caste provides for in member as a group in course of time strengthens caste consciousness.

Caste ethnocentrism or casteism which results from occasional expressions of hostile and sarcastic remarks by members of a caste against another fosters caste solidarity in various forms.

Nature of caste prejudice in India :

Caste-conflict in India is very serious. People belonging to different castes have developed prejudices against each other. Sociologists and social psychologists have tried to explain the nature of caste tension. On the basis of historical conception it can be said that caste-prejudices in Indian society prevail in

different forms. A theoretical assumption presented by Karve (1958) and Ghurye (1961) clearly indicate various dimensions of caste-prejudices.

Social correlates and Related Studies :

Prejudices or inter-group attitude is the product of social climate of the individual. No person can grow up in a society without learning the prevailing attitudes concerning the major ethnic groups. Prejudices are transmitted in the individual through the process of socialization. Tumin (1961) has stated that main focus of studies related to the social factors of prejudice are concerned with "the average life experiences of such groups, the different cultural materials to which they are exposed, the typical sequences of status threats and anxieties they experience differentially from others, and the different ways in which their experiences, and images enter as ingredients in their orientation.

Psychological correlates and related studies :

Among many explanations of prejudice two polar positions have been popular. According to one type of explanation emphasis is given on personality of the individual. The other type of explanation emphasizes the importance of social norms which has been discussed in the previous section. Both psychological and social factors are essential in understanding prejudice. Attitudes towards out group display normative as well as individual variation. On the individual level different factors are considered which accelerate the degree of prejudice. Thus, it can be said that prejudice is established and maintained in each person through variouspsychologicalprocesses.

Objectives:

The purpose of study was examine to socio psychological factor on Caste system in India.

Conclusion :

There are reasons to be Cautions, however, in drawing general conclusions, from this research. For one thing, most social psychological studies of the religion and prejudice have focused on Christians in North America and Europe since the 1960s; and most have examined either racism from whites towards black or attitudes towards group perceived as challenging traditional Christian Values, Such as gays and lesbians, feminists, and atheists, or member of non Christian religions such as Judaism or Islam. Traditional approaches have treated religiosity as a unitary construct, and explained variation by reference to individual personality variables, rather than mapping variation between religious communities. As more recent research suggests. Thus traditional approach is not designed to reflect the variability of religious communities, and may lead researchers to over generalized on the basis of distinctive religious and cultural contexts.

Reference:

1. Harvey, P. (2011). Through the storm, through the night: A history of African American Christianity, Plymouth, UK: Rowman and Littlefield.

2. Morris, A.D. (1984), The origins of the Civil Right. Movement. New York: Free Press.
3. Clobert, M., Saroglou, V., Hwang, K.K., & Soong, W.I..(2014). East Asian religious tolerance – A myth or reality? Empirical investigations of religious prejudice in east Asian societies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45, 1515-1533. Doi:10.1177/0022022114546641.
4. Batson, C.D. (2013). Individual religion, tolerance, and universal compassion, In S. Clarke, R. Powell, & J. Savulescu (Eds.) Religion, intolerance, and conflict: A scientific and conceptual investigation (pp. 88-106). Oxford, UK: Oxford University Press.
5. Altemeyer, B. (2009). Why do religious fundamental. Ists tend to be prejudiced? International Journal for the Psychology of Religion, 13, 17-28. Doi:10.1207/S15327581IJPR1301_03
6. Gries, P. Su.J., & Schak, D. (2012) Toward the scientific study of polytheism: Beyond forced choice measures of religious belief. Journal for theScientificStudyofReligion,51,623-627. Doi:10.1111/j.146859062012.01683.

प्राचीन कालीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता

*डा0 अमीत कुमार सिंह**

भूमिका : प्राचीन काल में आर्यो ने विश्व के विभिन्न भागों में विस्तृत होते हुए अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार उन्मुक्त होकर किया न केवल एशिया महाद्वीप बल्कि यूरोप द्वीप के सांस्कृति विकास से आर्यो के योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। वेदों में इसी आर्य संस्कृति को उद्घृत होना पाया गया है। भारतीय संस्कृति की सम्पूर्ण प्रेरणा वेद से ही प्राप्त होती है। भारतीय धर्म, दर्शन साहित्य, कला, विद्या एवं राजनीति की जड़े वेदन में ही पायी जाती है।

विषय विस्तार : भारतीय आर्यो के इतिहास के प्राचीन युग को वैदिक युग कहा जाता है। वैवस्वत मनु से महाभारत तक के काल को वैदिक युग कहा जा सकता है। भारत के इतिहास में वैदिक युग का स्थान अत्यन्त महत्व का है। संसार की अनेक प्राचीन सभ्यताओं इजिप्ट, बेबिलोनिया आदि की प्राचीन सभ्यताओं के अब केवल नाम ही शेष है। जो विचारधारा प्राचीन ग्रीक तथा रोमन लोगों को देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, आज आधुनिक काल में उस विचार धारा की कोई प्रासंगिकता अथवा अर्थ नहीं रह गया है इसके विपरी वर्तमान में भी भारत व वैदिक युग का प्राचीन सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आज भी पुरोहित और ब्राह्मण वर्ग कर्मकाण्ड के लिए उन्हीं वेदमंत्रों का प्रयोग करता है। जिसकी रचना ऋषियों ने की थी। इस सन्दर्भ में डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार ने अपने विचार इस प्रकार उद्घृत किये है ''धर्म संस्कृति, भाषा आचार विहार चिन्तन, समाज संगठन जीवन के आदर्श आदि सब बातों पर वैदिक युग की जो छाप वर्तमान भारत पर है उसकी सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता यही कारण है, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म आदि में विकास तथा परिवर्तनों के होते हुए भी उनमें में ''नैरन्तर्य'' बना रहा उसी भली–भांति समझ सकना तभी सम्भव है जबकि वैदिक युग के इतिहास का गम्भीर रूप से अनुशीलन कर लिया जाए वस्तुतः वैदिक युग ही वह आधारशिला या नीव है जिस पर भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की विशाल इमारत खड़ी है।

भारतीय आर्यो के इतिहास के प्राचीनतम काल को वैदिक काल कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वेद आर्यो के प्राचीनतम ग्रन्थ है और उनके अध्ययन से ही आर्यो की सभ्यता, संस्कृति और धर्म के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। वैदिक काल से अभिप्राय उस समय से भी कहा जा सकता है। जिस समय में लोग वेदों की शिक्षा अनुसार जीवन यापन करते थे। इसलिये अब वैदिक काल के काल निर्धारण की बात होती है। तो ऋग्वेद को समक्ष रखकर विचार किया जाता है। डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार वैवस्वत मनु से महाभारत तक के काल को हम वैदिक काल कह सकते हैं।

भारतीय समाज में तो वेदों का समादर है ही अन्याय देशवासी विद्वान लोग भी वेदों की महत्ता मानते है, यद्यपि उनका इस सम्बंध में दृष्किोण भिन्न है। भारतीयो की दृष्टि में वेद विज्ञान और धर्म के मूल माने जाते है; उनका प्रमाण्य आकटय माना जाता है तथा उन्हें साक्षात ईश्वर का स्वरूप अथवा उनका निःश्वास माना गया है अन्य देशीय विद्वान उनकी प्राचीनता के नाते भाषा–विज्ञान की दृष्टि से उन्हें महत्व देते है। पाश्चात्य विचारकों में से कुछ विद्वानों ने वेद और वेदान्त के धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है इसमें सन्देह

* **प्रा0भा0 एवं ए0 अध्ययन विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया मानपूर, गया**

नहीं, परन्तु भारतीय शास्त्रकारों में प्रायः सभी ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है तथा वैदिक प्रमाण के उपलब्ध रहते उससे विरूद्ध अन्य प्रमाण नगण्य माने गये है।

भारत के प्राचीन काल में ऐसा बहुत सा साहित्य उपलब्ध होता है जिसे वैदिक साहित्य कहा जाता है। मूलतः वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है मत्र एवं ब्राह्मण। मंत्र भाग को संहिता भी कहते है। संहिता चार है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इस संहिताओं से सम्बद्ध अनेक ब्राह्मण ग्रन्थ है उदाहरणार्थ ऐतरेय, कौषीत, तैत्तिरीय, शतपथ आदि आदि। यह ब्राह्मण साहित्य गद्य में है। इसमें यज्ञों की विधि सम्बंधी एवं अन्य बातों को प्रतिपादन किया गया है। इन ब्राह्मणों से सम्बंधित आरण्यक ग्रन्थ है। इन्हें आरण्यक इसलिये कहा गया है कि इनकी रचना जंगलों में आश्रम बनाकर रहने वाले वानप्रस्थियों द्वारा की गई। आरण्यक की परिपूर्णत अपनिषदों से होती है जोकि 108 या इससे अधिक है। उपनिषदों के सम्बंध में विद्वान विन्टरनीत्ज ने कहा है उपनिषदों में प्राचीन भारत के दार्शनिक सिद्धान्तों का सकेंत मिलता है। उपनिषद सहित्य को वेदान्त भी कहते है क्योंकि यह वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग है। इस युग को वैदिक साहित्य सर्जनात्मक युग भी कह सकते है। इस युग के बाद यह वह युग आया जब कि इस महत्वपूर्ण साहित्य का विश्लेषण एवं संक्षेपण किया गा। विभिन्न वैदिक शाखाओं तथा चरणों में इस साहित्य को अध्ययन के लिये पर्याप्त चेष्टा की गई एवं मार्ग–दर्शन के लिये नियमावलियां तैयार की गई। इस साहित्य का अध्ययन अत्याधिक महत्वपूर्ण हो गय, क्योंकि परवर्तीकाल में जो भी साहित्य विकसित हुआ उसके लिये इस साहित्य की अपेक्षा बनी रही। इसके ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति तथा सम्यता को समझना कठिन होगा जिसका अद्भत तारतम्य भारतीय जन समाज से हमेशा बनाए रखा है। इस साहित्य का कालक्रमिक अध्ययन हमें विचारों तथा प्रथाओं, शैलियों तथा साहित्य की विद्याओं के विकास को समझने में सक्षम बनाता है।

भारतीय साहित्य के क्षेत्र में ऋग्वेद की तुलना में कोई अन्य रचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसका रचनाकाल इसे और भी महत्व प्रदान करता है। क्योंकि आज संसार में सबसे प्राचीन मानवीय प्रलेख है। वस्तुतः ऋग्वेद हमें मानवजाति के इतिहास के ऐसे युग में ले जाता है जहां आधुनिक पुरातत्व जैसे अन्य विज्ञान झांक भी नहीं सकते है। ऋग्वेद ने तुलनात्मक धर्म, तुलात्मक पौराणिक कथाएं, तुलानात्मक भाषा शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र जैसे चिन्तन की नवीन शाखाओं को जन्म दिया है। ऋग्वेद विश्व की संस्कृति में भारतीयों के योगदान का चित्रण करता है तथा इसकी तुलना यूनानी तथा रोमन लोगों के योगदान से की जा सकती है।

'यजुः' का शब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, यजुर्वेद में विशेष रूप से यज्ञ एवं कर्मकाण्ड का प्रधानता की गई है। विभिन्न यज्ञों के समय उच्चारित किये जाने वाले मन्त्रों का इसमें संग्रह है। वर्तमान में यजुर्वेद के दो प्रधान रूप उपलब्ध है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। डा0 विमनचन्द्र पाण्डेय यजुर्वेद को 5 शाखाओं में वैदिक काल में धार्मिक सहिष्णुता।

'साम' का शाब्दिक अर्थ गान से होता है। सामवेद ऐसा वेद है जिसमें मन्त्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति करते हुए का उल्लेख है। पुराणों में सामवेद भी 1000 संहिताओं का उल्लेख है। किन्तु इनमें से केवल एक ही आज उपलब्ध है जिसकी तीन वाचनाएं है। वे है–गुजरात की कोधुम, कर्नाटक की जैमिनीय और महाराष्ट्र की राणायनीय। इनमें उन ऋचाओं का संग्रह जिन्हें सोमयज्ञ के समय उद्गाता गाते थे इन ऋचाओं की संख्या 1810 है यदि पुनरूक्तियों को छोड़ दें तो 1549 है। सामवेद में केवल 75 मन्त्र मौलिक है शेष मन्त्र ऋगवेद के हैं। परन्तु स्वरभेद के कारण यजुर्वेद के मन्त्रों से भिन्न हो गये हैं। यजुर्वेद के समान सामवेद को भी यज्ञ की दृष्टि से संकलित किया गया है। 'सामगान' सोम बनाने के समय और चन्द्रलोक में निवास करने वाले पूर्वजों की पूजा के समय विशेषतया गाया जाता था। संभवतः, सामवेद में ऐसी ऋचाओं का पृथक रूप से संग्रह कर दिया गया है जिन्हें समूह गान के रूप में गाया जा सकता है। सामान्य रूप से ऋचायें वैदिक ऋषियों द्वारा संगीत के लिये प्रयुक्त की जाती थी। डा0 रमेश चन्द्र

मजूमदार ने इस सन्दर्भ लिखा सामवेद का पाठ केवल स्वर–माधुर्य के निमित होते थे और सामवेद के अनुयायियों के लिये उनका ही महत्व था। इस प्रकार जहां सामवेद का महत्व भारतीय संगीत के इतिहास की दृष्टि से अमिट है और वह यज्ञ–विधानों के विकास पर रोचक प्रकाश डालता है वहां साहित्य की दृष्टि से उसका मूल्य प्रायः नगण्य है।

अथर्ववेद के रचियता अथर्वा ऋषि थे। इन्हीं के नाम इसे अथर्ववेद कहते है। यह संहिता अपनी दो शाखाओं शौनकीय और पैप्पलाद के द्वारा हमें ज्ञात है। किन्तु पैप्पलाद अत्यन्त अपूर्ण रूप में ज्ञात है। शौनकीय शाखा की संहिता में 731 (कुछ लोगों के अनुसा 760) ऋचाऐं है जो 20 मण्डलों30 में विभक्त है। अन्तिम दो तीन मण्डल पीछे से जोड़े गये जाने पड़ते है। इस संहित में कितनी ऋचाऐं जो ऋग्वेद में भी है। इसमें अधिकांश वशीकरण जादु–टोना और मानस हरणों के वर्णन हैं जिनमें भूतों और शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त वेदों के उदाहरण स्वयं में सबल प्रमाण हैं कि तत्कालीन समाज में धर्म को आधार बनाकर व्यक्ति के सर्वागीण विकास की भावना को विकसित करना तत्कालीन ऋषियों का प्राथमिक कर्तव्य था। इसी धार्मिक भावना में धार्मिक सहिष्णुता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

संदर्भ सूची

1. विन्टरनीत्ज – हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर–पृ0 304–305
2. विटरनीत्ज – पूर्वोक्त–पृ0 294–95
3. इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस 22वां अधिवेशन अध्यक्षीय भाषण – पृ0 2–14
4. डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार – प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग पृ0 18–20
5. डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार–प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग पृ0 18
6. उपेन्द्र कुमार, महेश शरण – प्राचीन भारत पृ0 134
7. विन्तरनीत्ज पूर्वोक्त– 307
8. मैक्समूलर–फिजिकल रिलिजन–ग्रिफार्ड लैक्चरस 1890 पृ0 18

Trade and Commerce in Medieval World

Emamuddin Ahmad Kadri *

Abstract: *This essay provides an overview of commercial transactions during the middle Ages. Here we will acquaint you with the nature of trade in Asia, Africa, Europeand America; emergence of trading nexus through land and sea-routes, marketsand fairs; role of merchants in expanding commerce and use of various businesspractices to facilitate commercial transactions. Further , In this essay is an attempt has been made to give you a brief account of the Oceanic Trade in the medieval world. Our discussion includes the period from aroundthe seventh century to the mid-eighteenth century, coinciding with the adventof Islam in Arabia to the British conquest of Bengal. Further we propose to discuss some of the major business communities in the medieval world. These trading communities in different parts of theEurasian continuum were the main vehicles through whom the trade of themedieval period was conducted. The time span is from around the seventhcentury to the mid-eighteenth century, coinciding with the advent of Islamand the British conquest of Bengal.*

Keywords: Commercial practices, oceanic route, commercial, merchant, naval practices ,hundi ,Arabs, Europe

Introduction:

By the beginning of the fifth century, Roman Empire was no longer a unifiedpolitical entity. Its eastern provinces came to constitute the Byzantine Empire.Germanic tribes swayed the western provinces of the Roman Empire. Therulership of Charlemagne (771-814) extended over France, Central Europe,North Italy and a small portion of Spain.The setting up of dynastic rule in the region followed the rise of Islam in theArabian Peninsula, during the seventh century. There was spread of Islam inByzantine, Africa and various parts of Asia. It left its mark on the politics ofthese regions. The period between tenth and thirteenth centuries in Asia wasmarked by many changes. The victory march of Mongols was paralleled bythe emergence of Sung culture in China, the Koryo in Korea and the Heian inJapan. In America indigenous people determined regional politics. Thus, thesevaried political changes led to regional stability. The feudal polity also generatedmilitary conflicts. The starting of crusades in eleventh century Europe was anattempt to check the spread of Islam.

***(Research Scholar, Department of Social Science, Delhi University)**

It opened the Mediterranean to westernshipping.It may also be noted that ruling elites generated demands for weapons, horsesand luxurious items.

1. PATTERN OF TRADE

During the Ninth Century, the Byzantine Empire had trading links with the Slavic countries and it gradually opened up the markets of Russia. Byzantium was the Center of manufacturing luxury goods and was known for its trade in the products of Constantinople like perfumes and silk ware.

During this period, the interregional commercial activity was located on the fringe of Western Europe. The earliest intermediaries in the trade of North-Western Europe were the Frisians. Their trade flowed along the Rhine. Various commodities were traded by them. They carried clothe and fish up the river to pay for the grain and wine bought by them. During Ninth and tenth centuries, Scandinavians crossed the central Russian watershed regularly on their way from the Baltic to the Black Sea and from there to Byzantium. These traders were instrumental in exporting honey, furs and slaves to the Near East. They imported spices, wine, textile and metal works. Thus, oriental luxuries like, textiles, oil and spices were available to the west and latter exported timber, iron and slaves to the west.

In the tenth century Italian merchants played an important role in trade. From the East, the Italians imported silks, velvets, damasks (a sort of woven silk), Russian furs, eastern spices and dyestuffs. These were sold all over western and central Europe. In return, they shipped timber, arms, woolen goods and slaves in the East. In this way, Italian merchants were mainly engaged in port. They were purchasing goods from the East and without additional processing exported them to the Western Europe.

In Eastern Europe, widening of trading network marked ninth and tenth Centuries. The Arab Merchants regularly reached the Slav lands. The Slavonic states of Moravia, Bohemia, Poland and Russia developed trade in slaves, furs, honey and wax. Russia emerged as the principal trading broker and served as the clearinghouse for other Slavonic and Baltic Countries. During twelfth Century, Novgorod became the main center of trade with Baltic. In this trade, beeswax, fur and silver occupied an important place.

2. TRADING ROUTES

The flow of goods within regions and to outside areas rested on the extension and use of trading routes. During the middle ages, land and water routes were used. Robert Lopez has highlighted the role of Arab merchants in forging widespread trading links. The trade of central Asia extensively used land routes. The caravan routes linked the Mediterranean world with India, Iran and China. The Muslim traders had trading posts in Sind and Gujarat. In the tenth century, they had an important colony at Saymur, not far from Mumbai.

Central Africa had indirect contact with the Indian Ocean before 1100. The ‘Age of Discovery’ resulted in the forging of more trading links between Africa, Asia, America and Europe. The Mediterranean, Baltic, Atlantic, Indian

Ocean and Arabian Sea were extensively used for international trade. Contrary to the Pirenne's thesis, several studies have shown that Arab expansion did not affect Mediterranean shipping

In China, several improvements were made. During the T'ang and Sung dynastic rule, stern rudder made their appearance. These were more than sixty meters in length, with flat bottoms and thin kneel. These ships having three to a dozen masts were rigged with square sails. They could carry up to thousand persons. The use of marine compass also facilitated navigation. In Baghdad, pontoon bridges were used. These were linked at both ends by iron chains and were attached at each bank to firmly implanted posts. Thus Canals were put to use for local transport. There was extensive use of camels on the land. The Arabs used galley in carrying goods overseas.

2. COMMERCIAL PRACTICES

The growth of trading activities and long distance trade over land and seas made the commercial transactions complex. The trading transitions entailed numerous risks. There was fear of sea-pirates and natural disasters at sea. The required capital was to be generated for purchasing of goods. Money was needed for buying commodities in distant places and sale proceeds were also to be carried back. It was difficult to carry huge amount of gold currency to distant areas. As a result a number of new commercial practices and institutions emerged to take care of the growing trade.

Credit and Money Lending

The system of Credit was widely prevalent in the trading activities. Even at the regional and local levels the wholesalers would give things on credit to retailers and latter in turn to the consumers. In small business the small traders, middlemen and suppliers were always at the brink. If the sum was not paid back it could ruin the creditor. The growth of trade necessitated the funding for large scale commercial transactions. To begin with this funding was provided by big merchants. In due course it emerged as a specialised activity with separate category of money lenders. However, most of big merchants continued to deal in providing money on credit. In case of India the nobles (high officers of the state) also lended money for trading. They dealt in big amounts and gave it to established merchants only. In many parts of Europe also the nobles were involved in providing funding for business.The practice of granting maritime loan to a ship owner or merchant was existingin Europe for a long time. Such loan was repaid only after the vessel or Cargo had arrived safely at agreed destination. The maritime loan was of great advantage. It offered credit and insurance to the borrower. But the rate of interest on it was very high.

Instruments of Exchange, Money Changing and Banking:

The use of currency was integral to trading activities. Several methods were devised to issue required currency by the state in different parts of the world. During the T'ang and Sung period in China, apart from coins, paper money and paper credit was also used. As early as 811, the T'ang was issuing

'flying cash' to pay for goods acquired in distant areas. These money drafts were reimbursable at the capital. Under the Sung many such drafts were issued. These government money drafts were exchanged between merchants who wished to transfer credits. The private bankers also developed another type of paper money. They used certificates of deposit, which could be cashed for a three percent service charge. Such certificates were circulated freely at face value. Those issued by the bankers of Chengtu in Szechwan were very famous. In 1204, when the government took them over, they became the world's first genuine paper money. These certificates were valid for a period of three years and entailed services charge of three percent. In Tokugawa Japan, individual daimyo used rice and silver certificates as paper money within their domains.

In India merchants used both currency and paper transactions like *Hundi*. It is important to stress the basis of using currency as the medium of trading transactions during the middle ages. For an understanding of its use, one has to take into consideration, the unit of account and the medium of exchange. The money used in actual payment was first converted into the standard of value and large transactions were always paid by weight. It had direct bearing on the value of a system of coinage. The trading was conducted in different currencies like florins, guilders, ducats, pounds or any other. The specialist money changes used to assess the value of the coin by determining how much precious metal it contained. It may be noted that people accepting coins evaluated them not at their face value but according to their metal content. In such a situation coined money could not act as the comprehensive means of payment in the middle Ages. The crucial role of money changers contributed to their controlling large sums of money and effecting the transfer of funds and even extended time loans to merchants and bankers.

3. INDIA'S MARITIME TRADE

So far as India's maritime trade in the medieval period is concerned, it wascharacterised by both continuity and change. As in earlier times, drugs, spices,the teak-wood of Malabar, precious stones, and a great variety of exotic luxuriespassed westwards. What the Indian markets could absorb in exchange for itsexports was largely limited to strategic war-animals, spices and medicaments,rarities, toys and exotic textiles. Significant developments occurred in thepattern of trade in early medieval period in the expansion of maritime activityin the eastern waters of the Indian Ocean and the China Sea. The presence ofIndian traders following the emergence of great civilized states in SoutheastAsia under strong Indian and Buddhist influence in the earlier centuries led toan expansion of the textile trade towards these growing markets. So far as thetrade between India and Indonesia is concerned, spices and raw materials ofIndonesia were an important part of Indian Ocean trade. The trade of thesesettlements in Indonesia and Malay Peninsula was largely in the hands

ofMuslim merchants of the Indian Ocean. It was mainly from Gujarat thatMuslims came to settle on the Indonesian littoral. There was a considerableexport of cloth from Bengal to the Indonesian markets. There is also evidenceto Indian trade with the Horn of Africa and that the communities of the Arabpeninsula who were heavily dependent on Indian imports. However, a largeportion of the westerly trade was to more distant markets, particularly to Cairo,and to Old and New Hormuz for redistribution to more distant overland marketsin Iran, the West, Russia and Central Asia.

3.1 PORTUGUESE TRADE IN THE INDIAN OCEAN

The discovery of direct maritime route to Asia round the Cape of Good Hopeby the Portuguese under Vasco da Gama in 1498 marked the beginning of anew era in the history of Euro-Asian trade. The general purpose of the Portuguese was two-fold: i) to try and monopolise the supply of spices toEurope, and ii) to control and tax Asian trade by force. Two essential conditionswere necessary for the success of the Portuguese plan: first, a clear and absolutenaval superiority over Asian shipping and secondly, the establishment of afew key outposts which would act as strategic bases for the naval fleets withmen left in charge of trading operations.

3.2 Trade Routes and Commodities of Trade

When we look at the major trade routes in the Indian Ocean and the importantcommodities traded at the turn of the 16th century, we find that the longestand glamourous route was from Aden to Malacca via either Gujarat or Malabarwhere the goods entering the Red Sea included cottons, indigo, spices anddrugs. The imports consisted of European woollens, silk and bullion. Most ofthe cloths and indigo came from Gujarat which took much of the bullion.Some of the pepper came from Malabar through Cochin and cinnamon fromSri Lanka. Malacca received cloths from India and bullion from the Red Seain return for pepper, mace, nutmeg and cloves from eastern Indonesia, and silkand porcelain from China. Another major sea-route, dominated by the Gujaratis,brought slaves, ebony, ivory and gold from east Africa while cloths, beads andfoodstuff were provided in return

Of India’s exports to the Indian Ocean markets, a few points are worth noting. First, of the textiles which was the major export of India throughout the period,the overwhelming majority was cheap and coarse piece-goods used for everydaywear and exported all over seaborne Asia. Secondly, staple food items likerice, wheat, pulses, oil, and ghee (clarified butter) were important componentsof India’s exports and were in great demand in the Indian Ocean region. Bengal, Orissa and the Kanara coast were the major grain-surplus areas. They not onlysupplied the deficit pockets along the Indian coasts, like Malabar or on occasionsSurat, but their supplies helped feed even cities like Malacca, Hormuz andAden. It is interesting to note that these evidence actually refute a

part of J. C.van Leur's thesis regarding the characterisation of the Indian Ocean trade inthe early modern era. Van Leuremphasised that Asian trade was characterised by exchange of luxury goods, small in bulk but high in value. This has been ably repudiated by Meilink-Roelofz, Das Gupta, M. N. Pearson, SushilChaudhury and MichelMorineau, among others. Luxuries were of course exchanged and there is littledoubt that India's prime import was bullion, In fact, the crucial importance ofwest Asian market for Indian import of bullion can hardly be overstated. Asfor the exports are concerned one should remember that along with the luxurygoods, many more mundane goods were also exchanged and actually the latterformed the bulk of the exports.

4. **BUSINESS COMMUNITIES**

The observation of the Court of Directors of the English East India Companyin 1699 about the Armenians that "most certainly they are the most ancient merchants of the world" was perhaps no exaggeration. Indeed, from the earliesttimes to the end of the pre-modern era, the Armenian merchant communitiesengaged themselves in international and inter-continental trade in the Eurasiancontinum. They ventured out of the homeland (Armenia) to different parts ofAsia and Europe, and settled themselves not only in important cities, ports andtrade marts but also in remote production centres far away from their owncountry. And thus they created the infrastructure for an efficient and successfullong-distance trade and a commercial network with strong link with their maincentre at New Julfa. This "trading diaspora" of the Armenians was a uniquefeature of the trading world, especially of the seventeenth and eighteenthcenturies.

Armenian Trading Network

The emergence of Armenian trading network and diaspora in the seventeenthcentury was to some extent helped by the historical developments of thepreceding century when old Armenia fell a victim to Persia-Ottoman rivalry.In the early seventeenth century, the Persian emperor, Shah Abbas I, forciblymoved the professional Armenian merchants and artisans, and settled them inthe new township of New Julfa in the suburb of Isfahan. The emperor's mainobjective was to utilise the services and expertise of the Armenian entrepreneursin transforming his newly founded capital city of Isfahan into a major tradecentre.

It was obviously the commercial expertise of Armenians in Bengal that prompted the Directors of the English East India Company to enter into anagreement in1688 with KhwajaPhanoosKalantar in London by which theArmenians were to provide Bengal goods for the Company's investments inBengal with their own capital and at their own risk at 30% profit on their costand charges.

JEWS

The role played by the Jewish business communities in the field of internationaltrade and finance was almost as important as the one played by the Armenians.In the early centuries of Islamic history, Jewish communities could be foundin almost every city and the Jews participated in trade ventures far beyond thefrontiers of the Islamic state. Everywhere from North Africa and Egypt toPersia and Khorasan and in India, as far as Malabar, the Jewish communitieshad originated in antiquity. In fact, on the eve of the Muslim conquests, theJews of Iraq or Babylonia, appear to have been particularly numerous and herethey were second in number only to the Nestorian Christians.

In effect, whenBaghdad became the capital of Islam and trade surged in the eighth and ninthcenturies, the Jews there took an active part in it. In the ninth century, theIndian trade became the backbone of the international economy. Thiscontributed to a tremendous upsurge of internal commerce and subsequently ashift towards a unified bimetallic currency system which encompassed theeastern and western Caliphate.At this point, the central and hegemonic position of the Babylonian Jewry gave them a headstart not only in the long-distance trade with India but in theorganisation of finance and also state finance generally. In Baghdad and Isfahan,great finance and banking institutions arose with important and pivotal Jewishconnections. Indeed, corporate international finance as it has come to be knowntoday with a clear Jewish preponderance appears to date back to the AbbasidCaliphate of the late ninth and early tenth centuries. During this period, Jewishbankers loomed large in the entourage of the rulers, lending money to thegovernment and consolidating the finance of the state, at the same timebecoming involved in the fiscal system and in tax farming. Jewish bankersprobably gained control of the Abbasid money market during the early tenthcentury and became instrumental in the development of sophisticated financialtechniques such as the use of bills of exchange (*suftaja*) and cheques (*saak*).The same bankers also operated as traders (*tujjar*) or as financiers of otherJewish as well as Muslim traders. We find them supplying funds for Africanslave trade, equipping caravans to Central Asia and China, and organizing maritime expeditions in both the Mediterranean and the Indian Ocean.

KARIMI MERCHANTS

If the Cairo Genizah papers richly illuminate the multi-faced life of onecommunity of long-distance traders in the eleventh and twelfth centuries, theyalso cast some light on a baffling economic organization known as the "Karim".The Karimi merchants of the Red Sea are mentioned in the Egyptian sourcesas being actively concerned with the spice trade of the Indian Ocean. However,the word "Karim" also occurs frequently in the Genizah papers in the contextof the India trade. It has been argued most convincingly by S. D. Goitein onthe basis of materials in those papers that in the twelfth century, the "Karim"was neither a guild of merchants nor a particular branch of international tradebut some sort of annual convoy or a sea-borne caravanThere is no doubt

that the total volume of Euro-Asian trade had become veryconsiderable between AD 1000 and 1300. This would have made the shipsand cargo of individual merchants trading by sea to India very vulnerable topirates and political taxation. This trade was frequent with Yemen, South Arabia and India. They dealt inpepper, spices, wheat, rice, sugar, silk and textiles.

CONCLUSION

A broad survey of commercial practices and activities in the medieval worldshows that the commercial transactions were in a wide range of commoditieslike spices, textiles, silk, sugar, precious metals, minerals, horses, weapons ,slaves and a host of luxury items. Different European countries had tradinglinks with each other as well as with China, India, Africa, Latin America, EastAsia and the Arab World. Trade circuits were formed at regional level andeach circuit was linked with other in the movement of commodities. Themoney economy was very well developed. Large numbers of markets andfairs emerged as centres of exchange and became nerve centres of this trade.These markets and fairs had their own specialised commercial practices andpersonnel operating in them. Over land and over seas trade followed definedtrade routes. The Maritime trade contributed to manifold rise in the volume oftrade. Ship building technology and navigation underwent major changes.The large scale commercial activities gave rise to new commercial practices. Financing and money lending became an integral part of international trade.

In view of different countries having gold and silver metallic currencies ofvarious denominations money changing developed as a specialised activity.The instruments of exchange facilitated the large scale trade and dispensed theneed of carrying large amounts of cash for trading purposes. Banking as aninstitution started in Italy and soon it became indispensable for tradingoperations. Stock exchanges as an institution provided facility of a range ofcommercial activities under one roof. They brought together various tradeprofessionals at one place.

The merchants of various hues and nationalities could be found settled in regions distant from their place of origin. Need for funding for large scale trade led tothe forming of partnership firms and family enterprises and organisations of merchants.

Refrences:

1] Susan Rose –"The Wine Trade in Medieval Europe 1000-1500"
2]Michael Postan- "Medieval trade and finance"
3] Robert S. Lopez- "Medieval trade in the Mediterranean world" -"The commercial revolution of the Middle Ages, 950-1350"
4] Shelomo Dov Goitein- "India traders of the middle ages"
5]IGNOUm.a study material.

"Women Uplitment Under The Constitution Of India"

Vimal Kishor*

Introduction

The upliftment of women and her protection has been a hot cake like eradication of poverty since our independence but both has remained intact in the society rather pace of their exploitation has changed, degree and method of discrimination has reformed but the women has never uplifted or protected as they deserve. In continuation of the post independent regime of women struggle for their survival in the society equally at par with their male counterpart our constitutional maker had also dreamed to have a society where women must be respected and be treated equally at par with the male counterpart. Keeping in view of this pious notion the maker of our constitution advocated to have some provision which could be beneficial for the upliftment and protection of the women in the society consequently some provision related to women got place in our constitution which can be termed as special provisions for the treatment and development of women in every sphere of life.

The Preamble

The preamble is the key to the Constitution. It does not discriminate men and women but it treat them alike. The framers of the Constitution were well aware of in equal treatment meted out to the fair sex, from the time immemorial. In India, the history of suppression of women is very old and long which is responsible for including general and special provisions for upliftment and development of the status of women. Certain provisions are specifically designed for the benefit of women.Undoubtedly, the preamble appended to the Constitution of India, 1950 contains various objectives including "the equality of status and opportunity" to all the citizens. This objective has been inserted with the view to give equal status to men and women in terms of the opportunity.

FUNDAMENTAL RIGHTS

Part III of the Constitution of India deals with the fundamental rights. The provisions regarding fundamental rights have been enshrined in Articles 12 to 35, which are applicable to all citizens irrespective of sex. However, certain provisions protectthe rights of women.

Despite the prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth[1]it shall not prevent the state from making any special provisions for women and children.[2] Under the Constitution the state has been given power to make laws relating to the women and children but such laws shall not be violative of Article 15 of the Constitution. Article 15 (1) prohibits

---

* **Research Scholar PG Dept. of Law Patna University Patna**

gender discrimination but article 15(3) lifts that ignominy and permits the state to positively discriminate in favour of women to make special provisions to ameliorate their social, economic and political condition and accord them parity.[3]Article 15(3) of the Constitution makes special provisions for women and children. It empowered the state to make special legislation in this regard. The Courts have always approved the validity of such special legislation rather special measures. Supreme court rightly held that when a law comes within the prohibition of article 15 it cannot be validated by recourse to article 14 by applying the principle of reasonable classification.[4] These women and children oriented beneficial legislations can be seen in the ambit of the Criminal Law. It is to be noted that the Constitution of India guarantees all the rights to women which are given to men. The special features of fundamental rights Which never discriminate the citizen/person on grounds of sex are as under :

1. Right to Equality (Articles 14 and 15 of Constitution)- It means the equality of opportunity, equality before law, equal protection in the laws, not discriminating against any person on ground of sex, religion, caste and place of birth and no discrimination in the matters of public employment on the grounds of sex only as provided under Article 16 of the Constitution.
2. Right to freedom.- Articles 19 to 22 of the Constitution deal with the right to freedom. It includes right to freedom of speech[5], protection in respect of conviction for offences[6], protection of life and personal liberty and protection against arrest and detention[7], etc.
3. Right against Exploitation.- According to Article 23 of the Constitution traffic in human beings and forced labour is prohibited. Employment of children is prohibited under Article 24 of the Constitution.
4. Right to freedom of Religion.- Article 25 to 28 of the Constitution deal with the right to freedom of religion. It means professing, practisingand propagating freely[8].
5. Cultural and Educational Rights.- The interest of minorities is protected under Article 29 of the Constitution. Further Article 30 of the Constitution provides the right of minorities to establish and administer educational institutions.
6. Right to Constitutional Remedies.- Every Citizen has been provided the right to Constitutional remedies. Articles 32 to 35 deal with the right to Constitutional remedies. Every citizen of India has the right to Constitutional remedies, that is approaching Courts for enforcing fundamental rights.
7. The State shall take the responsibility of providing maternity benefits to women employees [9]
8. Providing harmony and fraternity to people doing away with all customs in respect of women.

9. One-third reservation of women in the panchayats – There must be separate seats reserved for women in the panchayats with separate seats for women SCs and STs [10]
10. One-third reservation for women in the presidential posts of the Panchayats – Reserving women seats for all posts at all the levels of panchayats (GramPanchayat, ThalukPanchayat and ZillaPanchayat)[11]
11. One-third reservation in Municipalities – Separate seats for women in all the town municipalities.[11]
12. One-third reservation for women in the presidential posts of Town Municipalities.

CONCLUSION AND SUGGESION

The above provision clearly indicates that our constitution has nowhere left any room for the discrimination as regard to the women who has been sidelined by their male counterpart from time immemorial. Apart from this the government has also been making numerous policy and programs to protect the women. Moreover our judiciary which has been considered as interpreter as well as protector of the constitution has in its countless judgments has been protecting the women with respect to their right enshrined in the constitution. The question rest that what are the reasons behind their pathetic condition. Few educated, aware, and brave apart most of the women are subject to exploitation in our society.Still women are being raped, burned, molested, exploited, teased, discriminated etc despite being the fact that they deserve respect in society. This entire problem exist only due to the existence of the notion of the male counterpart of the male dominated society that women are the weaker section of the society and they are subject to exploitation. The moment one is considered weak he becomes subject to exploitation. The designation of weaker section to the women in the society is the basic reason behind this all odds. This notion must be changed because the women have been proving her excellence in every sphere in comparison to their male counterpart if they get opportunity to be educated and trained. So far as crime against women is concern the statistics show that where women are not respected the crime against her is committed. The children, whose parent indulges in disputes and never respect each other, get a lesson that being a male he has got the right to abuse women and this mentality abets him to commit crime against women. So for the total upliftment of women only legislative treatment cannot work alone rather it should be coupled with psychological treatment also.

References:-

1. Article-15
2. Article- 15(3)
3. (1956) 5 SCC 148.
4. Kathiraningrawatvs State of saurashtra AIR 1952 SC123
5. Article-19(1)a
6. Article – 20
7. Article -22
8. Article -25
9. Article 42].
10. Article 243 D (3).
11. Article 243 D (4).
12. Article 243 T (3).

सनातन धर्म का उत्कृष्ट मंदिर 'विष्णुपद' विष्णुनगरी, गया का ऐतिहासिक अध्ययन

*मन्टू कुमार सिन्हा**

शोध सारांश : विष्णू नगरी से प्रख्यात गया शहर भारतवर्ष के पूर्वी भाग में बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित है । विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिह्न ऋषि मरीची की पत्नी माता धर्मवत्ता की शिला पर है। राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मवत्ता शिला को लाया गया था, जिसे गयासुर पर रख भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पैर से दबाया। इसके बाद शिला पर भगवान के चरण चिह्न है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर में गंगा की समतल भुमि तथा दक्षिण में छोटानागपुर के पठार के मध्य है । सांस्कृतिक संक्रमण की दृष्टि से, यह एक महत्वपूर्ण स्थान है । इसके उत्तर तथा पूर्व में मगध का प्राचीन राज्य, जहाँ हिंदू तथा बौद्ध–धर्म का आधिपत्य था है । इसके दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम में, शहर से केवल दस मील की दूरी पर से ही, छोटानागपूर का पठार आरंभ होता है, जहाँ भिन्न–भिन्न आदिम जातिया वास करती है ।

प्रस्तावना : सनातन धर्म अपने मूल रूप हिंदु धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिये श्सनातन धर्म नाम मिलता है। श्सनातनश का अर्थ है – शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात् जिसका न आदि है न अन्त। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी जमाने में पूरे वृहत्तर भारत (भारतीय उपमहाद्वीप) तक व्याप्त रहा है[1]।

भारतीय सभ्यता संस्कृति की अमिट निशानी व जीवन्त यादगार के रूप में मंदिरो का स्थान अग्रण्य है। प्रकारान्तर से ही यहाँ सांस्कृतिक प्रवाह के साथ स्थापत्य कला का घनिष्ठतम संबंध रहा है। इसी क्रम में नितान्त भव्य रचना का स्वरूप के लिए ''विष्णुपद मंदिर'' का नाम आता है जो धार्मिक विश्वास, अमूल्य संस्कृतिक कलात्मक परम्परा के त्रिविध रूप का समन्वय लिए वस्तुशिल्प के अनूठे विरासत के रूप में युगों–युगों से धर्मानुरागियों, प्रर्यटकों के मध्य ईश्वरीय प्रेम और कर्तव्यपरागणता का संदेश देते आ रहे है[2]। दरअसल श्री विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में आने का अर्थ अध्यात्म, संस्कृति और इतिहास का सहज साक्षात्कार है जो संभवतः बिहार राज्य या भारतवर्ष ही नहीं वरन् विश्व में अपने शैली का अकेला मंदिर है।

''विष्णुपद मंदिर' संपूर्ण भारतवर्ष की त्रिस्थ्ली में एक है जो मोक्षधाम के रूप में निरूपित श्राद्ध व पिण्डदान की अकाट्य स्थली है जो गया रेलवे स्टेशन से दक्षिण लगभग 5 कि0 मी0 दूरी पर पर अवस्थित है। विष्णुपद मंदिर में भ्रमणर्थियों का नित्य आगमन बना रहता है[3]। विष्णुपद मंदिर पुरे विश्व में अपने आप में अनूठा है, जहाँ गर्भ गृह के मध्य में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है जिनसे प्रतीत होता है कि देव श्री विष्णु की आभा आ रही है।

विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे स्थित है इसके संदर्भ में वायु पुरण के विशद अध्ययन से ज्ञात होता है कि गयासुर नामधारी विष्णुदेव भक्त पराक्रमी राक्षस ने अपने यज्ञ–तप से श्री विष्णु देव का दिल जीत लिया और उनसे मिले वरदान के उपरांत लोग गयासुर के दर्शन व स्पर्श से मोक्षधिकारी होने लगे। देवलोक में हहाकार मच गई, अन्ततः देवताओं ने छल द्वारा गयासुर के शरीर को ही यज्ञ के लिए मांग लिया1। पर यज्ञोपरान्त भी जब गयासुर का शरीर कंपायान रहा तो श्री विष्णुदेव ने इसके छाती पर धर्मशिला रखकर अपने दाहिने पैर से

* **प्रा0 भा0 एवं ए0 अध्ययन विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

दबा कर गयासुर को सदा के लिए स्थिर कर दिए। वही धर्मशिला पर अंकित चरण चिन्ह श्री विष्णुदेव का है जिसके दर्शन व पूजन उस काल से लेकर आज तक निर्बाध रूप से जारी है[4]।

गुप्त काल आते–आते जब हमारे यहाँ मंदिर निर्माण शैली पूर्णरूप से विकसित हुई इस क्रम मे पद् चिन्ह (चरण) को मंदिर का रूप दे दिया गया। सम्भवतः सर्व प्रथम मंदिर का निर्माण चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ होगा। चतुष्पद शिला स्तम्भ पर टिके और पतली पक्की ईंटो से बने इस मंदिर स्वरूप को चारो दिशाओं में मठ स्थापना क्रम में गया आए युगद्रष्टा शंकराचार्य ने दर्शन पूजन किया है। गया में पाँचवी शताब्दी में पद पूजन की परम्परा कायम थी जो पूर्णवर्मन के लेखो से भी ज्ञात होता है। विख्यात संत माध्वार्चाय जी के गया आगमन से यहाँ की प्रसिद्धि दूर–दूर तक फैली। तद्उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने भी प्राचीन विष्णुपद मंदिर में पिण्डदान किया था[5] जिसकी चर्चा बंगला साहित्य में विशद् रूप से मिलती है।

वर्तमान विष्णुपद मंदिर का निर्माण भारत की एक आर्दश नारी, महलारराव होल्कर की पुत्रवधु, इन्दौर स्टेट की शासिका अहिल्याबाई (1725–1795 ई0) के सांस्कृति साधना का प्रतिफल है। श्री विष्णुपद मंदिर का पुनः निर्माण कब शुरू हुआ, यह कितने वर्षो तक चला, कितने कलाकारों का सहयोग रहा तथा कितना धन व्यय हुआ इन सभी विषयों पर भिन्न–भिन्न भ्रंतियाँ व्याप्त है। निर्माण संबंधी बातें और भी रोचक तब बन जाती है, जब वयोवृद्ध यह बताते है कि मंदिर रातो–रात बना था और एक बार एक चोर मंदिर के शिखर से र्स्वण कलश व ध्वज को चोरी करने के उद्धेश्य से जैसे ही चढ़ा गिर कर पत्थर बन गया जो मंदिर के नैऋत्य कोण पर द्रष्टव्य है[6]। इस तथ्य पर गहन अध्ययन अनुशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि अहिल्याबाई वर्ष 1766–67 में राजस्थान परिक्षेत्र से खासकर जयपुर और आस–पास के कुशल गौड़ परिवार से कराया।2 कुछ की राय में यहाँ 400 कारीगर आये जबकि कुछेक की राय में लगभग 900 कलाकरों के कठिन परिश्रम से विष्णुपद मंदिर को नवरूप प्रदान किया गया। जहाँ तक विष्णुपद मंदिर निर्मित पाषाण खण्ड कि बात है जो यहाँ से लगभग 32 किलो मीटर दूरी पर स्थित ग्राम 'पत्थरकट्टी' नामक से मँगाया गया है जहाँ आज भी गौड़वशीय लोग अपनी पुस्तैनी कार्य में संलग्न हैं। विशाल मंडप, ऊँच शिखर, आकर्षक गुंबद से युक्त इस मंदिर को श्री विष्णु भगवान के चरण चिन्ह को रक्षित करते हुए अष्टकोनीय आधारीय स्वरूप में बनाया गया है।

विष्णुपद मंदिर का निर्माण इन्डो-आर्यन शैली और अंशतः द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है जो नक्काशीदार श्याम शिलाखण्डों से निर्मित है मंदिर की बाह्‌य व आंतरिक रचना नयनबिराम है जो बहुत भव्य विशाल और कलात्मक प्रतित होता है। इस मंदिर में तीन शिखर हैं। मुख्य शिखर द्रविड का शैली प्रतित होता है जो १०२ फीट लम्बा है और शिखर के उतर मुख्य मध्य भाग मे गणेश का प्रतिमा स्थापित है उसके ठीक नीचे बाघ का भी प्रतिमा स्थापित है इसके गर्भ गृह के मध्य भाग में भगवान विष्णु धर्मशिला पर चरण चिन्ह अंकित है जो लगभग १३ इंच लम्बा है जो शिलाखण्ड पर उत्तर-दक्षिण अंकित है। अंगूलियाँ उतर की ओर है।

चरण चिन्ह अंकित शिलाखण्ड जो चाँदी के परत से ६ इंच वृताकार संरक्षित है मुख्य गर्भगृह अष्टकोणिय २२५ वर्गफीट है गर्भ गृह के दिवाल पर ताखा निर्मित है। इन ताखों पर विभिन्न देवी-देवताओं की मुर्ति स्थापित हैं इनमें दक्षिण के दिवार पर माता लक्ष्मी की मुर्ति और पश्चिम में भगवान विष्णु की ३ फीट की मूर्ति स्थापित है गर्भगृह में आने का दो दरवाजा है मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में है जिससे श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और दूसरा दरवाजा उत्तर दिशा में है। जिससे से श्रद्धालु गर्भगृह से निकासी करते है। मुख्य दवाजाजा से ठिक सामने पूर्व के तरफ एक मंडप है जिसमें ८२ नक्काशीदार चारमुखी स्तम्भों से युक्त है जिसमें उपर निचे कमल फुल के पंखुड़ी एवं एक पौधा बना हुआ है मण्डप ६० वर्गफीट में बना है जिसके चारो तरफ से दो मंजिला बना हुआ है इसके बीचो-बीच एक शिखर है जो मुगलकालीन मस्जीदनुमा शैली में है जिसकी लम्बाई ८० फीट है, मण्डप के दूसरे तल्ला पर जाने के लिए मण्डप के बाहर दक्षिण कोणा पर लोहे का सीढ़ी बना हुआ है। सीढ़ीयाँ बनाने का श्रेय श्री राय काशीनाथ को जाता है। मुख्य शिखर के उत्तर एवं

दक्षिण में दो और शिखर हैं जो मुख्य शिखर के समान नक्काशीदार है जो ६५ फीट उँचा है। उत्तर शिखर के गर्वगृह में एक शिवलिंग है जो अद्धनागेश्वर महादेव कहलाते हैं और दक्षिण शिखर के गर्वगृह में भगवान विष्णु का शैय्या वगैरह रखा रहता है, जो बन्द रहता है।

श्रद्धालु जैसी विष्णुपद मंदिर का प्रथम दर्शन करते हैं उन्हें दुर से किसी बड़े पहाड़ को तरास कर बने हुए मंदिर के रूप में आभास होता है जबकि वास्तविक्ता यह है कि छोटे-बड़े किस्म के नक्काशीदार श्याम खण्डो को ऐसे सटीक वैज्ञानिक पद्धति से एक-दूसरे को मिलाते हुए व अज्ञात वर्णचूर्ण का सहारा लेकर बनाया गया है।

श्री विष्णुपद मंदिर दर्शन का सबसे सबल पक्ष यहाँ का श्रृंगार है। चौदह सैया गयावाल पण्डा जी ही बारी-बारी से इसकी पूजा करते हैं जिस प्रकार किसी नारी निखार उसके आभूषणों से होता हे ठीक उसी प्रकार किसी मंदिर का श्रृंगार पक्ष ही उसकी प्राण और आत्मा हुआ करती है जहाँ तक श्री विष्णुपद श्रृंगार की बात हे तो शास्त्रों में वर्णित हे - 'अलंकारे प्रियः विष्णुः जलधारा प्रियः शिवः। ज्ञातव्य है कि गया के विष्णुपद में ही नहीं वरन् पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट मंदिरों में श्रृंगार की प्रथा विद्यमान है जहाँ अपने-अपने ढंग से परम्परानुसार पुरोहितों द्वारा श्रृंगार किए जाने का विधान है।

श्रद्धा का अदभुत संगम ही विष्णुपद मंदिर की आर्कषण का सिद्ध प्रमाण है । इस मंदिर में प्राचीन व अर्वाचीन कलाकारिता का सुन्दर समन्वय देखने योग्य है[7] । गौरतलब है कि भारतीय वाडमय में तीर्थ का अभिप्राय उस पुनी क्षेत्र से है जहॉ आने का पवित्रता का संचय हो, पाप का निवारण हो तथा मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी ही क्षेत्र है विष्णुपद मंदिर जिसे विशिष्ट लौकिक–अलौकिक महिमा के कारण एक सम्पूर्ण तीर्थ भी कहा गया है, जहाँ त्रिलोक के सारे देव मौजूद हैं इसलिए तो इसे 'मानस–तीर्थ' भी कहा जाता है।

गया श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान की परम्परा : विष्णुपद मंदिर में प्रकारान्तर से ही सालोभर श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान सम्पन्न होते रहता है। पर प्रत्येक वर्ष के भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या अर्थात् 'पितृपक्ष महाल्या' तक इस कृत्य का विशेष महत्व सर्वख्यात है[8]। धर्मशास्त्रों में पितरो को लोक लोकान्तर से मुक्ति के लिए 'गया श्राद्ध' को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गया श्राद्ध सुचिता, सात्विक्ता व अत्यन्त श्रद्धा के साथ किया जाने वाला ऐसा धार्मिक कृत्य है जिसके बगैर इस लोक में पूर्ण मुक्ति संभव नहीं हैं गया श्राद्ध गयापाल के आदेशानुसार करने पर ही सफल माना जाता है।

पदपूजन की परम्परा : गया विश्व की प्राचीनतम धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगरियों में आद्वितीय है, अपनी सांस्कृतिक गरिमा के लिए विश्वश्रुत इस नगर में 'पितृ पक्ष–महालया' के दौरान 'पितृपक्ष मेला' लगता है। पितरों की स्मृति में आयेजित होने वाले इस महान धार्मिक अनुष्ठान में पद–पूजन (चरण–पूजन) की प्रधानता देखी जा सकती है। प्रस्तुत आलेख में गया के इसी पद–पूजन की परम्परा पर प्रकाश डाला जा रहा है। विभिन्न प्राप्त साक्ष्यों के अध्ययन–अनुशील से ज्ञात होता है कि पितेरेश्वरों की दिव्य भूमि गया में चरण पूजन की परम्परा आदि–अनादि काल से विद्यमान है[9]। गया में प्राच्य 360–65 पिंडवेदियों में सर्वश्रेष्ठ पिंडवेदी 'विष्णुपद' के रूप में सर्वख्यात् है। 'पद्य पुराण' के अनुसार :–

''गयायां विष्णुपदाब्ब वरंतीर्थश्च पितृणां।''

अर्थात् गया मे विष्णुपद नामक पितरों का सर्वोतम तीर्थ है[10]।'वायु –पुराण' से ज्ञात होता है कि यज्ञोपरांत भी जब पराक्रमी गयासुर का शरीर कम्पायमान रहा, देवश्री विष्णु कोटि–कोटि देवताओं के साथ गयासुर के शरीर पर आरूढ़ हुए इसी क्रम मे देव श्री विष्णु के दाहिने पद का चिन्ह यहाँ मुखरित हो उठा और तभी से गयासुर के अनुनय–विनय पर गया में पितृऋण से उऋण होने के लिए पद–पूजन सहज में संभव है।

अध्ययन का उद्देष्य : इस शोध–लेख के माध्यम से गया के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों की सामान्य समीक्षा करने के उपरांत, में अब पूज्य गया के हिंदुओं के इधर–उधर बिखरे हुए क्षेत्रों एवं धार्मिक केंद्रो की गहनता तथा महत्ता की परीक्षा करना चाहुँगा । इस दृष्टिकोण

का अपनाने का मेरा अभिप्राय यह है कि इससे प्रेक्षण तथा गहनता के विभिन्न स्तर पर धार्मिक केंद्रों का वर्णन एवं वर्गीकरण कर सकू तथा गया की पुण्य पृष्ठभूमि में हिंदु–सभ्यता की विभिन्न परंपराओं को देखने का जो मेरा उद्‌देश्य है, वह भी पुरा हो जाए ।

साहित्य सर्वेक्षण : जब मैं इन तीर्थस्थानो तथा पूज्य प्रतीकों को निकट से देखता हूं, तो मुझे उन में एक स्थानीय महत्व नजर आता है, जिनका संबंध कुछ तो संप्रदायो से और कुछ पूजा की विधियों से दिखाया जा सकता है । मुझे 'धार्मिक केंद्र', 'धार्मिक स्थल–समूह', 'धार्मिक–खंड', 'धार्मिक क्षेत्र', और धार्मिक स्थल–सदृश पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता मालूम पड़ती है, जिससे यह दिखाया जा सके कि स्थसान की दृष्टि से, एक तीर्थस्थान का दूसरे तिर्थस्थान से क्या संबंध है । इससे गया कि पवित्रता की कुछ जटिलताओं की आथार्थ विश्लेषण करने मे मुझे भी मदद मिल सकेगी ।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध–लेख में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से ऐतिहासिक,, पुरातात्विक, सैद्धांतिक विश्लेषणात्मक, तुलनातम्क एंव नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुए शोध–लेख को मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है । इस शोध कार्य हेतु आवश्यक सामाग्री के लिए सनातन धर्म का प्रमुख मंदिर 'विष्णुपद' विष्णुनगरी, का ऐतिहाकिस अध्ययन से संबंधित पुस्तकालयों इंटरनेट एंव शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध साधनों के अलावा मध्यकालिन तथा आधुनिक संदर्भ–ग्रंथों से एकत्र किया गया है । इन संदर्भ पर आधारित पुस्तकों के अलावा विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों आत्मलेखो, समाचार पत्र–पत्रिकोओं, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक काव्य ग्रंथो इत्यादि के लेखन सामाग्री संग्रहित कर प्राचीन भारत के समाजिक–आर्थिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

निष्कर्ष : निष्कर्ष के रूप यह कहा जा सकता है कि गया जिला का प्राचीनकालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन अदभुत है। भारतवर्ष में मगध सम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध राज्य था। गया मगध सम्राज्य का दक्षिण क्षेत्र होने के साथ एक प्रख्यात धार्मिक नगर था। धार्मिक ग्रंथो एवं साहित्यों में इस क्षेत्र को अरण्यक प्रदेश कहा जाता है जहाँ जंगल, वन एवं असभ्य लोग निवास करते थे, तदउपरांत इस क्षेत्र का नामकरण एक पराक्रमी राक्षस विष्णु भक्त गयासुर के नाम पर 'गया' पड़ा। यहाँ आरम्भ में स्नातन धर्म का उद्‌भव एवं विकास हुआ तद्‌उपरांत अन्य धर्म का भी उद्‌भव हुआ। सभी धर्मालम्बी साथ–साथ रहते हुये अपने–अपने धर्मो का उत्थान एवं विकास किए।

सन्दर्भ सूची

1. वायु पुराण अध्याय 82 पृ0 25–27
2. पाठक एम0 लाल गयापाल कुल दर्पण पृ0 42
3. श्रीमद देवी यदरावत कथा पृ0 38
4. डा0 राकेश सिन्हा दस्तान ए गया पृ0 50
5. विद्यार्थी उतर भारत का एक सांस्कृतिक नगर गया पृ0213
6. कुमारी सुमित्रा, गया पितृपक्ष स्मारिका 2015 पृ0 19
7. डा0 शरण कुमार एम0 पतृपक्ष स्मारिका 2015, पृ0 32
8. महाभारत वनपर्व अध्याय 95 पृ0 12
9. बरूआ बी0पी0 संकरा व्रत कथा पृ0 48
10. मिश्रा डी0 एस0 संकरा व्रत कथा पृ0 45

राष्ट्रीय आन्दोलन में समाजवादियों नेताओं का योगदान : एक अध्ययन

*मनोज कुमार राम**

शोध सारांश :–

अगस्त क्रांति के दौरान बिहार के विभिन्न स्थानों पर समाजवादी नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी रामानन्द तिवारी इसी आन्दोलन के समय उभर कर आये वे एक पुलिसक्रमी थे। उन्होने पुलिस कर्मियों का युनियन बनाया देश के महान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंनें अपने यूनियन के सहयोगियों के साथ 10 अगस्त को अनशन किया। 09 अगस्त को डालमियानगर में रियासत करीम ने एक जुलूस का नेतृत्व किया 10 अगस्त को उन्होने रोहतास उद्योग कम्पनी को बन्द करने पर श्रम अधीक्षक परमन्स को मजबूर कर दिया। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन का समर्थन बिहार के समाजवादी नेताओं ने किया कांग्रेस के नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से आन्दोलन नेतृत्व विहीन हो गया। गिरफ्तारी से बध रहे समाजवादी नेताओं ने आन्दोलन के नेतृत्व का भार सम्भाला बम्बई में जगह–जगह गोलियाँ चल रही थी समाजवादियों ने गुप्त बैठके करनी शुरू की केन्द्रीय संचालन मंडल बनाया गया।

परिचय :–

अतः इस संगठन का काम पटवर्धन को दिया गया। राम मनोहर लोहिया पर नीति निर्धारण का दायित्व सौपा गया इस समय जय प्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में गिरफ्तार थे। उन्होने राजनीतिक कैदियों को एक श्रित कर पूछा गाँधीजी ने गिरफ्तार होते समय एक मंत्र था– करो या मरो क्या इसका यह अर्थ नही कि इस बार जान पर खेलकर भी इस क्रांति को सफल बनावें। जेल से निकलने का उन्होने अपने साथियों यथा रामनन्दन मिश्र, योगेन्द्र शुल्क, सूरज नारायण सिंह, गुलाब एवं शालिग्राम के साथ योजना बनायी 10 अगस्त को जेल की दीवार फांद कर अपने साथियों के साथ छाती के बल रेगते हुये वे अपने साथियों के साथ भाग निकले। दरभंगा जिला में समाजवादी नेता कपूरी ठाकुर ने आन्दोलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व से राष्ट्रीय आन्दोलन को गति मिली। कुलानन्द वैदिक के साथ मिलकर उन्होने सिंघवारा में संचार के साधनों को तहस–नहस कर दिया। रसियारी में डॉ0 लक्षण का एवं कनक लाल झा ने नेतृत्व अपने हाथों में लिया। मुजफ्फरपुर जिला में ठाकुर भुनेश्वर नाथ सिंह पंडित मदन झा, डॉ0 गुलजार, सीताराम सिंह, अक्षयवट राय, राम बिहारी मंडल ललित सिंह बसावन सिन्हा, विन्धवासिनी, सिंह स्वामी आत्मा नन्द, रामचन्द्र शर्मा नथनी लाल मेहता, बसावन सिन्हा, जैसे सैकड़ो समाजवादी नेता बिहार में सक्रिय सरकार ने आन्दोलन को यथाशीघ्र कुचल डालने के लिए दमन का सहारा लिया और आन्दोलन कारियों पर आंख मूंदकर गोलियों की बौछारे की गयी बड़ी संख्या में लोग हताहत एवं आहत होकर साथियों के साथ भाग निकले। अगले दिन वे गया पहुँचे। जय प्रकाश, रामनन्दन मिश्र और शालिग्राम बनारस पहुंचे और बहाँ पर उन व्यक्तियों से सम्पर्क किया जो उत्तरी भारत में अगस्त आन्दोलन का संचालन कर रहे थे।[2] बिहार में अगस्त क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। युवावर्ग के लोग जगह–जगह सड़क जाम कर रहे थे। बिजली एवं टेलीफोन की तारों को तोड़ा जा रहा था। रेल की पटरियाँ उखाड़ी जा रही थी। जगह–जगह पोस्ट आफिसों को लुटा जा रहा था और उसमें रखे रूपये से आन्दोलन के संचालन में सहुलियत हुई।

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन भारत के खासकर बिहार के समाजवादियों के लिए स्वर्जित क्षण था। यह एक विशाल आन्दोलन था। इसने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के दिनों में समाजवादियों का सम्बंध किसान सभा के नेताओं के साथ बिगड़ने लगा। बकाश्त आन्दोलन के

* **इतिहास विभाग ललित नारायण मिथिला विष्वविद्यालय, कामेष्वर नगर, दरभंगा।**

समय से किसान सभा के नेताओं एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच एक समझदारी बनी थी। किसान सभा के नेतागण कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच एक थे। समाजवादियों को बात अच्छी नही लगी। उन्होने अलग किस्त के किसान संगठनों की स्थापना की। उन्होंने इस समय कांग्रेस के अन्दर ही काम करना चाहा और राष्ट्रीय आन्दोलन को मजबूती प्रदान करना चाहा। दूसरी और सहजानन्द सरस्वती ने कांग्रेसी नेतृत्व की भरर्सना और समाजवादियों को भी उन्होने आड़े हाथो लिया।[3]

समाजवादी नेतागण अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि भारत को आजाद होना है तो इस देश के लोगों को तत्काल ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति के लिए सशस्त्र प्रयत्न करने होगे इसके लिए उन्होने किसानों एवं मजदूरों को आहवान किया। महात्मा गाँधी ने स्पिति का जायजा लिया उन्हे लगा कि सही में समय आ गया है जब कांग्रेस को आगे बढ़कर राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए अन्यथा देश के लोग समाजवादियों के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जायेगे। उन्होने देश वासियों को करो या मरो का नारा दिया और समाजवादियों की मानसिकता का आदर करते हुये अगस्त क्रांति की शुरूआत की जिसके तहत अंग्रेजो का तत्काल भारत छोड़कर वापस चले जाने को कहा गया। इस तरह कम्युनिस्टो ने अपने ही लोगो को शोषकों के हाथों को मजबूत करने की बात की समाजवादियों ने उनके इस रूप पर कड़ा विरोध प्रकट किया और कहा कि कम्युनिस्ट लोग राष्ट्र के विरोधी है। इसी युद्ध के दौरान किशोरी प्रसन्न सिन्हा जैसे नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये। जय प्रकाश नारायण को इससे काफी आघात पहुँचा। देवली जेल से उन्होने अपने साथियों के नाम पत्र लिखा। पत्र में दुःख व्यक्त करते हुए उन्होने कहा कि किशोरी गद्दार हो गया है।[4]

अतःशुरू से ही समाजवादियों ने कांग्रेस के 'दक्षिण पंथी' नेतृत्व की तीव्र आलोचना की थी और उन पर सत्ता के करीब रहने का आरोप लगाया था। किसान एवं मजदूर भी कांग्रेस के संवैधानिकतावाद से विचलित हुए और अपनी मानसिकता इस तरह की बनानी शुरू की कि उन्हे अब कांग्रेस से हटकर आन्दोलन की शुरूआत करनी होगी। महात्मा गाँधी ने इस प्रवृति को बखूबी समझा और इस बात पर जोर दिया कि यदि कांग्रेस को आन्दोलन के नेतृत्व को अपने हाथों में बनाये रखना है तो उसे क्रांतिकारी स्वरूप अख्तियार करना होगा अन्यथा देश विभिन्न खेमों में बंट जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उनका संघर्ष कमजोर हो जाएगा।

इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत हो गयी। भारतीय नेताओं ने ब्रिटेन की तीखी आलोचना की ब्रिटिश शासकों ने भारतीय राजनीतिक दलों से सलाह मसबेरा किये बगैर भारत को युद्ध में झोंक दिया था। महात्मा गाँधी ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और विभिन्न प्रान्तो में कांग्रेस की सरकारों की समस्याओं के महेनजर इन्हे इस्तीफा देने की सलाह दी। विभिन्न प्रान्तो के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने प्रतिक्रिया स्वरूप इस्तीफा दे दिया और संवैधानिक संकट पैदा हो गया। स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समाजवादी आदर्शो से युक्त स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा लेकिन उसे यहाँ कोई सफलता हासिल नही हुई। महात्मा गांधी ने कहा मैने बहुत प्रतीक्षा कि कि विदेशी सत्ता को हटाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पैदा करे परन्तु अब मेरा विचार बदल गया है।[5] मैं सोचता हूँ कि अब मैं और प्रतीक्षा नही कर सकता और प्रतीक्षा का अर्थ होगा विनाश की प्रतीक्षा। इसलिए मैने फैसला किया है कि कुछ खतरे उठाकर भी लोग अब गुलामी का विरोध करे। 05 जून 1942 को उन्होने लिखा अंग्रेजो भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थिति रूप में छोड़ जाओं 17 जून को उन्होने कहा, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा क्योकि आजादी आकाश से नही टपकेगी। निः संदेह इस संघर्ष में वे भारत के सभी तबके के लोगों को एकजुट करना चाहते थे। क्रिप्स मिशन की असफलता ने लोगों में प्रतिशोध की ज्वाला को भड़का दिया था। क्रिप्स मिशन के अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग

को बढ़ावा दिया था। भारत पर जापान के आक्रमण की सम्भावना बहुत बढ़ गयी थी इसलिए गाँधी तुरन्त ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही करना चाहते थे। वर्धा में 7–14 जुलाई 1942 को हुयी बैठक में भारत छोड़ो' नाम का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में ब्रिटेन को तत्काल ही भारत छोड़ने का अपील की गयी क्योकि विदेशी शासन के कारण ही भारत अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। भारत को स्वतंत्रता न केवल भारत अपितु पूर्ण विश्व को सुरक्षा तथा नाजीवाद, फासीवाद, पिरंकुशतावाद तथा विश्व में अनेक प्रकार के साम्राज्यवाद को समाप्त करने में सहायक होगी।[6] प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि युद्ध के समय पर भारत अंग्रेजो के विरूद्ध आन्दोलन शुरू करके ब्रिटेन को किसी प्रकार के संकट में नहीं डालना चाहता परन्तु भारतीयों की अनुनय–विनय की नीति से अंग्रेजों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नही आया। 07 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बम्बई में हुयी इसमें कुछ संशोधनों के साथ एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार को भारत से तुरन्त शासन समाप्त करने की अपील की गयी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि अब समय आ गया है अब धमकी या वायदे से काम नही चलेगा, हमें तुरन्त कोई और कदम उठाना होगा। कांग्रेस न तो अंग्रजो सरकार से कोई बायदा चाहती है और न कोई वायदा करना चाहती है। यही उचित समय है कि कांग्रेस कोई कदम उठाए और अंग्रेजी सरकार कोई निर्णय ले जवाहर लाल नेहरू ने 08 अगस्त को कहा हमने स्वयं को अग्नि में धकेल दिया है। या तो हम इसमें सफलतापूर्वक बहार निकल जायेगें अथवा इसी में समाप्त हो जायेगे।[7] 08 अगस्त को ही महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस के सभी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

अगस्त क्रांति के दौरान बिहार के विभिन्न स्थानों पर समाजवादी नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। रामानन्द तिवादी इसी आन्दोलन के समय उभर कर आये वे एक पुलिसकर्मी थे उन्होने पुलिस कर्मियों का युनियन बनाया देश के महान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में उन्होने अपने यूनियन के सहयोगियों के साथ 10 अगस्त को अनशन किया। 09 अगस्त को डालमियानगर में रियासत करीम ने एक जुलूस का नेतृत्व किया 10 अगस्त को उन्होने रोहतास उद्योग कम्पनी को बन्द करने पर श्रम अधीक्षक परमन्स को मजबूर कर दिया। दरभंगा जिला में समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने आन्दोलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व से राष्ट्रीय आन्दोलन को गति मिली। कुलानन्द वैदिक के साथ मिलकर उन्होने सिंघवारा में संचार के साधनों को तहस–नहस कर दिया। रसियारी में डॉ0 लक्षण का एवं कनक लाल झा ने नेतृत्व अपने हाथों में लिया। मुजफ्फरपुर जिला में ठाकुर भुनेश्वर नाथ सिंह, पंडित मदन झा, डॉ0 गुलजार सीताराम सिंह, अक्षयवट राम, रास बिहारी मंडल, ललित सिंह, जैसे सैकड़ो समाजवादी नेता बिहार में सक्रिय सरकार ने आन्दोलन को यथाशीघ्र कुचल डालने के लिए दमन का सहारा लिया और आन्दोलनकारियों पर आंख मूंदकर गोलियों की बौछार की गये बड़ी संख्या में लोग हताहत एवं आहत हुये।[8]

जब समाजवादी क्रांतिकारियों को लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके प्रयत्नों को तत्काल कुचल देगी तो उन्होने आन्दोलन को भूमिगत बनाने का निश्चय किया। उन्होने महसूस किया कि मजदूरों को कम्युनिस्टों ने काफी गुहार किया है। अतः इनकी और विशेष ध्यान देने की जरूरत थी किसानों का दमन हो रहा था कि निराश छात्र फिर कॉलेजों की और लौटने लगे थे। उन्हे नई दिशा देनी थी। पुलिस एवं फौज में घूसकर काम करना उनका प्रमुख कार्यक्रम था उन्होने विदेशों से सम्पर्क की योजना बनायी। प्रसार कार्य के लिए साइक्लोस्ट्राइल मशीन, छोटे प्रेस और रेडियों प्रसारण का प्रबंध किया गया। आजाद दस्ता के नाम से भारत के क्रांतिकारियों का एक संगठन खड़ा करने और उन्हे शिक्षित करने की योजना को जय प्रकाश नारायण ने अपने हाथों में लिया।[9]

जय प्रकाश नारायण बम्बई, अहमदाबाद एवं कलकत्ता होते हुए बिहार पहुंचे। उनके साथियों में खास–सूरज नारायण सिंह एवं बसावन सिंह ने उन्हे नेपाल पहुंचाने में मदद की।

कुमारी विजया उनके साथ थी। राज बिराज पहुंचकर उन्होने अजाद दस्ता' का गठन किया उन्होने इसी तरह नौजवानों का दल गठन करने पर जो दिया। उन्होने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद अंग्रेज सरकार भारतीय जनता की नजरों में एक ऐसी सरकार थी, जो जबरदस्ती मुल्क के साने पर बैठी हुयी थी। जय प्रकाश नारायण ने कहा तोड़–फोड़ गुलाम और पीड़ित जनता का एक अमोध अस्त्र है, जिसके द्वारा वह अपने शासको से लड़ती आयी है। जनता को गुलाम बनाये रखने और उसे चूसने–दूहने के लिए जिन साधनों का निर्माण शासको ने कर रखा है, उनका संहार करना, उनके कलपुजो को चकनाचूर करना यातायात के साथ नों बेकाम कर देना, इमारतों और भंडारों को भस्मीभूत कर देना, यो सब काम तोड़–फोड़ के अंदर आते है इसलिए यदि तार काठ दिए जाते है।[10] 1946 में ही कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में प्रवेश की अनुमति दी समाजवादियों ने इसका स्वागत नही किया उन्होने इसे तुष्ट्रीकरण की नीति समझां। उन्होने देश में चल रहे साम्प्रदायिक दंगे का कड़े शब्दों में भर्त्सना की जय प्रकाश नारायण ने इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दोषी। ठहराया उन्होने कहा भारत का हर अंग्रेज मुस्लिम लीगी है। आखिरकाम 1947 में देश आजाद हुआ समाजवादियों ने नारा दिया गांधी का यह अरमान, मालिक हो मजदूर–किसान 15 अगस्त 1947 ई0 को भारत आजाद हुआ 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की हत्या कर गयी उनके निधन के बाद मार्च में कांग्रेस ने बाकायदा निश्चय किया कि किसी दूसरी पार्टी का सदस्य कांग्रेस का सदस्य नही हो सकता। मूल उद्देश्य कांग्रेस के भीतर से समाजवादियों को बाहर निकालना था।

निष्कर्ष :–

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन भारत के शासक बिहार के समाजवादियों के लिए एक स्वर्णित क्षण था। यह एक विशाल आन्दोलन था। इसने स्पष्ट कर दिया कि शुरू से ही समाजवादियों ने कांग्रेस के 'दक्षिण पंथी' नेतृत्व की तीव्र आलोचना की थी और उन पर सत्ता के करीब रहने का आरोप लगाया था। किसान एवं मजदूर भी कांग्रेस के संवैधानिक तावाद से विचिलित हुये। सन् 1940 से 1941 के अन्त तक युद्ध विरोधी प्रचार के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आन्दोलन चलाया जिसमें सारे भारत के करीब पच्चीस हजार सत्याग्रह का समर्थ किया। समाजवादियों का सम्बंध किसान सभा के नेताओं के साथ बिगड़ने लगा।

सन्दर्भ सूची :–

1. राकेश गुप्त : बिहार किसान सभा का इतिहास, नई दिल्ली, पृ0–110–112
2. एन0 एन0 मिश्र : इण्डियन एनुअल रजिस्टर, कलकत्ता पूर्वाक्त खण्ड–01 नई दिल्ली, 1941 पृ0–30–31
3. डॉ0 सुनील जोगी :– लोहिया विश्व समाजवाद के पोषक, डायमंड बुक्स, नई दिल्ली, 2010 पृ0–48
4. ठाकुर राजनंदन :– केयर टेकर विधान मंडल की टिप्पणी, बिहार सरकार, राजनीतिक विभाग, प्रकाशित आलेख, 1948
5. सीताराम सिंह : भूतपूर्ण सांसद का संस्करण, दिनमान, दिल्ली 08 अगस्त, 1971 पृ0–49
6. श्याम दुआ :– जे0 पी0 नारायण स्वर्णित जीवन, टिनी टॉट पब्लिकेशन, 2004 पृ0–39
7. कुनार प्रशांत :– जन्म कुंडली की तलाश रविवार, कलकत्ता, 1984 पृ0–54–55
8. जय प्रकाश नारायण :– समाजवाद, सयोदय एवं लोकतंत्र, पटना, 1973 पृ0–67
9. राममनोहर लोहिया :– क्रांति की तैयारी करो पटना, 1942 पृ0–42
10. राकेश गुप्त : बिहार किसान सभा का इतिहास, नई दिल्ली, 110

बिम्बो के सहारे दर्द से कराहते आम जन मानस की पीड़ा को बयाँ करते कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

डॉ0 नीतू सिंह

कविता में बिम्ब विधान का विशेष महत्व है क्योंकि रचनाकार की सूक्ष्म भावनाओं या अनुभूतियों को बिम्बों के द्वारा ही उसका वास्तविक रूप दिया जा सकता है। डॉ0 भगीरथ मिश्र ने 'नया काव्य शास्त्र' नामक पुस्तक में बिम्ब को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है। ''किसी वस्तु घटना या दृश्य का कल्पनागत अप्रस्तुत रूप बिम्ब कहलाता है। प्रायः हम किसी बात या प्रसंग को समझाने या उसके प्रभाव को हृदयंगम कराने के लिए इन्हीं कल्पनागत अप्रस्तुत रूपों का प्रयोग करते हैं। समझाने और हृदयंगम कराने की यह रीति बिम्बात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। काव्य भाषा प्रायः बिम्बात्मक ही होती है। भाषा की बिम्बात्मकता न केवल उसे प्रभावशाली बनाती है, वरन् रोचक, मधुर और सरल रूप भी प्रदान करती है।''[1] बिम्ब विधान के समय कवि की कल्पना बहुत ही सक्रिय रूप में उपस्थित रहती है। जिसके माध्यम से कविता की भाषा संवेदनात्मक रूप के द्वारा पाठकीय अनुभव को गतिशीलता प्रदान करती है। बिम्ब के द्वारा कवि कविता के संवेदन की एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करता है जो पाठकों को अपनी ओर खींचती रहती है और एक विशिष्ट अर्थ–संश्लेषण करती चलती है।

डॉ0 रविनाथ सिंह ने अपने शोध प्रबन्ध में बिम्ब–विधान को इस रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है– ''इस प्रक्रिया (बिम्ब–विधान) में रचनाकार अपने स्मृतिकोष से सर्वप्रथम सर्जनात्मक कल्पना के हमारे अनिवार्य स्मृतियों को छाँटता है। पुनः उन्हें वस्तु के संन्निकर्ष से इन्द्रिय ग्राह्य बनाता है। परिणाम स्वरूप कविता में प्रयुक्त–शब्द मूर्त होकर भावक के लिए सहज संप्रेष्य बन जाते हैं।''[2]

बिम्ब का महत्व तभी है जब वह अनुभव और संवेदना के साथ संप्रेषणीयता को एक सशक्त रूप दे। रिचर्ड्स ने भी बिम्ब को एक दृश्यचित्र, संवेदना की एक अनुभूति, एक विचार, एक मानसिक घटना, एक अलंकार अथवा दो अनुभूतियों के तनाव से निर्मित एक भाव–स्थिति के रूप मे स्वीकार किया है। बिम्ब कई कोटियों में विभक्त है और बिम्ब की इन कोटियों को सरल रूप में मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है।

मनोवैज्ञानिकों ने बिम्ब को बारह वर्गों में विभक्त किया है। ऐसा करते समय उनकी दृष्टि में काव्य–रचना का आधार रहा है। 1. रूढ़ अथवा मृतबिम्ब 2. जीवन्त बिम्ब 3. अनुकूल बिम्ब 4. पुनर्निमित बिम्ब 5. प्रातिभ बिम्ब 6. खण्डित बिम्ब 7. आलंकारिक बिम्ब 8. ध्वन्यात्मक बिम्ब 9. प्रतीकात्मक बिम्ब 10. मिथकीय बिम्ब 11. आदिम बिम्ब 12. नाट्य बिम्ब अथवा गत्यात्मक बिम्ब।'' रूढ़ बिम्ब में अनुभूति की सघनता नहीं होती है। ये बिम्ब सर्वसामान्य में बार–बार प्रयुक्त होते हैं। जीवन्त बिम्ब आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न हुए हैं। समकालीन जीवन के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान कल–कारखानें, रॉकेट से सम्बन्धित बिम्ब इसी के अन्तर्गत आते हैं। अनुकृत बिम्ब कवि की स्मृति में विद्यमान अथवा उसके द्वारा परिष्कृत वस्तुओं से निर्मित होते हैं। पुनः+निर्मित बिम्ब कवि की रचनात्मक कल्पना के द्वारा निर्मित होते है। इसमें यथार्थ और कल्पना दोनों का सम्मिश्रण होता है। प्रातिभ बिम्बों में कवि अपनी सम्पूर्ण क्षमता के द्वारा नये बिम्बों का निर्माण करता है। उसकी मौलिकता अर्थात् ज्ञान और वस्तु के ग्रहण करने की क्षमता से ऐसे बिम्बों का निर्माण होता है आचार्य वामन ने इस प्रतिभा को ही कवि का बीज तत्व माना है। आचार्य दण्डी ने प्रतिभा को नैसर्गिक माना है। दण्डी के अनुसार प्रतिभा नैसर्गिक काव्य–सम्पदा है। ''आचार्य कुन्तक ने प्रतिभा को शब्द अर्थ के अपूर्व सौन्दर्य को स्फुरित करने वाला माना है।''[3] बिम्ब का नया अन्वेषण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य प्रतिभा में दृष्टिगोचर है। जैसा कि उपरोक्त कथन में दण्डी ने स्वीकार किया है। बिम्बों के इस गुच्छ का चित्रण कवि की कविताओं में भरा पड़ा है।

सर्वेश्वर की प्रायः सभी कविताओं में बिम्ब का नया रूप देखने को मिलता है, जो सामाजिक संघर्ष और सामाजिक परिवेश की उपज है। कवि ने इस द्वन्द्व को **'रात भर'** कविता में कुछ इस तरह से रचा है कि बिम्बों का एक गुच्छा उभर आता है।

''मेरा मन
स्मृति के कंधे पर
क्से हुए खिड़की के पल्ले–सा
खुलता, बंद होता रहा
छड़ और दीवार के बीच
सर पटकता रोता रहा।''[4]

स्मृतियों के सहारे हम आगे भविष्य की ओर देखते हैं और बार–बार अतीत की ओर भी हमारी दृष्टि जाती रहती है, लेकिन इस आवा–जाही में मनुष्य लगातार अपने वर्तमान से संघर्ष करता रहता है। यह संघर्ष ही हमें वर्तमान के लिए नयी दिशा की ओर पथ प्रदर्शक का कार्य करता है।

''स्मृतियों के भारी, काले कोट का कालर उठाये
बेचैन थकी हुई रात
मेरी पसलियों पर
कोहनिया गड़ाये बैठी रही।''[5]

कवि ने शीश थामें, बाल उलझाये बेचैन रात का बिम्ब बड़े ही मनोहारी रूप में प्रस्तुत किया हैं। **'यह साँझ'** नामक कविता में कवि का राजनीतिक बिम्ब छिपा हुआ है।

''दूर पूरब की
उदासी–भरी हरियाली में,
पोछता आ रहा सिन्दूर कौन राहों का
और खामोश पेड़ों की तस्वीरों पर
डालता जा रहा काला कफन गुनाहों का''[6]

भ्रष्ट राजनीति का खांका खींचने में कवि सर्वेश्वर पारंगत हैं और इससे हो रही ताबाही, विनाश का चित्रण केवल और केवल सर्वेश्वर की कविता में ही मिलता है। यह भी सही है कि सर्वेश्वर की कविता अपने समय का साक्ष्य प्रस्तुत करती है।

कवि ने पूरी जागरूकता के साथ समाज, संस्कृति, सभ्यता मे व्याप्त विसंगतियों और सम्बन्धों की त्रासद कहानी को पूरी तरह बिम्बों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नरेन्द्र सिंह ठाकुर लिखते हैं कि ''सर्वेश्वर के बिम्ब वस्तु को खड्ड में धकेल कर कही नहीं आये हैं। उसमें संश्लिष्टिता, सघनता, ऐन्द्रियता और अलंकृतिता का समुचित योग हुआ है। अनुभव की भाषा के प्रयोक्ता और भाषिक शक्तियों के उद्घाटक सर्वेश्वर ने प्रतीकों को भी एक समृद्ध बिम्ब–प्रक्रिया से जोड़ दिया है। इससे उनकी काव्य–भाषा बिम्बों की भाषा हो गई है, पर ध्यान रहे सर्वेश्वर ने बिम्बों का प्रयोग मात्र चमत्कारोत्पादन के लिए नहीं किया है, अपितु किसी भाव, विचार या स्थिति के समग्र सम्प्रेषण के लिए ही किया है।''[7] सर्वेश्वर के काव्य की सम्पूर्ण विशेषता उनकी बिम्ब प्रतिभा में झलकती है। ज्यादातर सर्वेश्वर के बिम्ब संयुक्त अनुभव के बिम्ब हैं। अज्ञेय के बिम्बों में उतनी तारतम्यता नही जितनी सर्वेश्वर के बिम्बों में विद्यमान है।

कृष्णदत्त पालीवाल का कथन है 'कवि की काव्य–भाषा का संबंध बिम्ब जैसी संशिलष्ट प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसी अर्थ में प्रतीक और बिम्ब काव्य–भाषा की सृजनात्मक प्रक्रिया के अनिवार्य किन्तु विशिष्ट तत्व हैं। भारत वर्ष के पुराने साहित्य–शास्त्री काव्य–भाषा के इसी कर्म को अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत पूरा करते थे और यह आज भी सत्य है कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत रचना–प्रक्रिया के अंग होते ही हैं। प्रतीक और बिम्ब अप्रस्तुत होते हुए भी

भाषिक–प्रक्रिया में बहते हुए प्रस्तुत को ही प्रत्यक्ष करने के कारण बनते हैं और कलानुभव की विशिष्ट प्रक्रिया में वे रचते–पचते या रिल–मिलकर भाषा में रूपांतरित हो जाते हैं।''[8]

शब्दों के जलते कोयलें की आँच
अभी तो तेज़ होनी शुरू हुई है
उसकी दमक
आत्मा तक तराश देने वाली अपनी मुस्कान पर
मुझे देख लेने दो।[9]

कवि शब्द को कोयले के आँच पर तराश रहा है जो उसकी आत्मा तक को छूती है। राजनीति में फैली भ्रष्टता के विरूद्ध कवि अपना हथियार तेज कर रहा है।

कवि केदार नाथ सिंह शब्द के विषय में लिखते हैं कि ''ठण्ड से नही मरते शब्द'' और सर्वेश्वर शब्द को आग पर तपा देने वाले बिम्ब का निर्माण करते हैं। केदार नाथ सिंह के शब्दों में ''बिना चित्रों, प्रतीकों, रूपकों और बिम्बों की सहायता के मानव अभिव्यक्ति का अस्तित्व प्रायः असम्भव है, यहाँ तक कि जब हम शुद्ध विचार के क्षेत्र में पहुँच कर गम्भीर तत्व–दर्शन की चर्चा करते हैं, तब भी हमारे अचेतन में कहीं न कहीं उन विचारों के वर्ण–चित्र उभरते मिटते रहते हैं। बिम्ब–निर्माण की यह प्रक्रिया पूरे मानव–जीवन में फैली हुई है।''[10] इसी प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लेख सर्वेश्वर की कविताओं में मिलता है। इन बिम्बों के कारण सर्वेश्वर की काव्य–भाषा तथा उनके विचारों के संपूर्ण जीवन्त संसार की सृजनात्मकता का विकास होता है। कवि ने 'कल रात', 'भोर', 'तुम कहो', 'विगत प्यार', 'रात भर', 'विवशता', 'घटाएँ भी नहीं अब दीखती', 'मुझे स्वीकार नहीं', 'तुम्हारे साथ रहकर', 'स्मृति', 'कुआनों नदी', 'तुम्हारी तरह', 'एक छोटी सी मुलाकात', 'यह हाथ' आदि कविताओं में बिम्बों के द्वारा उन्हें अधिक मुखरित किया है।

''कुछ देर और बैठो–
देखो पेड़ो की परछाइयाँ तक
अभी उनमें लय नहीं हुई हैं
और एक–एक पत्ती
अलग–अलग दीख रही है।''[11]

''एक छोटी सी मुलाकात'' नामक कविता में कवि ने दो रूपों का चित्रण किया है एक ओर प्रेम तथा दूसरी ओर मानव जीवन की विसंगतियों को रेखांकित करता है। कवि पेड़ की पत्तियों को अलग–अलग देखता है वह उनकी एक जुटता का प्रश्न लेकर खड़ा होता है। कवि ने आंलकारिक बिम्ब, अमूर्त बिम्ब, प्रतीकात्मक बिम्ब, ऐन्द्रिय बिम्ब, उदात्त बिम्ब, जीवन्त बिम्ब, ध्वन्यात्मक बिम्ब आदि का चित्रण अपनी कविताओं में अपने कथ्य को एक नव–निर्मित दिशा देने हेतु किया है ध्वन्यात्मक बिम्ब की संख्या कुछ अधिक है। ध्वन्यात्मक बिम्बों की अधिकता सर्वेश्वर की कविता की काव्य भाषा को एक नये रूप में चित्रित करती है।

जा–जा–ले–ले
चू–चू, हे–हे
हे–हे, चू–चू
ले–ले, जा–जा,
किससे कहोगे
तू बाज आजा''[12]

वर्णो का द्वित्व उनके बिम्बों में एक रोचकता और आकर्षण को जन्म देता है।

''पढ़ी लिखी मुर्गियाँ, नामक कविता से
''किड–किड–किड कियाँ कियाँ
किड़–किड़ं–किड़ कियाँ कियाँ
दरबे से निकली हैं,

पढ़ी–लिखी मुर्गियाँ।''[13]

प्रस्तुत कविता में कवि ने पढ़ी–लिखी अज्ञानी महिलाओं के ऊपर व्यंग्य किया है जो अपनी चमक–दमक को ही अपना विस्तृत श्रृंगार (संसार) मान लेती हैं। ''कुआनों नदी'' में कवि सर्वेश्वर बिम्ब का प्राकृतिक रूप चित्रित करते हैं।

''बादल झमाझत बरस रहे हैं
या बरस कर निकल गये है''[14]

ध्वन्यात्मक भाषा के विषय में डॉ0 अशोक भाटिया लिखते हैं कि ''उच्चरित भाषा में जहाँ ध्वनात्मक इकाईयों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ लिखित भाषा में लेखनीय इकाईयों का प्रयोग होता है। ध्वन्यात्मक इकाईयों का सम्बन्ध मनुष्य के उच्चारण–अवयवों, उच्चारण–प्रयत्न, मुख–विवर में उच्चारण–अवयवों के संचालन तथा वायु के दबाव और उतार–चढ़ाव आदि के साथ जुड़ता है।''[15] कवि रचना में बिम्ब का विशिष्ट स्थान है जिसके द्वारा अर्थ और अनुभव दोनों की व्यंजना मुख्य रूप से प्रस्तुत है। कवि ने प्रेम को व्यक्त करने हेतु प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा ''बंसन्त–पूर्णिमा'' में बिम्ब का सृजन किया है, जिसमें सौन्दर्य के साथ–साथ आकर्षण भी जुड़ा हुआ है।

''साक्षी रहना चाँद
किसी के कंधां पर अपना सिर रख
अपनी सम्पूर्ण इयत्ता से था
मैनें तुम्हें पुकारा।''[16]

कवि सर्वेश्वर बसन्त ऋतु में चाँद को साक्षी मानकर प्रेम का एक अलग बिम्ब प्रस्तुत करते हैं। कवि ने अपने प्रेम भाव भूमि को लोक–भाव भूमि से पूर्णतः जोड़कर काव्य–भाषा को विलक्षण रूप देने का प्रयास किया है।

आचार्य शुल्क ने लिखा है कि ''जब पण्डितों की काव्य–भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक–भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डाले तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है तब शिष्ट समुदाय लोक–भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता हैं।'[17] सर्वेश्वर जी ने अपनी कविता के बिम्बों का जो संयोजन किया है वह कही लोक जीवन से जुड़े है तो कही आम जन मानस की पीड़ा को भी मुखरित करते है। वस्तुतः मानवीय दर्द को बयाँ करती कविताए बिम्बों के माध्यम से अपनी ग्राह्यता और सर्वस्वीकार्यता को सिद्ध करती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. डॉ0 भगीरथ मिश्र– 'नया काव्य शास्त्र' पृ0–105
2. ब्रह्मदेव मिश्र– स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी सिद्धांत, पृ0–212
3. डॉ0 (श्रीमती) प्रभा सिंह – 'प्रगतिवादी कविता में बिम्ब–विधान' पृ0–7
4. सं0 अज्ञेय – 'तीसरा सप्तक' पृ0–231
5. सं0 वीरेन्द्र जैन – स0द0स0 ग्रन्थावली, खण्ड–एक 'काठ की घंटियाँ'
6. वही, पृ0–21
7. नरेन्द्र सिंह ठाकुर – 'स0द0स0 और उनका काव्य' पृ0–100
8. कृष्णदत्त पालीवाल – 'स0द0स0 का रचना कर्म' पृ0–82
9. सं0–वीरेन्द्र जैन– 'स0द0स0 ग्रन्थावली' खण्ड–दो 'खूटियों पर टँगे लोग' पृ0–267
10. सं0– भारत यायावर, राजा खुशगाल–कवि केदारनाथ सिंह–पृ0–35
11. सं0–वीरेन्द्र जैन– स0द0स0 ग्रन्थावली, खंड–दो ''खूटियों पर टँगे लोग'
12. सं0 वीरेन्द्र जैन– स0द0स0 ग्रन्थावली, खंड–एक 'गर्म हवाएँ' पृ0–319
13. वही – एक सूनी नाव, पृ0–290
14. सं0 वीरेन्द्र जैन– स0द0स0 ग्रन्थावली, खंड–एक 'कुआनों नदी' पृ0–14
15. डॉ0 अशोक भाटिया– श्रेष्ठ साहित्यिक निबंध, पृ0–84
16. सं0 वीरेन्द्र जैन–स0द0स0 ग्रन्थावली, खंड–एक 'बाँस का पुल' पृ0–211
17. आचार्य शुक्ल – हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ0–574

बौद्ध काल में स्त्री

डॉ0 सुजाता कुमारी

बौद्ध धर्म प्राचीन काल से ही महिलाओं के अध्यात्मिक उन्नत्ति तथा इनके सषक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है, चाहे सुजाता हो या फिर आम्रपाली। इनके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी महिलाएँ, जो अपने परिवार और समाज से विक्षुब्ध होकर दुःखों का सामना कर रहे लोगों को अपनी शरण में लेकर, दीक्षित कर दया एवं करूणा का पाठ पढ़ाकर दुःखों से मुक्ति का मार्ग प्रषस्त किया है। भारतीय स्त्री की कहानी एक उतार–चढ़ाव की कहानी है[1]। युगों से उत्थान–पतन की तरंगों में झूलती स्त्री को कभी सम्मान का स्वर्णिम शिखर मिला तो कभी अधोपतन की मझधार। उसकी सामाजिक स्थिति के दोनों पहलुओं–अधिकार एवं कर्तव्य में सदैव उतार–चढ़ाव आते रहे हैं। भारतीय संस्कृति में उसे सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर इतना प्रतिष्ठित किया गया कि अर्धस्त्रीश्वर ने गंगा तक को अपने मस्तक पर धारण किया गया है। हिन्दुओं की धर्म कथाओ में अर्धस्त्रीश्वर की कल्पनाओं ने स्त्री को और भी अधिक गौरवान्वित किया वहीं उसे ताड़न का अधिकारी भी बताया गया है ।

वैसे तो बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से हमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कुछ ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में स्त्री की स्थिति बहुत कुछ उत्तर–वैदिक युग के समान ही थी। स्त्रियों का परिवार में महत्वपूर्ण स्थान था, परन्तु उनके समाज में स्वच्छन्दतापूर्ण विचरण पर कुछ बन्धन लग गये थे। स्त्रियाँ समाज के उत्सवों में पुरूषों के समान भाग लेती थीं, परिवार के आगन्तुक अतिथियों का स्वागत–सत्कार करती थी व परिवार के सदस्यों और पालतु पशुओं की देखभाल भी करती थीं।

इस लेख का मुख्य उद्देष्य थेरावाद परम्परा में बौद्ध भिक्षुणियों को जहाँ काम करना पड़ता है, यह इनकी परिस्थिति को प्रदर्षित करता है। यह अनुसंधान बौद्ध भिक्षुणियों के अतीत और वर्तमान की तुलना उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूमिका और स्थिति को भी दर्षाता है[2]। बौद्ध भिक्षुणियों की भूमिका और स्थिति, सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। ऐसी परिस्थिति में लेखक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और षिक्षण में उनका योगदान, समाज और समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता एवं समर्पण को दर्षाया है। ऐसी उम्मीद है कि यह शोध आम जनता को महिलाओं की भूमिका और उनके धार्मिक अधिकारों को पहचानने में मदद करेगा।

वैदिक काल के पूर्व महिलाओं की स्थिति एवं बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। जिसके साथ ही प्राचीन भारत में महिला से संबंधित अध्ययनों ने अभी तक विद्वानों का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। महिलाओं के कुछ पहलुओं को ध्यान में रखकर कानूनी दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। बौद्ध काल से भारतीय सामाजिक विकास के क्रम में महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार के उदाहरण मिलते हैं।

महिलाओं के प्रति बुद्ध काल के पहले के दृष्टिकोण रूख के बारे में किसी भी प्रकार के बयान देने से तत्कालीन समाज को देखना जरूरी है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत महिलाओं के बारे में विस्तार में जाने से पहले, हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म उभरती शहरी संस्कृति को एक धार्मिक आधार प्रदान करने में सफल रहा, जिसकी ब्राह्मणवादी मानक के द्वारा निन्दा की गई। बौद्ध

विचारधारा और समाज की प्रमुख संस्था की परस्पर निर्भरता इस विषय पर वर्तमान बहस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोसाम्बी द्वारा पहली बार बौद्ध धर्म और बुद्ध काल के सामाजिक संगठन के बीच के संबंधों पर प्रकाष डाला गया।[3] वर्तमान मार्क्सवादी विचारधारा के तरीकों और उसके नकारात्मक धारणा के बावजूद, जी. सी. पाण्डे स्वयं एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और वैचारिक विकास के तथ्य के बीच एक संबंध स्वीकार करते हैं[3]। यह कहने के लिए नहीं है कि जो कुछ भी आन्दोलन बुद्ध ने किया और समाज में पहली बार शुरू किया। बुद्ध को महिलाओं के कार्यों, उनके सांसारिक और कामुक सुखों के विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत अनुभव था। इस तरह के अनुभवों के आधार पर ही संघ में महिलाओं के प्रवेष पर बुद्ध की प्रारंभिक अस्वीकृति थी। आनन्द ने इस विषय पर पुनर्विचार हेतु बुद्ध से निवेदन किया था और प्रवेष हेतु अनुषंसा भी की।

अंततः बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुणियों को संगठन बनाने की अनुमति दी और उन्होंने कई नियमों की घोषणा की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि बौद्ध भिक्षुणियों के संघ को भिक्षुओं के निर्देषाधीन रहना है। इस प्रकार हम पाते हैं कि बौद्ध धर्म की मौलिक उपलब्धि पुरूषों और महिलाओं के बीच समानता के अधिकारों के मार्ग को खोलने में निहित है। आई० बी० हॉर्नर ने महिलाओं की गतिविधियों के क्षेत्र को विस्तार करने की प्रगति को अधिक सुन्दर बताया है।[4] उन्हें बौद्ध समाज में रचनात्मक बल के रूप में काम करने में सक्षम होना चाहिए।

चूँकि बर्मा प्रारंभ काल से ही बौद्ध देष रहा है, इसलिए हम बौद्ध, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का पता लगाने की कोषिष करेंगे। बौद्ध धर्म अनिवार्य रूप से एक नैतिक धर्म है। इसलिए लिंग–भेद की परवाह किये बगैर सभी वर्गों के नैतिक उपदेषों को छुआ है। बुद्ध के जीवन काल के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।[5]

उपलब्ध संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि बर्मी लोग पुत्र और पुत्री को समान दर्जा देते हैं। लड़के और लड़कियाँ दोनों समान रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। जन्म के समय लिंग के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं किया जाता है। इनके जन्म पर समान औपचारिक प्रक्रिया निभाई जाती है। बेटा और बेटी दोनों को समान रूप से उच्च्य षिक्षा प्रदान की जाती है।[6] वयस्क होने पर श्रम का विभाजन में लचीलापन होता है। खेतों में पुरूषों की भाँति महिलाएँ भी हल चलाती है और फसल पैदा करती है। लड़कियों की शादी में दुल्हे के रूप में उसे पसन्द करने में सहमति लड़कियों से ली जाती है। जिस तरह से एक पुरूष अकेले रहकर अपने फायदे के बारे में सोचता है, ठीक उसी प्रकार एक महिला भी अकेले रहने के फायदों के बारे में सोच सकती है। इसी प्रकार, थाई समाज में भी जहाँ तक महिलाओं की स्थिति का संबंध है, बौद्ध धर्म का सामाजिक आधार विनियामक कारक बन गया है।[7] हमने बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भारत, बर्मा और थाईलैंड में महिलाओं की स्थिति का एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित लेख प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।

निष्कर्ष : उत्तर वैदिक काल विधि विधानो ंका प्रभुत्व और ब्राह्मणो ंकी शक्ति में कालातीत वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप समाज में निम्न जातियों और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गई। कोई भी धामिर्क कृत्यों की पूर्ति ब्राह्मणो ंके बिना संभव नही होती। ब्राह्मणों के वर्चस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। बुद्ध धर्म ने ऐसे समय में ईश्वर और व्यक्ति के बीच किसी मध्यस्थ को अस्वीकार करते ऐसे धर्म को जन्म दिया जिसमे ंबिना किसी असमानता के

समूचा मानव समाज शामिल हो सकता था। बौद्धवाद ने आत्म नियंत्रण और आत्म संस्कृति के सिद्धांत पर जोर दिया। बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई व्यक्ति स्वंय में उक्त दोनो गुणों को विकसित कर लतेा है तो वह निवार्ण को प्राप्त हो सकता है। यदि कोई स्त्री भी उक्त दोनों गुणों को प्राप्त कर सके तो उसे भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है ऐसी बौद्ध धर्म की मान्यता थी। इस प्रकार हिन्दू धर्म में महिलाओं की स्वतत्रंता पर जो अंकुश लगाये गये थे बौद्ध धर्म ने उनके लिये दरवाजे खोल दिये।

संदर्भ :

1.रूद्रायणावदान, पृ0 4961
2.डॉ० भदन्त आनन्द कौषल्यायन भगवान बुद्ध और उनका धम्म। पृ० 78
3.डॉ० बी० आर० अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। पृ० 201
4.असातमत्त जातक 1/61, पृ0 3791
5.हिरोकी कावानामी ''परम्परा में बौद्ध भिक्षुणियाँ''। पृ० 126
6.तेसकुण जातक 5/521, पृ0 512
7.दीघ निकाय 2/2461

पर्यावरण प्रदूषण : कारण एवं निदान

*डॉ0 मुहम्मद जावेद**

परिचय (INTRODUCTION)

पर्यावरण या Environment (एन्वायरन्मेन्ट) फ्रेन्च शब्द 'Environ' से बना है, जिसका अर्थ है– 'आस–पास'। हमारे आस–पास जो कुछ विद्यमान है हमारे पर्यावरण का अंग है। हमारे आस–पास विद्यमान वनस्पति जगत, नदियाँ, नाले, वायु तथा जीव–जन्तु सभी मिल कर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं।

पर्यावरण के अन्तर्गत जल, हवा, भूमि तथा मानव प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा सम्पत्ति तथा उनके मध्य विद्यमान अन्र्तसंबंध सम्मिलित हैं– धारा 2(क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आस–पास विद्यमान वनस्पति, जल, थल तथा वायु रूपी आवरण से है, जो अपने आस–पास विद्यमान जीव जगत को प्रभावित करते हैं। हमारा विकास, हमारा स्वास्थ्य तथा हमारा जीवन अधिकांशतः हमारे पर्यावरण से प्रभावित होता है। पृथ्वी पर विद्यमान जैव जगत तथा उसके आस–पास विद्यमान स्थितियों के आपसी सम्बन्ध को भी पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। हमारे आस–पास का पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसा हमारा पर्यावरण होगा। यही कारण है कि पर्यावरण यदि प्रदूषित होगा तो हम कई प्रकार के रोगों के शिकार होंगे, यदि हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे।

पर्यावरण हमारे आस–पास विद्यमान प्रभावकारी दशाओं का समुच्चय है, जिसकी परिवेश में जीव रहते हैं। पर्यावरण में अनेक विशिष्टताएं हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर विभिन्न दृश्यावलियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution)– पर्यावरण में यदि पर्यावरण, प्रदूषक (Pollutants) निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। हमारे आस–पास की वायु, जल तथा भूमि में यदि प्रदूषक (Pollutants) की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक होती है, तो यह कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। उदाहरण के रूप में यदि वायु में धूलकण, नाइट्रोजन ऑकसाइड, कार्बन डाईऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक हो तो कहा जाएगा कि वायु प्रदूषित है तथा प्रदूषित वायु हमारे तथा अन्य जैव जगत के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वायुमण्डल में कार्बन डाईऑक्साइड या सल्फर डाईऑक्साइड या नाइट्रोजन डाईऑक्साइड की कुछ मात्रा में उपसिीति आवश्यक है, परन्तु उनकी एक मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण या वायु में उपस्थिति वायु या पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इसी प्रकारवायु में ध्वनि (शोर) कुछ मात्रा तक होता है, परन्तु शोर का एक मात्रा से अधिक मात्रा में होना ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को जन्म देता है तथा हृदयाघात तथा तान्त्रिक विफलता का कारण बनता है। जल में एक मानक से अधिक मात्रा में रसायनों की उपस्थिति जलचर जन्तुओं के लिये संकट है तथा जल प्रदूषण की समस्या को जन्म देते हैं। गंगोत्री से निकली गंगा, कलकत्ता तक उत्तरोत्तर प्रदूषित होती रहती है तथा कलकत्ता का गंगा जल पीने योग्य नहीं रह जाता। दिल्ली के पर्यावरण में यातायात वाहनों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाईऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी घातक गैसों के कारण दिल्ली की वायु घातक रूप से प्रदूषित हो चुकी है और अब उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप कर सी0एन0जी0 द्वारा मोटर वाहन संचालित करने की बाध्यता

***एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग शिब्ली नेशनल कालेज, आज़मगढ़ उ0प्र0**

को लागू किया है।**पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण को असन्तुलित करने में 50 प्रतिशत वायु प्रदूषण जिम्मेदार है।**

पर्यावरण प्रदूषण

औद्योगिकीकरण के दौर में प्रदूषण का होना स्वभाविक है, लेकिन दूसरे के साथ ही यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण सन्तुलन में प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जाए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी समस्या है न कि किसी विशेष क्षेत्र अथवा देश की। वैसे तो मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है, किन्तु व्यावहारिक स्तर पर वह अपने को सृष्टि का केन्द्र बिन्दु समझते हुए प्रकृति को एक पृथक इकाई के रूप में देखता है। पहले यह पृथकता बहुत सूक्ष्म थी और मनुष्य व प्रकृति में पूर्ण समन्वय था, किन्तु बाद में यह स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब मनुष्य प्रकृति के आमने–सामने है और अपनी सुख समृद्धि के लिए प्रकृति का शोषण करने पर उतारू है। इसी का परिणाम है कि आज मनुष्य के अस्तित्व पर ही खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वास्तव में मनुष्य अपनी इस दुर्दशा के लिए स्वयं दोषी है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव अब सामने आने लगे हैं। सूखा, बाढ़, महामारी, भूकम्प, जलवायु परिवर्तन (अलनीनो) व सुनामी लहरें आदि। औद्योगिकीकरण व बढ़ती जनसंख्या व उसकी आवश्यकताओं की शर्तें हेतु अथवा आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण कर रहा है। इसी से प्रारम्भ होता है असंतुलित प्रकृति का क्रूरतम तांडव जिससे हमारी समस्त सृष्टि प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। इस बात की चेतावनी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व **माल्थस नामक अर्थशास्त्री ने अपने एक लेख में दी थी। इस लेख में माल्थस ने लिखा था कि "यदि आत्मसंयम और कृत्रिम साधनों से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से इसे नियन्त्रित करने का प्रयास करेगी।"** आज माल्थस का कथन सत्य सिद्ध हो रहा है।

पर्यावरण का क्षरण, प्रकृति में संतुलन का अभाव, प्रदूषण आदि जीवित प्राणियों के समक्ष जोखिम भरे प्रभाव डाल रहे हैं। आज प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय क्रिया कलापों द्वारा कुठाराघात हो रहा है। 1990 के बाद के दशक में वैश्विक पर्यावरण की अवधारणा विकसित हुई।

14 जून 1992 के रियो डी–जेनेरों में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में उत्तर के विकसित देशों ने दक्षिण के विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण हेतु एजेन्डा 21 के अन्तर्गत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देने का समर्थन किया। आखिर एजेन्डा 21 हैं क्या? एजेन्डा 21 एक प्रकार की कार्य–योजना है। जिसमें अनेक कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, जैसे क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भू–संसाधनों का प्रबन्ध रेगिस्तान के विस्तार, वनों के विनाश एवं सूखों की समस्याओं का उपचार तथा विनाशक रासायनिक पदार्थों की रोकथाम आदि।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण

पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारण हैं। मुख्य कारण अग्र हैं –

- औद्योगिकीकरण,
- शहरीकरण,
- पेड़ों की कटाई,
- परमाणु परीक्षण,
- कीटनाशकों का प्रयोग,
- कचरा,
- गरीबी,
- अधिक जनसंख्या,
- तीव्र ध्वनि,
- अन्य।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। एयरकंडीशंड, टी0वी0, डी0वी0डी0, सेलफोन और कम्प्यूटर, हीटर, फ्रीज़र्स, पॉवर लाइन्स, माइक्रोवेव आदि **कम से कम चार गज की दूरी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें प्रसारित करते हैं।** नतीजतन भविष्य में व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर, अल्जाइमर्स या पार्किसंस जैसी बीमारियों से दो–चार होना पड़ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन के कारण चिड़चिड़ापन, हाइपर एक्टिविटी, थकान, नींद न आना, आक्रामकता, सिरदर्द और एकाग्रता में कमी आदि लक्षण हो जाते हैं। अतः हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जैसे–

1–सेलफोन का कम से कम उपयोग।

2–सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक जगह या छोटी जगह पर न रखें। अपने बेडरूम को इन उपकरणों से मुक्त ही रखें, तो बेहतर होगा।

पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव :

पर्यावरण प्रदूषण के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रदूषण जैसे– जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आदि को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण मानव के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। पर्यावरण प्रदूषण मानव के लिए मौत का रूप बनकर सामने आने लगा है। विश्व के कल–कारखानों के धुएं से न केवल विश्व का पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। बल्कि इसका सबसे घातक असर ओजोन की मोटी चादर (कवच) पर पड़ रहा है। ओजोन की मोटी पट्टी सूर्य की पैरा–बैगनी किरणों से धरती के जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि ओजोन की चादर न हो तो धरती का समूचा जीवन संकट में पड़ सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के आकाश में स्थित ओजोन की मोटी चादर में छिद्र हो गए हैं। धरती पर मंडराते सबसे बड़े संकट का नाम है 'ग्रीन हाउस प्रभाव' उसके पीछे कार्बन डाईऑक्साइड गैस का ही हाथ है। इसकी मात्रा दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उसका दूसरा कारण है क्लोरो–फ्लोरो–कार्बन का व्यापक पैमाने पर उत्पादन। यही वह रसायन है, जिसका प्रयोग शीतलीकरण हेतु किया जाता है, विशेषकर रेफ्रीजरेट्रों आदि।

ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते दुष्प्रभाव से पारिस्थितिक असन्तुलन पैदा हो गया है। अभी हाल में ही ब्रिटेन के 'इन्सटिट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च' एवं अमेरिका के 'सेन्टर फॉर अमेरिकी प्रोग्रेस' और 'ऑस्ट्रेलियाइ इन्सटीट्यूट' ने 'ग्लोवल वार्मिंग' पर एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक गर्मी अब 'प्वाइन्ट ऑफ नो रिटर्न' अर्थात् ऐसे बिन्दु के करीब पहुँच गई है, जहाँ से उसके कम होने की सम्भावना खत्म हो चुकी है। एक अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु के इस खतरनाक बिन्दु 'प्वाइन्ट ऑफ नो रिटर्न' पर पहुँचने का संकेत मिलने लगा है, क्योंकि औद्योगिक क्रान्ति से पहले (1750) के औसत वैश्विक तापमान से दो डिग्री सेन्टीग्रेट ऊपर पहुँच जाएगा, तब से अब तक सामान्य वैश्विक तापमान 0.8 डिग्री बढ़ चुका है। इस प्रकार एक डिग्री सेन्टीग्रेट से कुछ ही ऊपर तापमान बढ़ने पर वैश्विक गर्मी इस खतरनाक बिन्दु पर पहुँच जाएगी। उसका परिणाम यह होगा कि अंकार्टिका का बर्फ एवं हिमग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू हो जाएँगे और समुद्र का जल स्तर ऊँचा उठ जाएगा। **अब तो यहाँ तक भविष्यवाणी की जाने लगी है कि माल्दीव व पीजिंग जैसे शहर आने वाले समय में जलमग्न हो सकते हैं।**

करीब चार दशक पूर्व प्रसिद्ध विज्ञान लेखिका **रसेल कार्सन** ने एक पुस्तक लिखी थी **'साइलेंट स्प्रिंग'** अर्थात् 'मौन वसन्त' इस पुस्तक के माध्यम से लेखिका ने कीटनाशियों द्वारा दुनिया में सम्भावित भारी तबाही का सजीव चित्रण किया था। एक प्रतिवेदन के अनुसार पूरी दुनिया में कीटनाशकों के विष फैलने से प्रति वर्ष बीस लाख प्रकरण होते हैं। इनमें से चालीस हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। कीटनाशकों से होने वाली अधिकतर मौतें विकासशील देशों में होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिन कीटनाशकों को विकसित देशों में प्रतिबन्धित किया जा चुका है निर्धन एवं विकासोन्मुख देशों में उन्हीं का बेरोक–टोक धड़ल्ले से आयात एवं प्रयोग हो रहा है, जैसे अमेरिका में डी0डी0टी0 प्रतिबन्धित है (1972) और भारत में सिर्फ मलेरिया निवारण में इसके प्रयोग की अनुमति है। किन्तु इसका उपयोग सरेआम हो रहा है। आज कीटनाशकों के प्रयोग के कारण खाद्यान, फल, सब्जियाँ आदि प्रदूषण की चपेट में आकर जानलेवा होती जा रही हैं। **बायो साइन्स** नामक पत्रिका में एक शोध में **डेविड पाइमेंटल और क्लाइव एडवर्डस** नामक कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि जब कीटनाशकों को फसल एवं सब्जियों पर छिड़का जाता है, तो उसका एक प्रतिशत भाग ही असली लक्ष्य तक पहुँच पाता है और शेष भाग प्रदूषण के रूप में फैल जाता है। पर्यावरण के लिए कीटनाशक कितने घातक हैं,

इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि **सफाईकर्मी गिद्ध लगभग लुप्त हो चुका है।** घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया भी अब दिखाई नहीं देती है। अपनी मधुर बोली में गुंजायमान करने वाली कोयल की आवाज भी अब कभी काल सुनाई देती है। **गिद्ध के लुप्त होने का मुख्य कारण कीटनाशकों को ही बताया गया है। शोध के अनुसार कीटनाशकों के कारण गिद्ध के अण्डों का छिलका इतना कमजोर हो जाता है कि हैचिंग (अण्डा सेते समय) के समय अण्डा पक्षी के वनज को सह नहीं पाता और फूट जाता है। गिद्ध के शरीर में यह कीटनाशक मृत पशुओं के मांस से आता है। मृत पशुओं के शरीर में कीटनाशक का जमाव उन फसलों के खाने से होता है, जिन पर कीटनाशकों का छिड़काव हुआ था और जिसे पशुओं को खिलाया गया था। इसी प्रकार अनेकों जीव, जन्तु व वनस्पति लुप्त हो रही है।**

एक सर्वेक्षण से यह आश्चर्यचकित करने वाली बात सामने आई है कि भारत में स्तनपान कराने वाली अधिकांश–महिलाओं के दूध में घातक मात्रा में डी0डी0टी0 मौजूद रहता है। यह माताओं और शिशुओं दोनों के लिए हानिकारक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक भारतीय के शरीर की वसा में डी0डी0टी0 नामक कीटनाशक सर्वाधिक अंश पाया जाता है। 'इनसिफेलाइटस' नामक रोग के कारणों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि कीटनाशक दवा से युक्त गेहूँ के आटे का उपयोग करने से यह बीमारी होती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कीटनाशकों के प्रभाव से कैंसर, ह्रदय रोग, प्रजनन क्षमता का ह्रास, नाड़ी दुर्बलता एवं गर्भस्य शिशुओं में विकृत जैसी गंभीर बीमारियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। ये कीटनाशक शरीर के वसायुक्त क्षेत्रों में संग्रहित होकर जिगर, गुर्दा, गलग्रन्थि और अधिवृक्क को क्षतिग्रस्त करते हैं। इसी कारण अमेरिकी कांग्रेस ने दो दशक पूर्व संस्तुति की खतरनाक कीटनाशकों के निर्यात, जिनका उपयोग अमेरिका में प्रतिबन्धित है। एक कानून बनार रोक दिये जाएँ, क्योंकि यह कीटनाशक अन्य देशों में उन फसलों पर छिड़के जाते हैं, जिनका आयात फिर अमेरिका को ही होता है। अमेरिका कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से कितना सचेत है, इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि, "अमेरिका ने कुछ समय पूर्व भारत सरकार से यह कहा था कि बिना कीटनाशकों का उपयोग किए तथा कृत्रिम उर्वरक के स्थान पर कम्पोस्ट खाद का उपयोग करके गेहूँ पैदा करें तो हम उसे 100 रुपये किलोग्राम के हिसाब से आयात करेंगे।"

पर्यावरण प्रदुषण के दुष्प्रभाव

जैसा कि हम जानते हैं कि यह पर्यावरण असंतुलन विश्व के समक्ष निम्न विनाशकारी रूपों में प्रकट हो रहा है, जैसे –• ग्रीन हाउस प्रभाव, • विश्व तापमान में वृद्धि, • ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, • ओजोन कवच में क्षिद्र होना, • समुद्री जल स्तर का बढ़ना, • सूखा, • अकाल, • बाढ़ व चक्रवात, • भू–जल स्तर का गिरना, • जंगलों में आग लगना, • जलवायु परिवर्तन (अलनीनो), • रोगों का बढ़ना, • प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि (सुनामी लहरें), • भूकम्प आदि का अधिक आना, • अन्य (हजारों जीवों एवं पादप परिजातियों के विलुप्त हो जाने का खतरा)।

उपरोक्त सभी विनाश एवं चेतावनियों के मूल में वह इन्सान है, जो हमेशा से प्रकृति का दुश्मन तो नहीं था, किन्तु औद्योगिकीकरण के सुविधाभोगी इस आधुनिक युग में उसकी हरकतें पूरी पृथ्वी के लिए मुसीबत बन रही है (पर्यावरण प्रदूषण)। अभी हाल में 2.4 करोड़ डॉलर के भारी भरकम खर्च से 'मिलेनियम इकोसिस्टम एसेस्मेन्ट (ए0एस0ए0)' नामक जो विराट रिपोर्ट तैयार कराई गई है, उसकी चेतावनी को नजर अन्दाज करना आसान नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में हजारों वैज्ञानिक व 95 देशों के 1360 विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। इस ए0एम0ए0 प्रोजेक्ट के मुखिया और विश्व बैंक में **चीफ साइन्टिस्ट राबर्ट वाटसन** के शब्दों में कहें, तो "हमारा भविष्य हमारे ही हाथ है, पर दुर्भाग्य से हमारा बढ़ता लालच भावी पीढ़ियों के लि कुछ भी छोड़कर नहीं

जाने देगा।" यह कथन सत्य ही है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण ने समूची सृष्टि के लिए एक खतरा बन गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे प्रभावित करने वाले अनेक कारकों को रोककर दूषित प्रभावों को कम किया जा सकता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय एवं सुझाव इस प्रकार है –

1–दूषित जल का उचित प्रबन्ध कर
2–विषैली गैसों के उत्पादन को घटा कर
3–ध्वनि की तीव्रता को कम कर
4–मृदा कटाव तथा मृदा प्रदूषण को रोककर
5–वृक्षारोपड़ कर
6–नाभिकीय परीक्षणों एवं युद्ध को रोक कर
7–प्राकृतिक आपदाओं में फौरन सहयोग से
8–जनसंख्या दर को घटा कर
9–कीटनाशकों के उपयोग को कम कर
10–जिन चीजों से प्रदूषण फैलता है, उनका प्रयोग कम से कम करें जैसे पॉलिथीन।
11–घर के कचरे को सही जगह पर पहुँचना चाहिए।
12–पूजा का सामान जैसे– मूर्तियाँ आदि नदियों में न फेंकें।
13–घर की नालियों में कूड़ा बहाने की कोशिश न करें।
14–आस–पास के कुँओं, तालाबों या नदियों में नहाते समय साबुन का इस्तेमाल न करें।
15–खनिज पदार्थों का अधिक मात्रा में दोहन करने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है।
16–अपने घर के पास खाली पड़ी जमीन पर एक पेड़ लगाए।
17–ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए एयरकंडीश्नर के प्रयोग को कम करें।
18–संसाधनों का उचित प्रयोग करें।
19–ऊर्जा संरक्षण के उपाय करें।
20–जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जाए।
21–वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का रूप मानवोपयोगी हो।
22–संसाधनों तथा उत्पादों का वितरण मानवीय और भौतिक आधार पर हो।
23–हरित पालिका का निर्माण किया जाए।
24–बंजर भूमि तथा खाली भूमि का विकास करके उसका सदुपयोग किया जाए।
25–पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी साहित्य गाँव–गाँव, घर–घर तक पहुँचाना होगा।
26–सरकारी स्तर पर जिला, प्रखंड पंचायतों में गोष्ठिया आयोजित करना।
27– इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले समझौतों तथा राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों तथा कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार में इलैक्ट्रानिक मीडिया की मुख्य भूमिका अवश्य रही है, परन्तु इसे जन–जन तक पहुँचाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
28–अन्य उपाय।

जो देश विकसित हैं, उनके यह पर्यावरण प्रदूषण निम्न है अथवा अधिक विकसित–कम पर्यावरण प्रदूषण, गरीब देश में अधिक पर्यावरण प्रदूषण। अतः हम सभी को विकसित तथा विकासशील देशों को मिलकर परस्पर सहयोग से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण केवल किसी गरीब देश की समस्या नहीं है, यह पूरे विश्व के देशों की समस्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यदि समय रहते हम नहीं सचेत हुए अर्थात् पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो –

"आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे और यही सिलसिला जारी रहा तो हमारा जीवन असहाय रोगों से घिर जाएगा। यदि प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो इक्कीसवीं सदी के मानव का काल्पनिक चित्र कुछ इस प्रकार होगा कि "वह कंक्रीट के जंगल में पैरा बैगनी किरणों से बचने के लिए अम्लरोधक तथा विषैले रसायनयुक्त प्लास्टिक के कपड़ों से अपने शरीर को ढक कर चलेगा और पीठ पर ऑक्सीजन का सिलिण्डर लादें कंधों पर, पानी का बोतल लटकाए, नाक में गैस मास्क लगाए तथा कान में ध्वनि अवरोधक यन्त्र कसे और औद्योगिक विकास का कवच ढोएगा।"

चूँकि पर्यावरण संतुलन बिगड़ चुका है। इससे तापमान और वर्षा में विविधता आने लगी है। अपनी औद्योगिक तथा विकासशील क्रियाओं की होड़ में जहरीली गैसें वायुमंडल को प्रदूशित कर रही हैं। एशिया महाद्वीप के चावल के खेतों से निकली मीथेन गैस यूरोपीय महाद्वीप के औसत तापक्रम को प्रभावित करती पाई गई हैं। पेरू के समीप समुद्र तट की सतह का तापमान भारत के मानसून को प्रभावित करता है। सन् 1987 में पड़ा भयंकर सूखा इसी समुद्र तट के बढ़े हुए तापमान के कारण बताया जा रहा है। मृदा में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा कीटनाशकों, फफूंदी–नाशकों, खरपतवार–नाशकों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण मृदा प्रदूषित है। तापमान में वृद्धि हो रही है। वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य जहरीली गैसों की निरन्तर वृद्धि हो रही है। खाने के पदार्थ जैसे कि सब्जियाँ कीटनाशकों के अंधा–धुंध प्रयोग के कारण प्रदूषित हैं। ऊर्जा उत्पादन में रेडियो एक्टिव पदार्थों/तत्वों का प्रयोग होने से जल, वायु और मृदा में इनकी मात्रा बढ़ रही है। जीवन का प्रत्येक पहलू इस असंतुलित प्राकृतिक दिशाओं में प्रभावित है।

संदर्भ सूची (Reference)

1. पदम कांत झा, योगेश कुमार सिंह, मल प्रबन्धन : स्वच्छ भारत अभियान के लिए चुनौती, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, फरवरी 2018, पेज 71–73.
2. साधना एवं बृजेश बड़श्वाल, प्लास्टिक की खेती और प्रदूषण, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली, फरवरी 2001, पेज 32–35.
3. विजयभान सिंह, ग्रीन बिल्डिग और पर्यावरण, अर्थव्यवस्था परिदृश्य, New Vishal Publications, नई दिल्ली, मार्च 2008, पेज 11.
4. जियाउर रहमान जाफरी, प्रकृति और मनुष्य, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, सितम्बर 2008, पेज 53.
5. 5–शंभूनाथ यादव, जलवायु परिवर्तन से निबटने को हम है तैयार, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मार्च 2010, पेज 1–3.
6. डॉ0उमेश चन्द्र अग्रवाल ग्रामीण पेय जल व्यवस्था चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे, प्रकाशक, अर्चना मिश्रा : दैनिक भास्कर, नई दिल्ली–21, सितम्बर 2008, पेज 35–38.
7. कमलेश मीणा, प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे, कुरूक्षेत्र, सूचना व प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्ली, नवम्बर 2001, पृष्ठ–48.
8. बी0एम0 झा एवं आर0सी0 जैन, भूजल की कृत्रिम भरपाई, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई 2010, पेज 10–12.
9. गिरीश चन्द्र पांडे, बचा ले जल, बचा ले जीवन, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई 2010, पेज 13–15.
10. योगेश कुमार, जल संसाधनों की वैश्विक स्थिति, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई2010, पेज 29–32.
11. कनक शर्मा, जल संकट व संरक्षण, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई 2010, पेज 33–34.
12. राहुलयादव,भारत में साठ फीसदी बीमारियों का कारण अशुद्ध पानी है,कुरूक्षेत्र,प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2013, पेज 23–27.
13. अनिल कुमार, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता पर जोर, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2013, पेज 18–22.

राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ

*विजय प्रसाद**

शोध–सारांश

राजेन्द्र यादव समाज से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं तथापि यही कारण है कि उनके उपन्यासों में स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात् भारतीय समाज के बदलते स्वरूप का जीवंत चित्र परिलक्षित होता है। स्वतंत्रता से पूर्व तत्कालीन युवकों में देश को आजाद कराने हेतु चल रही बौद्धिक कसमसाहट, आंतरिक ऊहापोहों, उनके भावनात्मक अन्तर्द्वन्द्वों, सपनों तथा हतोशाओं आदि का यथार्थ चित्रांकन 'एक था शैलेन्द्र' उपन्यास में हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज ने द्रुत गति के साथ विकास के क्षेत्र में प्रवेश किया। औद्योगीकरण, शहरीकरण, अर्थ के दबाव, आधुनिक शिक्षा, नारी जागरण एवं पाश्चात्य सभ्यता आदि के प्रभावस्वरूप जहाँ एक ओर परम्परागत प्रचलित सामाजिक मान्यतायें विघटित होने लगीं, वहीं दूसरी ओर युगानुरूप नवीन वैचारिक मान्यताओं को समाज में प्रश्रय दिया जाने लगा। किन्तु भारतीय समाज में परम्परागत रुढ़ियों की जड़ें इतनी गहराई तक विद्यमान है कि आज भी हमारा समाज इनसे मुक्त नहीं हो पाया है। राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में भारतीय समाज में व्याप्त पुरातन समस्याओं जैसे– अन्धविश्वास, साम्प्रदायिकता, विद्वेष, अशिक्षा, नारी–शोषण, ऊँच–नीच, जाति–पाति आदि के कुप्रभाव के साथ–साथ स्वातंत्र्योत्तर युगीन समाज के सम्मुख उत्पन्न नवीन समस्याओं जैसे– अस्तित्व की खोज, खण्डित व्यक्तित्व, कुण्ठा, हीनता की ग्रंथि, पीढ़ियों का अंतराल, संयुक्त परिवार विघटन, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या आदि के दुष्परिणामों का वास्तविक चित्रण हुआ है। वस्तुतः राजेन्द्र यादव ने अपने उपन्यासों में तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न पुरातन एवं नवीन समस्याओं को उद्घाटित कर ऐसे प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है जो सामाजिक यथार्थ, उच्चतर जीवन मूल्यों, सामाजिक वर्जनाओं और सार्थकता की तलाश आदि को परिभाषित करने के साथ–साथ मानव मन की संश्लिष्ट एवं जटिल संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम है।

Keywords : *राजेन्द्र यादव, समाज, यथार्थ, उपन्यासों, समस्या।*

प्रस्तावना–

राजेन्द्र यादव के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन ने उनमें साहित्यिक अभिरुचियों को जगाया तो सामाजिक परिवेश ने उनकी लेखन प्रतिभा को यथार्थपरक, परिमार्जित एवं विश्वसनीय बनाया। उनके उपन्यास काल्पनिक व वायवी नहीं है। उसकी संरचना समकालीन समाज की क्रियाकलापों, बदलते मूल्यों एवं मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में हुई है। उन्होंने अपनी समकालीन सामाजिक व्यवस्था को अत्यन्त निकट से देखा, समझा और परखा है तथापि यही कारण है कि उनके उपन्यासों तत्कालीन सामाजिक परिवेश यथार्थ रूप में उद्घाटित हुआ है। राजेन्द्र यादव का स्पष्ट मत है कि– ''जो वस्तुएँ आपने देखी हैं, उन्हीं का चित्रण होना चाहिए। असम्भव और फँन्टास्टिक बात नहीं लिखनी चाहिए .....जिन अनुभवों से गुजरा नहीं हूँ उनका वर्णन मैं नहीं चाहता.... अनुभव की हुई चीज का ही वर्णन होना चाहिए।''[1] अर्जित अनुभव के साथ–साथ भोगे हुए जीवन सत्य को उद्घाटित करने पर जोर देने के कारण स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात् परिवर्तित होते सामाजिक, गतिविधियों, खण्डित एवं विघटित होते परम्परागत जीवन–मूल्यों; बनते–बिगड़ते मानव–सम्बन्धों तथा व्यक्ति और परिवार व समाज के बीच के अन्तराल आदि का जीवंत चित्रांकन उनके उपन्यासों में हुआ है।

स्वतंत्रता के बाद औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण एवं पाश्चात्य सभ्यता आदि के प्रभावस्वरूप भारत के सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में, मानव सम्बन्धों तथा जीवन मूल्यों में बदलाव आने लगा। भौतिकतावादी, अहंवादी एवं स्वार्थपरक दृष्टिकोण की प्रबलता के कारण पारिवारिक सदस्यों के मध्य की प्रेम, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, उदारता, पवित्रता और प्रगाढ़ता एकदम से विलुप्त होने लगी, जिसके परिणामस्वरूप सभी पारिवारिक सम्बन्ध दरक कर नाम मात्र के लिये शेष रह गये। डॉ0 रामदरश मिश्र के शब्दों में– ''मूल्य–रहित व्यक्ति अपनी भौतिक समृद्धि के लिये सारे पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्धों

***शोध छात्र, हिन्दी विभाग, विश्व–भारती (शांतिनिकेतन)**

को तोड़ता गया और एक नये प्रकार के मूल्यहीन सम्बन्धों की निर्मिति करता गया। परिवार में मूल्यवादी सम्बन्धों की यह टूटन और मूल्यहीन सम्बन्धों की निर्मिति प्रायः पिता–पुत्र, माँ–पुत्र और पति–पत्नी के बीच देखी जा सकती है। भाई–भाई के, भाई–बहन के सम्बन्ध भी इसी संदर्भ में देखे जा सकते हैं।''[2] पारिवारिक सदस्यों के सम्बन्धों में आये इन बदलावों का स्पष्ट प्रभाव तत्कालीन समाज में प्रचलित पारिवारिक व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय समाज एवं संस्कृति की रीढ़ रही है किन्तु आज की बदलती परिस्थितियों में इसका प्रचलन खत्म होता जा रहा है। संयुक्त परिवार की मधुरता अब कड़वी होती जा रही है। 'सारा आकाश' उपन्यास में राजेन्द्र यादव ने तत्कालीन समाज में संयुक्त परिवार की विघटन की जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उसका यथार्थ अंकन किया है। निम्न–मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार में युवा–पीढ़ी की घुटन, पीड़ा एवं अन्तर्द्वन्द्वों को उन्होंने समर के माध्यम से यथार्थ रूप उजागर किया है। बीतते समय मे के साथ संयुक्त परिवार व्यवस्था की नींव चरमरा कर टूटती जा रही है। आज की जटिल आर्थिक परिस्थितियों में अब यह मुमकिन ही नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यक्ति कमाये और कई खायें। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार में वजह–बेवजह हरदम संघर्ष, तनाव, द्वेष, क्लेश और गृह–कलह का वातावरण बना रहता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं मिल पाता है। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार प्रथा को अनुपयुक्त एवं अप्रासंगिक बताते हुए राजेन्द्र यादव ने कहा है– ''संयुक्त परिवार का शाब्दिक आदर्श चाहे जितना महान् हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। सारा समय तो समस्याएँ बनाने में, या बनी–बनाई समस्याओं को सुलझाने में चला जाता है। लड़ाई–झगड़ा, खींचतान, बदला, ग्लानि–सब मिलकर वातावरण ऐसा विषैला और दमघोंटू बना रहता है कि आप साँस न ले सकें।''[3] इस प्रकार स्पष्ट है कि राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में पारिवारिक व्यवस्था एवं मानवीय सम्बन्धों में आये बदलावों का सशक्त एवं प्रामाणिक चित्रण हुआ है।

राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में तत्कालीन समाज में प्रचलित विवाह सम्बन्धी परम्परागत मान्यताओं और उसके दुष्परिणामों का यथार्थ निरूपण हुआ है। परम्रागत विवाह पद्धति व्यक्ति की इच्छाओं को महत्त्व न देकर गोत्र, जाति, खानदान और सामाजिक परम्परा को महत्त्व दिया जाता रहा है। 'सारा आकाश' उपन्यास के नायक समर को अपने मनोनुकूल जीवनसाथी चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। समर की इच्छा–अनिच्छा जाने बिना ही घरवाले उसका विवाह तय कर देते हैं। माँ–बाप के मन में यही पुरातन धारणा बैठी रही कि– ''अजी साहब लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है? समझते ही क्या है! हमने दुनिया देखी है।''[4] लेकिन जब समर विवाह करने से मना कर देता है तो बाबूजी उस पर भड़क जाते हैं और उसे फाटकारते हुए कहते हैं– ''तुम लड़के हो जी, इस वक्त चुप रहो। ज्यादा जुबान लगाई तो हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे।''[5] इस तरह घरवालों के दबाव में आकर प्रभा के साथ समर का विवाह तो हो जाता है लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो पाता है। बेमेल मानसिकता एवं रुचि के कारण दोनों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विवाह सम्बन्धी पुरातन पद्धति के कारण तत्कालीन समाज में उपजी इस विसंगति की ओर संकेत करते हुए राजेन्द्र यादव ने कहा है– ''सारा आकाश की ट्रेजडी किसी सन्, समय या व्यक्ति–विशेष की ट्रेजडी नहीं, खुद चुनाव न कर सकने की, दो अपरिचित व्यक्तियों को एक स्थिति में झोंककर भाग्य को सरहाने या कोसने की ट्रेजडी है।''[6] विवाह सम्बन्धी प्रचलित पुरातन मान्यताओं और रूढ़ियों से ग्रस्त होने के कारण समाज में अभी भी पुनर्विवाह का विरोध किया जाता रहा है। ठाकुर साहब जब मुन्नी को लंपट, लालची, धूर्त और दुराचारी पति से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को पुनः संवारने हेतु पुनर्विवाह की बात छेड़ते हैं तो अम्मा गुस्से से लाल होकर उन्हें दुतकारते हुए कहती हैं– ''आग लगे तुम्हारे मुँह में! शर्म भी नहीं आ रही बाल–बच्चों के बीच में बैठ के ये सब कहते? चले हैं, दूसरी शादी कर देते हैं। सो सारी बिरादरी और शहर हमारे जन्म में थूकते फिरें, क्यों?''[7] अम्मा की इस परम्परागत रूढ़ मानसिकता एवं सामाजिक मर्यादा की परवाह का भयंकर दुष्परिणाम मुन्नी को भोगना पड़ता है। वैवाहिक बंधन का वास्ता देकर उसे जबरन ससुराल भेज दिया जाता है, जहाँ असहनीय अत्याचार से पीड़ित होकर आत्महत्या करने को मजबूर होती है वह उसे मार दिया जाता है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार, पाश्चात्य सभ्यता और जन–जागरण के प्रभावस्वरूप वैवाहिक मूल्यों में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। समाज में प्रचलित परम्रागत विवाह पद्धति के स्थान पर युग–संदर्भों के अनुकूल नवीन वैवाहिक विचारों का समर्थन किया जाने लगा। राजेन्द्र यादव ने जहाँ एक ओर विवाह सम्बन्धी परम्परागत धारणाओं और रूढ़ियों का पुरजोर विरोध किया है, वहीं

दूसरी ओर विवाह सम्बन्धी नवीन वैवाहिक मूल्यों का प्रतिपादन भी अपने उपन्यासों में किया है। अग्नि को साक्षी मानकर तथा मन्त्रोच्चारण के साथ विवाह के बंधन में बँधने की पुरानी परिपाटी उनको स्वीकार्य नहीं है। वस्तुतः वे परम्परा से अधिक व्यक्ति को महत्त्व देते हैं। जिस भी रीति से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो सकता है, वह उन्हें मान्य है। 'उखड़े हुए लोग' उपन्यास में शरद और जया के माध्यम से उन्होंने विवाह सम्बन्धी पुरातन मान्यताओं के लीक से हटकर अपना नवीन विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है– ''हमलोग आज सम्मिलित जीवन बिताने का निश्चय कर रहे हैं। प्रकृति को अनिवार्य मानकर दो इकाइयों के सामूहिक जीवन की सामाजिक–स्वीकृति का नाम विवाह है। परिवर्तित सामाजिक रूपों में व्यक्तियों, स्त्री–पुरुष के बीच की यह अंडरस्टैडिंग भी बदलनी चाहिए। विवाह के सम्बन्ध में मैं हर टीम–टाम के विरुद्ध हूँ।''[8] इस प्रकार बिना विवाह किये शरद और जया का सम्मिलित जीवन बिताना समाज में प्रचलित परम्परागत विवाह पद्धति के विरूद्ध क्रान्तिकारी बदलाव का द्योतक है। चन्द्रभानु सोनवणे के शब्दों में– ''उन्होंने परम्परा के विरुद्ध अंतर्जातीय विवाह ही नहीं किया, अपितु विवाह की रस्म को ही जड़ रूढ़ि मानकर उसका परित्याग कर दिया है। स्त्री–पुरुषों के सम्बन्ध की दृष्टि से विवाह की औपचारिकता को न निभाते हुए साथ–साथ रहने का संकल्प ही अत्यन्त क्रान्तिकारी है।''[9] परम्परागत सामाजिक मान्यतानुसार विवाह केवल दो लोगों का ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन है। किन्तु आज की नयी पीढ़ी का इन मान्यताओं पर से विश्वास उठ गया है। वह अपने विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय लेने का आकांक्षी है तथा इसमें उसे परिवार व समाज का अधिक दखलंदाजी स्वीकार नहीं है। 'एक इंच मुस्कान' की अमला जब अमर से विवाह के विषय में पूछती है तो वह स्पष्ट कहता है– ''इतना अवश्य है कि साथी मन लायक होना चाहिए। घरवालों की ओर से तय किये हुए विवाह में मेरा विश्वास नहीं।''[10] स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में पति–पत्नी के सम्बन्धों में भी बदलाव परिलक्षित होता है। आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के प्रभावस्वरूप पति–पत्नी के सम्बन्ध को लेकर सात जन्मों व जन्म–जन्मातर के बंधन वाली जो आदर्श धारणा समाज में प्रचलित थी– उसमें भी परिवर्तन आया। राजेन्द्र यादव के मतानुसार पति–पत्नी का वैवाहिक बंधन ऐसा होना चाहिए– ''जहाँ दोनों के व्यक्तित्व एक–दूसरे पर लदे नहीं, एक–दूसरे से दबे नहीं और एक–दूसरे को खा न जाएँ और जब दोनों के व्यक्तित्व इतने मुक्त रहेंगे कि एक दूसरे के बनने में, उसे मानसिक बल देने में समर्थ हो सकें, तभी तो एक का प्यार दूसरे को उठाएगा और आत्मा–आत्मा का सच्चा प्यार निखरकर आएगा।''[11] साथ ही वे यह भी कहते हैं कि जब विवाह का बंधन पति–पत्नी के लिये बोझ बन जाये तो उसको तोड़ देना चाहिए। 'मंत्रविद्ध' उपन्यास में वे इस संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं– ''मैं बिल्कुल नहीं मानता कि विवाह आदमी की चरम–नियति है, वह आपके अनजाने किया गया हो या जान–बूझकर। वह एक ऐसी स्थिति भर है जो आपको अगर सूट नहीं करती तो आप उसे तंग कपड़ों की तरह तहाकर वापस रख दें। परम्परा के नाम पर हो या स्वयं अपने चुनाव के नाम पर।''[12]

स्वतंत्रता के बाद नारी की स्थिति एवं मानसिकता में आये परिवर्तन को राजेन्द्र यादव ने अपने उपन्यासों में उद्घाटित किया है। औद्यागीकरण, आर्थिक दबाव, विभिन्न सुधार आन्दोलनों और शिक्षा के प्रभावस्वरूप भारतीय नारी अपने व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के प्रति जागरूक हो गईं। अब वे परम्परागत मूल्यों को आँख मूँद कर ढोने की बजाय, घर एवं बच्चों तक सीमित रहने की बजाय पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज व देश के उत्थान में समान रूप से योगदान देना चाहती है। 'उखड़े हुए लोग' की जया स्पष्ट कहती है– ''सचमुच इससे बड़ा मजाक हो भी क्या सकता है कि आधी दुनिया लड़े–मरे, खून–पसीना एक करें और आधी दुनिया मजे में घर में बैठी श्रृंगार करें और खायें।''[13]

राजेन्द्र यादव ने तत्कालीन समाज में प्रचलित दहेज की समस्या को अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। दहेज की प्रथा अति प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विद्यमान है, किन्तु वर्तमान समय में इसका वास्तविक स्वरूप विकृत हो चुका है। यह प्रथा स्वेच्छा की जगह सौदा का रूप धारण कर समाज को अन्दर से खोखला करता जा रहा है। यह प्रथा न केवल नवबधुओं के जीवन को नारकीय बना रहा है बल्कि इसके कारण उन्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ रहा है। राजेन्द्र यादव ने अपने उपन्यासों में दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के साथ–साथ उसके खिलाफ नयी पीढ़ी में उत्पन्न जागरूकता को भी चित्रित किया है। 'सारा आकाश' उपन्यास में ठाकुर साहब अपनी बेटी की शादी में हैसियत से ज्यादा दहेज देते हैं, जिसके कारण उन पर भारी कर्ज का बोझ चढ़ जाता है। इस बोझ को उतारने के लिय दहेज लेना उनके लिये मजबूरी बन जाता है। वे समर का विवाह जबरन इसीलिये तय कर देते हैं ताकि प्राप्त दहेज से अपने ऋण का बोझ उतार सके। किन्तु इस शादी में वांछित दहेज न मिलने के कारण जहाँ ठाकुर

साहब कलेजा मसोस कर रह जाते हैं, वहीं अम्माजी अपनी विवशता को व्यक्त करते हुए कहती हैं– ''शादी के तो सारे हौसले मर ही गए।''[14] अपेक्षित दहेज न लाने के कारण ससुराल आते ही प्रभा पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। घर का सारा काम उस पर लाद दिया जाता है। सुबह से रात तक घर के सारे कामों को वह मशीन की तरह चुपचाप और बिना विरोध किये हुये पूरा करती है, फिर भी ससुराल वाले उसके कामों में मीन–मेख निकालते हैं। इतना ही नहीं उसके गुणों में भी दोषारोपण किया जाता है। उसके द्वारा बनाये गये दाल में मुट्ठीभर ज्यादा नमक डालकर उसे नीचा दिखाया जाता है, उसके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है तथापि छोटी–छोटी बातों पर मायके का नाम घसीट कर उस पर ताना कसा जाता है। इस संदर्भ में डॉ0 राधा गिरधारी का कथन द्रष्टव्य है– ''प्रभा त्याग की प्रतिमूर्ति है, सुशिक्षित है किन्तु दहेज में अतुल सम्पत्ति न ला सकने के कारण सुशील एवं सुन्दर होने पर भी परिवार के लिये महत्त्वहीन है।''[15] दहेज के कारण ही समर की बहन मुन्नी को भी असंख्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यंत्रणाओं को सहना पड़ता है। दहेज के लोभ में ससुरालवालों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, जानवरों की तरह मारा–पीटा जाता है तथापि अत्याचार के इसी क्रम में उसकी सौत बैठा दी जाती है। इन अमानवीय अत्याचारों के कारण न केवल उसका जीवन नारकीय बन जाता है, बल्कि उसे तो लाचार होकर मरने के लिए विवश होना पड़ता है। राजेन्द्र यादव भारतीय समाज को दहेज प्रथा रूपी अभिशाप से मुक्त देखने के प्रबल अकांक्षी हैं और यही कारण है कि उनके उपन्यासों में नयी पीढ़ी के पात्रों के द्वारा न केवल इसका जोरदार विरोध किया गया है, बल्कि इस समस्या के समाधान के रूप में प्रेम विवाह को बढ़ावा भी दिया गया है। 'उखड़े हुए लोग' की जया दहेज प्रथा की घोर भर्त्सना करते हुए अपने मित्र कहती है– ''जाओं; और माँ–बाप की इच्छा के पुतले के साथ, जिसे वे अपना घर–वार बेचकर दहेज–नाम की कीमत देकर खरीद दें, आग की घुटती लपटों के चारों ओर घूमों और बाद में पतिव्रता की विडम्बना छाती पर लादकर उसके वंश को आगे बढ़ाओं, कुटो–पिटो और रात को बिस्तर गर्म रखो। मुझसे यह नहीं होगा।''[16]

राजेन्द्र यादव ने तत्कालीन समाज में व्याप्त पर्दा–प्रथा की समस्या को भी अपने उपन्यासों में उठाया है। वे इस प्राचीन कुप्रथा का विरोध कर नारियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के पक्षधर हैं। पर्दा–प्रथा की आड़ में नारी शोषण के षड्यंत्र जाल का पर्दाफाश करते हुए वे इस व्यावहारिक सत्य को पाठकों के समक्ष रखते हैं कि केवल बहू द्वारा सिर पर आंचल रख लेने से ही घर की इज्जत बनी रह सकती है, यह जरूरी नहीं। 'सारा आकाश' की प्रभा पढ़ी–लिखी होने के कारण पर्दा नहीं करती है। समर भी इतिहास का विद्यार्थी होने के कारण सैद्धान्तिक रूप से तो पर्दा–प्रथा का विरोध करता है, किन्तु अपनी रूढ़ मानसिकता की वजह से ही वह प्रभा पर तंज करते हुए कहता है– ''मुन्नी, तेरी यह भाभी बड़ी बहतमीज है। किसी ने आदर–शिष्टाचार नहीं सिखाया।''[17] पर्दा नहीं करने के कारण ससुराल वाले झूठी और खोखली मर्यादा व प्रतिष्ठा का सहारा लेकर उस पर व्यंग्य करते हैं। अम्माजी उस पर ताना मारते हुए कहती हैं– ''बहू ऐसी भी बेहयाई किस काम की? माथे पर पल्ला ले लेने में तुम्हारा क्या जाता है? आज तक इस घर में घूँघट ठोड़ी के ऊपर आया ही नहीं।''[18] ससुरालवाले द्वारा चाहे जितना भी कटाक्ष किया जाता रहा हो, परन्तु प्रभा पर्दा नहीं करती है। वस्तुतः प्रभा जैसी सुशिक्षित, शिष्ट और सुशील नारी के माध्यम से राजेन्द्र यादव ने इस जर्जर और रूढ़ प्रथा के विरूद्ध नयी पीढ़ी की नारियों में आयी जागरूकता को उजागर किया है।

बेरोजगारी स्वातंत्र्योत्तर भारत की एक भीषण गंभीर समस्या है, जो निरन्तर दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी किसी भी देश के लिये अभिशाप है, क्योंकि जहाँ एक ओर इससे समाज में गरीबी, भूखमरी और मानसिक तनाव फैलती है, वहीं दूसरी ओर इससे युवक–युवतियों में आक्रोश, हताशा, निराशा, नैतिक पतन एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। राजेन्द्र यादव ने अपने उपन्यासों में जगह–जगह पर इस समस्या को उठाया है। 'सारा आकाश' उपन्यास में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने बेरोजगार युवकों की लगने वाली भीड़ का यथार्थ चित्रण हुआ है। नोटिस बोर्ड को देखकर तत्कालीन बेरोजगारी की भयावह स्थिति को व्यक्त करते हुए समर कहता है– ''ऊपर से नीचे तक सैंकड़ों नौकरियों के नाम लिखे थे। प्रायः सभी के आगे चाक से क्रॉस के चिह्न लगे थे। बढ़ई के आगे लिखा था– दस बढ़ई, मजदूरों के आगे था– पचास मजदूर और क्लर्कों के आगे था– तीन क्लर्क। अथाह आश्चर्य से मेरा मुँह खुला रह गया– तिरसठ आदमियों की जरूरत है और तीन हजार आदमियों की भीड़ यहाँ जमा है। दिल जैसे चमक गया।''[19] 'उखड़े हुए लोग' उपन्यास का नायक शरद एल.एल.बी. पास करने के बाद नौकरी करना चाहता है। परन्तु बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उसे अपनी योग्यतनुसार काम नहीं

मिलता है तब वह परेशान हो जाता है। उसकी असमंजस्य स्थिति को उपन्यासकार ने इन शब्दों में व्यक्त किया है– ''छः सात महीने बीत गए और इधर–उधर काफी रूपया एप्लीकेशनों और इन्टरव्यूओं में खराब करके भी जब कोई जगह उसे नौकरी नहीं मिली तो अन्त में उसने फैसला कर लिया कि जैसे भी हो वह धीरे–धीरे कम्पटीशन की तैयारी करेगा ही। कैरियर उसका बहुत ब्रिटिएंट रहा ही है, शासद तुक्का लग जाए।''[20]

आजादी के बाद बढ़ते बेकारी और आर्थिक तंगी से उबरने के लिये तथा अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिये लोग गाँव, कस्बों और छोटे शहरों से बड़े शहरों व महानगरों की ओर पलायन करने लगे। परन्तु यहाँ भी उन्हें अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 'उखड़े हुए लोग' का शरद बेकारी की समस्या से उबरने के लिये आगरा से पलायन कर देशबंधुजी के यहाँ 'स्वदेश महल' में आकर नौकरी करने लगता है, किन्तु यहाँ आने के बाद उसे अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है। गाँव व छोटे शहरों के लोगों तथा उनके व्यवहार में जहाँ मधुरता, घनिष्ठता, अपनापन, सरलता और संवेदनशीलता पायी जाती है, वहीं बड़े शहरों व महानगरी लोगों एवं उनके व्यवहार में निष्ठुरता, कर्कशता, अलगावपन, कृत्रिमता और संवेदनशून्यता देखने को मिलती है। 'स्वदेश महल' के कृत्रिम, पेचीदा और रहस्यमय वातावरण में शरद को जिन मानसिक एवं भावनात्मक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता है उसको व्यक्त करते हुए उपन्यासकार ने कहा है– ''कभी–कभी तो ऐसा पागलों का–सा नशा आता है कि इस सब कुछ को तोड़–फोड़कर कहीं दूर ऐसी जगह भाग जाएँ– जहाँ जरा चैन की साँस तो मिले। यह हर वक्त अपने आपसे लड़ता, अपने को तोड़ना और उस तोड़ने को परिस्थितियों पर डालकर झूठा सन्तोष बटोरना, इससे आदमी बड़ा कमजोर हो जाता है।''[21] 'शह और मात' उपन्यास में मुम्बई महानगर की भाग–दौड़, आपा–धापी, भीड़–भाड़ एवं घुटनभरी जिन्दगी का वास्तविक चित्रण हुआ है। उदय अपने मन की व्याकुलता को व्यक्त करते हुए सुजाता से कहता है– ''आपकी इस बम्बई में कोई आदमी लगकर लिखने का काम कर सकता है? बाहर निकलो तो भाग–दौड़, सीटियाँ, भोंपू, रेलों–ट्रामों की चिचियाहट– जैसे किसी तेजी से घूमती चर्खी पर आदमी बैठा हो, जरा पकड़ छूटी नहीं कि जाने कहाँ जा गिरे। और जिस चाल में आप रहते हो, उसकी कोठरी में धुँआ, घुटन, फिसलन, शोर, लड़ाई–झगड़ा, चोरी, एक मुसीबत है। बताइए, उसमें आदमी क्या लिखे? लिखते वक्त तो सचमुच अपने शहरों की बड़ी याद आती है।''[22]

निष्कर्ष :–

राजेन्द्र यादव एक सजग, संवेदनशील, जागरूक एवं दूरदर्शी कलाकार हैं और यही कारण है कि उनके उपन्यासों में तत्कालीन समाज में विद्यमान पुरानी समस्याओं के साथ–साथ परिवेशजन्य नवीन उद्घाटित समस्याओं, दुःख–सुखों और बदलते मनःस्थितियों का सजीव चित्रांकन हुआ है। उनके उपन्यासों में स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात् भारतीय सामाजिक जीवन में आये परिवर्तनों, खण्डित एवं विघटित होते संयुक्त परिवार, बदलते मानवीय सम्बन्धों, बेरोजगारी की समस्या, दहेज की समस्या, कुरूपता की समस्या, पर्दा–प्रथा, भ्रष्टाचार, वर्ग–संघर्ष, बड़े होते महानगर और उनमें टूटते–पीसते लोगों की जिन्दगीयाँ, जनसंख्या वृद्धि, परम्परागत, रूढ़ एवं जर्जर मान्यताओं का ह्रास तथा नवीन प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना आदि विविध प्रसंगों, विचारों और विसंगतियों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक यथार्थ को वास्तविक रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

संदर्भ :–

1. डॉ0 राधा गिरधारी, राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में व्यक्ति और समाज, चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, प्रथम संस्करण–1995, पृ.सं.–39.
2. रामदरश मिश्र, हिन्दी कहानी : अंतरंग पहचान, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण–2007, पृ.सं.–84–85.
3. राजेन्द्र यादव, सारा आकाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण–2008, पहली आवृत्ति–2012, पृ.सं.–169.
4. वही, पृ.सं.–19.
5. वही, पृ.सं.–44.
6. वही, पृ.सं.–10.
7. वही, पृ.सं.–77.
8. राजेन्द्र यादव, उखड़े हुए लोग, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, दसवाँ संस्करण–2007, पृ.सं.–27.

9. चन्द्रभानु सोनवणे, कथाकार राजेन्द्र यादव, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण 1982, पृ.सं.–108.
10. राजेन्द्र यादव, एक इंच मुस्कान, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, संस्करण–2012, पृ.सं.–25.
11. राजेन्द्र यादव, उखड़े हुए लोग, पृ.सं.–21.
12. राजेन्द्र यादव, मंत्रविद्ध और कुलटा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पहला संस्करण–1995, पहली आवृत्ति–2004, पृ.सं.–82–83.
13. राजेन्द्र यादव, उखड़े हुए लोग, पृ.सं.–25.
14. राजेन्द्र यादव, सारा आकाश, पृ.सं.–34.
15. डॉ0 राधा गिरधारी, राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में व्यक्ति और समाज, पृ.सं.–18.
16. राजेन्द्र यादव, उखड़े हुए लोग, पृ.सं.–82.
17. राजेन्द्र यादव, सारा आकाश, पृ.सं.–61.
18. वही, पृ.सं.–61.
19. वही, पृ.सं.–114.
20. राजेन्द्र यादव, उखड़े हुए लोग, पृ.सं.–14–15.
21. वही, पृ.सं.–158.
22. राजेन्द्र यादव, शह और मात, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण–2005, पृ.सं.–29.

Right to Privacy: As A Fundamental Right

AnujKuamr*
Dr. Anish Ahmad***

Abstract

Right to privacy is one such right which has come to its existence after widening up the dimensions of Article 21. The constitution in specific doesn't grant any right to privacy as such. However, such a right has been culled by the Supreme Court from Art. 21 and several other provisions of the constitution read with the Directive Principles of State Policy. In this paper we will be discussing over a new dimension of Art. 21 that is the Right to Privacy and also the conflicts related to it. Article 21 of the Constitution of India states that "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law". After reading the Article 21, it has been interpreted that the term 'life' includes all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living.

Key Word: Privacy, Law, Fundamental Right

I.INTRODUCTION

Privacy is a constitutionally protected right which emerges primarily from the guarantee of life and personal liberty in the Constitution. Elements of privacy also arise in varying contexts from the other facets of freedom and dignity recognised and guaranteed by the fundamental rights contained in Part III. Right to privacy is an essential component of right to life and personal liberty under Article 21. Right of privacy may, apart from contract, also arise out of a particular specific relationship, which may be commercial, matrimonial, or even political. Right to privacy is not an absolute right; it is subject to reasonable restrictions for prevention of crime, disorder or protection of health or morals or protection of rights and freedom of others. Where there is a conflict betweentwo derived rights, the right which advances public morality and public interest prevails.The concept of privacy can also be pragmatic in the ancient text of Hindus. Looking at the Hitopadesh which enumerates that certain matter such as worship, sex and family matters should be protected from disclosure. The very concept is not entirely non-familiar to Indian Culture, but some jurist like Sheetal Asrani-Dann has certain doubts about the right to privacy in India, in view of this, she also explains UpendraBaxi view, but, UpndraBaxi is clearly alarmed with kindness, sympathy, humanity or gentleness, which is an unabated

***Research Scholar, Department of Law, School Of Law, Baba sahib bhim rao University, Lucknow**

****Assistant Professor, Department of Law, School Of Law, Baba sahib bhim rao University, Lucknow**

curiosity; it is not about ill-will. Even the privacy in ancient time was related to Positive Morality. So, in spite of this, right to privacy was vague in the ancient Indian text[9].

II. CONCEPTUAL FRAMEWORK

A definite legal definition of 'privacy' is not available. Some legal experts tend to define privacy as a human right enjoyed by every human being by virtue of his or her existence. It depends on no instrument or charter. Privacy can also extend to other aspects, including bodily integrity, personal autonomy, informational self-determination, protection from state surveillance, dignity, confidentiality, compelled speech and freedom to dissent or move or think. In short, the right to privacy has to be determined on a case-by-case basis. Privacy enjoys a robust legal framework internationally[10]. Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948 and Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966, legally protect persons against "arbitrary interference"[11] with one's privacy, family, home, correspondence, honour and reputation. India signed and ratified the ICCPR on April 10, 1979, without reservation. Article 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2012, recognises the respect for private and family life, home and communications. Article 8 mandates protection of personal data and its collection for a specified legitimate purpose.Right to privacy is not enumerated as a Fundamental Right in the Constitution of India. The scope of this right first came up for consideration in Kharak Singh's Case which was concerned with the validity of certain regulations that permitted surveillance of suspects. The minority decision of SUBBA RAO J. deals with this light. In the context of Article 19(1) (d), the right to privacy was again considered by the Supreme Court in 1975. In a detailed decision, JEEVAN REDDY J. held that the right to privacy is implicit under Article 21. This right is the right to be let alone. In the context of surveillance, it has been held that surveillance, if intrusive and seriously encroaches on the privacy of citizen, can infringe the freedom of movement, guaranteed by Articles 19(1)(d) and 21. Surveillance must be to prevent crime and on the basis of material provided in the history sheet. In the context of an anti-terrorism enactment, it was held that the right to privacy was subservient to the security of the State and withholding information relevant for the detention of crime can't be nullified on the grounds of right to privacy. The right to privacy in terms of Article 21 has been discussed in various cases.

III-INTERNATIONAL CONCEPTS OF RIGHT TO PRIVACY

---

[9]Right-To-Privacy-Under-Article-21-and-the-Related-Conflicts.availableat: http://www.legalservicesindia.com/article/1630/(last visited on September 12, 2020).

[10]The right to privacy explained - The Hindu, available at: https://www.thehindu.com/news/national/the-lowdown-on-the-right-to-privacy/article19386366.ece(last visited on September22, 2020).

[11]Right to Privacy available at:https://www.scribd.com/document/360161914/right-to-privacy(last visited on October 19, 2020).

Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2012, recognises the respect for private and family life, home and communications. Article 8 mandates protection of personal data and its collection for a specified legitimate purpose.Article 8 of European Convention on Human Rights states "Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence;[12] there shall be no interference by a public authority except such as is in accordance with law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others.

Article 12 of Universal Declaration of Human Rights (1948) states that "No one shall besubjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence nor toattack upon his honour and reputation[13]. Everyone has the right to protection of the law against such interference or attacks."

Article 17 of International Covenant on Civil and Political Rights (to which India is a party) states "No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home and correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation". [14]

IV-NATIONAL LAW ON RIGHT TO PRIVACY

The Indian Post Office Act, 1898

Section 26[15] of the Actstates that on the occasion of any public emergency or in the interest of public safety or tranquillity, the Central Government, State Government or any officer specially authorized by the Central or State Government may direct the interception,detention or disposal of any postal article, class or description of postal articles in the courseof transmission by post. Moreover, in case of existence of any doubt regarding public emergency, public safety and tranquillity under section 26, then a certificate would be given by the Central Government or the State Government that would be considered as a conclusive proof.

The Code of Criminal Procedure, 1973

Section 91[16] of the Code states that a Court in India or any officer in charge of a police station may summon a person to produce any document or any other "thing" that is necessary for thepurposes of any investigation, inquiry, trial or

---

[12] Right-To-Privacy-Under-Article-21-and-the-Related-Conflicts.htmlhttp://www.legalservicesindia.com/article/1630/(last visited on September 8, 2020).

[13] https://www.gktoday.in/gk/2018-gs-mains-revision-document-5-constitutional-issues/3/(last visited on September 11, 2020).

[14] Final Draft LRM | Right To Privacy | Privacyavailableat: https://www.scribd.com/document/360866577/(last visited on September 22, 2020).

[15] The Indian Post Office Act, 1898(Act No. 6 of 1898).

[16] The Code of Criminal Procedure Act, 1973.

other proceeding under the Code of Criminal Procedure.

The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933

Section 3[17] of the Act states that the possession of any wireless telegraph apparatus that toowithout license is an offence and moreover unauthorized establishment or the operation of the wireless communications networks for the purpose of intercepting, monitoring andsurveilling communications is an offence.

The Central Motor Vehicles Act, 1898 and its Rules, 2012

As per Rule 138A[18] of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 which came in October 2012, mandates the installation of radio frequency identification tags on all light and heavy motor vehicles in order to enable their instant identification

The Personal Data Protection Bill, 2018

The Bill has been broadly based on the framework and principles of the General Data Protection Regulation (the "GDPR") recently notified in the European Union and on the foundation of the landmark judgement of the apex court: Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) &Anr v Union of India &Ors (W.P. (Civil) No. 494 of 2012), wherein the Supreme Court of India upheld the right to privacy as a fundamental right under the Indian Constitution. The Bill shall come in supersession of Section 43A of the Information Technology, 2000 (the "IT Act") and the Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 (the "IT Rules") which was enacted under Section 43A of the IT Act[19] .

A final report and a draft bill were released by the committee in July 2018, which was called as the Personal Data Protection Bill, 2018. The Personal Data Protection Bill provided for the establishment of a Data Protection Authority to oversee activities that involve processing of data. It was felt to recognize the need to protect personal data under the fundamental right to privacy. There was also a need to create a collective culture that foster a free and fair digital economy was to be taken into consideration, respecting the informational privacy individuals, progress and innovation[20].

Additionally, the objective behind the formulation of such a bill was to protect the autonomy of individuals in relation with their personal data. It should also specify about the flow and usage of personal data so as to create a

---

[17]The Central Motor Vehicles Act, 1898.

[18]The Central Motor Vehicles Act, 1898.

[19]India: The Personal Data Protection Bill, 2018 - Key Features and Implicationsavailable at: https://www.mondaq.com/india/data-protection/727550/the-personal-data-protection-bill-2018--key-features-and-implications(last visited on September 22, 2020).

[20]Legal Analysis of Right to Privacy in Indiaavailable at:http://www.legalserviceindia.com/legal/article-676-legal-analysis-of-right-to-privacy-in-india.html(last visited on September 22, 2020).

relationship between persons and entities processing their personaldata and also laid down norms for cross-border transfer of personal data, not only this, it also provided remedies for unauthorized and harmful processing and ensured the accountability of entities processing personal data[21].

V- RIGHT TO PRIVACY IS NOT AN ABSOLUTE RIGHT - SUBJECT TO REASONABLE RESTRICTIONS

The Supreme Court was at pains to clarify that the fundamental right to privacy is not absolute and will always be subject to reasonable restrictions. It held that the State can impose restrictions on the right to privacy to protect legitimate State interests but it can only do so by following the three-pronged test summarized below:

i. Existence of a law that justifies an encroachment on privacy;

ii. A legitimate State aim or need that ensures that the nature or the content of this law falls within the zone of reasonableness and operates to guard against arbitrary State action; and

iii. The means adopted by the State are proportional to the objects and needs sought to be fulfilled by the law.

Consequently, all State action that could have an impact on privacy will now have to be measured against this three-fold test. This is likely to have an impact on several ongoing projects including most importantly, the Aadhaar identity project.

VI- ROLE OF JUDICARY AND RIGHT TO PRIVACY

Our desire for a private life made a comeback after ten years (approx.) before a six-judge bench of the Supreme Court in the case of *Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh*, it was only to be rejected again. The Supreme Court held that there is no fundamental Right to Privacy but went on to strike down the provision which allowed night visits for violation of personal liberty. As dissented by Justice SubbaRao, wherein he said that Right to Privacy is still an essential component of personal liberty though such provision was not incorporated as well as declared as a fundamental right under the Indian Constitution.

After eleven long years (approx.), the Supreme Court where a smaller three judge bench when faced with a similar factual matrix in *Gobind v. State of Madhya Pradesh*, held the existence of a fundamental right to privacy under Article 21. Though Gobind lost, privacy won for the first time and gained a small recognition under personal liberty under the Indian Constitution[22].

By this time, privacy had rooted in our fundamental rights. It never faced such a strong challenge of its existence as it faced before the nine-judge bench in the case of *K.S. Puttaswamy v. Union of India* in 2017 and overruled the

[21] Ibid,

[22] Available at: http://www.legalserviceindia.com/legal/article-676-legal-analysis-of-right-to-privacy-in-india.html.(last visited on Feb. 24, 2020)

decisions of *M.P. Sharma and Kharak Singh*. After the passing of the recent judgment in 2017 it is clear that right to privacy is a fundamental right and it will not lose its status amongst the Golden Trinity of Article 14 (Right to Equality), Article 19 (Right to Freedom) and Article 21 (Right to Life and Personal Liberty)[23].

A Recent Landmark Case in relation to Right to Privacy

Landmark Case: Justice ***K.S. Puttaswamy v. Union of India***(2017)

This is a recent case of Right to Privacy which was brought by 91-year old retired Karnataka High Court Judge Puttaswamy against the Union of India before a nine-judge bench of the Supreme to determine whether the Right to Privacy was guaranteed as a fundamental right under the Indian Constitution[24].

This case was actually concerned with an issue to a challenge to the governmentAadhaar scheme (a form of uniform biometrics-based identity card) in which the government made mandatory for availing the government services and benefits. The issue was made before a three-judge bench of the Supreme Court on the basis that this scheme violated the right to privacy. Accordingly, a Constitution Bench was set up and concluded that there was a need for a nine-judge bench to determine whether there is a fundamental Right to Privacy within the provision of Article 21 of Constitution of India.

It was argued by the petitioner before the bench that Right to Privacy is a Fundamental right and should be guaranteed as right to life with dignity under Article 21 of the Constitution. Submissions made by the respondent were that the Constitution only recognized personal liberty which may include Right to Privacy to a limited extent.

Decision of the Supreme Court[25]

The nine-judge bench of the Supreme Court unanimously recognized that the Constitution guaranteed the Right to Privacy as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21. The Court however, overruled M.P. Sharma, and Kharak Singh in so far as the latter did not expressly recognize the right to privacy as a Fundamental Right.

VII- CONCULSION

Right to privacy is a requisite of right to life and personal liberty under Article 21 of theIndian Constitution. Right to privacy is not an absolute right, it may be subject to certainreasonable restrictions for prevention of crime, public disorder and protection of others but, itmay, apart from contract, also arise out of

---

[23]Evolution of Right to Privacy, India, available at:https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/evolution-of-the-right-to-privacy-constitutional-law-essay.php(last visited on Sep 7, 2020).

[24]Decided on 24.09.2017available at: http://www.legalserviceindia.com/issues/topic1609-justice-ksputtaswamyretd-vs-union-of-india.html (last visited on Feb. 23, 2020)

[25]http://www.legalserviceindia.com/issues/topic1609-justice-ksputtaswamyretd-vs-union-of-india.html (last visited on Feb. 12, 2019)

a specific relationship that may be commercial,matrimonial or even political and also where there is a conflict between these two derivedrights, the one, which advances public morality and public interest, will prevail. Consideringourselves a part of a society, we often countermand that we are individuals first and in this world each and every person or individual need his/her private space. So as to give eachindividual that right, the State accordingly is giving those private moments to be enjoyed withthose whom they want without the prying eyes of the rest of the world.As every day is advancing, this right is becoming more and more essential. With all our lives being exposed to the media through social networking sites or the spy cameras, the protection is to be given to everyone and it should act in such a manner that no one should think to intrude the right to privacy of the individuals. Privacy should be protected in every aspect but it is subjected to reasonable restrictions under the provision of Constitution of India and other relevant statutory provisions in force. One needs to understand that privacy should be keep in mind and within the confined limits not to explain to rest of the world.

Black Carbon Monthly Diurnal Variation at Varanasi in 2016

*Amit Kumar**

Abstract

In airborne particles, various types of differences, such as particle size, composition, and structural changes, happen due to chemical and physical processes. Black Carbon, one of the particulate matters, increased in the atmosphere due to incomplete combustion of fossil fuel, vehicle emission, and commercial activity. Urban BC's primary source is vehicle and transportation activity. The monthly diurnal cycle shows two peaks in the morning and evening; it is correlated with increased vehicle movements in urban areas. B.C.'s maximum concentration is seen in April month, when an increase in dust storms over Indo-Gangetic Plain. Indian Summer Monsoon causes washed-out B.C. from the atmosphere, and minimum concentration is left out.

***Keywords:-** BC, Aeathalometer, Particulate Matter*

1.Introduction

Atmospheric aerosols are a dynamic mixture of solid and liquid particles from natural and anthropogenic sources with much different composition, concentration, and morphological properties**[Seinfeld, 1986; Singh, 1995; Maynard and Howard, 1999].**

Air particulate matter (PM) chemical components are sulfate, nitrate, ammonium; sea salt, mineral dust, organic compounds, and elemental or black carbon, each typically contribute about 10-30% of overall mass load, which varies with locations, particle size fractions, times and meteorological conditions with the relative abundance of different chemical components**[Finlayson-Pitts, 2000; Seinfeld and Pandis, 1998; Raes et al., 2000; Putaud et al., 2004]**.The primary source of black carbon (B.C.) in the atmosphere is due tothe incomplete combustion of fossil fuels and biomass; this may be due to natural and anthropogenic causes. Biological, physical, or meteorological processes generate them. Black carbon is also emitted as co-pollutant particles of organic carbon and sulfates, which have cooling effects on the climate. Emissions from diesel engines have a high proportion of black carbon with cooling co-pollutants, whereas emissions from wildfire and open-burning biomass contain less black carbon. Some carbonaceous dust is injected into the upper atmosphere from infalling meteorites, but this is considered a relatively small source. B.C. in a local, regional or remote air mass is a particular indicator that combustion emissions had impacted that air mass at

* **Department of Geophysics, Banaras Hindu University, Varanasi 221005**

some earlier point in time. This study is about the variation of Black Carbon concentration in the atmosphere Varanasi. A temporal change of Black Carbon concentration using aethalometer instrument data of 2016 is utilized. Aethalometer Instrument is placed in Banaras Hindu University, Varanasi.

2.2 TheAethalometer

Aethalometer, based on optical absorption or light attenuation methods, is most frequently used to measure real-time B.C. mass concentration**[Hansen et al., 1984]**. ModifiedAethalometer operating with several light sources with narrow bandwidths ranging from near-ultraviolet to the near-infrared.We gather information about different carbonaceous fraction components, mainly organic carbon, due to multiple wavelength analysis. Principle and basic theory of Aethalometer operation are discussed briefly:

By Beer-Lambert's law, attenuation coefficient (b_{atn}) defined as:

$$I=I_o\, e^{-\, batn\, .x}$$

Where $I_o$is the intensity of the incoming light, and I is the remaining light intensity after passing through a medium with thickness x.

The relationship typically defines the attenuation (ATN):

$$ATN = \ln (Io/I)$$

Light attenuated through a quartz filter matrix measured by Aethalometer. The fiber filter is assumed to act as a perfect diffuse scattering matrix in which light-absorbing particles are embedded. Light transmission through the filter monitor by two detectors measures the light passing through the particle-loaded sample spot. The other measures the light passes through the particle-free reference part of the filter, which helpscorrect the variations in incident light intensity and drifts in electronics.

To correct the Aethalometer data, considering the diffusive component of PM collected on a filter, the filter-matrix and the filter loading**[Weingartner et al., 2003; Arnott et al., 2006; Schmid et al., 2006; Virkkula et al., 2007, CollaudCoen et al., 2010].** These two components introduced two calibration factors (C and R (ATN)) to convert Aethalometer attenuation measurements to real absorption coefficients. R (ATN) and C describe two different effects that alter embedded particles' optical properties in the filter regarding the same particles' properties' airborne state.

Result and Discussion

3.1 Monthly Diurnal Variation

Diurnal cycle indicated that a gradual build-up of B.C. starts growing at morning traffic hours, followed by an afternoon and an evening increase with maxima was occurring at midnight for most of the days. Diurnal variation in detail has been discussed month wise as follows:

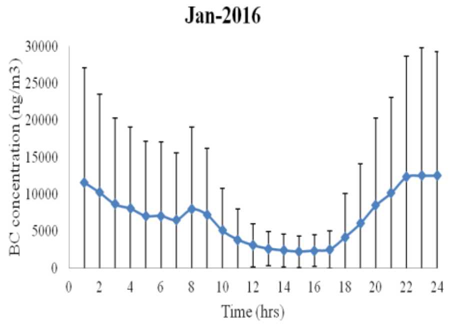
Jan-2016
BC concentration (ng/m3)
Time (hrs)

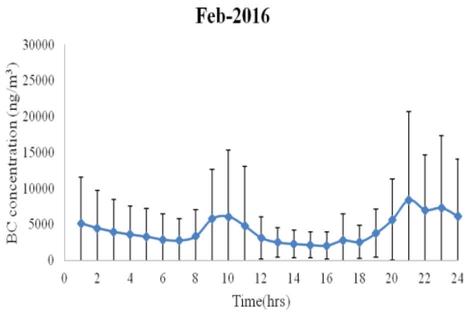
Feb-2016
BC concentration (ng/m3)
Time(hrs)

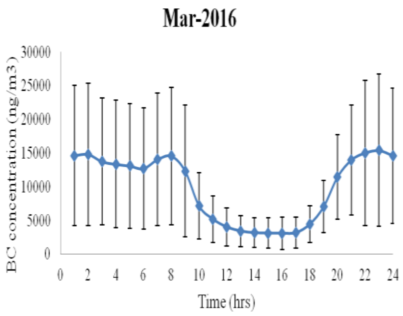
Mar-2016
BC concentration (ng/m3)
Time (hrs)

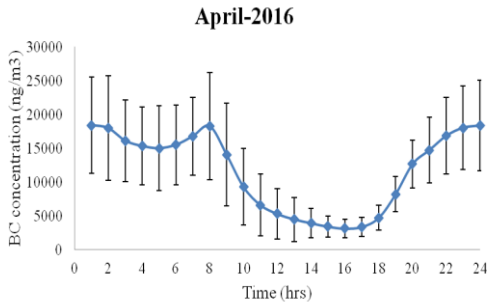
April-2016
BC concentration (ng/m3)
Time (hrs)

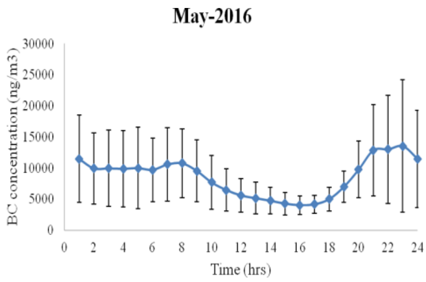
May-2016
BC concentration (ng/m3)
Time (hrs)

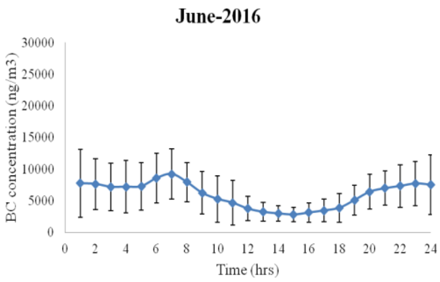
June-2016
BC concentration (ng/m3)
Time (hrs)

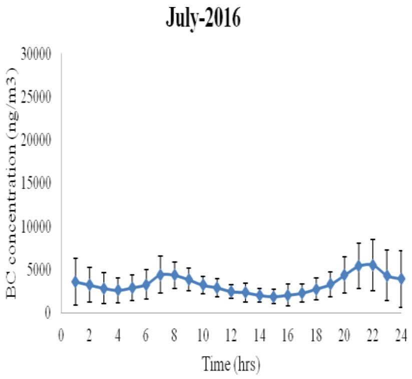
July-2016
BC concentration (ng/m3)
Time (hrs)

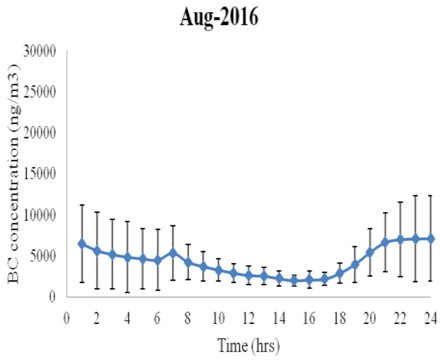
Aug-2016
BC concentration (ng/m3)
Time (hrs)

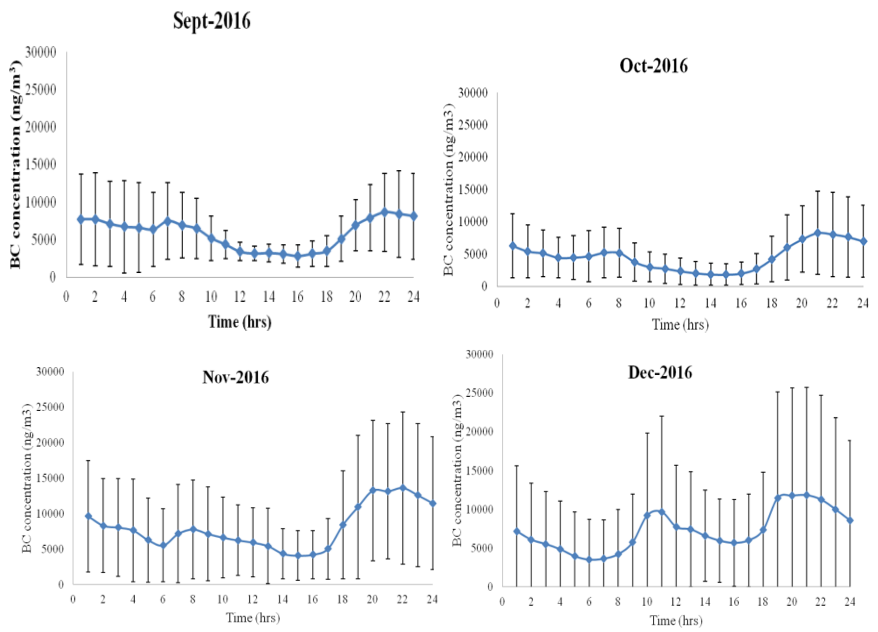

Figure 1: Average diurnal variation of Black Carbon in different month 2016

Conclusion

Measurements of black carbon aerosol mass concentrations were made inside Banaras Hindu University, Varanasi, from January to December 2016. This is the urban location in the eastern part of Indo-Gangetic Plains, India. B.C.'s data were analyzed for its character during the annual cycle. For the year 2016, the superior results suggest B.C.'s dominance over this region and require rigorous mitigation activity for cleaning of the area; preliminary results obtained are provided hereunder.The monthly diurnal variation of B.C. shows two peaks in each month. Peak's height value variesmonthly. Firest peak is found around 9-10 IST in the morning, while the second peak is at 20-22 IST in the evening. Two peaks correlated with an increase in vehicle movement and other commercial activity of B.C. emission sources. B.C. diurnal cycle displaysthe minimum value in the early morning; it connectsthe least vehicles and commercial activities. The maximum B.C. value was caused by an increase in a dust storm and particulate matter over the Indo-Gangetic plain IN APRIL. The minimum amount of B.C. in July month happen with the arrival of the Indian Summer Monsoon; it washed out B.C. from the atmosphere and attains the least value during monsoon seasonal month(June,July,August,September).

References:-

➢[Arnott et al., 2006] Arnott, W.P., Hamasha, K., Moosmuller, H., Sheridan, P.J., Ogren, J.A. (2006). Towards Aerosol Light-Absorption Measurements with

a 7-Wavelength Aethalometer: Evaluation with a Photoacoustic Instrument and 3-Wavelength Nephelometer. *Aerosol Science and Technology, 39,* 17-29.

➢[CollaudCoen et al., 2010] CollaudCoen, M., Weingartner, E., Apituley, A., Ceburnis, D., Fierz-Schmidhauser, R., Flentje, H., Henzing, J.S., Jennings, S.G., Moerman, M., Petzold, A., Schmid, O., Baltensperger, U. (2010). Minimizing light absorption measurement artifacts of the Aethalometer: evaluation of five correction algorithms. *Atmospheric Measurement and Techniques,* 3, 457-474.

➢[Finalyson- Pitts, 2000] B. J. Finlayson-Pitts, J. N. Pitts, (2000) Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere, *Academic Press*, San Diego.

➢[Hansen et al., 1984] Hansen, A. D. A., Rosen, H., &Novakov, T. (1984). Aethalometer: an instrument for the real-time measurement of optical absorption by aerosol particles. *Science and Total Environment*, 36, 191–196

➢[Maynard and Howard, 1999] Maynard, R. L. and C. V. Howard, (1999). Particulate Matter:

➢[Putaud et al., 2004] Putaud, J.P., Van Dingenen, R., Dell'Acqua, A., Raes, F., Matta, E., Decesari, S., Facchini, M.C., Fuzzi, S., (2004). Size-segregated aerosol mass closure and chemical composition in Monte Cimone during MINATROC.*Atmospheric Chemical and Physics*, 4, 889-902

➢[Raes et al., 2000] F. Raes, R. Van Dingenen, E. Vignati, J. Wilson, J. P. Putaud, J. H. Seinfeld, P. Adams, (2000). Formation and cycling of aerosols in the global troposphere.*Atmospheric Environment*, 34, 4215-4240.

➢[Schmid et al., 2006] Schmid, O., Artaxo, P., Arnott, W.P., Chand, D., Gatti, L.V., Frank, G.P., Hoffer, A., Schnaiter, M., Andrea, M.O. (2006).Spectral light absorption by ambient aerosols influenced by biomass burning in the Amazon Basin. I: Comparison and field calibration of absorption measurement techniques. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 6, 3443-3462.

➢[Seinfeld, 1986] Seinfeld, J.H. (1986). Atmospheric chemistry and physics of air pollution.*Wiley*, New York

➢[Singh, 1995] Singh, H. B., (1995). Composition, Chemistry, and Climate of the Atmosphere, *John Wiley and Sons*, New York.

➢[Virkkula et al., 2007] Virkkula, A., Ma'kela, T., Hillamo, R., Yli-Tuomi, T., Hirsikko, A., Hameri, K., Koponen, I.K. (2007).A Simple Procedure for Correcting Loading Effects of Aethalometer Data.*Journal of Air & Waste Management Association*, **57**, 1214-1222.

➢[Weingartner et al., 2003] Weingartner, E., Saatho5, H., Schnaiter, M., Streit, N., Bitnar, B., &Baltensperger, U. (2003). Absorption of light by soot particles: Determination of the absorption coefficient by means of aethalometers. *Journal of Aerosol Science*, 34, 1445–1463.

महात्मा गांधी का सामाजिक एवं शैक्षिक दर्शन

डॉ मंजू कुमारी

शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी विरासत अत्यन्त समृद्ध है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्‌देश्य अहिंसक, गैर शोषण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और अन्य उद्‌देश्य इसके सहायक है। इनके अनुसार शिक्षा केवन पढ़ने लिखने की योग्यता नहीं है वरन मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का बहुमुखी विकास करना है। यह शिल्प प्रधान है जिसमें हस्तकला की हिस्सेदारी मुख्य है शिल्प आधारित शिक्षा की अवधारणा बेरोजगारी के खिलाफ एक बीमा सुरक्षा है शिल्पकेन्द्रित शिक्षा की उनकी अवधारणा अहिंसा के सिद्वान्त आधारित है जिसमें प्रत्येक सीखने वाले की निजंता का सम्मान किया जाता है और जिसमें श्रम की गरिमा तथा सामुहिक कार्य की शिक्षा दी जाती है।

अंग्रेजो के आवागमन ने भारतीय विचारको को प्रभावित किया इन्होने पश्चिमी प्रभावो के सम्बन्ध में भारतीय परम्पराओं को पुर्नजीवित एवं परिष्कृत किया जिनसें नये अवधारणों का जन्म हुआ। गांधी जी ने अपने विचारो को अपने सोच के अनुसार विकसित किया। कुछ अवधारणाओं को छोड़ कुछ को महत्वपूर्ण बताया तथा मूल्यों का उच्चीकरण किया। गांधी जी के विचारो पर उपनिषदों एवं गीता का वृहद प्रभाव रहा है। इसके साथ ही साथ पश्चिमी विचारको रस्किन टालस्टाय, थोरो जैसे विद्वानों से प्रभावित नजर आये। गांधी जी अपने दिन प्रतिदिन के कार्यो एवं अनुभवों द्वारा कुछ अवधारणाओं नवीनता दी यथा, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, विश्व बन्धुत्व, सामाजिक न्याय।

गांधी जी कहते है कि ''जो मूल्य आध्यात्मिक पवित्रता से संवारे नही जाते वे भय और कायरता अथवा भोग और आक्रामकता पैदा करते है जीवन सार्थक और मूल्यवान हो इसके लिए जरूरी है कि घोर भौतिकवादी मूल्य को आध्यात्म के बंधन में रखा जाय। अध्यात्म अन्ध.विश्वास नहीं, विश्वास की पराकष्ठा है। यह संसार के बाहर की खोज नहीं वरन् संसार के समस्त के भीतर समाई सत्ता के प्रति जागृति है। इसलिए वे कहते है कि गीता राह दिखाती है, राम मेरा लक्ष्य है, पर मेरे जीवन में श्रेष्ठतम मूल्य जो है वह ईशावस्यमिदम् के विश्वास से संचालित होता है। यह मनुष्य से बड़ी सत्ता में विश्वास देने की प्रेरणा देता है। ताकि छोटों को भी सम्मान पूर्वक स्वीकृति देने की शक्ति पैदा हो सके। यह जगत और उसमें जीने की कला का पोषक है जो सिखाता है कि लूट कर लेने की जगह, त्यागपूर्ण प्राप्ति ही मानव मूल्य है । यही अहिंसा की लौज्योति देता है। ''तेनत्यक्तेनभुजीया'' का वाक्य मेरा निर्देशक है।

गांधी जी सत्य को आस्था का केन्द्रबिन्दु मानते है। सत्य से अभिप्राय केवल वाणी की सत्यता नहीं वरन विचारों की सत्यता तथा यह परम सत्य अर्थात ईश्वर में समाहित है। ईश्वर जीवन है, सत्य है, ज्योति है, वह प्रेम है परमेश्वर है।महात्मा गांधी के अहिंसा का विचार अत्यन्त व्यापक है। अहिंसा के सिद्वान्त को व्यक्तिनिष्ठता के स्थान पर समाज निष्ठता तक बढ़ाया। अहिंसा मानवता का प्रतीक है जिसके द्वारा सभी प्राणियों के प्रति द्वेष का अन्त है। अर्थात सभी जीवों के प्रति सद्‌भाव को कायम रखना। अहिंसा के पथ पर चलने के अटूट धैर्य एवं साहस की आवश्यकता है अर्थात व्यक्ति को अपने सम्पूर्ण क्रिया कलापो पर अंकुश लगाना, जो मानवता एवं समाज कल्याण के विरूद्ध है। अहिंसा के प्रयोग में कोई कमजोरी नही वरन् एक शक्ति प्रद र्शित होती है। गांधी जी अहिंसा को सामाजिक न्याय से जोड़ा, गांधीजी के शब्दों में ''मेरे विचार से जनतंत्र उसे कहते है जिनमें कमजोर से कमजोर को व्यक्ति को भी वही अधिकारी एवं अवसर मिले जो सबसे अधिक शक्तिशाली को प्राप्त हो यह केवल अहिंसा द्वारा प्राप्त हो सकता है।'' एक अन्य सन्दर्भ गांधी जी अहिंसा को अनन्त प्रेम एवं असीम कष्ट सहने की क्षमता से जोड़ते है।

गांधी जी सत्याग्रह में अटूट विश्वास था। इसका अर्थ है ''सत्य में अडिग विश्वास''। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रिका में किया। बाद में उन्होंने इसको वैचारिक एवं सैद्वान्तिक रूप प्रदान किया उन्होंने सत्याग्रह को सत्ता के अन्यायपूर्ण प्रतिरोध के अमोघअस्त्र के रूप में विकसित किया। अपने राजनीतिक आन्दोलनो, असहयोग, सविनय एवं भारत छोड़ो आन्दोलनो में इसका विशद एवं व्यापक प्रयोग किया। इसके द्वारा विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य को नतमस्तक किया।

गांधी जी को सर्वोदय के विचार रिस्कन की पुस्तक ''अन्टू द लास्ट '' से प्रभावित है सर्वोदय दो शब्दो से मिलकर बना है सर्व और उदय सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ है सबका उत्थान। इस उत्थान में शारीरिक एवं भौतिक आयाम के साथ–साथ अध्यात्मिक चेतना भी सम्मिलित है। जो विलासतापूर्ण जीवन शैली पर अंकुश लगाता है। फिर भी गांधी ने सर्वोदय का अर्थ सबके कल्याण को माना। ऐसे कल्याण की प्रतिपूर्ति चैतन्य प्रक्रिया द्वारा सम्भव हो सकती है।

महात्मा गांधी सच्ची शिक्षा उसे मानते थे जो बालक की आध्यत्मिक मानसिक और शारीरिक शक्तियों को विकसित करती है। वे चाहते थे कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर मस्तिष्क हृदय तथा आत्मा की सारी शक्तियों पूर्ण रूप से हो। इन शक्तियों के विकास में समग्र एवं संतुलन की दृष्टि होनी चाहिए

गांधी जी ने शारीरिक श्रम की नैतिकता पर आधारित शैक्षिक प्रणाली की आधारशिला रखी। इसे उपनिवेशवाद के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्वादी शोषण के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। गांधी जी ग्रामीण भारत की आवश्यकता एवं समस्याओं से पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने अपना शिक्षा दर्शन ग्रामीण समाज में श्रमिकों के बच्चों की आवश्यकताओं एवं आकाक्षाओं को समाहित करके विकसित किया। शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण बताया क्योंकि श्रमिकों के पास यही एक मात्र पूँजी होती है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया में श्रम को अमानवीय स्वरूप में देखा जाता है और उसे क्रय–विक्रय की वस्तु बना दिया जाता है। गांधी जी की दृष्टि में आधुनिक मशीनी सभ्यता अनैतिक थी और अन्ततः विनाश की ओर ले जायेगी। विनाश की इस प्रक्रिया को जड़ से समाप्त करने एवं भारत के नवनिर्माण हेतु बुनियादी शिक्षा के सिद्वान्त का प्रतिपादन किया। 1936 मे उन्होंने हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना की। गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और निरक्षरता को पूरी तरह दूर करने पर बल दिया। निरक्षरता के बारे में उनका कथन था कि यह देश के लिए कलंक है।

विश्व बन्धुतत्व की भांवना गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा सिद्वान्त पर आश्रित है। यद्यपि ''वसुधैव कुटम्बकम'' केवल भारत की दार्शनिक अभिव्यक्ति ही नहीं है बल्कि विश्व के सभी देशों के साथ भारत के पारस्परिक सद्‌भाव, मैत्रीपूर्व सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय सद्‌भावना शक्ति का द्योतक है। मानव कल्याण से उत्कंठित है। इस सम्बन्ध मे ंगांधी जी का कथन है कि ''मेरा यह कहना नहीं कि हम शेष दुनिया से बचकर रहे या अपने आस पास दीवारे खड़ी कर लें। मैं यह जरूर कहता हूँ कि पहले हम अपनी संस्कृति का सम्मान करना सीखे और उसे आत्मसात करे दूसरी संस्कृतियों के सम्मान की, उनकी विशेषतओं को समझने और स्वीकार करने की बात उसके बाद ही आ सकती है। उससे पहले नहीं। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हमारी संस्कृति में जैसी मूल्यवान निधियां है वैसी किसी संस्कृति में नहीं हमने उसे पहचाना नहीं है, हमें उसके अध्ययन का तिरस्कार करना, उसके गुणों की कम कीमत करना सिखाया गया है।''

आज मानव संकट में इससे कोई इंकार नही कर सकता। यह यर्थाथसत्य है कि इस संकट का सम्बन्ध शिक्षा क्षेत्र है विश्व के सभी विचारको ने शिक्षा को न केवल प्रगतिशिलता का साधन माना बल्कि मूल्यों का पोषक, जनक एवं प्रतिपादक भी कहा है। कौन सी शिक्षा, कैसी शिक्षा, वैश्विक ज्ञान के प्रकाश से वंचित करने वाली शिक्षा, अपनी मातृ भाषा को दोयम दर्जा देने वाली शिक्षा, अपनी संस्कृति प्रधान परम्परा को दोषी बतानी वाली शिक्षा एवं विदेशी भाषा

को प्रधान बताने वाली शिक्षा केवल साक्षरता या सूचना भण्डार नहीं है बल्कि तर्क समझ बुद्धि प्रधान से रक्षित होकर अन्तः ज्ञान अन्तः करण को पहचान कराने वाली योग्यता है। यह भूतकाल से उपदेश लेकर वर्तमान के लिए कार्य करती और भविष्य के लिए मार्गदर्शन देती है शिक्षा स्नेह प्रेम के द्वारा पोषित होकर डॉट भटकार से इसका स्थायीकरण होता है।

आज शिक्षा आदर्शो के मुक्त कर दी गई है तब इसका उपचार क्या है एक अलग विषय के रूप में मूल्य शिक्षा की पढ़ायी विद्यालयों मैं की जाय? सरकारो ने मूल्य शिक्षा को सामान्य शिक्षा प्रकिया से अलग करके शिक्षा के आदर्श रूप को विकृत कर दिया गया है। शिक्षा का सर्वप्रमख कार्य समाज में आदर्श प्रस्तुत करना है। अध्यायक का आचारण एवं सद्व्यवहार छात्रों के प्रेरणास्रोत होते है।

आधुनिक विज्ञान का मूल्यों के संबंध में अपना अलग दृष्टिकोण है वैज्ञानिक अनुसंधान की आधुनिक परम्परा यह मानती है कि हमारी मूल्य प्रणाली या नैतिकता हमारी अवधारणा से प्रभावित होती है। इस प्रकार हम देखते है कि शिक्षकों को यह सौभाग्य प्राप्त है कि ये देश के भावी नागरिकों को परिष्कृत करने का कार्य करते है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय और उनमें ठोस वैचारिक परविर्तन लाया जाय। वैचारिक दृष्टिकोण के इस बदलाव से ही शिक्षकों में वह अदम्य उर्जा का संचार होगा जो भौतिक या आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से कभी पैदा नहीं किया जा सकता। शिक्षक के अपने अन्दर निहित उर्जास्रोत का प्रवाह विद्यार्थियों की ओर पूरी निष्ठा से करना होगा। शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण नहीं अपितु दिग्दर्शन भी है।

वर्तमान में गांधीवादी विचारधारा को अपनाना होगा उनके सदगी पूर्ण जीवन से प्रेरणा लेकर मितव्ययी जीवन शैली अपनाकर सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह एवं सर्वोदय दर्शन के द्वारा सम्पूर्ण मानवता का पोषक करना हम सभी का कार्य एवं कर्तव्य है। गांधी जी पर्यावरणीय मूल्यों के प्रति चैतन्य थे। व्यक्ति की जरूतों की आवश्यकता से अधिक विस्तार से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। पर्यावरण को क्षति पहुँचती है। वे विलासतापूर्ण जीवन शैली के के विरोधी थे एवं सादा जीवन एवं उच्च विचार के समर्थक थे। वे सादगी से परिपूर्ण एवं शाकाहारी जीवन व्यतीत करने कायल थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि शाकाहारी जीवन पर्यावरण के लिए मुश्किल नहीं खड़ा करेगा। इस प्रकार गांधी जी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध थे

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सिन्धी, नरेन्द्र कुमार एवं गोस्वामी वसुधाकर, समाजशास्त्र विवेचन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ,1996, पृ0 367.
2. कालेकर, काका साहब (1983), गांधी व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव सस्ता सहित्य मण्डल नई दिल्ली
3. रावत, हरिकृष्णः समाजशास्त्रीय चिन्तक एवं सिद्धान्तकार, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, 2005।
4. दत्त, धीरेन्द्र मोहन (1973) महात्मागंधी का दर्शन , बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकदमी पटना पेज– 22
5. रामश्रय राय (1986) कंटेम्पोरेरी क्राइसिम एण्ड गांधी, नई दिल्ली
6. यंग इण्डिया 1सितम्बर 1921
7. यंग इण्डिया 26 मार्च 1937

साहित्य साधना में गयापालों की भूमिका एवं प्रासंगिकता

*ज्योत्सना आनन्द**

भारत के सामाजिक परिवेश में यद्यपि नवजागरण, समाज सुधार, आत्मचेतना और आत्मगौरव की किरणों का प्रस्फुटन हुआ तथापि वर्णभेद, एकता के अभाव, सांप्रदायिक सद्भाव, असामयिक वैधव्य की समस्या बाल–विवाह, वृद्ध विवाह, बहु–विवाह, जातिभेद, नारी अविद्या, देशीय कला और उत्पादन का ह्रास, वेश्यावृत्ति, कपटी और चरित्रहीन साधुओं और पुलिस के आतंक, निःशुल्क श्रम, निर्धनता आदि की कालिमा भी धनीभूत थी। समाज में जड़ता थी।
गयापाल रचनाकारों की अवधि ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध ही है। प्रमुख पत्र–पत्रिकाओं के आधार पर गयापालों के सामाजिक परिवेश का अध्ययन अपेक्षित है।
हिंदी के भारतेन्दुकालीन समर्थ साहित्यकार हितसाधक के अतिरिक्त सा समाज सुधारक भी थे। मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्रो की जन–वाटिका में नवचेतना के सुंदर सुमनों का प्रस्फुटन इसी काल में हुआ। नूतन सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता बिहार के बुद्धिजीवियों में उद्भाषित हुई। आत्मनुशासन मूलक इस सामाजिक प्रतिबद्धता के बहुमुखी और बहुकल्प आयाम है। आधुनिक और अत्याधुनिक गया के नवजागरण का मूल उस भारतेंदुकालीन ज्योतिचक्र में ही निहित है। निःसंदेह उत्तर भारत विशेषतः गया जनपद में सामाजिक नवजागरण के ज्योतिचक्र का प्रवर्तन मुख्यतः भारतेन्दु काल में ही हुआ। समाज में प्रचलित रूढ़ियों, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को दूर करने का आंदोलन तत्कालीन समाज में प्रारंभ हो गया था।

भारतेन्दुकालीन समाज में एकता नहीं थी। फूटपरस्ती का बाज़ार गर्म था। तीन कनौजिया, तेरह चूल्हा की स्थिति थी। समाज में व्याप्त अविद्या का अंधकार इसके अनेक कारणों में से एक था। तत्कालीन युग से ही राष्ट्र की प्रगति और रष्ट्रकल्याण के निमित एकता का माहात्म्य स्वीकार किया जाना प्रारंभ हो गया था। तथाकथित उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, समृद्ध वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच शीत युद्ध की स्थिति थी। उनमें एक दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या और घृणा थी। जातिगत और वर्गगत संघर्ष की घटनाएँ यदा–कदा होती रहती थी। अतएव विद्याभास्कर की किरणों के अवतरण की अनिवार्यता पहली बार तत्कालीन युग में अनुभूत की गई। गयापालों में सामाजिक व्यवस्था के स्याह पक्ष को अपना विषय बताया।

गयापाल साहित्यकारों ने वैधव्य जीवन के दारूण्य का सफल वर्णन करते हुए विधवा विवाह की अनिवार्यता का ही प्रतिपादन किया। हिंदी के जागरूक साहित्यकार और नेता इस दिशा में सचेष्ट थे। गयापाल हिंदी साहित्य में विधवा–विवाह के प्रति जागरण के मुख्य चिह्न है। विधवा–विवाह के पक्ष–विपक्ष में तत्कालीन वृद्धिजीवियों और रूढ़िवादियों एवं सनातनधर्मियों में पारस्परिक तनाव की स्थिति थी। गयापाल समाज में विधवा–विवाह के विपक्ष में भी कम नहीं कहा लिया गया।

गयापाल समाज में बाल्य–विवाह के अतिरिक्त वृद्ध विवाह और बहुविवाह की प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। बिहार के सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु के 27 सितम्बर (वृहस्पतिवार), 1883 ई० (जिल्द 11 नवम्बर 30) और 4 अक्टूबर (वृहस्पतिवार), 1883 ई० (जिल्द 11 नवम्बर 40) में चिट्ठी पत्रों स्तभों में प्रकाशित 'जम्मन और शामा' नामक रूपक में वृद्ध विवाह के दुष्परिणामों का यथार्थ चित्रण किया गया है। मदन मोहन सरोज, गोपाल लाल सिजुआर, नारायण लाल कटरियार, सदानंद गुर्दा, बिहार लाल 'छैल', मोहन महतो 'वियोगी', विष्णुलाल बारीक सरीखे रचनाकारों ने हिंदी, बृजभाषा, मगही आदि में सृजनधर्मित्ता के आधार पर साहित्य को समृद्ध किया। ये रचनाकार गद्य एवं पद्य की विविध–विधाओं में सृजनरत रहे हैं।

***शोधार्थी ज्योत्सना आनन्द मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

गयापाल की साहित्य साधना की प्रासंगिकता आज के युग में है, क्योंकि इनकी रचनाओं से गयापाल की संस्कृति आदि की झलक मिलती है साथ ही तत्कालीन इतिहास की जानकारी भी। वे मूलतः रामभक्त थे, रामचरित के श्रेष्ठ गायक थी। उनका महत्त्वपूर्ण संपूर्ण काव्य राममय है। यद्यपि गयावासी भागवत के माध्यम से उन्होंने आनंदकंद श्रीकृष्ण की गाथा गाई है तथापि वह उत्कृष्ट और श्रेष्ठ काव्य के अंतर्गत परिगणित नहीं किया जा सकता।

पंडित चतुर्भुज मिश्र कृत 'आल्हारामायण' सात कांडो में है– 926 पृष्ठो का वृद्ध महाकाव्य। प्रारंभ में 'आल्हारामायण' के विभिन्न कांडो का क्रमिक प्रकाशन पृथक–पृथक हुआ। प्रत्येक कांड एक स्वतंत्र पुस्तक। सन् 1890 ई० में 'आल्हारामायण' सुंदर–कांड तक का प्रकाशन हुआ। सन् 1891 ई० में इसका लंका कांड, सन् 1894 ई० में किष्किंधाकांड और उत्तरकांड प्रकाशित हुए। सन् 1895 ई० में इसके सातों कांडो का पुस्तकाकार सम्मिलित वृहद् प्रकाशन हुआ।[2]

आल्हाछंद में विरचित 'आल्हारामायण' रामायण की परंपरा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। वीरछंद आल्हा में सर्वप्रथम पंडित चतुर्भुज मिश्र ने ही रामायण की रचना की। पंडित चतुर्भुज मिश्र पूर्व रामायणों में आल्हांछद का प्रयोग नहीं हुआ था। बखा, दोहे, कवित, चौपाइयों आदि में ही रामायण आबद्ध था। उन्होंने आल्हा छंद में रामकथा के भक्तयात्मक महाकाव्य की सफल रचना कर रामायण की प्राचीन परंपरा में विलक्षण नवीनता का सूत्रपात किया। पंडित चतुर्भुज मिश्र के शब्दों में।[3]

यह रामायण की आल्हा है, रघुनंदन यश परम उदार।।

पंडित कान्हूलाल गुर्दा (ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी, रविवार, विक्रम संवत् 1924–25 मार्गशीर्ष, विक्रम संवत् 1981) गयापाल कृत "श्री मदान्दसार रामायण" और "श्री आनंद सार रामायण रामायण–लेखन की परंपरा में विशेष उल्लेख है। गुर्दा जी का उपनाम 'कान्ह कवि' था।" श्री मदानन्दसार रामायण और श्री आनंद सार रामायण' के अतिरिक्त गुरदा जी द्वारा रचित पुस्तकों के नाम इस प्रकार है– 1. वृहद गया माहात्मय 2. गयापाल शिशु शिक्षक 3. श्री विश्व मोहिनी का संगीत मकरंद (प्रथम भाग) 4. नीति धर्म मणि माल 5. हास्य पंचरत्न (संतोपदेश छयालसी, बुड़बली पचासा, हित मनोरंजन, वृद्धाष्टक शीर्षक चार लंबी कविताओं के अतिरिक्त कलि माहात्म्य नामक एकांकी का संग्रह है।

कविवर पंडित कान्हूलाल गुर्दा कृत 'श्रीमदानन्दसार रामायण' और श्री 'आनन्दसार रामायण' एक विशिष्ट कोटि का महाकाव्य है। यह वस्तुतः दो खंडो का रामायण है दो स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में प्रकाशित। किंतु एक ही ग्रंथ के ये दो भाग है– पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध। 'श्री मदानन्दसार रामायण' और 'श्री आनन्दसार रामायण क्रमशः बाल्मीकिय आनंद रामायणनुकूल आदि कांड और जन्म कांड है।[4]

इस शैली–निरूपण के अनुसार पंडित रामलाल भैया कृत 'विदुष विहार' द्वितीय शैली की कृति है। यह नायिका भेद विषयक लक्षणग्रंथ है। इस पर केशवदास की 'रसिक प्रिया' का प्रभाव है। इसमें कवि की सौंदर्य–भावना का निरूपण हुआ है।

रीतियुक्त ब्रजभाषा काव्य–ग्रंथ 'विदुष–विहार' में भावमूर्ति विद्यायिनी कल्पना, वाग्विदग्धता और शृंगारी उद्दीपन की प्रचुरता है।[5]

हिंदी साहित्य को गयापाल कवियों की देन उल्लेखनीय है। गयापाल कवि परंपरा में रामलाल भैया का शीर्ष स्थान है। इस काव्य पंरपरा में रामलाल भईया, कान्हूलाल गुर्दा, मुन्नूलाल खड़खौका, पन्नलाल भैया 'छैल', आदि प्रमुख है। इस ओर विद्वानों का ध्यान अब तक नहीं गया।

हस्तलिखित नायक नायिका का लक्षण ग्रंथ 'विदुष विहार' का रचनाकाल कवि रामलाल भैया के अनुसार यह है–

सम्वत श्रुति रसनिधि शशि हि, उज्ज्वल पक्ष कुअर।
बिजैदशहरा सोम दिन, उद्भव विदुष विहार।।
'विदुष विहार' सर्वथा अज्ञात एवं अधावधि प्रकाशित ग्रंथ है। इसके उदाहरण दिए जाते रहे हैं।
दोहा –

मोहिन नेक बुझात है, लखि अंखियन की बात।
द्वैक चार ही दिना सो, कानन लों बढ़ि जाता।।
अथ ज्ञात लक्षणा।। बरबै।।
जोबन आगम जाहिर, द्वै जिहि अंग।
ज्ञात जोवेवना बरनत, कबिर सरंग।।[6]

इसी दिशा में पं० मोहन लाल महतो वियोगी जी एक कवि, गद्यकार समेत व्यंग्यकार भी थे। जो अपने रचनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न स्थितियों पर अपनी राय व्यक्त करते थे। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की वारूण–दशा का व्यापक चित्र मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ एकतास, निर्माल्य, कल्पना और आर्यावर्त सलिला, वंदनवाद, भूखी धरती आदि है। ये अपने व्यंग्य चित्रों पर एक कवित्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखते थे जो तत्कालीन समाज की व्यथा–कथा को उकेरती थी।

गयापाल साहित्यकारों ने तत्कालीन समाज की विभीषिकाओं, आम व्यक्ति की व्यथा धर्म की स्थिति राजनीतिक और सामाजिक क्रिया–कलापों पर प्रहार करके समाज को एक नई दशा और दिशा देने कार्य किया था। कमोवेश हिंदी साहित्य भी इनके अवदान का ऋणी है।

संदर्भ

1. बिहार बंधु, 1883 ई०, साप्ताहिक पत्र चिट्ठी स्तंभों में प्रकाशित।
2. नौआगढ़ी, पं० चतुर्भुज मिश्र द्वारा मुद्रित प्रकाशित
3. खड्गविलास प्रेस, बांकीपुर, पटना, 1894 ई०
4. धरोहर मगध के डॉ० राकेश कुमार सिन्हा 'रवि' विष्णुपद प्रकाशन, देवघाट, गया, पं० अमरनाथ बौधिया, विष्णुपद, प्रकाशन देवघाट, गया।
5. वृहद् गया माहात्मय, पृ०–128, वर्ष–1915
6. विदुष विहार, अप्रकाशित।

अनुसूचित एवं पिछड़े जाति पर शैक्षिक अधिप्राप्ति प्रेरणा का प्रभाव

डॉ0 जयप्रकाश राम*

सार :
यह अध्ययन 150छात्र समूह जिनमें 75 अनुसूचित एवं 75 पिछड़े जाति के छात्रों पर किया गया। शोध का उद्देश्य अधिप्राप्ति प्रेरणा का विभिन्न जातीय समूह काशैक्षिकप्रेरणा पर प्रभाव देखना था। इसके लिए वर्तमान शोधकर्ता द्वारा सरकारी विद्यालय ओबरा , दाउदनगर, एवं औरंगाबाद जिला के विभिन्न उच्च विद्यालयों पु० छात्रों का चयन अनुषांगिक उद्देश्यपूर्ण किये गये थे। शोध की परिकल्पनायें बनाई गई जिसका मूल उद्देश अनुसूचित जाति एवं पिछड़े जाती के विद्या र्थी समूह अधिप्राप्ति प्रेरणा का शैक्षिकप्रेरणाके प्राप्तांक के समानुपात एवं माध्य में अंतर पाया गया।शोध विश्लेषण हेतु व्यक्तिक सूची व वाक्यपूर्ति परीक्षण (SCT) मुखर्जी (1965) द्वारा अधिप्राप्ति प्रेरणा को मापने हेतु प्रयोग में लाया गया, जिसे विभिन्न जाति समूह के छात्रों के लिए प्राप्तांक पर माध्य और मानक विचलन एवं समानुपात मूल्य प्राप्त किया गया। परिणाम परिकल्पना को सार्थक करता है।
कुंजिका: *अधिप्राप्ति प्रेरणा, जाति, वर्ग, वाक्यपूर्ति परीक्षण, एवं विद्यालय व छात्र इत्यादि।*

बिना किसी प्रेरणा से प्रेरित हुआ व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता। अभिप्रेरणा एक ध्यानकर्षण एवं प्रलोभन की कला है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अर्थात मानव व्यवहार कुछ प्रेरकों द्वारा निर्मित प्रदर्शन एवं रूपांतरित होता है। अधिगम की आवश्यकता एक अंग है इसके द्वारा किसी क्रिया को सीखने के द्वारा किसी क्रिया को सीखने के लिए बालकों में उत्पन्न किया जाता है। ये क्रियाए आंतरिक एवं बाह्य दोनों हो सकता है। इस संदर्भ में ड्रेवरमहोदय का कहना है कि "अभिप्रेरणा भावात्मक, क्रियात्मक कारकहै, जो चेतना अथवा अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम अथवा लक्ष्य की ओर व्यक्ति के परिवार की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है।" डी०एस०यादव महोदय अनुसार "मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजना से होता है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। " मनोवैज्ञानिक अर्थ में उत्तेजना को कोई महत्व नहीं किया जाता।

छात्रों के शैक्षिक अभिप्रेरणा में सबसे अधिक प्रभाव परिवारिक वातावरण एवं माता -पिता के साथ उनके सामाजिक आर्थिक स्तर का सार्थक प्रभाव है , जिसके द्वारा परिवार का शैक्षिकअभिप्रेरणा पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ला ० जी०एम० (2010) में अध्ययन में इंगित किया कि छात्रों के गृह वातावरण , मा ता-पिता का व्यवसाय,माता-पिता के शैक्षिक योग्यता , परिवार का आकार, एवं माता द्वारा धर्म शिक्षा के लिए छूट का शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसंबंध पाया गया। चौहान एवं खान (2010) अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावक समर्थन की ग्रह, वर्ग, एवं शैक्षिक क्रियाकलाप का सार्थक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त आलथाफ़ लिंडे एंड मासन (2007) के अध्ययन द्वारा पाया गया कि जिनका शैक्षिक का वातावरण अच्छा एवं अध्यापकों का छात्र के प्रति दृष्टिकोण अच्छा था, उस कक्षा में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा अन्य कक्षाओं के छात्रों की अपेक्षा अधिक थी। अतः वर्तमान दृष्टि में शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा छात्रों की शारीरिक , मानसिक, व्यक्तित्व, संवेगात्मक, तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।त्रिपाठी कुमुद (2001)नेम माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अधिप्राप्ति प्रेरणा का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन कर लिंग तथा प्रवेश का प्रभाव पर अपना शोध कार्य किया।नर्मदा (2006)ने अपने अध्ययन में पाया कि पूज्यनीय उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य की भिन्नता शैक्षिक उपलब्धि और आकांक्षा अवसर पर गहरा प्रभाव गहरा प्रभाव डालती है।सिन्हा व रश्मि (2010) उच्च माध्यमिक विद्यालयों के के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध किया।

* पी०एच०डी० (मनोविज्ञान) चपरा, नारायणपुर, ओबरा, औरंगाबाद (बिहार)

अधिप्राप्ति प्रेरणा वर्तमान शोध परियोजना मनोविज्ञान में सरकारी उच्च विद्यालय ओबरा , दाउदनगर , औरंगाबाद बिहार के छात्रों में निष्पादित अभीप्रेरक का संबंध अनुसूचित पिछड़ा जाति के यौन तथा जाति तथा जाति के साथ देखना है। इस अध्ययन देखना है इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति छात्र समूह का शैक्षिक अधिप्राप्ति प्रेरणा के मध्य, प्राप्तांक, मानक, एवं विचलन में सार्थक अंतर पाया गया।

उद्देश्य:

1 अनुसूचित जाति छात्र समूह में पिछड़ी जाति छात्र समूह में शैक्षिक अधिप्राप्ति प्रेरणा परशैक्षिकप्रेरणाका तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना: अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति उच्च विद्यालय छात्रों के शैक्षिक अधिप्राप्ति प्रेरणा में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

न्यायदर्श शोध :उच्च विद्यालय ओबरा, दाउदनगर, व औरंगाबाद के विभिन्न विद्यालयों केन्यायदर्श -150छात्रों का चयनअनुषांगिक उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श के रूप लिया गया है।जिसमे अनुसूचित जाति-75 एवं पिछड़ी जाति-75 उच्च विद्यालय छात्रों में बराबर संख्या बांटी गई।

1. व्यक्तिगत अनुसूची : समूह छात्र में उनके व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे ; आयु , शिक्षा , कार्य क्षेत्र का अनुभव,अनुभूति काअनुभव, अनुभूति क्षेत्र का अनुभव, अनुभूति समस्याएं, वैवाहिक स्थिति, एवं पिता का पेशा इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन सूची का का निर्माण कर प्रयोग किया गया।

2. वाक्य पूर्ति परीक्षण (SCT): इस अध्ययन में छात्रों की अधिप्राप्ति प्रेरणा का मापन हेतु प्रश्न वाली वाली विधि का प्रयोग किया गया, जिसे मुखर्जी (1965) द्वारा दीक्षित वाक्य पूर्ति परीक्षण (SCT) का प्रयोग किया गया। यह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें 50 अधूरे कथन है जिन की पूर्ति दिए गए तीन विकल्प कथनों से किया जा सकता है।

परिणाम :

वर्तमान अध्ययन अनुसूचित जातिएवं पिछड़ी जाति के प्रयोगों में शैक्षिकप्रेरणाअधिप्राप्ति प्रेरणा में पर सार्थकता अंतर को जांचने हेतु प्रयोग में लाकर तुलनात्मक अध्यन किया गया । *उपकरण के रूप में प्रयुक्त सभीपरीक्षण या मापनी नियम मानकीकृत है । शोध निष्कर्ष को प्राप्ति हेतु सांख्यिकी गणना तथा विश्लेषण तथा सर्वेक्षण की सहायता ली गई जिसे tद्वारा प्रक्षेपित किया गया ।* परिकल्पना को जांचने हेतु अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र समूह में शैक्षिक अधिप्राप्ति प्रेरणा के लाभांश पर सार्थक रूप से अंतर करते हैं। दोनों समूहों के शैक्षिकप्रेरणा परअधिप्राप्ति प्रेरणा के प्राप्तांक के बीच समानुपात मूल्य निकाला गया।

सारणी-1

वर्ग t मूल्य प्राप्तांक के बीच समानुपात अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की छात्र समूह के बीच शैक्षिकप्रेरणा परअधिप्राप्ति प्रेरणा प्राप्तांक के स्तर के संबंध

समूह	N	माध्यमान	मानक विचलन	t	सार्थकता का अंतर
अनुसूचित जाति	75	18.15	4.83	2.208	p<0.05
पिछड़ा जाति	75	19.78	4.19		

सारणी-1 में; देखने से पता चलता है , कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति समूहों की शैक्षिकप्रेरणा परअधिप्राप्ति प्रेरणा प्राप्तांक का (t=2.208, df=148, p<0.01)है। पिछड़ी जाति समूहोंका माध्य -19.78 तथा अनुसूचित जाति समूहोंका माध्य-18.15 है। अतः दोनों समूह के शैक्षिकप्रेरणा परअधिप्राप्ति प्रेरणा पर सार्थकता प्राप्त पर अंतर दर्शाते हैं।सन्दर्भ परिणाम पिछड़ी जाति समूहको शैक्षिकप्रेरणा पर अधिप्राप्ति प्रेरणा अधिक है। प्राप्त परिणाम पूर्व परिकल्पना को प्रमाणित करता है।

सारांश:

यह अध्ययन उच्च विद्यालय के 150अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति पर किया गया जिसकी पूर्व परिकल्पना मैं दोनों समूहों के बीच सार्थकता को जांचना था जोकि अधिप्राप्ति प्रेरणा पर तुलनात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त किया गया यह शोध बताता है कि वर्तमान स्थिति अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग जाति के छात्रों

की अधिप्राप्ति प्रेरणा पर कितना प्रभाव पड़ा है यह शोध यह भी स्पष्ट करता है कि यह भी स्पष्ट करता है कि करता है कि वर्तमान समय में अधिप्राप्ति प्रेरणा पिछड़े जाति के अपेक्षा अनुसूचित जाति पर कम आंका गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि अभी भी अनुसूचित जाति के शिक्षा स्वास्थ्य व्यवसाय एवं शैक्षिक गुणों में अधिप्राप्ति की अपेक्षा अत्यधिक है अतः यह शोध प्रमाणित करता है कि अधिप्राप्ति प्रेरणा को दोनों समूह छात्रों में वृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे कि वह समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बन कर प्रकट हो।

निष्कर्ष:

शैक्षिक अधिप्राप्ति प्रेरण के मध्य सार्थक से से संबंध होता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि अधिप्राप्ति प्रेरणा स्तर को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। जब छात्रों की सेक्सी अभिप्रेरणा उच्च स्तर की होती है , तो उनकी शैक्षिक अधिप्राप्ति प्राप्त करने में सहायक होती है। माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक, और संबंधित जुड़े व्यक्तिसे अपेक्षा की जाती है , की वे छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता करें तथा छात्रों को इस प्रकार प्रेरित करें कि वे विद्यालय एवं आसपास के वातावरण के साथ उपयुक्त समायोजित करते हुए उच्च शैक्षिक अधिप्राप्ति को प्राप्त कर सकें। शैक्षिक अधिप्राप्ति प्रेरणा द्वारा छात्रों को समायोजीत एवं असमानता और निम्न शैक्षिक अधिप्राप्ति की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है , तथा शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोध की समस्या को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।इस संदर्भ में प्रत्येक सुझाव को अंकित करते हुए मेरा यह मानना है कि शैक्षिक उपलब्धि पर अधिप्राप्ति प्रेरणा बढ़ाने में सहायक है, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति की विभिन्न शैक्षिक समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची:

- त्रिपाठी कुमुद 2004 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की उपलब्धि प्रेरणा का शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव का एक अध्ययन भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका वर्क 10 अंक-11.
- राथ के बी और सक्सेना आर आर(1995): A comparative study of the self-concept and personality factors of Schedule Caste and Non-scheduled castes, Independent study, NCERT, 5th survey of educational research Vol- p. 567.
- Rautray P. K.(1992),Self instructional training of Schedule Caste children A component analysis fifth survey of educational research volume-1 NCERT p. 575.

Mathematical Analysis of Unsteady Flow of Heat Transfer in Horizontal Composite Porous Medium channel

Dr. Kamlesh Kumar Yadav*

We consider a two dimensional fluid flow in a horizontal channel when the suction velocity varies periodically with time about a non-zero constant mean $v_{0.}$ The region – h < y < 0 (Region - I) is filled with porous matrix and the region 0 < y < h (Region - II) is occupied by clear fluid. The two walls of the channel are heald at constant different temperature T_{w_1} and T_{w_2} $with$ $T_{w_1} > T_{w_2}$ and that plated are placed horizontally. The porous medium is considered to be homogenous and isotropic. The fluid within the porous medium saturated the solid matrix and both are in local thermodynamic equilibrium. The flow in both the regions is assumed to be unsteady, fully developed, laminar and incompressible. The thermo-physical properties of the fluid and effective properties of the porous medium are assumed constant. Further the flow in both regions is assumed to be driven by a common pressure gradient $\left(-\frac{\partial p}{\partial x}\right)$ and temperature gradient $\Delta T = T_{w_1} - T_{w_2}$.

The complete system of momentum and energy equations are given by Region – I (porous medium region):

$$p_0 \left(\frac{\partial q_1}{\partial t} + q_1 \nabla q_1\right) = -\nabla P - \frac{\mu}{s} q_1 + \mu_{eff} \nabla^2 q_1 \qquad (1.1)$$

$$p_0 C_p \left(\frac{\partial T_1}{\partial t} + q_1 \nabla T_1\right) = K_{eff} \nabla^2 T_1 + \frac{\mu_{eff}}{s} q_1 q_2 + \Phi_1 \qquad (1.2)$$

Region – II (porous medium region):

$$p_0 \left(\frac{\partial q_2}{\partial t} + q_2 \nabla q_2\right) = -\nabla P - \mu \nabla^2 q_2 \qquad (1.3)$$

$$p_0 C_p \left(\frac{\partial T_2}{\partial t} + q_2 \nabla T_2\right) = K \nabla^2 T_2 + \Phi_2 \qquad (1.4)$$

Where Φ_1 and Φ_2 are the viscous dissipation terms and second term in equation (1.2) is the Darcy dissipation.

The conservation equations for porous region are based on a Darcian model incorporating the viscous and Darcy dissipation terms in the energy equation. For moderate values of the velocities and viscosities of the fluids, the dissipation terms are important and therefore included in the energy equations. The physical configuration considered in this study in shown in Figure – 1.1.

***Assistant Professor, Mathematics Department, Mohd Hasan P.G. College, Jaunpur**

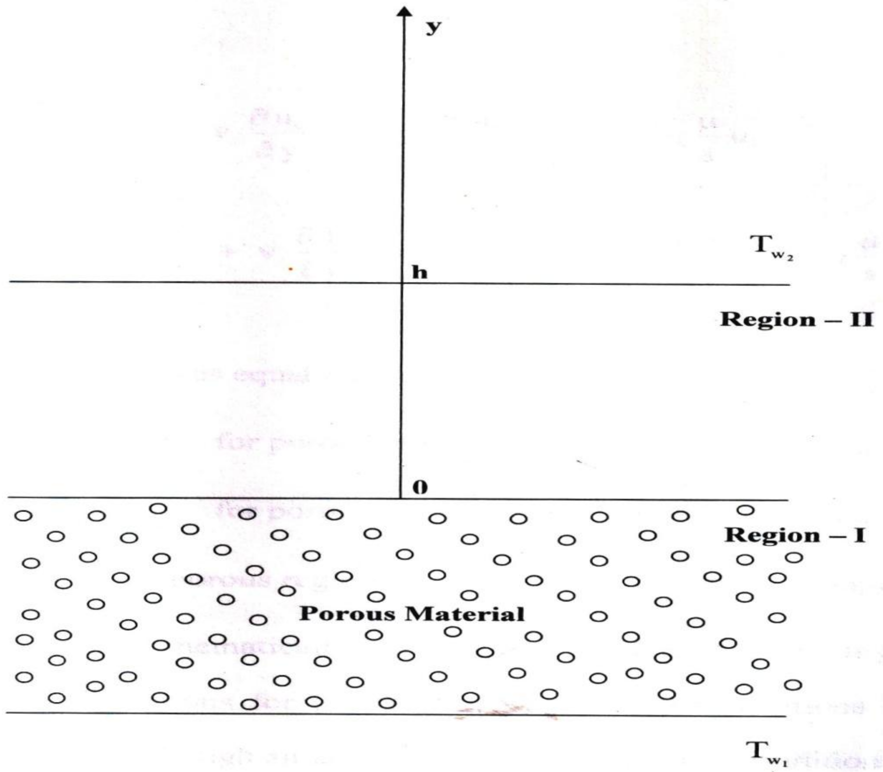

FIGURE – 1.1 : PHYSICAL CONFIGURATION

With the assumptions mentioned above, the governing equations continuity, motion and energy reduced to

$$\frac{\partial V_1}{\partial y} = 0, \quad (1.5)$$

$$p_0 \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + V_i \frac{\partial u_i}{\partial y}\right) = x_\mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial y^2} - \frac{\partial p}{\partial x} - x\frac{\mu}{S} u_i, \quad (1.6)$$

$$p_0 C_p \left(\frac{\partial T_i}{\partial t} + V_i \frac{\partial T_i}{\partial y}\right) = x_k \frac{\partial^2 T_i}{\partial y^2} + x_\mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial y}\right)^2 x\frac{\mu}{S} u_i^2, \quad (1.7)$$

Where i = 1,2 gives equations for Regions – I and II, respectively
and $x_\mu = \mu_{eff}$ for porous region = μ for clear fluid region
$x_k = K_{eff}$ for porous region = K for clear fluid region
$X = 1$ for porous region = 0 for clear fluid region.

Mathematically, the problem involves the coupling of the governing equations for the fluid region with the equations for the porous region through an appropriate set of matching conditions at the fluid/ porous medium interface. We assumed the continuity of velocity, shear stress and temperature and heat flux at the interface. The boundary conditions on velocity are the no-

slip boundary conditions, which required that the x-component of velocity must vanish at the wall. The boundary conditions on temperature are isothermal conditions.

The appropriate boundary and matching conditions for the problem under consideration can written as

$$u_1\,(-h) = 0, \qquad u_2\,(h)\,0\,; \qquad u_1\,(0) = u_2\,(0) \quad (1.8)$$

$$\mu_{eff}\,\frac{\partial u_1}{\partial\, y} = \mu\,\frac{\partial\, u_2}{\partial\, y} \qquad at\;\; y = 0$$

$$T_1\,(-h) = T_{w_1}, \quad T_2\,(h) = T_{w_2}\,; \qquad T_1\,(0) = T_2\,(0) \quad (1.9)$$

$$K_{eff}\,\frac{\partial\, T_1}{\partial\, y} = K\,\frac{\partial\, T_2}{\partial\, y} \qquad at\;\; y = 0.$$

The continuity equations of both fluids equation (1.5) imply that v_1 and v_2 are independent of y, they can be utmost a function of time alone, Hence, we can write (assuming $v_1 = v_2 = v$)

$$v = v0\,(1 + \varepsilon\, Ae^{i\omega t}) \quad (1.10)$$

Where A is real positive constant, ω is frequency parameter and ε is small such that $\varepsilon\, A \leq 1$. Here, it is assumed that the transpiration velocity varies periodically with time about a non-zero constant mean $v_0. When\;\; \varepsilon A = 0$, the case of constant transpiration velocity is recovered. By use of the following non- dimensional quantities

$$u_i = U_o\, u_1{}^*, y = \frac{v}{v_0}\, y^*, t = \frac{v}{v_0{}^2}\, t^*, v = v_0\, v_0{}^*,\; \sigma^2 = \frac{v^2}{S\, v_0{}^2}$$

$$P = \frac{v^2}{\mu\, V_0^2\, U_0}\left(-\frac{\partial\, p}{\partial\, x}\right), \theta = \frac{T - T_{w_2}}{T_{w_1} - T_{w_2}}, Ec = \frac{U_0^2}{C_p\,\Delta\, T}. \quad (1.11)$$

Equations (1.6) and (1.7) are placed in dimensionless form as (dropping asterisks),

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + v\,\frac{\partial u_i}{\partial t} = A_i\,\frac{\partial^2\, u_1}{\partial\, y^2} - x\,\sigma^2\, u_i + P \quad (1.12)$$

$$F\,\frac{\partial\,\theta_i}{\partial^t} + v\,\frac{\partial\,\theta_i}{\partial y} = B_i\,\frac{\partial^2\,\theta_i}{\partial\, y^2} + A_i\, Ec\left(\frac{\partial u_i}{\partial y}\right)^2 + x\,\sigma^2\, Ec\, u\, u_1{}^2 \quad (1.13)$$

Where i = 1, 2 give equations for Region – I and II

$A_1 = m$, $A_2 = 1$; $B_1 = k/Pr$, $B_2 = 1/Pr$; $Pr = pv\, C_p/K\; and\; m = \mu_{eff}\,/\mu$ is the ratio of viscosities and $k = K_{eff}\,/K$ is the ratio of thermal conductivities.

The hydrodynamic and thermal boundary and interface conditions for both regions in non-dimensional form become

$$u_1\,(-1) = 0, \qquad u_2\,(1)\,0\,; \qquad u_1\,(0) = u_2\,(0) \quad (1.14)$$

$$m\ \frac{\partial u_1}{\partial\ y} = \ \mu\ \frac{\partial\ u_2}{\partial\ y} \qquad at\ \ y = 0$$

$$\theta_1\ (-1) = 1, \qquad \theta_2\ (1)\ 0\ ; \qquad \theta_1\ (0) = \theta_2\ (0)\ (1.15)$$

$$k\ \frac{\partial \theta_1}{\partial\ y} = \ \mu\ \frac{\partial\ \theta_2}{\partial\ y} \qquad at\ \ y = 0$$

Closed – Form Solution-

Equations (1.12) and (1.13) are coupled partial differential equations and hence finding exact solution is out of scope. However, they can be reduced to a set of ordinary differential equations that can be solved analytically. This is done by assuming

$$u_i\ (y,\ t) = \ u_{i0}\ \ (y) + \ \varepsilon\, e^{i\omega t}\ \ u_{i1}\ (y) + O\ (\varepsilon^2) + \ \ldots\ldots\ldots\ (1.16)$$

$$\theta_i\ (y,\ t) = \ \theta_{i0}\ \ (y) + \ \varepsilon\, e^{i\omega t}\ \ \theta_{i1}\ (y) + O\ (\varepsilon^2) + \ \ldots\ldots\ldots\ (1.17)$$

For i = 1, 2.

This is a valid assumption because of the choice of v as defined in equation (1.10) that the amplitude ε A < < 1.

Considering the real part of $e^{i\omega t}$ equations (1.16) and (1.17) becomes

$$u_i\ (y,\ t) = \ u_{i0}\ \ (y) + \ \varepsilon\ cos\omega t\ \ u_{i1}\ (y) + \ \ldots\ldots\ldots\ (1.18)$$

$$\theta_i\ (y,\ t) = \ \theta_{i0}\ \ (y) + \ \varepsilon\ cos\omega t\ \theta_{i1}\ (y) + \ \ldots\ldots\ldots\ (1.19)$$

Bu substituting equations (1.18) and (1.19) into equations (1.12) and (1.13), equating the harmonic and non-harmonic terms and

neglecting the higher order terms of O(ε^2), one obtains the following pairs of equations for ($u_{i0}\ \theta_{i0}$) and ($u_{i1}\ \theta_{i1}$).

Non- Periodic Coefficients O(ε^0) -

$$A_i\ \frac{d^2\, u_{i0}}{dy^2} - \ \frac{du_{i0}}{dy} + \ x\, \sigma^2\, u_{i0} = \ -P\ \ (1.20)$$

$$B_i\ \frac{d^2\, \theta_{i0}}{dy^2} - \ \frac{d\theta_{i0}}{dy} + \ A_i\, Ec\ \left(\frac{du_{i0}}{dy}\right)^2 - x\, \sigma^2\ Ec{u_{10}}^2\ (1.21)$$

Periodic Coefficient O(ε^1) -

$$A_i\ \frac{d^2\, u_{i1}}{dy^2} - \ \frac{du_{i1}}{dy} + \ (\omega \tan \omega t - x\, \sigma^2)\, u_{i0} = \ A\ \frac{d\, u_{i0}}{dy}\ 9(1.22)$$

$$B_i\ \frac{d^2\, \theta_{i1}}{dy^2} - \ \frac{d\theta_{i1}}{dy} + \ \ \omega \tan \omega t\, \theta_{i1} \ = \ A\ \frac{du_{i0}}{dy}\ \ (1.23)$$

$$-\,2E\ cAi\,\frac{du_{i0}}{dy}\,\frac{du_{i1}}{dy} - \ 2\,x\,\sigma^2\ Ecu_{i0}\,u_{i1}\ \ for\ i = 1, 2\ .$$

The corresponding boundary and interface conditions can be written as

$u_{1i}\,(-1) = 0,\quad u_{2i}\,(1) = 0,\qquad u_{1i}\,(0) = u_{2i}\,(0)$ (1.24)

$$m\,\frac{\partial u_{1i}}{\partial\, y} = \mu\,\frac{\partial\, u_{2i}}{\partial\, y}\qquad at\;\; y = 0$$

$\theta_{1i}\,(-1) = 1 - \quad \delta_{1i}\,,\ \theta_{2i}\,(1)\,0,\quad \theta_{1i}\,(0) = \theta_{2i}\,(0)$ (1.25)

$$k\,\frac{\partial \theta_{1i}}{\partial\, y} = \mu\,\frac{\partial\, \theta_{2i}}{\partial\, y}\qquad at\;\; y = 0$$

Where i = 0, 1 give the boundary and interface conditions for non periodic (O $(\varepsilon^0) and\ periodic\ (O\ (\varepsilon^1))$) coefficients respectively and $\delta_{1i}\ is$ Kronecker delta.

Solution of non-periodic (harmonic) terms leads to steady flow solutions which are given by

$u_{10} = C_1\,e^{m1y} + C_2\,e^{m2y} + \frac{P}{\sigma^2}$ (1.26)

$u_{20} = C_3 + C_4\,e^{y} + Py$ (1.27)

$\theta_{10} = C_5 + C_6\,e^{m4y} + k_8 y + k_{10}\,e^{m1y} + k_{11}\,e^{m2y}$

$+\ k_{12}\,e^{2m1y} + k_{13}\,e^{2m2y} + k_{14}\,e^{m5y}$ (1.28)

$\theta_{20} = C_7 + C_8\,e^{Pry} + k_{15}e^{2y} + k_{16}\,e^{y} + k_{17}\,y$ (1.29)

Solution of periodic (non-harmonic) terms in both regions of the channel takes on different forms depending on the value of 4ω tan ωt for both velocity and temperature.

The forms can be shown as

Case – I (Region – I) –

$u_{11} = C_9\,e^{m6y} + C_{10}e^{m7y} + K_{18}\,e^{m1y} + K_{19}\,e^{m2y}$ (1.30)

for 4m (ω tan $\omega t - \sigma^2$) < 1

$\theta_{11} = C_{13}\,e^{m10y} + C_{14}\,e^{m11y} + K_{48}\,e^{2m1y} + K_{49}\,e^{2m2y} + K_{50}\,e^{m1y}$

$+\,K_{51}\,e^{m2y} + K_{23}\,e^{m4y} + K_{52}\,e^{m5y} + K_{46}\,e^{m6y} + K_{47}\,e^{m7y}$

$+\,K_{53}\,e^{m12y} + K_{54}\,e^{m13y} + K_{55}\,e^{m14y} + K_{56}\,e^{m15y} + K_{24}$ (1.31)

for 4kω tan ωt < Pr

Case – I (Region – II) –

$u_{21} = C_{11}\,e^{m8y} + C_{12}\,e^{m9y} + K_{21}\,e^{m1y} + K_{22}$ (1.32)

for 4kω tan ωt < 1

$$\theta_{21} = C_{15}\, e^{m16y} + C_{16}\, e^{m17y} + K_{57}\, e^{pry} + K_{60} + K_{61}\, e^{m18y}$$

$$+ K_{62}\, e^{m19y} + K_{64}\, e^{m8y} + K_{65}\, e^{m9y} + K_{67}\, e^{2y} + K_{68}\, e^{y} \qquad (1.33)$$

for 4ω tan ωt < Pr

Case – II (Region – I) –

$$u_{11} = (D_1 + D_2\, y)\, e^{n1y} + K_{18}\, e^{m1y} + K_{18}\, e^{m2y} \qquad (1.\ 34)$$

for 4m ($\omega \tan \omega t - \sigma^2$) = 1

$$\theta_{11} = (D_5 + D_6\, y)\, e^{n3y} + P_{27}\, e^{2m1y} + P_{28}\, e^{2m2y} + P_{29}\, e^{m1y}$$

$$+ P_{30}\, e^{m2y} + P_{31}\, e^{m5y} + K_{23}\, e^{m4y} + P_{16}\, e^{n1y} + P_{32}\, e^{n3y}$$

$$+ P_{33}\, e^{n4y} + P_{20}\, y\, e^{n1y} + P_{34}\, y\, e^{n3y} + P_{35}\, y\, e^{n4y} + K_{24} \qquad (1.35)$$

for 4k ω tan ωt = Pr

Case – II (Region – II) –

$$u_{21} = (D_3 + D_4\, y)\, e^{n2y} + K_{21}\, e^{y} + K_{22} \qquad (1.36)$$

for 4 ω tan ωt = Pr

$$\theta_{21} = (D_7 + D_8\, y)\, e^{n6y} + K_{57}\, e^{pry} + K_{60} + (P_{37} + P_{38}\, y)\ e^{n7y}$$

$$(P_{40} + P_{41}\, y)\, e^{n2y} + P_{44}\, e^{2y} + P_{45}\, e^{y} \ (1.37)$$

for 4k ω tan ωt = Pr

Case – III (Region – I) –

$$u_{11} = e^{\alpha 1y}\, (e_1 \cos\beta_1\, y + e_2 \sin\beta_1\, y) + k_{18}\, e^{m1y} + k_{19}\, e^{m2y} \qquad (1.38)$$

for 4m ($\omega \tan \omega t - \sigma^2$) > 1

$$\theta_{11} = e^{\alpha 3y}\, (e_5 \cos\beta_3\, y + e_6 \sin\beta_3\, y)$$

$$+ e^{n8y}\, (R_{28} \cos\beta_1\, y - R_{29} \sin\beta_1\, y)$$

$$+ e^{n9y}\, (R_{30} \cos\beta_1\, y - R_{31} \sin\beta_1\, y)$$

$$+ R_{22}\, e^{\alpha 1y} (R_{20} \cos\beta_1\, y - R_{21} \sin\beta_1\, y) + R_{32}\, e^{2m1y}$$

$$+ R_{33}\ e^{2m2y} + (R_{34}\ e^{m5y} + R_{35}\, e^{m1y})$$

$$+ R_{36}\ e^{m2y} + K_{23}\ e^{m4y} + K_{24}\ (1.39)$$

for $4k\,\omega$ tan ωt > Pr.

Case – III (Region – II) –

$$u_{21} = e^{\alpha 2y} (e_3 \cos\beta_2\, y + e_4 \sin\beta_2\, y) + k_{21}\, e^y + k_{22}\ (1.40)$$

for 4 ω tan ωt > 1

$$\theta_{21} = e^{\alpha 4y} (e_7 \cos\beta_4\, y + e_8 \sin\beta_4\, y)$$

$$+ R_{41}\ e^{n10y} (R_{39} \cos\beta_2\, y - R_{40} \sin\beta_2\, y)$$

$$+ R_{44}\, e^{\alpha 2y} (R_{42} \cos\beta_2\, y - R_{43} \sin\beta_2\, y)$$

$$+ R_{47}\ e^{2y} + R_{48}\ e^y + K_{57}\, e^{Pry} + K_{60}\ (1.41)$$

for 4 ω tan ωt > Pr.

It should be noted that all of the constants appearing in the above solutions are defined in the Appendix. The value of ε is fixed as 0.01, A as 0.1, P as 5, m as 1, k as 1 except the varying one.[6]

Reference

1. Beckermann, C.; Viskanta, R. and Ramdhyani, S. (1986) : Numerical Study of Non-Darcian Natural Convection in a Vertical Enclosure Filled with a Porous Medium. Number Heat Transfer, Vol. 10, pp 557 – 570.
2. Catton, I. (1985) : Natural Convection Heat Transfer in Porous Media. Natural Convection : Fundamentals and Applications (Ed. S. K. Kakac, W. Aunh and R. Viskanta), Henisphere, Washington, D. C., pp 514 – 547.
3. Chamkha, A. J. (2000) : Flow of Two-Immiscible Fluid in Porous and Non-Porous Channels. Journal of Fluids Engineering, Vol. 122, pp 117 – 124.
4. Chamkha, A. J. (2004) : Unsteady MHD Convective Heat and Mass Transfer Past a Semi-Infinite Vertical Permeable Moving Plate with heat Absorption. International Journal of Engineering Science, Vol. 42, pp 217 – 230.
5. Chamkha, A. J,; Umavathi, J. C. and Mateen, A. (2004) : Oscillatory Flow and Heat Transfer in Two Immiscible Fluids. Int. J. Fluid Mech. Res., Vol. 31, pp 13-36.
6. Chenge, P. (1978) : Heat Transfer in Geothermal Systems. Adv. Heat Transfer, Vol. 14, pp 1 – 105.

 Vol. IV, January-March, 2018, No. 1, ISSN 2395-4965

Role of NABARD in Agriculture and Rural Finance– An Evaluation

Pramila *

RBI had also set up Agricultural Refinance Development Corporation (ARDC) to provide refinance support to the bank to promote those requiring term credit from "Agriculture development to rural development". The Government proposed to have extended support and give guidance to credit institution in matters relating to the formulation and implementation of rural development programs. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is an apex development bank in having headquarters based in Mumbai (Maharashtra) and other branches are all over the Country. At the instance of Government of India and Reserve Bank of India (RBI), constituted a committee to review the arrangement for institutional credit for agriculture and rural development (CRAFICARD). On 30th March 1979, under the chairmanship of Shri B. Shivaraman, former member of Planning Commission, Government of India to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development. The committee, in its interim report, submitted on 28th November 1979.

1979, felt the need for a new organizational device for providing undivided attention forceful direction and pointed focus to the credit problems arising out of integrated rural development and recommended the formation of National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) the parliament though act, 61 of 1981.

NABARD was established on the recommendations of ShivaramanCommittees, by an act of Parliament on 12th July 1982 to implement the National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981. It replaced the Agriculture Credit Department (ACD) and Rural Planning and Credit Cell (RPCC) of Reserve Bank of India, and Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC). It is one of the premiere agencies to provide credit in rural areas. NABARD is set up by the Government of India as a development bank with the mandate of facilitating credit flow for promotion and development of agriculture and integrated rural development.

NABARD is linked organically with the RBI by the latter contributing help of its share capital. The other half was being contributed by the Government of India and nominating three of its central board directors on the board of NABARD, besides a Deputy Governor of RBI being appointed as Chairman of NABARD. Financial problems were stated as the reason for closure of 35% of the units. This was more or less the case in every industry. In case of 14.4% the

* **Morsand Bahadurpur, Pusa, Samastipur**

units marketing problems was stated as the reason for closure. Here also between industries there was not much of a change in pattern raw material non-availability was stated as the reason for closure by 56% of unit. 2.2% were stated to be closed down due to labour problems, while 19% reported to have closed for other reason. These organization help NABARD by advising and giving monetary aid for the upliftment of the people in the rural areas and optimizing the agricultural process.

Role of NABARD

- It is an apex institution which has power to deal with all matter concerning policy planning as well as operation in giving credit for agriculture and other economic activities in the rural areas.
- It is a refinancing agency for those institutions that provide credit for promoting for rural development.
- It is improving the absorptive capacity of the credit delivery system in India including monitoring, formulation of rehabilitation schemes, restructuring of credit institutions and training of personnel.
- It coordinates the rural credit financing activities of all sorts of institutions engaged in development work at the field level while maintaining liaison with Government of India, a State Government and also RBI and other national level institutions that are concerned with policy formation.
- It prepares rural credit plan annually for all districts in the country.
- It also promotes research in rural banking and the field of agriculture and rural development.
- It provides refinance for IRDP account in order to give highest share for the support for poverty alleviation programs and run by IRDP.
- It is making efforts to establish linkages between Self Help Groups (SHGs) that are organized by voluntary agencies for poor and needy in rural areas and other official credit agencies.
- It refinances to the complete extent for those projects that are taken under the National Watershed Development Programme and the national mission of water land development.
- It also supports Vikas Volunteer Vahini Programs which offer credit and development activities to poor farmers.
- It also inspects and supervises the cooperative banks and RRBs to periodically ensures the development of the rural financing and farmers welfare.
- NABARD also recommends about licensing for RRBs and cooperative banks to RBI.
- NABARD also provides assistance and support for the training and development of the staff of various other credit institutions that are engaged in credit distribution.

It also runs programs for agriculture and rural development. Such as Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Producers Organization Development Fund (PODF), Watershed Development and Water land, Natural Resources Management Programs, NIDA (NABARD Infrastructure Development Assistance. Direct refinance assistance to CCBs for short term multipurpose credit, Solar Scheme, Agriculture Marketing Infrastructure Grading and Standardization Scheme, Rural Godowns Scheme, Dairy Entrepreneurship Development Scheme. Capital Subsidy Schemes for promoting Solar Photovoltaic Water Pumping Systems for irrigation purpose. Capital Subsidy / Refinance Scheme for installation of Solar off Grip under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) for the Ministry of New and Renewable Energy Solar Water Heating System. NABARD also prepares guidelines for promotion of group activities under its programs and provide 100% refinance support for them.

There has been a continuous decline in the share of agriculture all allied sector in the GVA from 17%. NABARD sanctioned aggregating of 66,418 Crore short term loan to cooperative Bank and Regional Rural Banks, RRBs. Rural infrastructure development fund 16,29,226 Crore was disbursed in recent year. A cumulative amount of 1,62,083 Crore has been sanctioned for 5.08 Lakh project for covering irrigation, rural road and bridges, health and education, soil conservation, drinking water schemes, flood protection, forest management etc. Investment credit for Capital formation in agriculture and allied sectors, non-farm sector activities and cooperative and services sector to commercial bank RRBs and Cooperative banks reached a level of 17,67,429 Crore recent year. New business initiatives – NABARD has set up NIDA (NABARD Infrastructure Development Assistance) a new line of credit support for funding of rural infrastructure projects. The sanctions under NIDA in recent year was 2,81,846Crore and disbursement was 85,970 Crore. Direct refinance assistance to CCBs was conceived and additional line of finance for CCBs in the light of recommendations of the task forces on revival of short term rural cooperative credit structure which enable the latter to raise financial resources other than from STCBs. Recent year, refinance assistance aggregating 3,385 Crore was sanctioned to 42 CCBs and disbursement stood at 2,363.45 Crore. Its SHG bank linkage programme, which India's bank to lend to self-help groups (SHGs) largely because SHGs are composed mainly of poor women this has evolved into on important Indian too for micro finance. By March 2006, 22 Lakh SHGs representing 3.3 Crore members had to be linked credit through this programme.

Conclusion

NABARD has been responsive to the development need of the agriculture and rural development. Promote sustainable and equitable agriculture and rural prosperity through effective credit support related services, institution development and other innovative initiatives. Its responsibilities as a premier

national instrument of national development in respect of the various important sector of the economy.

References:

1. Tyagi, B.P. Agricultural Economics of Rural Development.
2. Chandesan "India Economy".
3. "NABARD can help change face of rural India". The Hindu Business line.
4. "Role of NABARD", EDA and APMAS Self-help Groups in India: A Study of the lights and Shade.

पूर्व मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की दशा

*डा0 रवि शंकर कुमार**

पूर्व मध्यकाल से हमारा अभिप्राय सातवीं शताब्दी ई0 ये बारहवीं शताब्दी ई0 तक से है। इस युग में साहित्य, कला, संस्कृति आदि संबंधी जो प्रगति हुई, उसका व्यापक प्रभाव तत्कालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक तथ राजनैतिक अवस्था पर पड़ा। इन परिवर्त्तनों और प्रगतियों ने खासकर उस युग की स्त्रियों की दशा को काफी प्रभावित किया।

पूर्व मध्यकालीन भरतीय समाज दो भागों में बंटा हुआ था। एक भाग में इस्लाम धर्मावलम्बी थे और दूसरे में हिन्दू। मुसलमानों के भी दो भाग थे। पहले भाग में तुर्क–अफगान, अरबी और ईरानी जाति के लोग थे जो उँचे वर्ग में गिने जाते थे। दूसरे वर्ग में निम्न वर्ग के मुसलमान थे, जिनमें अधिकंश लोग वे भारतीय मुसलमान थे जो पहले हिन्दू थे और फिर कई कारणों से मुसलमान बन गये। उस समय कुछ हद तक अन्तर्जातीय एवं अन्तधार्मिक विवाहों का भी प्रचलन था। दोनों धर्मो की स्त्रियों की दशा पुरूषों की तुलना में ठीक–ठीक नहीं कहा जा सकता था।

पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज में हिन्दुओं के घरों में स्त्री को घर की स्वामिनी माना जाता था। धर्म का कोई काम उसके सहयोग के बिना न हो सकता था। स्त्रियों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था। उस काल खण्ड के साहित्यकार राज शेखर कई कवयित्रियों का उल्लेख करते हैं और स्वयं उनकी पत्नी अवन्ति सुन्दरी एक प्रतिभा सम्पन्न महिला थी, जिन्होंने प्राकृत काव्य के लिए एक शब्दकोष तैयार किया था। कहते है, मंडनमिश्र की पत्नी ने अपनी प्रखर बुद्धि से महान शंकराचार्य को चुप करा दिया था। लीलावती को गणित का गहरा ज्ञान था। मीराबाई उच्च कोटि की कवियत्री थी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के कई पदों की रचना की। इस काल में कश्मीर की रानी दिद्धा (980–1003) तथा काकतीय रानी रूद्राम्बा (1261–1290) जैसी प्रशासक महिलाओं का भी गौरव प्राप्त है। पश्चिम चालुक्यों के अभिलेखों से जान पड़ता है कि रानियाँ प्रांतीय शासन की बागडोर भी संभालती थी। इस प्रकार सोमेश्वर प्रथम आहवमल्ल की एक पत्नी मैला देवी सन् 1053 ईस्वी में वनवासी प्रांत पर शासन करती थी और विक्रमादित्य छठे की अग्रमहिषि लक्ष्मी देवी सन् 1095 में अग्रहारों की देख रेख करती थी। स्त्रियों को नृत्य, संगीत एवं चित्रकला इत्यादि काम आते थे। ऐसा होते हुए भी स्त्रियों की अवस्था ठीक नहीं थी। एक पुरूष कई स्त्रियों से विवाह कर लेता था। ऐसी अवस्था में स्त्री की दशा अवश्य ही खराब होनी थी। बहु–विवाह की परिपाटी आम तौर पर राजवंशी और धनी लोगों में थी। जो व्यक्ति जितनी श्रेष्ठ जाति का था वह उतनी ही अधिक पत्नियाँ रख सकता था। जैसे–ब्रह्मण चार, क्षत्रिय तीन, वैश्य दो और शूद्र एक पत्नी रख सकता था।

निम्न जाति की स्त्री के उच्च जाति के पुरूष के साथ (अनुलोम) विवाह को मान्यता थी परन्तु उच्च जाति की स्त्री और निम्न जाति के पुरूष के साथ (प्रतिलोम) विवाह वर्जित था। विधवाओं का पुर्नविवाह नहीं होता था और वे या तो सती हो जाती थी या शेष जीवन अनेक प्रकार के कष्टों और प्रतिबन्धों के बीच बिताती थी। प्रायः स्त्रियों को इन्द्रिय सुख का साधन समझा जाने लगा। दासियाँ अपने रूप–लावण्य से अपने स्वामी पर काबू पा लेती थीं और न केवल दासता से मुक्त हो जाती थी, अपितु अपने स्वामी की पत्नी भी बन जाती थी। उस समय के समाज में विवाह की पवित्रता कम हो गई। बाल–विवाह भी प्रचलित था। सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान मुबारक शाह के समय नारियों का महत्त्व और सम्मान और भी घट गया।

* **प्रा0 भा0 एवं ए0 अध्ययन विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया ग्रा0 चिरैयाँ, पोस्ट राजन, नवादा**

मुसलमान परिवारों में पर्दा–प्रथा पैर जमाना शुरू कर दिया था। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाए जाने लगे। उनको नगर के बाहर संतो की दरगाहों की यात्रा के लिए भी न जाने दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने लिखा है कि उसने स्त्रियों का संतों की कब्रों पर जाना इसलिए बन्द किया, क्योंकि उनके सतीत्व को नष्ट करने के लिए अनेक चरित्रहीन लफंगे भी वहॉ जाया करते थे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाली स्त्रियों को घोर दण्ड दिया जाता था। एक प्रकार से मुस्लिम स्त्रियों को हिन्दू स्त्रियों की अपेक्षा कुछ विशेश सुविधाएँ प्राप्त थी। एक मुस्लिम विधवा दूसरा विवाह कर सकती थी, परन्तु हिन्दू स्त्रियॉ ऐसा न कर सकती थी। हिन्दूओं में सती और जौहर का रिवाज था, परन्तु मुस्लिम स्त्रियों के लिए ऐसा कोई बन्धन न था। यदि हिन्दू पत्नी अपना पति खो बैठती तो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। उसे या तो विधवा बनकर रहना था या सती हो जाता था। कश्मीर में सती का आम प्रचलन था, लेकिन दक्षिण में नहीं। फिर भी यह प्रथा अभी शायद राजवंशों तक ही सीमित थी और जनसाधारण इससे बचा हुआ था। दक्षिण भारतीय समाज में नर्तकियों (देवदासियों) का एक वर्ग था जो देवदासियों नृत्य संगीतादि सकल कलाओं में निपुण होती थीं और रागरंगप्रिय व्यक्तियों को उनके कलापूर्ण हास–विलास में सहायता प्रदान करती थीं। इन्हें पुरूषों से मिलने–जुलने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती थी और उपने विविध गुणों द्वारा वे उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करती थी। मंदिरों में भी देवदासियों रहा करती थी, जो विशेष अवसरों पर नृत्य द्वारा देवता को प्रसन्न किया करती थी। मुस्लिम यात्रियों के लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि देवदासियों समाज में अनाचार फैलाती थीं। कुछ देवदासियाँ समाज में अनाचार फैलाती थीं और कुछ देवदासियाँ अपनी कला, योग्यता, रूप–लावण्य के बदौलत समाज में काफी प्रतिष्ठा एवं धन प्राप्त कर लेती थी। कुछ एक विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लेती थी।

पारिवारिक नियमों के संबंध में पूर्व मध्यकालीन भारत में समाज पितृसत्तात्मक था और परिवार का प्रधान कोई पुरूष ही हो सकता था। उत्तराधिकार में पुरूषों की प्रधानता प्राप्त थीं, पिता की सम्पत्ति में पुत्र का अधिकार स्वीकृत था। पुत्र के अभाव में पौत्र और इन दोनों के अभाव में मृतक के पिता तत्पश्चात भाई का अधिकार होता था। लावारिस सम्पत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी जाती थी। स्त्रियों को पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार सीमित था। केवल अविवाहित पुत्री ही पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी हो सकती थी और उसका अंश पुत्र के अंश का 1/4 था।

विवाह के समय उसे यह अंश दहेज के रूप में मिल जाता था, जिसके पश्चात् उसे पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। अगर स्त्री सती नहीं होती थी तो मृतक पति के उत्तराधिकारी उसके भरण पोषण का प्रबंध करता था। सामान्यतः स्त्रियों की स्थिति कष्टपूर्ण थी। जहॉ तक पारिवारिक सम्पत्तियों में स्त्रियों के हिस्सा और अधिकार की बात है, तो उसमें हिन्दू स्त्रियों को उनके पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था। यह उनके माता–पिता के कृपा पर निर्भर था। वहीं मुस्लिम स्त्रियों को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा मिलता था। कई परिस्थितियों में हिस्सा मिलता था एवं कई परिस्थितियों में वे तलाक भी दे सकती थी। सब मिलाकर समाज में मुस्लिम स्त्रियों का स्थान ज्यादा बुरा नहीं था।

उपरोक्त निरीक्षणों और विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति समाज में असंतोषजनक थी। कुछ गिने–चुने उदाहरण विदुषी और प्रतिभावान महिलाओं के अवश्य मिलते हैं, जैसे कश्मीर की रानी दिद्धा, परन्तु सामान्यतः स्त्रियों को शिक्षा की सुविधा नहीं थी क्योकि बाल–विवाह के कारण इसकी संभावना ही कम रह गई थी। उच्च जातियों में बहुपत्नित्व की प्रथा आम थी परन्तु विधवा–विवाह तथा स्त्रियों द्वारा तलाक का प्रचलन नहीं था। विधवाएँ या तो सती हो जाती थी या कष्ट और उत्पीड़न भरा जीवन बिताने पर बाध्य रहती थीं। पर्दा प्रथा का सामान्य प्रचलन तो नहीं था लेकिन राजपूतों मे स्त्रियॉ घूॅघट के माध्यम से पर–पुरूषों से पर्दा करती थीं। जौहर की प्रथा का प्रचलन था। सामान्यतः सामंती प्रथा में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट एक विश्वव्यापी विशेषता रही है और भारतीय सामंती युग में भी ऐसा ही

हुआ। यह परिस्थिति कुछ अंशों में नारियों की स्थिति में गिरावट की उस प्रक्रिया से भी प्रभावित थी जो गुप्तकाल से ही प्रकट होने लगती है। स्त्रियों के प्रति समाज के बदलते हुए दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति कुछ अंशों में तत्कालीन साहित्य और कला में कामुक प्रवृत्तियों (erotic features) की प्रस्तुति के माध्यम से भी होती है।

संदर्भ सूची –

1. डा0 विद्याधर महाजन–मध्यकालीन भारत, एस चंद एंड कं0, नई दिल्ली 1992
2. एल0 प्रसाद–प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास, अर्चना पब्लिकेशन, नई दिल्ली
3. जय शंकर मिश्र–ग्यारहवीं सदी का भारत
4. रोमिला थापर–एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, ओरिएण्ट लौंगमैन, हैदराबाद, 1978
5. के0एम0 कपाड़िया–भारत वर्ष में विवाह एवं परिवार (हिन्दी अनु0), हरिकृष्ण रावत, बनारस, 1963
6. यू0एन0 घोषाल–स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एडं कल्चर, कलकत्ता, 1971
7. उर्मिला प्रकाश मिश्र–प्राचीन भारत में नारी
8. इमत्याज अहमद–मध्यकालीन भारत (8वीं से 18वीं शताब्दी) : एक सर्वेक्षण नेशनल पब्लिकेशन, पटना, 2005

संगीत का धरातल : सामवेद

*राजीव कुमार**

सनातन धर्म के जितने भी प्राचीन वाङ्मय उपलब्ध हैं, उन सबों की उत्पत्ति संगीत से ही मानी जाती है। हिन्दुओं का परम पवित्र आदि ग्रंथ ऋग्वेद है, जो मंत्र रूप में विद्यमान है, छन्दोबद्ध है। अछान्दस् एक भी मंत्र नहीं है, जितने भी मंत्र प्रयुक्त, नियुक्त, विनियुक्त हुए हैं, सभी छान्दस् नियमों में बंधे हुए हैं। इनका यह बंधन ही अपने आप में प्रकट कर देता है कि संगीत वेद से भी प्राक्तन है। छन्द शास्त्र में जितने भी नियम, उपनियम वर्णित हैं, वे सभी संगीत के ही प्रतिष्ठापक होते हैं। छन्द में चरणों का अन्वय होता है, कई–कई चरणों का समन्वय होता है। स्वरोच्चारण की तरकीब होती है। स्वरों के विभिन्न आयाम होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत की सम्यक् व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्थाएँ व्याकरण से ज्यादा संगीत के निकट है।

वेद की प्रत्येक ऋचाएँ चाहे वो वर्णिक हो या मात्रिक् सभी मर्यादा में बँधे हुए हैं। अव्यवस्थित या अनियमानुकुल एक भी मंत्र नहीं मिलता है। उदात्त–अनुदात्त, स्वरित का सम्प्रयोग सर्वत्र मिलता है। इससे लगता है कि वेदों का संगीत सभ्य, पल्लवित, पुष्पित, मर्यादित और अति विकसित स्वरूप का है। इसके मर्मज्ञ सभी छान्दस् नियमों के अनुसार ही इसका प्रयोग कर देते थे। मंत्र–मंत्र में स्वरों के उच्चारण का वैविध्य भी किया करते थे। जिससे मंत्रों के अर्थ में अंतर हो जाता था। स्वराघात बदला नहीं कि अर्थ बदल गया, यह स्वर संगीत का उद्‌गम बिन्दु ही होता है। स्वरों से ही वेद अप्लावित है या गवेषणा का विषय हो सकता है कि संगीत का आरंभ या इसका बाल्यकाल कब था। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ढांचागत विकास कैसे हुआ। प्रारंभिक अवस्था में इसे कैसे व्यवस्थित किया गया। यह आधुनिक शोधार्थियों के लिए अन्वेषणीय है।

हमारे धर्म ग्रंथों में सभी विधाओं का आदि स्रोत भगवान शंकर को माना गया। साहित्य संगीत वेद ज्योतिष न्याय मीमांशा आदि जितने भी साहित्यिक अवयव हैं, उनके आदि गुरू शंकर ही हैं। भगवान शंकर के डमरू से ही वर्णमाला के विकास की कहानी सुनने में आती है।

1. अइउण् 2. ऋलृक् 3. एओङ् 4. ऐऔच्5. हयवरट्6. लण्7. ञमङणनम् 8. झभञ् 9. छढधष् 10. जबगडदश् 11. खफछठथचटतव्12. कपय्13. शषसर्14. हल् [1.]

ये चौदह सूत्र माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। माहेश्वर सूत्र कहे जाने के पीछे भी एक कथा छिपी हुई है। व्याकरण, जयोतिष, आदि में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्ण भगवान शंकर के डमरू से ही निःसृत हुए हैं। डमरू से निकलने वाला नाद कभी भी अछांदस् नहीं हो सकता है। इसमें भी स्वर और व्यंजनों की सिलसिलेवार उपस्थिति किसी महाप्रज्ञावान् की व्यवस्था ही प्रतीत होती है। स्वरों का अलग व्यंजनों का अलग मूल स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, उसके बाद व्यंजनों की क्रमिक सजावट इसके छान्दस् होने की ओर ही इशारा करते हैं। गौर से इन सूत्रों को देखा जाए तो स्वरों का साकार, निराकार और लयाकार विविध स्वरूप यही से प्रकट होते हैं।

ज्योतिष का अवलोकन भी यही होता है। साहित्य का सृजन बिन्दु भी यही है। संगीत का उद्‌गम स्थल भी यही है और लयों का नाट्य–मंच भी यही है। इसीलिए पाणिनी जी ने लिखा है–

***शोध छात्र, वि0वि0 संगीत एंव नाट्य विभाग, ल0 ना0 मि0 वि0, दरभंगा**

नृत्यावसाने नटराजराजो
ननाद ढक्कां नव पंच बारम्।
उद्धर्तुकामः सनकादि सिद्धान्
एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम्।।

ये शिव सूत्र नृत्य की समाप्ति के उपरान्त प्रकट हुए हैं। इसलिए इन्हीं सूत्रों से सम्पूर्ण संगीत का आविर्भाव हुआ है। गीत, वाद्य और नृत्य का धरातल भी यहीं है। साहित्य का स्वरूप लाभ, संगीत का तारल्य भाव और लय का सौंदर्य भावावयव तीनों यहीं से उपलब्ध हुए हैं, इसीलिए हमारे शास्त्रों में संगीत की उत्पत्ति यहीं से माना गया है।

वेद तो संगीत का एक विकसित स्वरूप है। वेद में सात छंदों की चर्चा की गई है। ये सातों छंद सूर्याश्व कहे गए हैं ये सभी वर्णिक होते हैं। सभी छंद चरण युक्त माने गए हैं और इन्हीं चरणों से साहित्य का संचरण माना गया है। जैसे– बिना पैर का कोई भी चलने–फिरने में असमर्थ होता है। वैसे ही बिना छन्द का कोई भी साहित्य चलने में सक्षम नहीं हो सकता है। साहित्य की गतिशीलता छन्द में ही निहित है। इसलिए छान्दस् दोष होने पर गत्यात्मक त्रुटि मानी जाती है।

परम पुरूष को विराट् पुरूष कहा गया है और शास्त्रों को विराटपुरूष का अंगावयव माना गया है। जिस प्रकार एक अंग रूग्ण होने पर शरीर अस्वस्थ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार सत् शास्त्रों से हीन संगीत भी दूषणीय माना गया है।

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुः निरूक्तं श्रोत्रमुच्यते।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते।।[2.]

उपर्युक्त श्लोक में छन्द को वेद का चरण कहा गया है। इसीलिए वेद में चरण को पाद, पद चरण और अणुचरण कहा गया है। जैसे– पहला छन्द गायत्री है जिसे त्रिपाद गायत्री या त्रिचरण गायत्री कहते हैं। प्रत्येक चरण में आठ–आठ वर्ण होते हैं। इस तरह गायत्री में 24 वर्णों का संघटन है। इससे चार वर्ण बढ़ाने पर उष्णिक् होता है उससे चार वर्ण बढ़ जाने पर अनुष्टुप् छन्द बनता है। उससे चार वर्ण बढ़ा देने पर बृहती छन्द बनता है। उससे चार वर्ण जब बढ़ है तो पंक्ति छंद बन जाता है। पंक्ति छन्द में चार वर्ण बढ़ जाता है तो त्रिष्टुप छन्द बनता है। उससे चार वर्ण बढ़ने पर जगती छन्द बनता है। इस तरह सम्पूर्ण स्वर जगत और ताल जगत के साथ सम्पूर्ण वाङ्मय इन्हीं सात छन्दों में समाहित हो जाता है। इस दृष्टि से देखने पर हमारे वेद सम्पूर्ण विकसित संगीत ग्रंथ प्रतीत होते हैं।

वेदों में अंतिम वेद अथर्व माना गया है। और अथर्व से पहले सामवेद का नाम सिर्फ और सिर्फ संगीत के लिए ही चर्चित है। साम में स्वर गायन पर बल दिया गया है। इसलिए 'साम' गायन नाद ब्रह्म का सम्पूर्ण पल्लवित रूप से कहा गया है। अतः यह कहना कि संगीत का प्राकट्य वेद से हुआ है यह ज्यादा समीचीन नहीं जान पड़ता बल्कि यूँ कहा जाए कि विकासशील संगीत का सम्पूर्ण पल्लवित और फलित स्वरूप वेद है।

मंत्रों के मौखिक संकलन को जब चार संहिताओं के रूप में संकलित किया गया तब वे संहिताएँ वेद के नाम जानी जाने लगी– ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। व्यास से पूर्व ऋषि–कवियों द्वारा दृष्ट मंत्रों का संरक्षण। उन्हीं ऋषि वंशों में वेद के नाम से प्रचलित था।

किन्तु व्यास के बाद व्यास द्वारा संकलित चार संहिताएँ ही वेद के नाम से प्रचलित हुई। यहीं से भारतीय समाज में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी तथा अथर्ववेदी के नाम से वेदाध्ययन करने वालों के अलग–अलग वर्ण बनने लगे। महर्षि वेद व्यास ने पैल को ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमन्तु को अथर्ववेद पढ़ाया था। उन्होंने मंत्रों का विधिवत्

संकलन करके चार संहिताएँ तैयार की थी। इन चार शिष्यों ने अपनी–अपनी संहिताओं का पठन–पाठन जारी रखा।

कालान्तर में स्थान भेद एवं उच्चारण भेद से मंत्रों की संख्या भी न्यूनाधिक दिखाई पड़ने लगी। जिस समुदाय में जो संकलन था वो उस समुदाय के प्रमुख ऋषि के नाम पर प्रचलित हो गया। जो कि विभिन्न शाखाओं के रूप में था।

पतंजलि के समय तक ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 तथा अथर्ववेद की 9 शाखा संहिताएँ प्रचलित हो चुकी थी।[3.]

वेद मंत्रों के वर्णन में विनियोग का प्रचलन रहा है। जिसमें मंत्रद्रष्टा ऋषि, मंत्र के देवता और मंत्र में प्रयुक्त छन्दों का वर्णन कर के तब मंत्र दिया जाता है। सामवेद उत्तर संहिता के प्रथम अध्याय के प्रथम 'प्र' पाठन के अंतर्गत पहला मंत्र गायत्री छन्द में है। जो इस प्रकार है–

उपास्मै गायता नरः ववमानायेन्दवे।

अभि देवां इयक्षते।[4.]

इस मंत्र में भी देवताओं के लिए यज्ञ करने और शुद्ध होकर सोम की स्तुति गाने की प्रेरणा मनुष्यों को दी गई है।

वेद संबंध में विद्वानों के द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न विचारों पर मनन करते हुए दो बातें मुख्य प्रतीत होती हैं। एक तो यह कि प्राचीन काल में जब बड़े–बड़े यज्ञ किए जाते थे तो वहाँ के वातावरण को संगीतमय बनाने के निमित्त वेद मंत्रों का मधुर ध्वनि से गायन किया जाता था। सामवेद के ही अनेक सूक्तों में इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए वृहत् साम के गायन का उल्लेख है। इस संगीत में अनेक गायन स्तोता, सम्मिलित रूप से भाग ले सकें और उनके उच्चारण में एकलयता और एकतानता बनी रहे, इसके लिए स्वर के उतार–चढ़ाव संबंधी नियमों का ज्ञान होना आवश्यक था। वैदिक शब्द अनेकार्थवाची होते हैं। इनके विभिन्न अर्थों के निष्पादन के लिए उतार–चढ़ाव का ज्ञान होना परमावश्यक है नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है।[5.]

सामवेद में आम जनों को मंत्र गाने या स्वर–सहित मंत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आम लोगों को प्रेरित करने का एक प्रेमिल तरीका सामवेद में दिखता है। वह भी किसी उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए।

पान्तमा वो अंधस इन्द्रमसि प्र गायत।

विश्वासाह ॐ (ग्वं) शतक्रतुं महिष्ठं चर्षणीनाम्।1।

प्र व ईन्द्राय मादन ॐ हर्यश्याय गायत

सखायः सोमपाव्ने।2।................

....

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत।

सखायः स्तोमवाहसः ।10।[6.]

इन मंत्रों में ऋषियों ने सुसभ्य और सुसंस्कृत मंत्रों को गाने का आदेश दिया गया है। गाने से शत्रुओं का तिरस्कार होता है। धन की प्राप्ति होती और समाज में सम्मान मिलता है। इसलिए गाओ। सूर्य, चन्द्र, अश्व, सोम इन सबसे अभीष्ट सिद्धि के लिए गाओ। हे स्तोत्र वाहक अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए शीघ्र बैठकर सुसंगठित और अभीष्ट फल देने वाले मंत्र का गायन करो, इससे इन्द्रादि देवता प्रसन्न होते हैं। इन मंत्रों में मर्यादित संगीत गाने की आज्ञा दी गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि सामवेद काल तक भारतीय वैदिक संगीत पूर्ण विकसित रूप में आ चुका था, और इस विकसित रूप को आमलोगों को प्रयोग करने का वैदिक आदेश मिलता है। इन मंत्रों का छन्द गायत्री है जिसके तीन चरण हैं और वैदिक रीति के मुताबिक इस छन्द में सम्पूर्ण गेयता प्राप्त होती है। एक जगह पूर्व प्रपाठक अध्याय 2 खंड–12, मंडल–10 से 25 वाँ

अध्याय 12 वाँ ऋचा के चतुर्थदशति का तृतीय मंत्र के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि गाने वाले यह मंत्रज्ञ पुरूष के इन्द्र सहायक होते हैं। वे मंत्र स्तोत्र, सामगायक की साम पद्धति सब कुछ जानते हैं। इसलिए उसका गान करना चाहिए। यथा :–
उक्थं च न शास्यमानं नागो रयिरा चिकेत।

न गायत्रं गीयमानस्।3।[7.]

वेद का अनुशीलन करने से यह पक्का विश्वास हो जाता है कि वैदिक काल का संगीत पूर्ण समृद्ध था। उस समय आम लोग भी संगीत की बारीकियाँ समझते थे। इसलिए साम को संगीत ही कहा गया है। इसमें स्वरों के उतार–चढ़ाव का भी वर्णन है जिसे उदात, अनुदात और स्वरित आदि नाम से जानते थे। स्वरों का सप्त स्वरूप भी वैदिक काल में ही प्रकट होता है। वैदिक काल में ही स्वरों का सम्यक विभाजन किया गया। इसकी श्रुतियाँ प्रतिष्ठापित की गई। इस तरह स्वर समुदाय सप्तक के रूप में सामने आ गए।

किंबहुना अद्यतन संगीत का परिष्करण हो ही रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि वैदिक काल का संगीत अपरिपक्व अवस्था में था। श्रुतियों का बहुप्रचार ही वेद को श्रुति के उपनाम से प्रचारित कर दिया। लोग श्रुति का अर्थ भी वेद ही लगाने लगे। वास्तव में स्वरों का सूक्ष्म शरीर श्रुति ही होती है। स्वरों के हृदयस्थल में झांकने के लिए श्रुति–ज्ञान आवश्यक है। श्रुतिज्ञ लोगों को वेदज्ञ कहा गया है। इसके पीछे का रहस्य भी यही है। वास्तव में स्वरज्ञ ही वेदज्ञ कहे जाने योग्य हैं। संगीत जगत में 22 श्रुतियाँ हैं, और उनका इन सातों स्वरों में यथा क्रम प्रतिष्ठापन ही वेद का सुन्दर उद्देश्य है। ये सारी बातें वैदिक काल में ही पूरी हो चुकी थी। एक स्वर (ओम्) को त्रिधा विभाजन करके उदात, अनुदात, स्वरित त्रिस्तरीय बना दिए गए। बाद में उन्हें सप्तस्तरीय किया गया जिन्हें संगीत जगत में सप्तक कहा जाता है। ध्यातव्य है, ये सातों स्वर विभाजित होने के बाद भी अपनी त्रिस्तरीय क्षमता के अंदर ही है। इससे बाहर एक भी स्वर नहीं है जिसे श्रुतिस्वर विभाजन की दृष्टि से देखने पर बात समझ में आ जाती है। इस संदर्भ में एक श्लोक कहा गया है, जिसे अर्वाचीन विद्यार्थी श्रुति विभाजन के लिए अध्ययन करते हैं।
चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमाः।
द्वे–द्वे निषादगंधारौ त्रिस्त्रिः ऋषभधैवतौ।

इस श्लोक का उद्देश्य यथाक्रम स्वरानुसार श्रुतियों का निदर्शन है। परन्तु सम्पूर्ण स्वर समुदाय में तीन ही कोटि के स्वर मिलते हैं। पहला चतुःश्रुतिक, दूसरा त्रि–श्रुतिक और तीसरा द्वि–श्रुतिक इन तीनों श्रेणियों में सातों स्वर समाहित हो जाते हैं।
सा म प प्रथम कोटि में (चतुःश्रुतिक),
रे और ध त्रि–श्रुतिक श्रेणी में, और
ग और नि द्वि–श्रुतिक श्रेणी में माने गए हैं।

सारी समीक्षा करने के बाद भी ये स्वरावली अपने विभिन्न रूपों के साथ इन्हीं तीन श्रेणियों की श्रुति व्यवस्था में सिमट जाती है और ये तीनों भी एक ध्वनि में सिमट जाते हैं। यहीं नाद ब्रहम का पर्यवसान माना गया है, और यहीं से नाद ब्रहम का प्राकट्य भी हुआ है। वेद अपौरुषेय कहे गए हैं। इसका निर्माता ब्रहम को ही माना गया है। ऋषियों को ये दिखाई दिये। इसलिए ऋषियों का इस संदर्भ में स्मरणपूर्वक विनियोग किया गया है। "ऋषयोमंत्रद्रष्टारः" यानि ऋषि मंत्र के द्रष्टा होते हैं, निर्माता नहीं, क्योंकि यह अपौषेय है। एक से तीन, तीन से सात, सात से एक्कीस, ये क्रमानुसार विकास और इक्कीस से सात में, सात से तीन में, तीन से एक समाहित हो जाना ही तल्लयतावस्था कही गई है। जो वेद का प्रत्येक मंत्र देने में पूर्ण समर्थ है। जैसे सागर की लहरें, सागर में ही पैदा लेती है, उछलती है किलोल करती है और पुनः सागर में ही विलीन हो जाती है। उसी प्रकार सारे स्वर समुदाय वेद से ही प्रकट होते हैं विकसित होते हैं और अपना स्वरात्मक रस बिखेरते हुए वेद में ही समाहित हो जाते हैं। इनका प्रकट

करने का कारक जैसा होगा वैसा ही इनका प्राकट्य भी माना गया है। वेदपूर्वक (ज्ञानपूर्वक) स्वरों का प्रकटीकरण, प्रस्तारीकरण और उनका आकुंचीकरण, सभी क्रियाएँ कर्त्ता की कुशलता पर ही निर्भर करती है। इसलिए जैसा वेदज्ञ होगा वैसी सांगीतिक धरातल होगी। सम्पूर्ण स्वरों का सम्पूर्ण धरातल वेद ही है। नाद की आधारभूमि वेद ही है। ब्रह्म का मूलस्थान वेद ही है, ब्रह्म का सम्पूर्ण विस्तार वेद ही है।

सम्पूर्ण वाङ्मय अर्थ सहित विशेषताओं का विशेषण वेद ही है। इस लिए यह कहना कथमपि अनुपयुक्त नहीं होगा कि सम्पूर्ण संगीत का आधार तल, आधार भूमि या धरातल सामवेद ही है।

संदर्भ सूची

1. महर्षि पाणिनी (लेखक), अष्टाध्यायी, पृष्ठ सं0 –1
2. विश्वनाथ (लेखक), साहित्य दर्पण
3. गर्ग लक्ष्मी नारायण (पृ. सं.) आलेख– शर्मा डॉ. पंकजमाला संगीत– वैदिक संगीत अंक जनवरी–2007 पृ. सं. –06
4. उत्तरांचिक, सामवेद, प्रथम अध्याय, प्रथमः प्रपाठक –1
5. अचार्य पं. श्रीराम शर्मा (संपादक), सामवेद, निवेदन, पृ. सं. –15
6. सामवेद, द्वितीय अध्याय, प्रथम मंडल, पाँचवां अध्याय
7. पू. प्र.–3 (1) द. 4 मं.–08 चतुर्थदशति 3रा मंत्र।

आधुनिकता के दौर में मुस्लिम परिवार

*जितेन्द्र प्रसाद यादव**

'आधुनिक' शब्द 'अधुना' से बना है। अधुना का अर्थ है इस समय, सम्प्रति, वर्तमान काल। अतः आधुनिक का अर्थ है इस समय का, हाल का, नया, वर्तमान समय का! वास्तव में आधुनिक शब्द एक सापेक्षिक शब्द है। आज जो आधुनिक है वही सौ, दो सौ वर्षों में निश्चित तौर पर पुराना हो जायेगा किन्तु आधुनिक काल कहा जाता है और जब तक किसी आमूल चूल परिवर्तन का स्पष्ट स्वरुप सामने नहीं आ जाता तब तक उसे इसी संज्ञा से अभिहित किया जाता है। आधुनिक शब्द जहां काल सापेक्षता को व्यक्त करता है। वहीं यह नवीनता, वैज्ञानिक दृष्टि, बौद्धिकता और तर्क–वितर्क की प्रवृत्ति का भी सूचक है। आज जीवन और समाज में आधुनिकता से यही तात्पर्य है। आधुनिकता बुद्धि के धरातल पर परख कर उसे अद्वितीयता प्रदान करती है। आधुनिकता आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के मूल्यांकन करने को प्रश्रय नहीं देती यही नहीं आध्यात्मिक धरातल पर जीवन को मुल्यांकित करने की किसी भी पद्धति का निर्धारण आधुनिकता के विरुद्ध है। बुद्धि और विज्ञान के धरातल पर जो सत्य खरा नहीं उतरता केवल विश्वास के कारण जीवन से संयुक्त रखना आधुनिकता के धुर विरुद्ध प्रणाली हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आधुनिक मानव अपने आध्यात्मिक विरासत की बुद्धि की तार्किक प्रयोगशाला में बार–बार प्रशिक्षण करता रहे।

डा0 सुखबीर सिंह आधुनिकता के आशय को स्पष्ट करते हुए कहते हैंः–"आधुनिक होने के लिए अनिवार्य शर्त है कि व्यक्ति का मस्तिष्क अन्धविश्वास से मुक्त हो अपने अस्तित्व को सही–सही पहचानकर और अस्वीकार कर अपने दायित्व को समझते हुए संदर्भों को सार्थक रुप दिया जाये। व्यक्ति केवल मिथ और प्रतीकों के धरातल पर ही न जिये अपितु यह ध्यान रहे कि यह कहना सचेत क्रिया है, अचेत या बलात् समर्पण नहीं जो कुछ प्राप्त है, उपलब्ध है, केवल उसी से बंधकर संतुष्ट न रहे। अनुपप्लब्ध के प्रति जिज्ञासु रहकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। आधुनिक होने की सबसे बड़ी और अनिवार्य शर्त यह है कि व्यक्ति नितान्त स्वनियंत्रित है। वाह्य नियंत्रण के अपेक्षा स्वनियंत्रण है। वाह्य नियंत्रण के अपेक्षा स्वनियंत्रण में रहने वाला व्यक्ति जीवन के प्रति अधिक ईमानदार रह सकता है।"[1]

डॉ0 देवेन्द्र नाथ सिंह का अभिमत है कि साधारणतः आधुनिक होने का अर्थ फैशनुबेल होने से लिया जाता है। इनके अनुसार आधुनिकता एक सांस्कृतिक प्रयत्न है, जिनमें तार्किक, अभिवृत्ति, सर्वभौम दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विश्वदृष्टि, मानवता, प्रौद्योगिकी प्रगति आदि सम्मिलित हैं।''[2]

एडवर्ड शील्स , आधुनिकता का आशय स्पष्ट करते हुए कहते हैं –''परम्परात्मक समाज किसी भी तरह से पूर्णतया परम्परात्मक नहीं है। आधुनिक समाज किसी भी तरह से परम्परामुक्त नहीं है।''[3]

आईजेन स्टॉट अपनी पुस्तक 'Modernization Pratest and Change' में आधुनिकता के आशय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आधुनिकता आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा परिस्थितिकीय क्षेत्रों में परिवर्तन है।''[4]

देशकाल के संदर्भ में मानव जीवन के प्रगति के प्रति आस्थावान होकर आचरण करना आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रयोग के माध्यम से सत्य का आत्म साक्षात्कार इसका उद्देश्य है। इससे ऐतिहासिक दायित्व का बोध तो होता ही है, साथ ही जीवन के नये

***शोध छात्र (समाजशास्त्र विभाग) हण्डिया पी0जी0कालेज, हण्डिया, इलाहाबाद**

तत्वों का साक्षात्कार भी सम्भव है, आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ ही है कि कोई भी मानव अनुभूति पूर्व निश्चित या पूर्व निर्धारित नहीं होती वरन् एक क्रम का परिणाम होती है जिस क्रम की एक अलग सार्थकता है।[7] आधुनिक दृष्टि का मानना है कि मानव जीवन का केवल घटनापूर्ण क्षण ही महत्वपूर्ण नहीं है वरन् अनुभूति का हर क्षण उतना ही महत्वपूर्ण है। यह अवश्य है कि वह क्षण एक ऐसी संवेदना को जन्म देता है जो जीवन को एक नवीन अर्थों से संदर्भित करती है। आधुनिकता मानव मुक्ति के साथ–साथ उसके पूर्ण व्यक्तित्व की मुक्ति को स्वीकृति प्रदान करती है। आधुनिकता के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास से सम्बद्ध है और दूसरा पक्ष परिवेश तथा रुपाकार के परिवर्तन शैली और भंगिमा के नवरुपान्तर से जुड़ा है। इसलिए आधुनिकता को एक मनोवृत्ति मानना चाहिए जो स्थितियों में प्रतिफलित होती है। आधुनिकता व्यक्ति को मूल्यों के प्रति सचेत तो करती है किन्तु वह मूल्य नहीं है। मूल्य तो उस दृष्टि से प्राप्ति जीवन को अथवा आत्मबोध को ही कहा जा सकता है। इस लिए यह वैज्ञानिक प्रक्रिया से उद्भूत मूल्य दृष्टि ही है। ब्रिटिश शासन की राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक व्यवस्था का प्रभाव भारत की परिस्थितियों और भावनाओं पर तो पड़ ही रहा था, भारतीय मनः स्थिति पर भी गहराता जा रहा था, इसके परिणाम स्वरूप सामंजस्यप्रियता का परिणाम हुआ कि पूर्व और पश्चिम, नवीनता और प्राचीन तथा परम्परा और बौद्धिक पूर्व और पश्चिम, नवीन और प्राचीन तथा परम्परा और बौद्धिक वैचारिक आधुनिकता ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, देव समाज, आर्य समाज तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के रुप में उभर कर सामने आने लगी।

आधुनिकता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे–जैसे कोई समाज परम्परा से आधुनिकता की ओर बढ़ता है, ठीक वैसे–वैसे उनमें नये–नये प्रकार के ज्ञान, अनुभव ओर विविध प्रकार के मूल्य बढ़ते रहते हैं। आधुनिकता में ज्ञान और अनुभव का विभागीकरण होता है तथा नये–नये क्षेत्र खुलते है। आधुनिकता व्यवहारिक विभागो के विकास का परिणाम है, आधुनिकता सभी प्रकार के रूढ़िवादिता के विरुद्ध है। आज के आधुनिक परिवेश में मुस्लिम परिवर इससे अछूता नहीं है। जैसे–जैसे समाज में नित नये ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और ट्रेन्ड से हर व्यक्ति और उसका परिवार निकटता प्राप्त कर रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी एवं औद्योगीकरण ने परिवार को पुरातन परम्पराओं को अलविदा कर नये विधि–विधान से सामाजिक जीवन जीने के लिए दिनों दिन नये–नये आविष्कारों एवं वैज्ञानिक प्रयोगों से मानव समाज और उसके परिवार में जीवन जीने की नई लालसा पैदा कर रहे हैं। वैसे मुस्लिम परिवार आधुनिक शिक्षा, नवीन तकनीकी एवं औद्योगिकरण से फलीभूत होते हुए अपने परिवार को विकास के मार्ग पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, यह आधुनिकता का ही परिणाम है कि मुस्लिम परिवार के बच्चे जो शिक्षा के नाम पर मात्र अरबी पढ़कर नमाज और मुस्लिम धर्म के अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर अपने जीवन संग्राम में कूद पड़ते थे। आधुनिक ज्ञान के अभाव में उन्हें मात्र इस्लाम और उसके धार्मिक सिद्धान्त ही सब कुछ नजर आते थे। वह दुनिया में मात्र क्षणिक जीवन व्यतीत कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने लायक नेकियाँ प्राप्त करना अपने जीवन का मुख्य ध्येय बना लिया था। जब तक मुस्लिम समाज आधुनिक ज्ञान विज्ञान के सम्पर्क में नहीं आया था, वह मात्र जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर का जीवनदर्शन जानता था। उसे सांसरिंक प्रगति एक छलावा लगती थी। वह इस सांसरिक प्रगति व विकास से दूर रहना चाहता था। मुस्लिम शासनकाल में भी इनके बादशाहों ने भारतीय मुस्लिम परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उच्च शिक्षा एवं नवीन विचारों का बीजारोपण नहीं कराया।[5]

मुस्लिम राज्य सत्ता के पतन और ब्रिटिश हुकूमत के उरूज ने भारतीय समाज में आधुनिक ज्ञान के बलबूते पर नवीन चेतना का श्रीगणेश किया। आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में ही मुस्लिम समाज धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ आधुनिक एवं सांसारिक शिक्षा की तरफ अग्रसर हुआ। अंग्रेजी की तालीम हासिल करने के बाद उसे ब्रिटिश इण्डिया में रोज–रोजगार के अच्छे अवसर

मिलना शुरू हो गये। जब परिवार में मुखिया की मासिक आय अच्छी होने लगी तो स्वभावतः परिवार में साफ–सफाई, रहन–सहन, परिवारिक सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आने लगी। नियमित रूप से अर्थाजन होने से मुस्लिम परिवारों के घरों एवं दर–दीवार के स्वरूप बदल गये। समाज में एक दूसरे के प्रति जो संशय की भावना थी, विकास की मुख्य धारा में जुड़ने से वह धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है। आज का आधुनिक मुसलमान नवीन ज्ञान के प्रकाश में अपने आसपास के अन्य धर्मावलंबियों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। अल्पसंख्यक होने के कारण उसके अन्दर जो हीन भावना बनी हुई थी, वह अब धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है। आधुनिक मुसलमान न केवल सामाजिक क्षेत्र में अपने बहुसंख्य समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में भी बहुसंख्यक समाज के साथ जुटकर अपनी उपयोगिता का समाज को एहसास करा रहा है। अपने हुनरमन्दी, दयानतदारी, ईमानदारी के कारण आज मुस्लिम समाज के लोगों को बहुसंख्यक समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है। वह अधिकाँशता अपने निजी मामलों में मुस्लिम नवयुवकों पर अधिक भरोसा करता है।[6]

आज का आधुनिक मुसलमान मस्जिद और मक्तब की चहारदीवारी से निकल आधुनिक स्कूल, कालेजो, यूनिवरसीटीज तथा उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों में जुटकर जहाँ ज्ञानार्जन कर रहा है, वहीं उसे सर्वसमाज के साथ रहने की सुखानुभूति हो रही है। मुसलमान परिवार अपने पारम्परिक कार्य यथा–बकरी पालन, मुर्गी–मुर्गा पालन, कपड़ा बुनना, बीड़ी बनाना, सोने–चाँदी के वरक कूटना जैसे कार्यों को छोड़कर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद फुटकर एवं थोक व्यापार में लगकर, मशीनरी कार्यों में संलग्न होकर, अच्छी खासी मात्रा में अर्थाजन कर रहे हैं, जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर धीरे–धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है।[7] अब शहरों एवं कस्बों में उनके थोक व फुटकर कपड़ों की दुकाने हैं, थोक एवं फुटकर मेडिकल स्टोर है, थोक एवं फुटकर बिसातबनें की दुकाने हैं, थोक एवं फुटकर सब्जी, फल, एवं केराने की दुकाने हैं, वे दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन के मरम्मत कार्य, टेलीवीजन, मोबाइल एवं फ्रीज के मरम्म्त एवं सेलिंग वर्क्स में भी लगे हूए हैं, बिल्डिंग मैटेरियल एवं मीट सेलिंग वर्क्स से भी सम्बद्ध हैं। उनके पढ़े लिखे युवक डाक्टर एवं इंजीनियरिंग पेशे में भी सेवायोजित हैं, वे अधिक से अधिक मात्रा में जहाँ निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्योजित हैं, वहीं कुछ न कुछ मात्रा में सरकार के हर विभागों में नौकरी पेशा से भी जुड़े हैं, जिसके कारण खान–पान, रहन–सहन, बात–व्यवहार, शादी–ब्याह, वस्त्राभूषण आदि क्षेत्रों में वह अपने हिन्दू भाइयों से कदम से कदम मिलाते हुए आधुनिक परिवेश में जीवनयापन कर रहे है।

संदर्भ –

1- डॉ0 सुखवीर सिंह, समीक्षा के नये प्रतिमान, पृ0–69
2- डॉ0 कुमार आनन्द, भारतीय समाज का स्वरूप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, पृ0–43
3- Rudolf & Rudolf : The modernity of tradition, p-7
4- आईजेन स्टॉट–मार्डनाईजेशन प्रोटेस्ट एण्ड चेन्ज प्रेन्टिस, हाल आफ न्यू इण्डिया, देहली, 1969
5- एम0के0 सिद्दीकी, कास्ट एमंग द मुस्लिम आफ कलकटा, मनोहर बुक सर्विस देहली, 1973, पृ0–164–91
6- डी0ई0गुडफ्रेन्ड ,चेन्जिंग कान्सेप्ट आफ कास्ट एण्ड स्टेटस एमंग ओल्ड डेलही मुस्लिम, मनोहर बुक पब्लिकेशन, देहली, पृ0–119–182
7- डॉ0 वन्दना सिंह, मुस्लिम समाज का बदलता परिदृश्य, 2013,

समाजवादी आंदोलन का ऐतिहासिक अवलोकन

*अमरदीप रजक**

शोध सार :

समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसकी परिभाषा समय एवं परिस्थिति के साथ परिवर्तनशील रही है। 1803 ई. में समाजवाद का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग इटली में किया गया। वहीं इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन के अनुयायियों को संबोधित करते हुए "कॉऔपरेटिव मैगजीन" ने 1827 में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावे फ्रांस की "ले ग्लोब" पत्रिका ने भी 1833 में सेन्ट साइमन की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि मार्क्स पहले व्यक्ति थे जिसने समाजवाद को वैज्ञानिक धरातल प्रधान किया। हांलाकि मार्क्स के पूर्व भी कई विचारकों जैसे–चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओबन, लुई ला आदि ने भी इस विचारधारा को परिभाषित किया। किन्तु उनका आधार काल्पनिक था क्योंकि ना ता उनके विचार व्यवस्थित ही थे और ना ही वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण था।

प्रस्तावना :

जब भी किसी देश में नई विचारधारा का जन्म होता है तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है। ठीक उसी प्रकार समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी अन्य देशों पर पड़ा, जिसमें भारत भी एक था[1]। 1927 में जवाहरलाल ने अपनी रूस यात्रा के दौरान वहां समाजवाद के जिस रूप को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा उससे काफी प्रभावित हुए और इसे भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना।

प्रारंभ से ही भारतीय राजनीति पर समाजवाद का गहरा प्रभाव रहा है। यहां के समाजवादी नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समतामूलक समाज के निर्माण का स्वप्न देखा था और यह तभी संभव हो सकता था जब औपनिवेशिक शासन को जड़ से उखाड़ बाहर फेंक दिया जाए। अतः भारत में विदेशी शासन का अंत करने के लिए समाजवादियों द्वारा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। धीरे–धीरे इसका प्रसाद भारत के विभिन्न प्रांतों में भी होने लगा। बिहार का समाजवादी आंदोलन भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी थी। रूस की समाजवादी क्रांति ने भारतीय युवा वर्ग के बीच नई चेतना का विकास किया। इसका प्रभाव बिहार के नवयुवकों पर भी पड़ा। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि किस तरह से जमींदार वर्ग किसानेां एवं मजदूरों का शोषण करे हैं[2]। लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। बिहार के कुछ युवाओं ने शोषितों के कष्टों को दूर करने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक मात्र बड़ी पार्टी थी और उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा आश्रय मिल रहा था। जब भी कांग्रेस द्वारा कोई आंदोलन प्रारंभ किया गया उसमें इन बिहारी युवकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि किसानों एवं मजदूरों को उनका हक मिल सके। किन्तु जल्द ही उन्हें ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस दक्षिणपंथी प्रभाव से घिरती जा रही है और अब वह कोई ठोस कदम उठझने की स्थिति में भी नहीं रही। ऐसे में इन्होंने कांग्रेस से विमुख हो अपनी उम्मीदों को समाजवादी विचारधारासे जोड़ने का प्रयास किया क्योंकि समाजवादी विचारधारा शोषित वर्ग के विरूद्ध खुले संघर्ष की बात की गई थी। कांग्रेस द्वारा जमींदारों के विरूद्ध आंदोलन न करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस अपना सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटिशों को समझती थी। कांग्रेस का जानना था कि पहले इन्हें बाहर करना चाहिए। अंग्रेजों के विरूद्ध किए गए संघर्ष में कांग्रेस जमींदार वर्ग को भी जोड़ना चाहती थी। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो जमींदार वर्ग अंग्रेजों से जा मिलते और दोनों मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने में सफल हो जाते[3]।

* **शोधार्थी इतिहास विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

इस प्रकार के आंदोलनों से किसान एंव मजदूर वर्ग के लोग बड़े स्तर पर कांग्रेस से जुड़ते चले गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया। धीरे–धीरे इस आंदोलन के साथ समाजवादी नेता भी जुड़ने लगे। स्वामी जी के साथ–साथ योगेन्द्र शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन आदि उनके सहकर्मियों ने ऐसा जमींदारी विरोधी माहौल तैयार किया कि बिहार में चारों तरफ स्वामी जी का नारा गूंज उठा। "कैसे लोगों मालगुजारी, लट हमारा जिंदाबाद।" अंततः जब बिहार विधान सभा में जमींदारी विरोधी कानून पारित करने को लेकर वाद–विवाद प्रारंभ हुआ तो पक्ष और विपक्षी दलों के सदस्य यह महसूस कर रहे थे कि दर्शक दीर्घा में स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वयं किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित है। 2 जून 1931 को पटना में फूलन प्रसाद वर्मा के आवास पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की सभा रखी गई जिसमें समाजवादी पार्टी से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। जो इस प्रकार है–

2 जून 1931 को सभी कांग्रेस सदस्यों की सभा बुलाई गई जिसका आयोजन फूलन प्रसाद वर्मा के आवास, पटना में किया गया[4]। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी समाजवादियों को मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करनी चाहिए। पटना में जुलाई 1931 में इस पार्टी की नींव रखी गई।

इसके निर्णय में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और राहुल सांकृत्यायन आदि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस पार्टी का उद्देश्य सभी एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां सभी को समान अधिकार दिया जाए तथा किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो यह पार्टी किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता अब्दुल बारी ने की तथा इसके सचिव पी.पी. वर्मा, गंगा शरण सिंह और बाबा दामोदर दास को बनाया गया। इसके बाद देश के सभी समाजवादियों को एक मंच पर लाने तथा अपने उद्देश्यों को बड़े स्तर पर फैलाने के लिए 1934 में 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' की नींव रखी गई। जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करना था और पूरी तरह समतामूलक समाज की स्थापना करना था।

इस तरह हम देखते हैं कि 1931 में ही 'बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन 1934 में कांग्रेस की ओर झुकाव के कारण कांग्रेस के साथ मिलाकर इस पार्टी की स्थापना की गई। जिसका नाम थ 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी'। अब यह पार्टी किसानों तथा मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करने को तैयार थी। 1934 में आयोजित सभा की अध्यक्षता अब्दुल बारी ने की थी।

वही दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में जिस मार्क्सवाद का दर्शन किया था उसी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करना चाह रहे थे किन्तु स्वतंत्रता की लड़ाई में कम्युनिस्टों ने कोई योगदान दिया जिस कारण जे.पी. भी इस पार्टी से अलग रहे। लेनिन के पश्चात् 1924 ई. में स्टालिन के समय रूस की विदेश नीति में काफी बदलाव नजर आया। अब कॉमिनटर्न की नीतियां रूस की विदेश नीति से प्रभावित ही रहती थी। हांलाकि स्टालिन खुलकर कर ब्रिटेन का विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि वह पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में चारों ओर घिरा था[5]। इसलिए उसकी कोशिश यही रहती थी कि उसके देश ने साम्यवादी शक्तियां काफी मजबूत हो जाए और अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों पर उसी का वर्चस्व स्थापित हो जाए। इसके अलावे कॉमिनटर्न में ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी भारत का प्रतिनिधित्व करती थी।

इसी कारणवश ब्रिटेन के विरूद्ध आजादी की लड़ाई का समर्थन कॉमिनटर्न ने नहीं किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। ऐसी स्थिति में जे.पी. ने महसूस किया कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां ऐसे लोग भी सम्मिलित हो सके जो मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होने के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे सके।

यद्यपि भारत में कम्युनिस्टों की छिटपुट गतिविधियां 1920 से ही प्रारंभ हो चुकी थी, किन्तु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना 1925 में ही कानपुर के एक सम्मेलन में की गई थी। इस पार्टी के चार प्रमुख नेताओं (श्रीपाद अमृत डांग, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और दास गुप्ता) को कानपुर कंसपिरेसी केस में चार साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद 1929 में मेरठ कंसपिरेसी केस शुरू हुआ जिसमें इस पार्टी के उन चारों नेताओं सहित 32 व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला। 1933 तक इस मुकदमें की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। अंत में उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। अतः उनके समर्थन में राष्ट्रीय नेताओं ने 'अपील कमेटी' का गठन किया ताकि उन्हें बचाया जा सके। इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। इस कमिटी के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू के अलावे जयप्रकाश नारायण ने भी अपना योगदान दिया। इस अपील कमिटी तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सजा कम कर दी गई और उन्हें अडमान नहीं जाना पड़ा। यदि कम्युनिस्टों ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया होता तो हो सकता है जयप्रकाश अमेरिका से वापस आने के पश्चात् कम्युनिस्ट पार्टी में ही सम्मिलित हो जाते।

1928 में संपन्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठी कांग्रेस में सभी 'राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिका समाजवादियों को 'सोशल फासिस्ट' कह कर संबोधित किया गया। उस समय जे. पी. कम्युनिस्ट होते हुए भी इसे मानने से इंकार किया। जेपी. नेयह महसूस किया कि कॉमिनटर्न पूरी दुनियां में मजदूर तथा समाजवादी आंदोलनों में फूट डालनेका काम कर रही है और इसी से वह सभी पराधीन देशों के राष्ट्रीय संग्राम में धीरे–धीरे कटता जा रहा है। इसके अलावे रूस में बड़ी संख्या में स्टालिन विरोधियों की गढ़े हुए आरोों पर की गयी हत्याओं के कारण भी उनका मन कम्युनिज्म के विरूद्ध विद्रोह कर उठा[6]। लेकिन यह मोहभंग स्टालिन की नीतियों और सोवियत संघ की तत्कालीन व्यवस्था से था, ना की मार्क्सवाद से जयप्रकाश नारायण अब इसी परिप्रेक्ष्य में तथा समाजवादी विचारधारा रखनेवालों को एक विशाल समाजवादी मंच प्रदान करना चाह रहे थे। कांग्रेस की नीतियों और गांधीवादी फार्मूलों से देश के दबे–कूचले लोगों का भाग्य नहीं बदला जा सकता। अतः जे.पी. ने समाजवाद के मार्ग का अनुसरण करते हुए इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए गुप्त रूप से यात्राएं भी की।

राममनोहर लोहिया ऐसे नेताओं में से थे जिन्होंने मार्क्सवाद को कभी भी भारत के लिए जरूरी नहीं समझा तथा उसके विचारों में विश्वास रखनेवालों को वे 'परदेश मुखी' कह कर संबोधित किया करते थे। समाजवादी विचारधारा के लोगों ने जिसमें साम्यवादी प्रमुख थे, जहां इसे अंतर्राष्ट्रीय धारा की दी थी वही इसके विद्रोहियों ने इसे 'देशद्रोह' की धारा का नाम दिया था। लोहिया जी ने समाजवादी पार्टी के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया है। 1934 से 1947–48 तके के समय को 'मिर्च युग' की संज्ञा दी गई है। इसके बाद 1948–1951 तक 'उजान का युग' रहा। 1951–55 तक के बीच का सफर तोड़ और तनाव का रहा तथा 1966 तक उसी युग का विस्तार रहा। तत्पश्चात् 1967 के बाद का समय भी 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले तक का सफर 'लोभ और तोड़–फोड़ का युग' ही कहा जा सकता है। फिर 1977–1992 के अंत तक का काल समाजवादी विचारधारा से साम्य रखने वाले नेताओं के 'भटकाव का युग' रहा। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई तब से आज तक के समय को 'समाजवादी पुनरूत्थान' के युग की संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्द्धन, अशोक मेहता, युसुफ मेहर अली, एम.आर. मसानी, एन.जी. गोरे, एस.एम. जोशी और एम.एल. दानवाला आदि को संयोगवश एक ही साथ नासिक जेल में रखा गया। जैसे–जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ता गया वैसे–वैसे लोगों की उग्रता भी बढ़ने लगी और गांधी जी का अहिंसात्मक नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उस समय

स्थगित कर दिया गया जब जनता पूरे उत्साह एवं जोश के साथ आंदोलन में योगदान दे रही थी। अतः इसका विपरीत असर जनता पर पड़ा और वह कांग्रेस छोड़ दूसरा विकल्प ढूढ़ने लगी। पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, बंबई आदि जगहों पर समाजवादी दलों की स्थापना किसी न किसी रूप में की जाने लगी। ऐसी स्थिति में बिहार भी पीछे ना रहा और यहां के नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी के निर्माण का फैसला लिया। इस दिशा में पहल करते हुए 1931 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया। इस समाजवादी पार्टी के आयोजन में मुख्य भूमिका गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, बसावन सिंह, रामनन्दन मिश्र आदि ने निभाई। इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि बिहार में 'समाजवादी पार्टी' की नींव रखी गई। इस सभा की अध्यक्षता अब्दुल बारी ने की। फूलन प्रसाद वर्मा एवं राहुल सांकृत्यायन को इस पार्टी का मंत्री नियुक्त किय गया। इस पार्टी की स्थापना में बलदेव सहाय, अम्बिका कान्त सिंह, यमुना कार्जी, धनराज शर्मा, रामदीन शर्मा, अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा तथा किशोरी प्रसन्न सिन्हा आदि ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रारंभ में इस दल का नाम 'साम्यवादी दल' रखा गया था किन्तु जब इसका घोषणा–पत्र बनकर तैयार हुआ तो इसे 'बिहार समाजवादी पार्टी' का नाम दिया गया।

इस दल के तत्वावधान में अप्रैल 1934 में उत्तरप्रदेश कांग्रेस के नेता सपूर्णानन्द ने भारत के लिए समाजवादी कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की। समाजवादियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 17–18 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई जिसकी अध्यक्षता आचार्य नेरन्द्र देव की थी तथा इसी सम्मेलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। पटना में इस सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि पहले से बिहार में एक सोशलिस्ट पार्टी गठित थी।

पटना सम्मेलन में इस पार्टी का संगठन मंत्री जयप्रकाश जी को बनाया गया। इस तरह मंत्री पद की हैसियत से प्रचार करने के उद्देश्य से वे पूरे देश में घूम गये और अलग–अलग प्रांतों में इस पार्टी की शाखाएं खोली गई। संपूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक बड़ा सम्मेलन अक्टूबर 1934 में हुआ। जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई। आचार्य नरेन्द्र देव इसके अध्यक्ष और जयप्रकाश जी को महासचिव बनाया गया। इस पार्टी में आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश नारायण के अतिरिक्त अच्युत पटवर्धन, डॉ. राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, युसूफ मेहर अली, अशोक मेहता, सेठ दामोदर स्वरूप, मोहन लाल गौतम, मुंशी अहमद दीन एवं शिवनाथ बनर्जी जैसे कुशाग्र बुद्धि के समाजवादी नेता सम्मिलित थे।

वहीं दूसरी ओर विश्व पटल पर 1917 की क्रांति के बाद रूस में करेन्सकी की सरकार बनी। लेनिन ने बनवास से आने के पश्चात् रुसी पार्टियों के सामने "अप्रैल थीसिस" नाम से एक नवीन विचार धारा को प्रस्तुत किया[7]। इसके विरूद्ध एक विद्रोह हुआ जो एक संगठित गिरोह का सुनियोजित प्रयास था। जिसके नेता ट्राटस्की, बुखारिन, जिनोभ रेडेक, सर्वडलोभ और स्टालिन के नाम प्रमुख थे।

इसकी सफलता के पश्चात् साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का व्यापक प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ा और भारत भी इससे अछूता ना रह सका। यहां के समाजवादियों ने भी इस घटना से प्रेरणा ली और आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में लग गये। स्नेह–स्नेह विश्व में समाजवादी और पूंजीवाद–साम्राज्यवादी आंदोलन दोनों के विचारों के भिन्न–भिन्न स्तरों पर भिन्न तरीके से चलाए जाने लगे।

1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने इस संघर्ष को खासकर काफी बल प्रदान किया। जहां पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित थी वहां इसका व्यापक प्रभाव पड़ा लेकिन समाजवादी व्यवस्था वाले देशों पर इसका प्रभाव नगन्य ही रहा। इसी बीच भारत के समाजवादी नेताओं ने आजादी की लड़ाई में खुल कर भाग लिया और 1942 ई. के "करो या मरो" आंदोलन को प्रारंभ करवाने से लेकर अंत समय तक इसे सफल बनाने के हर प्रयास करते रहे।

निष्कर्ष : इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में समाजवादी विचारधाररा के बीच हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों मध्यकालीन कवियों संगेकी रचनाओं में तथा आधुनिक कालीन समाज सुधारकोंआदिके विचारधाराओं में भी दिख पड़ते हैं। लेकिन मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद से भारत का संपर्क 1914 की रूसी क्रांति के बाद ही हा सका। जिसकी साफ झलक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जा सकती है। भारत इस विचारधारा के आगमन केपश्चात् इसने साम्यवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन में बड़ी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने देश के मजदूरों, कृषकों, दलितों, शोषितों के बीच नई चेतना को पैदा किया ताकि वे अपने अधिकारों की लड़ाई स्वाधीनता संग्राम के माध्यम से लड़ सके। वही दूसरी ओर कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों ने कृषकों एवं मजदूरों के बीच असंतोष का गहरा भाव पैदा कर दिया थ जिसे खत्म करना काफी मुश्किल था। जब महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई तो कांग्रेस के ही अंदर वामपंथी विचारधारा रखने वाले सदस्यों ने उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर समाजवादी बनाने की ओर उन्मुख हुए। इस तरह कुल मिलाकर भारत में समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

<u>सन्दर्भ सूचीः–</u>

1. सच्चिदानंद सिन्हा, 'फिफती इयर्स ऑफ दी सोशलिस्ट मूवमेंट–, समरा एरा, अंक–4, न. 5–4, अक्टूबर–दिसंबर, 1984, दिल्ली, 1984, पृ.सं.–61
2. डॉ. के.एल. कमल, समाजवादी चिंतन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. सं.1–2 .
4. रवीन्द्र भारती, कपिलदेव सिंह समग्र–4, समाजवाद और भारतीय राजनीति, कपिलदेव सिंह समाजवादी फाउन्डेशन, पटना, 2007, पृ.सं.–130 .
5. अमरेश्वर अवस्थी एवं राजकुमार अवस्थ, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवंराजनीतिक चिंतन, दिल्ली, 1989, पृ.सं.–514 .
6. राजेन्द्र शर्मा 'संघर्ष' का नाम कर्पूरी, ग्रामोन्मुख, वर्ष–1, अंक–1, पृ.सं.–3
7. बिहार विधान सभा वाद–विवाद, 17 फरवरी 1959, 1959–60 के आय–व्ययक पर सामान्य वाद–विवाद .

महाकाव्य का ऐतिहासिक चित्रण : महाभारत के संदर्भ में

*डा0 सीमा कुमारी**

शोध सार :

भारतीय संस्कृतिक इतिहास में महाकाव्यों से तात्पर्य रामायण एवं महाभारत से हैं । रामायण और महाभारत ही ऐसे दो महाकाव्य है जिन पर भारत की समस्त सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परम्परा को गर्व होना उचित ही है । महाकाव्य सदा एक साहित्यिक चमात्का माना जाता है और यह भारत का सौभाग्य है कि यहॉ यह चमत्कार दो बार घटित हुआ है । भारतीय संस्कृति का जैसार सजीव एवं गत्यात्मक चित्रण इन ग्रंथ युगल में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुलर्भ है । ये दोनों ग्रंथ युगल भारतीय साहित्य के उपजीवी ग्रंथ है । भारत वर्ष की महान साधना एवं संकल्प का उज्जवल इतिहास इस ग्रंथ युग में सुरक्षित है । परम्परा से महर्षि बाल्मीकि रामायण के और महर्षि व्यास महाभार के रचयिता माने जाते है । इन दो महाकाव्यों ने भारतीय जनता पर अत्यधिक प्रभाव डाला है । उनके जीवन के आदर्श और शिक्षाएॅ भारतयी समाज में गहराई से व्याप्त है । ये दो महाकाव्य समस्त भारतीय समाज के लिए उनके कला, साहित्य और दैनिक व्यवहार के संबंध में भी संदभ स्रोत का कार्य करते है ।

प्रस्तावना :

समय की गति किसी की प्रतीक्षा नही करती । समय अपने चरण चिन्हों को छोड़कर आगे बढ़ता है और इस नियमानुकूल समय–समय पर संस्कृतियॉ भी उत्थान पतन के थपेड़े खाती हुई अपना प्रभाव छोड़ जाती है । 15वीं परमर्षि व्यासकृत शतसाहस्त्री संहिता (महाभारत) पुरातन इतिहास का अक्षयस्रोत एवं विश्व कोश है[1]। विष्णुगुप्त कोटिल्य ने इतिहास का जो लक्षण बताया है कि पुराण, इतिवृत, आख्यायिका उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र मिलकर इतिहास कहलाते हैं, पूर्णतः महाभारत पर घटित होता है। कभी इस देश में महाभारत सदृश अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ थे । व्यास ओर उनके शिष्यों को उन दिव्य इतिहासों का पूर्ण ज्ञान था तथा महाभारत में इन पुरातन इतिहास ग्रन्थों का पूर्ण उपयोग किया गया है। व्यास जी ने उन दिव्य इतिहास ग्रन्थों का उल्लेख इस प्रकार किया है –

'येषां दिव्यानि कणि विक्रमस्त्याग एवं च ।
महात्म्यमपि चस्तिकयं सत्यता शोचमार्जवम ।।

विद्वम्दिः कथ्यते लोके पुराणेः कक्सित्तमः । (आदिपर्व 1/181) ।

महाभारत शब्द की व्युत्पत्ति –

महर्षिपाणिनी ने 'महाभारत' शब्द की वेयाकरणिकव्युत्पत्ति सिद्ध की है दृ इसकेअनुसार भारत शब्द में महान शब्द लगाने पर समास शब्द बनता है – महाभारतध्टीकाकारों ने इस का अर्थ किया है – 'भारता योद्धारोयस्मिन् युद्धे तद् भारतम' जिस युद्ध को भरत वंशी योद्धा लड़े हो वहभारत कहलाया । क्योंकि यह भरतों का महान युद्ध था[2] – इसीलिये यह 'महाभारत' कहलाया ।यह तो महाभारत शब्द की एक शाब्दिक व्युत्पत्ति हुई । स्वयं महाभारतअनुक्रमणिकाध्याय मेंमहाभारत की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है –

'चतुर्यः सरहस्यम्यो बेदम्यो हधिकं यदा ।
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् महाभारतमुच्यते ।।
महत्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणो यतोऽधिकम् ।
महत्वाच्च भारवत्वाच्च महाभारतमुच्चयते ।
निरुक्तमस्य यो वेदः सर्वपापैः प्रमुच्चयते ।(1/1272–274)

---

* **प्रा0 भा0 एवं ए0 अध्ययन विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

क्योंकि महत्व में ओर भार में यह उपनिषदों सहित चारों वेदों से अधिक है, इसलियेलोक में इसे महाभारत कहते हैं । महानता और भार में अधिक होने से इसे महाभारत कहते हैं, जो इसकी इस निरूक्ति को जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है ।

जय, भारत और महाभारत –ग्रन्थ के तीन संस्करण –

महर्षि व्यास ने महाभारत का प्रथम नाम 'जय इतिहास' रखा था –

'जयोनामेतिहासोऽयं श्री कन्यो विजिगीषुपा । (उद्योग01361/8)।

'जय नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता । (स्वर्गाराहेण पर्व 5/50)

व्यास जी ने महाभारत की रचना सदा परिश्रम करके तीन वर्षों में की – त्रिभिर्वर्षः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः ।

महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम् ।। (आदिपर्व 56/32) ।

महाभारत के अनुसार स्वयं व्यास जी ने ग्रन्थ के दो संस्करण किये प्रथम संस्करण में उपाख्यानों सहित एक लाख श्लोक थे, इसीलिए इसको 'शतसाहस्त्रीसंहिता' कहते हैं । बिना उपाख्यानों के 24000 श्लोकों की दूसरी संहिता बनाई जिसको केवल भारत संहिता कहा गया –

'इदं शतसहस्रं तु श्लोकानां पुण्यकर्मलाभ् ।
उपाख्यानेः सह ज्ञेयमाद्यं भारत मुत्तमम् ।
चतुर्विंशतिसाहस्त्री चक्रे भारत संहिताम् ।
उपाख्यानेजिना तस्माद् भारतं प्रोच्यते बुधैः । (11/101–102)

महाभारत का पर्व विभाग दो प्रकार से हैं –

'एतद्पर्वशतं पूर्ण व्यासेनोपन्तं महात्मना ।
यथावद् सूत्रपुत्रेण लोमहर्षिणा ततः ।
उत्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यक्तदशेव तु ।।(112/83–84)

श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे सो पर्यों की रचना की थी, पुनः सूतपुत्र उग्राश्रवा ने उन

संस्करणत्रय –

महाभारत के संशोधित संस्करण के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर यह कहना युक्ति युक्तहोगा कि महाभारत के वर्तमान स्वरूप का विस्तार तीन चरणों तथा तीन संस्करणों में हुआ[3] । जय,भारत और महाभारत इस अभिधात्रयी में हमें इन तीन विकास चरणों का स्पष्ट संकेत मिलता है ।

जय –

महाभारत का मौलिक रूप जय के नाम से विख्यात था । ग्रन्थारम्भ में नारायण, नरतथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जिस 'जय' नामक ग्रन्थ के पठन का विधान है, वही मूलमहाभारत है ।

'नारायणं नमस्कृत्य नरं चौव नरोतमम् ।
देवी सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत् ।। महाभारत, मंगल श्लोक

वहीं यह भी लिखा है कि इसका प्राचीन नाम जय था । **जयो नामेतिहासोडयम।**

पाण्डव–विजय के वर्णन के कारण इसका यह अभिधान सार्थक प्रतीत होता है । आदि पर्व केप्रथम अध्याय में ही विजिगीषुओं के लिए जय नामक इतिहास सुनने का आदेश दिया गया है ।

भारत

दूसरी अवस्था में इसका नाम भारत पड़ा इसमें उपाख्यानों का समावेश नहीं था । केवल युद्ध का विस्तृत वर्णन प्रधान विषय था, जो चौबीस हजार श्लोको में निबद्ध था । इसी भारत कोवैशम्पायन ने जनमेजय को पढ़कर सुनाया था –

'चतुर्विंशतिसाहस्त्री चक्रे भारत संहिताम् ।
उपाख्यानविना तावद् भारतं प्रोच्यते बुधेः ।।

कतिपय विद्वानों ने उपर्युक्त पद्य (आदि 1/61) का सर्वथा भिन्न स्पष्टीकरण दिया है । **'दक्षिणी पाठ'** के यशस्वी सम्पादक पी0पी0एस0 शास्त्री के अनुसार इस पद्य का अर्थ यह है कि यदिश्लोकों की गणना आख्यानों उपाख्यानों सहित की जाय तो महाभारत में एक लक्ष श्लोक है अन्यथा उसकी गणना चोबीस हजार ठहरती है । अर्थात् शास्त्री जी 'भारत' को महाभारत के विकास की दूसरीअवस्था नहीं मानते । उनके अनुसार 'अठारह वर्षों में निबद्ध महाभारत जो कि आज उपलब्ध है, अकेले व्यास की रचना है[4] । महाभारत के कुछ प्रारम्भिक अध्याय अवश्य वेशम्यायन तथा सूत द्वारारचित है ।

महाभारत–

इस ग्रन्थ का यही अन्तिम रूप है, जिसे 'शतसाहस्त्री संहिता' कहा जाता है। 'हरिवंशको मिलाकर ही श्लोक संख्या एक लाख पहुँचती हे । हरिवंश को महाभारत का परिशिष्ट (खिलपर्व) माना जाता है । विक्रम से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व विरचित आश्वलायन ग्रासूत्र में महाभारतका उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि महाभारत का यह रूप लगभग दो हजार वर्ष पुराना अवश्यहै । उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय' – ये दो प्रमुख इसके पाठ सम्प्रदाय (रिसेंशन्स) हे, जिनमें विभिन्न पाण्डुलिपियों का समावेश है । विभिन्न पाण्डुलिपियों की श्लोक संख्या, अध्याय–कमतथा संख्या, उपाख्यान – सन्निवेश आदि विषयों में महान अन्तर पाया जाता है ।

इन रूपों को तथा महाकाव्य में उपलब्ध सामग्री–वैविध्य को देखकर ही विक्टरनित्स ने कहा था कि महाभारत कोई एक व्यक्ति और एक समय की रचना नहीं है[5] । वह उस युग का एकसमूचा साहित्य है।

महाभारत का रचना काल –

हाप्किन्स के अनुसार 'महाभारत वर्तमान रूप में जितना है उतना (अथवा नीति–शिक्षाके अंश को छोड़कर बचा हुआ रूप) अलेक्नांडर के आक्रमण के बाद में रचा गया था संकलित हुआ है । नीति – शिक्षात्मक सब अंश बाद में जोड़े गये । ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के लगभग महाभारत कृष्ण विषयक भक्ति का ग्रन्थ नहीं हो पाया था । महाभारत प्रत्यक्ष रूप से दूसरी शताब्दी में पूर्णहुआ । सम्पूर्ण महाकाव्य को लेकर उसका रचना काल प्राप्त करना सम्भव नहीं, फिर भी स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि ई.पू. दूसरी शताब्दी में महाभारत विद्यमान था[6] । विन्टरनित्स के अनुसारमहाभारत का समय चतुर्थ सदी ई.पू.से पूर्व और चतुर्थ सदी ई. सन् के पश्चात नहीं हो सकता।

महाभारत–रचना काल के विषय में होल्टजमन, श्रोडर, ग्रियर्सन, ओल्डन पर्व, पिसानी,सुक्ठणकर, दाण्डेकर आदि विद्वानों ने भी अपने–अपने मत व्यक्त किये हैं । इन साक्ष्यों का विवरणदेने की अपेक्षा, शिलालेखों, धर्मसूत्रों एवं अन्य संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर महाभारत का रचना काल निर्धारित करना अधिक युक्तिसंगत होगा[7] । निम्नांकित तथ्य महाभारत के रचना काल पर सम्यक् प्रकार डालते हैं –

1. कनिष्क के सभा पण्डित अश्वघोष ने 'वज्रसूची' उपनिषद, में हरिवंश के श्लोक तथा स्वयंमहाभारत के भी श्लोक उद्धृत किये हैं।अश्वघोष का समय ई. सन् की प्रथम शताब्दी हैअतः उस समय यह ग्रन्थ हरिवंश के साथ लक्षश्लोकात्मक था, इसमें सन्देह नहीं ।
2. आश्वलायन ग्रासूत्र (3/4/4) में 'भारत' तथा 'महाभारत' का पृथक–पृथक उल्लेख ।
   सुमन्तुलेमिनिवेशम्पायन वैलसूत्र भाष्य भारतमहाभारता चार्या –
   आश्वलायनग्रहा., अ. 3खण्ड 4।
3. बोधायन के गृहसूत्र में विष्णुसहस्त्रनाम' का स्पष्ट उल्लेख है तथा भगवत् गीता का एक श्लोक प्रमाण रूप में उद्धृत किया गया है

देशाभावे द्रव्याभावे साधारणे कुर्यात् मनसा वार्ययेत् इति तदाह भगवानः ।
फुत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यवहत मश्नामि प्रयतात्मनः ।।
–गीता 9/26 ।

दोनों ग्रन्थकारों की स्थिति ई0पू0 पांचवी शती में मानी जाती है । ये दोनों ग्रंथकारमहाभारत से सम्यक्तय परिचित हैं और गीता को भगवान के वचन रूप से जानते हैं और ययाति केउपाख्यान का निर्देश करते हैं । अतः स्पष्ट है कि मूल महाभारत की रचना इससे (500 ई0पू0)कम से कम दो सौ वर्ष पूर्व अवश्य हुई होगी । महाभारत भगवान बुद्ध के पहले की रचना है । परन्तु वर्तमान रूप उसे बुद्ध के बाद प्राप्त हुआ, यही मानना–न्याय संगत है ।

महाभारत का महात्म्य –

विश्व साहित्य एवं भारतीय वाडमय में महाभारत ग्रन्थ का अतुलनीय स्थान है। आकार की दृष्टि से तो यह प्राचीन विश्व का बृन्तम ग्रन्थ है ही, ज्ञान विज्ञान में भी इससे बढ़कर अन्य ग्रन्थ नहीं है[8] । इसमें 'वेदरहस्य' वेदाडग उपनिषदों का प्रतिपादन है, इतिहास, पुराण भूत, भविष्यवर्तमान का वर्णन है, धर्मों ओर आश्रमों का वर्णन है, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, तीर्थ, भूगोल, युद्धविज्ञान, लोकव्यवहार, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र सभी विषयों का विस्तार से वर्णन है ।

श्रीमद्भगवद्गीता इसी महाभारत कारण अंश मात्र है, जिसके विषय में कहा है –

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तारेः ।

पुनः महाभारत के विषय इसी ग्रन्थ में कहा गया है –

धर्म चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहस्ति तदन्यत्र यन्नेहस्ति न तत् क्वचित् ।।(1/62/53)

हे जनमेजय । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो बातें इस ग्रन्थ में है, वहींअन्यत्र भी है, जो इससे नहीं, वह कहीं भी नहीं है ।'

इस ग्रन्थ के महत्व पर केवल भारत वर्षीय ही नहीं, किन्तु सुप्रसिद्ध अनेक पाश्चात्य विद्वान मि0 हापकिन्स, विटरनीज, मेगडोनल, माउंट स्टुवर्ट आदि भी मुग्ध हैं और महाभारत के विषयमें लिखा भी है।

महाभारत विषय वस्तु –

इतने विशाल ग्रन्थ की विषय वस्तु का विवेचन करना तो यहाँ सम्भव नहीं पर इतनाजान लेना तो आवश्यक ही है कि महाभारत में कोरव पाण्डवों के युद्ध की मुख्य कथा के अतिरिक्त उसमें धर्म ओर नीति से सम्बन्ध रखने वाले अनेक उत्तमोत्तम आख्यान एवं उपाख्यान है और अनेकअवान्तर कथायें भी हैं जो कि भारतीय सामाजिक जीवन के लिए अत्यन्त उपादेय है[9] । यहाँ कितनेही पशु–पक्षियों के आख्यानों द्वारा भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बड़े कलात्मक ढंग से समझाया गया हे । इसके वन पर्व में अनेक रोचक एवं शिक्षाप्रद उपाख्यान हैं, यहाँ मत्स्योपाख्यान में मत्स्यावतार की कथा है जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी हुआ है, रामोपाख्यान भी इसी पर्व में है जिसमें किराम– कथा का संक्षेप में वर्णन है, शिवि उपाख्यान, नलोपाख्यान एवं सावित्री उपाख्यान भी इसी पर्व में है जिनका सदेश्य शाखागत वत्सलता एवं पतिव्रत का महत्व बतलाना है । इसके आदि पर्व मेंशकुन्तलोपाख्यान है जहाँ से कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल का कथानक लिया है, वन पर्व केनवोपाख्यान के आधार पर ही श्री हर्ष ने नेषधीय चरित की रचना की है, महाभारत का ही अन्तिमभाग हरिवंश है जो कि एक पृथक पुराण के रूप में माना जाता है ।

महाभारत अर्थकाव्य कहा जाता है । महाकवि कालिदास ने महर्षि व्यास तथा वाल्मीकिका बड़े आदर के साथ स्मरण किया है । यद्यपि महाभारत में कोरव, और पाण्डवों के बीच युद्ध कावर्णन है तथापि महाभारत का प्रधान रस वीर रस न होकर शान्त रस है क्योंकि महाभारत का उद्देश्ययुत्र वर्णन नहीं अपितु भोतिक जीवन की निःसारता दिखाकर मानव मात्र के लिए धर्मार्थ काम की प्राप्ति के साथ–साथ मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, इसीलिए इसमें जीवन सुधार की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है । एक ओर इसमें जहाँ राजनीति का विशद वर्णन है ओर नेतिक आचरण की शिक्षा दी गईहैं, वहाँ दूसरी ओर भगवद्गीता जेसा उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रन्थ

भी महाभारत का एक भाग है,आज अनासक्त कर्मयोग का यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है । भगवद्गीता को आज विश्व में जितना महत्वप्राप्त है उसके विषय में यहाँ कुछ कहना अनावश्यक ही है । महर्षि व्यासदेव ने इस ग्रन्थ में नीति राजनीति तथा अध्यात्मज्ञान का जितना सूक्ष्म एवं सरल विवेचन किया है उतना कहीं अन्यत्र एक ग्रन्थमें देखने को न मिलेगा, अतएव आज गीता को धर्म तथा तत्व ज्ञान का विश्वकोष कहा जाता है ।कहा तो यह जाता है कि गीता सर्व उपनिषदों का सार है पर गीता स्वयं एक उपनिषद है –

'सर्वोपनिषदो गावो दोरधा गोपालनन्दनः ।
पार्थो वासः सुधीभक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ।।

यद्यपि गीता के अनेक वचन उपनिषदों पर आधारित है, औपनिषदिक तत्वों का सार हीगीता में है, तथापि गीता की अपनी कुछ निजी विशेषताएँ भी हैं, जहाँ उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य निवृत्ति हैं वहाँ गीता में निवृत्ति से बढ़कर प्रवृत्ति मार्ग का विवेचन है ओर अनासक्त कर्मयोग को हीसबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है, यद्यपि गीता निवृत्ति मार्ग की विरोधिनी नहीं फिर भी वह कर्मऔर भक्ति को भी तत्व ज्ञान के समकक्ष ही नहीं उनसे श्रेष्ठ भी बतलाती है, क्योंकि गीता में निर्गुणउपासना को कठिन बताकर सर्वसाधारण के लिए भक्तियोग ओर कर्मयोग को बतलाया गया है और गीताका यही परम प्रतिपाद्य भी है । वस्तुतः गीता में सांख्य एवं वेदान्त का, और कर्म एवं भक्ति अपूर्वसमन्वय है, तात्पर्य यह है कि अपनी–अपनी रूचि के अनुसार गीता में सब के लिए पर्याप्त सामग्री है,साथ ही गीता में मत–मतान्तरों के खण्डन – मण्डन की प्रवृत्ति भी नहीं है, वह सभी के लिए उपादेयहे । महर्षि व्यास वस्तुतः कर्मवादी आचार्य हे, वे इस कर्मभूमि में कर्म ही मनुष्य का परम ध्येयमानने वाले हैं और गीता के माध्यम से उन्होंने कर्म का ही उपेदश दिया है ।

श्री मद्भगवद्गीता –

श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक खण्ड है, जिसमें 18 अध्यायों में कुलमिलाकर 700 पद्य हैं । प्रत्येक अध्याय का नामकरण उसके विवेच्य विषयानुसार किया है यथा – अर्जुनविषाद योग, सांख्ययोग, कर्मयोग, ज्ञानकर्म सन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षरब्रहमायोग राजविद्याराजगुहाययोग, विभूति योग, विश्व रूपदर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रक्षेज्ञविभाग योग, गुणत्रयविभाग योग, पुरूषोत्तम योग, देवा संरसंपद्विभाग योग, श्राद्धात्रयविभाग योग तथा मोक्षसन्यास योग।

महाभारत

महाभारत में कहीं भी 'संगीत' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 'गान्धर्व' शब्द ही संगीतविद्या के लिए प्रयोग में लाया गया है । अति, बाहु, हा हा, हू हू तथा तुम्बरू ये चार गन्धर्वो में श्रेष्ठमाने जाते थे । ये चारों कश्यप की पत्नी कपिला की सन्तान थे । शुक्राचार्य के शिष्य वृहस्पति केपुत्र, कच ने नृत्य, गीत व वाद्य में विशेष योग्यता प्राप्त की थी। उनके प्रति देवयानी के आकर्षणका एक कारण संगीत भी था । महिलाओं में भी संगीत का प्रचार खूब था । शुक्राचार्य की कन्यादेवयानी संगीत की विशेष जानकार थी । इन्द्र की सभा में विश्वाची, घृताची, रंभा, तिलोत्तमा, मेनका,उर्वशी आदि अप्सराओं द्वारा गीत नृत्य प्रस्तुत किये जाने के वर्णन अनेक स्थानों पर प्राप्त है।'

परीक्षित के जन्म दिवस पर संगीत व नृत्य की कोई सीमा नहीं रही थी।कोरव–पाण्डवों की शस्त्र विद्या की परीक्षा के लिए जो सभा–मण्डप बनाया गया था उसमें वादकों कोभी सम्मान के साथ स्थान मिला था । राजाओं के सोते समय तथा प्रातः काल में उठते समय संगीतकार्यक्रम होता था । राजसभा में नट–नर्तकों को यज्ञ मण्डप के निकट ही स्थान दिया जाता था ।राजसभा में संगीतज्ञों का विशेष आदर था । हर प्रकार के शुभ कार्य में शंख ध्वनि का विशेष स्थानहोता था । इस काल में शंख मृदंग, भेरी, पणव, आनक, गोमुख, बाँसुरी, वीणा, झल्लीषक आदि वाद्ययन्त्रों का उल्लेख मिलता है ।

भगवान श्री कृष्ण जैसे वंशी वादक शायद आज तक विश्व में उत्पन्न नहीं हुए । स्त्रियाँ तथा पुरुष अपने घरों सओर दैनिक कामों को छोड़कर उनकी वंशी सुनने को चले जाते थे ।द्रोपदी के स्वयंवर को 'दिव्य महोत्सव' माना गया है इस उत्सव में अनेक राजकुमार उपस्थित हुए थे[10]। उनके ठहरने के लिए सुन्दर भवन बनाये गये थे । स्वयंवर के 15 दिन पूर्व सेयह उत्सव मनाया गया था । इस समाजोत्सव में दर्शकों के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन नृत्य गीत होतेरहते थे।

अर्जुन गीत एवं सुन्दर नृत्य द्वारा विराट और उसके अन्तःपुर की स्त्रियों का मनोरंजनकर उन्हें सन्तुष्ट किया करते थे । (विराट012:29) ।

विविध उत्सवों के समय गाने का कार्य नट तथा वैतालिक भी किया करते थे **'गायनाख्यानशीश्च नत वैतालिकास्तथा । (विराट067:28) ।**

गायना नर्तकारचौव प्लवका वादकास्तथा । (अनु024:16)

स्तुतिगान सूत, मागध, बन्दीजनों आदि के अतिरिक्त कभी–कभी मल्ल, नट, झल्ल,ग्रन्थिक आदि भी किया करते थे । महाभारत काल में यज्ञ – किन्नर संगीत विद्या में अधिक निपुणहुआ करते थे । उनके गीतों का ही नहीं अपितु उनके द्वारा संगीत शिक्षा दिये जाने का भी उल्लेख महाभारत में मिलता है ।

निष्कर्ष

महाभारत भारत की एक राष्ट्रीय सहिता है । यह भारतीय जीवन का भावकोश हीनहीं अपितु ज्ञानकोश भी है । महाकाव्य के रूप में महाभारत का भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थानरहा है । इस विशालकाय महाकाव्य में भारतीय संस्कृति का जैसा सर्वांगीण चित्र प्राप्त होता है वैसा अन्यत्र नहीं । महाभारत का निर्माण परम्परागत वीरगाथाओं के द्वारा हुआ है । यह लौकिक गाथायेंयुग–युग की संस्कृतिक चेतना से पूर्ण वीर–गीतों के रूप में जन–जीवन से सम्बन्धित रहे । वैदिककाल से लेकर जिन गाथाओं का गान यज्ञ तथा अन्य लोकोत्सवों पर किया जाता रहा है।

संदर्भ सूची

1. हाकिन्स : द ग्रेट एविक ऑफ इणिया पृ0 230
2. महाभारत, दक्षिणात्य पाठ, भूमिका पृ0 21
3. दिनकर, संस्कृतिके चार अध्याय पृ0 68
4. जायसवाल, जे.बी.आर.एस. खण्ड–4, पृ0 262
5. जयचन्द विद्यालंकर, भारतीय इतिहास की रूपरेखा, 1, 432, 433
6. एकता के महाभारत की अन्तर्कथा। हिन्दी मिलाप। पृ0 213 मार्च 2008
7. महाभारत–गीताप्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय 1, श्लोक
8. रामायण–महाभारत काल, इतिहास, सिद्धान्त–लेखक वासुदेव पोद्दार, पृ0 16
9. गीताप्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय 1, श्लोक 10
10. कालिदास, ग्रंथावली, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, अलिगढ़ विश्वविद्यालय, 2011

Study of Some Psycho-Social Variables of Student Union

Dr. Fozia Ahad*

Abstract : Students of today are more conscious of their rights as compared with students of past. Political interference in educational institutions has created further problems. Even appointments are made and promotions are given on political pressures. Many political parties have intruded in educational fields directly or indirectly and students are misused and manipulated to fulfill their motives. Now every political party has recognized the student power. During Parliament and Assembly elections majority of students fight elections and play active roles in malpractising for the victory of candidates of their own choices. Students of Indian Universities are not only students in reality rather they perform many lawful and unlawful deeds in the campus. They represent different bodies including Senate formed for the smooth functioning of the University. Sometimes they participate in the activities of other campuses located in distant places.

Description : Significantly higher among college students than in general population and is caused by both academic and non-academic factors. Studies have shown that a high level of stress is a predictor of decreased well-being (Anand & Nagle, 2016); therefore it is highly relevant to study the factors associated with stress in this population[1]. This study is aimed at assessing stress and well-being in association with academic performance, perceived social support and stressful life events among college students, taking into account gender differences. 954 students (2 nd and 3 rd years) from an Arts and Science college in Tamil Nadu, India (22.4% women; 50.2% 2 nd year) took part in the study. Mean age was 19.48 years, SD = .94 years (range 17.34-26.52 years). These students answered self-reported questionnaires on Stress (PSS), Perceived Social Support (MSPSS), Well-being (WHO-5) and Stressful Life Events (ALESS). While well-being is positively correlated with social support, $r=.28$, $p<.001$, it is negatively correlated with perceived stress. Female students report more well-being ($t(952) =-2.14$, $p= .03$, $d=-.17$) even though their stress level is similar to that of male students. Academic performance is associated neither with stress nor with well-being. Negative life events are associated with stress ($r=.23$, $p<.001$) but not with well-being, suggesting further investigation of possible moderators (e.g. social support).

Formation of student union is introduction of democratization in educational institutions[2]. Many institutions in the past do not care for the student difficulties. They lack academic resources, library and laboratory facilities. They

* **Dept. of Psychology M.U., Bodh-Gaya, Gaya, Bihar**

have inadequate arrangement for common room, recreation, reading room and so on. In most of the University tutorial classes are not held due to paucity of teachers and class rooms. If students approach the authorities for their lawful demands, they are harassed in several ways. In this critical state formation of union in educational institutions is the only solution. Now students place their demands before the authority through union. Thus formation of Student Union is a praiseworthy attempt so far as student's needs and their fulfillment are concerned[3].

The last 71 years of independence and of democracy in India have witnessed an increasing intrusion of politics in every walk of life, but nowhere else this politicization has been more rapid than has been the case with Indian universities. It is not an exaggeration to say that in Indian universities students and politics are interlinked. Most of the students participate actively in politics directly or indirectly. They also take suggestion from politicians before doing any unlawful act in the campus. Similarly political interference in the educational institutions is a normal feature. A number of commissions, academicians, educationists, social scientists and concerned. Citizens have, from time to time, made appeals for freezing the universities from the clutches of political parties. A number of suggestions have also been made in this regard.

Among the various measures recommended by the experts are : closer contact between teacher and taught, democratization of the functioning of universities and institutions. Student's representation in administrative bodies and academic council, engaging teachers and students more and more in extra-curricular activities and so on.

Although formation of student union is considered to be introduction of democratization in educational institution, the activities of union are almost entirely limited to the promotion of academic matters. Doubtless, student union is seldom concerned with academic excellence. Objectives and functions of student union remain in theory not in practice Initially it was thought that student union would protect the student rights and train them in building future citizens. It would also bridge the gap between university authorities and the student community. But these aims are hardly fulfilled.

The problem interlinked with student union is much more complex and chronic in Nature. It is not only related to political aspect rather it is deeply related to other academic, administrative, social psychological, cultural, and historical issues[4]. Thus problem cannot be analysed systematically if we explore it from one angle, it should be analysed from different angles. Many adverse impacts of student union are obvious. Usually students union call strike on issues like concession of railway and cinema tickets, hard question papers at the examinations, condoning of attendance shortages, free travel, clashes with bus drivers or policemen and so on. Surprisingly enough, no student union in India has called a strike to protest against poor library and sports facilities, unimaginative syllabi, poor teaching and similar matters.

The basic structure of student union is defective. Non-deserving students, seek elections, invest huge amount of money and get success. Thus this union cannot be said to be representative of students. Politicians misuse it for their personal gain. It does not safeguard the status of students and does not solve their problems. A handful of students under the garb of students union misuse students' fund. Most of the times they create chaos in the campus just to satisfy their ego.

Students now-a-days do not work properly and regularly. They merely want degree and look for the shortest way to obtain it. Teachers are aware of this and do nothing but perform certain rituals fixed by the universities[5]. As a result both students and teachers have plenty of time for unionism. It may be mentioned in passing that the intrusion of politics in the campus is not only the reason for the campus activism. A multidisciplinary approach is needed to explore the problems of students and the adverse impacts of student unions. Assessment of attitude of University youths towards students union seems to be meaningful in the present context.

Attitude : Meaning and Concept :

There is no denying the fact that the concept of attitude is central to students union. Ever since 1910, the concept of attitude has been much in use in social and organizational psychology. It has been probably the most distinctive and indispensable concept in contemporary psychology (Allport, 1968). Attitudes have a 'key role in directing and shaping social behaviour'.

As a psychological entity the concept of attitude has attracted much research attention. Although this area is vastly, researched, psychologists vary in their views regarding its concept[6]. Thurstone (1931) refers to attitudes as 'the effect for or against a psychological object'. Many psychologists have made a pointed reference to attitudinal components, such as feelings, desires, fears, convictions, prejudices and other tendencies (Chave, 1928; Sherif and Sherif, and Sherif, 1969). Likewise, some psychologists have underlinked the functional aspects of attitudes including the tendency to act for or against some psychological objects (Bogardus, 1931; Warren, 1934) and a mental state of readiness to act on a particular way (Cantril, 1934; Allport, 1967). Psychologists have agreed upon that it is consistent as well as durable psychological entity.

An attitude denotes an adjustment of the individual towards some selected persons, groups or institutions. In forming an attitude towards some aspect of the environment an individual shows a readiness to respond. An attitude always results in a state of preparation or a state of readiness to respond in a particular manner under particular circumstances. An attitude determines a certain expectations then there is satisfaction. But if the events are contrary to the attitude then there will be dissatisfaction. In recent times, attitudes have been considered as multidimensional construct which may be grouped into cognitive, effective and cognitive types (Triandis, 1971).

For the present purposes, the definition of attitude provided by Krech, Crutchfield and Ballachey (1962) has been relied upon. It has been taken to mean "an enduring systems of positive or negative evaluations, emotional feelings, pro or con action tendencies with respect to a social subject."

There are three components of attitudes : affective (feeling), cognitive (thought) and co native (behavioural). In this context, disagreement is to be noted among social psychologists. Some lay exclusive stress on the cognitive nature of attitudes and identify attitudes with opinions and beliefs. Katz (1967) recognizes both the affective and cognitive components. On the other hand, Fishbein (1965) prefers to restrict the use of the term attitude only to the evaluative-affective dimension.

Most of the elected leaders of various unions and specially of students are of inferior and undesirable type[7]. So certain pertinent questions may arise: why are they elected by students? What are the attitudes of general students towards the unions ? Are the characteristics of students associated with their attitudes towards students unions? All such questions can be answered satisfactorily if an empirical research is undertaken. In the light of empirical researches it would be possible to suggest the desirable steps to be taken to improve the educational atmosphere of the country.

Conclusion : Thus we observe that the Indian society has witnessed many changes in different walks of life after Independence. As soon as the country attained freedom, India has been declared a democratic society and a secular state. Every citizen irrespective of caste, creed and culture is equal before the constitution. Needless to say, democratic nature of Indian society has influenced not only political structure of the country but it also influenced the educational set-up in many ways.

References:-

1. Festinger, L. (1954) A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117-140.
2. Nelson (1938) Radicalism and conservatism in student attitudes. Psychological monograph.
3. Hildum, D.C., and Brown, R.W. (1956) Verbal reinforcement and interviewer Bigs. Journal of Abnormal Social Psychology, 33, 108-111.
4. Singh, A. and Dash, A.S. (1980) A study of primary school teachers' attitudes towards six educational issues. Journal of Psychological Researches, 24, 3, 128-132.
5. Murphy, G. (1954) Presidential Address, South Western Psychological Association, Oklahoma.
6. Sinha, N.C.P. (1972) Personality factors and scholastic achievement of school Students, Behaviorometric, 2, 1, 9-12.
7. Blonna, R. (2005). Coping with stress in a changing world. 3rd Edn. New York, NY: McGraw Hill Education.

Production and Marketing of Vegetables in Bihar : Basic Constraints

Dr. Sanjay Kumar Khandelia[*]

Abstract

A number of problems/obstacles have been seen in the course of marketing of different agro-products in the country and in the State of Bihar which has been highlighted in the paper. There are several reasons because of that agriculture sector could not develop. Agricultural marketing and its deficiency is one of the major factor because of this the traditional form of agriculture has not been transformed in industrial form. An attempt has been made to identify all those factors, which are obstacles in providing fair and reasonable prices to the farmers.

Introduction

Marketing of produce is the most important activity of a farmer. There are different ways by which the farmer may dispose of his surplus produce. The first and the most common method is to sell away his surplus produce to the village money lender cum trader who may buy it either on his own or an agent of a bigger merchant of the neighbouring 'Mandi town'. It is estimated that in Bihar 80 % of rice, 60% of wheat, 70% of oils and 35% of other cash crops are sold in the village itself[1].

The second method which has been seen in the Bihar for selling the agro products is through weekly village markets known as "Hat".

The third method of agricultural marketing is through the Mandis in small and large towns. The mandi may be located at a distance of several miles and therefore the farmer has to make the special efforts to carry his produce to mandi. In the mandis, there are brokers or dalals who help the farmers to dispose of their produce to the wholesalers known as Arahatiyas. The wholesaler may dispose of the agricultural produce which they have purchased from the farmers to retailers or flour mills and processing units.

These methods of agricultural marketing have already been spelt out in the previous chapter. An attempt has been made to discuss the satisfactory and unsatisfactory position of agricultural market in the state in this present unit of the project. While observing the situations of whole agricultural market, it is found that the position of agricultural marketing in Bihar is still deplorable. The farmers of Bihar do not have facilities for storing their produce. The storage facilities which are available in the village at present are so poor that 10 to 20 % of the produce is eaten away by rates[2].

[*]Guest Faculty Magadh Mahila College Patna UniversityPatna &Director Khandelia Commerce

Secondly, the average farmers are so poor and indebted that he was no capacity to wait for better prices. He is forced to sell his output to the money-lender or to the traders in order to clear his debts.

Thirdly, the transport conditions in rural area as continue to be bad that even richer farmers, who have large amounts of surplus, may not be interested in going to the mandis. Most roads are kachcha and in rainy season they are unsuitable.

Fourthly, the conditions in mandis are such that the farmer may have to wait for some time before he may be able to dispose his produce. He may not have proper warehousing facilities to keep his stock while he waits. The benefit of marketing goes to arahatiya not to the farmers.

Fifthly, the number of intermediaries and middleman between the farmer and the final consumer of his produce is too many and the margin going to them too large.

Finally, the farmers do not ordinarily get information about the ruling prices in the big markets. As a result the farmers have to accept whatever price is quoted to them and have to believe whatever the traders tell them.

Objective of the Study

1. To find out the position of production of vegetables in India and specially in Bihar.
2. To identify the basic constraints in production & marketing of vegetables in Bihar.

Results and Discussion

The recent liberalization policies and acceptance of the GATT treaty gives much importance to the possibility of raising export capability of agriculture. It is treated as a giant step toward integration of all countries and would help to attract direct Foreign Investment (DFI) which is likely to be an important source of capital to add domestic investment and technological transfer. The main objective of GATT is to increase market orientation in agricultural trade and marketing. It is high time to explore the potential of export of agricultural commodities particularly in case of Bihar, which has, by and large, experienced very poor performance in exporting its agricultural produce. It has been generally argued that Bihar has some commodity specific advantages in case of fruits and vegetables which can be exported to a large extent.

Bihar, a predominantly agricultural State is endowed with cheap labour, abundant sunshine coupled with diverse agro-climatic zones and fertile soil which are very suitable for large variety of cultivation of vegetables. It can be seen from Table that Bihar is the largest producer of vegetables in India. The total area under vegetables in the state was 887.3 thousand ha with estimated production of 16,200.4 thousand tonnes in 2000-01.

Table- 1
State-wise Area and Production of Vegetables during 2015-16

Sate/U.T.	Area ('000 ha)	% share	Production ('000 tonnes)	% Share
A.P.	148.5	2.91	1368.1	1.93
Arunchal Pradesh	17.2	0.34	79.9	0.11
Assam	191.9	3.76	1754.4	2.47
Bihar	887.3	17.39	16,200.4	22.82
Delhi	47.2	0.92	735.2	1.03
Goa	-	-	-	-
Gujarat	142.0	2.78	1556.5	2.19
Haryana	73.6	1.44	1029.5	1.45
Himachal Pradesh	38.7	0.76	476.0	0.67
J & K	180.3	3.53	745.0	1.05
Karnataka	417.0	8.17	4662.2	6.57
Kerala	202.5	3.97	2902.9	4.09
M.P.	214.0	4.19	2046.9	2.88
Maharashtra	201.6	3.95	3570.9	5.03
Manipur	4.7	0.09	36.5	0.05
Meghalaya	25.4	0.49	237.8	0.33
Mizoram	12.3	0.24	70.1	0.09
Nagaland	8.2	0.16	66.9	0.09
Orissa	760.7	14.91	7745.0	10.91
Punjab	85.3	1.67	1455.3	2.05
Rajasthan	59.5	1.1	302.5	0.43
Sikkim	8.4	0.16	51.8	0.07
Tamil Nadu	53.5	1.05	959.1	1.35
Tripura	32.0	0.63	320.9	0.45
U.P.	672.9	13.9	9598.2	13.52
W. Bengal	610.0	11.96	12,946.9	18.28
Andaman& Nicobar	3.6	0.07	14.6	0.02
Chandigarh	0.3	0.01	5.5	0.01
D.N. Haveli	-	-	-	-
Daman and Diu	-	-	-	-
Lakshadweep	0.2	0.004	0.1	-
Pondicherry	2.4	0.05	23.4	0.03
India	5101.2	100.00	70992.5	100.00

Source: Centre for Monitoring Indian Economy, India's agricultural Sector, September, 2018, p.63.

It may further be seen from the table that area under wheat has increased by 20.37 per cent during Post liberalization period.

Table- 2

Cropping Pattern in Bihar during Pre & Post Liberalisation

	Crops		**Pre liberalisation**	**Post liberalisation**	**% change**
1. (a)	Cereals	Rice	5368	4563	-15.00
		Maize	851	698	-17.98
		Wheat	1640	1974	20.37
	Millets		8293	7374	-11.08
(b)	Pulses	Gram	173	127	-26.59
		Other pulses	1004	852	15.14
		Total pulses	1262	979	22.42
(c)	Sugarcane		124	133	7.26
(d)	Condiments & Spices		26	20	-23.07
(e)	Fruits		128	131	2.34
(f)	Vegetables		314	324	3.18
	Total food crops		10167	8961	-11.86
2.	Non Food Crops				
(a)	Oilseed		240	212	-11.67
(b)	Fibre		186	138	-25.81
(c)	Drugs, narcotic & plantation crops		16	20	25.00
(d)	Other crops		19	25	31.58
	Total All crops		461	395	-14.32
	Total All Crops		10627	9536	-11.97

Source: Department of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.

During the same period areas under fruits and vegetables have recorded positive change making a case for crop diversification. The economic importance of vegetables is also revealed from the fact that the gross value of components of agricultural production, fruits and vegetables rank second of cereals having 28.6 per cent[9].

Table shows are and production of some of the important varieties of vegetables in Bihar during 1994-95. It may be seen from the table that ladyfinger occupies maximum proportion (13.89%) of the total area under vegetables which is next to leafy vegetables (14.61%). Other important vegetables are brinjal (6.91%), onion (8.65%), tomato (9.89%) and chilli (7.75%). In terms of production of vegetables, brinjal (13.98%) has the highest proportion in total vegetables production followed by cauliflower (11.85%); tomato (11.73%), lady finger (10.81%), leafy vegetable 910.39%), onion (10.26%) cabbage (6.65%) and chilli (5.51%). There is good export potential for fresh, canned and dehydrated vegetables including chillies, onion, garlic, okra, tomato, potato, asparagus, broccoli, pumpkin carrot, celery, brinjal, cabbage, cauliflower, beans and peas in spite of domestic consumption. It can be seen from Table that India exported about 42,000 tonnes of fresh vegetables, 3.6 lakh tonnes of fresh onion, 1,600 tonnes of canned vegetables and 2,000 tonnes of dehydrated vegetables in 1989-90. It may be inferred that there is continued growth of fresh vegetables and onion exported whereas canned and dehydrated vegetables have shown fluctuating trends.

Lack of Efficient Marketing System

The new economic environment followed by the GATT treaty emphasizes much on creation of market accessibility comprising of elimination of tariff barriers, however, an efficient domestic marketing system of exportable commodities such as fruits and vegetables is the most desirable for integrating the domestic trade with international trade. The past experience shows that marketing facilities have not kept pace with the vegetables production in Bihar, causing a great barrier in the promotion of export of these commodities. As is commonly perceived, vegetable marketing is different from marketing of other agricultural commodities due to its high perish ability and low shelf life. Due to these inherent characteristics the vegetables have to be carefully handled for transportation, assembling and packing. Due to lack of matching transport and handling facilities, stocks are held up and get spoilt. A substantial amount is lost during post-harvest and losses mainly depend upon nature of produce and distance between consuming and producing areas. Marketing of vegetables is yet far away from the successful count of the regulation of market practices in Bihar. So far the market relationship among different categories of growers is concerned, very large proportion of total sales are in the village haats by marginal farmers. It has also been found that the facilities of marketing of vegetables are not available in rural areas or at the door level. The main purpose of the yards remains unserved. It has been complained of high trade margins of the intermediaries, reducing grower’s share in consumer’s rupee which reveals that the traditional bound exploitation in the marketing system is still prevailing. The fact is that the multiplicity of the intermediaries raises the marketing costs paid by vegetable growers and larger price spread.

There are structural weaknesses like unorganized suppliers, weak holding capacity of producers, and the perishable nature of vegetables in the absence of any storage. Experience with cooperatives in the production and marketing of vegetables have not been pleasant. Since the role of cooperative marketing institution in the State of Bihar is more crucial as the State is dominated by small size of land holdings it is needful to develop and strengthen the cooperative marketing network along with its integration with regulatory measures in the new economic environment.

Infrastructural Constraints

In Bihar there is great scope for increasing area and production of vegetables but has not been able to export the vegetables due to number of constraints. The marketing and production of vegetables are not properly linked which do not provide adequate environment for channelising the export of vegetables. The methods of growing vegetables have not been made possible and as a consequence, suitable varieties, quality standards, volume, period of requirements have not been taken into consideration in developing a strong production base. This is due to lack of research and development support to export. Till now transportation is a limiting factor for fresh vegetables and the cool chain from farm to delivery points through refrigerated transport (as for milk, fish or grapes) and cold storage has not been established for vegetables.

Small and marginal farmers cannot afford to buy the cost and improved variety of seeds. The non-availability of quality seed (due to inadequate production) is the most important constraint. Research institutions, both at the government and private levels should be developed and release better yielding open pollinated varieties also along with hybrids. Government should provide HYV seeds at the subsidized rates. Defective distribution system restricts timely availability of seeds. Due to high cost of fertilizers, lack of soil testing facilities, non-availability of loans and credits, the marginal and small growers feel constraint in increasing their produce. Trained personnel particularly in vegetables are not available for providing adequate extension services and researches are also weak. Proper demonstrations to transfer technology from laboratory to the farmers are not being held.

This table clearly states that post globalization period for vegetables and fruits in Bihar are favourable in comparison to all India average.

Grading and storing is almost absent in Bihar. Packing is another problem. Traditionally, vegetables are packed in jute bags, bamboo basket, and wooden boxes resulting in nearly 10 per cent spoilage in transit. Corrugated fiber board containers both for domestic and export market is needed.

Handling of vegetables after harvesting involves several steps before the produce reaches the consumers. Post-harvest handling is insufficient, farm storages, long term storages, and commercial cold storages are inadequate. 25-40 per cent of losses are due to inadequate knowledge of harvesting, curing, packaging, transportation and storage techniques.

Vegetables in general are processed in the form of canned/bottled, dehydrated, frozen vegetables and tomato products. Realising the importance of food processing, a separate ministry of Food Processing Industry was established in 1988. Agriculture and horticulture has become major commercial ventures of every country.

In the context of Bihar, value-addition to the food products is of vital importance because of: (a) increasing population, (b) tiny plot of land, (c) major export earnings as a percentage of GDP, (d) ever increasing trade deficit, (e) significant improvement in life expectancy, (f) exodus of rural population to urban, (g) increased dependence on processed foods for convenience, and (h) lower yield rate etc.

The Central Food Technological Research Institute (CFTRI) has been a pioneer and premier research institute devoted to research and development in post-harvest technologies. The efforts at CFTRI have culminated in a number of viable processing technologies for value addition to a food including farm produce. Unfortunately, vegetable based processing units are quite scanty in the State of Bihar. Therefore, these highlight the need for drastic development of market infrastructure, including market yards, speedy transport, scientific storage, compulsory quality control of commodities, processing facilities and perishment inspection for export in world market. Further, to provide relief to the growers on natural calamities the government must evolved a specific crop insurance scheme.

The CFTRI should take action in contributing the development of vegetables processing technologies, protocol for post-harvest handling and transportation of horticultural crops processing for value-added products in Bihar. It can be expected that through necessary policy support and new opportunities for Uruguay Round, Bihar should go a long way to tap the potential of agro-product especially fruits and vegetables which may fulfill the objectives of globalization of Bihar agriculture as being done in its counterparts at the country level.

Problems of Marketable surplus of Food grains

The surplus which is marketed comes largely from two sections: the farmers operating the small size holding who have to make distress sale, and those owning the relatively large sized holding. A study conducted at Muzaffarpur and Darbahaga in Bihar for estimating the marketable surplus in cases of individual cereals like rice, wheat and maize, so as to known the nature and the size of the farms yielding marketable surplus as well as the size of the family and the socio-economic condition of the farmers in the region has revealed the same facts. It is clear that the maximum number of families (29.7 per cent) of the total families in Muzaffarpur and 44.2 per cent in Darbhanga) having marketable surplus had farm of the size 5.1 to 15 acres[11]. Further, it may also be marked that more than 60 per cent and 70 per cent of the total number of families cultivating upto 15 acres in Muzaffarpur and the Darbhanga respectively has small marketable

surplus[12]. This may be due to the fact that the presence of semi-feudal characteristics in the Indian agricultural economy prevents the farmers from operating small-sized holdings, correspondingly in terms of mode of production to poor middle peasants to contribute to the market a real as distinct from of distress sale.

Conclusion and Suggestion

It has been found that the market committees do not protect the interest of producers in securing for them, quick disposal of their goods at remunerative prices and their immediate payment. There is a need for keeping a watch on the activities of the traders and commission agents who usually form a cartel and try to pay fewer prices than the support price fixed by the government. A programme of financial help to the small and marginal farmers can also be introduced on the pledge of crops for marketing the produce in the market so as to increase the participation of the farmers in the market-yard. This will also minimize the dependency of the small and marginal farmers on big farmers for selling their produce. Another incentive such as availability of agricultural inputs to the farmers at subsidy rate in the market yard will further attract a large number of farmers. Once the vicious circle of inefficient marketing system is broken, further monetization of rural areas would be made easier as the small and marginal farmers would naturally behave like their counterparts elsewhere in India and would have the necessary incentives to produce more increasing their marketable surplus and improving their par participation in the market-yard.

References:

1. Sharma, B.P., "The role of Commercial Bank in India's Developing Economy", S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 2004, p. 118.
2. Jha N.K., " Bank Financing to Indian Agriculture" p. 232.
3. Bihar at a glance, 2004-05, Directorate of Statistics and Evaluation, Government of Bihar, Patna.
4. Bihar Ka Aarthik Sarvekshan: Published by Directorate of Statistics and Evaluation, Government of Bihar, Patna 2005-06, p. 11.

 Vol. IV, January-March, 2018, No. 1, ISSN 2395-4965

Credit Availability to Agricultural Sector in the State of Bihar With Reference to NABARD & Others – A Critical Analysis

Nidhi Kumari*

Introduction

Agriculture happens to be India's major occupation. It provides livelihood to approximately 70 per cent of the total population and contributes nearly 41 per cent of the country Gross National Product. Despite its great importance in India's economy, agriculture today is in a bad shape. There are several causes which have related agricultural productivity in the country is the lack of adequate agricultural credit facilities for the framers. Agricultural credit available to the farmers is not only inadequate but is also expensive. No industry in the world can be carried on without adequate and cheap credit. Agriculture is no exception to it. Finance is as it wee, the very life blood of agriculture.

Agricultural credit and its need for the farmer in Bihar have been highlighted in the previous chapter. The need has been analysed from the different angles which is very obvious from the chapter-3 of this dissertation.

After analysing the need of agricultural credit an attempt has been made to identify the institutions/persons who generally meet this requirement of the agricultural sector. This unit tries to explore the positive progress and the contribution of each and every institution and non-institutional agencies that are plays a vital role is the field of agricultural finance.

So far the financing agencies are concerned which meet these requirements of farmers are also of different types which have been highlighted in detail in this unit. An attempt has been made to explain the procedure and position of each and every financing agency which are playing a vital role in providing agricultural finance in the country and specially in Bihar.

Objective & the Study

1. To examine the role of NABARD in providing Agricultural Credit in Bihar.
2. To find out the role of state agencies providing agricultural credit in Bihar.
3. To offer suggestions.

Results & Discussion

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

- So far the role of NABARD in providing agricultural finance in the state of Bihar is concern it is found that this institution has provided a loan of Rs. 500 crore till 1991 and after that a major enhancement has been made at the

---

***M.Com.U.G.C.N.E.T.ArvindMahilaCollege,Patna**

rate of 20%. A special fund has been created to promote agriculture and allied sector for compensating the loss of division of the State. However the state govt. is at fault for imitating agricultural and rural based development scheme as financed by NABARD.

- It provides financial assistance to RRBs, commercial banks and state co-operative banks for promoting agricultural activities in the state. With a view to bringing about better co-ordination among the various agencies of rural credit and in the rural credit policies relating to short-medium and long-term financing of agriculture and allied activities including marketing, processing and storage, as well as rural industries. Indian Parliament passed in December 1981 an Act for setting up a National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Accordingly it was set up in July 1982. NABARD is an apex refinancing institution in the country for agriculture and rural development.
  - It provides credit for the promotion of agriculture, small-scale and cottage industries, handicrafts and other allied economic activities in rural areas with a view to promoting integrated rural development. Accordingly, it extends short-term credit for agricultural operations or marketing of crops, for the marketing and distribution of inputs necessary for agriculture or rural development or any other activity in the field of agriculture or rural development.
  - The NABARD also undertakes refinancing in respect of medium-term loans to the state co-operating banks and the regional rural banks for agriculture and rural development as also to state land development banks, co-operative banks, scheduled banks and approved financial institutions.
  - For the performance of these functions, the NABARD has taken over the ARDC and the Agricultural Credit Department (ACD) and Rural Planning and credit Cell of the RBI. The RRBs and the co-operative sector have also now come under the purview of the NABARD. It also now provides refinance to the commercial banks.

State Agencies/Government Finance

Another source of agricultural credit is the Government itself Loans made by it are called taccavi loans. These are given both for short periods for current agricultural needs and got long periods for investment in agricultural development. All Indian Rural Credit Survey observed that the Government supplied 3.3 per cent of the total borrowing of the cultivators in 1991-92 which declined to 2.5 per cent in 1995-96. Further in 2001-02 the Government's share 7.1 per cent which declined again to 3.1 per cent in 2003-04[39]. Thus, the share of the Government in supply of agricultural credit is not satisfactory. It is noteworthy to mention that the role of Government as a direct lender is not favoured die to several reasons. In this context the observations of the All-India

Rural credit survey are significant. According to the survey, "In practice, taccavi (Government Credit for agriculture) in opt to be little else than the ill-performed disbursement of inadequate money by an ill-suited agency. It would not be for from the truth to say that record of taccavi is a record of inadequacies. There may be considered in their different aspects which are:

(a) Inadequacy of amount inequality of distribution and inappropriateness of basis of security,
(b) Inconvenience of timing, incidental delays and impositions of of various kinds on the borrower and
(c) Inefficiency of supervision and incompleteness of co-ordination.

Apart from all the above shortcomings in the process of Government credit it may be said that this is security orientated rather than production orientated. Poor recoveries of loans, poor supervision of use of credit, lack of guidance to farmers are also some of the major defects in Government credit. Therefore, Government as an agency for handling agricultural credit can not be supposed as an appropriate in the matters of landing credit to the needy farmers.

Credit Availability Analysis

An attempt has been made to identify the sources of credit available to the producer-sellers in some of the leading districts of Bihar by institutional and non-institutional agencies.

Table- 1
Sources of Credit Available to the Producer-Sellers

Source	**Muzzf.**	**Chapra**	**Bihta**	**Sasaram**	**Dbg.**	**Purnia**	**Overall**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Co-operatives	20	25	25	20	11	07	108	18.00
Commercial Banks	10	8	8	10	20	74	074	12.3
Private Money Lenders	20	30	14	20	42	48	174	29.00
Commission Agents	50	26	40	40	40	22	218	36.33

Source: Based on the primary data. The figures in column 2 to 8 indicate number of two respondents.

This table clearly indicates that Muzaffarpur district has been benefited more for getting financial assistance from these agencies, however in all these district private money lenders and commission agents are leading more in comparison to institutional agencies.

Findings

There were agencies to supply short and medium-term loans to farmers but there was to such agency to supply long-term credit to farmers. Primary credit societies served the purpose of supplying short and medium-term credit but many of them have come to grief. The rural credit supplied by the primary co-operative credit societies is reported to have gone in majority of cases to the big farmers. This has widened the development of small farmers among other sections of the rural community, is of considerable importance. Small farmers account for a large proportion of the rural populations of a total 800 lakh rural households in the country, small farmers is therefore essential for rural development. The major supplier of rural credit was the village Mahajans and moneylenders. These two classes of private agencies have been serving about two-third of rural credit needs. There were many deficiencies. The rate of interest was reported to be exceptionally high. There was thus high degree of exploitation.

As the majority of farmers are under the debt bondage by the village Mahajans, the investment in agriculture suffered to a great extent. For the purpose of supplying long-term credit for the betterment of land, Land Development Banks have been set up in the country. In some states, the land development bank has the unitary character whereas in some states they have federal character. The Land Development Banks in the first stage were called upon to serve as instruments of relieving the burden of indebtedness of the farmer. They did succeed to some extent in this regard.

But the moneylender could not be entirely replaced by the co-operative society. However with the help of loans for debt redemption the cultivator could free his from encumbrances. This made it possible for him to use it as an instrument of raising credit. The long-term finance provided by Land Development Banks creates capital assets on land such as pumping sets, wells, mechanical equipments, land leveling as well as land reclamation. These assets in their turn yield higher agricultural production from year to year and contribute materially in raising farm productivity.

NABARD is set-up, as an apex institution to meet the growing and diverse credit needs of the agricultural and rural sector. The bank is a specialized institution in the field of agricultural credit and is able to tackle the problems arising from integrated rural development. It is supposed that the institution will successfully undertake the functions of apex refinance institution in the country for short, medium and long-term financing of agriculture and allied activities, which would also include marketing, processing, storage and rural enterprises. For this, the bank will combine in itself the developmental and financial role.

As the apex institution it is concerned with policy, planning and operations in the field of agriculture credit and other economic activities in rural areas.

This chapter clearly indicates the position of agricultural credits during the different periods. The number of basic branches has been increased in rural areas. The financial institutions are also playing very vital role in providing

agricultural finance. Regional rural banks and co-operative banks have contributed a large in the field of agricultural credit.

This study shows that in spite of the growth and expansion in the field of agricultural finance even today, a larger portion of agricultural credit comes through informal sources in Bihar. The rural indebtedness as well as indebtedness in the field of agriculture has been increasing. The recovery rate of loan is very poor. Out of total loan sanctioned and disbursed in the rural area a major portion represents non-productive activities and this has increased the amount of outstanding loan every year. The credit structure explains that small and marginal farmers have not been benefited from institutional credit. The procedures of granting loans, applying for loans are really very complicated and time consuming. Market-wise survey of Institutional credit allocation clearly indicates that the proportional share of Bihar in the total credit was much lower than the respective shares in gross cropped area. The credit-deposit ratios of banks are extremely low in State.

Institutional agriculture credit situation clearly depicts that it has increased on overall basis, but its growth is not equally spread in all the regions of the country. The developed regions had greater access to credit as compared to less developed regions. The dependence of small marginal farmers is still very high on non-institutional sources. The transaction costs of borrowing from formal institution are higher than non-institutional sources.

It has been noted that though the institutional agricultural credit has increased on an overall basis but its growth is not equally spread in all the regions of the country. The developed regions had greater access to credit as compared to less developed regions. Similarly, the dependence of small and marginal farmers is still very high on non-institutional sources. The transaction costs of borrowing from formal institutions documentation and tangible loan collaterals while such costs are less in non-institutional sources due to flexibility in lending, no requirement for documentation and tangible loan collaterals while such costs are less in non-institutional sources due to flexibility in lending, no requirement for documentation and loan security. Even from the lenders' point of view, the transactions cost of agricultural lending is considered to be high due to heavy overheads and large number of small loans. Further, the rural financial institutions are reeling under the problem of poor recovery due to variability in agricultural incomes, low incomes of small holders and expectation of waiver of loans causing willful default, multiplicity of lending agencies, etc.

References

1. Sharma, B.P., "The role of Commercial Bank in India's Developing Economy", S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 2004, p. 118.
2. Jha N.K., " Bank Financing to Indian Agriculture" p. 232.
3. Bihar at a glance, 2004-05, Directorate of Statistics and Evaluation, Government of Bihar, Patna.
4. Bihar Ka Aarthik Sarvekshan: Published by Directorate of Statistics and Evaluation, Government of Bihar, Patna 2005-06, p. 11.

बिहार में ब्रिटिश शासन और कृषि व्यवस्था

शम्भुपासवान्[*]

भारत की एक बहुत बड़ी आबादी की कृषि पर निर्भरता तथा पश्चिमी यूरोप के अत्यधिक उधोगीकृत समुदायों के बीच की विषमता को सामान्य तौर पर एक सहज धटना के रूप में चित्रित किया जाता है, इससे भारतीय समाज के पिछड़े स्वरूप का पता चलता है और इसके कारण यह जरूरी हो जाता है कि इस स्थिती में किसी तरह का परिवर्तन प्रस्तावित करते समय बहुत सतर्कता बरताी जाए। इसका अद्भुत उदाहरण 1918 की मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है जिसके 'कंडीशंस इन इंडिया' नामक पहले भाग में कहा गया हैः

जनता का एक प्रमुख व्यवसाय खेती है। सामान्य स्थितियों में इंग्लैंड जैसे अत्यधिक उद्योगीकृत देश में 100 में से 58 व्यक्ति उद्योग में और महज 8 कृषि में लगे थे। लेकिन भारत में प्रत्येक सौ व्यक्तियों में से 71 व्यक्ति कृषि या चरागाह में लगे हैं – समूचे भारत में 31 करोड़ 50 लाख लोगों में से 22 करोड़ 60 लाख आदमी धरती के सहारे जीते हैं और 20 करोड़ 80 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी या दूसरों की जमीन जोतकर या प्रत्यक्ष रूप से इनपर निर्भर रहकर अपना गुजर बसर करते हैं।

साम्राज्यवादियों द्वारा पेश की गई भौंड़ी तस्वीर में हमेशा उस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है जो बताता है कि आबादी के तीन चौथाई भाग का, एकमात्र व्यवसाय के रूप में कृषि पर अत्यधिक, असंतुलित और खर्चीला दबाव आधुनिक युग में सांस ले रहे प्राचीन आदिम भारतीय समाज की कोई वंशगत विशेषता नहीं है बल्कि वह जिस पैमाने पर आज सामने है वह सीधे सीधे साम्राज्यवादी शासन का ही दुष्परिणाम है और आधुनिक युग की वास्तविकता है।
कृषि पर इस असंगत निर्भरता में ब्रिटिश शासनकाल में 'तेजी से वृद्धि'__हुई है। यह उद्योग और कृषि के बीच चले आ रहे संतुलन के नष्ट होने का सूचक है और इससे यह पता चलता है कि भारत, साम्राज्यवाद का खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया है।

19वीं सदी के शुरू के 75 वर्षों में ही भारत के उद्योग धंधों की मुख्य रूप से बरबादी हुई, पुराने आबाद औद्योगिक केंद्र उजड़ गए, इन केंद्रों के लोगों को गांवों में खदेड़ दिया गया और इनकी बरबादी के साथ–साथ गांवों में रहने वाले लाखों दस्तकारों की जीविका भी छिन गई।

पहली जनगणना 1881 में हुई थी। लेकिन यह बेहद अधूरी थी और इससे किसी तरह की तुलना नही की जा सकती। व्यवसायरत लोगों की सुची में दर्ज 11 करोड़ 50 लाख पुरूष कामगारों में से 5 करोड़ 10 लाख व्यक्ति खेतिहार मजदूर थे। आधे से भी कम का यह अनुपात निश्चित रूप से काफी कम है। 1891 से 1921 तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे काफी हद तक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इनसे निम्न तस्वीर उभरती है :

1931 में वर्गीकरण के आधार में कुछ इस तरह की तबदीली कर दी गई थी जिससे ऐसा लगता था कि कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या कम होकर 65.6 प्रतिशत हो गई। लेकिन यह परिवर्तन कागज पर ही था। '1921 से 1931 के बीच खेती और चरागाहों पर निर्भर लोगों की संख्या में ऊपरी तौर पर जो गिरावट आई वह एक भ्रम है ……… जो वर्गीकरण में, न कि पेशे में परिवर्तन के कारण है ………. 1921 से 1931 के बीच खेतीबारी में लगे लोगों की संख्या में मुश्किल से ही कमी आई। इंडियन सेंद्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने 1931 में अपनी रिपोर्ट में कहा :

[*] ग्रम+पो० – मझिगामा थाना – केवटी जिला – दरभंगा

भारत में खेती पर गुजर बसर करने वालों का अनुपात कुछ अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 1891 में यह अनुपात 61 प्रतिशत था 1901 में बढ़कर यह 66 प्रतिशत और 1921 में 73 प्रतिशत हो गया। 1931 में हुई जनगणना के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं लेकिन यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 1931 में इस संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई है।

प्रोफेसर वाडिया और मर्चेंट ने भी यही निष्कर्ष कि 'यदि पुरानी जनगणना के दौरान अपनाई गई वर्गीकरण पद्धति का पालन किया गया होता तो, जहां तक कृषि का संबंध है, 1931 में खेती में लगे लोगों ही नहीं बल्कि इसपर निर्भर लोगों की संख्या सहित यह अनुपात कुल आबादी का 75 प्रतिशत तो निश्चित रूप से होता।' वर्गीकरण के संशोधित आधार पर गणना करने पर भी 1931 में यह अनुपात 66.6 प्रतिशत था जो 1891 के अंक 61.1 प्रतिशत से अधिक था। 1911 के लिए नियुक्त जनगणना कमिश्नर ने ब्रिटिश पूंजीवादी नीति की कार्यप्रणालियों के जरिए कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता के इन कारणों को स्पष्टतः उस समय मान्यता दे दी, जब उन्होंने लिखा :

सस्ते यूरोपीय सामानों और बर्तनों के आयात ने तथा स्वयं भारत में पश्चिमी ढंग की अनेक फैक्टरियों की स्थापना ने कमोबेश अनेक ग्रमीण उद्योग धंधों को विनष्ट किया है। खेती से हुई पैदावार की ऊंची कीमतों को देखकर गांवों के कई दस्तकारों ने भी अपनी खानदानी कारीगरी छोड़कर खेती का काम शुरू किया है—पुरानी ग्रामीण संरचना का जिस मात्रा में विघटन हो रहा है, वह अलग अलग हिस्सों में उल्लेखनीय रूप से कम या अधिक है। अपेक्षाकृत विकसित सूबों में यह परिवर्तन सर्वाधिक उल्लेखनीय है।

1911 के बाद से उद्योग धंधों के क्षेत्र में आई यह गिरावट और इसके कारण कृषि पर एकतरफा निर्भरता चरम सीमा पर पहुंच गई है।

इस बीस वर्षों में जहां आबादी में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं उद्योग धंधों में लगे लोगों की संख्या में 12 प्रतिशत की कमी भी आई। इसके साथ की कुल आबादी के अनुपात में औद्योगिक मजदूरों के प्रतिशत में पांचवें हिस्से से भी ज्यादा की कमी आई 1941 में इसमें 4.2 प्रतिशत की और गिरावट आई। इससे पता चलता है कि 'अनुद्योगीकरण' की विनाशकारी प्रक्रिया लगातार जारी थी अर्थात् पुराने हस्तशिल्प उद्योगों का विकास नही हो रहा था जिसके फलस्वरूप खेती पर आबादी का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा था।

इसके साथ ही भोजन के काम आने वाली फसलों की तुलना में उन खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि हुई। 1892—93 से 1919—1920 के बीच खाद्य पदार्थवाली फसलों के क्षेत्रफल में 18 करोड़ 70 लाख से लेकर 21 करोड़ एकड़ अर्थात कुल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उन खाद्य फसलों का क्षेत्रफल 3 करोड़ एकड़ से बढ़कर 4 करोड़ 30 लाख एकड़ हो गया अर्थात कुल 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में यह प्रक्रिया और भी तेजी से जारी रही। 1910—11 से 1914—15 और 1934—35 के पांच वर्षों का औसत यदि लें तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थवाली फसलों के क्षेत्रफल में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उन खाद्य फसलों में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1934—35 से 1939—40 के दौरान उन खाद्य फसलों के क्षेत्रफल में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ की वृद्धि की तुलना में खाद्य फसलों के क्षेत्रफल में वस्तुतः गिरावट आई और यह 15 लाख एकड़ दर्ज की गई। कपास का निर्यात 1900—1 में 178,000 टन किया गया जो 1936—37 में बढ़कर 762,133 टन हो गया। इससे पता चलता है कि 328 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1900—1 में कुल 19 करोड़ पौंड चाय का निर्यात किया गया जो 1939—40 में बढ़कर 35 करोड़ 90 लाख पौंड हो गया, 1900—1 में 549,000 टन तिलहन का निर्यात किया गया जो 1938—39 में बढ़कर 1,172,802 टन हो गया।

इस प्रकार ब्रिटिश पूंजीवादी नीति का प्रत्यक्ष दुष्परिणाम यह है कि कृषि पर दिन व दिन अधिक से अधिक दबाव बढ़ता गया, निर्यात के लिए उन खाद्य फसलों के उत्पादन पर निरंतर

जोर दिया जाने लगा और इस नीति ने भारत को कच्चे माल के स्त्रोत तथा अपने माल की मंडी बनाकर रख दिया।

लेकिन कृषि पर यह जबरदस्त दबाब और किसानों के शोषण की सामाजिक स्थितियां ही भारतीय जनता की गरीबी की बुनियाद हैं। भारत में ब्रिटिश पूंजीवादी नीति का सीधा नतीजा यह है कि पुरानी पद्धति से की जाने वाली खेती पर लगातार जरूरत से ज्यादा दबाव डाला गया और यही भारतीय जनता की निर्धनता की बुनियादी स्थिति है।

कृषि पर अत्यधिक दबाव :

कृषि पर अत्यधिक संख्या में लोगों की निर्भरता का अर्थ यह है कि भारत की पिछड़ी हुई खेती को, एक बढ़ती हुई आबादी के दिनोंदिन ज्यादा होते भाग को जीविका के साधन देने पड़ते हैं।

दूसरी तरफ,जमीन के एकाधिकार तथा किसानों को अपाहिज बनाने वाले शोषण के कारण खेती का विकास मौजूदा व्यवस्था कें अंतर्गत ऐसी सीमाओं में कैद हो गया कि वर्तमान खेती आबादी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अत्यधिक असमर्थ हो गई।

यही वह दुर्दम्य स्थिति है जिसनने भारत की खेती को अपने शिकंजे में कस लिया है। कृषि के क्षेत्र में संकट की जड़ में यही कारण है। इसका नतीजा हम खेती के विकास में आए ठहराव में देख सकते हैं। यहां तक कि कृषि पर लदे असहनीय बोझ के कारण उत्पादन के वर्तमान स्तर में गिरावट के और कृषि में जुटे लोगों की तबाह हालत के भी संकेत देखे जा सकते हैं।

1917 में बंबई के कृषि निदेशक, डा० हेराल्ड एच० मान ने पूरा एक खास गांव की जांच के परिणाम प्रकाशित किए। जांच के दौरान उन्होंने देखा कि 1771 में औसत जोत 10 एकड़ थी। 1818 में यह 171/2 एकड़ थी। 1820–40 में यह धटकर 14 एकड़ हो गई और 1914–15 में महज 7 एकड़ रह गई। उन्होंने जांच के दौरान पया कि 81 प्रतिशत जोतें 'अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में भी अपनी मिल्कियत नहीं बनाए रख सकीं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला इससे यह जाहिर है कि पिछले 60 या 70 वर्षों में जमीन की जोतों का स्वरूप बदल गया। ब्रिटिश शासन से पहले के दिनों में और ब्रिटिश शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में जोतों का आकार आमतौर से ठीक ठाक था। अधिकांश मामलों में यह 9 या 10 एकड़ से अधिक था और 2 एकड़ से कम की व्यक्तिगत जोतें में से 81 प्रतिशत जोतों का आकार 10 एकड़ से कम है जबकि कम से कम 60 प्रतिशत जोतें 5 एकड़ से भी कम की हैं।

समस्या यह नहीं है कि भारत में भूमि की बेहद कमी है। जो कभी महसूस होती है उसका कारण प्रथमतः यह है कि प्रतिबंधों और विकास की उपेक्षा की वजह से उपलब्ध कृषियोग्य जमीन का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। दूसरे, यह कमी इस कारण पैदा हुई है कि जिस जमीन में खेती होती है, उसमें उत्पादन का स्तर बहुत गिरा हुआ है। इसकी वजह है वर्तमान समाज व्यवस्था का दुर्दम्य बोझ जिसने कृषि को अपाहिज बना दिया है और तकनीकी विकास तथा व्यापक संगठन के मार्ग में आने वाली बाधाएं।

अनुमान लगाया गया है कि तकनीक के छोटे पैमाने पर इस्तेमाल के बावजूद, भारत में उपलब्ध समूची कृषि योग्य भूमि में यदि भूमि सुधार और सिंचाई के आवश्यक उपाय काम में लाए जाएं, तो 44 करोड़ 70 लाख लोगों की जीविका चल सकती है। यह संख्या वर्तमान आबादी से 7 करोड़ अधिक की संख्या है।

1910–14 से 1930–31 के बीच जनसंख्या में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन खेती करने वाली जमीन में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इधर हाल के वर्षों में युद्ध के फलस्वरूप आई मंदी के कारण कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में बेहद कमी के अशुभ संकेत मिले हैं और खाद्यान्नोंवाले क्षेत्र में तो और भी ज्यादा कमी हुई है।

ठस प्रकार कृषियोग्य कुल 35 करोड़ 50 लाख एकड़ जमीन के महज 59 प्रतिशत हिस्से में फसल बोई गई जबकि 13.2 प्रतिशत जमीन बंजर पड़ी और खेती लायक कम से कम 27.3

प्रतिशत जमीन बेकार पड़ी। यह भी ध्यान देने की बात है कि सरकारी तौर पर कुल जमीन के छठे हिस्से से भी अधिक भाग के बारे में कहा गया है कि यह जमीन 'कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है' लेकिन कृषि संबंधी आयोग की रिपोर्ट में यह कहना पड़ा कि, 'यह विश्वास करना कठिन है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध खाने में जिस जमीन को डाला गया है वह या तो उपलब्ध नहीं हैया खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।' इसीलिए यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि कृषियोग्य वह जमीन जिसपर खेती नहीं की गई है, सरकार आंकड़े से 27.3 प्रतिशत से भी ज्यादा है और एक तिहाई के करीब भी हो सकती है।

1930 की एक सरकारी रिपोर्ट की शब्दावली में कहें तो मौजूदा कृषियोग्य भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ने और भूमि की बेहद कमी की स्थिति में 'जमीन फसल पैदा करने की अपनी क्षमता खोती जा रही है।' 1789 में लार्ड कार्नवालिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि **ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित प्रदेश का अधिकांश जंगली जानवरों से भरे हुए जंगल के** रूप में तबदील होता जा रहा है। 1930 में मध्य बंगाल के बारे में सरकारी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया कि निश्चय ही यह स्थिति हो सकती है कि समूची स्थिति में इस सीमा तक गिरावट आ गई है कि अब इसमें सुधार नहीं किया जा सकता और यह भूभाग धीरे धीरे दलदल और जंगल का रूप लेने के लिए अभिशप्त है।

लेकिन बिहार के किसानों की अत्यधिक संख्या को अपनी फसलें महज कृषियोग्य भूमि के 59 प्रतिशत हिस्से तक ही सीमित नहीं करना होगा। कृषियोग्य भूमि के इस सीमित क्षेत्र के अंदर भी यहां की सामाजिक स्थितियां, किसानों को अपाहिज बना देने वाला बोझ, उनकी भयंकर गरीबी और आदिकालीन तकनीक जिसे विकसित करने का कोई साधन उनके पास नहीं छोड़ा गया, का अर्थ यह है कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में खेती करने वालों की अधिक जरूरत है। उत्पादन का स्तर किसी भी दिन की तुलना में बहुत कम है।

कह जाता है कि भारत की मिट्टी को कम उपजाऊ बनाया गया है। यहां की विशाल नदी उपत्यकाएं एक जमाने में दुनिया के सबसे उर्वर प्रदेश रहे होंगे। डेनमार्क और जर्मनी में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी तौर पर रेतीला बंजर हिस्सा है जहां केवल धासपात ओर कंटीली झांड़ियां पैदा होती हैं।

संदर्भ स्त्रोत :

1. दत्त, के. के. – हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इण्डिया, खंड 1. पृ0 63–67
2. चौधरी, बी. बी., ॲग्रगिरयन मूवमेन्ट इन बंगाल एण्ड बिहार; नन्दा, बी. आर. सोशलिज्म इन इण्डिया; देसाई ए. आर पेजेन्ट स्ट्रगल्स इन इण्डिया, दिल्ली. पृ0–81–93
3. दास, अरविन्द नारायण, –ॲग्रेरियन अनरेस्ट एंड सोशियो इकॉनोमिक चेन्ज इन बिहार (1900–1907), दिल्ली, पृ0–57–61
4. मिश्रा, गिरीश, – 'द सोशियो इकॉनोमिक बैकग्राउंउ ऑफ गॉधीजी चम्पारण मूवमेंट', इण्डियन–इकानोमिक एंड सोशल हिस्ट्री रेव्यू, अंक 5, नं. 3, पृ0–109–117
5. मिश्रा, बी. बी. (सं), – सेलेक्ट डाक्यूमेन्ट्स ऑन महात्मा गाँधीज मूवमेंट इन चंपारण : 1917–1918, पटना, पृ0–42–53

सेवासदन और भारतीय स्त्री का कल :आज और कल

*शालिनी**

स्त्रियों की दशा उनके वर्चस्व की जीत एवं उन पर हो रहे अनेक प्रकार के दुष्कृत्यों के सुधार हेतु साहित्य में समय–समय पर रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलायी उन्हें कुचक्र,धर्माण्डर,शोषण,दुष्चक्र सभी धारणाओं से मुक्ति दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये हैं समाज में उनकी दयनीय स्थिति से उबारने के लिए पत्र–पत्रिकाओं का सम्पादन किया गया जिसके प्रेरणास्रोत रहे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु वह भी अपने अधिकारों से अवगत हो उन्हें भी आजादी का कुछ क्षण महसूस हो ''बालाबोधिनी'' मासिक पत्रिका का सम्पादन 1874 में किया''1 यह पत्रिका नारी उत्थान के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई हिन्दी साहित्य में आगे चलकर जिन समस्याओं पर प्रेमचन्द जी ने गहराई से विचार किया उसकी शुरुआत प्रेमचन्द जी से पूर्व हो चुकी थी किशोरीलाल गोस्वामी ने ''स्वर्गीय कुसुम कुमारी'' बाबू देवकीनन्दन ने ''काजर की कोठरी'' सरीके उपन्यासों से स्त्री की दयनीय स्थिति को उजागर करने का प्रयास किया था वही स्थिति को मुंशी ने विस्तृत फलक पर सेवासदन में उठाने का कार्य किया था चंडी प्रसाद हृदयेश ने ''मनोरमा'' में जयशंकर प्रसाद ने ''कंकाल'' ऋषभचरण जैन ने ''वेश्या पुत्र'' भगवती प्रसाद वाजपेयी ने ''पतिता की साधना'' में उभारने का प्रयास किया है2

सेवासदन सन् 1918 में हिन्दी में प्रकाशित होता है यह उपन्यास उर्दू में ''बाजार–ए–हुश्न'' नाम से प्रकाशित हो चुका था सेवासदन की तब की स्थिति और पिछले कुछ समय में आयी फिल्म ''उमराव जान'' दोनों को बीच एक लम्बा अन्तराल है लेकिन इस लम्बे अन्तराल को बावजूद भी स्त्री की दशा और दिशा में कोई मूलभूत अन्तर नहीं आया है

यदि स्त्री अपनी स्थितियों से जूझते हुए स्वयं को बदलना भी चाहे तो यह रुढ़िवादी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता जिसको परिणामस्वरुप उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रह जाता वह अपने हाल पर पुनः वापस लौटने को मजबूर होती हैं उनका घर–परिवार ही उन्हें स्वीकार नहीं करता समाज के लोग तो बाद की बात होती है प्रेमचन्द जी ने सेवासदन में सुमन के जरिए जिन स्थितियों को उजागर किया है उमराव जान फिल्म में भी लगभग वही स्थिति सामने उभरकर आती है

प्रेमचन्द जी सेवासदन से लेकर गोदान तक नारी की स्थिति का अंकन करते हैं गोदान में कई सन्दर्भों में नारी के चरित्र को उकेरने का प्रयास किया है मालती,गोविन्दी,धनिया,झुनिया,सिलिया यह महज उपन्यास को विस्तार देने के लिए पात्र ही नहीं नारी की स्थिति को दर्शाने के अलग–अलग पहलू हैं सेवासदन में सुमन की स्थिति को कुछ इस तरह चित्रित करते हैं– ''स्कूल से जाते हुए हुए युवक सुमन के द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए चले जाते। शोहदे उधर से निकलते तो राधा और कान्हा के गीत गाने लगते। सुमन कोई काम करती हो पर उन्हें चिक की आड़ से एक झलक दिखा देती। उसके चंचल हृदय को इस ताक–झाँक में असीम आनंद प्राप्त होता था। किसी कुवासना से नहीं, केवल अपने यौवन की छटा दिखाने के लिए, केवल दूसरों के हृदय पर विजय पाने के लिए यह खेल खेलती थी''3

सेवासदन में प्रेमचन्द जी ने दिखाया कि सुमन ग्राहकों रिझाती है तरह–तरह से लेकिन कभी अपने अस्तित्व को मिटाने का प्रयास नहीं किया उसी तरह उमराव जान में भी बचपन में अपहरण हो जाने पर खानम के कोठे पर बेचे जाने पर भी उमराव अपने अस्तित्व को बरकरार

---

* **शोध छात्रा हिन्दी विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर,म.प्र.**

रखती है बाहर की दुनिया को अखबारों के माध्यम से सुनती और जानती है सेवासदन में सुमन कोठे पर जरूर होती है लेकिन उसके संस्कार उसे जिस्म बेचने के लिए कभी हिमायत नहीं करते सुमन के कोठे पर जाने की खबर जब सुमन के पिता को लगती है तो वह उसके पति गजाधर से कहते हैं तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला । वही सदन जो हर रोज कोठे पर जाता है लेकिन उसे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं सब अपना लेते हैं फिर सुमन क्यों नहीं अपनायी जा सकती यह दृष्टिकोण पुरुषवादी सोच को वही विट्ठलनाथ से सुमन कहती है – ''आप सोचते होंगे कि मैं भोग विलास की लालसा से इस कुमार्ग पर आई हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं ऐसी अंधी नहीं कि भले बुरे की पहचान न कर सकूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कर्म किया है। लेकिन मैं विवश थी, इसके सिवाय मेरे लिए और कोई रास्ता न था... यद्यपि इस काजल की कोठरी में जा कर पवित्र रहना अत्यंत कठिन है पर मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्य की रक्षा करुँगी। और ईश्वर चाहेंगे तो मैं अपना प्रण पूरा करुँगी। मैं गाऊँगी, नाचूँगी, पर अपने को भ्रष्ट न होने दूँगी।''4 पितृसत्तात्मक सोच को खाँचे से उबरने की सोचती है लेकिन अनमेल विवाह में खुद को सही नहीं पाती लाड़–प्यार से पली सुमन एक गरीब गजाधर के हाथ बाँध दी जाती है जो पर्दे का सबसे ज्यादा हिमायती है उसका मानना है कि पर्दा हटा कि स्त्री बिगड़ गयी पिता की फटकार से आखिरकार सुमन भोलीबाई की शरण ले लेती है –''दो तीन साल और कसर रह गई। इतने दिन और पढ़ लेती तो फिर यह ताक न लगी रहती। मालूम हो जाता कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें जिंदगी का लुत्फ कैसे उठाना चाहिए। हम कोई भेड़–बकरी तो हैं नहीं कि माँ–बाप जिसके गले मढ़ दें बस उसी की हो रहें। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो तो तुम्हें परियों की सूरत क्यों देता? यह बेहूदा रिवाज यहीं के लोगों में है कि औरतों को इतना जलील समझते हैं, नहीं तो और मुल्कों में औरत आजाद हैं, अपनी पसंद से शादी और जब उससे रास नहीं आती तो तलाक दे देती हैं। लेकिन हम लोग वही पुरानी लकीर पीटे चली जा रही हैं''5

वस्तुतः सेवासदन और उमराव जान फिल्म एक–दूसरे के पूरक है दोनों की स्थितियाँ एक ही है स्त्री अपना अस्तित्व कायम रखना चाहती है कठिन परिस्थितियों में भी लेकिन समाज उन्हें बहिष्कृत कर हर बार उनके अस्तित्व पर प्रहार करने का काम करता है इन तद्युगीन सन्दर्भों से स्त्री के आज और कल के सम्पूर्ण परिदृश्य को हम इन तथ्यों से बखूबी समझ सकते हैं ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1–हिन्दी साहित्य का इतिहास डॉ.नगेन्द्र पृष्ठ संख्या 470

2–हिन्दी उपन्यास का इतिहास गोपालराय पृष्ठ संख्या 146,147

3–वही पृष्ठ संख्या 127

4–सेवासदन उपन्यास पृष्ठ संख्या 39

5– वही पृष्ठ संख्या 40

Classification of metals

Varun kumar [*]

There are different classification models. In order to compare the alkali metals with other metals, the metals are classified in terms of non-bonding electronic cores in acceptor metal atoms. The various types are listed in Table 1.2[1].

Table 1.2

Types of non-bonding core	**Name and examples**
$1s^2$	Light metals; Li^+, Be^{2+}, B^{3+}.
$ns^2 np^6$	Pre-transition metals; Na^+, Ca^{2+}, Sc^{3+}.
$(n–1) d^{10}$	Post-transition metals; Cu^+, Zn^{2+}, Ga^{3+}.
$(n–1) d^1$ to $(n–1) d^9$	Transition metals; Fe^+, Co^{2+}, Ni^{3+}.
$(n–1) (f^1–f^{13}) ns^2 np^6$	Lanthanides (n=4); actinides (n=5).

Their properties are almost entirely due to the relative shielding (i.e., screening) power of the field and unfilled s-, p- and d- subshells, together with the equally important and interdependent atomic radius.

The ionic or covalent nature of bonds between two atoms A and B depend on the difference in electronegativities of the two atoms. From the values of electronegativities, the percentage of ionic character or the bond between A and B (A–B) can be calculated. Pauling pointed out that an increase in the difference in electronegativities of the two atoms, increase the ionic character of the bond between them.

In a classification model, Chatt and Ahrland[2] classified the metals depending upon their relative affinity for ligand atoms from different groups in the periodic table.

Accordingly the metals are divided into two classes, A and B. Thus class A acceptors are defined as those metals which form their most stable complexes with the first ligand atom of each group, namely nitrogen and fluorine. Class B acceptors are those which form their most stable complexes with the second or subsequent ligand atoms. The relative affinity of class A metals for donor atoms from the various groups can be summarized as follows :-

[*] **Research Scholar. Department of Chemistry, T.D.P.G. College, Jaunpur U.P. India**

Group V…………….N>>P>As>Sb

Group VI…………….O>>S>Se>Te

Group VII…………….F>>Cl>Br>I^-.

The signs are reversed for class B metals.

On the basis of this classification it is clear that most of the experimental evidences used by Chart and Ahrland are based on complex stability constants measured in aqueous solutions.

The classification of many accepter is relatively simple, e.g. the pre-transition, the lanthenides and actinide metal may be considered as class a metals; while the potion the post-transition and the inert pair element fall into class B metals. How ever, a number of metals and metal ion fall in the border region. The transition metal show a gradual change from class A to class B passing along the series d^1 –d^9.

Generally, the class A metals have non bonding core with high shielding power , e.g. s^2 or ns^2 np^6 electronic core. Because the core shielding, polarizing power at the short distance is small there fore the class A metals have little tendency to polarize ligands and consequently to form covalent bonds. Unlike these metals, class B metals, generally have either filled or d^{10} core with low shielding power. Hence they have greater tendency to polarize ligands and form covalent bonds, in comparison to that of class A metals.

Craig and Nyholm proposed a simple scheme to the character of bonds formed by given metal to the halide ions. They defined a quantity R as follows :

$$R = \frac{I.P. \times (r_{m+} + r_{X-})}{n}$$

where I.P.= lionization potential of the metal ion in electron volt.

r_{m+} = Ionic radius of metal

r_X = Radius of the halide ion

n= Valency of the cation

For comparative purposes, they introduced the ratio R'=R/n, in general it was found that a class A metal had a R' value less than 15, while a class B metal had greater than 19.

Pearson added a new dimension to the classification of metals proposed by Chatt, Ahrland and Davies. He is introduced the concept of "soft and hard acids and bases" (SHAB concept). He classified acids (i.e. cation or electron deficient species) into two classes : soft and hard. Likewise he divided bases (i.e. anions

or electron rich species) into soft and hard bases. Incidentally, class A metals of Ahrland et. al.[2] tallied with hard acids and class B metals with that of soft acids of Pearson.

Pearson further suggested that hard acids prefer to combine with hard bases and soft acids to combine with soft bases. In other words, class A metals prefer to bind to hard or non-polarisable base, while class B metals prefer to bind to soft or polarisable base. In the particular case where the metal ions act as acids, class A metals are potential □-bond acceptor, and class B metals are potential d- or p-electron donors via □-bond formation. Conversely, hard bases such as N, O and F will donate electrons, while the soft bases will have vacant – d-orbitals or molecular orbitals into which the metal electrons can be delocalised.

Chemical differences between the nitrogen and phosphorous are that nitrogen forms very stable compounds with p□-p□ bonds and no compounds p□-d□ bonding (except in trisilylamine), whereas phosphorous forms no stable compounds with pp-pp bonds but does with p□-d□ bonding[4].

We are dealing with typical class A metals while considering alkaline earth metals. Therefore, they will form the strongest complexes with ligands containing hard bases, e.g., donor atoms such as N, O and F. In determining the relative affinities of N, O & F for class A metals, the availability of lone pairs of electrons is a significant factor in complex formation. In considering the ligands R_3N, R_2O and RF, whenever covalent donor bonding makes any significant contribution to the bond strength, the order of affinity will be $R_3N>R_2O>RF$, since the ligand atoms are in the order of increasing electronegativity and therefore decreasing availability of the lone pair electrons for bonding. For strong class B metals with filled d-orbital, there will be increasing lone pair repulsion between d-orbital electrons and the non-bonding p-orbital lone pairs passing from N to F, so that the order of coordinating affinity is N>>O>>F. However, this order is reversed in going from strong class B acceptors, through border line, to class A acceptors; and in fact by the time the electro +ive ions, viz; the alkaline earth metals, are reached and the bonding is almost electrostatic, the additional number of lone pairs available may actually enhance the bonding. Consequently there may even be a reversal of the order $RF>R_2O>R_3N$. This is indeed observed with Ca^{2+} [5].

Since the alkaline earth metals are electro +ive elements and F is the most electro negative element, compounds formed between the two will end to be highly ionic in character (Mg^{2+}, Ca^{2+}, Ba^{2+}). Therefore, we have confined our attention in studying the relative affinities of alkaline earth metals for oxygen and nitrogen donor atoms in various ligands systems.

REFERENCES –

1.	D.P. Craig and R.S. Nyholm	: "Chelating Agents and Metal Chelates", F.P. Dwyer and D.P. Mellor eds. Academic Press, New York	(1964)
2.	J. Chatt., S. Ahrland and N.R. Davies	: Quart. Rev., 12, 265	(1958)
3.	R.G. Pearson	: J.Amer. Chem.. Soc., 85, 3533	(1963)
4.	R.F. Hudson	: Pure Appl. Chem., 9, 371	(1964)
5.	R.M. Tiechane & W.E. Bennet	: J. Amer. Chem. Soc., 79, 1293	(1957)